पंचदश माला, खंड 17, अंक 4

गुरुवार, 4 अगस्त, 2011
13 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 25 July 2012

सत्यमेव जयते

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 17, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 4 अगस्त, 2011/13 श्रावण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण.	1
निधन संबंधी उल्लेख.	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63	4–42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 64 से 80	42–111
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	111–572
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	572–576
राज्य सभा से संदेश और	
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक.	576–577
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
17वां प्रतिवेदन	577
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	577–578
21वां से 24वां प्रतिवेदन	
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
14वां से 17वां प्रतिवेदन	578–580
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
15वां से 17वां प्रतिवेदन	580
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) श्रीलंका में स्थिति	
श्री एस.एम. कृष्णा	580–584

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री अश्विनी कुमार	584-586
मूल्यवृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करने, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने तथा आम आदमी को राहत दिलाने के संबंध में प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	586-598
श्री यशवंत सिन्हा	598-527
समिति के लिए निर्वाचन	
(एक) कॅयर बोर्ड	612
(दो) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति	613
(तीन) लोक लेखा संबंधी समिति	613-614
दूर संचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव.	614-615
कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	615-616
लोक पाल विधेयक	
श्री वी. नारायण स्वामी	616-617
श्रीमती सुषमा स्वराज	617--619
श्री प्रणब मुखर्जी	619-620
नियम 377 के अधीन मामले.	
(एक) पंजाब के मुकेरिया, दसुया, टांडा, होशियारपुर, शाम चौरासी और फगवाड़ा विधान सभा के अंतर्गत विभिन्न रेल समपारों पर चौकीदारों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	620-621
(दो) देश में चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पर महंगाई भत्ता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	621
(तीन) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. कृपारानी किल्ली	621-622
(चार) उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदम्बिका पाल	622

विषय	कॉलम
(पांच) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री कमल किशोर 'कमांडो'	622-623
(छह) केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन/शिलान्यास समारोह उस क्षेत्र के संसद सदस्य द्वारा कराए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	623
(सात) तमिलनाडु के इगमोर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की मौजूदा प्रचालन प्रणाली को जारी रखे जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	624
(आठ) अनुकंपा के आधार पर रोजगार मांगने वाले सभी व्यक्तियों को तत्काल रोजगार प्रदान कराए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.टी. नाना पाटील	625-625
(नौ) हिमाचल प्रदेश में बीएसएनएल की टेलीफोन केबलों की चोरी से बचने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इन केबलों को भूमि के भीतर बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कश्यप	625-626
(दस) देश में आदिवासियों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	626
(ग्यारह) मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुखारा-कटनी विधान सभा क्षेत्र में समपार पर रेलवे उपरि पुल/अधोगामी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	626-627
(बारह) मध्य प्रदेश में लम्बित नागर विमानन परियोजनाओं को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती ज्योति धुर्वे	627
(तेरह) जीत सागर बांध से राजस्थान को उसके विधिवत हिस्से का पानी छोड़े जाने की आवश्यकता	
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	627-628
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2011-12	
श्री हरिन पाठक	633-640
श्री अधीर चौधरी	640-648
श्री शैलेन्द्र कुमार	648-651
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	651-655

विषय **कॉलम**

श्री कौशलेन्द्र कुमार 655-656

श्री तथागत सत्पथी 657-662

श्री एम.बी. राजेश 662-665

श्री सी. शिवासामी 665-668

श्री प्रबोध पांडा 668-669

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 670-673

डॉ. संजीव गणेश नाईक 673-674

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 674-679

श्री नारनभाई कछाड़िया 679-681

श्री संजय निरूपम 681-686

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 686-688

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 688

डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 689-690

श्री एस.एस. रामासुब्बु 690-692

श्री एन. चेलुवरया स्वामी 692-694

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 694-696

श्री नरहरि महतो 696-697

श्री घनश्याम अनुरागी 697-699

श्री वीरेन्द्र कश्यप 699

श्री वीरेन्द्र कुमार 699-700

श्री हंसराज गं. अहीर 700-702

श्री अर्जुन राम मेघवाल 702-703

डॉ. (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी 703-705

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 729

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 730-738

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 739-740

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 739-740

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 4 अगस्त, 2011/13 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): अध्यक्ष महोदय मैंने एक सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। एक शपथ ग्रहण होना है।

महासचिव अब श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को शपथ प्रतिज्ञान लेने हेतु बुलाएं।

महासचिवः श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी श्री वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी (कडजा) आंध्र प्रदेश।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः मानीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री दौलत राम सरण और श्री वी.एस. कृष्णा अय्यर के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री दौलत राम सरण 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा तथा 1989 से 1991 तक नौंवी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री सरण 1957 से 1972 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने राजस्थान सरकार में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, स्थानीय स्व-शासन और सिंचाई उप मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक योग्य संसदविद्, श्री सरण ने अपने लम्बे और शानदार राजनीतिक जीवन के दौरान अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री सरण 1990 से 1991 तक केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री रहे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री सरण ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, श्री सरण संगारिया राजस्थान में ग्रामोधन विद्यापीठ के संस्थापक थे। वह राजस्थान के सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

श्री सरण सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज और बाल विवाह के उन्मूलन आंदोलन से भी सम्बद्ध रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अनेक विद्यालयों, पुस्तकालयों की स्थापना और शिविर आयोजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री दौलत राम सरण का निधन 87 वर्ष की आयु में 2 जुलाई, 2011 को जयपुर में हुआ।

श्री वी.एस. कृष्णा अय्यर 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने कर्नाटक के बैंगलोर दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री अय्यर 1970 से 1984 तक कर्नाटक विधान परिषद् के सदस्य थे।

श्री अय्यर आठवीं लोक सभा के दौरान नियम समिति; प्राक्कलन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे।

एक कुशल प्रशासक, श्री अय्यर 1984 में कर्नाटक सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। उन्होंने 1980 से 1982 तक कर्नाटक विधान परिषद के उप-सभापति के रूप में भी कार्य किया।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री अय्यर ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ों आन्दोलन में भाग लिया। जनता के मसीहा श्री अय्यर ने पांच दशकों के अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

...*व्यवधान*

अध्यक्ष महोदयाः मैं निधन संबंधी उल्लेख कर रही हूं।

एक-प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री अय्यर 1960 में बैंगलोर शहर निगम के पार्षद थे और उन्होंने 1962 में बैंगलोर शहर निगम के महापौर के रूप में भी कार्य किया। वह मैसूर राज्य सहकारी आवास निगम के अध्यक्ष थे। उन्होंने कर्नाटक आवास निगम के अय्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री अय्यर बैंगलोर में अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों से निकट से जुड़े हुए थे। श्री अय्यर ने सहकारिता आन्दोलन में विशेष रूचि ली और बैंगलौर शहर के लिए कावेरी से जलापूर्ति योजना मंजूर कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री वी.एस. कृष्णा अय्यर का निधन 88 वर्ष की आयु में 25 जुलाई, 2011 को बैंगलोर में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.05$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या-61 श्री विलास मुत्तेमवार।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (काजरगोंड): अध्यक्ष महोदया, हमने सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: यह गलत है। आप हमेशा यह क्यों उठा लेते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप यह इस तरह से क्या उठा लेते हैं? आप लिखकर ले आते हैं और फिर इसे सदन में दिखाते हैं जो गलत है। *[अनुवाद]* कृपया बैठ जाइए।

हां, आप जारी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री विलास मुत्तेमवार जी आप बोलिए।

रेल दुर्घटनाएं

***61. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मालगाड़ियों सहित रेल दुर्घटनाओं, रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने, रेलगाड़ियों में आग लगने की जोनवार कितनी घटनाओं का पता लगा है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति मारे गए/कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने मूल्य की संपत्ति की हानि हुई है;

(ग) उक्त प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए नियुक्त की गई समितियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त समितियों के निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) रेलवे द्वारा पीड़ितों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है तथा इससे संबंधित लंबित मामलों का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों, वित्तपोषण योजनाओं और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान और चालू वर्ष में अप्रैल से जुलाई, 2011 तक घटित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं अर्थात् टक्कर होने, गाड़ी का पटरी से उतरने, चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं, गाड़ी में आग लगने और विविध कारणों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

दुर्घटना की किस्म	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल से जुलाई, 2011)
टक्कर	13	9	5	3
पटरी से उतरना	85	80	80	16
चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	7	5	5	1
गाड़ियों में आग लगना	3	2	2	1
विविध	7	4	1	0
कुल	115	100	93	21

नोट: उपर्युक्त आंकड़ों में सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार प्रवेश के कारण हुई दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।

इन दुर्घटनाओं का जोनवार विवरण अनुबंध में संलग्न है। इन दुर्घटनाओं का कारणवार विवरण निम्नानुसार है:

कारण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल से जुलाई, 2011)
रेल कर्मचारियों की चूक	75	63	59	18
रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों की चूक	14	10	10	1
उपकरणों की खराबी	0	6	2	0
तोड़फोड़	13	14	16	1
मिश्रित कारक	4	1	1	0
आकस्मिक	5	4	4	0
तय नहीं किया जा सका	4	2	0	0
जांच की जा रही है	0	0	1	1
कुल	115	100	93	21

(ख) उपर्युक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

दुर्घटना की किस्म	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (अप्रैल से जुलाई, 2011)	
	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
टक्कर	9	53	44	115	239*	298*	0	50
गाड़ी का पटरी से उतरना	10	142	14	91	4	53	72@	320@
चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	18	54	7	6	7	13	0	5
गाड़ियों में आग लगना	31	11	0	0	0	0	0	0
विविध	12	42	3	35	0	0	0	0
कुल	80	302	68	247	250	364	72	375

*इसमें तोड़फोड़ के कारण खड़गपुर के निकट 28.05.2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतरने और टक्कर की दुर्घटना में मारे गए 150 व्यक्ति और गंभीर रूप से घायल हुए 171 व्यक्ति शामिल हैं।

@इसमें उत्तर प्रदेश में 10.07.2011 को कालका मेल के पटरी से उतर जाने के कारण दुर्घटना में मारे गए 70 व्यक्ति और घायलहुए 253 व्यक्ति शामिल हैं।

2008-09, 2009-10, 2010-11 में और अप्रैल से जुलाई, 2011 तक चालू वर्ष में उपर्युक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में रेल संपत्ति की क्षति क्रमशः 60.65 करोड़ रुपये (लगभग), 53.71 करोड़ रुपये (लगभग), 71.93 करोड़ रुपये (लगभग) ओर 15.78 करोड़ रुपये (लगभग) होने का अनुमान है।

(ग) प्रत्येक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच दुर्घटनाओं की गंभीरता के आधार पर या तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा या क्षेत्रीय रेलों के अंतर्गत विभागीय जांच समिति द्वारा की जाती हैं वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक और चालू वष्र (जुलाई, 2011 तक) में हुई 329 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में से 49 दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा और शेष 280 दुर्घटनाओं की जांच विभागीय जांच समिति द्वारा की गई है। इन आंकड़ों में सड़क उपुयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार प्रवेश के मामले और असामान्य दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।

(घ) रेल संरक्षा आयुक्त/विभागीय जांच समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों के अनुपालन के लिए भारतीय रेलवे के संबंधि त विभागों द्वारा उनकी जांच की जाती है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान औ चालू वर्ष में जुलाई, 2011 तक अब तक चूक करने वाले कर्मचारियों पर क्रमशः 200 और 273 बड़ी और छोटी शास्तियां लगाई गई हैं। इनमें से इस अवधि के दौरान 80 रेल कर्मचारियों को रेल सेवा से हटा दिया गया है/बर्खास्त कर दिया गया है।

(ङ) 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2011 तक गाड़ी दुर्घटना के मामलों में रेल दावा अधिकरणों द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि क्रमशः लगभग 218.94 लाख रुपये, 265.81 लाख रुपये, 585.79 लाख रुपये और 207.46 लाख रुपये हैं। यह राशि दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों को तुरन्त राहत के रूप में रेलों द्वारा दी गई अनुग्रह राशि के अलावा है। 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान रेलों द्वारा दी गई अनुग्रह राशि क्रमशः 124.06 लाख रुपये, 258.18 लाख रुपये और 1313.74 लाख रुपये हैं। विभिन्न गाड़ी दुर्घटनाओं/घटनाओं जो अप्रैल से जुलाई, 2011 के दौरान हुई थीं और जहां बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की घोषणा की गई थी, में लगभग 243.45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी दी गई है।

किसी वर्ष दी गई क्षतिपूर्ति के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी वर्ष की दुर्घटनाओं से संबंधित हो और यह किसी विशेष वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या पर निर्भर करता है। 31.07.2011 के अनुसार, रेल दावा अधिकरण के पास लंबित क्षतिपूर्ति दावा के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

रेल	31.07.2011 को क्षतिपूर्ति के लंबित मामले
1	2
मध्य	8
पूर्व	127
उत्तर	31
पूर्वोत्तर	33
पूर्वोत्तर सीमा	1
दक्षिण	1
दक्षिण मध्य	6
दक्षिण पूर्व	114
पश्चिम	19
पूर्व मध्य	17
पूर्व तट	74
उत्तर मध्य	36
उत्तर पश्चिम	2
दक्षिण पूर्व मध्य	5
दक्षिण पश्चिम	1
पश्चिम मध्य	28
कोंकण रेलवे	0
कुल	503

(च) भारतीय रेलों द्वारा संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं को रोकने और संरक्षा बढ़ाने के लिए सतत् आधार पर सभी संभव उपाय किए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर प्रतिस्थापन, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल और अंतर्पाशन प्रणाली के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकों को अपनाना, निगरानी के लिए नियमित आधार पर संरक्षा अभियान और निरीक्षण करना और संरक्षा कार्यों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करना शामिल है।

नवीकरण के बकाया कार्यों क्लीयर करने और गतायु परिसंपत्तियों यथा, रेलपथों, पुलों, चल स्टॉकों, सिगनल गियरों आदि के पुनर्स्थापन के लिए 2001 में सृजित 17000 करोड़ रुपये की विशेष रेल संरक्षा निधि का उपयोग हो जाने के बाद बकाया होने वाले गतायु परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन कार्य के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि में वर्ष-दर-वर्ष पर्याप्त अंशदान किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में औसतन भारतीय रेलों के कुल योजना परिव्यय का 17% से 18% मूल्यह्रास आरक्षित निधि में आवंटित किया गया है।

भारतीय रेलों में प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के लिए सुनिर्धारित प्रशिक्षण योजना है, जिसमें आरंभिक, पुनश्चर्या, पदोन्नति और विशेष पाइयक्रम शामिल हैं। संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को 3/5 वर्षों की अवधि में अनिवार्य पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों का आवधिक रूप से आशोधन भी किया जाता है।

अनुबंध

वर्ष	रेलवे	टक्कर	गाड़ी का पटरी से उतरना	चौकीदार वाले समपार	गाड़ी में आग लगना	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	मध्य रेलवे	1	5	1		2	9
	पूर्व तट रेलवे		7				7
	पूर्व मध्य रेलवे	1	11		1	1	14
	पूर्व रेलवे		7				7
	उत्तर मध्य रेलवे	3	9			1	13

1	2	3	4	5	6	7	8
	पूर्वोत्तर रेलवे		7	1		1	9
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		2	1			3
	उत्तर रेलवे	3	11	3		1	18
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3				3
	दक्षिण मध्य रेलवे	1	3	1	2		7
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे		1				1
	दक्षिण पूर्व रेलवे	3	6				9
	दक्षिण रेलवे	1	3				4
	दक्षिण पश्चिम रेलवे		4				4
	पश्चिम मध्य रेलवे		4			1	5
	पश्चिम रेलवे		2				2
	कुल	13	85	7	3	7	115
2009-10	मध्य रेलवे		12			1	13
	पूर्व तट रेलवे		6	1			7
	पूर्व मध्य रेलवे		14			1	15
	पूर्व रेलवे	1	2				3
	उत्तर मध्य रेलवे	4	1		1		6
	पूर्वोत्तर रेलवे		2				2
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		4	1	1	1	7
	उत्तर रेलवे	1	8	1			10
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3	1			4
	दक्षिण मध्य रेलवे	1	7				8
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे		1				1
	दक्षिण पूर्व रेलवे		7				7
	दक्षिण रेलवे	1	3				4
	दक्षिण पश्चिम रेलवे		3			1	4
	पश्चिम मध्य रेलवे		2				2
	पश्चिम रेलवे	1	5	1			7
	कुल	9	80	5	2	4	100

1	2	3	4	5	6	7	8
2010-91	मध्य रेलवे		3				3
	पूर्व तट रेलवे		8	1			9
	पूर्व मध्य रेलवे		11				11
	पूर्व रेलवे	1	3	1			5
	कोलकाता मेट्रो		1				1
	कोंकण रेल निगम लि.		1				1
	उत्तर मध्य रेलवे		8				8
	पूर्वोत्तर रेलवे		4				4
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		6				6
	उत्तर रेलवे	1	12	2		1	16
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3				3
	दक्षिण मध्य रेलवे		5		1		6
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1					1
	दक्षिण पूर्व रेलवे	1	6	1			8
	दक्षिण रेलवे		3				3
	दक्षिण पश्चिम रेलवे	1			1		2
	दक्षिण मध्य रेलवे	1			1		2
	पश्चिम रेलवे		2				2
	कुल	5	80	5	2	1	93
2011-12	मध्य रेलवे		2				2
(अप्रैल से	पूर्व तट रेलवे	1					1
जुलाई)	पूर्व मध्य रेलवे		1				1
	पूर्व रेलवे	1	1				2
	उत्तर रेलवे		1				1
	उत्तर मध्य रेलवे		4				4
	पूर्वोत्तर रेलवे		1				1
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		3				3
	दक्षिण मध्य रेलवे		1				1
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1					1
	दक्षिण रेलवे		1				1
	दक्षिण पश्चिम रेलवे			1			1
	पश्चिम मध्य रेलवे		1		1		2
	कुल	3	16	1	1	0	21

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री विलास मुत्तेमवार जी आप बोलिए।

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदया, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ नेटवर्क कहा जाता है। इसे देश की लाइफ-लाईन भी कहते हैं। प्रतिदिन सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ मुसाफिरों को अपने गंतव्य तक ले जाने का काम रेल कर रही है। रेल की हाल की दुर्घटनाओं में लगातर होने वाली वृद्धि से मानव जीवन तथा अपार सम्पत्ति की हानि होना माननीय मंत्री महोदय के साथ-साथ हम सभी के लिए गहरी चिंता का मामला है। यह चिंता और भी बढ़ जाती है, जब केवल 48 घंटे के अन्तराल में तीन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 100 लोगों की मौत होती है और कई सैकड़ों लोग गम्भीर रूप से घायल होते हैं।

महोदया, यह सिलसिला वर्ष 2007 से जारी है और अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 1100 लोगों की मौत हुई है, सैंकड़ों लोग हताहत हुए हैं। केवल एक अप्रैल 2010 से अब तक 475 लोगों कीा मौत हुई है। इन सारी घटनाओं को देखकर अब एक भय का वातावरण, एक निराशा का वातावरण, एक असुरक्षितता का वातावरण लोगों के बीच में है।

मैंने जो सवाल पूछा था कि इस संबंध में रेल मंत्रालय की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, उसके उत्तर में कोई ठोस जवाब नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और वह ठोस कार्रवाई क्या है, यह मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री दिनेश त्रिवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि माननीय सदस्य ने मुझे यह मौका दिया है और यह मेरा *मेडन आन्सर* है। यह बहुत ही गंभीर विषय है,

[अनुवाद]

और मैं समझता हूं कि यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम सभी चिन्तित हैं, देश चिन्तित है क्योंकि हम भी यात्रा करते हैं और जो प्रभावित होते हैं, वे हमारे अपने हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए मुझे इसका उत्तर शांति देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। मैं शुरूआत में यह अवश्य कहूंगा कि हम सभी प्रयत्नशील हैं *...(व्यवधान)*

इसलिए ऐसा कहने के बाद मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में मैं रेल परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा इस इस रेल परिवार के कारण है जिसमें गैंगमैंन से लेकर रेलवे बोर्ड के सदस्य तक हैं वे सभी समर्पित हैं। निश्चित रूप से कई चिंताएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी मृत्यु के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए जब मैं आपको आंकड़े देने का प्रयास करता हूं तो मैं कोई बहाना बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। लेकिन आंकड़े भी बोलते हैं।

महोदया, हमने काफी यात्रा की है। मै। साठ के दशक में वापस नहीं जा रहा हूं। साठ के दशक में हमारे यहां 2000 से अधिक दुर्घटनाएं होती थी। लेकिन यह संख्या घटकर 93 हो गई हैं। लेकन क्या मैं संतुष्ट हूं? उत्तर नहीं में है। पिछले दशक में हमारे यहां वर्ष 2002-03 में 269 दुर्घटनाएं हुई थी। वर्ष 2010-11 में हमारे यहां 93 हुई। एक भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। लेकिन यदि आप मुझे यह विस्तार से बताने देना चाहते हैं कि हम संरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं और यदि आप मुझे समय दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम क्या कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उन्हें थोड़ी देर लगेगी सारी बातें जानने में। महोदया, चीन में हाल में 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेल चलाने का प्रयास हो रहा है, जापान में कई सालों से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल चल रही है और दुनिया के कई दूसरे देशों में भी तेज रफ्तार से रेल चलाने की बात हो रही है। हमारे देश में भी 'रेल लाइन बिछाओ पिछड़ापन भगाओ,' ऐसी मांग सारी पार्टियों के सदस्यों द्वारा हर क्षेत्र से आती है क्योंकि इससे यात्रियों को लाभ होगा और माल ढुलाई के क्षेत्र में भी विकास होगा। लेकिन जहां इस प्रकार की असुरक्षा हो, उसके लिए कौन से कारगर उपाय रेल मंत्रालय द्वारा उठाए जाते हैं? उत्तर में इन्होंने बताया है कि दुर्घटना टालने के लिए एंटी-कॉलिज़न डिवाइस एक कारगर उपाय है। तमाम प्रयासों, तकनीकी सुधारों और कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षणों और गाइडलाइन्स के बावजूद दुर्घटनाएं रुक नहीं रही हैं और निरपराध और निष्पाप लोग इसमें हताहत हो रहे हैं। कई परिवार उजड़ रहे हैं और कई लोग विकलांग हो रहे हैं जो जीवन से एकदम हार जाते हैं। दुर्घटनाएं रोकने के लिए कई उपायों की बात की गई है लेकिन एक मामला जो सामने आ रहा है जिसकी चर्चा हमेशा रहती है और जिसका संबंध रेल परिचालन, रक्षा एवं रखरखाव से है, एक जानकारी के मुताबिक सुरक्षा से संबंधित एक लाख से ज्यादा पद रेलवे में अभी रिक्त हैं। इनमें 7190 पद तो लोको पायलटों के हैं। क्या ये सारी दुर्घटनाएं कर्मचारियों की कमी के कारण, विशेष और आधुनिक तकनीक के अभाव में हो रही हैं वर्ष 1995 में फिरोजाबाद में रेलवे की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थीं जिसमें 600 लोग मारे गये थे।

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिए।

श्री विलास मुत्तेमवारः पिछले दिनों जो कालका मेल का एक्सीडेंट हुआ उसमें उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे बड़ा हादसा नहीं देखा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और यह चिंता सारे सदस्यों की भी है कि ऐसे कौन-से ठोस उपाय वे आने वाले दिनों में करना चाहते हैं जिसमें कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी तथा कई तकनीक आएगी ताकि लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। *...(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदीः माननीय सदस्य ने एक सवाल में बहुत सारे सवाल उठाए और सवाल जायज भी हैं। मेरे पास हर सवाल के वाजब भी हैं, यदि आप संतुलन बनाकर मेरी बात सुने। पहली, आपने दुनिया के दूसरे देशों की बात कही। यदि हम उनके साथ भारतीय रेलवे की तुलना करते हैं तो मैं दावे के साथ हमारे देशवासियों को बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जो रेल पटरियां हैं, आपने जिसे लाइफ लाइन यानि जीवन रेखा बताया, इसको देखते हुए और हमारे पास जितने कॉन्ट्रेंट्स हैं, उनको देखते हुए आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय रेलवे पूरी दुनिया में सबसे अच्छी रेलवे है। यह मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं। *...(व्यवधान)* इसके लिए यदि आप सुनना चाहतें तो मैं आंकड़े देता हूं। एक्सीडेंट्स के आंकड़े आप सुनिए। इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको चौंकाने वाली बात मैं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयाः आप पहले सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः महादेया, जब आप हमारी तुलना यूरोप से करती हैं तो इस सदन और देश को सुखद आश्चर्य होता है। हम अपनी तुलना यूरोप से करें *...(व्यवधान)* क्या उनकी रुचि है? इसका मतलब उत्तर में आपकी रुचि नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः शांति से बैठिए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया, वर्ष 2007 में कितनी दुर्घटनाएं हुई थी?

[हिन्दी]

वर्ष 2007 में कितनी दुर्घटनाएं यूरोप में हुई थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदीः यदि आप शांति से मुझे दो मिनट का मौका दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः यह एक पहला उत्तर है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया, हम चर्चा के लिए हमेशा हाजिर हैं। मगर एक बात बताएं। हम अपने आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं। एक नया आया है सैबोटेज, टेरर। *...(व्यवधान)* हम इतने गिरे नहीं हैं। आप मेहरबानी करके आंकड़े सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* हमें दो मिनट का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः इस पर चर्चा करा दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। उनकी मेडेन स्पीच है।

यह प्रथम भाषण है। यह पहला उत्तर है।

श्री यशवंत सिंहाः यह रेवेन्यू कलेक्शन के आंकड़े नहीं हैं कि आपके समय में इतना हुआ, हमारे समय में इतना हुआ। *[अनुवाद]* मृत्यु मृत्यु है। एक मृत्यु भी अत्यंत निंदनीय है। *[हिन्दी]* उस संदर्भ में आप अपने उत्तर दीजिए।

श्री दिनेश त्रिवेदीः सिन्हा जी, मैं कम्पेयर करना चाहता हूं। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे टाइम में क्या हुआ। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हाः यह कम्पैरीजन हमें नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदीः यदि आप सुनना नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मैं जान गई हूं। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मैं खड़ी हूं, तब भी आप नहीं बैठ रहे हैं। आप बैठ जाइये। आज मंत्री महोदय पहली दफा उत्तर दे रहे हैं, इसलिए जरा सुन लीजिए। उनका उत्तर सुन लीजिए। मैं समझ रही हूं कि एक्सीडेंट्स को लेकर हम सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन उनको सुन लीजिए। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप इधर उन्मुख होकर बोलिये।

श्री दिनेश त्रिवेदीः बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि, उन्होंने दुनिया की बात की, मैं सिर्फ इसलिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री दिनेश त्रिवेदीः यदि आप सुनेंगे नहीं, *[अनुवाद]* इस तरह मैं उत्तर नहीं दे सकता। यदि वे उत्तर में रुचि रखते हैं तो मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं पूर्ण चर्चा में रुचि रखता हूं लेकिन वे उत्तर में रुचि नहीं रखते, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। मुझे खेद है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेलः माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः क्या वे मेरा उत्तर चाहते हैं या वे उत्तर बनना चाहते...*(व्यवधान)* यदि वे उत्तर में रुचि रखते हैं, तो मेरे पास उत्तर है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिये। प्रश्न पूछिये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर.के. सिंह पटेलः माननीय अध्यक्षा जी, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कुछ जवाब दिया है। मेरा भी प्रश्न आज इसी से संबंधित था। रेलवे में बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में हमारे बगल में ही मालवा स्टेशन पर कालका मेल में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। वहां जो दुर्घटना हुई, उसमें वहां पर जो सहायता के लिए लोग पहुंचे तो वे चार घंटे बाद पहुंचे, जबकि कानपुर बगल में है, इलाहाबाद बगल में है, फिर भी चार घंटे बाद वहां सहायता देने के लिए लोग पहुंचे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर जवाब तो गोल-मोल दे दिया गया है, आंकड़े दे दिये गये हैं कि इमने लोग मरे, इतने घालय हुए, इतनी सहायता आंकड़ों पर है, विभागीय अधिकारियों के आपके आंकड़े हैं और आपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया है।

मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि आपके समय में कितनी दुर्घटनाएं हुईं, कितने लोग मरे और भारतीय जनता पार्टी के समय में और सरकारें रही, उनके जमाने में कितने मरे। प्रश्न यह है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं का दोषी कौन है और उन दुर्घटनाओं का कारण आज आजादी के बाद से जो सिग्नल सिस्टम है, उस समय छुक-छुक करके ट्रेन चलती थी, आज़ सांय से चलने वाली ट्रेनें आपने उस पटरी पर दौड़ा दी हैं। वे पटरियां, वे सिग्न्ल सिस्टम आजादी से पहले जब रेल बनी थी, माननीय मंत्री जी उस जमाने का सिग्नल सिस्टम, उस जमाने की रेल पटरियां, जहां से मैं चुनकर आता हूं, बुन्देलखंड, वहां झांसी से मानिकपुर मार्ग और कानपुर के पास, जहां यह दुर्घटना घटी है, उस बीच में बांदा मार्ग है। आज आप बैठकर चले जाइये तो आज भी वहां पर पुराना सिस्टम लगा हुआ है और जब वहां आप तेज रफ्तार की गाड़ी निकालेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिये।

श्री आर.के. सिंह पटेलः मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्षा जी, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। उस जमाने में उस सिस्टम पर जब ट्रेन चलेगी, वह गोला सिस्टम, वह स्टेशन मास्टर का स्टेशन के अन्दर लगा हुआ खटर-पटर वाला जो सिस्टम है, वह उससे ट्रेन को चलाता है और दुनिया के देशों का आपने अभी उदाहरण दे दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिये।

श्री आर.के. सिंह पटेलः दुनिया के तमाम देशों को आपने उदाहरण दिया। हमारी टैक्नॉलोजी और आज जो ज्ञान-विज्ञान है, उसके आधार पर जो मॉडल टैक्नॉलोजी है, हम उसको उस एरिया में लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में जहां से भी मैं चुनकर आया हूं और

जिस एरिया का मैंने नाम लिया है, देश में जहां भी आई.सी. सिग्नल प्रणाली और जीर्ण-शीर्ण पुरानी लाइनें हैं, क्या उनको तत्काल बदलने की कोई कार्य-योजना आप करेंगे?

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदया, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि यदि संसद मुझे समर्थन करे तो मैं यहां खड़े-खड़े गारंटी दे सकता हूं कि हम भारतीय रेलवे को दुनिया की सबसे सुरक्षित रेलवे और सबसे अधिक विश्वसनीय रेलवे भी बना सकते हैं। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। यदि आप संसाधन के सन्दर्भ समर्थन करे तथा यदि आप आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में मेरा समर्थन करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं सामूहिक रूप से भारतीय रेलवे को सबसे अच्छा रेलवे बना सकता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास भारत में विश्व के सबसे अच्छे योजना निर्माता है। मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि हमें इस पर चर्चा करने दीजिए हम यह सुनिश्चित करें कि हमें भारतीय रेलवे पर गर्व है। मुझे अवसर की तलाश है और मुझे समर्थन की आवश्यकता है। क्या आप मुझे वह समर्थन देने के इच्छुक हैं? यदि आप इच्छुक हैं तो मैं भारतीय रेलवे को सबसे अच्छा रेलवे बनाऊंगा ...*(व्यवधान)*

शेख सैदुल हक: क्या प्रश्न का यही उत्तर है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम किशुन: यह क्या उत्तर हुआ?

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। आप भी बैठये।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: अध्यक्षा जी, माननीय रेल मंत्री जी, जो अब नये रेल मंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। उन्होंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व लिया है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहती हूं कि सितंबर, 2010 में शिवपुरी जिले में बदरवास में एक बहुत बड़ा रेल का हादसा हुआ था। करीब-करीब एक साल पहले, उस टाइम से आज तक तमाम हमारी रेलवे पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने रेल के अधिकारियों ने बार-बार हमें आश्वासन दिया कि जो उन्होंने उस दिन ऐलान किया था कि हम मृतकों के परिजनों को 1-1 नौकरी देने वाले हैं, वह अभी तक एक साल के बाद भी, आश्वासन देने के बाद, पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने देने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली है और जब हम इनको रेलवे पार्लियामेंटरी कमेटी में पूछते हैं कि आपने अभी तक नौकरी नहीं दी तो माननीय सभापति महोदया बालू साहब के सामने वे कहते हैं कि फाइल चल रही है, हम कल ही देने वाले हैं। एक साल हो गया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आज आप हमें बतायें कि यह फाइल कब रुकेगी ओर कब आप हमारे 11 परिजनों को नौकरी देने वाले हैं?

श्री दिनेश त्रिवेदी: यह बहुत ही गम्भीर सवाल है। हम आपको आज शाम तक, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए हम आज शाम तक बता देंगे।

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया: ...*(व्यवधान)* शुरू से ही मेरी नई मंत्री और मेरे मित्र श्री दिनेश त्रिवेदी से मेरी सहानुभूति रही ही है। मैं उनसे सहनुभूति इसलिए रखता हूं क्योंकि उनके कार्यभार संभालते ही रेलगाड़ी पटरी से उतरने की घटना हो गयी। अतः उन्हें इस बारे में सावधान होना चाहिए जैसा कि यह उनके लिए चेतावनी है।

उस उत्तर से, जो मंत्री महोदया ने दिया सदन में कोई संतुष्ट नहीं है। वे स्वयं बहुत आश्वस्त है कि यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भारतीय रेलवे में संरक्षा और सुरक्षा उपकरणों के लम्बे समय से चल रहे मुद्दे संसाधनों की कमी से उपेक्षित रहे है। इस देश में यह सबसे दुःखद बात है। मैं अपनी चिंता जाहिर करुंगा क्योंकि

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछे।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम: वर्ष 2010 और 2011 के बीच आज तक पाँच से अधिक दुर्घटनाएं हुई। मेरे राज्य में दो विनाशकारी दुर्घटनाएं हुई। एक पश्चिम बंगाल के उपखंड झारग्राम और दूसरी मेरे जिले सैंथिया में। उस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों ने जानें गंवाई। प्रत्येक बार रेलवे बोर्ड के अधिकारी हमें समिति में सूचनाएं दी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने प्रश्न पर शीघ्र आयें। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. रामचन्द्र डोम: प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में, मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि रेलवे बोर्ड जान की सुरक्षा और हमारे देश में यात्रियों की सुरक्षा के प्रभावी कदम उठा रहा है। लेकिन आज तक ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं गया तथा दुर्घटनाएं और ट्रेनों की पटरी से उतरने की घटनाएं होती रही हैं। महोदया सबसे अधिक दुःख जो मैं बताना चाहता हूं कि जब दो दुर्घटनाएं जुलाई माह में हुई, एक फतेहपुर में और दूसरी असम में, एन.एफ. रेलवे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न पूछे।

डॉ. रामचन्द्र डोमः उस दुर्घटना में, सैकड़ों लोग घायल हुए। लेनिक प्रधानमंत्री के अनुदेशों के बावजूद् तत्कालीन राज्य मंत्री के पास दुर्घटना स्थल का दौरा करने का समय नहीं निकाल सके . ..*(व्यवधान)*। उन्होंने प्रधानमंत्री के अनुदेशों की अवज्ञा की है। क्या यह शर्मनाक है, महोदया? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। आप प्रश्न पूछिए और बैठ जाइए। आप बहुत लंबी भूमिका बांध रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया प्रश्न पूछिए। क्या आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न है?

डॉ. रामचन्द्र डोमः हर बार उन्होंने मानवीय गलती का दोष दिया। मेरा प्रश्न यह है कि संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठायेंगे। यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी समझ गए है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मंत्री जी क्या आप समझ गए हैं?

श्री दिनेश त्रिवेदीः महोदया, आप समझिए कि किसी प्रश्न का उत्तर तो दिया जा सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक भाषण का उत्तर नहीं दिया जा सकता ...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोमः मैंने संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित रिक्तियों को भरने से संबंधित प्रश्न ही किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनियाः अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनियाः महोदया, यह सत्य है कि रेल दुर्घटना होना बहुत दुखद बात है। अधिकांश रेल दुर्घटनाओं के मौके पर रेल मंत्री वहां पहुंचते हैं, कुछ धनराशि देने की घोषणा करते हैं, नौकरी देने की घोषण करते हैं और उनका पालन भी होता है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में ऊंचाहार रेलवे फाटक पर 24 जनवरी, 2009 को दुर्घटना हुई, जिसमें 12 लोग मारे गए। दुर्घटना रायबरेली में हुई, लेकिन जो मरे, वे मेरे लोकसभा क्षेत्र बारांबकी के रहने वाले थे। तत्कालीन रेल मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी कि एक-एक लाख रुपए के साथ-साथ उनको हर परिवार में से क्लास फोर की एक नौकरी दी जाएगी। 12 लोगों को, लेकिन आज तक उस कार्रवाई नहीं हुई। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री के द्वारा की गयी घोषणा का पालन कब तक कर दिया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः जो कुछ घोषणा की जाती है वह बोर्ड को त्वरित अनुदेश दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया है। लेकिन जहां अनुचित देरी होती है वहाँ लोगों को काम पर लगाया जाता है तथा इसे शीघ्रतिशीघ्र निपटाया जाता है। इसलिए, मुझे विश्वास कि यह भी प्रक्रिया में है। मैं आभारी हूं कि आप इसे मेरे ध्यान में लाए। आज केवल मैं इसकी जांच करुंगा और एक विशेष उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

भू-अर्जन

***62. श्री इन्यराज सिंह**
श्री ए.टी. नाना पाटीलः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कथित रूप से जबरन भू-अर्जन किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे आन्दोलनों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार विचार भू-अर्जन संबंधी संगत कानून में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसा कोई तंत्र विद्यमान है जो यह सुनिश्चित करे कि विकास या सार्वजनिक प्रयोजन (नों) की आड़ में उपजाऊ कृषि भूमि का अर्जन न हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक, 2011 का मसौदा तैयार किया गया है और इसे विचार-विमर्श हेतु 29 जुलाई, 2011 को पब्लिक डोमेन पर डाला गया था। इस मसौदे पर राज्य सरकरों तथा राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया है। टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। इस विभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 तैयार की है, जिसे 31 अक्टूबर, 2007 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। नीति में यह व्यवस्था है कि परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप ही भूमि के केवल कम से कम क्षेत्र को अधिगृहीत किया जाए और जहां तक संभव हो, परियोजनाओं को बंजरभूमि, अवक्रमित भूमि अथवा असिंचित भूमि पर ही स्थापित किया जाए। परियोजना में गैर-कृषि प्रयोग हेतु कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जहां तक संभव हो, बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए तथा यदि सिंचित भूमि के अधिग्रहण को अपरिहार्य हो, तो इसे भी न्यूनतम रखा जाए। नीति में विस्थापित व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा, भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 में यह व्यवस्था है कि जहां कहीं कोई कम्पनी किसी भूमि के अधिग्रण के लिए समुचित सरकार को आवेदन करती है, वहां पर सरकार कलेक्टर को इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेश देगी कि ''जहां पर अच्छी कृषि भूमि को अधिगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है, वहां पर कोई वैकल्पिक उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं हो सका ताकि उस भूमि के अधिग्रहण से बचा जा सके।''

श्री इन्ज्याराल सिंह: अध्यक्ष महोदया, किसानों की भूमि का बहुत कम दरों पर अधिग्रहण किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राज्यों में गत कुछ वर्षो में उनके द्वारा अनेक आंदोलन और क्रोध की अभिव्यक्तियां हुई हैं ओर काफी मामलों में यह भूमि भवन निर्माताओं और उद्योगपतियों को बहुत अधिक दरों पर बेची जा रही है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों के हित में इस समूचे मामले की, अधिग्रहीत भूमि का गलत उपयोग किए जाने की, किसी प्रकार की जांच कराने पर विचार कर रही है ताकि किसानों को समुचित मुआवजा दिया जा सके और यह भी कि क्या सरकार नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित होने पर उसे लागू करने पर भी विचार कर रही है। इसका प्रारूप पहले ही सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में है। क्या सरकार किसानों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर विचार कर रही है? गलतियां हुई हैं और अब भी हो रही हैं क्योंकि मौजूदा अधिनियम किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में पूरी तरह से अपर्याप्त है।

श्री जयराम रमेश: मैंने अभी बताया है कि एक प्रारूप भूमि अर्जन और 'आरएंडआर' विधेयक है जो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में है। यह विधेयक सभी मुख्यमंत्रियों और सभी मुख्य राजनैतिक दलों को भेजा जा चुका है। हम सभी वर्गों से टिप्पणियां और सुझाव मांग रहे हैं और उसके पश्चात ही, मैं विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए संसद में आने की स्थिति में हो सकूंगा। फिलहाल यह एक प्रारूप निधेयक है। इसमें पहली बार भूमि अर्जन और 'आरएंडआर' को एक साथ रखा गया है। एक मुद्दा जो इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय हामरे सामने आया वह यह था कि यह भावी प्रभाव से लागू हो अथवा भूतलक्षी प्रभाव से। सामान्यतः नया विधान भावी प्रभावी से लागू होता है यद्यपि कभी-कभी, यथा वन अधिकार अधिनियम के मामले में हुआ था, इसे एक निश्चित तिथि सीमा के साथ भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे कुछ सुझाव प्राप्त हैं कि हम जो नया विधान लाएं वह एक निर्धारित तिथि सीमा के साथ भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना चाहिए। हम इसके प्रभावों की जांच करेंगे। हम ज्यादा विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहते। यह एक अत्यंत महीन विभाजन रेखा है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि भूमि राज्य का विषय है। भूमि अर्जन समवर्ती विषय है। हम यह विधेयक ला रहे हैं। इससे 1894 के भूमि अर्जन अधिनियम का निरसन होगा। जैसा कि मैंने बताया है, इसमें पहली बार भूमि अर्जन और 'आरएंडआर को शामिल किया गया है। मैं माननीय सदस्य से कुछ सप्ताह प्रतीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। विभिन्न राजनैतिक नेताओं और मुख्यमंत्रियों से सभी टिप्पणियों प्राप्त हाने के पश्चात मैं इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में लाने की आशा करता हूं।

श्री इज्यराज सिंह: अध्यक्ष महोदया, नए प्रारूप भूमि अर्जन विधेयक के अनुसार निजी कंपनियों के लिए सरकार द्वारा भूमि अर्जन केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसे अन्य के साथ-साथ अवसंरचना और उद्योग को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि अब तक अवसंरचना और उद्योग का कौन-सा खंड भली प्रकार विकसित नहीं हुआ है और आवश्यक है। यह एक अन्य संदेहास्पद विषय है जिसका निजी कंपनियों द्वारा राज्य के साथ मिलकर यह सिद्ध करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है कि कंपनी उस खंड में हैं क्या सरकार इस संदेहास्पद विषय को पुन: परिभाषित करने अथवा बेहतर ढंग से परिभाषित करने और किसानों के हित में इसे कम करने पर विचार कर रही है?

श्री जयराम रमेश: मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि पहली बार यह विधेयक केवल किसानों और भूस्वामियों के हितों की ही नहीं बल्कि उन भूमिहीन दस्तकारों और अनौपचारिक क्षेत्र के अन्य कामगारों के हितों की भी रक्षा करता है जो अधिगृहित की जा रही भूमि पर निर्भर हैं। हम केवल किसानों और भूस्वामियों को ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मुआवजा दे रहे हैं जो भूमि अर्जन के कारण अपनी जीविका खो देंगे।

दूसरी बात मैं यह पूर्णतया स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक में निजी क्रेताओं को निजी उद्देश्यों के लिए भूमि खरीदने व से नहीं रोका गया है। औद्योगिकीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता है; शहरीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता है; अवसंरचना के लिए भूमि की आवश्यकता है। हम निजी कंपनियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए निजी खदीद में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक में सुपरिभाषित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा भूमि अर्जन के लिए ढांचे का उपबंध किया गया है। इस पर काफी विवाद है कि सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? हमने उद्योग, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कुछ रूपों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाष की है। मैं जानता हूं कि अनेक क्षेत्रों में अस्पष्टता है। वस्तुत: आज, जब मै। आपसे यह बात कह रहा हूं, सार्वजनिक उद्देश्य की इस संकल्पना के विरुद्ध जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनका तर्क यह है कि सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसे सीमित किया जाना चाहिए। दोपहर बाद मैं प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करुंगा। हम उनका दृष्टिकोण भी सुनेंगे। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मेरे मतानुसार, सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ है अवसंरचना, सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ है रेलवे, सड़क, राजमार्ग और पुल। सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ मॉल, 'शॉपिंग काम्प्लेक्स' अथवा निजी लाभ के लिए निजी उद्यम नहीं है। अत:, मैं माननीय सदस्य से इस विधेयक पर पुन: विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है। लेकिन मैं सभा की सामूहिक समझ से कार्य करना चाता हूं।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील: अध्यक्ष महोदया, देश में भूमि अधिग्रहण में किसानों पर हो रहे अत्याचार से किसान आंदोलित हो उठे हैं। आंदोलन करने वाले किसानों पर जगह-जगह लाठियां भांजी जी रही हैं। लेकिन सरकार अंग्रेजों के जमाने के भूमि अधिग्रहण कानून 1894 पर किसान हितैषी संशोधन करने के बजाए राजनीति करने पर आमादा है। सत्ता पक्ष के नेता विरोधी राज्यों में जाकर किसानों की सुध लेने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों पर हो रहे अत्याचार पर मूकदर्शक बने हुए हैं। ...*(व्यवधान)* इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए। इतना लम्बा मत पढ़िए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.टी. नाना पाटील: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

किसानों का हितैषी कानून बनाने के लिए सरकार को आगे आना होगा। ...*(व्यवधान)* देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र तथा केवल 282 मिलियन हैक्टेयर रह गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पर आइए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.टी. नाना पाटील: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न उद्योगों में सैज तथा खनन परियोजना के लिए अधिगृहित की गई भूमि का विवरण क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कई प्रश्न लिखकर लाए हैं। सब मत पढ़िए। अब आप प्रश्न पर आइए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या सरकार कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर स्पष्ट मनाही करने के लिए उपयुक्त संशोधन प्रस्ताव लाने पर कोई विचार कर रही है?

श्री जयराम रमेश: महोदया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 117 साल पुराना कानून है। हमारे सामने दो विकल्प थे- या

संशोधन लाना या इसे पूरी तरह से बदलना। हमने तय किया कि संशोधन के बिना एक नया कानून बनाएंगे। नए भूमि अधिग्रहण और नुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किया गया है। मैंने खुद सारे मुख्य मंत्रियों को भेजा है। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से सम्पर्क में हूं। माननीय सांसद ने बात उठाई है कि आप इरीगेटेड लैंड पर क्या रवैया अपना रहे हैं। इस मसौदे पर कहा गया है कि मल्टी क्रॉप इरीगेटेड लैंड किसी हालत में एक्वायर नहीं होगी। इसमें पंजाब, परियाणा से आपत्तियां आई हैं। पश्चिम बंगाल से कई लोगों ने कहा है कि हमारे राज्य में मल्टी क्रॉप इरीगेटेड लैंड की संख्या बहुत है। अगर आप इस पर प्रतिबंध, ब्लैंकेट बैन लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इस पर दो राय हैं। इस मसौदे में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि बहुसिंचित भूमि और बहु फसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण हरगिज नहीं होने देंगे।

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, नए भूमि अधिग्रहण नियम को लेकर पूरे देश में किसानों में जो रोष है, देश की संसद भी इस बात की गंभीरता को समझ रही है। ...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी लोक सभा और राज्य सभा में सरकार के नोटिस में इसे लाई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए, भूमिका मत बांधिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शान्त हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 1894 के कानून को बदलकर सरकार ने इसी सत्र में इस बिल को लाने का संकल्प लिया और विश्वास दिलाया है। जिस पार्टी की सरकार है, जिस प्रदेश को रोल मॉडल माना है, उस प्रदेश के लोगों ने उत्तर प्रदेश के नए भूमि अधिग्रहण नियम को अपना रोल मॉडल माना है और उसकी तारीफ की है। यह हाउस 8 सितम्बर तक चलना है और आपने 31 अगस्त तक राय मांगी है। मैं समझता हूं कि आप राय लेने के बाद कैबिनेट में जाकर उसे फिर बिल का रूप देकर लाएंगे जो संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आपने रोल मॉडल माना है, उस प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश के नए भूमि अधिग्रहण नियम को अपना रोल मॉडल मानकर तारीफ की है। आप समय के चलते उत्तर प्रदेश के नए भूमि अधिग्रहण नियम को यदि फॉलो करने भी जा रहे हैं, तो क्या उस तरीके का भूमि अधिग्रहण नियम लागू करेंगे और उसे इसी सत्र में लाएंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सब शांत हो जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, मैंने इस राज्य के कानून को बहुत गहन तरीके से अध्ययन किया हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि अलग-अलग राज्यों ने अपने कानून बनाये हैं। उनके अध्ययन के बाद ही मैंने यह मसौदा तैयार किया है। मैं आज यहां यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि 8 सितम्बर से हफ्ते मैं यह विधेयक पेश करूंगा। लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है ओर मैं चाहता हूं कि इसमें कोई जल्दबाजी न हो, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। जैसे मैंने कहा कि मल्टी क्रॉप इरीगेटेड लैंड पर पंजाब, हरियाणा से दो राय आ रही हैं, अलग विचार हो रहा है। जो लैंड एक्वीजिशन का मुआवजा पैकेज और आरएंड आर पैकेज है, उस पर कई लोग कहते हैं कि यह बहुत अधिक है और कई लोग कहते हैं कि अधिक नहीं है। मै। जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, फायरिंग हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: पहले हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* बंगाल में क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब चुप हो जाइये, शांत हो जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल माना है। ...*(व्यवधान)* यहां दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। ...*(व्यवधान)* दिल्ली में क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण एक प्रयोजन के लिए हुआ है, लेकिन वह दूसरे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ...*(व्यवधान)* यह भी मैं जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: आप यह बताइये कि बिल कब लाने जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)* समय की कमी के कारण आप उसे फालो कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: मैडम, मैं बहुत खुश हूं कि माननीय सदस्य मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्द ही इस विधेयक को लाइये। एक हफ्ते पहले तो इनमें यह जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही थी। ...*(व्यवधान)* पिछले चार-पांच दिनों से वह कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं इनको आश्वासन देता हूं कि अगर उनकी पार्टी की तरफ से इस विधेयक पर सुझाव आयें, तो मैं जल्दी से जल्दी यह बिल इसी सत्र में ला सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री दारासिंह चौहान: आप उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करके मंगवा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस देश में 23 लाख हैक्टेयर जमीन पिछले नौ वर्षों में चली गयी है। मैं उस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन एसईजेड नाम का एक बड़ा लेख दो-चार साल पहले हुआ। है। उसमें कितनी इंडस्ट्री लगी, कितनी नहीं लगी, यह मैं नहीं जाता, मगर जितने एसईजेड हैं, उनमें कुछ नहीं हुआ। कुछ जगह ही हैं जहां कुछ हुआ है, तो वह जमीन आपके हाथ में है। चीन में यह बात चल सकती है। वह एग्जिट के लिए एसईजेड बना सकते हैं। लेकिन एसईजेड वाली पॉलिसी इस देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वह न तो इंडस्ट्री के लिए ठीक है और न ही खेती के लिए ठीक है। एसईजेड में जो जमीन है, वह आज नहीं, उस पर गंभीरता से विचार किया जाये कि यदि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उस जमीन को कैसे वापस लिया जाये, तो इस देश में जो खेती लायक जमीन है, उसके बचने का रासता बनेगा। मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि वे इस मामले में क्या कदम उठायेंगे?

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार में भूमि अधिग्रहण के लिए 18 कानून हैं, जिसमें एसईजेड एक ऐसा कानून है। रेलवेज का एक अलग कानून है, हाईवेज का एक अलग कानून है, एसईजेड के लिए अलग लैंड एक्वीजिशन कानून बनाये गये हैं। एक मसला हमारे सामने यह है कि जब हम यह नया विधेयक पेश करेंगे, तो जो 18 अलग-अलग कानून हैं, उनका क्या होगा?

इस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन जो मसला आपने उठाया है, वह अलग है। इस विधेयक में कहा गया है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण करने की घोषण की गयी है, अगर पांच साल में उस भूमि को उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वह भूमि वापस दी जाएगी। वह प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: क्या यह रेलवेज पर भी लागू होगा?

श्री जयराम रमेश: मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं एसईजेड की बात नहीं कर रहा हूं, वह अलग विषय है। यह अलग विधेयक है। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि पांच साल के अंदर, अगर वह भूमि पब्लिक परपज़ के लिए ली गयी है, उस परपज़ के लिए भूमि का प्रयोग नहीं गया है, तो वह भूमि भूस्वामी को वापस दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब भूमि अधिग्रहण होता है, तो एक, दो या तीन साल में लैंड एप्रिशिएशन होती है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि जब भूमि का मूल्य बढ़ता है, लैंड एप्रशिएशन होती है, तो उसका लाभ और भूस्वामी एवं वे लोग जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर है, उनको भी मिलना चाहिए। दस साल के लिए जो जमीन का मूल्य बढ़ता है, मसौदे में यह प्रावधान किया गया है, कि उसका लाभ किसानों को एवं जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर है, उनको भी मिलना चाहिए। परन्तु आपने जो एसईजेड का मसला उठाया, वह अलग विषय है, मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको स्पष्ट जवाब दे सकूं। परन्तु यह बात जरूरी उठेगी जब पार्लियामेंट में बहस होगी, आप लोग ही उठाएंगे कि 18 अलग-अलग कानून हैं, उनका भविष्य क्या होगा। क्या यह ओवरराइडिंग कानून होगा, क्या यह फेसिलिटेटिंग कानून होगा, अभी तक हमने इस पर विचार नहीं किया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: एसईजेड की भूमि के बारे में उपयोग, दुरूपयोग सब कुछ कहा गया है, मैं जानना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हम अगले प्रश्न पर चले गए हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

***63. श्रीमती सीमा उपाध्याय:**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, चीन और अमरीका जैसे देशों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की तुलना में भारत में इन उत्पादों का वर्समान मूल्य क्या है और इन देशों की तुलना में भारत में इसके उच्च्व मूल्य के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूलयों में कितनी बार वृद्धि हुई है;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम/पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्य निम्नानुसार हैं।

(मूल्य भारतीय रुपए में)

	पेट्रोल	डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी
भारत (दिल्ली)	63.70	41.29	14.83	399.00
पाकिस्तान[1]	41.81	46.70	44.06	757.04
श्रीलंका[1]	50.30	34.37	24.67	863.40
बांग्लादेश[1]	44.80	27.32	27.32	469.24
नेपाल[1]	63.24	45.38	45.38	819.60
यूएसए[2]	43.59	46.60	NA	लागू नहीं
फ्रांस[2]	96.97	71.26	NA	लागू नहीं
जर्मनी[2]	98.20	75.01	NA	लागू नहीं
यूनाइटेड किंगडम[2]	98.67	84.64	NA	लागू नहीं
इटली[2]	98.53	75.40	NA	लागू नहीं

स्रोत:

1. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के मूल्य इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार हैं।
2. यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली में पेट्रोल और डीजल के मूल्य जून, 2011 की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) रिपोर्ट "अंतिम उपयोग पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य और औसत कच्चा तेल आयात लागत" के अनुसार हैं।

चीन और मलेशिया में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं हैं।

जहां पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य सबसे कम हैं, वहीं डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य भी पड़ोसी देशों के मूल्यों के साथ तुलनीय है और यूरोपीय देशों के मूल्यों से काफी कम है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ विश्व में मांग और आपूर्ति की स्थिति सहित अनेक घटकों पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर उतार-चढ़ाव होता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (01 अगस्त, 2011 तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का न्यूनतम, अधिकतम और वार्षिक औसत मूल्य निम्नानुसार है:

(अमरीकी डालर/बैरल)

	न्यूनतम	अधिकतम	औसत
2008-09	35.83	142.04	83.57
2009-10	46.95	80.94	69.76
2010-11	68.06	113.09	85.09
2011-12 (01.08.2011 तक)	102.25	122.07	112.81

चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता के लगभग 83% का आयात करता है अत: पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों से अनिवार्यत: प्रभावित होते हैं। सरकार का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के बावजूद भारत में संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को सजगता से निम्न स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में किए गए संशोधन के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) ओर (घ) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए भारत में संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू खुदरा बिक्री मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि

अवधि	कच्चे तेल की भारतीय बास्केट	घरेलू खुदरा बिक्री मूल्यों में परिवर्तन			
		पेट्रोल	डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी
मई, 2004 से जुलाई, 2011	212%	89%	90%	65%	65%

किरीट पारिख समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पेट्रोल के मूल्य को दिनांक 26.6.2010 से रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्तर, दोनों पर, बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं।

तथापि, आम आदमी को अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती है। परिणामत: वर्तमान में ओएमसीज को डीजल पर 6.06 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 23.74 रुपए प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी पर 247 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प वसूली हो रही है। इन दरों पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को प्रतिदिन 246 करोड़ रुपए की अल्प वसूली हो रही है और 2011-12 के दौरान यदि कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मूल्य लगभग 110 अमरीकी डालर/बैरल बना रहता है तो उनकी कुल अल्प वसूली 1,21,915 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) उपभोक्ताओं को उच्च और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार ने दिनांक 25.6.2011 से पेट्रोल उत्पादों पर सीमा शुल्क में तदनुरूपी कमी सहित कच्चे तेल का 5% सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है ओर डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2.60 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। डीजल पर शेष 2.06 रुपए प्रति लीटर के उत्पाद शुल्क को सड़क और शिक्षा उप कर के लिए निर्धारित किया गया है।

अनुबंध

खुदरा बिक्री मूल्यों में संशोधन

संशोधन की तिथि	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य				कारण
	पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर)	डीजल (रुपए प्रति लीटर)	पीडीएस मिट्टी तेल (रुपए प्रति लीटर)	घरेलू एलपीजी (रुपए प्रति सिलिंडर)	
1	2	3	4	5	6
24.05.2008	45.56	31.80	-	-	
05.06.2008	50.56	34.80	-	346.30	मूल्य में वृद्धि

1	2	3	4	5	6
09.06.2008	–	–	–	304.70	दिल्ली सरकार द्वारा 40 रु./सिलेंडर की राजसहायता
18.07.2008	50.62	34.86	–	–	रेलवे साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
12.09.2008	–	–	9.22	–	
06.12.2008	45.62	32.86	–	–	मूल्य में कमी
29.01.2009	40.62	30.86	–	729.70	मूल्य में कमी
02.07.2009	44.63	32.87	–	281.20	मूल्य में वृद्धि
08.09.2009	–	–	9.23	–	डीलर कमीशन में वृद्धि
27.10.2009	44.72	32.92	–	–	डीलर कमीशन में वृद्धि
13.01.2010	–	–	9.32	–	रेलवे साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
27.02.2010	47.43	35.47	–	–	शुल्कों में परिवर्तन
01.04.2010	47.93	38.10	–	310.35	यूरो-IV ईंधनों की शुरूआत और दिल्ली सरकार एलपीजी पर राजसहायता समाप्त करना।
26.06.2010	51.43	40.10	12.32	345.35	मूल्य में वृद्धि
01.07.2010	51.45	40.12	–	–	रेलवे साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
20.07.2010	–	37.621	–	–	दिल्ली सरकार द्वारा वैट में कमी
08.09.2010	51.56	37.71	–	–	डीलर कमीशन में वृद्धि
21.09.2010	51.83	–	–	–	मूल्य में वृद्धि
17.10.2010	52.55	–	–	–	मूल्य में वृद्धि
02.11.2010	52.59	37.75	–	–	रेलवे साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
09.11.2010	52.91	–	–	–	मूल्य में वृद्धि
16.12.2010	55.87	–	–	–	मूल्य में वृद्धि
15.01.2011	58.37	–	–	–	मूल्य में वृद्धि
18.01.2011	–	–	12.73	–	परिवहन प्रभारों में वृद्धि
15.05.2011	63.37	–	–	–	मूल्य में वृद्धि
25.06.2011	–	41.12	14.83	395.35	मूल्य में वृद्धि
01.07.2011	63.70	41.29	–	399.00	डीलर कमीशन में वृद्धि

26.06.2010 से पेट्रोल के मूल्य इंडियन आयल कार्पोरेशन के अनुसार

[हिन्दी]

श्रीमती सीमा उपाध्याय: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेट्रोल आयात, जो हमें 37.50 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलता है, शोधन के पश्चात् उसे 63.70 रुपये प्रति लीटर की दर से जनता को उपलब्ध कराया जाता है और प्रति लीटर 26.10 रुपये कर जनता से वसूल किया जाता है, क्या यह न्यायसंगत है? मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि निरन्तर मूल्यवृद्धि एवं अधिकतम कर वसूली के परिणामस्वरूप देश अत्यधिक महंगाई से जूझ रहा है, फिर भी पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में हैं, सरकार इन मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठा रही है जिससे तेल की कीमतों में कमी आए और महंगाई भी कम हो?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, माननीय सदस्य ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: सर, आप हिन्दी बहुत अच्छी बोलते हैं, सवाल हिन्दी में किया गया है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो रही है। वे हमारे नियंत्रण में नहीं है। चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मूल्य 113 बैरल प्रति डालर है। अत: इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम मूल्य वृद्धि करने के लिए बाध्य हैं। यह एक बाध्यता थी, खुशी से किया गया कार्य नहीं। अत:, मैं माननीय सदस्य और सभा को यह सूचित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: उन्होंने टैक्स के बारे में पूछा है। उसका उत्तर नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शान्त हो जाइए, हर समय इस तरह मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: मैडम, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सीमा उपाध्याय: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आपका प्रश्न क्या था? कृपया अपना प्रश्न दोहराएं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वे अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रही हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: प्रश्न टैक्स के बारे में पूछा गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उनको प्रश्न पूछने दीजिए। एक महिला सदस्या प्रश्न पूछ रही है। हर समय टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सीमा उपाध्याय: अध्यक्ष महोदया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी से पहले कच्चे तेल की दर 150 यूएस डालर प्रति बैरल तक थी। आर्थिक मंदी के बाद यह दर घटकर 50 यूएस डालर प्रति बैरल तक हो गई थी। वर्तमान में इसकी दर तकरीबन 94 यूएस डालर प्रति बैरल है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दर में कमी और वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी बार कमी की गई और कितनी बार वृद्धि की गई?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: हिन्दी में जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत रहें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हिन्दी में भी बोल सकता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान: आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अनुवाद हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः आगे चलकर मैं हिन्दी में जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल *[अनुवाद]* आप मुझे अंग्रेजी में उत्तर देने दें।

महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आंकड़ों का समर्थन नहीं कर सकता लेकिन मैं प्रश्न के मुख्य भाग का उत्तर देना चाहता हूं। गत तीन वर्ष में डीजल के मूल्यों में चार बार वृद्धि की गई है। उनमें दो बार कमी की गई है। केरोसीन के मूल्यों में दो बार वृद्धि की गई थी और एलपीजी के मूल्यों में चार बार वृद्धि की गई थी और एक बार कमी की गई थी ...*(व्यवधान)*। एक मंत्री के रूप में सभी सुझावों का स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं। यह चर्चा बहुत बड़ी है जिसका उत्तर प्रश्न काल के एक अंश के रूप में नहीं दिया जा सकता। मैं चर्चा का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे एक अवसर मिलेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः अनुराग ठाकुर जी, आप बैठ जाएं। *[अनुवाद]* माननीय सदस्य को अपना प्रश्न पूछने दें।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः महोदया, मैं इस बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस विभाग की मूल्य निर्धारण पद्धति क्या है? ऐसा इसलिए है कि अन्य देश कम मूल्यों पर पेट्रोल और डीजल बेचते रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है और पेट्रोल पर करों में समानता लाने पर विचार कर रही है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः मौटे तौर पर, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वैश्विक मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। हम राज्य सरकारों से परामर्श नहीं कर सकते। लेकिन, राज्य सरकारें अपने शुल्क लगाती हैं। जैसा कि मैंने अपने विस्तृत उत्तर में बताया था, हमने सीमा शुल्कों, उत्पाद शुल्कों में कमी की है और हमने थोड़ी वृद्धि भी की है। आप कह सकते हैं कि यह कितनी थोड़ी है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन वृद्धियों के बावजूद, चालू वित्त वर्ष में, तेल कंपनियों को कम वसूली के कारण लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। इसलिए, यह वृद्धि अपरिहार्य थी। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण इस आधारभूत तथ्य को ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदयाः श्री प्रताप सिंह बाजवा, लेकिन आपके पास बहुत कम समय है। केवल एक प्रश्न शीघ्रता से पूछ लीजिए।

श्री प्रताप सिंह बाजवाः मैं माननीय मंत्री से केवल यह पूछना चाहता हूं कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य सर्वप्रथम कब नियंत्रण मुक्त किए गए थे? यह एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयाः धन्यवाद। किसी अन्य प्रश्न के लिए समय नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः केवल पेट्रोल का-अन्य पेट्रोल पदार्थों का नहीं-मूल्य 26 जून, 2010 को नियंत्रण मुक्त किया गया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

***64. श्री बदरुद्दीन अजमलः** क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं से "अलपसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास" योजना के कार्यन्वयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजनारु योजना पर राज्य सरकारों/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों से टिप्पणियां मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए 5 मार्च, 2010 को अग्रणी समाचार-पत्रों में अभिरूचित की अभिव्यक्ति (ईओआई) का विज्ञापन दिया गया था। अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए। विहित मानदंडों और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं के आधार पर 183 संगठनों को सूचीबद्ध किया गया।

(ग) और (घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय से टिप्पणियां नहीं मांगी गयी थीं। केवल राजय सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत 165 संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर अन्य बातों के साथ-साथ सत्यापन और टिप्पणी दें। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश असम, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर 52 संगठनों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

(ङ) और (च) अभिरूचि की अभिव्यक्ति में कतिपय अस्पष्टता और अदृढ़ता, जो बाद में ध्यान में लायी गयीं, की वजह से सम्पूर्ण प्रक्रिया और विज्ञापन के संबंध में की गयी कार्रवाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द और समाप्त कर दिया गया।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी

***65. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यन्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर गठित सतर्कता और निगरानी समितियां हाल के वर्षों में किसी समीक्षा के अध्यधीन रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सतर्कता और निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाने तथा इन्हें सांविधिक शक्तियां देने के लिए सरकार को विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा सतर्कता और निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाने एवं उन्हें शक्तियां प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेजयल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई सतर्कता एवं निगरानी समितियों (वीएंडएमसी) के काम काज की समीक्षा की जाती है और वर्ष 2010 में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया था ताकि और अधिक बैठकों के आयोजन को सुगम बनाया जा सके। ऐसा बताया गया है कि जिला स्तर पर आयोजित बैठकों की संख्या विगत वर्ष के 529 से बढ़कर वर्ष 2010-11 के दौरान 840 हो गई थी।

(ग) और (घ) सरकार को संसद सदस्यों से जिला स्तरीय वीएंडएमसी को अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रतिवेदन मिले हैं। सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समिति की संरचना का विस्तार करना;

(ii) अध्यक्ष के लिए अलग कार्यालय और वाहन;

(iii) समिति को कार्यो/लाभार्थियों के चयन का अधिकार देना;

(iv) समिति को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देना;

(v) जांच के दौरान संसद सदस्यों के साथ अधिकारियों का रहना;

(vi) मंत्रालय जिला स्तरीय बैठकों में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट द्वारा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आगे की अनुवर्ती कार्रवाई भी कर सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को यह सलाह दी है कि वे अग्रणी बैंक के प्रबंधक और डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को जिला स्तरीय समिति में शामिल करें ताकि समिति को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान की प्रभावी निगरानी करने में मदद मिल सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रमों को भी समीक्षा की दृष्टि से समिति के दायरे में लाया गया है।

***66. श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्वाचन पद्धति में व्यापक सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) व्यापक निर्वाचन सुधारों को कार्यान्वित किए जाने की दृष्टि से अपर महा-सालिसिटर की अध्यक्षता में तारीख 1 अक्टूबर, 2010 को एक केन्द्र-समिति का गठन किया गया है। समिति के ग्रहण बिन्दुओं में (i) राजनीति का अपराधीकरण; (ii) निर्वाचनों का वित्तपोषण; (iii) निर्वाचनों का संचालन और बेहतर प्रबंध; (iv) दल बदल विरोधी विधि के पुनर्विलोकन सम्मिलित हैं। विधायी विभाग के संरक्षण के अधीन और भारत निर्वाचन आयोग के सह-प्रयोजन से समिति ने भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बेंगलूरु और गुवाहाटी में सात प्रादेशिक परामर्श संचालित किए हैं, जिनमें ऐसे पणधारियों के साथ परामर्श किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ राजनैतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता, विधायक विधि-विद्वान, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विख्यात व्यक्ति, सिविल सेवक (सेवारत और सेवानिवृत्त), छात्र आदि सम्मिलित हैं और उनसे विचार एकत्रित किए गए हैं। इन सभी परामर्शों में प्राप्त की जाने वाली जानकारी के आधार पर सरकार द्वारा सम्यक् अनुक्रम में आवश्यक समझी जाने वाली विधायी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

[हिन्दी]

उद्वह सिंचाई

***67. श्री द्वारा सिंह चौहान:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषत: सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उद्वह सिंचाई अपनाने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में उद्वव सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राज्यों की सूखा प्रवण क्षेत्रों (डीपीएपी) को लाभ पहुँचाने वाली स्कीमों सहित वृदह एवं मध्यम लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राज्यों को सूखा प्रवण क्षेत्रों (डीपीएपी) को लाभ पहुंचाने वाली सतही लघु लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण लिफ्ट सिंचाई स्कीमों सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण, राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में केवल लिफ्ट सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं करती है।

विवरण-I

एआईबीपी : लिफ्ट/पंप सिंचाई परियोजनाएं

राज्य	क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल किए जाने का वर्ष	एआईबीपी के तहत लक्षित क्षमता (हजार हेक्टेयर)	एआईबीपी के तहत सृजित क्षमता (हजार हेक्टे.)	31.03.2011 तक जारी केन्द्रीय ऋण सहायक/केन्द्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)	डीपीपपी/ सामान्य	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
	1.	ताड़ीपूड़ी एलआईएस	2006-07	83.609	50.442	48.220	सामान्य	चालू
	2.	पुष्कर एलआईएस	2006-07	75.240	50.704	47.085	सामान्य	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.	अलीसागर एलआईएस	2006-07	21.770	21.769	16.370	सामान्य	चालू
	4.	जे. चोक्का रावएलआईएस	2006-07	262.000	16.188	883.130	सामान्य	चालू
	5.	गूथपा एलआईएस	2006-07	15.698	15.698	17.500	सामान्य	चालू
	6.	राजीव भीमा एलआईएस	2007-08	82.153	0.000	1165.671	डीपीए	चालू
असम								
	7.	हवाईपूर लिफ्ट	1996-97	3.887	3.887	4.965	सामान्य	पूर्ण
	8.	कोलाग बेसिन में एकीकृत सिंचाई स्कीम	1997-98	8.647	3.775	12.982	सामान्य	पूर्ण
	9.	बूढ़ी दिहांग एलआईएस	1997-98	4.490	1.911	4.224	सामान्य	चालू
हिमाचल प्रदेश								
	10.	चेंजर लिफ्ट	2000-01	3.041	3.041	57.238	सामान्य	चालू
जम्मू और कश्मीर								
	11.	मारवल लिफ्ट	1996-97	11.390	0.000	0.300	सामान्य	चालू
	12.	लेथपोरा लिफ्ट	1996-97	2.658	2.656	3.316	सामान्य	चालू
	13.	कोयल लिफ्ट	1996-97	2.150	0.000	0.500	सामान्य	चालू
	14.	राजपोरा लिफ्ट	2000-01	2.430	1.593	45.634	सामान्य	चालू
	15.	ट्राल लिफ्ट	2000-01	6.000	0.910	50.997	सामान्य	चालू
	16.	रफियाबाद उच्च लिफ्ट	2001-02	2.932	0.900	35.323	सामान्य	चालू
कर्नाटक								
	17.	भीमा एलआईएस	2009-10	24.292	0.581	111.260	डीपीए	चालू
	18.	गुड्डाहा मालपुरा लिफ्ट	2009.10	5.261	0.000	57.243	डीपीए	चालू
	19.	हिप्पारगी एलआईएस	2008-09	74.742	31.813	511.340	डीपीए	चालू
मध्य प्रदेश								
	20.	पूनासा एलआईएस	2008-09	35.008	12.600	381.267	डीपीए	चालू
महाराष्ट्र								
	21.	तजनापूर एलआईएस	2006-07	3.622	4.471	6.430	डीपीए	पूर्ण
	22.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	2009-10	104.167	0.000	227.700	डीपीए	चालू
उत्तर प्रदेश								
	23.	ज्ञानपूर पंप नहर	1999.00	1.5	1.5	30.9	सामान्य	पूर्ण
	24.	जरौली पंप नहर	2003-04	39.748	17.625	7.071	सामान्य	पूर्ण

विवरण-II

अभी तक एआईबीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, हिमालच प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों के कुल 121 लिफ्ट सिंचाई सतही लघु सिंचाई स्कीमों का वित्तपोषण किया गया है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल की गई लिफ्ट सिंचाई लघु सिंचाई स्कीमें
1.	आंध्र प्रदेश	40
2.	हिमालच प्रदेश	48
3.	कर्नाटक	3
4.	महाराष्ट्र	30
	कुल	121 लिफ्ट सिंचाई लघु और सिंचाई स्कीमें

[अनुवाद]

नदी के किनारों पर भू-कटाव

***68. डॉ. तरुण मंडल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सहित देश के नदियों के किनारों पर हो रहे भू-कटाव की बारहमासी समस्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो नदियों से होने वाले भू-कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान भू-कटाव को रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी और धनराशि खर्च की गई थी तथा इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ और कटाव नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, विततपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी राज्य योजना निधियों से किया जाता है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार बाढ़ प्रवण राज्यों के गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्यों के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपयों के संबंध में विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार करने के किए वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) स्थातिप किया। जीएफसीसी द्वारा गंगा बेसिन से संबंधित सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए विस्तृत एवं व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की गई हैं तथा कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की गई हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण संबंधी व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए संसद के 1980 के अधिनियम के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने क्षेत्र की 52 वृहद सहायक नदियों सहित ब्रह्मपुत्र और बराक के मुख्य हिस्से (मेन स्टेम) की मास्टर योजनाएं तैयार की हैं।

भारत सरकार पड़ोसी राज्यों जैसे नेपाल, चीन और भूटान से बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित मामलों और उनके क्षेत्रों से प्रवाहित नदियों के कारण भारतीय क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए भंडारण बांधों के निर्माण के संबंध में भी निरंतर वार्ता कर रही है।

(ग) XIवीं योजना के दौरान राज्य क्षेत्र स्कीम नामत: "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" के तहत बाढ़ से प्रभावित सभी राज्यों को नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण तथा कटाव रोधी कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। XIवीं योजना के दौरान एफएमपी के अंतर्गत 6796.93 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 22 राज्यों के कुल 353 निर्माण कार्यों को शामिल किया गया है तथा दिनांक 31.07.2011 को संबंधित राज्यों को 2669.01 करोड़ रुपये (Xवीं योजना के आगे लाए गए कार्यों के लिए 89.79 करोड़ रुपये सहित) की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। 353 अनुमोदित निर्माण कार्यों में से 1390.65 करोड़ रुपये की कुल लागत के सात निर्माण कार्य पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के हैं तथा इन स्कीमों के लिए 552.63 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। 31.03.2011 तक 218 निर्माण कार्यों के वास्तविक रूप से पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें सुंदरवन के दो निर्माण कार्य शामिल हैं। अनुमोदित कार्यों, जारी की गई निधियों तथा पूरे किए गए निर्माण कार्यों का राज्वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा XIवीं योजना के दौरान केंद्रीय क्षेत्र स्कीम "नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा की नदियों पर बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के लिए बिहार, त्रिपुरा, उत्तर, प्रदेश

और पश्चिम बंगाल को भी अनुदान सहायता जारी की जा रही है। XIवीं योजना के दौरान नदी प्रबंधन कार्यकलापों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्यों के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई अनुदान सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II संलग्न में दी गई है।

विवरण-I

अनुमोदित कार्यों, जारी की गई निधियों और पूरे किए गए कार्यों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य	एफएमपी के अंतर्गत अनुमोदित कार्य			XIवीं योजना के दौरान जारी निधियाँ (31.07.2011 तक)						पूरे किए गए कार्य
		संख्या	कुल लागत	केंद्रीय हिस्सा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	(31.03.2011 तक)
1.	अरुणाचल प्रदेश	11	67.80	61.02	-	16.39	12.93	28.52	-	57.85	11
2.	असम	85	817.79	736.01	-	219.87	100.86	188.20	-	508.92	65
3.	बिहार	41	1226.51	919.88	46.81	117.08	210.64	127.17	-	502.00	26
4.	गोवा	2	22.73	17.05	-	1.82	2.41	5.76	-	9.98	1
5.	गुजरात	1	7.94	5.96	-	-	-	2.00	-	2.00	-
6.	हरियाणा	1	173.75	130.31	-	-	46.91	-	-	46.91	-
7.	हिमाचल प्रदेश	2	218.94	197.04	-	-	43.20	74.25	-	117.45	-
8.	जम्मू और कश्मीर	20	308.79	277.91	6.75	30.02	41.18	58.09	-	136.05	-
9.	झारखंड	1	20.12	15.09	-	6.00	4.53	-	-	10.53	-
10.	केरल	2	143.61	107.71	-	-	-	22.43	-	22.43	-
11.	मणिपुर	22	109.34	98.41	-	17.16	7.16	28.34	-	52.65	12
12.	मिजोरम	2	9.13	8.22	-	-	-	2.06	-	2.06	-
13.	नागालैंड	5	13.90	12.51	-	6.95	2.73	1.53	-	11.21	5
14.	उड़ीसा	70	204.02	153.02	-	45.90	25.87	22.98	-	94.74	59
15.	पुडुचेरी	1	139.67	104.75	-	-	-	7.50	-	7.50	-
16.	पंजाब	4	142.38	106.78	-	21.51	13.08	-	-	34.59	-
17.	सिक्किम	24	86.21	77.59	-	15.76	29.96	17.85	-	63.57	22
18.	तमिलनाडु	5	635.54	476.66	-	-	1.11	58.71	-	59.82	-
19.	त्रिपुरा	11	26.57	23.92	-	5.00	2.98	8.24	-	16.22	2
20.	उत्तर प्रदेश	21	557.19	417.89	5.25		128.94	69.50	-	203.68	5
21.	उत्तराखंड	5	42.92	36.83	3.47	8.22	4.70	10.25	1.37	28.01	3
22.	पश्चिम बंगाल	17	1822.08	1366.57	1.00	10.08	221.40	358.60	-	591.08	7
	कुल	353	6796.93	5351.13	63.28	521.76	900.86	1091.95	1.37	2579.22	218
	दसवीं योजना के आगे लाए गए कार्य			44.54	39.31	1.30	4.64	-	89.79		
	कुल जोड़	5351.13	107.82	561.07	902.16	1096.59	1.37	2669.01			

विवरण-II

ग्यारहवीं योजना के दौरान "नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य" नामक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत जारी किया गया सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी की गई निधियां (31.07.2011 तक)					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	बिहार	9.69	72.90	53.05	28.32	-	163.96
2.	उत्तर प्रदेश	-	1.08	16.92		-	18.00
3.	पश्चिम बंगाल	-	-	17.51	71.31	-	88.82
4.	त्रिपुरा	-	-	12.51		-	12.51
	कुल	9.69	73.98	99.99	99.63	-	283.29

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गैस की बिक्री

***69. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री पूर्णमासी नाम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने अन्वेषण ब्लाकों में से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेचने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ष 2011-2012 के दौरान गैस की आपूर्ति करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या है; और

(ङ) सरकार का इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) ने उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार 23 ब्लाकों में अपने 30% भागीदारी हित (पीआई) के बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लि. को प्रस्तावित समनुदेशन हेतु सहमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को आवेदन किया था। यह पीएससी के प्रावधानों के तहत अनुमत्य है। सरकार ने पीएससी के अनुच्छेद 28 के अनुसार समनुदेशिती की मूल कंपनी द्वारा वित्तीय और तकनीकी गारंटी प्रदान करने और समनुदेशिती द्वारा अप्रतिसंहरणीय और शर्तरहित बैंक गारंटी और पीएससी के अनुसार अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने जैसी कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त पर 21 ब्लाकों के संबंध में प्रस्तावित समनुदेशन हेतु सहमति प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया है। जहां तक इन दो ब्लाकों अर्थात एएस-ओएनएन-2000/1 और एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2002/1 के संबंध में यह मंत्रालय लंबित मुद्दों के बारे में बाद में उपयुक्त निर्णय लेगा और ऐसे निर्णय के आधार पर यह मंत्रालय इन ब्लाकों में 30% भागीदारी हित के समनुदेशन हेतु सहमति प्रदान करने अथवा इसे नामंजूर करने के लिए निर्णय लेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। अप्रैल-जून, 2011 के दौरान केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (केजी-डी6) ब्लाक से औसत गैस उत्पादन इस अवधि के दौरान डी1-डी3 और एमए क्षेत्रों के लिए अनुमोदित क्षेत्र विकास योजना के तहत 70.39 एमएमएससीएमडी के उत्पादन प्रोफाइल की तुलना में 48.60 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन है। उत्पादन में लगभग 22 एमएमएससीएमडी की कमी के कारण गैस की खपत करने वाले उद्योग गैस की अपेक्षित मात्रा

प्राप्त नहीं कर सके हैं। गैर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को हस्ताक्षरित गैस बिक्री और खरीद करार (जीएसपीए) के संदर्भ में आपूर्ति में 7.9 एमएमएससीएमडी की कटौती करके महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति लगभग 45 एमएमएससीएमडी पर बनाए रखी गई है।

(ङ) चूंकि संविदाकार ने अनुमोदित एफडीपी के अनुसार अपेक्षित संख्या में कूपों का वेधन नहीं किया है अतः हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने संविदाकार को गैस का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से डी1 और डी3 क्षेत्रों में कूपों का वेधन शीघ्रता से करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

रेलवे में अपराध

***70. श्री नारायण सिंह अमलाबे:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में विशेषकर पश्चिम-मध्य रेल जोनों की रेलगाड़ियों में चोरी/लूटपाट/चेन झपटने आदि की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) वर्ष 2009, 2010 और 2011 (जनवरी से जून) के दौरान भारतीय रेलों पर विशेषकर गाड़ियों में हुई चोरी, डकैती और चेन खींचने आदि के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	गाड़ियों में हुए मामलों की संख्या		
	चोरी	डकैती	चेन खींचना
2009	5477	198	494
2010	5995	302	564
2011 (जनवरी से जून)	3527	126	338

वर्ष 2009, 2010 और 2011 (जनवरी से जून तक) के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे में विशेषकर गाड़ियों में हुई चोरी, डकैती और चेन खींचने आदि के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	गाड़ियों में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या		
	चोरी	डकैती	चेन खींचना
2009	916	18	10
2010	861	8	9
2011 (जनवरी से जून)	439	9	7

(ग) अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी छानबीन करना और रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस का सांविधिक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से करते हैं। अतः रेलों पर होने वाले अपराध के मामले राजकीय रेल पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं, जिनके द्वारा इन मामलों को दर्ज करके उनकी छानबीन की जाती है।

बहरहाल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन 2200 गाड़ियों का मार्ग रक्षण करने के अलावा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा भी प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों का मार्ग रक्षण किया जाता है।

2. 202 संवदेनशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए समेकित सुरक्षा प्रणाली की स्वीकृति दी गई जिसमें क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क द्वारा भेद्य स्टेशनों की इलैक्ट्रॉनिक निगरानी रखने, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़रोधी जांच करना शामिल हैं।

3. राजकीय रेल पुलिस द्वारा अपराधों का समुचित पंजीकरण और जांच की जानी सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. स्टेशनों और गाड़ियों में नियमित घोषणाओं द्वारा यात्रियों की नशाखोरी जैसे अपराधों के विरूद्ध जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

5. यात्रियों से संबंधित अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए रेल सुरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

उर्वरकों के मूल्य

*71. **श्री हर्ष वर्धन:**
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया और मिश्रित उर्वरकों के मूल्यों पर पोषाहार आधारित राजसहायता योजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस योजना के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों पर किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता देने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है या उठाए जा रहे है; और

(च) किसानों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों की पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति को 1.4.2010 से कार्यान्वित किया गया है।

एनबीएस पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेडों के लिए उपलब्ध है जिसमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी, 18-46-0), डाई-अमोनियम फॉस्फेट लाइट (डीएपी, 16-44-0), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी, 11-52-0), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी, 0-46-0), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मिश्रित उर्वरकों के 15 ग्रेड तथा अमोनियम सल्फेट (एएस-जीएसएफसी और फैक्ट द्वारा केप्रोलैक्टम ग्रेड) शामिल हैं। ऊपर उल्लिखित उर्वरकों में निहित प्राथमिक पोषक-तत्व, अर्थात्, नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरम (पी) और पोटाश (के) तथा द्वितीय पोषक-तत्व सल्फर (एस) एनबीएस के लिए पात्र है।

एनबीएस के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता प्रति कि.ग्रा. आधार पर प्रति पोषक-तत्व के लिए निर्धारित है और सरकार द्वारा इसे वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। एनबीएस को किसानों की वहनीय तथा उर्वरकों के प्रचलित मूल्य स्तर और उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के आदानों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है। चूंकि उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड के लिए राजसहयाता वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, अत: फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआपी) मुक्त कर दिया गया है। तदनुसार, पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी पर निर्णय लिया जाता है और उसे उर्वरक का उत्पादन करने वाली कंपनियों या आयातकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, उन्हें प्रत्येक उर्वरक बैग पर राजसहायता की विद्यमान लागू राशि को स्पष्ट रूप से एमआरपी के साथ मुद्रित करना होता है। मुद्रित एमआरपी से अधिक कीमत पर कोई बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

चूंकि एनबीएस के अंतर्गत राजसहायता एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, अत: उर्वरकों तथा उसकी कच्ची सामग्रियों में हुई कमी या वृद्धि का इन उर्वरकों की एमआरपी पर प्रभाव पड़ेगा जिसे कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2011 में उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वर्ष 2010 के मूल्यों की तुलना में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस वृद्धि को वर्ष 2011-12 के लिए एनबीएस योजना के अंतर्गत राजसहायता दरें निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है। तथापि, उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में आगे कोई वृद्धि या कमी का इन उर्वरकों की एमआरपी में समान प्रभाव पड़ने की संभावना है जिसे कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

यूरिया सरकार के नियंत्रणाधीन है और इसका आयात सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सारणीबद्ध एजेंसियों के जरिए किया जाता है। एनबीएस योजना को यूरिया पर लागू नहीं किया गया है तथा इसे नई मूल्य-निर्धारण योजना-III (एनपीएस-III) द्वारा अधिशासित किया जाता है। यूरिया की एमआरपी लगातार सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है और इसलिए एनबीएस योजना का यूरिय की एमआरपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से निर्धारित यूरिया की एमआरपी 5310 रुपए प्रति मैट्रिक टन है।

(घ) और (ङ) किसानों को सीधे राजसहायता अंतरित करने की जांच करने और इसका कोई समाधान निकालने के लिए श्री नंदन नीलेकनि, अध्यक्ष भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अध्यक्षता में केरोसिन, एलपीजी और उर्वरकों के संबंध में प्रत्यक्ष राजसहायता पर एक कार्यदल का गठन किया

गया है। उर्वरक विभाग ने यह आदेश दिया है कि किसानों को उर्वरक वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए। कार्यदल से यह कार्यान्वयन समाधान निकाले जाने की अपेक्षा की जाती है कि लाभार्थियों को राजसहायता का प्रत्यक्ष अंतरण कैसे किया जा सकता है। कार्यदल की एक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को 5 जुलाई, 2011 को प्रस्तुत की गई है और यह वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उर्वरकों के मामले में, कार्यदल ने प्रत्यक्ष राजसहायता के मुद्दे पर त्रि-आयामी दृष्टिकोण की सिफारिश की है। चरण-I के अंतर्गत फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों के संबंध में उपलब्ध सूचना एकत्र की जाएगी, जिसमें बिक्री के अंतिम बिंदु पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। चरण-II, जिसे चरण-I के स्थिर होने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा, राजसहायता को अंतिम बिक्री प्वाइंट तक अंतरित किए जाने की संभावना है, तथा चरण-III, जब चरण-I और II स्थिर हो जाएगा, में लाभार्थियों को आधार नम्बर दिए जाने और आधार द्वारा भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। चरण-I दिसंबर 2011 में और चरण-II जून 2012 में पूरा हो जाएगा। चरण-III सभी पात्र लाभार्थियों को आधार संख्या दिए जाने के बाद शुरू होगा।

(च) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो, भारत सरकार के मूल्य और आंशिक संचलन तथा वितरण नियंत्रण के अधीन है। डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों, एसएसपी आदि जैसे अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। तथापि, पीएण्डके उर्वरकों की 20% मात्रा का संचलन सरकार द्वारा नियंत्रित है। पिछले कुछ वर्षों से देश में प्रमुख उर्वरकों नामतः यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की मांग बढ़ रही है। उर्वरकों की बढ़ती मांग को आयात के जरिए पूरा किया जता है। उर्वरकों की उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दर्शाया गया है।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाते हैं, जिसमें उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धता का राज्य सरकारों, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आंकलन किया जाता है।

(ii) उर्वरक विभाग द्वारा राजसहायता योजना के अंतर्गत उनके द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों हेतु प्रत्येक उर्वरक कंपनी को मासिक आपूर्ति योजना दी जाती है। यूरिया के संबंध में मासिक संचलन आदेश जारी किए जाते हैं। नियंत्रणमुक्त उत्पादित/आयातित उर्वरकों के मूल्य का 20% आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रणाधीन संलचन के अधीन है। उर्वरक विभाग द्वारा कम पहुंच वाले क्षेत्रों में उर्वरकों की आपूर्तियों को कम करने के लिए इन उर्वरकों वर भी भाड़ा राजसहायता दी जाती है। सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा देश भर में निगरानी की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है;

(iii) राज्य सरकारों को (i) आपूर्तिकर्ताओं को कारगर बनाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य संस्थागत अभिकरणों को निर्देश देने (ii) उनके राज्यों में रेलवे रैक प्वाइंट की समीक्षा करने तथा सुधार, यदि कोई हो, के लिए रेलवे के साथ मामला उठाने की सलाह दी गई है ताकि देश के कोन-कोने में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(iv) सरकार ने 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के संबंध में पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस के अंतर्गत राज्य सरकारों को उत्पादकों के साथ समन्वय करने के लिए अधिक सह-क्रियाशील भूमिका निभानी पड़ती है ताकि वे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्तियों हेतु अनुबंध कर सकें।

(v) उर्वरक विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग प्रति सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य कृषि विभाग के साथ उर्वरक उपलब्धता की संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, तत्काल की जाती है ताकि किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(vi) उर्वरक विभाग राज्य के किसी भाग में उर्वरकों की किसी कमी का पता लगाने के लिए दैनिक आधार पर उर्वरकों की खपत वाले प्रमुख राज्यों के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क करते हैं तथा सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल की जाती है;

(vii) जहां तक नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है, उर्वरकों की प्राप्ति/बिक्री पर राजसहायता जारी की जाती है।

(viii) यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयातकों के जरिए पूरा किया जाता है।

(xi) एनबीएस के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को उर्वरकों बैगों पर स्पष्ट रूप से विद्यमान राजसहायता सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करना होता है। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री करना आवश्यकत वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होता है।

विवरण

खरीफ 2011 (अप्रैल 11 से जून 11 तक) के दौरान यूरिया, डीएपी/एनपीके और एमओपी की संचयी आवश्यकता और उपलब्धता

(मात्रा 000 मी. टन में)

राज्य	यूरिया		डीएपी+एनपीके				एमओपी	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	पूर्व निर्धारित स्टॉक	आपूर्ति	*उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
आंध्र प्रदेश	400.00	507.02	480.00	159.68	519.04	678.72	95.00	51.63
कर्नाटक	230.00	368.60	484.80	385.20	448.25	833.45	126.00	61.32
केरल	42.75	50.21	71.00	11.81	60.05	71.86	43.65	45.14
तमिलनाडु	195.00	214.59	196.25	65.01	188.19	253.20	82.00	78.73
गुजरात	415.00	448.76	403.00	114.71	331.49	446.20	48.00	37.05
मध्यप्रदेश	200.00	286.18	332.94	189.88	182.39	372.27	25.20	21.11
छत्तीसगढ़	210.00	176.03	173.75	64.47	92.35	156.82	34.00	18.63
महाराष्ट्र	744.60	777.21	939.90	265.07	682.66	947.73	140.00	52.01
राजस्थान	193.00	245.09	162.40	70.45	97.48	167.93	13.00	6.52
हरियाणा	355.00	412.24	155.00	72.98	112.69	185.67	20.00	11.11
पंजाब	750.00	801.36	256.00	51.95	172.43	224.38	26.00	19.40
हिमाचल प्रदेश	27.50	25.72	7.80	2.00	7.96	9.96	0.30	0.00
जम्मू और कश्मीर	42.00	31.48	25.00	0.99	17.74	18.73	6.50	0.00
उत्तर प्रदेश	1525.00	1280.53	745.50	256.93	357.71	614.64	55.00	40.17
उत्तराखंड	66.00	80.57	33.00	0.00	21.08	21.08	4.50	0.50
बिहार	305.00	289.22	180.00	0.40	101.10	101.50	30.00	15.18
झारखंड	45.00	31.47	44.00	0.55	20.15	20.70	10.00	1.83
उड़ीसा	73.10	107.24	111.53	7.88	106.50	114.38	34.50	19.88
पश्चिम बंगाल	160.10	253.64	266.65	27.11	211.14	238.25	59.45	26.37
असम	60.20	54.37	11.83	7.50	9.16	16.66	25.80	10.60
अखिल भारत	6091.12	6464.00	5100.50	1754.57	3744.00	5498.57	885.01	522.00

आमान परिवर्तन में विलंब

***72. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:**
श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश में आमान परिवर्तन तथा नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों या उससे अधिक समय से पीछे चल रहे ऐसे कार्यों का राज्यवार/जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) से (ग) 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेलें 129 नई रेल लाइन (कुल लम्बाई-14092 किलोमीटर) और 45 आमान परिवर्तन परियोजनाओं (कुल लम्बाई-10543 किलोमीटर) का निष्पाददन कर रही हैं। रेलवे के पास चालू परियोजनाओं का भारी पिछला बकाया कार्य है और संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। परियोजनाओं की प्रगति, उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

2011-12 के दौरान, अब तक परियोजनाओं का कार्य योजना के अनुसार चल रहा है। बहरहाल, आमान परिवर्तन परियोजनाओं में संसाधनों की तंगी का अनुभव किया जा रहा है। रेलवे उपलब्ध सकल बजटीय सहायता और कर मुक्त बॉण्डों से धन की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

राष्ट्रीय जल परियोजना

***73. श्री देवराज सिंह पटेल:**
श्री शिवकुमार उदासी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को 90 प्रतिशत सहायता भी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कुछ सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 7.2.2008 को हुई बैठक में राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम को अनुमोदित किया और 14 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में भी अनुमोदित किया। इन 14 परियोजनाओं की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के चयन के मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशानिर्देश के अनुसार परियोजनाएं, परियोजना के सिंचाई और पेयजल घटकों की शेष परियोजना लागत (कार्य की लागत) की 90% राशि के अनुदान के लिए पात्र हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव तथा इस सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	(1) सिंचाई (हेक्टे.) (2) विद्युत (मेगावट) (3) भंडारण (एमएएफ)	राज्य
1.	तीस्ता बैराज	(1) 9.23 लाख (2) 1000 मेगावट (3) बैराज	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
2.	शाहपुर कांडी	(1) 3.80 लाख (2) 300 मेगावाट (3) 0.016 एमएएफ	पंजाब
3.	बरसार	(1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) (2) 1230 मेगावाट (3) 1 एमएएफ	जम्मू एवं कश्मीर
4.	दूसरी रावी व्यास संपर्क	सीमा पर प्रवाहित लगभग 3 एमएएफ जल को काम में लाना	पंजाब
5.	उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना	(1) 0.32 लाख हेक्टेयर (2) 280 मेगावाट (3) 0.66 एमएएफ	जम्मू एवं कश्मीर
6.	ग्यास्पा परियोजना	(1) 0.50 लाख हेक्टेयर (2) 240 मेगावाट (3) 0.6 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश
7.	लखवर व्यासी	(1) 0.49 लाख (2) 420 मेगावाट (3) 0.325 एमएएफ	उत्तरांचल
8.	किशाऊ	(1) 0.97 लाख (2) 600 मेगावाट (3) 1.04 एमएएफ	हिमालच प्रदेश/उत्तरांचल
9.	रेणुका	(1) पेयजल (2) 40 मेगावाट (3) 0.44 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश
10.	नोवा-दिहांग बांध परियोजना	(1) 8000 हेक्टेयर (2) 75 मेगावाट (3) 0.26 एमएएफ	अरुणाचल प्रदेश
11.	कल्सी बांध परियोजना	(1) 23,900 हेक्टेयर (2) 29 मेगावाट (3) 0.28 एमएएफ	असम
12.	ऊपरी सियांग	(1) अप्रत्यक्ष (2) 9500 मेगावाट (3) 17.50 एमएएफ (4) बाढ़ नियंत्रण	अरुणाचल प्रदेश
13.	गोसीखुर्द	(1) 2.50 लाख (2) 3 मेगावाट (3) 0.93 एमएएफ	महाराष्ट्र
14.	केन बेतवा	(1) 6.46 लाख (2) 72 मेगावाट (3) 2.25 एमएएफ	मध्य प्रदेश

विवरण-II

राष्ट्रीय परियोजना के चयन के लिए मानदंड इस प्रकार है:

(क) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं, जहां भारत में जल का उपयोग संधि द्वारा अपेक्षित है अथवा देश के हित में परियोजना की आयोजना और उसे शीघ्र पूरा करना अनिवार्य है।

(ख) अंतर्राज्जीय परियोजनाएं, जो लागत के बंटवारे, पुर्नावास, विद्युत उत्पादनों आदि तथा नदियों को परस्पर जोड़ने से संबंधित अंतर्राज्जीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण पिछड़ रही हैं।

(ग) अंतर्राज्जीय परियोजनाएं, जिनकी अतिरिक्त क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक है और जिनमें जल की हिस्सेदारी से संबंधित कोई विवाद नहीं है और जहां जल विज्ञान स्थापित है।

विवरण-III

मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश	कन्हर सिंचाई परियोजना	इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से कम है और इसलिए परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
2.	उत्तर प्रदेश	बाणसागर नहर परियोजना	इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से कम है और इसलिए परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
3.	उत्तर प्रदेश	सरयू नहर परियोजना	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
4.	उत्तर प्रदेश	बाघेन परियोजना	इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से कम है और इसलिए परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
5.	उत्तर प्रदेश	राजघाट नहर परियोजना चरण-II	इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से कम है और इसलिए परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
6.	उत्तर प्रदेश	शारदा सहायक नहर की क्षमता की पुनः प्राप्ति	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
7.	उड़ीसा	रैंगाली सिंचाई परियोजना	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
8.	आंध्र प्रदेश	पोलावश (इंदिरा सागर) परियोजना	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
9.	आंध्र प्रदेश	जे. चोक्का राव लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
10.	मध्य प्रदेश	बारगी डाइवर्जन परियोजना	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
11.	झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	मंत्रालय में जांच के अधीन है।
12.	आंध्र प्रदेश	डा. बी.आर. अम्बेडकर प्राणहिता छेवला सुजला स्रावन्ति परियोजना	मंत्रालय में जांच के अधीन है।

राज्यों की उर्वरकों का आबंटन

*74. **श्री मकनसिंह सोलंकी:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न उर्वरकों का राज्य-वार तथा उर्वरक-वार उत्पादन, उनकी मांग और आपूर्ति कितनी रही है;

(ख) क्या देश में उर्वरकों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने चालू मौसम के दौरान विभिन्न राज्ययों को राज्य सरकारों द्वारा की गई मांगो/अनुरोधों से कम उर्वरक आबंटित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन विवरण-I से III में संलग्न है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल 11 से जून' 11) के दौरान प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार मांग (आवश्यकता) और आपूर्ति (उपलब्धता) क्रमश: विवरण-IV से VII में संलग्न है।

मौजूदा खरीफ 2011 मौसम के दौरान यूरिय और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी/एनपीके) की उपलब्धता पूरे देश में संतोषजनक रही है। मौजूदा वर्ष के दौरान म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) की उपलब्धता में तंगी रही है। देश में पोटाश का आर्थिक रूप से कोई व्यवहार्य स्रोत नहीं है। अत: एमओपी की पूरी मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों की पर्याप्त वृद्धि के कारण एमओपी के आयात के लिए अनुबंध नहीं किया जा सका था। एमओपी के आपूर्तिकर्ता वर्तमान वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए चीन के साथ 470 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन सीएफआर के तय मूल्य की तुलना में लगभग 530 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की मांग कर रहे हैं केनपोटैक्स, कनाडा ने वर्तमान वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए भारत को 470 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन पर एमओपी की आपूर्ति करने की इच्छा व्यक्त की है बशर्ते कि भारत वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही के लिए 530 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन पर आपूर्ति करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करे। भारतीय आयातक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओपी का मूल्य तय कर रहे हैं।

(घ) से (छ) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए वर्तमान वर्ष अर्थात् 2011-12 (अप्रैल 11 से जून 11) हेतु यूरिया, फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी/एनपीके) की आवश्यकता, आपूर्ति (उपलब्धता) अनुलग्नक 'छ' पर है। जैसा कि अनुलग्नक 'छ' में देखा जा सकता है कि फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी/एनपीके) की उपलब्धता संतोषजनक है। छोटे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्याप्त मालगोदाम क्षमता उपलब्ध न होने के कारण उर्वरक की उपलब्धता में कुछ कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य आवश्यकता पड़ने पर उर्वरक उठा सकते हैं। एमओपी के संबंध में स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा खरीफ 2011 (अप्रैल 2011 से जून 2011) तक यूरिया का राज्य-वार उत्पादन

('000' मी.टन)

राज्य/क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल 11 से जून 11 तक)
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	1378.00	1480.10	1655.60	322.30
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
कर्नाटक	379.30	379.50	379.40	109.70
तमिलनाडु	405.70	435.90	778.80	296.70
कुल (दक्षिणी क्षेत्र):	2163.00	2295.50	2813.80	728.70
पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	412.40	387.50	396.80	86.40
मध्य प्रदेश	1803.80	1828.10	1878.10	459.40
महाराष्ट्र	1903.30	2089.10	2124.50	407.00
गुजरात	3131.60	3264.00	3329.10	795.80
राजस्थान	2313.60	2413.00	2503.60	581.20
कुल (पश्चिमी क्षेत्र):	9564.70	9981.70	10232.10	2329.80
पूर्वी क्षेत्र				
झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	189.20	309.60	285.00	49.40
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	189.20	309.60	285.00	49.40
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	488.30	512.90	470.00	136.00
पंजाब	1052.00	988.70	1031.50	186.50
उत्तर प्रदेश	6464.90	7023.90	7048.10	1709.10
कुल (उत्तरी क्षेत्र) :	8005.20	8525.50	8549.60	2031.60
सकल योग	19922.10	21112.30	21880.50	5139.50

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए डीएपी का राज्य-वार उत्पादन तथा खरीफ 2011 (अप्रैल, 11 से जून, 2011)

('000' मी.टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल 11 से जून 11)
1	2	3	4	5
दक्षिणी-क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	518.20	520.60	434.30	98.10
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	158.30	198.10	177.80	32.70
तमिलनाडु	0.00	0.00	30.40	41.20
कुल (दक्षिणी क्षेत्र) :	676.50	718.70	642.50	172.00
पश्चिमी-क्षेत्र				
गोवा	205.00	351.80	151.60	81.10
गुजरात	1057.30	1826.30	980.40	210.30
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	1262.30	2178.10	1132.00	291.40
पूर्वी-क्षेत्र				
उड़ीसा	906.70	1166.00	1572.10	386.30
पश्चिम बंगाल	147.80	183.70	190.30	57.30
कुल (पूर्वी क्षेत्र) :	1057.50	1349.70	1762.40	443.60
सकल योग :	2993.30	4246.50	3536.90	907.00

विवरण-III

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तथा खरीफ 2011 (अप्रैल, 2011 से जून, 2011) तक के लिए मिश्रित उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

('000' मी.टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल, 11 से जून, 11)
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1194.50	1313.10	1789.00	1817.60	417.40
केरल	425.00	605.30	758.10	643.80	94.60

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	33.70	74.30	84.10	45.70	17.80
तमिलनाडु	223.50	158.40	387.00	436.20	106.70
कुल (दक्षिणी क्षेत्र):	1876.70	2151.10	3018.20	2943.30	636.50
पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	477.10	373.20	366.20	509.50	75.10
महाराष्ट्र	519.70	528.90	603.90	727.40	158.70
गुजरात	1908.00	1960.30	2111.10	2902.80	569.70
कुल (पश्चिमी क्षेत्र):	2904.80	2862.40	3081.20	4139.70	803.50
पूर्वी-क्षेत्र					
उड़ीसा	676.80	1421.50	1544.90	1282.80	317.90
पश्चिम बंगाल	392.30	413.40	394.00	361.20	87.40
कुल (पूर्वी क्षेत्र):	1069.10	1834.90	1938.90	1644.00	405.30
सकल योग:	5850.60	6848.40	8038.30	8727.00	1845.30

विवरण-IV

वर्ष 2008-09 (अप्रैल, 08 से मार्च, 09) के दौरान उर्वरकों की संचयी उपलब्धता

(मात्रा लाख मी.टन)

2008-09	यूरिया		डीएपी		एमओपी		मिश्रित	
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	27.50	27.84	8.50	9.98	5.85	6.27	20.50	16.50
कर्नाटक	13.50	12.88	6.05	8.12	4.55	5.14	11.17	8.44
केरल	1.49	1.68	0.31	0.24	1.33	1.53	1.72	1.85
तमिलनाडु	10.37	11.28	4.31	3.85	4.84	5.95	3.62	3.55
गुजरात	18.65	18.69	7.10	8.24	1.90	2.26	4.39	4.92
मध्य प्रदेश	15.75	13.83	8.25	8.31	1.20	1.17	4.35	2.20
छत्तीसगढ़	5.40	5.23	1.75	2.31	0.77	0.95	1.31	1.23
महाराष्ट्र	23.25	22.84	8.60	10.19	3.70	5.17	15.65	10.40
राजस्थान	15.10	13.21	5.60	5.90	0.33	0.32	1.42	0.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	19.90	17.59	6.00	6.69	0.46	0.47	0.67	0.31
पंजाब	25.50	26.28	8.10	8.82	0.95	0.98	1.01	0.59
हिमाचल प्रदेश	0.65	0.66	0.00	0.00	0.07	0.06	0.44	0.40
जम्मू और कश्मीर	1.35	1.28	0.80	0.59	0.33	0.14	0.00	0.01
उत्तर प्रदेश	55.00	55.74	15.50	15.12	2.50	2.79	10.50	7.44
उत्तराखंड	2.30	2.22	0.35	0.31	0.18	0.08	0.45	0.51
बिहार	21.25	18.33	4.25	4.12	1.90	2.28	3.60	2.59
झारखंड	2.00	1.57	1.05	0.80	0.13	0.16	0.40	0.38
उड़ीसा	5.50	4.74	2.00	1.89	1.35	1.53	2.88	2.66
पश्चिम बंगाल	13.00	11.94	4.86	4.03	4.15	4.80	7.49	7.29
असम	2.40	2.30	1.03	0.14	1.06	1.08	0.30	0.06
अखिल भारत	281.34	270.88	94.83	99.78	37.86	43.34	92.32	72.26

$ मार्च, 2008 में बेचे गए 10.4 लाख मी.टन यूरिया के अतिरिक्त (मार्च, 08 आवश्यकता 10.36 लाख मी.टन, बिक्री 22.76 लाख मी.टन थी)

नोट: उर्वरक विभाग ने मिश्रित उर्वरकों की निगरानी खरीफ 2008 से करनी शुरू की।

विवरण-V

वर्ष 2008-09 (अप्रैल से मार्च) के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धता

(मात्रा मी.टन)

8.4.10 2009-10	यूरिया		डीएपी		एमओपी		मिश्रित	
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	27.50	26.16	9.75	8.89	6.60	6.07	20.50	18.69
कर्नाटक	13.75	13.77	8.20	8.46	5.15	6.12	11.20	10.95
केरल	1.63	1.53	0.35	0.30	1.54	1.57	1.90	2.12
तमिलनाडु	11.50	9.98	4.25	2.94	5.84	5.14	4.00	6.18
गुजरात	18.75	18.21	8.00	7.64	2.360	2.86	4.72	4.20
छत्तीसगढ़	5.48	5.27	1.77	2.65	0.84	0.96	1.42	1.04
महाराष्ट्र	24.75	22.87	12.50	13.83	5.60	7.07	14.00	11.25
राजस्थान	15.10	13.37	6.50	5.86	0.35	0.55	1.37	0.78
हरियाणा	19.65	18.05	7.00	6.66	0.52	0.90	0.45	0.48
पंजाब	25.50	24.65	8.50	8.08	0.91	1.00	0.55	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	0.67	0.54	0.00	0.02	0.07	0.05	0.50	0.38
जम्मू और कश्मीर	1.40	1.22	0.78	0.48	0.26	0.18	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	55.00	53.64	17.00	16.51	2.85	3.47	8.50	9.47
उत्तराखंड	2.15	2.33	0.40	0.38	0.13	0.04	0.45	0.41
बिहार	19.00	17.04	4.50	3.98	2.10	2.26	3.10	2.68
झारखंड	2.05	1.50	1.15	0.82	0.15	0.17	0.50	0.69
उड़ीसा	5.75	4.61	2.25	2.24	1.70	1.31	3.00	2.28
पश्चिम बंगाल	13.00	11.71	4.80	4.56	4.15	4.97	7.50	8.39
असम	2.60	2.56	0.35	0.22	1.26	0.97	0.06	0.06
अखिल भारत	281.90	265.97	106.98	104.09	43.85	47.60	87.73	83.38

विवरण-VI

वर्ष 2010-11 (अप्रैल, 10 से मार्च, 11 तक) के दौरान यूरिया डीएपी, एमओपी और एनपीके की संचयी आवश्यकता और उपलब्धता

(आंकड़े लाख मी.टन में)

2010-11	यूरिया		डीएपी		एमओपी		मिश्रित	
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	28.50	30.38	11.00	10.40	6.60	6.09	20.50	22.12
कर्नाटक	14.00	14.28	8.60	8.46	5.65	4.24	11.20	13.78
केरल	1.90	1.44	0.35	0.42	1.55	1.58	2.50	2.28
तमिलनाडु	11.50	10.23	4.25	3.20	5.84	4.74	4.25	6.91
गुजरात	19.50	21.26	8.40	8.11	2.30	2.02	4.83	6.62
मध्य प्रदेश	16.75	17.05	10.00	10.94	1.45	1.36	3.69	3.55
छत्तीसगढ़	5.70	5.56	2.84	2.41	1.06	0.96	1.40	1.32
महाराष्ट्र	25.25	25.52	16.70	14.35	6.75	6.52	14.80	17.98
राजस्थान	15.60	15.73	7.00	7.20	0.55	0.35	1.18	1.40
हरियाणा	19.65	18.75	7.20	7.40	0.70	0.66	0.55	0.69
पंजाब	26.00	27.61	9.25	9.04	1.06	1.06	0.70	1.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	0.64	0.61	0.00	0.00	0.07	0.04	0.50	0.41
जम्मू और कश्मीर	1.50	1.28	0.85	0.81	0.36	0.19	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	57.60	55.08	19.60	17.71	3.70	2.17	9.45	10.61
उत्तराखंड	2.20	2.24	0.40	0.28	0.09	0.05	0.50	0.57
बिहार	19.50	16.96	4.75	4.60	2.30	2.00	3.35	3.14
झारखंड	2.10	1.36	1.10	0.66	0.15	0.08	0.85	0.36
उड़ीसा	5.75	4.74	2.50	2.20	1.90	1.36	3.00	2.33
पश्चिम बंगाल	13.00	11.26	5.10	4.64	4.00	3.29	8.25	8.95
असम	2.60	2.50	0.60	0.29	1.30	0.96	0.05	0.11
अखिल भारत	290.79	284.62	120.92	113.09	47.80	39.83	92.00	104.39

विवरण-VII

खरीफ 2011 (अप्रैल 11 से जून 11 तक) के दौरान यूरिया, डीएपी/एनपीके और एमओपी की संचयी आवश्यकता और उपलब्धता

राज्य	यूरिया		डीएपी+एनपीके				एमओपी	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	पूर्व निर्धारित स्टॉक	आपूर्ति	*उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	400.00	507.02	480.00	159.68	519.04	678.72	95.00	51.63
कर्नाटक	230.00	368.60	484.80	385.20	448.25	833.45	126.00	61.32
केरल	42.75	50.21	71.00	11.81	60.05	71.86	43.65	45.14
तमिलनाडु	195.00	214.59	196.25	65.01	188.19	253.20	82.00	78.73
पुडुचेरी	7.60	7.24	9.31	0.00	3.26	3.26	1.60	1.74
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.11	0.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
गुजरात	415.00	448.76	403.00	114.71	331.49	446.20	48.00	37.05
मध्य प्रदेश	200.00	286.18	332.94	189.88	182.39	372.27	25.20	21.11
छत्तीसगढ़	210.00	176.03	173.75	64.47	92.35	156.82	34.00	18.63
महाराष्ट्र	744.60	777.21	939.90	265.07	682.66	947.73	140.00	52.01
राजस्थान	193.00	245.09	162.40	70.45	97.48	167.93	13.00	6.52
गोवा	1.63	1.03	3.49	0.00	2.71	2.71	0.25	0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन और दीव	0.13	0.07	0.06	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
दादरा और नगर हवेली	0.76	0.62	0.78	0.00	0.59	0.59	0.03	0.00
हरियाणा	355.00	412.24	155.00	72.98	112.69	185.67	20.00	11.11
पंजाब	750.00	801.36	256.00	51.95	172.43	224.38	26.00	19.40
हिमालच प्रदेश	27.50	25.72	7.80	2.00	7.96	9.96	0.30	0.00
जम्मू और कश्मीर	42.00	31.48	25.00	0.99	17.74	18.73	6.50	0.00
उत्तर प्रदेश	1525.00	1280.53	745.50	256.93	357.71	614.64	55.00	40.17
उत्तराखंड	66.00	80.57	33.00	0.00	21.08	21.08	4.50	0.50
दिल्ली	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	305.00	289.22	180.00	0.40	101.10	101.50	30.00	15.18
झारखंड	45.00	31.47	44.00	0.55	20.15	20.70	10.00	1.83
उड़ीसा	73.10	107.24	111.53	7.88	106.50	114.38	34.50	19.88
पश्चिम बंगाल	160.10	253.64	266.65	27.11	211.14	238.25	59.45	26.37
असम	60.20	54.37	11.83	7.50	9.16	16.66	25.80	10.60
त्रिपुरा	18.95	7.85	1.25	0.00	0.00	0.00	2.70	2.65
मणिपुर	18.50	5.04	1.75	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
मेघालय	1.50	0.06	1.50	0.00	0.40	0.40	0.14	0.00
नागालैंड	0.42	1.18	0.38	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.33	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
मिजोरम	1.24	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारत	6091.12	6464.00	5100.50	1754.57	3744.00	5798.57	885.01	522.00

*फरवरी/मार्च 2011 में खरीफ 2011 के दौरान उपयोग किया गया फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का पूर्व-निर्धारित स्टॉक शामिल है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा

*75. **श्री एन चेलुवरया स्वामी:**
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यक समुदयों में कितनी शैक्षिक पिछड़ापन है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा राज्य-वार अल्पसंख्यक समुदायों की कितनी बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी गई है;

(ग) सरकार द्वारा इन समुदयों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या अल्पसंख्यक समुदयों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) साक्षरता दर शैक्षिक स्थिति की एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की साक्षरता दर निम्नानुसार है:-

धर्म	साक्षरता दर (पुरुष)	साक्षरता दर साक्षरता दर (महिला)	औसत
मुस्लिम	67.6	50.01	59.1
इसाई	84.4	76.2	80.3
सिक्ख	75.2	63.1	69.4
बौद्ध	83.1	61.7	72.7
पारसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अखिल भारतीय	75.3	53.7	64.8

महिलाओं और पुरुषों दोनों की अखिल भारतीय औसत दर की तुलना में मुस्लिमों की साक्षरता दर कम है।

(ख) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 44460 बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिय गया है। वर्तमान वर्ष के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2011 है।

(ग) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा के लिए अवसरों में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है:-

(i) विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने में सुधार।

(ii) उर्दू शिक्षण के लिए बेहतर संसाधन।

(iii) मदरसा शिक्षा का आधुनकीकरण।

(iv) अल्पसंख्यक समुदयों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक बुनियाद सुविधाओं में सुधार।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता तथा छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग तथा संबद्ध स्कीम के अंतर्गत विभिन्न नौकरियों और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग के माध्यम से छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा 2008-09 से अल्पसंख्यक बहुत जिलों के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तभी से अनेक अल्पसंख्यक बहुल जिलो में 12140 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 637 स्कूल भवनों, 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा छात्रों के लिए 210 छात्रावासों के निर्माण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का लाभ इच्छुक लाभार्थियों तक पहुंचे, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र प्रगति की अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करता है। प्रगति की समीक्षा छह माह में एक बार सचिवों की समिति द्वारा की जाती है और तत्पश्चात रिपोर्ट संघ मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की जाती है। निगरानी और समीक्षा क्रमश: मुख्य सचिव और उपायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री वे नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरों और जिला स्तरों पर की जाती है।

इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नेशनल लेवल मानिटर्स (एनएलएम) पद्धति भी शुरू की है। ये नेशनल लेवल मोनिटर्स जिलों का आवधिक रूप से दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11) के दौरान
मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा मंजूर छात्रवृत्ति का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति मंजूर की गई			
		2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	0	1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	828	1072	924	2824
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	419	346	429	1194
5.	बिहार	680	1159	1425	3264
6.	चंडीगढ़	2	0	0	2
7.	छत्तीसगढ़	0	2	13	15
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन एवं दीव	3	6	0	9
10.	गोवा	0	3	5	8
11.	गुजरात	623	709	610	1942
12.	हरियाणा	7	7	28	42
13.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	2
14.	जम्मू और कश्मीर	21	25	7	53
15.	झारखंड	670	691	556	1717
16.	कर्नाटक	355	913	546	1814
17.	केरल	2884	2402	2338	7624
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	371	217	400	988
20.	महाराष्ट्र	1390	1570	1394	4354
21.	मणिपुर	19	14	11	44
22.	मेघालय	3	1	4	8
23.	मिजोरम	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
24.	नागालैंड	0	0	0	0
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	72	171	228	471
26.	उड़ीसा	49	41	43	133
27.	पुडुचेरी	1	6	10	17
28.	पंजाब	8	83	1685	1776
29.	राजस्थान	408	470	561	1439
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	990	1188	1176	3354
32.	त्रिपुरा	1	0	3	4
33.	उत्तर प्रदेश	839	2518	3676	7033
34.	उत्तराखंड	35	38	32	105
35.	पश्चिम बंगाल	1386	1416	1219	4021
	योग	12064	15070	17326	44460

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

***76. श्रीमती मीना सिंह:**
श्री पोन्नम प्रभकर:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणाम क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या इस योजना में शामिल अधिकांश गांवों में अब भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई है; और

(छ) अगले दो वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में राज्यों के साथ आवधिक रूप से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें करके और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। राज्यों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के प्रभारी सचिवों का एक सम्मेलन 01 जून, 2011 को आयोजित किया गया था, जिसमें एनआरडीडब्ल्यूपी और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के किए गए अच्छे कार्यों के बारे में भी बताया गया था। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। समीक्षा बैठकों और दौरों से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जानकारी मिलती है और इससे भारत सरकार और राज्य सरकारों को उन

क्षेत्रों, जहां पगति नहीं हो रही है, पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलती है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बसावटों की कवरेज में हुई उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल 16,64,186 ग्रामीण बसावटों में से लगभग 1,21,046 बसावटों में पेयजल के कुछ स्रोतों में रासायनिक संदूषण है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत भारत सरकार ने गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने को तरजीह दी है। इस संबंध में राज्य को किए गए आबंटन की 65% तक की राशि का उपयोग गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

(च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिलीज और व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(छ) किसी वर्ष में बसावटों की कवरेज के लक्ष्यों का निर्धारण उस वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है, जिस वर्ष राज्यों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जाती है और मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की जाती है। अगले 2 वर्षों के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत बसावटों की कवरेज में हुईं उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 कवरेज	2009-10 कवरेज	2010-11 कवरेज	2011-12 कवरेज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15647	5374	6971	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	905	567	601	0
3.	असम	8703	12004	6467	402
4.	बिहार	25785	26622	14221	601
5.	छत्तीसगढ़	8178	12002	7847	1787
6.	गोवा	4	0		0
7.	गुजरात	2374	1441	1079	133
8.	हरियाणा	965	885	752	82
9.	हिमाचल प्रदेश	6390	5204	5094	457
10.	जम्मू व कश्मीर	2234	424	903	0
11.	झारखंड	6832	14605	11399	704
12.	कर्नाटक	5586	11625	6130	624
13.	केरल	7650	241	405	40
14.	मध्य प्रदेश	5302	10781	13937	5743
15.	महाराष्ट्र	17128	7465	8987	690
16.	मणिपुर	115	158	227	77

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	1116	407	380	101
18.	मिजोरम	46	124	121	3
19.	नागालैंड	584	84	128	0
20.	उड़ीसा	13507	9525	7525	811
21.	पंजाब	1523	1874	1658	118
22.	राजस्थान	7434	10388	7254	511
23.	सिक्किम	27	110	100	12
24.	तमिलनाडु	9097	8206	7039	18
25.	त्रिपुरा	555	843	976	77
26.	उत्तर प्रदेश	1190	1874	1879	16
27.	उत्तराखंड	1351	1200	1324	139
28.	पश्चिम बंगाल	2747	4806	5967	108
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0		
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0		
31.	दमन व दीव				
32.	दिल्ली				
33.	लक्षद्वीप			10	
34.	पुडुचेरी	15	40	12	
35	चंडीगढ़	0	0	0	0
	कुल	152990	148879	119393	13388

* 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

बसावटों की संख्या जिनमें पेयजल के कुछ स्रोतों में जल गुणवत्ता की समस्या है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01.04.2011 की स्थिति के अनुसार बसावटों की कुल संख्या	01.04.2011 की स्थिति के अनुसार शेष बची जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	491	0

1	2	3	4
2.	आंध्र प्रदेश	72407	585
3.	अरुणाचल प्रदेश	5612	7
4.	असम	86976	18683
5.	बिहार	107642	18427
6.	चंडीगढ़	18	0
7.	छत्तीसगढ़	72329	7845
8.	दादरा और नगर हवेली	70	0
9.	दमन और दीव	21	0
10.	दिल्ली	0	0
11.	गोवा	347	0
12.	गुजरात	34415	323
13.	हरियाणा	7385	30
14.	हिमाचल प्रदेश	53201	0
15.	जम्मू और कश्मीर	12826	26
16.	झारखंड	120154	806
17.	कर्नाटक	59532	7599
18.	केरल	11883	969
19.	लक्षद्वीप	9	0
20.	मध्य प्रदेश	127197	2917
21.	महाराष्ट्र	98842	2696
22.	मणिपुर	2870	4
23.	मेघालय	9326	102
24.	मिजोरम	777	0
25.	नागालैंड	1432	166
26.	उड़ीसा	141928	14810
27.	पुडुचेरी	248	0
28.	पंजाब	15338	55
29.	राजस्थान	121133	31698

1	2	3	4
30.	सिक्किम	2498	0
31.	तमिलनाडु	94500	509
32.	त्रिपुरा	8132	6196
33.	उत्तर प्रदेश	260110	1038
34.	उत्तराखंड	39142	14
35.	पश्चिम बंगाल	95395	5546
	कुल	1664186	121053

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		अथशेष	रिलीज	व्यय	अथशेष	रिलीज	व्यय	अथशेष	रिलीज	व्यय	अथशेष	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	395.05	398.05	0.00	537.37	397.46	139.91	558.74	423.38	275.27	0.00	148.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.97	162.46	160.97	27.47	178.20	195.55	10.12	199.99	176.55	33.56	31.95	4.94
3.	असम	77.83	187.57	265.40	0.00	323.50	275.07	48.43	487.48	480.55	55.36	0.00	0.00
4.	बिहार	292.37	452.38	73.30	671.45	186.11	284.87	572.68	170.73	425.91	317.50	0.00	23.03
5.	छत्तीसगढ़	14.76	125.26	112.42	27.59	128.22	105.17	50.65	122.01	109.51	63.15	0.00	13.44
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.50	2.82	0.00	1.16	1.66	0.00	0.00
7.	गुजरात	6.62	369.44	289.33	86.73	482.75	508.98	60.51	609.140	610.49	59.12	121.28	67.91
8.	हरियाणा	0.00	117.29	117.29	0.00	206.89	132.35	74.54	276.90	201.57	149.87	0.00	36.54
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	141.51	141.49	0.02	182.85	154.18	28.69	194.37	165.59	57.47	21.19	9.72
10.	जम्मू व कश्मीर	18.09	396.49	176.67	237.91	402.51	384.25	256.17	468.91	506.52	218.56	0.00	145.82
11.	झारखंड	0.00	80.33	18.85	61.48	111.34	86.04	86.78	129.95	128.19	88.54	0.00	8.98
12.	कर्नाटक	3.35	477.85	449.15	32.05	627.86	475.17	184.74	703.80	573.93	314.61	0.00	2.98
13.	केरल	0.79	106.97	106.56	1.19	151.89	151.85	1.23	159.83	137.97	23.09	37.54	19.99
14.	मध्य प्रदेश	21.65	380.47	368.61	33.50	379.66	355.08	58.09	388.33	324.94	121.48	2.56	56.82
15.	महाराष्ट्र	55.08	648.24	511.06	192.26	647.81	617.42	222.65	718.42	713.48	227.59	0.00	34.15
16.	मणिपुर	17.79	45.23	36.33	26.69	38.57	41.17	24.10	52.77	69.27	7.60	11.86	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	11.30	63.38	74.50	0.018	79.40	69.57	10.01	84.88	70.48	24.41	0.39	0.09
18.	मिजोरम	8.72	54.19	45.48	17.43	55.26	52.21	20.48	61.58	58.02	24.04	0.00	10.30
19.	नागालैंड	26.68	42.53	39.60	29.61	47.069	72.08	4.59	77.52	80.63	1.48	13.43	1.99
20.	उड़ीसा	0.00	298.68	273.12	25.56	226.66	201.85	50.37	294.76	211.11	134.02	0.00	24.53
21.	पंजाब	16.66	86.56	96.68	6.54	88.81	95.35	0.00	106.59	106.59	0.00	20.61	17.59
22.	राजस्थान	0.00	971.83	967.95	3.88	1012.16	673.92	342.12	1099.48	852.82	588.78	0.00	408.80
23.	सिक्किम	6.73	32.45	28.85	10.33	20.60	24.00	6.94	23.20	19.51	10.63	0.00	0.94
24.	तमिलनाडु	0.00	287.82	230.58	57.24	317.95	370.09	5.10	393.53	303.41	95.22	62.24	6.54
25.	त्रिपुरा	13.84	41.01	36.99	17.85	77.40	78.07	17.18	74.66	67.20	24.64	0.00	16.93
26.	उत्तर प्रदेश	72.48	615.78	514.54	173.71	956.36	970.60	159.47	848.68	933.28	74.87	177.56	88.21
27.	उत्तराखंड	12.28	85.87	61.09	37.06	124.90	63.83	98.13	136.41	55.44	179.10	0.00	12.60
28.	पश्चिम बंगाल	3.18	389.39	371.62	20.94	394.30	368.77	46.47	499.19	420.22	125.44	15.36	8.34
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
34.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
35.	चंडीगढ़	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	कुल	740.94	7056.02	5998.28	1798.69	7989.72	7205.43	2582.97	8941.81	8227.72	3297.06	515.97	1169.43

* 29.07.2011 की स्थिति के अनुसार

* 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार

पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी

***77. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल शोधनशालाओं, तेल पाइपलाइनों, तेल डिपुओं और एलपीजी डिपुओं आदि से पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान

तेल पाइपलाइनों, तेल डिपुओं और एलपीजी डिपुओं से पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी/चोरी के प्रयास के मामलों की संख्या 230 है।

(ग) यह रिपोर्ट दी गई है कि चोरी/चोरी के प्रयास के प्रत्येक मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कुछ मामलों में दोषियों को चोरी स्थल पर ही गिरफ्तार किया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस की हिरासत में रखा गया है। इन मामलों में संबंधित पीएसयू द्वारा राज्य प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सभी पाइपलाइनों के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन सिस्टम (एससीएडीए) के जरिए पाइपलाइन बहाव और दबाव की 24 घंटे निगरानी।
- बहाव और दबाव मापों पर आधरित लीक डिटेक्शन सिस्टम (एलडीएस) की निगरानी से पाइपलाइन से किसी बड़े रिसाव अथवा चोरी का पता चलता है।
- लाइन पेट्रोलमैन (एलएमपीज) और डीजीआर गार्डों द्वारा प्रतिदिन पैदल गश्त।
- पाइपलाइन आरओडब्ल्यू आदि के अगल-बगल के ग्रामीणों के साथ निरंतर बातचीत और उन्हें इसके प्रति संवदेनशील बनाना।
- सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से आरसीपी (रिपीटर कम कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम) की लगातार निगरानी।
- सभी राज्यों में चोरी के मुद्दे को पुलिस अधिकारियों के उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। सिविल प्रशासन के साथ निरंतर बात-चीत की जाती है।
- पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा नामित सुरक्षा कार्मिको को डिपुओ/टर्मिनलों और एलपीजी भरण संयंत्रों पर स्थलों की 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।
- डिपुओं/टर्मिनलों और एलपीजी भरण संयंत्रों पर सभी प्रचालन सक्षम अधिकारियों के कड़े और सतत् पर्यवेक्षण में किए जाते हैं।
- सीआईएसएफ द्वारा रिफाइनरी इकाइयों पर 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती।
- सीआईएसएफ द्वारा वैगन और टैंकरों की जांच।
- सीआईएसएफ के अपराध और आसूचना कार्मिक संयंत्र पर 24 घंटे गश्त करते हैं।
- इलेक्ट्रानिक निगरानी; और
- स्थानी पुलिस द्वारा गश्त।

इसके अलावा, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 में संशोधन के लिए 16 मार्च, 2010 को लोक सभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है ताकि चोरी और पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइनों की तोड़फोड़ में लिप्त दोषियों के लिए प्रतिवारक दंड के प्रावधानों से इस अधिनियम को और अधिक कड़ा बनाया जा सके।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

***78. श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने कितने मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में भूमि सहित अधिशेष संपत्तियों को अनलोंक करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने पुनरुद्धार के प्रत्येक मामले में संपत्तियों की ऐसी अनलाकिंग से मिलने वाली धनराशि का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों ने अधिशेष भूमि की अनलाकिंग किए जाने का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे विरोध के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनरुद्धार योजनाओं को कार्य रूप नहीं दिया जा सका; और

(च) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 16 उद्यमों की अधिशेष परिसंपत्तियों को विक्रयार्थ प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया है जिससे कि उनके पुनरुद्धार के आंशिक वित्तपोषण की व्यवस्था की जा सके।

(ख) और (ग) बीआरपीएसई ने परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया है। परिसंपत्तियों की पहचान करने तथा उनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के निर्धारण का कार्य संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अधिशेष परिसंपत्तियों की उपलब्धता तथा पुनरुद्धार हेतु अपेक्षित राशि के आधार पर किया जाता है। बहरहाल, बीआरपीएसई ने परिसंपत्तियों की बिक्री की अनुशंसा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए पूंजीनिवेश हेतु परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से प्राप्त की जाने वाली अनुशंसित राशि का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(घ) से (च) जी नहीं, राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों ने अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री का विरोध नहीं किया है। परंतु, कुछ मामलों में भूमि के निपटान के लिए राज्य सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सभी साझेदारों से समुचित विचार-विमर्श के बाद रुग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार का प्रस्तव तैयार करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	बीआरपीएसई की अनुशंसा
1	2	3
1.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	भारत सरकार रुपये 361 करोड़ का सेतुक ऋण प्रदान करे जिसकी वापसी रद्दी तथा अधिशेष परिसंपत्ति (भूमि सहित) की बिक्री से प्राप्त राशि से की जाएगी।
2.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्सा लिमिटेड	एचएएल अधिशेष भूमि की बिक्री से रुपये 56 करोड़ जुटाए ताकि बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी उपक्रमों के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का आंशिक वित्तपोषण किया जा सके।
3.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	वाआरएस के लिए आंशिक वित्त व्यवस्था हेतु रुपये 35 करोड़ की अधिशेष परिसंपत्ति की बिक्री।
4.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि पर भारत सरकार से रुपये 151.46 करोड़ का ब्याज मुक्त सेतुक ऋण। ऋण की वापसी बीआईसी लिमिटेड की अधिशेष भूमि/परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त नगद राशि से की जाएगी।
5.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्रस कॉरपोरेशन लिमिटेड	वीआरएस, बकाए वेतन, दबाव डालने वाले ऋणदाताओं, केपेक्स तथा किन्नीसन एण्ड खरदाह मिल्स को पुनः प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित कार्यचालन पूंजी हेतु रुपये 310.33 करोड़ के पूंजीनिवेश के लिए ऋण, जिसकी वापसी 2009-10 से 2015-16 तक शेष अर्थअक्षम मिलों की समस्त परिसम्पत्तियों तथा किन्नीसन एण्ड खरदाह मिल्स की अधिशेष भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि तथा आंतरिक संसाधन सृजन के जरिए की जानी है।
6.	एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	सेतुक ऋण की आवश्यकता कम करने के लिए भूमि के उस भाग की बिक्री की जा सकती है जिसकी बिक्री/परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है और शेष सेतुक ऋण (कुल रुपये 225 करोड़), जिसकी वापसी अधिशेष भूमि की बिक्री से की जानी है, के लिए व्यय विभाग से वार्ता की जा सकती है।

1	2	3
7.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	रुपये 250 करोड़ की लागत से 15 ऐसे मिलों के आधुनिकीकरण की अनुशंसा की गई जिसमें क्षमता का लगभग पूर्ण उपयोग किया जा रहा है और इसके लिए वित्त की व्यवस्था अधिशेष परिसम्पत्ति की बिक्री से की जानी है।
8.	बीको लॉरी लिमिटेड	इलेक्ट्रिकल रिपेयर यूनिट को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के बाद मयूरभंज में पूर्ण स्वामित्वाधीन वाली भूमि की बिक्री करने तथा लगभग रुपये 22 करोड़ की प्राप्य राशि का उपयोग कार्यचालन पूंजी तथा ऋण की वापसी के लिए करने विषयक बीएलएल/एमपी एण्ड एनजी के प्रस्ताव.
9.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद	पूंजीगत व्यय तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु रुपये 10 करोड़ के पूंजीनिवेश के लिए ऋण जिसकी वापसी अधिशेष परिसम्पत्ति की बिक्री से की जानी है। अधिशेष परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ओटीएस तथा आईसीडी आदि रुपये 17.66 करोड़-की वापसी के लिए भी किया जाना है।
10.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड	सरकारी उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करके पुनरुद्धार करने अथवा निजी क्षेत्र को विनिवेश करने के साथ-साथ मूलंद स्थित भूमि की बिक्री खुली बोली के माध्यम से करने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए।
11.	एच एम टी मशीन टूल्स लिमिटेड	रुपये 443.00 करोड़ के लिए जीरो कूपन अधिमानी शेयर जारी करना जो अधिशेष भूमि की बिक्री के तीन वर्ष बाद विमोच्च होगा और जिसका उपयोग (i) वीआरएस सम्बन्धी रुपये 255 करोड़ के ऋण की वापसी, (ii) रुपये 138 करोड़ के दीर्घावधिक ऋण की वापसी तथा (iii) कार्यचालन पूंजी से पूर्व में किए गए रुपये 50 करोड़ के ब्याज भुगतान का निपटारा करने के लिए किया जाएगा।
12.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीआईएफआर द्वारा गठित परिसंपत्ति बिक्री समिति के माध्यम से नए मूल्यांकन के आधार पर सभी सात अप्रचालनरत एककों की परिसंपत्ति (अनुमानित रुपये 618 करोड़) की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग- (क) पुनरुद्धार पैकेज में की गई अनुशंसा के अनुसार रक्षित/अरक्षित देनदारियों के ओटीएस के लिए भारत सरकार से लिए गए रुपये 153.62 करोड़ के गैर-योजनागत ऋण की वापसी तथा ऋणदाताओं, बैंकों, वीआरएस/वीएसएस एवं छंटनी हेतु कर्मचारियों तथा कामगारों को क्षतिपूर्ति भुगतान और (ख) बोकाजन तथा तांदूर एकक के विस्तार के लिए करना (रुपये 110.44 करोड़)।

1	2	3
13.	हैवी इंजीनियरिंग कॉपरपोरेशन लिमिटेड	(क) परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग केपेक्स, एसबीआई की देनदारियों, बिक्री कर की देनदारियों व कर्मचारियों की देनदारियों के निटपारे के साथ-साथ रुपये 102 करोड़ के सेतुक ऋण की वापसी के लिए करना।
		(ख) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जीओजे) के रुपये 500.00 करोड़ की विद्युत देनदारियों के निपटारे के लिए कम्पनी द्वारा उतने मूल्य की भूमि राज्य सरकार को अंतरित करना।
		(ग) सीआईएसएफ की रुपये 73 करोड़ की देनदारी के निपटारे के लिए कम्पनी द्वारा उतने मूल्य की भूमि सीआईएसएफ को अंतरित करना।
		(घ) राज्य सरकार को किराए पर दिए गए आवासीय एवं अनावासीय भवनों को झारखंड सरकार को अंतरित कर संसाधन (लगभग रुपये 330.00 करोड़) जुटाना, आवासों का निपटारा दीघावधिक पट्टे के आधार पर करना, वाणिज्यिक तथा संस्थागत क्षेत्रों का निपटारा करना तथा विद्यालयों व अस्पतालों का निजीकरण करना।
14.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	एवाईसीएल को 228390 शेयरों की बिक्री टीडब्ल्यूओएल को करने की स्वीकृति देना, इस समूह की कम्पनियों में कम्पनी द्वारा धारित डीपीएससीएल के 301269 शेयरों तथा पीवाईएल के 11943074 शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली रुपये 46.21 करोड़ की अनुमानित राशि को पुनर्गठन के कार्य में लगाना।
15.	एच एम टी वाचेज लिमिटेड	भारत सरकार तीन वर्षों में विमोच्य जीरो कूपन अधिमानी शेयरों के जरिए वीआरएस/वीएसएस हेतु रुपये 103.00 करोड़ का निवेश करेगी और इन शेयरों का विमोचन एचएमटी डब्ल्यूएल द्वारा एनपीए-भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा।
		रानीबाग एकक को बन्द करने के पूर्व इसे उत्तरांचल सरकार को प्रस्तावित किया जाएगा; और बंगलौर एकक को बन्द करने की स्थिति में परिसम्पत्तियों की बिक्री पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना।
16.	एच एम टी लिमिटेड	यदि सरकार इक्विटी में कमी के जरिए कोष जुटा पाने में समर्थ न हो सके तो केपेक्स, (रुपये 50 करोड़), वीआरएस (रुपये 50 करोड़) तथा कार्यचालन पूंजी व ऋण की वापसी (रुपये 95.60 करोड़) के लिए अपेक्षित राशि एचएमटी द्वारा कुछ और अधिशेष भूमि की बिक्री के जरिए जुटायी जाएगी।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कालाबाजारी

***79. डॉ. संजय सिंहः**
श्रीमती सुमित्रा महाजनः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मिट्टी के तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कथित कालाबाजारी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कालाबाजरी में तेल कंपनियों तथा तेल माफिया के बीच किसी सांठगांठ की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध तथा भविष्य में ऐसे मामलों को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पीडीएस मिट्टी तेल और पेट्रोल/डीजल के बीच मूल्यों में भारी अन्तर होने और घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी के खुदरा मूल्य और वाणिज्यिक एलपीजी के बाजार मूल्य के बीच अधिक अन्तर होने के कारण, कुछ बेईमान तत्वों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कालाबाजारी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) पीडीएस मिट्टी तेल की मिट्टी तेल डीलरों को आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एक्स-एमआई (विपणन संस्थापन) आधार पर की जाती हैं। राज्य के भीतर राशन कार्ड धारकों को पीडीएस मिट्टी तेल का आगे का वितरण, राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया नियंत्रित राशन की दुकानों/खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। राज्य के नागरिक आपूर्ति प्राधिकारी मिट्टी तेल डीलरों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उठाए गए उत्पाद की सुपुर्दगी उचित मूल्य दुकानों पर की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि अलग-अलग जिला/राज्य प्राधिकारियों के परामर्श के आधार पर, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल'जून, 2011) के दौरान, पीडीएस मिट्टी तेल की चोरी, मिलावट और कालाबाजारी जैसी अनियमितताओं के 137 मामले सूचित किए गए थे। इस अवधि के दौरान, मिट्टी तेल के विपणन/कालाबाजारी के सिद्ध मामलों पर 12 मिट्टी तेल डीलर समाप्त कर दिए गए थे। शेष मामलों में समय-समय पर, पीडीएस मिट्टी तेल की आपूर्ति बन्द करने, जुर्माना लगाने, बिक्री और आपूतियां बहाल करने जैसी कार्रवाइयां भी की गई थीं।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2011) के दौरान, एलपीजी की कालाबाजारी के 452 सिद्ध मामले पकड़े गए थे। कालाबाजारी/चोरी या किसी अन्य कदाचार के सभी मामलों में दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2011) के दौरान, मिट्टी तेल और एलपीजी की कालाबाजारी, में सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज के अधिकारियों और तेल माफिया के बीच सांठ-गांठ का कोई सिद्ध मामला नहीं है।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेगा केमिकल इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना

***80. श्री मनोहर तिरकीः** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश को दक्षिण एशिया का 'पेट्रोरसायन केन्द्र' बनाने के लिए पर्याप्त पत्तन सुविधाओं के साथ तटीय राज्यों में मेगा केमिकल इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एस्टेट की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या अन्य सहायक इकाइयों को समुचित सम्पर्क सुविध ा प्रदान करने के लिए एक मुख्य परिसर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसे कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं। भारत सरकार तटीय राज्यों में कोई वृहत रसायनिक औद्योगिक परिसर स्थापित नहीं कर रही है, तथापि, भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना के लिए नीति अप्रैल, 2007 में घोषित की गई। पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग कि.मी. (न्यूनतम 40% क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए चिन्हित) होगा। इस संबंध में पहल संबंधित राज्य सरकार द्वारा ली जानी है। प्रत्येक क्षेत्र में एक शीर्ष कंपनी (एंकर टीनेट) होगी, जिसके आधार पर पूरे क्षेत्र के विकास की योजना बनाई जाएगी। पीसीपीआईआर नीति के अनुसार, पीसीपीआईआर के लिए वाह्य भौतिक अवसंरचनाओं रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, पत्तन, विमानपत्तन, दूरसंचार आदि के जरिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से जहां तक संभव हो सके, मौजूदा स्कीमों के अधीन अर्थक्षम अंतर निधियन (वीजीएफ) के द्वारा प्रदान की जाएगी। जहां आवश्यक होगा, मौजूदा स्कीमों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन सम्पर्कों के सृजन के लिए अपेक्षित बजटीय प्रावधान भी किए जाएंगे। अब तक 4 पीसीपीआईआर अनुमोदित किए गए हैं अर्थात् (i) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश (ii) हल्दिया, पश्चिम बंगाल (iii) दाहेज, गुजरात एवं (iv) पाराद्वीप, उड़ीसा। तीन मामलों अर्थात् (i) विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश (ii) हल्दिया, पश्चिम बंगाल एवं (iii) दाहेज, गुजरात, में समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी योजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि को लेकर शिकायतें

691. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आए हैं जबकि राज्य सरकारों ने सरकारी योजनाओं के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को निजी कंपनियों को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे प्रावधान करने का विचार है जिनके अंतर्गत निजी कंपनियां सीधे किसानों से ही भूमि की खरीद कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) निजी कम्पनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है तथा उन्हें भूमि सौंपी जा रही है। ऐसे अधिग्रहण तथा अंतरण का ब्यौरा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर जी आर पी चौकी

692 **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जिन पर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) का थाना/चौकी नहीं है;

(ख) क्या रेल विभाग का उत्तरी-मध्य रेल क्षेत्रांतर्गत खजुराहो तथा हरालपुर स्टेशनों सहित उक्त सारे स्टेशनों पर जीआरपी चौकी स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेलों पर 7083 रेलवे स्टेशन हैं। 1051 रेलवे स्टेशनों से राजकीय रेल पुलिस थाना/चौकियां कार्य कर रही हैं। बहरहाल, प्रत्येक थाना/चौकी के अपने क्षेत्राधिकार में कई स्टेशन होते हैं।

(ख) और (ग) राजकीय रेल पुलिस (रा.रे.पु.), संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं और रेलवे लागत का 50 प्रतिशत वहन करती है। किसी भी रारेपु इकाई के गठन के लिए प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर रेलवे गुण-दोष के आधार पर विचार करती है। फिलहाल खजुराहो रेलवे स्टेशन पर रारेपु थाना/चौकी के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, खजुराहो रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल की आऊट पोस्ट पहले से ही संचलन में है। उत्तर मध्य रेलवे के रेल प्रशासन ने हरपालपुर स्टेशन पर रारेपु चौकी के लिए स्वीकृति दे दी है। रेल पुलिस/जबलपुर के अधीक्षक, हरपालपुर,

रारेपु चौकी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

एसएफआईओ द्वारा एसईएसए गोवा लिमिटेड कम्पनी की जांच

693. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईजो) ने खनन कम्पनी मैं. सेसा गोवा लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एसएफआईओ की सिफारिश पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) जांच प्रतिवेदन दर्शाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 147, 211, 395 एवं 240 का उल्लंघन हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धाराएं 408, 409, 415 एवं 418 का उल्लंघन भी पाया गया है। जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बिहार में नई रेल लाइन

694. **श्रीमती रमा देवी:** क्या **रेल मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत तथा पूरी की गई नई रेल लाइनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा कितनी परियोजनाओं का काम अभी अधूरा है; और

(ख) इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा इन रेल लाइनों का कार्य समय पर पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान बिहार में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाली 11 नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। ये सभी परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। लम्बाई और नवीनतम प्रत्याशित लागत दर्शाते हुए परियोजना का स्थानवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में)	नवीनतम प्रत्याशित लागत
1.	आरा-भभुआ रोड	122	490.8
2.	अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज)	92	304.41
3.	गया-बोधगया-चतरा, गया-नातेसर (नालंदा)	97	549.75
4.	रफीगंज के रास्ते गया-डालटेनगंज	136.09	445.25
5.	जलालगढ़-किशनगंज	50.08	359.86
6.	जोगबनी-बिराटनगर (नेपाल)	18	238.83
7.	कुरसेला-बिहारीगंज	35	192.56
8.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा	66.9	281.3
9.	मुजफ्फरपुर-कटरा-ओरई-जनकपुर रोड	66.55	228.05
10.	सुसंड के रास्ते सीमामढ़ी-जयनगर-निर्मली	188	678.62
11.	नवादा-लक्ष्मीपुर	137	620.57

रेलवे के पास सीमित संसाधनों के साथ चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफॉरवर्ड है। परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शुरू की जाती हैं। परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए गैर बजटीय उपयों जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण और अन्य लाभार्थियों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं भूमि की उपलब्धता, सुरक्षा मामले और वन विभाग से स्वीकृति मिलने के संबंध में होने वाले विलंब को कम करने के लिए राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। संविदा प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए संविदा शर्तों में आशोधन किया गया है और फील्ड इकाइयों को अधिक शक्तियां दी गई हैं।

[अनुवाद]

आर्थिक जनगणना

695. श्री एल. राजगोपालः क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्यर सरकार अगले वर्ष से आर्थिक जनगणना शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकार की जनगणना से, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, सूक्ष्मस्तरीय नियोजन तथा नीति निर्माण में किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(ग) उक्त जनगणना के अंतिम परिणाम कब तक मिलने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से 2012 के दौरान छठी आर्थिक गणना आयोजित करने की योजना बनाई है।

(ख) उपरोक्त गणना में अर्थव्यव्सथा के संगठित तथा असंगठित इन दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे सभी प्रतिष्ठानों अथवा उपक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव है। गणना के दौरान प्रतिष्ठानों के संबंध में इस प्रकार जुटाई गई सूचना से न केवल विस्तृत अनुवर्ती सर्वेक्षण के लिए अद्यतन फ्रेम उपलब्ध होगा बल्कि नियोजन तथा विकास, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के नियोजन और विकास के लिए ग्राम/वार्ड स्तर के उद्यम संबंधी आंकड़े भी उपलब्ध होंगे।

(ग) गणना स्कीम की योजना के अनुसार, मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा फील्ड संबंधी कार्य सम्पन्न कर लिए जाने के 60 दिन के अंदर त्वरित निष्कर्ष तथा फील्ड संबंधी कार्य सम्पन्न हो जाने के एक वर्ष के अंदर अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी करने की योजना बनाई है।

अल्पसंख्यक समुदायों की नागरिक आवश्यकताएं

696. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन नगरों और शहरों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों जहां उनकी संख्या अधिक है की नागरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतक बल से इन नगरों और शहरों की विद्यमान योजनाओं तथा वित्त प्रवाह की भी समीक्षा करने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृतक बल से इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट कब तक देने के लिए कहा गया है;

(घ) क्या सरकार ने उन नगरों और शहरों को चिन्हित किया है जहां अल्पसंख्यकों की नागरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नागरिक आवश्यकताओं के कोण से उक्त कृतक बल द्वारा किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा कृतक बल की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कार्यबल को 31 अक्टूबर, 2007 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट 08.11.2007 को प्रस्तुत कर दी। कार्यबल की शर्तें निम्नानुसार थीं:-

(i) अल्पसंख्यक बहुल आबादी, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, के कस्बों/शहरों की पहचान करना।

(ii) इन कस्बों/शहरों के भीतर अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरी स्थानों के लिए आवास, स्कूल और शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी नागरिक सुख-सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

(iii) बहु-क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा स्कीमों/कार्यक्रमों की पहचान करना जिनसे निधियों को चैनेलाइज किया जा सके।

(iv) बहु-क्षेत्रीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के संसाधन अंतराल को वित्त पोषित करने हेतु विशेष स्कीमों का सुझाव देना और विशिष्ट परियोजनाओं, जिन्हें मौजूदा किसी स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है, को भी वित्त पोषित करने का सुझाव देना।

(घ) और (ङ) कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुख-सुविधा संबंधी मानकों की दृष्टि से 338 कस्बों/शहरों की पहचान की है, जिनमें से 251 कस्बे/शहर सापेक्षतः काफी पिछड़े हैं। ऐसे 338 कस्बों/शहरों और 251 अत्यंत पिछड़े दोनों की सूचियां रिपोर्ट में संलग्न हैं। ये मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

(च) और (छ) कार्यबलों द्वारा कवर किये गये क्षेत्रों में आवास, स्कूल और शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर शामिल हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गयी है कि वे इन 338 कस्बों में अपनी-अपनी स्कीमों के कार्यान्वयन में प्राथमिकता दें।

विवाद समाधानकारी पैनल

697. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक अपराधें तथा विवादों के समाधान हेतु सरकार का विशेष विवाद समाधानकारी पैनल तथा न्यायालय गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याा है; और

(ग) क्या इससे इन मामलों के शीघ्र सुलझने में सहायता होगी?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद:): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलबंधु

698. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने 'रेलबंधु आन बोर्ड पत्रिका' शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और दूरंतो एक्सप्रेस की वातानुकूलित श्रेणियों में वितरण के लिए मई, 2011 में 'रेल बंधु' नामक ऑन बोर्ड मासिक पत्रिका आरंभ की गई है। रेल बंधु प्रकाशित करने का उद्देश्य रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान रोचक पठन सामग्री मुहैया कराने के अलावा रेलवे की उपलब्धियों को दर्शाना है।

गुजरात में ट्रेनों के फेरे

699. **श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात आने/जाने वाले विभिन्न ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गुजरात स्थित डाकोर, पालिताना, सोमनाथ, अम्बाजी और जूनागढ़ जैसे विभिन्न तीर्थस्थलों में जाने के लिए यात्रियों को कौन-कौन सी ट्रेनें उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का विचार है; औश्र

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों/मंत्रियों/संस्थाओं/राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों, जिसमें गुजरात आदि भी शामिल है, से रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इनकी जांच की जाती है। व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्यवाही की जाती है।

(ग) इस समय, डकोर, पालीताना और सोमनाथ क्रमशः 4 जोड़ी गाड़ियों (2 जोड़ी पैसेंजर और 2 जोड़ी मेमू गाड़ियां), 3 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों और 4 जोड़ी (3 जोड़ी एक्सप्रेस और 1 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां) द्वारा सेवित किए जा रहे हैं। हर महीने वडोदरा और अहमदाबाद से डकोर के लिए पूनम विशेष गाड़ियां भी लाई जाती हैं। अंबाजी जाने के इच्छुक तीर्थयात्री आबू रोड की ओर जाने वाली गाड़ियां और जिनका आबू रोड में ठहराव है, पकड़ सकते हैं जूनागढ़ को बड़ी आमान वाली 6 जोड़ी एक्सप्रेस/पैसेंजर और 3 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों द्वारा और मीटर आमान वाली दो जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) डकोर, पालीताना, सोमनाथि और जूनागढ़ को सेवत करने वाली गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना/नई गाड़ियां चलाना परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, जूनागढ़ को सेवित करने के लिए एक नई गाड़ी अर्थात् 59297/59298 पोरबंदर-बेरावल पैसेंजर 2011-12 के दौरान चलाई जाएगी।

मतदाताओं को पावती की स्वचालित प्रणाली

700. श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग मतदाताओं को पावती प्रदान करने वाली स्वचालित प्रणाली शुरू करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित प्रणाली का विवेचन करने के लिए कोई पैनल बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) निर्वाचक आयोग ने सूचित किया है कि उसने तारीख 4 अक्टूबर 2010 को सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में, कुछ राजनैतिक दलों ने मतदाताओं के विश्वास और समाधान को और बढ़ाने के लिए इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में मतदाता सत्यापनीय संपरीक्षित कागज पुच्छ (वीवीपीएटी) के आरंभ का सुझाव दिया था। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग ने मुद्दे को, उसकी तकनीकी विशेषज्ञ समिति को व्यापक परामर्श के पश्चात् उसके विचार देने के लिए निर्दिष्ट किया है, तकनीकी विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विशेषज्ञता
1.	प्रो. पी.वी. इंद्रेशन	आई आई टी मद्रास के पूर्व निदेशक	संसचूना का क्षेत्र
2.	प्रो. डी.टी. साहनी	आई आई टी दिल्ली के प्रोफेसर	इलैक्ट्रानिक यंत्रीकरण, इलैक्ट्रोमेग्नेटिक, एंटीना
3.	प्रो. ए.के. अग्रवाल	आई आई टी दिल्ली के मुख्य डिजाइन इंजीनियर (एस.जी.)	इलैक्ट्रानिक डिजाइन, इन्स्टूमेंट डिजाइन
4.	प्रो. रजत मूना	आई आई टी कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी विभाग के प्रोफेसर	कंप्यूटर आर्किटेकचर वी एल एस आई डिजाइन, सन्निहित प्रणालियां भंडारण संरचना, सुरक्षा स्मार्ट कार्ड और आर.एफ.आई.डी.
5.	प्रो. डी के शर्मा	आई आई टी मुंबई के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग के प्रोफेसर	अर्द्धसंचालक युक्तियां, वीएलएसआई डिजाइन, एमओएस युक्ति और सन्निहित प्रणालियां

विशेषज्ञ समिति ने, इस मुद्दे पर, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर (बीइएल) और इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) के साथ अनेक बार बैठकें की थी और तब वह ऐसे राजनैतिक दलों और अन्य सिविल सोसायटी से मिली जो ईवीएम में वीवीपीएटी प्रणाली आरंभ करने की संभावना की खोज करने के लिए ईवीएम के मुद्दे पर आयोग के साथ लगे हुए थे। विशेषज्ञ समिति के निदेश पर बीईएल और ईसीआईएल ने समिति और आयोग के समक्ष आदिप्ररूप को, परीक्षण के वास्तविक निर्धारण को प्राप्त करने के लिए उच्चतम परिस्थितिक स्थितियों में क्षेत्र में परीक्षण किया जाना चाहिए। परीक्षण, वास्तविक निर्वाचन जैसी स्थितियों में होना चाहिए।

ईवीएम और वीवीपीएटी प्रणाली पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आधारित आयोग ने नीचे वर्णित राज्यों के जिले में वीवीपीएटी प्रणाली के क्षेत्र परीक्षण के लिए अभ्यास निर्वाचन आयोजित किया था:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान का नाम	मतदान की तारीख
1.	जम्मू और कश्मीर	लद्दाख	24.07.2011
2.	केरल	तिरुअनंतपुरम	24.07.2011
3.	मेघालय	चेरापूंजी	26.07.2011
4.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	पूर्वी दिल्ली जिला	24.07.2011
5.	राजस्थान	जैसलमेर	24.07.2011

आयोग ने प्रणाली के प्रथम अनुभव हेतु परीक्षण का साक्षी होने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों, सिविल सोसायटियों, भारत के नागरिकों से भी अनुरोध किया था।

[हिन्दी]

ज्वलनशील गैस का अन्वेषण कार्य

701. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी स्थल पर ज्वलशील गैस का पता लगाने का कार्य पिछले कई सालों से जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में वहां पर भारी मात्रा में गैस का भंडार प्राप्त होने के संकेत मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्थान पर गैस का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। ओएनजीसी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र में 1956 से चरणबद्ध में अन्वेषण कार्य कर रही है।

(ग) से (ङ) इस क्षेत्र से भारी मात्रा में गैस उत्सर्जन का कोई संकेत नहीं मिला है।

[अनुवाद]

नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना

702. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर यूरिया की मांग की पूर्ति करने हेतु देश में उसके उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से हल्दिया में नये यूरिया संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्रों की स्थापना तथा क्षमता सुधार हेतु कितनी राशि का निवेश किया जाएगा।

(घ) क्या उक्त संयंत्रों द्वारा यूरिया का उत्पादन शुरू कर देने के पश्चात् देश यूरिया की मांग के अनुसार पूर्ति करने में स्वनिर्भर हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी हां। मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2007 में हल्दिया इकाई सहित एचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया था। अक्टूबर 2008 में मंत्रिमंडल में एचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने और सीसीईए के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशें तैयार करने के अधिदेश के साथ सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन करने का अनुमोदन किया था। ईसीओएस ने विभिन्न विकल्पों पर विचार कर लिया है और अपनी सिफारिशों

को अंतिम रूप दे दिया है। ईसीओएस की सिफारिशों के आधार पर सीसीईए के विचार करने हेतु एक नोट को अंतिम रूप दिया गया है और इसे आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 10 जून, 2011 को इसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है। प्रत्येक प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की क्षमता 1.15 एमटीपीए और अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 7.5 मी.टन प्रति वर्श का अंतर है। प्रस्तावित पुनरुद्धार, पुनरुत्थान, विस्तार, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के शुरू होने के बाद देश यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

[हिन्दी]

कार्पोरेट परिचय संख्या

703. **श्री नारनभाई कछाड़िया:**
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पंजीकृत सभी प्रकार की कम्पनियों के लिए कॉर्पोरेट परिचय संख्या (सीआईएन) प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो आज तक देश में ऐसी कितनी निजी कम्पनियां, सरकारी उपक्रम तथा सांविधिक निकाय है जिन्होंने अब तक उक्त सीआईएन संख्या प्राप्त नहीं की है; और

(ग) किसी कम्पनी द्वारा सीआईएल प्राप्त न किए जाने की दशा में विनियामक प्राधिकरण क्या कार्रवाई करता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 25.7.2011 को निजी एवं सार्वजनिक कम्पनियों की कुल संख्या निम्नवत् थी :

निजी कम्पनियां : 1029363

सार्वजनिक कम्पनियां : 116603

(ग) चूंकि कोई कम्पनी कम्पनी पहचान संख्या के बिना कार्य नहीं कर सकती है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी मुकदमों की संख्या कम करना

704. **श्री रवनीत सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि न्यायालय के आदेशों तथा फैसलों पर त्वरित अमल न होना फिर से मुकदमा होने का एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मुकदमों की संख्या न बढ़ने देने के लिए कदम उठाए गए हैं चूंकि अधिकतर सरकारी विभाग ही मुकदमा दायर करते हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) सरकार ऐसी राष्ट्रीय नीति को, जो इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार और उसके विभिन्न अभिकरण, देश के न्यायालयों में पूर्व अधिष्ठायी वादकारी है, प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव करती है। नीति में परिकल्पित है कि केंद्रीय सरकार, न्यायालयों में सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए उत्तरदायी रीति से मुकदमें का संचालन करेगी। नीति, न्यायालय में अपील फाइल करते समय, अधिकरणों, सेवा मामलों और राजस्व मामलों के आदेशों को चुनौती देने पर विशेष बल सहित केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाए गए सिद्धांत को भी अधिकथित करती है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों की पूंजीधारिता

705. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के पास बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध है जिसका उत्पादन कार्य में सीधे निवेश नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2011 के अंत तक इन उपक्रमों के पास कितनी मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस पूंजी की औसतन आर्थक वृद्धि दर कितनी रही;

(घ) क्या सरकार ने इस अतिरिक्त पूंजीगत को पुन: उत्पादन के क्षेत्र में लगाने हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में 'निवल मूल्य' और उनकी वार्षिक वृद्धि दर के सम्बन्ध में कुल पूंजीधारिता नीचे (तालिका-I) दी गई है;

तालिका-1

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	निवल मूल्य	वृद्धि दर (%)	निवल अचल परिसंपत्ति (+ चालू पूंजीगत कार्य)	वृद्धि दर (%)
2009-10	660245	12.53	677450	18.74
2008-09	587286	12.74	570513	16.29
2007-08	520923	14.71	490615	11.91

स्रोत : लोक उद्यम सर्वेक्षण (2009-10)

तालिका-I पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल अचल परिसंपत्ति (+ चालू पंजीगत कार्य) या केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में किए गए निवेश को भी दर्शाती है। वे दोनों आंकड़े निरपेक्ष मूल्यों और वृद्धि दर के संदर्भ में एक दूसरे के बहुत निकट हैं।

इसके अलावा, उद्यमों (केन्द्रीय सरकारी उद्यमों) द्वारा पूंजीधारिता की उपयोगिता उत्पादन हेतु उनकी नैगम योजनाओं बाजार स्थितियों और सम्बन्धित प्रबंधन/निदेशक मंडलों द्वारा किए सर्वोत्तम निर्णयों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु निधि

706. श्री जयंत चौधरी: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की योजनागत राशि से कितने प्रतिशत निधि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का उक्त प्रयोजनार्थ निधि आवंटन बढ़ाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण हेतु स्वीकृत राशि के अल्प उपयोग हेतु जिम्मेदार अवरोधों की पहचान की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना आवंटन के लिए योजना आयोग द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय को अनुमोदित राशि रुपये 7000 करोड़ थी। मार्च, 2011 तक मंत्रालय का कुल खर्च रुपये 4540.61 करोड़ आया जो कुल आवंटन का 64.86% बनता है। वार्षिक योजना 2011-12 में रुपये 2850 करोड़ के आवंटन से सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना आवंटन में पहले ही वृद्धि कर दी है।

(ग) कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है, जिससे मंत्रालय के लिए बजटीय निधियों के पूर्ण उपयोग करने में अवरोध उत्पन्न हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पीयूआरए योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी

707. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धि (पीयूआरए) योजना के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(ग) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हेतु आजीविका के अवसर एवं शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में क्षमता विकास केन्द्र के आसपास व्यापक एवं त्वरित विकास का प्रस्ताव है। इस योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे निजी क्षेत्र के सहयोगियों का चयन करना शामिल है जो चुनींदा पंचायतों/पंचायतों के समूह में

आजीविका अवसर, शहरी सुविधाएं तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित कराएं और उनका 10 वर्ष तक रख-रखाव करें।

निजी क्षेत्र के सहयोगियों का चयन करने के उद्देश्य से, दिनांक 15.04.2010 को प्रमुख राष्ट्रीय तथा वित्तीय दैनिक अखबारों में नोटिस दिया गया था, जिसमें निजी क्षेत्र की संसथाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में, 93 ईओआई प्राप्त हुई थी, जिनमें से 45 संगठन ईओआई स्तर पर योग्य पाए गए थे। इन 45 संगठनों को संकल्पना योजना सहित विस्तृत बोली दस्तावेज 07.10.2010 तक प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके उत्तर में 9 संगठनों ने 14 विस्तृत बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 11 प्रस्तावों को उपयुक्त पाया गया था। जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रस्ताव उपयुक्त पाए गए थे, उन्हें 22.02.2011 तक इस मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके उत्तर में, 5 संगठनों ने 8 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रदाता के रूप में ग्राम पंचायत तथा ग्राही के रूप में निजी क्षेत्र विकासकर्ता के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें न्यूनतम सेवा स्तर मानको, कार्यनिष्पादन गारंटियों आदि संबंधी ब्यौरों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र विकासकर्ता के बीच राज्य सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। पुरा क्षेत्रों में, सड़कों, प्रचुर मात्रा में जल तथा विद्युत जैसी मुख्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को इस समझौते का एक हिस्सा बनाया जाएगा। इसके आलावा, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र सहयोगियों, राज्य सरकारों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा अन्रू स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श किया जा रहा है। कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है।

वार्षिक आम सभाओं में वीडियो कान्फ्रेंसिंग

708. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **कॉर्पोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक आम सभाओ (एजीएम) में वीडियों कांफ्रेसिंग की सुविधा अनवार्य कर देने का विचार है ताकि सभी शेयरधारक इन बैठकों में भाग ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत सभी कम्पनियों की वार्षिक महासभा में वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शेयरधारकों की भागीदारी को मान्यता प्रदान की है। इस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 6.6.2011 के परिपत्र द्वारा इसे वित्त वर्ष 2012-13 और आगे आने वाले वर्षों में सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

नई ट्रेनों का संचालन

709. **श्री रुद्रमाधव राय:**
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत रेल बजट में घोषित की गई नई ट्रेनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सभी ट्रेनों ने सेवा प्रारंभ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्यार कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) से (घ) फरवरी, 2011 में 131 जोड़ी नई गाड़ियों की घोषणा पिछले रेलवे बजट में की गई थी। रेकों के आरंभिक अनुरक्षण के आधार पर, इन 131 जोड़ी नई गाड़ियों का क्षेत्रवार वितरण-I पर संलग्न है। पिछले रेलवे बजट में घोषित की गई 33 जोड़ी नई गाड़ियां शुरू कर दी गई हैं और उनका क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। पिछले रेलवे बजट 2011-12 में घोषित की गई नई गाड़ियों को उसी वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चलाया जाता है।

विवरण-I

क्र.सं.	से	तक	प्रकार	रेलवे
1	2	3	4	5
1.	नागपुर	भुसावल	एक्सप्रेस	मध्य
2.	सावंतवाड़ी रोड	मुंबई	राज्य रानी एक्सप्रेस	मध्य

1	2	3	4	5
3.	नागपुर	कोल्हापुर	एक्सप्रेस	मध्य
4.	वसई रोड	दीवा	डीईएमय	मध्य
5.	इलाहाबाद	मुंबई	एसी दूरान्तो	मध्य
6.	पुणे	अहमदाबाद	एसी दूरान्तो	मध्य
7.	पुणे	सिकन्दराबाद	शताब्दी एक्सप्रेस	मध्य
8.	मनमाड	मुबई	राज्य रानी एक्सप्रेस	मध्य
9.	विशाखापत्तनम	कोरापुट	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पूर्व तट
10.	दीघा	पुरी	एक्सप्रेस	पूर्व तट
11.	केन्दूझारगढ़	भुवनेश्वर	फास्ट पैसेंजर	पूर्व तट
12.	कोरापुट	संबलपुर	पैसेंजर	पूर्व तट
13.	वाराणसी	सिंगरौली	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
14.	सहरसा	पटना	राज्य रानी एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
15.	हावड़ा	दरभंगा	एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
16.	बरकाकाना	डेहरी-ऑन-सोन	पैसेंजर	पूर्व मध्य
17.	हावड़ा	अजीमगंज	कवि गुरु एक्सप्रेस	पूर्व
18.	वर्धमान	रामपुरहाट	एक्सप्रेस	पूर्व
19.	कोलकाता	आगरा	एक्सप्रेस	पूर्व
20.	सियालदह	पुरी	नॉन एसी दूरान्तो	पूर्व
21.	हावड़ा	बोलपुर	कवि गुरु एक्सप्रेस	पूर्व
22.	आसनसोल	गोरखपुर	एक्सप्रेस	पूर्व
23.	मालदा टाउन	दीघा	एक्सप्रेस	पूर्व
24.	आसनसोल	गौंडा	एक्सप्रेस	पूर्व
25.	आसनसोल	टाटानगर	एक्सप्रेस	पूर्व
26.	भागलपुर	अजमेर	एक्सप्रेस	पूर्व
27.	कोलकाता	जैसलमेर	एक्सप्रेस	पूर्व
28.	सियालदह	जंगीपुर	डीईएमयू	पूर्व
29.	सियालदह	भगवानगोला-लालगोला	डीईएमयू	पूर्व
30.	कृष्णानगर	बेहरामपुर कोर्ट	डीईएमयू (मेमू)	पूर्व

1	2	3	4	5
31.	रांची	आसनसोल	मेमू	पूर्व
32.	गोरखपुर	यशवंतपुर	एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर
33.	लखनऊ	भोपाल	एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर
34.	हरद्विार	रामनगर	लिंग एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर
35.	डिब्रूगढ़	कन्याकुमारी	विवेक एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर सीमा
36.	सिलघाट	धुबरी	राज्य रानी एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर सीमा
37.	गुवाहाटी	दीमापुर	एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर सीमा
38.	सिलघाट	चपड़मुख	पैसेंजर	पूर्वोत्तर सीमा
39.	सिलीगुडी	दिनहटा	पैसेंजर	पूर्वोत्तर सीमा
40.	न्यू जलपाईगुडी	बलूरघाट	डीईएमयू	पूर्वोत्तर सीमा
41.	राधिकापुर	न्यू जलपाईगुडी	डीईएमयू	पूर्वोत्तर सीमा
42.	राय बरेली	जौनपुर	एक्सप्रेस	उत्तर
43.	दिल्ली	फारूखनगर	पैसेंजर	उत्तर
44.	दिल्ली	पुडुचेरी	एक्सप्रेस	उत्तर
45.	लुधियाना	दिल्ली	शताब्दी एक्सप्रेस	उत्तर
46.	मेरठ	लखनऊ	राज्य रानी एक्सप्रेस	उत्तर
47.	मुंबई	चंडीगढ़	एक्सप्रेस	उत्तर
48.	अबोहर	फजिल्का	पैसेंजर	उत्तर
49.	जोधपुर	हिसार	फास्ट पैसेंजर	उत्तर पश्चिम
50.	निजामुद्दीन	अजमेर	नोंन एसी दूरान्तो	उत्तर पश्चिम
51.	जयपुर	दिल्ली	डबल डेकर	उत्तर पश्चिम
52.	जयपुर	आगरा	शताब्दी एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
53.	गुवाहटी	जयपुर	कवि गुरु एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
54.	बीकानेर	दिल्ली	सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
55.	शालीमार	उदयपुर	एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
56.	कोलकाता	अजमेर	एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
57.	जोधपुर	दिल्ली	एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
58.	पुणे	नांदेड	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य

1	2	3	4	5
59.	हैदराबाद	दरभंगा	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
60.	नसरपुर	नागरोल	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
61.	सिकन्दराबाद	विशाखापत्तनम	एसी दूरान्तो	दक्षिण मध्य
62.	तिरुपति	अमरावती	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
63.	हावड़ा	नांदेड	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
64.	तिरुपति	गुंतकल	पैसेंजर	दक्षिण मध्य
65.	फलुकनामा	मेड़छाल	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
66.	मिरियालगुडा	नाडीकुडी	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
67.	काचेगुडा	रायचूर	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
68.	रायचुर	गडवाल	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
69.	जालना	नगरसोल	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
70.	निजामाबाद	सिकन्दराबाद	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
71.	काचेगुडा	मिरियालगुडा	डीईएमयू	दक्षिण मध्य
72.	फलकनुमा	बोंगीर	मेमू	दक्षिण मध्य
73.	बिलासपुर	एर्णाकुलम	सुपरफास्ट एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व मध्य
74.	बिलासपुर	कटनी	पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य
75.	रायपुर	कोरबा	पैसेंजर	दक्षिण पूर्व मध्य
76.	गोंदिया	बल्लारशाह	डीईएमयू	दक्षिण पूर्व मध्य
77.	संतरागाछी	तिरुपति	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
78.	पुरी	शालीमार	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
79.	दीघा	विशाखापत्तनम	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
80.	शालीमार	पटना	दूरान्तो	दक्षिण पूर्व
81.	संतरागाछी	मंगलोर	विवेक एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
82.	बांकुरा	शालीमार	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
83.	झारसुगुडा	भुवनेश्वर	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
84.	हावड़ा	सिकन्दराबाद	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
85.	हटिया	पुणे	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
86.	हावड़ा	मैसूर	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व

1	2	3	4	5
87.	शालीमार	विशाखापत्तनम	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
88.	बारीपदा	बांगरीपोसी	डीईएमयू	दक्षिण पूर्व
89.	मिदनापुर	झारग्राम	मेमू	दक्षिण पूर्व
90.	झारग्राम	पुरुलिया	मेमू	दक्षिण पूर्व
91.	कोयम्बटूर	तुतीकोरिन	लिंक एक्सप्रेस	दक्षिण
92.	कोयम्बटूर	मेट्टुपलायम	पैसेंजर	दक्षिण
93.	चेन्नै	सिरडी	एक्सप्रेस	दक्षिण
94.	एर्णाकुलम	बंगलोर	एक्सप्रेस	दक्षिण
95.	मदुरै	चेन्नै	एसी दूरान्तो	दक्षिण
96.	चेन्नै	तिरुवनन्तपुरम	एसी दूरान्तो	दक्षिण
97.	नीलांबुर रोड	तिरुवनन्तपुरम लिंक	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण
98.	खड़गपुर	विलुपुरम	एक्सप्रेस	दक्षिण
99.	पुरुलिया	विलुपुरम	एक्सप्रेस	दक्षिण
100.	मंगलोर	पलक्काड	इंटरसिटी एक्सप्रेस	दक्षिण
101.	एर्णाकुलम	कोल्लम	मेमू	दक्षिण
102.	कोल्लम	नगरकोइल	मेमू	दक्षिण
103.	मैसूर	बेंगलोर	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
104.	यशवंतपुर	मैसूर	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
105.	बंगलोर कैंट	बंगारपेट	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
106.	धर्मपुरी	बेंगलोर	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
107.	मारिकुप्पम	बंगारपेट	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
108.	कोलार	बेंगलोर	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
109.	बंगारपेट	कोप्पम	मेमू	दक्षिण पश्चिम
110.	मैसूर	चेन्नै	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
111.	वास्को	वेलंकनी	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
112.	दामोह	भोपाल	राज्य रानी एक्सप्रेस	मध्य पश्चिम
113.	जबलपुर	इंदौर	इंटरसिटी एक्सप्रेस	मध्य पश्चिम
114.	इंदौर	कोटा	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पश्चिम मध्य

1	2	3	4	5
115.	रतलाम	नीमच	डीईएमयू	पश्चिम
116.	रतलाम	चित्तौड़गगढ़	डीईएमयू	पश्चिम
117.	वसई रोड	पनवेल	मेमू	पश्चिम
118.	मुंबई सेंट्रल	नई दिल्ली	एसी दूरान्तो	पश्चिम
119.	अहमदाबाद	मुंबई	डबल डेकर	पश्चिम
120.	द्वारका	तूतीकोरिन	विवेक एक्सप्रेस	पश्चिम
121.	बांद्रा (टर्मि.)	जम्मू तवी	विवेक एक्सप्रेस	पश्चिम
122.	पोरबन्दर	हावड़ा	कवि गुरु एक्सप्रेस	पश्चिम
123.	अहमदाबाद	यशवन्तपुर	एसी एक्सप्रेस	पश्चिम
124.	भावनगर	कोचुवेल्ली	एक्सप्रेस	पश्चिम
125.	भुज	दादर	एक्सप्रेस	पश्चिम
126.	पोरबन्दर	कोचुवेल्ली	एक्सप्रेस	पश्चिम
127.	पुरी	गांधीधाम	एक्सप्रेस	पश्चिम
128.	उदयपुर	बांद्रा (टर्मि.)	एक्सप्रेस	पश्चिम
129.	वाराणसी	अहमदाबाद	एक्सप्रेस	पश्चिम
130.	भुज	पालनपुर	पैसेंजर	पश्चिम
131.	अहमदाबाद	पाटन	डीईएमयू	पश्चिम

विवरण-II

क्र.सं.	से	तक	प्रकार	रेलवे
1	2	3	4	5
1.	नागपुर	भुसावल	एक्सप्रेस	मध्य
2.	सावंतवाड़ी रोड	मुंबई	राज्य रानी एक्सप्रेस	मध्य
3.	नागपुर	कोल्हापुर	एक्सप्रेस	मध्य
4.	वसई रोड	दीवा	डीईएमयू	मध्य
5.	वाराणसी	सिंगरौली	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
6.	हावड़ा	अजीमगंज	कवि गुरु एक्सप्रेस	पूर्व
7.	वर्धमान	रामपुर हाटा	एक्सप्रेस	पूर्व
8.	कोलकाता	आगरा	एक्सप्रेस	पूर्व

1	2	3	4	5
9.	राय बरेली	जौनपुर	एक्सप्रेस	उत्तर
10.	दिल्ली	फरूखनगर	पैसेंजर	उत्तर
11.	दिल्ली	पुडुचेरी	एक्सप्रेस	उत्तर
12.	जोधपुर	हिसार	फस्ट पैसेंजर	उत्तर पश्चिम
13.	पुणे	नांदेड	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
14.	हैदराबाद	दरभंगा	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
15.	नसरपुर	नगरसोल	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
16.	संतरागाछी	तिरुपति	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
17.	पुरी	शालीमार	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
18.	दीघा	विशाखापत्तनम	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
19.	कोयम्बटूर	तुतीकोरिन	लिंक एक्सप्रेस	दक्षिण
20.	कोयम्बटूर	मेट्टुपलायम	पैसेंजर	दक्षिण
21.	चेन्नै	शिरडी	एक्सप्रेस	दक्षिण
22.	एर्णाकुलम	बेंगलोर	एक्सप्रेस	दक्षिण
23.	मैसूर	बेंगलोर	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
24.	यशवंतपुर	मैसूर	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
25.	बेंगलोर कैंट	बंगारपेट	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
26.	धर्मपुरी	बेंगलोर	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
27.	मारीकुप्पम	बंगारपेट	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
28.	कोलार	बंगलोर	डीईएमयू	दक्षिण पश्चिम
29.	बंगारपेट	कोप्पम	मेमू	दक्षिण पश्चिम
30.	मैसूर	चेन्नै	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
31.	रतलाम	नीमच	डीईएमयू	पश्चिम
32.	रतलाम	चित्तौड़गढ़	डीईएमयू	पश्चिम
33.	वसई रोड	पनवेल	मेमू	पश्चिम

जादेश्वर में रेल सेतु

710. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का गुजरात स्थित जादेश्वर में नर्मदा नदी पर एक अतिरिक्त रेल सेतु बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में रेल समपार

711. श्री यशवंत लागुरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कुल कितने रेल समपार है;

(ख) इन रेल समपारों पर कितने उपरिपुल तथा अधोगामी पुल है; और

(ग) इनमें से अधिकांश समपारों पर होने वाले यातायात जाम को दूर करने के लिए रेलवे में अन्य और कौन से उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उड़ीसा में कुल 1091 अदद समपार हैं (449 चौकीदार वाले और 642 बिना चौकीदार वाले)।

(ख) इन समवारों पर कोई ऊपरी पुल और निचले पुल नहीं हैं। बहरहाल, उड़ीसा में 82 ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) और 78 निचले सड़क पुल (आरयूबी) हैं।

(ग) ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं:

1. उन व्यस्त समपारों के स्थान पर, जहां गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) 1 लाख से अधिक है और उन समपारों के स्थान पर भी, जो विभिन्न स्टेशन यार्डों/उपनगरीय क्षेत्रों, जहां टीवीयू 1 लाख से कम है, लागत में हिस्सेदारी के आधार पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। इन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, इन्हें स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती हैं और तदनुसार निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं।

2. उन स्थानों पर जहां साईट तकनीकी रूप से व्यवहारिक है वहां चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले समपारों को हटाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक के सबवे रेलों की अपनी लागत पर निर्मित किए जा रहे हैं, बशर्ते समपारों को बंद किए जाने के लिए राज्य सरकार सहमत हो।

बिहार में खोले गए पेट्रोल पंप

712. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार के पटना और दरभंगा जिलों में खोले गए पेट्रोल पंपों की कंपनी-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पंपों के लिए स्क्रीनिंग हुई है, उन्हें अभी भी स्थापित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार के पटना जिले में 19 खुदरा बिक्री केन्द्र और दरभंगा जिले में 10 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए हैं। इन आरओज के ब्यौरे ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) 39 आरओज, जिनके लिए इन दो जिलों हेतु साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, सांविधिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना, भूति की अधिप्राप्ति, शिकायतों की जांच और न्यायालय में चल रहे मुकदमें आदि जैसे विभिन्न कारणों से अभी चालू किए जाने हैं।

(घ) ओएमसीज ने सूचित किया है कि आरओ डीलरशिप्स को चालू करने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि आरओ डीलरशिप्स स्थापित करने की प्रक्रिया में विज्ञापन जारी करना, आवेदनों और दस्तावेजों की संवीक्षा, डीलरों/वितरकों के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करना, योग्यता पेनल जारी करना, चयनित उम्मीदवारों के संबंध में क्षेत्र जांच, आशय पत्र जारी करना, विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों से विभिन्न अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आदि जैसे कदम शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

विचाराधीन कैदी

713. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) देश में त्वरित न्याय सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। विधि और न्याय मंत्रालय ने जेलों में भइड़ कम करने के उद्देश्य से 26 जनवरी, 2010 से 'न्याय परिदान और विधि सुधार संबंधी मिशन पद्धति कार्यक्रम-विचाराधीन कैदी कार्यक्रम' आरंभ किया है। उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री/राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5,62,397 विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है और 26.01.2010 से 31.05.2011 तक की अवधि के दौरान 77,940 विचाराधीन कैदी उन्मोचित किए गए हैं।

(ग) सभी न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए सरकार ने नीचे यथावर्णित अनेक उपाए किए हैं:-

1. सरकार ने 'राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन' की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

   - प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना।

   - संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को नियत करके जवाबदेही में अभिवृद्धि करना।

   अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक विकास के प्रति मिशन पद्धति का दृष्टिकोण राष्ट्रीय न्याय परिदान मिशन के ओधन मुख्य पहलों में है, जिसको सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना की अपर्याप्तता, न्याय के शीघ्र परिदान में एक अड़चन रही है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के लिए आबंटन में रुपये 100 करोड़ से रुपये 500 करोड़ तक पांच गुणा वृद्धि की गई है। राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न में भी 50:50 से 75:25 तक की वृद्धि की गई है और उसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 जारी रखा गया है।

2. सरकार ने, पांच वर्ष की अवधि 2010-2015 के दौरान देश में न्याय प्रदान प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्यों को रुपये 5000 करोड़ का अनुदान उपलबध कराने हेतु तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वर्ष, 2010-11 के दौरान राज्यों को पहले ही रुपये 1000 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य इन अनुदानों की सहायता से, लंबित मामलों को कम करने के लिए, प्रातःकालीन/सायं कालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय, स्थापित कर सकते हैं, न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति, एडीआर केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं और मध्यकताओं/मध्यस्थों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, अधिक लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, राज्य न्यायिक अकादमियों को सशक्त करने के लिए, लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण और हेरिटेज न्यायालय भवनों के रखरखाव के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

3. न्याय परिदान प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, सरकार रुपये 935 करोड़ की अनुमानित लागत पर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय परियोजना तथा उच्चतर न्यायालयों तथा आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन को कार्यान्वित कर रही है। 31 मार्च, 2012 तक 12000 न्यायालयों और 31 मार्च, 2014 तक 14,249 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है। न्यायालय प्रबंध और मामला प्रबंध, परियोजना के अधीन सृजित राष्ट्रीय बकाया मामले ग्रिड के माध्यम से किए जा सकता है।

4. तेरहवें वित्त आयोग ने, रुपये 5000 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करते समय राज्य मुकदमा नीति तैयार करने के पश्चात् ही दूसरे वर्ष की किस्त जारी किए जाने के लिए शर्त बनाई है। राज्य मुकदमा नीति तैयार की जानी है जिसका उद्देश्य सरकार को दक्ष और जिम्मेदार मुकदमेबाज में बदलना है। यदि ऐसे मामलों, जिनमें सरकार अंतर्वलित है, कम हो जाते हैं तो न्यायालयों के पास लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मामलों की बड़ी संख्या का निपटान करने के लिए समय होगा।

5. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का अधिनियमन, जो निर्धन व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। चालू वर्ष में आबंटन को रुपये 40 करोड़ से बढ़ाकर रुपये 150 करोड़ कर दिया गया

है। अभी तक 151 ग्राम न्यायालय राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

6. माननीय विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के सभी न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है कि वे जुलाई-दिसंबर, 2011 तक न्यायालय में मामलों की लंबित संख्या को कम करने के लिए और इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए भी अभियान आरंभ करें। रिक्तियां और विलंब अनिवार्य रूप से सहबद्ध हैं इसलिए रिक्तियों को भरने के लिए अभियान पद्धति दृष्टिकोण आरंभ किया जाना आवश्यक है। कम से कम 50% रिक्तियां दिसंबर, 2011 तक अधीनस्थ न्यायालयों की बाबत भरी जा सकती हैं।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

714. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के अधीन सकरी से झंझारपुर और झंझारपुर से निर्मली तथा झंझारपुर से लौकहा तक आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक आबंटित तथा उपयोग की गयी निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्गों पर रेल पटरियों तथा स्टेशनों को ऊंचा करने तथा स्टेशनों को आधुनिक बनाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा आद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) क्या निर्मली, घोघरडीहा तथा झंझारपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सकरी-निरमली-झंझारपुर के बीच मिट्टी संबंधी और छोटे/बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है। कमला बालां नदी पर महत्त्वपूर्ण पुल का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

(ख)	आबंटित धनराशि	-	170.30 करोड़ रु. (डिपोजिट)
	उपयोग की गई धनराशि 10-11	-	38.78 करोड़ रुपये
	11-12	-	23.87 करोड़ रुपये
	कुल	-	62.65 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) जी हां। रेलपथ और स्टेशनों का आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन किया जा रहा है। रेलपथ संरचना में 1660 स्लीपर प्रति कि.मी. और 250 मि.मी. गिट्टी कुशन और सिगनल व्यवस्था रंगीन रोशनी वाली सिगनल व्यवस्था शामिल है।

(ङ) निरमली, घोझारडीहा और झंझारपुर यात्री आरक्षण प्रणाली स्थल ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जहां बिजली की सप्लाई और लिंक संपर्कता बहुत खराब है। अत: कई बार ये सेवाएं प्रभावित होती है।

(च) बिजली सप्लाई में सुधार करने के लिए जेनरेटर और सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा, लिंक समस्या के निराकरण के लिए बीएसएनएल प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

20 डिब्बों की राजधानी एक्सप्रेस

715. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का अहमदाबाद-नई दिल्ली मार्ग पर नियमित रूप से बीस डिब्बों वाली राजधानी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। इस समय, अहमदाबाद-नई दिल्ली मार्ग पर 20 सवारी डिब्बों वाली राजधानी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

वाहन मालिकों द्वारा एलपीजी का उपयोग

716. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में वाहन मालिकों द्वारा कुल कितनी मात्रा में एलपीजी का उपयोग किया गया है;

(ख) गुजरात में वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए कितने एलपीजी खुदरा एककों की स्थापना की गयी है;

(ग) क्या राज्य में वाहन क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का और अधिक एलपीजी खुदरा एककों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से ऑटो एलपीजी की बिक्री 30764 मीट्रिक टन (एमटी) थी।

(ख) दिनांक 1.7.2011 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज गुजरात राज्य में 47 ऑटो एलपीजी वितरण केन्द्रों (एएलडीएस) का प्रचालन कर रही हैं।

(ग) और (घ) चूंकि गुजरात के सभी क्षेत्रों में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ढ़ांचा के विस्तार के कारण ऑटो एलपीजी की मांग लगातार कम हो रही है इसलिए ऑटो एलपीजी की मांग में कमी के कारण ओएमसीज के पास राज्य में कोई और एएलडीएस स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भेषज कंपनियां

717. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र की भेषज कंपनियों के नाम है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उनको हुए लाभ/ हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने नए व्यासय क्षेत्रों में प्रवेश के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सावर्जनिक क्षेत्र की निम्नलिखित औषध कंपनियां इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है:

1. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, (एचएएल), पिंपरी, पुणे
2. बंगाल केमिकल तथा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, (बीसीपीएल), कोलकाता
3. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, (आईडीपीएल), गुड़गांव
4. कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, (केएपीएल), बैंगलुरू
5. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, (आरडीपीएल), जयपुर
6. बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, (बीआईएल), कोलकाता
7. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, (एसएंसपीएल), कोलकाता

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के लाभ/हानि का विववरण इस प्रकार है:-

करोड रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5
केएपीएल	05.19	06.00	11.50	18.70
आरडीपीएल	03.84	0.23	01.19	01.92

1	2	3	4	5
आईडीपीएल	(438.88)	(481.40)	(526.74)*	(477.10)
बीसीपीएल	(9.80)	(05.35)*	(05.33)*	(06.30)
एचएएल	(20.71)	(22.09)	(49.98)*	(42.42)

*अनन्तिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े हानि के आंकड़े हैं।

क्रम संख्या 6 और 7 पर उल्लिखित कंपनियां बंद हो चुकी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियां

718. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दिल्ली से जोधपुर तक बरास्ता पाली एक नई रेल सेवा का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव हैं जिसे देगाना-रत्लागढ़ रेल लाइन के आमान परिवर्तन के बाद शुरू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार पश्चिम रेलवे में नई रेलगाड़ियां चलाने तथा लम्बी दूरी की मौजूदा रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 22481/22482 जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस (सपताह में दो दिन) की घोषणा रेल बजट 2011-12 में की गई है। इस गाड़ी को पाली-मारवाड़ तक चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) पश्चिम रेलवे पर 20 जोड़ मेल/एक्सप्रेस, 1 जोड़ी मेमू, 4 जोड़ी डेमू और 47 उपनगरीय गाड़ियां चलाने तथा 8 जोड़ी गाड़ियों के फेरे बढ़ाने के संबंध में रेल बजट 2011-12 में घोषणा की गई है। इनमें से, अभी तक 1 जोड़ी मेमू, 3 जोड़ी डेमू गाडियां चला दी गई हैं और 3 जोड़ी गाडियों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं रेल बजअ 2011-12 में घोषित गाडियों के अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान 1 जोड़ी डेमू, 1 जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चलाने और 1 जोड़ी पैसेंजर गाड़ी के फेरे बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

719. श्री अधीर चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित लाइनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त वित्तीय व्यय का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (रेल परियोजनाओं की राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जाता, बहरहाल, चलू विद्युतीकरण कार्यों का कुल एवं शेष मार्ग किलोमीटर का रेलवे-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

चालू रेल विद्युतीकरण निर्माण कार्य

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	कुल मार्ग किमी (आरकेएम)	01.04.11 को शेष आरकेएम	शामिल राज्य
1	2	3	4	5
1.	मध्य	681	681	महाराष्ट्र, कर्नाटक

1	2	3	4	5
2.	पूर्व	284	284	पश्चिम बंगाल, झारखंड
3.	पूर्व मध्य	480	200	बिहार
4.	पूर्व तट	801	651	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़
5.	उत्तर	2039	1054	जम्मू एवं कमश्री, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमालच प्रदेश, उत्तर प्रदेश
6.	उत्तर मध्य	362	275	उत्तर प्रदेश, राजस्थान
7.	पूर्वोत्तर	549	362	उत्तर प्रदेश, बिहार
8.	पूर्वोत्तर सीमा	661	661	बिहार, पश्मिच बंगाल, असम
9.	उत्तर पश्चिम	151	151	राजस्थान, हरियाणा
10.	दक्षिण	1160	605	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक
11.	दक्षिण मध्य	1024	741	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
12.	दक्षिण पूर्व	94	94	पश्चिम बांगल
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	250	250	महाराष्ट्र
14.	दक्षिण पश्चिम	356	345	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
15.	पश्चिम	274	139	गुजरात, मध्य प्रदेश
16.	पश्चिम मध्य	0	0	
	कुल	9166	6493	

(ख) 2011-12 के दौरान विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	खंड	आरकेएम	राज्यों
1	2	3	4	5
1.	मध्य	मनमाड-वामबोरी और पुणताम्बे-शिर्डी	140	महाराष्ट्र
2.	पूर्व	सैंथिया-नैलहाटी	40	पश्चिम बंगाल
3.	पूर्व	पांडाबेश्वर-सैंथिया	50	पश्चिम बंगाल
4.	पूर्व मध्य	बेगूसराय-नारायणपुर	80	बिहार
5.	उत्तर	मुहीउद्दीनपुर-गाजियाबाद	37	उत्तर प्रदेश
6.	उत्तर	नगरिया सादत-रामपुर	37	उत्तर प्रदेश
7.	उत्तर	पठानकोट-हीरा नगर	56	पंजाब/जम्मू एवं कश्मीर
8.	उत्तर	जम्मू तवी-बाजा लता	14	जम्मू एवं कश्मीर
9.	उत्तर	सुल्तानपुर-श्री कृष्णानगर	53	उत्तर प्रदेश

10.	उत्तर मध्य	ऐट-लालपुर	90	उत्तर प्रदेश
11.	पूर्वोत्तर	वाराणसी-सुरियावां	60	उत्तर प्रदेश
12.	पूर्वोत्तर	गोंडा-भबनान ज्योतिया	50	उत्तर प्रदेश
13.	पूर्वोत्तर	सीवान-भटन	50	बिहार
14.	पूर्वोत्तर सीमा	कटिहर-कुमेदपुर-बारसोई	57	बिहार/पश्चिम बंगाल
15.	पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार-मुकुरिया	33	बिहार
16.	दक्षिण	कदम्बूर-वंची मनियाछी-तूतीकोरिन	53	तमिलनाडु
17.	दक्षिण	वंची मनियाछी-तिरुनेलवेली	27	तमिलनाडु
18.	दक्षिण	तिरूकोविलूर-पोलूर	70	तमिलनाडु
19.	दक्षिण	शोरावण्णूर-तिरूनवया	35	केरल
20.	दक्षिण मध्य	मलख्याड रोड-वाडी	23	कर्नाटक
21.	दक्षिण मध्य	कोन्डापुरम-गुत्ती	20	आंध्र प्रदेश
22.	दक्षिण पश्चिम	हेजाला-चन्नापटना	35	कर्नाटक
		कुल	1110	

(ग) 2011-12 के दौरान चालू और निर्धारित लक्ष्यों वाले विद्युतीकरण संबंधी कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त निधियों का आबंटन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

न्यायिक आवासीय भवन

720. श्रीमती कमला देवी पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से 10 वर्षीय संदर्शी योजना के अधीन न्यायिक और आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव प्रप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले दो वर्षों के लिए नए कोर्ट रूप के निर्माण और पुराने कोर्ट रूप के पुनर्निर्माण तथा आवासीय भवनों के लिए प्रस्तावित राशि संस्वीकृत कर दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) न्याय विभाग, इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर हा है। स्कीम के अंतर्गत, न्यायालय भवनों का संनिर्माण और अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की आवासीय प्रसुविधा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के दौरान, आवासीय क्वाटर्स और न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए निधियों की अपेक्षा संबंधी जानकारी, दस वर्षीय संदर्श योजना के अधीन अगले दस वर्षों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से मांगी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दस वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय क्वाटर्स के संनिर्माण के लिए रुपये 67.27 करोड़ की राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए रुपये 3000 करोड़ की कुल परियोजित अपेक्षा के मुकाबले में, योजना आयोग ने, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए रुपये 701.08 करोड़ का उपबंध किया था।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार को 9.56 करोड़ की एक रकम जारी की गई थी। तारीख 31.07.2011 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किए गए कुल रुपये 39.39 करोड़ हैं, जिसमें वर्ष 2011-12 में जारी की गई रुपये 16.78 करोड़ की रकम सम्मिलित है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रभाव

721. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब देशों में विद्रोह के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि से उर्वरकों की कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाई-अमोनियम फॉस्फेट की लागत में और वृद्धि होने और उर्वकरों की कमी के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सामान्यत: भारत अमोनिया, यूरिया, डीएपी, मिश्रित उर्वरकों की कुछ ग्रेड़ों, सल्फर और कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों का आयात अरब देशों से करता है, अरब में अस्थिरता उत्पन्न होने से इन देशों से इन उर्वरकों और कच्ची सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यह तथ्य है कि पिछले एक वर्ष के दौरान उर्वरकों और आदानों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न उर्वरकों और कच्ची सामग्री के मूल्यों को दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य पर निर्भर है और इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। सरकार ने 2011-12 में पहले ही डीएपी की प्रति टन राजसहायता को बढ़ाकर 19,763 रुपये प्रति टन कर दिया है इसकी तुलना में वर्ष 2010-11 में यह केवल 15,968 रुपये प्रति टन थी।

विवरण

(अमेरिका डालर प्रति मी. टन)

माह	डीएपी (सीएण्डएफ)	एमओपी (एफओबी)	यूरिया (एफओबी)	फॉस एसिड (सीएण्डएफ)	अमो. (सीएण्डएफ)	सल्फ. (सीएण्डएफ)	रॉक (सीएण्डएफ)
अप्रैल, 10	536.60	347.50	285.00	775.00	398.80	192.10	145.80
मई, 10	528.00	338.75	256.25	775.00	365.63	159.88	159.00
जून, 10	510.13	330.00	239.00	775.00	349.13	116.00	159.00
जुलाई, 10	508.60	330.00	261.90	780.00	336.10	93.40	160.40
अगस्त, 10	547.38	330.00	285.00	780.00	346.38	141.13	162.50
सितम्बर, 10	581.90	336.00	316.50	780.00	375.30	177.30	162.50
अक्टूबर, 10	617.38	361.25	343.75	780.00	411.88	186.88	162.50
नवम्बर, 10	628.75	380.00	380.63	780.00	431.25	192.75	163.63
दिसम्बर, 10	637.38	380.63	384.50	780.00	434.00	189.50	164.88
जनवरी, 11	640.00	382.50	391.00	830.00	434.13	179.75	167.50
फरवरी, 11	654.25	385.00	387.50	830.00	453.25	206.50	162.63
मार्च, 11	673.20	409.50	357.10	830.00	485.00	223.10	161.00
अप्रैल, 11	663.75	437.57	343.25	980.00	507.00	234.83	168.88
मई, 11	659.00	437.50	404.38	980.00	510.38	242.50	192.50
जून, 11	680.75	462.50	495.50	980.00	527.40	240.10	194.50

एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम

722. श्री ए. सम्पत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन संस्वीकृत निधियों की कुल राशि का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) को वर्ष 2009-2010 में आरंभ किया गया था। अत: आई-डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी थी। आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं कार्यान्वयन आरंभिक चरण में हैं।

विवरण

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं तथा जारी की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		योग	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	110	30.68	171	119.8	281	150.48
2.	बिहार						
3.	छत्तीसगढ़	41	13.69	71	50.38	112	64.07
4.	गोवा						
5.	गुजरात	151	50.23	141	161.73	292	211.96
6.	हरियाणा						
7.	हिमाचल प्रदेश	36	16.51	44	57.77	80	74.28
8.	जम्मू और कश्मीर						
9.	झारखंड	20	7.64	22	24.1	42	31.74
10.	कर्नाटक	119	81	127	70.96	246	151.96
11.	केरल			26	11.01	26	11.01
12.	मध्य प्रदेश	116	43.48	99	113.25	215	156.73
13.	महाराष्ट्र	243	67.77	370	208.14	613	275.91
14.	उड़ीसा	65	21.77	62	73.47	127	95.24

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पंजाब	6	2.29	13	3.45	19	5.74
16.	राजस्थान	162	69.92	213	257.47	375	327.39
17.	तमिलनाडु	50	16.17	62	60.16	112	76.33
18.	उत्तर प्रदेश	66	22.68	183	132.13	249	154.81
19.	उत्तराखंड			39	15.97	39	15.97
20.	पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर राज्य						
21.	अरुणाचल प्रदेश	13	5.45	32	20.08	45	25.53
22.	असम	57	32.53	86	40.83	109	73.36
23.	मणिपुर			27	10.37	27	10.37
24.	मेघालय	18	2.43	29	9.88	47	12.31
25.	मिजोरम	16	5.06	16	17.14	32	22.2
26.	नागालैंड	22	8.56	19	26.71	41	35.27
27.	सिक्किम	3	1.17	3	3.88	6	5.05
28.	त्रिपुरा	10	2.45	10	8.16	20	10.61
	कुल योग	1324	501.47	1865	1496.84	3155	1998.31

*आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

टिप्पणी: आई.डब्ल्यू.एम.पी. को संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ किए जाने संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए अतिरिक्त रेल-गाडियां/डिब्बे

723. **श्री राकेश सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करने दवाले श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों तथा डिब्बों का कोई प्रबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पश्चिम मध्य रेल जोन, जबलपुर सहित जोन/राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) यातायात के स्वरूप, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले भक्तों सहित व्यस्त अवधियों, त्यौहारों और विशेष आयोजनों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए विभिन्न खंडों में विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं और नियमित गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ जाते हैं। भक्तों के विशिष्ट समूह के लिए चलाई गई विशेष गाड़ियों और जोड़े गए अतिरिक्त सवारी डिब्बों का अलग से डाटा नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के एकक

724. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोई इकाई लाभ अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोटा कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा निधियों के अन्यत्र उपयोग के कारण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पालाक्काड़ एकक को पेश आ रही समस्याओं से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कंपनी के एक लाभ अर्जित करने वाली एकक के लिए वित्तीय समस्याओं का कारण बनने वाले निधियों के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इंस्ट्रूमेंटेशन (आईएल) हानि उठाने वाली कंपनी है जिसके सभी प्रचालनों का संयुक्त वार्षिक लेखा है। आईएल के पालक्काड इकाई के प्रचालन लाभप्रद है।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान बिक्री कारोबार तथा लाभ के रूप में पालक्काड यूनिट का निष्पादन नीचे दिया गया है:-

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	करोबार	लाभ
2008-09	91.74	16.03
2009-10	100.21	15.89
2010-11 (अनंतिम)	101.96	13.48

(ग) कंपनी की समग्र निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्पोरेट कार्यालय द्वारा कंपनी की यूनिटों से निधियां हस्तांतरित की जाती है। तथापि, कार्पोरेट कार्यालय द्वारा पालक्काड यूनिट को उनकी नकदी संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त निधियां प्रदान की जा रही है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति

725. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचीबद्ध कंपनियों के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को कम्पनयिों द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों तथा सरकारी कम्पनियों के समान सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में भी एक विनियामक प्राधिकरण द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी अधिनियम के तहत निगमित कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 224 के तहत नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

726. श्रीमती जे. शांता: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण शिक्षित युवाओं में पंचायतों जैसी संस्थाओं जिन्हें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु अवसंरचना सृजित करने के लिए पर्याप्त निधियां दी जाती हैं, को चलाने में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या निर्माण, आतिथ्य, वस्त्र, सुरक्षा सेवाओं आदि क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण कामगारों की मौजूदा कुशलताओं में सुधार हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवसंरचना सृजित करने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल स्व-सहायता समूहों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) इस समय पंचायत जैसी संस्थाओं के संचालन में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण, आतित्य सत्कार, वस्त्र, सुरक्षा सेवा आदि के क्षेत्र में ग्रामीण बीपीएल युवाओं को नियोजन संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। नियोजन संबद्ध कौशल विकास परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय परियोजना की कुल लागत के 75 प्रतिशत हिस्से तक अनुदान के जरिए कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता देती हैं कार्यान्वयन एजेंसी अथवा संबंधित राज्य सरकार शेष 25 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति करती है। मंत्रालय ने 11. 50 लाख ग्रामीण बीपीएल युवाओं को कवर करने के लिए अब तक 148 नियोजन संबद्ध कौशल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ङ) अवसंरचना सृजित करने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल स्व-सहायता समूहों के संबंध में जानकारी नहीं रखी जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में सीएसआईआर प्रयोगशालाएं

727. श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कोई प्रयोगशाला स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान में वर्तमान में प्रचालित इस प्रकार की प्रयोगशालाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में स्थित इन प्रयोगशालाओं की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रयोगशालाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (अश्विनी कुमार): (क) जी हां। सरकार ने वर्ष 1953 में राजस्थान में पिलानी में "केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीईईआरआई)" की स्थाना की है जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की घटक प्रयोगशाला है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किसी नई प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है। सीईईआरआई, राजस्थान में सीएसआईआर की एकमात्र प्रयोगशाला है।

(ग) सीईईआरआई ऐसा अग्रणी अनुसंधान संस्थान है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ज्ञानाधार विकसित किया है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीईईआरआई द्वारा विकसित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों/तकनीकी जानकारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(घ) फोकस उच्च विज्ञान; नवोन्मेष और पराविषयी संसाधन विकास करने पर है जिसके लिए प्रयोगशालाओं को आवश्यक क्रियाविधियां एवं सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीईईआरआई की उपलब्धियां निम्नवत है-थर्मियोनिक एमिशन माइक्रोस्कोप, मल्टी-सिरामिक आरएफ विंडो; डाइइलेट्रिक बैरियर डिस्चार्ज (डीबीडी) आधारित बीयूवी/डीवी एक्जाइमर सोर्स का विकास; 140 वाट स्पेस टीडब्ल्यूटी का डिजाइन; कोयला खदानों में आपदा प्रशमन हेतु प्रौद्योगिकी; आंतरिक दोषों (बीजीय घुन तथा स्पंजी ऊतक) वाले अल्फांसो आमो की छटाई हेतु एक्स-रे इमेजिंग आधारित स्वचालित मशीन; समुदाय आधारित आरओ प्लांट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए सॉलिड स्टेट वर्सेटाइल पल्सर; भारत की पहली गाइरोट्रोन ट्यूब (थर्मो न्यूक्लीयर फ्यूजन में उपयोगार्थ 200 केडब्ल्यू; 42 गिगा हर्ट्स) का डिजाइन; एस-बैंड 6 एमडब्ल्यू फल्स्ड क्लाइस्ट्रोन के प्रथम प्रोटोटाइप का विकास; एनआईआर आधारित प्लास्टिक वेस्ट सोर्टिंग मशीन का विकास; खाद्य तेल निर्माण उद्योग के लिए खाद्य तेल में फ्री फैटी एसिड्स और फरॉक्साइड वाल्व के ऑन-लाइन निर्धारण हेतु एनआईआर आधारित इलेक्ट्रॉनिक कीमोमीट्रिक इंस्ट्रूमेंट का विकास, सिंथेटिक मिल्क का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टंग का विकास; इसरो के लिए एमईएमएस आधारित एकॉस्टिक सेंसर; इसरो के लिए एमईएमएस आधारित प्रेशर सेंसर और आईएसएफईटी आधारित pH और ऑयन-सलेक्टिव सेंसर।

[अनुवाद]

स्वजलधारा योजना

728. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान स्व जलधारा योजना के अधीन महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों की राशि तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं को कार्यान्वयन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) स्वजल धारा योजना को वर्ष 2007-08 से समाप्त कर दिया गया है तथा उसके बाद राज्यों को कोई निधियाँ आबंटित नहीं की गई है। भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में स्वजल धारा योजना के लिए निधियाँ आबंटित नहीं की हैं। उक्त अवधि में निधियों के उपयोग के ब्यौरे, राज्य स्तर पर रखे जाते हैं।

(ख) पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में स्वजल धारा योजना के कार्यान्वयन में हुई किसी अनियमितताओं से अवगत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एस एस डी पी के अधीन संस्वीकृत/जारी निधियां

729. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए अल्पसंख्यकों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी) के अधीन सरकार द्वारा संस्वीकृत तथा जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एम एस डी पी के अधीन अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सभी राज्यो द्वारा इन निधियों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वीकृत और जारी की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम सं. (VII) में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश के 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, में वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अधीन अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। 2010-11 के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र वित्त वर्ष की समाप्ति के 12 महीने बाद देय होंगे। परियोजनाओं के कार्यान्वयन विशेषत: निर्माण कार्यकलापों में तेजी लाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का इष्टतम उपयोग किये जाने के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ अनेक बैठकों का आयोजन किया गया और उनमें उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने सहित सभी लंबित मुद्दों को उठाया गया था।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11		
		केन्द्र द्वारा जारी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अप्रयुक्त	केन्द्र द्वारा जारी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अप्रयुक्त	केन्द्र द्वारा स्वीकृत/जारी	31 जुलाई, 2011 तक राज्य/स्घ राज्य क्षेत्र द्वारा	31 जुलाई, 2012 तक प्रयुक्त किए जाने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उत्तर प्रदेश	12442.11	12393.39	48.72	29436.33	14965.1	14471.23	21106.29	12.00	21094.29
2.	पश्चिम बंगाल	4327.59	4311.09	16.50	23539.13	16910.52	6628.61	23105.55	1252.47	21853.08
3.	हरियाणा	1401.23	951.55	449.68	460.45	450.45	10.00	1186.17	600	586.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	असम	4226.65	4226.65		15192.08	9623.95	5568.13	9611.71		9611.71
5.	मणिपुर	3011.78	3011.75	0.03	6004.25	2701.18	3303.07	371.25	137.61	233.64
6.	बिहार	1675.20	536.91	1138.29	10503.92	5793.58	4710.34	12250.15	539.86	11710.29
7.	मेघालय				1086.82	798.17	288.65	1519.83		1519.83
8.	अंडमान एवं निकोबार				1.04		1.04	621.71		621.71
9.	झारखंड				4429.83	4168.38	261.45	5533.46	2328.46	3205.00
10.	उड़ीसा				1041.24	1026.92	14.32	1517.24	751.35	765.89
11.	केरल				76.5	52	24.50	641.63		641.63
12.	कर्नाटक				580.18	507.76	72.42	2129.39	126.84	2002.55
13.	महाराष्ट्र				2227.11	1536.47	690.64	2953.59		2953.59
14.	मिजोरम				403.04	403.04		1456.78		1456.78
15.	जम्मू और कश्मीर				599.58	446.02	153.56			
16.	उत्तराखंड				811.85	609.30	202.55	2229.65		2229.65
17.	मध्य प्रदेश				645.6	645.60		752.7	263.75	488.95
18.	दिल्ली				155		155.00	48.75		48.75
19.	सिक्किम							568.88		568.88
20.	अरुणाचल प्रदेश							4319.50	845.76	3473.74
	सकल योग	27084.56	25431.34	1653.22	97193.95	60638.44	36555.51	91924.23	6858.10	8501.13

केरल में नोटरियां

730. श्री जोस के. मणि: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से नोटरियों की मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाराबंकी-देवा शरीफ सड़क पर रेल उपरिपुल

731. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बाराबंकी-देवा शरीफ सड़क मार्ग रेल उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने दो समपारों के स्थान पर रेलवे किमी

1066/3-4 पर समपार सं. 176-ए और रेलवेकिमी 745/3-4 पर समपार सं. 1 एएस पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। बहरहाल, ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के पश्चात् समपारों को बंद किए जाने के लिए राज्य सरकार से शपथपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए उत्तर रेलवे ने जिला प्रशासन से संपर्क किया है।

(ख) समपार फाटक को बंद किए जाने के संबंध में राज्य सरकार से शपथपत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को रेलवे निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजनाएं

732. **श्री संजय निरूपम** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य हेतु चलाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित और महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कोई विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ङ) महाराष्ट्र सहित देश भर में सरकार विभिन्न तरह की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जैसे क्रेडिट गारंटी स्कमी, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी स्कीम, विपणन विकास सहायता, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धातमकता कार्यक्रम, आईएसओ 9000/14000, कार्यनिष्पादन एवं साख रेटिंग स्कीम, पारंपरिक उद्योगों के पुर्नसृजन हेतु निधि योजना और कौशल विकास कार्यक्रम। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान एवं मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए योजनागत निधियों का आबंटन एवं व्यय निम्नवत है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2008-09	1794	1658.05
2009-10	1794	1376.83
2010-11	2400	2272.04
2011-12	2700	408.95 (जून 2011 तक)

इस उद्देश्य के लिए इन योजनाओं के तहत निधियों को लक्षित लाभार्थियों/उद्यमियों को दिया जाता हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अतिरिक्त भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष निर्धारण नहीं होता है। महाराष्ट्र के लिए पीएमईजीपी के तहत निधियों का आबंटन एवं व्यय निम्नवत है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2008-09	66.29	24.56
2009-10	50.11	47.55
2010-11	47.94	62.57
2011-12	47.30	4.98 (जुलाई 2011 तक)

इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलंब नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय अभियोजन नीति

733. **श्री एस. पक्कीरप्पा:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों को मामलों को दायर करने एवं उनकी पैरवी करने के प्रति अत्यधिक जिम्मेदार बनाने के लिये कोई राष्ट्रीय अभियोजन नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या इस नीति से विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का बैकलॉग समाप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) जी हां। सरकार ने उत्तरदायी रीति में केंद्रीय सरकार द्वारा मुकदमा संचालित करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति को तैयार करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य, न्यायालयों में सरकारी मुकदमों को कम करना है। केंद्रीय सरकार ने, समान नीतियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से भी अनुरोध किया है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

(i) नीति, इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार और उसके विभिन्न अभिकरण, देश में न्यायालयों और अधिकरणों में पूर्व अधिष्ठायी वादकारी हैं। उसका उद्देश्य सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी के रूप में बदलना है।

(ii) सरकार का, अनिवार्य वादकारी होना समाप्त करना चाहिए। इस दर्शन का कि मामलों को अंतिम विनिश्चय के लिए न्यायालयों के पास छोड़ देना चाहिए, अलग किया गया है।

(iii) नीति इस मान्यता पर भी आधारित है कि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना और उनके मूल अधिकारों का सम्मान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(iv) सभी पणधारियों, अर्थात् विधि और न्याय मंत्रालय, विभिन्न विभागों के प्रमुख, विधि अधिकारी, सरकारी काउंसिल और संबद्ध मुकदमे से जुड़े हुए व्यक्तिगत अधिकारी, इस नीति की सफलता को सुनिश्चित करने में अपने भाग को अदा करेंगे।

(v) इस नीति के अधीन नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित नोडल अधिकारी ने, इस नीति के पूर्ण रूप से और विशिष्ट क्रियान्वयन में निर्णायक और महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। प्रत्येक मंत्रालय द्वारा ऐसे उचित नोडल अधिकारियों की, जो विधिक पृष्ठभूमि और सुविज्ञता वाले हैं, नियुक्ति की जानी चाहिए। नोडल अधिकारियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण के अध्यधीन भी होना चाहिए कि उन्हें यह स्थिति समझनी चाहिए कि राष्ट्रीय मुकदमा नीति के अधीन उनसे क्या अपेक्षा की जाती है।

(vi) जबावदेही इस नीति की कसौटी है, जो कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महासालिसिटर, अपर महान्यायवादियों और सहायक महान्यायवादियों, अन्य सभी संबंधित वकीलों और नोडल अधिकारियों सहित मुकदमे के प्रभारी अधिकारियों और प्रतिवाद मामले के लिए उत्तरदायी प्रभारी अधिकारियों के स्तर पर होगी।

(vii) इस नीति और जबावदेही के क्रियान्वयन को मानीटर करने के राष्ट्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर पर सशक्त समितियां होंगी।

(viii) सरकारी काउंसिल के पैनलों के गठन के लिए छानबीन समितियों को, प्रत्येक स्तर पर अर्थात् उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों/निचली अदालतों/अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरण आदि ऐसे लोगों की जो पैनल पर उनको सम्मिलित किए जाने से पूर्व सरकारी पैनलों पर होने की वांछा करते हैं, की क्षमताओं और कौशल के निर्धारण के लिए आरंभ किया जाएगा। कोर सक्षमता के क्षेत्रों, क्षेत्र सुविज्ञता और विनिर्दिष्ट की पहचान पर बल दिया जाएगा।

(ix) सरकारी अधिवक्ताओं के लिए सतत विधिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षणं कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सुधार और उनकी पहचान पर विशिष्ट बल के साथ पुनश्चर्या भी है।

कृष्णा जल विवाद अधिकरण

734. श्री राजू शेट्टी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जल बंटवारे संबंधी समस्या के समाधान के लिये कृष्णा जल विवाद अधिकरण में हस्तक्षेप करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 2011 के दौरान संसद सदस्यों ने जल संसाधन मंत्री को संबोधित पत्र में यील्ड सीरिज की लंबाई, अधिशेष जल पर निर्भरता और हिस्सेदारी के मुद्दों पर कुछ आशंकाए जताई थीं जिन्हें द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूटीडी) द्वारा दिनांक 30.12.2010 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट के दौरान स्वीकार किया गया है।

(ग) इसके उत्तर में, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 18 मार्च, 2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि "केडबल्यूडीटी ने दिनांक 30.12.2010 को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार केंद्र, सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार अधिकरण की दिनांक 30.12.2010 की रिपोर्ट और निर्णय के संबंध में निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिकरण से स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांग सकती है और ऐसी स्थिति में अधिकरण केंद्र सरकार को अपनी आगामी रिपोर्ट भेज सकता है जिसमें ऐसा सपष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन दिया गया हो जिसे अधिकरण उचित समझे। इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार अधिकरण से स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांग सकती है।"

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शक्तियां

735. श्री पी.के. बिजू: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को और अधिक शक्तियां देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सांवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने हेतु संविधान का (एक सौ तीसरा संशोधन) विधेयक लोक सभा में दिसम्बर, 2004 में लाया गया था।

(ख) विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया गया था। स्थायी समिति की विधेयक से संबंधित अनुशंसाओं पर विचार किया गया था तथा आधिकारिक संशोधन करने के आशय की सूचना लोक सभा को दिनांक 11.5.2007 को दी गई थी, जो बाद में उस वर्ष बजट सत्र की समाप्ति के कारण खत्म हो गया था। तत्पश्चात संशोधन के संबंध में कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिन पर विधिवत विचार किया गया। लोक सभा में 05.02.2009 को पुन: नोटिस दिया गया। तथापि, इस विधेयक को 14वीं लोक सभा के भंग होने तक नहीं लाया जा सका। नोटिस अभी पुन: प्रस्तुत किये जाने हैं।

दलालों का आंतक

736. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उन घटनाओं की जानकारी है जिनमें दलाल अमृतसर जाने वाले भक्तों के लिये थोक में टिकट बुक करते थे तथा एक दूसरी घटना जिसमें एक व्यक्ति अपने को आरपीएफ का अधिकारी बताता था एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से धन वसूलता था जिससे रेलवे को भारी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या रेलवे ने निर्दोष यात्रियों को दलालों एवं बदमाशों के आतंक से बचाने तथा अपराधी को दंडित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अमृतसर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दलालों द्वारा थोक में गाड़ी की टिकटें बुक करवाने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। बहरहाल, गाड़ी सं. 12030 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेसम में नई दिल्ली से अमृतसर और वापसी दिशा में अंतरित टिकटों पर यात्रा करते हुए 16 यात्रियों को पकड़ा गया था और उनसे रेलवे को देय 40,800 रुपये की राशि वसूल की गई थी। धोखाधड़ी का एक अन्य मामला, जिसमें यात्री स्वयं को रेल सुरक्षा अधिकारी बता रहा था, उत्तर रेलवे पर पाया गया और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 171 और 468 के तहत कार्रवाई की गई।

(ग) और (घ) दलालों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए आरक्षण कार्यालयों, स्टेशनों के भीतर और आसपास तथा गाड़ियों में वाणिज्यिक एवं सतर्कता विभागों द्वारा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से जांचें की जाती हैं। अधिक भीड़भाड़ तथा त्यौहारों की अवधियों के दौरान दलालों के विरुद्ध जांच बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा, यात्रियों को अप्राधिकृत लोगों से टिकट खरीदने से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिए शिक्षित किया जाता है। पकड़े गए दलालों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वनियोजित व्यक्ति

737. श्री राम सिंह कस्वा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वनियोजित व्यक्तियों का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में एसजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष-वार और जिला-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत एवं जारी की गई;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त निधियां जारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में सचल न्यायालय

738. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात के पिछड़े क्षेत्र में सचल न्यायालयों की स्थापना करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे न्यायालयों की स्थापना किन स्थानों पर की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) सचल न्यायालय की स्थापना का विनिश्चय, गुजरात उच्च न्यायालय के परामर्श से गुजरात सरकार द्वारा किया जाना है। अभी तक, गुजरात के पिछड़े क्षेत्र में ऐसा कोई न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।

भारत के संविधान का प्रकाशन

739. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के संविधान के अद्यतन प्रकाशन की उपलब्धता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के संविधान में जब तक कुल कितने संशोधन हुये हैं तथा आम आदमी के लिए उपलब्ध संविधान का अद्यतन संस्करण किस तारीख का है;

(ग) अभी संशोधनों को सम्मिलित करने के बाद इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें विलंब के क्या कारण है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) भारत के संविधान के मूल पाठ को संविधान (पचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009 सहित और उसमें सभी संशोधनों को सम्मिलित करके अद्यतन रूप में लाया गया है और ए-4 आकार और जेबी आकार में द्विभाषीय प्ररुप (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ एक साथ), प्रकाशित किया गया है तथा क्रमशः 1 सितंबर, 2010 और 1 फरवरी, 2011 को प्रकाशित किया गया है। ये दोनों संस्करण कीमत निर्धारित प्रकाशनों के रूप में सार्वजनिक विक्रय के लिए उपलब्ध हैं और अब बाजार में आम आदमी के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वास्थ्य बीमा योजना

740. श्री देवजी एम. पटेलः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे के पास अपने लाइसेंसधारी पोर्टरों के लिये कोई स्वास्थ्य बीमा योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत मंडल-वार कितने लाइसेंसधारी पोर्टरों का बीमा किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में लाइसेंसधारी पोर्टरों, लाइसेंसधारी वेंडरों और लाइसेंसधारी फेरीवालों को शामिल करने की योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें राजय सरकार नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 27.01.2011 को सभी जोनल रेलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के अनुसार, प्रीमियम का 75 प्रतिशत हिस्सा रेलों द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत हिस्से का अंशदान लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा वार्षिक विवरणी एवं तुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाना

741. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सभी कम्पनियों के लिए अपनी वार्षिक विवरणी, तुलन पत्र आदि सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी कम्पनियों ने सरकार के पास अपनी वार्षिक विवरणी, तुलन पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाली कम्पनी और उसके अधिकारियों के विरुद्ध तुलन-पत्र व वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने ऐसी चूककर्ता कम्पनियों, उनके निदेशकों और कम्पनी सचिवों पर उनकी चूक सही हो जाने तक मंत्रालय में उनके दस्तावेज कुछ घटना आधारित सूचना को छोड़कर दाखिल करने पर रोक लगानी शुरू की है।

विवरण

ऐसी कम्पनियों जिन्होंने सरकार को अपने वार्षिक रिटर्न और तुलन पत्र पिछले तीन वर्षों से दाखिल नहीं किए हैं, की 31.07.2011 तक की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या

राज्य	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	58	65	83
आंध्र प्रदेश	26792	29512	34273
अरुणाचल प्रदेश	18	24	52
असम	370	485	865
बिहार	3496	3748	4386
चंडीगढ़	2092	2238	2618
छत्तीसगढ़	390	535	861
दादरा और नगर हवेली	64	75	123
दमन और दीव	51	49	62
दिल्ली	35893	40487	50359
गोवा	1252	1646	2047
गुजरात	13027	13961	16303
हरियाणा	2456	2639	3272

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	705	795	991
जम्मू और कश्मीर	1125	1208	1375
झारखंड	1001	1142	1441
कर्नाटक	10462	12146	15548
केरल	3142	3744	5612
लक्षद्वीप	2	2	4
मध्य प्रदेश	2056	2366	3316
महाराष्ट्र	44458	48577	59891
मणिपुर	29	33	42
मेघालय	35	53	87
मिजोरम	6	6	21
नागालैंड	37	41	58
उड़ीसा	1442	1585	2201
पुडुचेरी	288	332	472
पंजाब	4533	4847	5585
राजस्थान	2579	3061	4456
तमिलनाडु	21905	24511	29640
त्रिपुरा	18	26	38
उत्तर प्रदेश	6392	6952	8419
उत्तराखंड	431	494	659
पश्चिम बंगाल	3915	5203	8460
कुल	190520	212588	263567

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड

742. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के कुछ भागों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्य करने वाले कुछ व्यक्तियों को जॉब कार्ड नहीं प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड प्राप्त लोगों की संख्या तथा रोजगार मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को रोजगार गारंटी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को जॉब कार्ड प्रदान न किए जाने के बारे में 69 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से तीन महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दियाग या है। चूंकि अधिनियम का कार्यान्वयन, राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई योजना के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। गंभीर प्रकृति की शिकायतों के मामले में मंत्रालय शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को तैनात करता है। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-II के पैरा-I में व्यवस्था है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, जॉब कार्ड जारी करने हेतु अपने परिवार के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, अधिनियम क अंतर्गत केवल जॉब कार्ड जारी किए जाने से ही कोई परिवार रोजगार प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 9 के अंतर्गत परिवार द्वारा रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए आवेदन भी प्रस्तुत करना होगा। अत:, जॉब कार्डधारक परिवारों की संख्या तथा रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या को रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान जॉब कार्डधारक परिवारों की संख्या तथा रोजगार प्रदत्त परिवारों की संख्या का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

26.07.2011 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	जॉब कार्ड प्रदान न किए जाने संबंधी शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	6
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	0
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू व कश्मीर	0
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	0
13.	केरल	0
14.	लक्षद्वीप	0
15.	मध्य प्रदेश	4
16.	महाराष्ट्र	3
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	उड़ीसा	3
22.	पंजाब	2
23.	राजस्थान	9
24.	तमिलनाडु	0
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	21
27.	उत्तराखंड	1
28.	पश्चिम बंगाल	1
29.	सिक्किम	0
	कुल	69

विवरण-II

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2010-11 तक जारी जॉब कार्ड	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (संख्या में)			रोजगार प्रदत्त परिवारें की संख्या (संख्या में)		
			2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	11991323	5699557	6158493	6200423	5699557	6158493	6200423
2.	अरुणाचल प्रदेश	170350	110259	72606	151574	80714	68157	134527
3.	असम	4369561	2155349	2139111	1807788	1877393	2137270	1798372
4.	बिहार	13044879	3822484	4127330	4763659	3822484	4127330	4738464
5.	छत्तीसगढ़	3911126	2271194	2025845	2485581	2270415	2025845	2485581
6.	गुजरात	3955998	850691	1596402	1097483	850691	1596402	1096223
7.	हरियाणा	582737	171794	156410	237480	162932	156406	235281
8.	हिमाचल प्रदेश	1050602	453724	499174	447064	445713	497336	444247
9.	जम्मू व कश्मीर	1001681	214385	352284	497617	199166	336036	492277
10.	झारखंड	3920922	1576857	1703243	1989083	1576348	1702599	1987360
11.	कर्नाटक	5294245	906503	3626437	2414441	896212	3535281	2224468
12.	केरल	2915670	698680	957477	1186356	692015	955976	1175816
13.	मध्य प्रदेश	11384370	5207862	4714916	4445781	5207665	4714591	44076473
14.	महाराष्ट्र	5832823	907783	591611	453941	906297	591547	451169
15.	मणिपुर	444886	381109	418564	437228	381109	418564	433856
16.	मेघालय	398226	239630	302537	357523	224263	300482	346149
17.	मिजोरम	170894	172775	180140	170894	172775	180140	170894
18.	नागालैंड	350815	296689	325242	350815	296689	325242	350815
19.	उड़ीसा	6025230	1220596	1416560	2030029	1199006	1398300	2004815
20.	पंजाब	821076	147336	272684	278567	147336	271934	278134
21.	राजस्थान	9274312	6375314	6522264	6156667	6373093	6522264	5859667
22.	सिक्किम	73575	52554	54156	56401	52006	54156	56401
23.	तमिलनाडु	7347187	3345648	4373257	4969140	3345648	4373257	4969140
24.	त्रिपुरा	584900	549145	577540	557413	549022	576487	557055

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	उत्तर प्रदेश	13052850	4338490	5667644	6581786	4336466	5483434	6431213
26.	उत्तरांचल	974529	298741	522304	542391	298741	522304	542391
27.	पश्चिम बंगाल	10731538	3025854	3489363	5011657	3025854	3479915	4998239
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	44406	8131	20634	17937	5975	20337	17636
29.	दादरा व नगर हवेली	11135	1919	3741	2290	1919	3741	2290
30.	दमन व दीव	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
31.	गोवा	21032	NR	6613	13997	NR	6604	13897
32.	लक्षद्वीप	7787	3024	5192	4507	3024	5192	4507
33.	पुडुचेरी	63769	12264	40377	38574	12264	40377	38118
34.	चंडीगढ़	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		119824434	45516341	52920154	55756087	45112792	52585999	54947068

[अनुवाद]

राजसहायता प्राप्त ईंधन का वितरण

743. **श्री गजानन ध. बाबर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता प्राप्त ईंधन की वर्तमान वितरण प्रणाली जरूरतमंद और उन लोगों जो बाजार मूल्य के बराबर भुगतान कर सकते हैं में कोई भेद नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान प्रणाली में अरबपति भी राजसहायता प्राप्त दर पर ईंधन प्राप्त करते हैं; और

(घ) वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे राजसहायता के लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) राजसहायता प्राप्त ईंधन के विरतण की वर्तमान प्रणाली में, पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् डीजल और घरेलू एलपीजी सभी श्रेणियों के ग्राहकों को बिना किसी विभेद के राजसहायता की समान दर पर उपलब्ध होते हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का वितरण एक प्रतिबंधित आपूर्ति है जो केवल वैध राशनकार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, पीडीएस मिट्टी तेल का राजसहायता राज्य/संघ राज्य प्रदेशों को आबंटित कोटे तक सीमित है, जिनके राज्य-दर-राज्य वितरण के अपने प्राचल हैं।

(घ) सरकार ने लागू किए जाने योग्य समाधान की सिफारिश करने हेतु मिट्टी तेल और एलपीजी पर राजसहायता के सीधे अंतरण के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया है।

[हिन्दी]

सागर में रेलगाड़ियों का ठहराव

744. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मध्य प्रदेश के सागर स्थित स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावित 13423/13424 अजमेर-भागलपुर

एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को सागर स्टेशन पर ठहराव देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की गई लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा

745. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में भोपाल गैस त्रासदी के ऐसे दावाकर्त्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हें आंशिक/पूरा मुआवजा दिया जा चुका है तथा ऐसे दावाकर्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है;

(ख) इन दावाकर्ताओं को मुआवजे के भुगतान में होने वाले असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिये गठित मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) 10,29,517 पंजीकृत मामलों में से न्याय निर्णयन के पश्चात 5,74,376 मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है। दिनांक 30.06.2011 तक 5,73,914 मामलों में रुपये 1549.15 करोड़ की कुल राशि संवितरित की जा चुकी हैं उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 30.06.2011 तक इन मामलों में से 5,62,727 को यथानुपात मुआवजे के रूप में रुपये 1510.21 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) शेष दावाकर्ताओं ने दावा राशि की प्राप्ति के लिए कल्याण आयुक्त के कार्यालय से संपर्क नहीं किया है। मुआवजे के भुगतान का कार्य जारी है। शेष दावाकर्त्ताओं की सूची को समाचार पत्रों में अधिसूचित किया गया था जिसमें दावाकर्त्ताओं को मुआवजे की प्राप्ति के लिए कल्याण आयुक्त से संपर्क करने की सलाह दी गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार यह सूची एनजीओ को भी उपलब्ध कराई गई थी। अनुपस्थित लोगों के मामलों को बंद मान लिए जाने के लिए कल्याण आयुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर आवेदन पर निर्णय लम्बित है।

(ग) से (ङ) उपचारी उपायों सहित भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित सभी मामालों की जांच करने और भोपाल गैस पीड़ितों तथा उनके परिवारों की राहत और पुनर्वास से संबंधित उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए 26 मई, 2010 को पुनर्गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है। मंत्रिमंडल ने इस संशोधन के साथ मंत्रियों के समूह की सभी सिफारिशों को अनुमोदिन कर दिया है कि मंत्रियों के समूह द्वारा अनुशंसित "बढ़े हुए मुआवजे" को "अनुग्रह राशि" के रूप में दिया जाएगा।

विवरण

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों का सार

पीड़ितों एवं उनके परिवारों के दावों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए मुआवजे को निम्नानुसार बढ़ाया जाए:-

श्रेणी	अनुग्रह राशि
मृत्यु (5295)	10 लाख रुपये (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता (3199 + 1703 = 4902)	5 लाख रुपये (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
कैंसर के मामले (लगभग 2000)	2 लाख रुपये (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
किडनी के पूरी तरह से फेल होने के मामले (लगभग 1000)	2 लाख रुपये (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता (33,672 + 1783 = 35455)	1 लाख रुपये (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
अत्यन्त गंभीर जख्म (42)	5 लाख रुपये (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)

इस अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान को सरल बनाने के लिए रुपये 650-700 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाए। पीड़ितों की चिन्हित श्रेणी के अतिरिक्त मामलों में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा रुपये 71.28 करोड़ की एक अन्य राशि की भी सिफारिश की गई है।

(ii) प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री देने के लिए सीबीआई को निदेश दिया जाए और विदेश मंत्रालय से अमेरिकी सरकार ने प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के लिए कहा जाए।

(iii) दिनांक 13.09.1996 के उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए इसके पास सुधार हेतु याचिका दायर की जाए जिसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को समाप्त कर दिया गया था और ट्रायल को धारा 304-ए के अन्तर्गत अपराध तक सीमित कर दिया गया था।

(iv) ट्रॉयल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 397 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में यह अनुरोध करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की जाए कि निर्णय को समाप्त कर दिया जाए और ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 323 के अन्तर्गत मामले को सत्र न्यायालय में भेजने का निदेश दिया जाए ताकि आईपीसी की धारा 35 साथ पठित धारा 304 भाग-II, 324, 326 और 429 के अन्तर्गत अपराधों के लिए मामले पर सुनवाई कर सके।

(v) विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अभियुक्त को दिए गए दंड की त्रुटि को ठीक करने के लिए ट्रॉयल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में एक अपील दायर की जाए।

(vi) महान्यायवादी से इस बात की जांच करने का अनुरोध किया जाए कि क्या पूर्व में निर्धारित 470 मिलियन यूएस डॉलर की मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार के लिए उच्चतम न्यायालय में उपचारी याचिका दायर की जा सकती है।

(vii) डाऊ केमिकल्स कम्पनी और/या यूसीसी/यूसीआईएल के अन्य किसी उत्तराधिकारी की देयता के प्रश्न पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय और सीबीआई को संबंधित न्यायालयों में उपयुक्त आवेदन देने का निदेश दिया जाए।

(viii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा भोपाल मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बीएमएचआरसी) के अधिग्रहण की अनुमति दिए जाने के लिए भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के पास जा सकती है। इसके पश्चात् अस्पताल को मजबूती प्रदान की जाए, इसका उन्नयन किया जाए और इसे सुपर स्पेशियलिटी और अनुसंधान अस्पताल के रूप में चलाया जाए।

(ix) आईसीएमआर को 90 दिन के भीतर भोपाल में पूर्ण अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना चाहिए। 90 दिन के भीतर केन्द्र की स्थापना को सुकर बनाने के लिए प्रस्तावित आईसीएमआर अनुसंधान केन्द्र से सम्बन्धित खरीद और नियुक्तियों सहित सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों सहित और परिवार कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए।

(x) आईसीएमआर द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन और क्लीनिकल अनुसंधान निम्नलिखित क्षेत्रों सहित करने चाहिए:-

(i) श्वास संबंधी बीमारियां

(ii) आंख संबंधी बीमारियां

(iii) कैंसर

(iv) किडनी का पूरी तरह फेल हो जाना

(v) अनुवांशिक गड़बड़ियां

(vi) जन्मगत गड़बड़ियां

(vii) महिलाओं से संबंधित चिकित्सा मामले

(viii) दूसरी पीढ़ी के बच्चों से संबंधित चिकित्सा मामले

(xi) एकाबर एनईईआरआई, एनजीआरआई और आईआईसीटी की रिपोर्टों के जमा कर दिए जाने के पश्चात् उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किए गए

वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षा के लिए रखा जाएगा। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और पर्यावरण और वन मंत्रालय चुने हुए एनजीओ के साथ रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्षों को साझा भी कर सकते हैं और 30 दिन के भीतर लिखित रूप से उनके सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित कर सकते हैं।

(xii) मध्य प्रदेश सरकार को उपचारण संबंधी कार्य सौंपा जाए। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी राहत और नुर्वास विभाग को उपयुक्त अधिकार देगी।

(xiii) भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक निगरानी समिति का गठन किए जाए। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री, अध्यक्ष और मध्य प्रदेश सरकार के गैस राहत मंत्री, सह-अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनईईआरआई, एनजीआरआई, आईआईसीटी तथा सीपीसीबी को उनकी क्षमतानुसार सम्बद्ध किया जा सकता है। निगरानी समिति आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार को निगरानी की सुविधा और सहायता प्रदान कर सकती है।

(xiv) क्षति-पूर्ति का दावा करने के अपने कानूनी अधिकार के प्रति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना, भारत सरकार प्रथम दृष्ट्या लगभग 310 करोड़ रुपये के उपचारण लागत को वहन कर सकती है। भारत सरकार "प्रदूषणकर्ता अदा करता है" के सिद्धान्त पर नुकसान के लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों/कम्पनियों से क्षति-पूर्ति का दावा करने के लिए भी कदम उठा सकती है।

(xv) संग्रहित खतरनाक अपशिष्टों के निपटान, संदूषित ढांचे को अलग-अलग करने और जल तथा मिट्टी के संदूषण के उपचारण सहित उपचारण कार्य शुरू किया जाए और 31.12.2012 तक पूरा कर दिया जाए।

(xvi) उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कार्यबल को समाप्त करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग जबलपुर उच्च न्यायालय में एक आवेदन दे सकता है।

(xvii) प्रथम दृष्ट्या, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमा की गई 272.75 करोड़ रुपये की कार्ययोजना के निम्नलिखित संघटकों को अनुमोदित किया जाए और 75:25 के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को निधियां प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अलेखित चल स्टॉक

746. श्री के. सुगुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में रेलवे ट्रैंक के आस-पास पड़े हुए चल स्टॉक का कोई लेखा नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे के पास इस चल स्टॉक का लेखा रखने का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि चल स्टॉक की चोरी के अनेक मामलों का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) महोदया, कभी-कभी रेल दुर्घटनाओं के मामलों में चल स्टॉक रेलपथ से बाहर गिर जाता है, जिसे बाद में उठा लिया जाता है या निपटा दिया जाता है, जैसा भी मामला हो। बहरहाल, देशभर में रेलपथ के साथ-साथ रखे पूरे चल स्टॉक का उचित रूप से ध्यान रखा जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे द्वारा रेलपथ के साथ-साथ रखे चल स्टॉक की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसे रेलवे की निर्धारित पद्धतियों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, उठा लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कान्फ्रेंस फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑन ग्राउंड वाटर

747. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षणार्थ नयी भू-जल नीति संबंधी कानून बनाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने हेतु हाल ही में मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सम्मेलन में क्या विचार-विमर्श हुआ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्र तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षणार्थ नयी भू-जल नीति संबंधी कानून बनाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने हेतु हाल ही में मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित नहीं यिका गया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एम.ए.एफ.ए.आर. का विकास

748. **श्री वैजयंत पांडाः**
श्री नित्यानंद प्रधानः

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सिस्टम ऑफ एअर क्वालिटी फॉर कास्टिंग एंड रिसर्च (एस.ए.एफ.ए.आर.) का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विश्व एजेंसियों से प्रशंसा मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रणाली में एअर क्वालिटी की निगरानी घंटे के आधार पर की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां। यह प्रयोगिक परियोजना सितंबर 2010 से नई दिल्ली में प्रचलित है।

(ख) सफर स्थान विशेष के लिए वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता संबंधी सूचना और अगले 24 घंटों के लिए इसका पूर्वानुमान उपलब्ध कराती है इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा तैयार की गई मौसम मॉनीटरन एवं पूर्वानुमान प्रणाली भी लगाई गई है। सफर भारत की प्रथम वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान (एक्यूएफ) प्रणाली है।

(ग) जी हां।

(घ) विश्व मौसम-विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की वैश्विक वायुमंडलीय निगरानी (जीएडब्ल्यू) कार्यनीति संबंधी योजना 2008-2015 की मई 2011 में जारी की गई रिपोर्ट के सफर को सफलातपूर्वक प्रदर्शित की गई प्रायोगिक परियोजना बताया गया है, जिसे जीएडब्ल्यू शहरी अनुसंधान मौसम-विज्ञान और पर्यावरण (गुरमे) कार्यक्रम को सरल तथा उत्प्रेरक बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। गुरमे कार्यक्रम शहरी प्रदूषण के मौसम वैज्ञानिक और संबंधित पहलुओं का संचालनप करने की क्षमताएं बढ़ाने में सहायता करने के लिए डब्ल्यूएमओ द्वारा आरंभ किया गया।

(ङ) जी हां।

(च) सफर प्रणाली प्रति घंटे के आधार पर विभिन्न वायु प्रदूषकों के लिए लगातार मॉनीटरन प्लेटफार्म उपलब्ध करती है। वायु गुणवत्ता सूचना निम्नलिखित प्रमुख प्रदूषकों नामतः O_3, NO_2, CO, PM_{10}, $PM_{2.5}$, ब्लैक कार्बन और बेन्जीन के लिए प्रदान की जाती है।

खादी ग्रामोद्योग

749. **श्री ए. गणेशमूर्तिः** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितनी खादी और ग्रामोद्योग इकाईयां कार्य कर रही है;

(ख) इन खादी और ग्रामोद्योग का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) नामक एक सांविधिक निकाय स्थापित किया था। केवीआईसी के

अनुसार, इस समय देश में 2065 खादी संस्थान कार्यरत हैं तथा पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और वर्तमान प्रधानमंत्री रोजागर सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत जुलाई 2011 तक लगभग 4.33 लाख यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई है। ऐसी यूनिटों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) केवीआईसी के गठन से ही, भारत सरकार खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के विकास के लिए केवीआईसी के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न कार्य करती रही है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः-

(i) खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के लिए अनेक वर्षों से बढ़ा हुआ बजट आबंटन।

(ii) वर्ष 2011 से पूर्ववती रिबेट स्कीम के स्थान पर अधिक लोचशील, वृद्धि प्रेरक तथा कारीगर उन्मुख बाजार विकास सहायता योजना।

(iii) खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर में 79 क्लस्टरों के पुनर्सृजन के लिए उनका विकास करना।

(iv) इस क्षेत्र में तीन नई स्कीमों नामत: खादी उद्योग एवं कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम तथा विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा विपणन अवसंरचना के लिए सहायता की स्कीम को प्रारंभ करना।

(v) इस सेक्टर में उद्यमिता के विकास के लिए 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके तहत प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को नई यूनिट स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) 300 खादी संस्थानों के लाभार्थ एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता से 2009-10 में बृहत खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना।

(ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा केवीआईसी तथा एमजीआईआरआई को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि निम्नलिखित तालिका में दर्शाइ गई है जिससे पता चलता है कि सरकार केवीआई सेक्टर के विकास पर निरंतर और अधिक जोर दे रही है:-

वर्ष	केवीआईसी तथा एमजीआईआरआई को जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)		
	केवीआईसी	एमजीआईआरआई	कुल
2008-09	1104.94	3.00	1107.94
2009-10	824.06	3.00	827.06
20010-11	1444.16	5.85	1458.31
2011-12 (लक्ष्य)	1581.00	10.00	1591.00

पीएमईजीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तक चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित मार्जिन मनी संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

खादी संस्थानों तथा आरईजीपी/पीएमईजीपी यूनिटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खादी संस्थानों की संख्या	2007-08 तक सहायता प्राप्त आरईजीपी यूनिटों की संख्या	जुलाई 2011 तक सहायता प्राप्त पीएमईजीपी की यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0	170	74
2.	दिल्ली	8	268	214
3.	हरियाणा	86	9522	2218

1	2	3	4	5
4.	हिमाचल प्रदेश	13	4994	1806
5.	जम्मू व कश्मीर	32	13673	4736
6.	पंजाब	19	13554	2310
7.	राजस्थान	151	34064	4812
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	1244	319
9.	बिहार	82	3568	8746
10.	झारखंड	23	1735	3128
11.	उड़ीसा	28	6769	6951
12.	पश्चिम बंगाल	277	31509	18855
13.	अरुणाचल प्रदेश	1	772	503
14.	असम	19	10253	8736
15.	मणिपुर	12	1121	474
16.	मेघालय	1	4073	903
17.	मिजोरम	1	3715	536
18.	नागालैंड	2	5875	301
19.	त्रिपुरा	0	1792	988
20.	सिक्किम	0	624	148
21.	आंध्र प्रदेश	95	22354	7335
22.	कर्नाटक	166	19324	4786
23.	केरल	40	12868	4175
24.	लक्षद्वीप	0	42	36
25.	पुदुचेरी	0	1556	355
26.	तमिलनाडु	53	10962	7420
27.	गोवा	0	2807	196
28.	गुजरात	232	2938	3281
29.	महाराष्ट्र	103	29619	9600
30.	छत्तीसगढ़	19	4311	2905
31.	मध्य प्रदेश	48	22887	4057
32.	उत्तराखंड	37	4376	2299
33.	उत्तर प्रदेश	517	23390	12822
	कुल	2065	306729	126025

विवरण-II

पीएमईजीपी के तहत जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5319.86	6159.93	7443.94	5203.30
2.	बिहार	5152.18	900.00	3504.32	7417.30
3.	छत्तीसगढ़	1736.78	1952.54	2983.58	2775.97
4.	गोवा	86.59	136.59	391.71	430.43
5.	गुजरात	3474.30	234.52	3042.54	2541.97
6.	हरियाणा	1431.16	1066.22	1887.82	1261.25
7.	हिमालच प्रदेश	452.147	567.79	1374.78	929.28
8.	जम्मू और कश्मीर	1300.00	1820.00	2544.81	1362.57
9.	झारखंड	2366.52	300.00	1562.68	3620.64
10.	कर्नाटक	3571.24	1979.34	3696.02	2693.96
11.	केरल	2123.80	1245.20	3164.19	2544.66
12.	मध्य प्रदेश	3695.85	709.91	5440.13	5173.08
13.	महाराष्ट्र	6642.23	3150.15	4793.80	4730.14
14.	उड़ीसा	2946.68	3422.13	4949.26	4220.87
15.	पंजाब	1800.00	1290.13	1833.28	1272.61
16.	राजस्थान	3313.19	1625.77	4401.64	3684.10
17.	तमिलनाडु	4220.23	3930.61	4389.80	3323.44
18.	उत्तराखंड	1162.25	332.94	1120.18	1123.73
19.	उत्तर प्रदेश	11768.96	9739.75	13848.08	11318.45
20.	पश्चिम बंगाल	6500.00	7200.00	6719.17	5309.673
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	46.25	33.76	171.83	166.44
22.	चंडीगढ़	59.94	0.00	63.98	155.51
23.	दिल्ली	285.51	150.00	173.83	426.04
24.	लक्षद्वीप	6.66	0.00	77.00	150.26

1	2	3	4	5	6
25.	पुडुचेरी	59.94	6.57	85.64	164.32
26.	अरुणाचल प्रदेश	205.72	351.43	248.00	349.25
27.	असम	2050.54	1635.00	5538.00	4044.28
28.	मणिपुर	188.25	300.00	0.00	630.41
29.	मेघालय	483.96	606.01	515.00	833.42
30.	मिजोरम	238.28	327.40	306.00	508.00
31.	नागालैंड	430.68	350.00	466.00	695.45
32.	सिक्किम	125.80	270.00	173.77	321.14
33.	त्रिपुरा	472.12	350.00	811.25	618.06
	केवीआईसी मुख्यालय	282.39			
	कुल	74000.00	51843.69	87722.05	80000.00

टिप्पणी: 2009-10 के दौरान दिल्ली में मांग कम होने के कारण, 150 लाख रुपये अन्य राज्य में पुन: वितरित किए गए थे।

भोपाल में जहरीले कचरे का निपटान

750. **श्री मानिक टैगोर:**
श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल के निष्क्रिय यूनियन कार्बाइड संयंत्र के आस-पास अभी तक भारी मात्रा में जहरीला कचरा पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कचरे के निपटान हेतु कोई कार्य योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जहरीले कचरे को उक्त संयंत्र से कब तक हटाये जाने/निपटाए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) लगभग 350 मी.ट. जहरीला कचरा है जिसे यूसीआईएल परिसरी, भोपाल के गोदाम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है।

(ग) से (ङ) आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने के लिए मध्यप्रदेश को निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को लेकर पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार में एक निगरानी समिति गठित की है। पीतमपुर में उक्त कचरे के भस्म करने में मध्य प्रदेश द्वारा अपनी असमर्थता व्यक्त किये जाने का ध्यान में रखते हुए 350 मी.ट. जहलीले कचरे, जिसे पीतमपुर उपचारण, संग्रह और निपटान सुविधा केन्द्र (टीएसडीएफ) में भसम किया जाना था, के निपटान के मामले पर निगरानी समिति द्वारा 24 मार्च, 2011 और 25 मई, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। सुझाए गए अन्य विकल्पों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में अपने भष्मक में निपटान शामिल था। डीआरडीओ नागपुर के निकट बोरखेडी स्थित अपने भष्मीकरण सुविधा केन्द्र से भूतपूर्व यूसीआईएल के परिसर में फिलहाल पड़े जहरीले कचरे का सुरक्षित निपटान करने पर सहमत हो गया है। भोपाल से डीआरडीओ सुविधा केन्द्र तक जहरीले कचरे के सुरक्षित परिवहन की पूरी जिम्मेवारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी। नागपुर के निकट बोरखेडी में डीआरडीओ के भष्मीकरण सुविधा केन्द्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कचरे के सुपुर्दगी शुरू होने से दो वर्ष से अधिक की अवधि तक जहरीले कचरे का निपटान जारी रहेगा।

[हिन्दी]

विधवा/नि:शक्त हेतु पेंशन

751. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **ग्रामीण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एनएसएपी योजना के अंतर्गत विधवा/नि:शक्त हेतु पेंशन संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं में कोई सुझाव द्वारा प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत विधवा/अपंग व्यक्ति के लिए पेंशन संबंधी मानदंड में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सामाजिक सुरक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। राज्य सरकारें भी समाज के इन वर्गों के लिए अपनी स्वयं की पेंशन योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। एनएसएपी के अंतर्गत योजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता अथवा भविष्य में प्रदान की जाने वाली सहायताओं के अलावा हैं। हाल में, भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) वु अंतर्गत आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वाले व्यक्तियों को प्रति लाभार्थी सहायता राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। इसके अलावा, इन योजनाओं का विस्तार उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। नेशनल फोर्म फॉर सिंगल वूमन'स राइट्स, उदयपुर ने सभी आयु की विधवाओं को पेंशन प्रदान करने का अनुरोध किया था।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ

752. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों को एक राज्य में मिलने वाले लाभ उन्हें अन्य राज्यों में भी मिलें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राजय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। इस मंत्रालय में छात्रवृत्तियों के लिए विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत यदि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को होता है, भरपूर प्रयास करने के बावजूद राज्य से अपर्याप्त ही प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो मंत्रालय समान्य तौर पर एक राज्य का आबंटन अन्य राज्य जिसमें लक्ष्यगत लाभार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव होते हैं, को कर देता है।

(ख) 2010-11 के लिए राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। यद्यपि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वित्ती आबंटन राज्य-वार किये जाते हैं, जबकि मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए केवल वास्तविक आवंटन किये जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतरित/ प्राप्त निधि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (करोड़ रुपये में)	2009-10 स्पिल-ओवर के लिए निधियों को घटाने के पश्चात जारी धनराशि # (करोड़ रुपये में)	राज्य को प्रदान की गई अतिरिक्त धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	*आंध्र प्रदेश	*16.29	24.21	7.92

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.72	0.00	-
3.	*असम	*18.43	0.00	-
4.	*बिहार	*27.39	28.01	0.62
5.	छत्तीसगढ़	1.86	1.31	-
6.	गोवा	0.92	0.04	-
7.	गुजरात	9.82	0.00	-
8.	हरियाणा	4.83	2.41	-
9.	हिमाचल प्रदेश	0.56	0.19	-
10.	जम्मू और कश्मीर	14.15	12.93	-
11.	झारखंड	9.75	4.13	-
12.	*कर्नाटक	*15.63	29.89	14.26
13.	*केरल	*27.59	35.92	8.33
14.	मध्य प्रदेश	8.68	6.89	-
15.	महाराष्ट्र	34.49	40.98	6.49
16.	मणिपुर	1.85	0.00	-
17.	मेघालय	3.43	1.63	-
18.	मिजोरम	1.72	2.25	0.53
19.	नागालैंड	3.63	0.51	-
20.	उड़ीसा	3.36	1.39	-
21.	पंजाब	30.27	25.66	-
22.	राजस्थान	11.29	10.85	-
23.	सिक्किम	0.40	0.40	-
24.	*तमिलनाडु	*14.41	21.68	7.27
25.	त्रिपुरा	0.91	0.12	-
26.	*उत्तर प्रदेश	*63.32	59.25	-
27.	उत्तराखंड	2.5	0.23	-
28.	*पश्चिम बंगाल	*41.76	51.73	9.97
29.	अंडमान और निकोबार	0.22	0.01	-

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	0.38	0.00	-
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.05	0.04	-
32.	दमन और दीव	0.04	0.03	-
33.	*दिल्ली	*4.64	2.37	-
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	-
35.	पुडुचेरी	0.25	0.03	-
	कुल	375.67	365.12	

* 2009-10 के स्पिल ओवर के मामलों को छोड़कर (81.13 करोड़ रुपये)

\# मंत्रालय की अन्य स्कीमों से पुनर्विनियोजित 29.83 करोड़ रुपये

विवरण-II

वर्ष 2010-11 के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतरित/प्राप्त निधि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (करोड़ रुपये में)	2009-10 स्पिल-ओवर के लिए निधियों को घटाने के पश्चात् जारी धनराशि # (करोड़ रुपये में)	राज्य को प्रदान की गई अतिरिक्त धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	*आंध्र प्रदेश	*10.01	9.78	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.45	0.00	-
3.	*असम	*11.33	5.46	-
4.	बिहार	11.83	15.96	-
5.	छत्तीसगढ़	1.14	1.03	-
6.	गोवा	0.57	0.21	-
7.	गुजरात	6.03	4.47	-
8.	हरियाणा	2.97	1.48	-
9.	हिमाचल प्रदेश	35	0.21	-
10.	जम्मू और कश्मीर	8.69	5.24	-
11.	झारखंड	5.99	6.15	0.16
12.	*कर्नाटक	*9.61	10.25	0.64
13.	केरल	16.96	9.98	-
14.	मध्य प्रदेश	5.33	3.31	-
15.	*महाराष्ट्र	*21.17	14.23	-

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	1.14	0.00	–
17.	मेघालय	2.11	0.19	–
18.	मिजोरम	1.06	2.81	1.75
19.	नागालैंड	2.24	0.05	–
20.	उड़ीसा	2.07	1.03	–
21.	पंजाब	18.55	14.83	–
22.	*राजस्थान	*6.94	4.43	–
23.	सिक्किम	0.25	0.31	0.06
24.	*तमिलनाडु	*8.86	10.34	1.48
25.	त्रिपुरा	0.56	0.17	–
26.	*उत्तर प्रदेश	*38.91	34.12	–
27.	उत्तराखंड	1.54	0.08	–
28.	पश्चिम बंगाल	25.66	25.77	0.11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14	0.01	–
30.	*चंडीगढ़	0.24	0.09	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.04	0.02	–
32.	दमन और दीव	0.04	0.02	–
33.	*दिल्ली	2.85	0.38	–
34.	लक्षद्वीप	0.09	0.00	–
35.	पुडुचेरी	0.16	0.13	–
	कुल	230.88	182.54	

* 2009-10 के लिए स्पील ओवर मामलों को छोड़कर (46.41 करोड़ रुपये)

विवरण-III

वर्ष 2010-11 के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना का पुन:सँवितरित समुदाय-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बौद्ध	पारसी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कर्नाटक	39	35	0	0	0	74
2.	केरल	10	140	0	0	0	100
3.	मिजोरम	0	22	0	0	0	22

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	नागालैंड	0	70	0	0	0	70
5.	पंजाब	15	38	40	6	0	99
6.	सिक्किम	0	0	0	106	0	106
7.	तमिलनाडु	15	100	0	0	0	115
8.	पश्चिम बंगाल	10	0	10	10	0	30
9.	अंडमान और निकोबार	2	0	0	0	0	02
	योग	91	405	50	122	0	668

सड़क रहित गांव

753. श्री वरूण गांधी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसी बस्तियों की संख्या का आकलन किया है जहां अभी तक सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन स्थानों को सड़कों से जोड़ने हेतु विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रारंभ के समय, एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र कुल 1,68,268 बसावटों में से, 31,804 बसावटों को या तो अन्य योजनाओं के तहत जोड़े जाने की या व्यवहार्य न होने की जानकारी मिली थी। शेष 136464 बसावटों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था,जिसमें से जून, 2011 तक 79,281 बसावटों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों से जुड़ी बसावटों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है। कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली तथा पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमालच प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड), मरुभूमि क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथा निर्धारित), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्य योजना वाले जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क विहीन सभी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बसावटों की सड़क संपर्कता की स्थिति

क.सं.	राज्य	पात्र बसावटें	राज्य योजनाओं के तहत कवर की गई एवं व्यवहार्य न पाई गई बसावटें	निवल पात्र बसावटें	जून, 2011 तक सड़कों से जुड़ी बसावटें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,901	363	1,538	1,292
2.	अरूणाचल प्रदेश	819	9	810	273
3.	असम	12,185	1,316	10,869	6,279

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	10,034	–	10,034	5,269
5.	छत्तीसगढ़	9,855	7	9,848	5,955
6.	गोवा	20	–	20	2
7.	गुजरात	3,661	371	3,290	2,436
8.	हरियाणा	2	1	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3,861	110	3,751	1,826
10.	जम्मू और कश्मीर	2,792	68	2,724	804
11.	झारखंड	10,006	2,236	7,770	2,833
12.	कर्नाटक	274	5	269	269
13.	केरल	454	19	435	359
14.	मध्य प्रदेश	19,615	37	19,578	10,442
15.	महाराष्ट्र	1,925	364	1,561	1,089
16.	मणिपुर	654	–	654	199
17.	मेघालय	756	–	756	142
18.	मिजोरम	251	6	245	127
19.	नागालैंड	116	3	113	86
20.	उड़ीसा	18,339	208	18,131	6,142
21.	पंजाब	536	9	527	406
22.	राजस्थान	11,235	385	10,850	10,425
23.	सिक्किम	318	–	318	160
24.	तमिलनाडु	2,402	199	2,203	1,926
25.	त्रिपुरा	1,952	–	1,952	1,234
26.	उत्तर प्रदेश	28,842	14,869	13,973	11,081
27.	उत्तरांचल	2,531	92	2,439	590
28.	पश्चिम बंगाल	22,932	11,127	11,805	7,634
	कुल	1,68,268	31,804	1,36,464	79,281

उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि

754. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैश्विक दरों में बढ़ोतरी के कारण डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट पोटाश (एमओपी) की घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से इन दो महत्त्वपूर्ण उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कितनी अतिरिक्त सब्सिडी का भार पड़ने का अनुमान है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार 01.04.2010 (सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के लिए 01.05.2010) से पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति का कार्यान्वयन कर रही है। एनबीएस डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी, 18-46-0), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) सहित पीएण्डके उर्वरकों की 22 ग्रेडों पर लागू है। एनबीएस के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए राजसहायता का निर्धारण एनपीके और एस प्रत्येक पोषक तत्व पर प्रति किलोग्राम आधार पर किया जाता है और इसे सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जताा है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए प्रत्येक पोषक तत्व पर राजसहायता का निर्धारण किया गया है और इसकी घोषणा की गई है। वर्ष के मध्य में राजसहायता के स्तर की समीक्षा करने के लिए एनबीएस के अंतर्गत कोई नीति नहीं है। डीएपी और एमओपी पर एनबीएस योजना के अंतर्गत राजसहायता इस प्रकार है:

(रुपए प्रति मी.टन)

उत्पाद	2010-11 के दौरान राजसाहयता	2011-12 के दौरान राजसहायता
डीएपी	15968	19763
एमओपी	14392	16054

पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों द्वारा युक्ति संगत स्तर पर निर्धारित करने के लिए खुला रखा गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2010-11 के दौरान पीएण्डके उर्वरकों के लिए 65836.68 करोड़ रुपए के कुल राजसहायता बि में से 41500 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान उर्वरक राजसहायता वु लिए सभी उर्वरकों हेतु बजट अनुमान 53589.87 करोड़ रुपए हैं, जिसमें पीएण्डके उर्वरकों का 29706.87 करोड़ रुपए का बजट अनुमान भी शामिल है। राजसहायता पर वास्तविक व्यय वर्तमान वर्ष में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की वास्तविक खपत पर निर्भर करेगा।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. को वित्तीय सहायता

755. **श्री के.पी. धनपालन:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है; और

(ग) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम काय्रान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) विवरण निम्न अनुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित योजना ऋण	जारी योजना ऋण
2008-09	13.00	13.00
2009-10	34.00	34.00
2010-11	89.99	89.99
2011-12	60.74	30.37*

*राशि जारी करने के लिए दिया गया अनुमोदन।

(ग) पिछले 03 वर्षों के भौतिक और वित्तीय निष्पादन के संदर्भ में कंपनी की कार्य पद्धति नीचे दी गई है:

(मी. टन में)

उत्पादित उत्पाद	स्थापित क्षमता	उत्पादन		
		2008-09	2009-10	2010-11
एनपी मिश्रित उर्वकर (20:20:0:13)	633500	605047	753744	643639
अमोनियम सल्फेट	225000	128845	179546	200311
कैप्रोलेक्टम	50000	13548	42006	44345

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कारोबार	लाभ/हानि
2008-09	2147.48	42.95
2009-10	2141.62	(-) 103.84
2010-11 (अनंतिम)	2511.83	(-) 49.32

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अध्ययन

756. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी अध्ययन किया था जिसमें उसने इस संबंध में आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सरकार के मुख्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एचपी और बीपी डिपुओं का स्थानान्तरण

757. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के उन डिपुओं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में मानव बसावटों के निकट स्थित हैं, को स्थानान्तरित करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) ऐसे डिपुओं के निकट मानव बसावटों की संख्या कितनी है जहां गत तीन वर्षों के दौरान तेल डिपुओं में आग लगने की घटनाएं हुईं और इसके फलस्वरूप देश में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का 26 डिपुओं, जो मानव आवासों के नजदीक स्थित हैं, को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) एचपीसीएल और बीपीसीएल ने रिपोर्ट दी है कि गत तीन वर्षों के दौरान मानव आवासों के निकट स्थित उनके डिपुओं पर आग लगाने की कोई घटना नहीं हुई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली

758. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा:**
श्री अनंत कुमार:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली (एनटीडब्ल्यूएस) के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के परिणाम का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां देखने में आई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि मछुवारे सुनामी के खतरे के उपकरण को तोड़-फोड़ देते हैं और धातु के कलपुर्जो को ले जाते हैं जिससे संपूर्ण प्रणाली निष्क्रिय हो जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सुनामी के खतरे के उपकरण को चोरी होने/नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) विश्व में आने वाले भूकंपों तथा हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाली सुनामी का पता लगाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस), हैदराबाद में अक्टूबर, 2007 से प्रचलित राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली (एनटीडब्ल्यूएस) के कार्य-निष्पादन का अच्छी तरह मूल्यांकन किया गया। अभी तक उसमें कोई त्रुटि नहीं देखी गई है।

एनटीडब्ल्यूएस ने चालू होने के बाद अभी तक 6.5 से कम परिमाण वाले 259 भूकंपों (ईक्यू) को मॉनीटर किया है। इनमें से 51 भूकंप हिंद महासागर क्षेत्र में आए हैं। अंतरसरकारी समुद्र-वैज्ञानिक आयोग (आईओसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप किए गए मूल्यांकन तथा संयुक्त राष्ट्र भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के साथ तुलनात्मक कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	भूकंप आने और इसके बारे में प्रारंभिक सूचना जारी करने (स्थानीय/दूरस्थ) के बीच का समय	10/15 मिनट	06 मिनट
2.	हिंद महासागर में 6.5 से कम परिमाण वाले भूकंपों के पता लगाने की संभावना	100%	100%
3.	अधिकेंद्र वाले स्थान की यथार्थता (यूएसजीएस के संबंध में)	30 कि.मी. के भीतर	9.5 कि.मी.
4.	भूकंप गहराई की यथार्थता (यूएसजीएस के संबंध में)	25 कि.मी. के भीतर	22.5 कि.मी.
5.	भूकंप के एमडब्ल्यू परिमाण की यथार्थता (यूएसजीएस के संबंध में)	0.2	0.2
6.	आरटीडब्ल्यूपी प्रचालन कार्यो की विश्वसनीयता (ऊर्जा, कम्प्यूटर, संचार)	99.5%	प्राप्त की गई

एनटीडब्ल्यूएस, प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र (पीटीडब्ल्यूसी) तथा जापान मौसम-विज्ञान एजेंसी (जेएमए) द्वारा कुछ सुनामी जनित भूकंपों के लिए जारी किए गए पूर्वानुमानों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। अभी तक एनटीडब्ल्यूएस द्वारा केवल चार बार सुनामी से सतर्क रहने की सूचना/चेतावनी जारी की गई जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निकटवर्ती चुनिंदा स्रोत क्षेत्रें के लिए थी जबकि अन्य केंद्रों अर्थात पीटीडब्ल्यूसी, जेएमए ने इन सभी भूकंपों के लिए स्थानीय/प्रादेशिक/हिंद महासागर बेसिन-वार सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की। इससे स्पष्ट है कि हिंद महासागर के लिए एनटीडब्ल्यूएस द्वारा जारी सुनामी चेतावनी अधिक यथार्थ है।

इसके अतिरिक्त एनटीडब्ल्यूएस ने 3 प्रमुख वैश्विक समुद्री भूकंपों को भी मॉनीटर किया है: (1) 27 फरवरी, 2010 को 06:34:11 (यूटीसी) बजे आया (8.6 परिमाण) चिली भूकंप, (2) 25 दिसंबर, 2010 को 13:16:38 (यूटीसी) बजे आया (7:6 परिमाण) वानातू द्वीपसमूह भूकंप तथा (3) 11 मार्च, 2011 को 05:46:23 (यूटीसी) बजे आया (8.9 परिमाण) होन्शु, जापान का भूकंप। इन सभी भूकंपों के बारे में हिंद महासागर के लिए समय पर "कोई खतरा नहीं" बुलेटिन जारी किया गया ताकि भ्रमवश चेतावनी देने और लोगों को हटाने से बचा जा सके।

(ग) वर्ष 2009-10 में 10.56 करोड़ रुपए तथा 2010-11 के दौरान 10.0 करोड़ रुपए के अनुदानों का उपयोग किया गये है। चालू वर्ष 2011-12 के लिए 12 करोड़ का आबंटन किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) खुले समुद्र में तैनात नौबंधों को प्रचालित रखना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पास से गुजरने वाले जलयानों के कारण इनकी टूट-फूट, चोरी तथा इन्हें नुकसान हो सकता है। काम में न आ रहे नौबंधों को सहायता दल द्वारा आवश्यक पुर्जे बदल कर रखरखाव किया जा रहा है तथा शीघ्र मौका मिलते ही अनुसंधान जलयान का प्रयोग करते हुए खुले समुद्र में सेंसरों को बदला जाता/सर्विस की जाती है। खुले समुद्र की खराब परिस्थितियों की वजह से, अनुसंधान जलयानों की सर्विस संबंधी अधिकांश कार्य मानसून से भिन्न ऋतुओं के दौरान करना तय किया जाता है। भारतीय नौसेना से सहायता मांगी गई है।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने अब कुछ अतिरिक्त नौबंध बनाए हैं तथा खुले समुद्र में बिल्कुल सर्विस न किए जा सकने वाले नौबंध को अतिरिक्त नौबंध से बदला जा सकता है ताकि नौबंध ब्वॉय नेटवर्क को लगातार प्रचालित रखने की संभावना को बनाए रखा जा सके।

बहु कार्यात्मक परिसर

759. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा देशभर में बहु कार्यात्मक परिसरों (एमएफसी) वे रूप में विकसित करने के लिए स्टेशनों के चयन हेतु अपनाए गए मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार मिर्जापुर के धार्मिक महत्त्व और इसकी पर्यटन संभावना के मद्देनजर इसे एक बहु कार्यात्मक परिसर के रूप में विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मल्टी फंक्शनल कॉम्पलेक्स के विकास के लिए स्टेशनों का चयन उपलब्ध सुविधाओं, स्टेशन पर सम्हलाई किए जा रहे यात्री यातायात की अनुमानित मात्रा और वाणिज्यिक व्यावहारिकता के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, मल्टी फंक्शनल कॉम्पलेक्स के विकास के रूप में स्टेशनों की पहचान उत्तरोत्तर ढंग से की गई है। फिलहाल मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की पहचान मल्टी फंक्शनल कॉम्पलेक्स के विकास हेतु नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का निरीक्षण

760. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन मंडल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के निरीक्षण के लिए कितनी निरीक्षण दलों को भेजा गया है;

(ख) इसके परिणाम के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दलों ने मंत्रालय को बड़े पैमाने पर मौजूद अनियमितताओं की जानकारी दी है और मंत्रालय से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों (जनवरी, 2008-जून, 2011) के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़क कार्यों की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन मंडल में पांच जांच दल भेजे गए हैं।

(ख) जांच दलों ने मंदसौर जिले में एक सड़क कार्य और उज्जैन जिले में 11 (ग्यारह) सड़क कार्यों को असंतोषजनक पाया है।

(ग) जांच दलों की टिप्पणियों के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक महाप्रबंधक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और दूसरे महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, एक सहायक प्रबंधक और एक उप-अभियंता को भी निलंबित कर दिया गय है जबकि दूसरे सहायक प्रबंधक की वेतन वृद्धि रोक दी गई है।

[अनुवाद]

अपशिष्ट प्रबंधन को निगमित करना

761. **श्री नित्यानंद प्रधानः**
श्री बैजयंत पांडाः

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अपशिष्ट-प्रबंधन क्षेत्र को निगमित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

गंगा का संरक्षण

762. **श्री आनंदराव अडसुलः**
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को अपनी प्रारंभिक संचालनात्मक स्तरीय संस्थाओं के क्षमता निर्माण में इसकी सहायता हेतु विश्व बैंक से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋणराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या गंगा के संरक्षण के लिए सुसंगत ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करने हेतु एक अत्याधुनिक गंगा ज्ञान केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अत्याधुनिक गंगा ज्ञान केन्द्र की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(च) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना किस हद तक प्रदूषण में कमी लाएगी और गंगा में प्रदूषण की निगरानी के लिए केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (च) केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए 7000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अन्तर्गत अप्रैल 2011 में एक परियोजना अनुमोदित की है। विश्व बैंक इसके लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता देगा। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य, नदी के जल का संरक्षण और जल गुणवत्ता की पुनः स्थापना, केन्द्र और राज्यों में समर्पित कार्यान्वयन इकाइयों की स्थापना हेतु सांस्थानिक विकास घटक, गंगा ज्ञान केन्द्र की स्थापना, व्यापक जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण के लिए धन जुटाना है। परियोजना की अवधि 8 वर्ष होगी।

एनजीआरबीए ने संकल्प लिया है कि मिशन स्वच्छ गंगा के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक शहरों का अशोधित गंदा पानी अथवा औद्योगिक बहिःस्राव गंगा नदी में प्रवाहित नहीं होगा। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना एनजीआरबीए के मिशन स्वच्छ गंगा उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करेगी।

केन्द्र सरकार ने गंगा ज्ञान केन्द्र की स्थापना प्रारंभ कर दी है जो विश्लेषण और मॉडल तैयार करने तथा सुलभ सूचना हेतु गंगा नदी के संबंध में ज्ञान स्त्रोत का कार्य करेगा।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना

763. **श्री पी.सी. मोहनः**
श्री महाबल मिश्राः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः
श्री रामसिंह राठवाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना नामक एक योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत आवंटित की गई गैस एजेंसियों का राज्य-वार, जिला-वार और ग्राम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए प्रक्रिया और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस आशय को शिकायतें मिली है कि ये गैस एजेंसियां तेल कंपनियों द्वारा गोपनीय रूप से आबंटित की जार ही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लघु आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियों हेतु एक नई योजना, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) दिनांक 16.10.2009 को शुरू की गई है। उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है:-

(i) आरजीजीएलवीवाई के तहत एलपीजी एजेंसियां लघु आकार की होती हैं जिनके लिए अपेक्षाकृत कम वित्त बुनियादी ढ़ाचे की आवश्यकता होती है।

(ii) डिस्ट्रीब्यूटर अपने परिवार के सदस्य और एक या दो कर्मचारियों की सहायता से स्वयं एजेंसी को चलाता है।

(iii) डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आयु सीमा 21 और 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(iv) योजना के तहत, डिस्ट्रीब्यूटर, स्थल विशेष के तहत आने वाले गांवों का स्थायी निवासी अवश्य हों।

(v) इस योजना के तहत सभी एजेंसियां पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होती हैं। यदि कोई आवेदक एकल है तो विवाह के पश्चात् पति/पत्नी स्वत: ही भागीदार बन जाएंगे।

(vi) डिस्ट्रीब्यूटर का चयन उन सभी योग्य उम्मीदवारों, जो न्यूनतम 80% अर्हकारी अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षित स्थलों के लिए 60% अंक अर्जित करते हैं, के बीच से लाटरी केड्रा द्वारा किया जाता है।

योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन 26 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 3637 स्थलों को कवर करते हुए जारी कर दिए गए हैं। 989 स्थलों के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है जिनमें से 512 डिस्ट्रीब्यूटरों को पहले ही चालू कर दिया गया है।

उक्त योजना के तहत नियुक्त किए गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नवत् है:-

राज्य का नाम	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या
आंध्र प्रदेश	37
बिहार	66
छत्तीसगढ़	24
झारखंड	20
कर्नाटक	10
मध्य प्रदेश	46
महाराष्ट्र	80
उड़ीसा	29
राजस्थान	83
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	73
पश्चिम बंगाल	19

(ग) और (ङ) ओएमसीज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए एक पारदर्शी और एक समान प्रक्रिया का अनुसरण करती हैं। उक्त चयन दिशानिर्देश विभिन्न प्राचलों जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता, गोदाम और शोरूम के निर्माण के लिए भूमि, उम्मीदवार की वित्तीय क्षमता आदि के लिए समान योग्यता मानदंड निर्धारित करते हैं और चयन सभी योग्य उम्मीदवारों के बीच से

लाटरी के ड्रा की प्रक्रिया की महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे सिविल प्राधिकारियों, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य आदि के साथ सभी योग्य उम्मीदवारों की उपस्थिति में वीडियो रिकार्डिंग की जाती है और इसलिए गुपचुप तरीके से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन की कोई गुंजाइस नहीं है।

आरजीजीएलवीवाई के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में शिकायत का कोई सिद्ध मामला सरकार के जानकारी में नहीं आया है। लघु प्रक्रियागत भूलों वाले मामले जब और जहां सामने आते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है और जहां आवश्यक होता है उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत भ्रष्टाचार

764. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उड़ीसा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत कुछेक अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है/की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने एम.जी.एन.आर.जी.एस. के अंतर्गत धनराशि के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए राज्यों में कोई अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार को संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) उड़ीसा में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार सहित अनियमितताओं की कुल 58 शिकायतें इस मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। इनमें से अब तक 26 शिकायतों को निपटा दिया गया है। शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड न दिए जाने, निधियों के दुरुपयोग, ठेकेदारों को काम सौंपे जाने, मस्टर रोल में जालसाजी, जॉब कार्डों में हेराफेरी, मजदूरी के कम भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, मशीनरी के उपयोग, भुगतान में विलंब आदि से संबंधित हैं। अप्रैल, 2011 में उड़ीसा की राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद, केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार एवं निधियों के दुरुपयोग संबंधी आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के आदेश दिए थे। इस मामले में सीबीआई ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) और (च) इस बात की जांच करने के लिए अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया कि महात्मा गांधी नरेगा की निधियों का निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तथापि, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा, राष्ट्र स्तरीय निगरानी कर्ताओं एवं प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा दौरों आदि जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

(छ) 26.07.2011 की स्थिति के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार सहित अनियमितताओं के बारे में देश भर से कुल 2250 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1003 को निपटा दिया गया है। चूंकि अधिनियम का कार्यान्वयन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को नियमानुसार उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। गंभीर प्रकृति की शिकायतों के मामले में, मंत्रालय द्वारा राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं को शिकायतों की जांच के लिए भेजा जाता है। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

तेल अन्वेषण के स्थल

765. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां देश में तेल अन्वेषण कार्यकलाप चल रहे हैं;

(ख) देश में अपतटीय/अवतटीय तेल/गैस अन्वेषण में शामिल निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन निबंधन और शर्तों के तहत निजी कंपनियों को अन्वेषण अनुबंध दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अधिक तेल और गैस के अन्वेषण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) देश में पूर्वी और पश्चिमी अपतट, अंडमान अपतट, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में तेल अन्वेषण क्रियाकलाप चल रहे हैं।

(ख) वर्तमान में पीएससी व्यवस्था के तहत देश में जमीनी और अपतटीय क्षेत्रों में या तो प्रचालकों या गैर-प्रचालकों के तौर पर 38 निजी कंपनियां और 30 विदेशी कंपनियां तेल और गैस अन्वेषण कार्य में लगी हुई हैं।

(ग) ब्लॉकों के लिए निबंधन और शर्तें संबंधित अन्वेषण ब्लॉकों की उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के निबंधन और शर्तों के अनुसार हैं।

(घ) देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों को लाना।

(ii) उत्पादन आरंभ करने में सक्षम बनाने के लिए खोजे गए क्षेत्रों का तीव्रतर विकास।

(iii) मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्दीपन तकनीकी का प्रयोग।

(iv) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) का अनुपयोग।

(v) पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से कमी को नियंत्रित करना।

[हिन्दी]

सस्ती कीमतों पर एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति

766. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अनंतकुमार हेगड़े:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री रामकिशुन:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री अर्जुन राय:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री के. सुगुमार:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री जोस के. मणि:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को एक वर्ष में सब्सिडी पर केवल 6 घरेलू एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात गैस सिलिंडर की कितनी कीमत निर्धारित किए जाने का विचार है;

(घ) एलपीजी सिलिंडरों पर सब्सिडी को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गरीब परिवारों को पूरे वर्ष सब्सिडी पर एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उपभोक्ताओं को एक वर्ष में राजसहायता प्राप्त दर पर घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की सीमित संख्या देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उपभोक्ताओं को गैर-राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के सदर्भ में मूल्य निर्धारण और विपणन संबंधी तौर-तरीके के बारे में सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(घ) सरकार ने अभिप्रेत लाभार्थियों को घरेलू एलपीजी पर राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के लिए समाधान की सिफारिश और कार्यान्वयन करने के लिए फरवरी, 2011 में एक कार्यबल का गठन किया है।

(ङ) वर्तमान में, गरीब परिवारों सहित घरेलू उपभोक्ताओं के सभी वर्गों को पूरे वर्ष राजसहायता प्राप्त दरों पर घरेलू एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

जलाशयों की क्षमता

767. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग देशभर में फैले विभिन्न महत्त्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण स्थिति की निगरानी करता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मानसून के प्रारंभ में अभिकल्पित क्षमता की तुलना में इन प्रत्येक जलाशयों के भंडारण स्तर का जलाशय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जलाशयों में जल के ईष्टतम उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिंचाई और जल विद्युत क्षेत्रों में जलाशयों से किस हद तक संसाधन उपयोग में लाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश के 81 जलाशयों की भंडारण स्थिति की मानिटरिंग कर रहा है। इन 81 जलाशयों की अभिकल्पित सक्रिय भंडारण क्षमता की तुलना में चालू मानसून सत्र (1 जून, 2011) के प्रारंभ में प्रत्येक में सक्रिय भंडारण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जल, राजय का विषय होने के कारण बांधों/जलाशयों के जल का प्रचालन और विनियमन संबंधित परियोजना प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(ङ) इन जलाशयों से सिंचाई और जल विद्युत क्षेत्रों में जल उपयोग की मात्रा वर्षा पर निर्भर करती है और यह वर्ष-दर-वर्ष अलग-अलग होती है। तथापि, इन 81 जलाशयों से परिकल्पित सिंचाई तथा जल विद्युत लाभों को विवरण में दिया गया है।

विवरण

01.06.2011 तक

क्र.सं.	जलाशय का नाम	(राज्य)	लाभ: सिंचाई (कृष्य) कमान क्षेत्र) (सीसीए), हजार हेक्टेयर में	लाभ: जल विद्युत मेगावाट में (एमडब्ल्यू)	पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) पर सक्रिय क्षमता (विलयन क्यूबिक मीटर)	दिनांक 01.06.2011 तक सक्रिय भंडारण (विलियन क्यूबिक मीटर	एफआरएल पर सक्रिय क्षमता के प्रतिशत के अनुसार इस अनुसार इस वर्ष भंडारण
1	2		3क	3ख	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
*1.	श्रीसैलम	(आंध्र प्रदेश)	-	770	8.288	1.427	17
*2.	नागार्जुनसागर	(आंध्र प्रदेश)	895	810	6.841	3.935	58
3.	श्रीरामसागर	(आंध्र प्रदेश)	411	27	2.300	0.425	18
4.	सोमसिला	(आंध्र प्रदेश)	168	-	1.994	1.336	67

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	निचला मनैर	(आंध्र प्रदेश)	199	60	0.621	0.170	27
6.	तेनुघाट	(झारखंड)	-	-	0.821	0.169	21
7.	मैथन	(झारखंड)	342	-	0.471	0.062	13
*8.	पंचेट हिल	(झारखंड)	$	80	0.184	0.035	19
9.	कोनार	(झारखंड)	$	-	0.176	0.035	20
10.	तिलैया	(झारखंड)	$	4	0.142	0.012	8
*11.	उकाई	(गुजरात)	348	300	6.615	2.110	32
12.	साबरमती (धरोई)	(गुजरात)	95	1	0.735	0.089	12
*13.	कदाना	(गुजरात)	200	120	1.472	0.323	22
14.	शेतरंजी	(गुजरात)	36	-	0.300	0.027	9
15.	भादर	(गुजरात)	27	-	0.188	0.046	24
16.	दमनगंगा	(गुजरात)	51	1	0.502	0.042	8
17.	दांतीवाड़ा	(गुजरात)	45	-	0.399	0.001	0
18.	पानम	(गुजरात)	36	2	0.697	0.242	35
*19.	गोबिंद सागर (भाखड़ा)	(हिमाचल प्रदेश)	676	1200	6.229	1.887	30
*20.	पोंग बांध	(हिमाचल प्रदेश)	-	360	6.157	3.285	53
21.	कृष्णराजा सागर	(कर्नाटक)	79	-	1.163	0.248	21
*22.	तुगभद्रा	(कर्नाटक)	529	72	3.276	0.160	5
23.	घटप्रभा	(कर्नाटक)	317	-	1.391	0.130	9
24.	भद्रा	(कर्नाटक)	106	39	1.785	0.576	32
25.	लिंग्नामक्की	(कर्नाटक)	-	55	4.294	0.793	18
26.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	425	-	0.863	0.283	33
27.	मलप्रभा (रेनुका)	(कर्नाटक)	215	-	0.972	0.083	9
28.	कबिनी	(कर्नाटक)	85	-	0.275	0.000	0
29.	हेमावती	(कर्नाटक)	265	-	0.927	0.052	6
30.	हारंगी	(कर्नाटक)	53	-	0.220	0.086	39
31.	सुपा	(कर्नाटक)	-	-	4.120	0.785	19
32.	वाणीविलास सागर	(कर्नाटक)	123	-	0.802	0.342	43
*33.	अलमत्ती	(कर्नाटक)	@	290	3.105	0.268	9
*34.	गेरूसोप्पा	(कर्नाटक)	83	240	0.130	0.119	92

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	कल्लादा (पराप्पार)	(केरल)	62	-	0.507	0.084	17
*36.	इदमलयार	(केरल)	33	75	1.018	0.076	7
*37.	इदुक्की	(केरल)	-	780	1.460	0.316	22
*38.	कक्की	(केरल)	23	300	0.447	0.090	20
*39.	परियार	(केरल)	84	140	0.173	0.073	42
*40.	गांधी सागर	(मध्य प्रदेश)	220	115	6.827	0.000	0
41.	तवा	(मध्य प्रदेश)	247	-	1.944	0.442	23
*42.	बारगी	(मध्य प्रदेश)	157	90	3.180	0.577	18
*43.	बाणसागर	(मध्य प्रदेश)	488	425	5.166	0.426	8
*44.	इंदिरा सागर	(मध्य प्रदेश)	2380	1000	9.745	1.173	12
*45	मिनीमाता बंगोई	(छत्तीसगढ़)	-	120	3.046	1.121	37
46.	महानदी	(छत्तीसगढ़)	319	10	0.767	0.108	14
47.	जायकवाडी (पैथोन)	(महाराष्ट्र)	227	-	2.171	0.466	21
*48.	कोयना	(महाराष्ट्र)	-	1920	2.652	0.785	30
49.	भीमा (उज्जानी)	(महाराष्ट्र)	125	12	1.517	0.184	12
50.	इसापुर	(महाराष्ट्र)	104	-	0.965	0.506	52
51.	मुला	(महाराष्ट्र)	139	-	0.609	0.153	25
52.	येलदारी	(महाराष्ट्र)	78	-	0.809	0.290	36
53.	गिरना	(महाराष्ट्र)	79	-	0.524	0.075	14
54.	खड़कवासला	(महाराष्ट्र)	78	8	0.056	0.017	30
*55.	ऊपरी वैतरणी	(महाराष्ट्र)	-	61	0.331	0.142	43
56	ऊपरी तापी	(महाराष्ट्र)	45	-	0.255	0.034	13
*57.	पेंच (तोतलादोह)	(महाराष्ट्र)	127	160	1.091	0.454	42
*58.	हीराकुंड	(उड़ीसा)	153.	307	5.378	0.969	18
*59.	बालीमेला	(उड़ीसा)	-	360	2.676	0.720	27
60.	सालंदी	(उड़ीसा)	42	-	0.558	0.009	2
*61.	रेंगाली	(उड़ीसा)	3	200	3.432	0.161	5
*62.	मचंकुंड (जलपुत)	(उड़ीसा)	-	115	0.893	0.603	68
*63	ऊपरी कोलाब	(उड़ीसा)	89	320	0.935	0.228	24
*64	ऊपरी इंद्रावती	(उड़ीसा)	128	600	1.456	0.3471	23

1	2	3	4	5	6	7	8
*65	थीन	(पंजाब)	348	600	2.344	1.224	52
*66	माही बजाज सागर	(राजस्थान)	63	140	1.711	0.043	3
67.	जाखम	(राजस्थान)	28	-	0.132	0.007	5
*68.	राणा प्रताप सागर	(राजस्थान)	229	172	1.436	0.111	8
69.	निचली भवानी	(तमिलनाडु)	105	8	0.792	0.274	35
*70.	मेत्तूर (स्टेनले)	(तमिलनाडु)	122	360	2.647	2.449	93
71.	वैगई	(तमिलनाडु)	61	6	0.172	0.061	35
72.	पाराम्बीकुलम	(तमिलनाडु)	101	-	0.380	0.277	73
73	अलियार	(तमिलनाडु)	#	60	0.095	0.056	59
*74	सोलायार	(तमिलनाडु)	-	95	0.143	0.014	10
75	गुमती	(त्रिपुरा)	-	15	0.312	0.017	5
76	माताटिला	(उत्तर प्रदेश)	-	30	0.707	0.158	22
*77.	रिहंद	(उत्तर प्रदेश)	-	300	5.649	0.313	6
*78.	रामगंगा	(उत्तरांचल)	1897	198	2.196	0.862	39
*79.	टिहरी	(उत्तरांचल)	2351	1000	2.615	0.037	1
80	मयूराक्षी	(पश्चिम बंगाल)	227	-	0.480	0.076	16
81.	कंग्सावती	(पश्चिम बंगाल)	341	-	0.91	0.050	5
	81 जलाशय के लिए कुल		17112	14533	151.768	36.235	
	प्रतिशत					24	

*60 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जल विद्युत

$ दामोदर घाटी निगम प्रणाली की 342 हजार हेक्टेयर कुल सीसीए

परंवीकूलम और अलियार का 101 हजार हेक्टेयर कूल सीसीए

@ नारायणपुर और अलमनी का 425 हजार हेक्टेयर कुल सीसीए

+ साबरमती जलाशय को पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा जल की अनुपुर्ति की गई।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम

768. श्री उदय सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्नन पक्षों से उस स्थिति में किसानों को भूमि लौटाने हेतु सुझाव प्राप्त हुएं यदि कोई प्रस्तावित परियोजना अधि ग्रहण के पांच वर्षो के भीतर शुरू होने में विफल होती है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या किसानों को मानदंडों के अनुरूप भूमि केएवज में मुआवजा दिया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) जी, नहीं। भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए इस विभाग द्वारा एकीकृत भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और

पुनर्स्थापन विधेयक, 2011 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोगों से परामर्श के लिए विधेयक का मसौदा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक को अंतिम रूप दे रही है। विधेयक के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(ङ) इस समय किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में निहित मानदण्डों/उपबंधों के अनुसार अधिगृहीत की जा रही भूमि के बदले मुआवजे दिए जा रहे हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

769. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः
श्री मंगनी लाल मंडलः
श्री जगदानंद सिंहः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) रासायनिक उर्वरकों की कीमतों की निगरानी के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों की उत्पादन लागत कम करने के लिए उपायों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(च) सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) सरकार ने नियंत्रण्यामुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति (एनबीएस) शुरू की है। एनबीएस डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी), डीएपी लाइट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फास्फेट (एमएपी), ट्रिपल सुपर फास्फेट (टीएसपी), अमोनियम सल्फेट (एएस) और सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) सहित पीएण्डके उर्वरकों की 22 ग्रेडों और एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों की 15 ग्रेडों पर लागू है। ऊपर उल्लिखित उर्वकरों में निहित प्राथमिक पोषक-तत्वों नामतः एन.पी.के. (नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश) तथा द्वितीयक पोषक-तत्व 'एस' (सल्फर) एनबीएस के लिए पात्र है। एनबीएस के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वकरों पर राजसहायता प्रति कि.ग्रा. आध ार पर एन.पी.के. और एसवु प्रत्येक पोषक-तत्व वु लिए निर्धारित की जाती है तथा इसे सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। एनबीएस का निर्धारण सरकार द्वारा किसानों की वहनीयता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उर्वकर आदानों के प्रचलित मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पीएण्डके उर्वकरों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 01.04.2010 से पहले सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते थे तथापि 01.04.2010 से एनबीएस के कार्यान्वयन के साथ इन उर्वरकों के एमआरपी को खुला रखा गया है और उर्वरक उत्पादक कंपनियों अथवा आयातकों को युक्तिसंगत स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

चूंकि, एनबीएस के अंतर्गत राजसहायता का निर्धारण एक वर्ष के लिए किया जाता है। उर्वरकों और उर्वरक कच्ची सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी का प्रभाव इन उर्वरकों के एमआरपी पर पड़ता है जिसका निर्धारण कंपनियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 के दौरान उर्वरकों और आदानों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वर्ष 2010 की तुलना में अत्याधिक वृद्धि हुई हैं वर्ष 2010-11 के दौरान उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को एनबीएस योजना के तहत वर्ष 2011-12 के लिए राजसहायता का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा गया है। तदनुसार 2010-11 की तुलना में इस वर्ष राजसहायता में वृद्धि की गई है। पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

एनबीएस के अंतर्गत उर्वकर	एनएीएस 2011-12 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक (रुपए प्रति मी.टन)	एनबीएस 2010-11 1 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 (रुपये प्रति मी.टन)
1	2	3
ए.एस: 20 6-0-0-23	5979	5195

1	2	3
डीएपी: 18-46-0-0	19763	15968
डीएपी लाइट: 16-44-0-0	18574	14991
एमओपी: 0-0-60-0	16054	14392
एमएपी: 11-52-0-0	19803	15879
टीएसपी: 0-45-0-0	14876	11787
एसएसपी: 0-16-0-11	5359	4296
एनपीएस: 16-20-0-13	11030	9073
एनपीएस: 20-20-0-13	12116	10002
एनपी: 20-20-0-0	11898	9770
एनपी: 23-23-0-0	13683	11236
एनपी: 24-24-0-0	14278	11724
एनपी: 28-28-0-0	16658	13678
एनपीके: 10-26-26-0	18080	15222
एनपीके: 12-32-16-0	17888	14825
एनपीके: 14-28-14-0	16602	113785
एनपीके: 14-35-14-0	18866	15578
एनपीके: 15-15-15-0	12937	10926
एनपीकेएस: 15-15-15-09	13088	11086
एनपीके: 16-16-16-0	13800	11654
एनपीके: 17-17-17-0	14662	12383
एनपीके: 19-19-19-0	16387	13839

01.04.2007 से खरीफ 2011-12 तक राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों की एमआरपी दर्शाने वाला विवरण में दिया गया है।

यूरिया सरकारी नियंत्रणाधीन है तथा इसका आयात सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सारणीबद्ध एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यूरिया पर एनबीएस योजना कार्यान्वित नहीं की गई है तथा यह नई मूल्य-निर्धारण योजना-III (एनपीएस-III) द्वारा अधिशासित होती है। यूरिया की एमआरपी हमेशा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा पिछली बार इसे आठ वर्षों के अंतराल के बाद 1 अप्रैल, 2010 से 4830 रुपये प्रति मी. टन से बढ़ाकर 5310 रुपये प्रति मी.टन किया गया था।

एनबीएस नीति के अंतर्गत-मंत्रालय समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है जिसमें सचिव (उर्वरक) अध्यक्ष तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), व्यय विभाग (डीओई), योजना आयोग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति अपनी बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों की भी निगरानी करती है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं

कराया गया है। पीएण्डके उर्वरकों की एनबीएस योजना के पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसके कारण उर्वरक उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के लिए उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम कर देंगे।

(च) उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता को डीएपी, यूरिया, एमओपी तथा सल्फर के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के रुझानों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है।

(ii) सरकार राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत शामिल उर्वकरों पर भाड़ा राजसहायता भी उपलब्ध कराती है।

(iii) सरकार ने सभी आयातित वस्तुओं पर 5% प्रतिकारी शुल्क लगाने की घोषणा की है जिसे देश में उर्वरकों के मूल्यों पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए उर्वरकों के मामले में घटाकर 1% किया गया था।

(iv) सरकार ने 4 सितम्बर, 2008 को यूरिया इकाइयों के लिए नई निवेश नीति अधिसूचित की थी, जिसमें व्यापक दक्षता, ऊर्जा मानकों में कमी तथा यूरिया के उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है।

विवरण

01.04.2007 के बाद से उर्वरकों की एमआरपी दर्शाने वाला विवरण

(रुपए प्रति मी.टन में)

क्र.सं.	उर्वकरों का ग्रेड	1.4.2007 से 17.6.2008 के दौरान एमआरपी	18.6.08 से 31.3.2009 के दौरान एमआरपी	1.4.09 से 31.3.2010 के दौरान एमआरपी	1.4.2010 से एमआरपी (खरीफ 2010)	रबी 2010-11 के दौरान एमआरपी	एफएमएस के अनुसार खरीफ 2011 के दौरान एमआरपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डीएपी/(स्वदेशी)	9350	9350	9350	9950	10750	11765/12500
	डीएपी (आयातित)	9350	9350	9350	9950	9950	12000
2.	डीएपी लाइट (फरवरी 2011 से शुरू)	-	-	-	-	अभी बाजार में नहीं है	-
3.	एमएपी	9350	9350	9350	9950	10750	-
4.	एमओपी	4455	4455	4455	5055	5055	6000/6064
5.	टीएसपी	7460	7460	7460	8060	8860	-
6.	एसएसपी	3400	4600	4600	3200	3200	4200
7.	16-20-00-13	7100	5875	5875	6475	7800	9466/9645
8.	20-20-0-13	7280	6295	6295	6895	8216	9803/10488
9.	20-20-00-00	7280	5343	5943	5943	7995	7500/9861
10.	23-23-00-00	8000	6145	6145	6745	7445	-
11.	24-24-00-00 (1.10.2010 से शुरू)	-	-	-	-	अभी बाजार में नहीं है	10000
12.	28-28-00-00	9080	7481	7481	8281	11628	11577/11810

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	10-26-26-00	8360	7197	7197	7897	9256	10458/10910
14.	12-32-16-00	8480	7637	7637	8337	9568	11200/11313
15.	14-28-14-00	8300	7050	7050	7650	7650	–
16.	14-35-14-00	8660	8185	8185	8785	10296	11272/11622
17.	15-15-15-00	6980	5121	5121	5721	7121	8200
18.	15-15-15-09 (1.10.2010 से शुरू)	–	–	–	–	अभी बाजार में नहीं है	8000/9300
19.	17-17-17-00	8100	5804	5804	6404	6404	–
20.	19-19-19-00	8300	6487	6487	7287	7287	–
21.	16-16-16-00 1.7.2010 से शुरू)	–	–	–	6560	7100	–
22.	अमोनियम सल्फेट	–	10350	10350	8500	7800	7000/7900
23.	यूरिया	4830	4830	4830	5310	5310	5310

ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना

770. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक गहरे जल में तेल और गैस के अन्वेषण के अनुभव से युक्त प्रमुख कंपनियों के प्रवेश से देश के ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा मिल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान मे, निम्नलिखित प्रचालक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) प्रणाली के तहत देश में हाइड्रोकार्बन्स के लिए गहरे समुद्र में अन्वेषण कार्य कर रहे हैं।

1. आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)।
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
3. बीएचपी बिल्लिटन पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया।
4. कैर्न एनपर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूके।
5. ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (अल्फा) यूके।
6. ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) लिमिटेड, यूके।
7. सैन्टोस इंटरनेशनल ऑपरेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया।
8. ईएनआई (इंडिया) लिमिटेड, इटली।

(ग) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत देश में, गहरे समुद्री क्षेत्रों सहित, हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण के लिए बोली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। गहरे समुद्र में तेल और गैस के अन्वेषण में अनुभव रखने वाली प्रमुख कंपनियां एनईएलपी बोली दौरों में भागीदारी कर सकती हैं।

गया-चतरा रेल सम्पर्क

771. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत किए गए गया-चतरा रेल संपर्क की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसको शीघ्रता से पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। चतरा जिले में 37.672 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। भूमि के उपलब्ध होने के पश्चात आगे कार्यों को शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

एम.पी.लैड योजना के अंतर्गत शिकायतें

772. श्री अशोक अर्गल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपी लैड) के अंतर्गत कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त कार्यों के कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही के कारण अभी तक कितने जिला कलेक्टरों को चेतावनी दी गई है/निलंबित किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि को देश के विभिन्न राज्यों में समय-सीमा के भीतर खर्च नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जिला प्राधिकारियों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित शिकायतें मंत्रालय में समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) संघीय व्यवस्था में, राज्य सरकार के जिला कलेक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। चूंकि इस मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी केवल राजय सरकारें हैं, इसलिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों के कायान्वयन में कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले जिला कलेक्टरों की संख्या से संबंधित सूचना केवल राज्य स्तर पर उपलब्ध रहती है।

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देशों में यह तय किया गया है कि कार्यों को पूरा करने में सामान्यतया एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तथापि, कुछ जिला प्राधिकारियों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कार्यान्वित करने के बारे में दिशानिर्देशों में तय की गई समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया है। जला स्तर और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार स्तर पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वास्तविक एवं वित्तीय नोडल सचिवों के साथ दो समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है। 30.06.2011 तक निधियों के उपयोग का संचयी प्रतिशत 90.69% है।

(घ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 30.06.2011 तक उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए मे (30.6.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	जारी की गई विधि ब्याज सहित	किया गया व्यय	जारी की गई निधि की तुलना में उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1815.89	1633.17	92.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	94.20	89.42	96.00
3.	असम	641.92	571.18	90.87
4.	बिहार	1668.34	1395.75	85.71

1	2	3	4	5
5.	गोवा	91.22	76.78	92.34
6.	गुजरात	1100.20	974.67	91.23
7.	हरियाणा	457.53	405.43	90.85
8.	हिमाचल प्रदेश	219.89	188.62	88.85
9.	जम्मू एवं कश्मीर	279.94	233.82	85.40
10.	कर्नाटक	1186.75	1042.32	90.07
11.	केरल	852.96	730.66	89.99
12.	मध्य प्रदेश	1236.03	1124.69	93.14
13.	महाराष्ट्र	1997.93	1771.18	92.31
14.	मणिपुर	94.03	85.57	91.86
15.	मेघालय	93.21	85.47	93.77
16.	मिजोरम	62.52	60.49	97.41
17.	नागालैंड	62.17	55.10	88.73
18.	उड़ीसा	931.40	813.03	89.34
19.	पंजाब	627.21	571.59	94.55
20.	राजस्थान	1031.37	937.53	92.62
21.	सिक्किम	63.31	57.12	91.98
22.	तमिलनाडु	1742.62	1638.03	96.56
23.	त्रिपुरा	88.87	80.70	91.55
24.	उत्तर प्रदेश	3368.72	2942.17	88.94
25.	पश्चिम बंगाल	1670.67	1472.43	90.90
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	27.92	23.34	86.28
27.	चंडीगढ़	29.77	26.78	92.19
28.	दादरा एवं नगर हवेली	28.86	27.56	101.89
29.	दमन एवं दीव	31.30	28.23	90.92
30.	दिल्ली	281.19	211.47	79.80
31.	लक्षद्वीप	31.21	21.28	73.25
32.	पुडुचेरी	57.15	49.76	95.51
33.	छत्तीसगढ़	468.40	420.33	91.85
34.	उत्तराखंड	226.73	195.72	87.67
35.	झारखंड	551.20	474.99	87.52
36.	मनोनीत	320.24	269.07	86.23
	अखिल भारत	23532.57	20785.45	90.74

गैस उत्पादन में गिरावट

773. श्री अनंत कुमार हेगडे:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006 में नए प्राक्कलन के अनुसार 5.2 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ केजीडी-6 से प्रतिदिन 80 मिलियन क्यूबि मीटर गैस का उत्पादन अपेक्षित था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कया यह भी सच है कि 'मिड आयल फील्ड' में अनुमानित उत्पादन नहीं हो सका है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ; और

(ङ) इस तेल क्षेत्र में कब से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ और कितने समय के पश्चात् उत्पादन में गिरावट हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2006 में प्रबंधन (एमसी) ने क्षेत्र के 13 वर्ष के जीवन काल के लिए दो चरणों वाले 8.8 मिलियन अमरीकी डॉलर (चरण-1:5:2 बिलियन अमरीकी डॉलर और चरण-2:3:6 बिलियन अमीरकी डॉलर) के अनुमानि पूंजीगत व्यय से केजी-डी-6 ब्लाक में डी-1 और डी-3 गैस क्षेत्रों के लिए विकास योजना (एफडीपी) अनुमोदित की थी। प्राकृतिक गैस की परिकल्पित अनुमानित अधिकतम उत्पादन दर 80 मिलियन मिट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) थी।

(ग) और (घ) अनुमोदिन क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) के अनुसार, वर्ष 2011-12 के लिए, 22 उत्पादक कूपों से डी-1 और डी-3 क्षेत्रों से परिकल्पित गैस उत्पादन 61.88 एमएमएससीएमडी था। तथापि, 2010-12 (अप्रैल-जून, 11) के दौरान, 16 उत्पादक कूपों से औसत गैस उत्पादन 40.5 एमएमएससीएमडी है।

जहां तक केजी-डी-6 ब्लाक में एमए तेल क्षेत्र का संबंध है, अप्रैल-जून, 11 के दौरान तेल का औसत उत्पादन 15511 बैरल तेल प्रतिदिन (बीओपीडी) था जबकि अनुमोदित एफडीपी के अनुसार, उत्पादन प्रोफाइल 20890 बीओपीडी है।

(ङ) केजी-डी-6 ब्लाक में डी-1 और डी-3 क्षेत्रों से गैस का उत्पादन 1.4.09 से शुरू हुआ था। एफडीपी अनुमोदित उत्पादक कूपों की संख्या की तुलना में उत्पादक कूपों की कम संख्या होने के कारण, गैस की उत्पादन दर कम है।

2009-10 में डी- और डी-3 क्षेत्रों में गैस का उत्पादन 14.35 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) था और 2010-11 में 17.57 बीसीएम था। एमए क्षेत्र से वाणिज्यिक कच्चे तेल का उत्पादन 17.9.08 से प्रारंभ हुआ था। एमए क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन क्रमश: 2008-09 में 0.129 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी), 2009-10 में 0.502 एमएमटी और 2010-11 में 1.078 एमएमटी था। इस प्रकार, एमए क्षेत्र से उत्पादन में कोई गिरावट नहीं दर्शाई है।

[अनुवाद]

अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट दुर्घटना

774. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि मालगाड़ी के ब्रेक लीवर के यात्रियों से टकरा जाने के कारण अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 5 व्यक्ति मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि रेलवे में अधिकारियों की लापरवाही के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उत्तर रेलवे के अलीगढ़ जंक्शन पर एक असामान्य दुर्घटना हुई थी, जिसमें प्लेटफार्म सं. 2 पर प्रतीक्षारत 6 यात्रियों की वहां से गुजर रही मालगाड़ी के ढीले हैण्ड ब्रेक व्हील और वैगन के स्पिंडल से टकराने के पश्चात् मृत्यु हो गई। स्पिंडल अपने सोकेट से निकल गया था और यह पहिए के साथ ही प्लेटफार्म की ओर मुड गया जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई।

(ग) ओर (घ) जी नहीं। बहरहाल, भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाएं रोकने तथा संरक्षा में वृद्धि के लिए सतत् आधार पर हर संभव कदम उठाए जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा ढोए जा रहे यातायात की मात्रा में हो रही वृद्धि के बावजूद प्रति मिलियन गाड़ी किमी दुर्घटना, जो कि एक महत्त्वपूर्ण संरक्षा इंडेक्स है, के आंकड़ों में भी 2001-2002 के दौरान 0.55 से लेकर 2010-11 में 0.15 तक कमी आई है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

775. श्री अनंत कुमारः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य-पूर्व के कुछ देश भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने और तेल और गैस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को सरल बनाने के लिए भी सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) भारतीय कंपनियां नामतः गेल (इंडिया) लिमिटेड और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), एलएनजी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए रास गैस, कतर के साथ बातचीत कर रही हैं। तथापि, अभी तक कोई करार नहीं हुआ है।

पीपीपी आधार पर आधारित परियोजनाएं

776. श्री अनंत कुमारः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर नई रेल लाइनें बिछाने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संभावित लाभ के बारे में क्या आकलन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। फिलहाल, सार्वजनिक निजी भागदारी माध्यम के आधार पर नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में नए दिशानिर्देश निर्धारित करने का रेल मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस संबंध में दिशानिर्देश पहले से मौजूद हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र द्वारा पेट्रोलियम के खुदरा बिक्री केन्द्र

777. श्री महाबल मिश्राः क्या **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को पूरे देश में पेट्रोलियम के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इन बिक्री केन्द्रों पर सरकारी दरों से काफी अधिक मूल्य लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) दिनांक 08 मार्च, 2002 के संकल्प के अनुसार सरकार ने पांच निजी कंपनियों नामतः मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ईओएल), मैसर्स शेल इंडिया मर्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएमपीएल), मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) और मैसर्स नागार्जुन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनओसीएल) को परिवहन ईंधन का विपणन का प्राधिकार प्रदान किया गया है।

दिनांक 01.07.2011 की स्थिति के अनुसार आरआईएल, ईओएल, एसआईएमपीएल ने देश में क्रमशः 1429, 1371 और 65 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) स्थापित किए हैं।

आरपीएल और एनओसीएल ने देश में कोई आरओ स्थापित नहीं किया है।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां वाणिज्यिक दृष्टिकोण से मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और ये निर्णय सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण संबंधी प्रतिबंधों की शर्त के अध्यधीन नहीं हैं।

बुलेट/तीव्र गति ट्रेन

778. श्री एम.के. राघवनः
श्री महेश जोशीः
श्री दत्ता मेघेः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बुलेट/तीव्र गति ट्रेन चलाने की संभावनाएं तलाशने में रेलवे द्वारा की गई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का इस संबंध में जापान से कोई सहयोग करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूरे देश में यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ऐसी ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे द्वारा इस कार्य को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इसमें शामिल वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु चिन्हित मार्गों और मुख्य स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) एक विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने के लिए कालीकट में विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल मंत्रालय ने देश में उच्च गति वाली यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ लागत में 50:50 की भागीदारी के आधार पर 6 चुने गए मार्गों पर पूर्व व्यावहार्यता अध्ययन कराने का विनिश्चय किया है। सभी 6 मार्गों के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और अध्ययन विभिन्न चरणों पर हैं।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल मंत्रालय ने उच्च गति रेल परियोजनाओं की योजना बनाने, मानक तय करने, इनको कार्यान्वित और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय उच्च गति रेल प्राधिकरण (एनएचएसआरए) के गठन का भी निर्णय लिया है और इस विषय पर रेल मंत्रालय को परामर्श देने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

(ङ) इन परियोजनाओं के निष्पादन में वित्तीय निहितार्थों का पता केवल पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने और इनपुट लागतों की गणना होने के बाद ही चल पाएगा। संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए चुने गए मार्ग निम्नानुसार है:

(i) दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर (दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब)

(ii) पूणे-मुंबई-अहमदाबाद (महाराष्ट्र और गुजरात)

(iii) हैदराबाद-द्रोणकल-विजयवाड़ा-चेन्नै (आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु)

(iv) चेन्नै-बैंगलोर-कोयम्बटूर-एर्णाकुलम (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल)

(v) हावड़ा-हल्दिया (पश्चिम बंगाल)

(vi) दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वाराणसी-पटना (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार)

(च) स्टेशन के आस-पास की भूमि और एयर स्पेस की रीयल एस्टेट संभावनाओं का लाभ उठाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए कोजीकोड (कालीकट) स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए बोली प्रक्रिया आरंभ की गई है। पीपीपी मोंड में और स्थानीय एजेंसियों की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। इस संबंध में, क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रारंभिक गतिविधियां आरंभ कर दी गयी हैं।

पिछड़े मुस्लिमों के लिए आरक्षण

779. श्री शेख सैदुल हक: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी सेवाओं में कार्यरत मुस्लिमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें रंगनाथ मिश्र आयोग के अनुसार अब तक सभी सरकारी सेवाओं में पिछड़े मुस्लिमों को दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने स्व-रोजगार उद्देश्यों हेतु मुस्लिमों को कोई बैंक ऋण सुविधाएं आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने अब तक रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों पर कोई की-गई-कार्रवाई (ए.टी.आर.) को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें चुनिंदा राज्य सरकारों में सरकारी नौकरियों में नौकरी-प्राप्त मुस्लिमों का आंकड़ा दिया गया है, सुसंगत आंकड़ा नीचे दिया गया है:-

राज्य	कर्मचारियों की कुल संख्या	राज्य की नौकरियों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी (%)
पश्चिम बंगाल	134972	2.1
केरल	268733	10.4
उत्तर प्रदेश	134053	5.1
बिहार	78114	7.6
असम	81261	11.2
झारखंड	15374	6.7
कर्नाटक	528401	8.5
दिल्ली	135877	3.2
महाराष्ट्र	915645	4.4
आंध्र प्रदेश	876291	8.8
गुजरात	754533	5.4
तमिलनाडु	529597	3.2
राज्यों का जोड़	4452851	6.3

(ख) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम), जिसे सामान्यत: रंगनाथ मिश्र आयोग के रूप में जाना जाता है, की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 18.12.2009 को प्रस्तुत की गयी थी। चूंकि रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, इसलिए एनसीआरएलएम रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़े मुस्लिमों को 10% का आरक्षण देने वाले राज्यों का प्रश्न इस चरण पर असामयिक है।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मुस्लिमों सहित अन्य अल्पसंख्यकों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान किया जाता है। 2010-11 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 143396.70 करोड़ प्रदान किये गये हैं।

(ङ) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गयी है।

(च) कमीशन ऑफ इक्क्वायरी ऐक्ट. 1952 के अधीन गठित आयोगों के मामले में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) संसद में प्रस्तुत करनी अनिवार्य है, जबकि एनसीआरएलएम का गठन सरकारी संकल्प सं. 1-11/2004-एमसी(डी), दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 को किया गया था।

(छ) आयोग की सिफारिशों/निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियां हेतु जारी कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजा बाजार में रेल उपरि पुल (आरओबी)

780. **श्री जगदीश शर्मा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में जहानाबाद के निकट रा.रा. 110 पर राजा बाजार में पटना-गया रेल खंड के अंतर्गत गुजरने वाला अंडर पास सौ वर्ष पुराना है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके परिणामस्वरूप इस राजमार्ग पर भारी यातायात के कारण घंटों जाम लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोग हित में जहानाबाद में राजा बाजार में पटना-गया रेल खंड पर एक रेल उपरि पुल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। पटना-गया खंड में जहानाबाद और जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के बीच किमी 46/11-13 पर एक रेलवे पुल सं. 69 है। यह पुल लगभग 70 वर्ष पुराना है और अच्छी स्थिति में है। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इस पुल का उपयोग अंडरपास के रूप में कया जा रहा है। तत्पश्चात् इस स्थानीय सड़क को सड़क प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-110 के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस सड़क पर भारी यातायात और इस अंडरपास पर ज्यामितीय तंगियों के कारण ट्रैफिक जाम रहता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा कवरेज

781. **श्री रामकिशुन:**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री पी लिंगम:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2009 से अपने यात्रियों को बीमा कवर प्रदान करना बंद किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा वर्ष 2009 से दुर्घटनाओं के कारण कितना मुआवजा प्रदान किया गया है;

(घ) क्या रेलवे को रेल दुर्घटनाओं के पीडितों को अपने संसाधनों से मुआवजा प्रदान करने के कारण भारी हानि उठानी पड़ती है;

(ङ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने बीमा कवर नहीं खरीदने का निर्णय लिया था; और

(च) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) जी हां। रेलवे द्वारा 20.09.2008 के बाद से कोई बीमा कवर नहीं किया गया है। बहरहाल, रेल दुर्घटनाओं या अप्रिय घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे इसके लिए बीमा किया गया है या नहीं। सामान्य बीमाकर्ताओं से लिया गया बीमा कवर रेलवे द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एक आंतरिक व्यवस्थ है।

(ख) रेल मंत्रालय ने रेलवे यात्री बीमा योजना को निम्नलिखित आधार पर समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है:

(i) 2008-09 में सबसे कम बोलीदाता द्वारा बताया गया प्रीमियम क़ाफी अधिक था।

(ii) बीमा कवर व्यापक नहीं था और बीमा योजना के अंतर्गत सममारों पर दुर्घटनाएं, तत्काल अनुग्रह सहायता, रेल दावा अधिकरणों/न्यायालयों द्वारा लगाए गए ब्याज की राशि, आदि जैसे रेलवे द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती थी।

(iii) सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा समय पर प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता था।

(iv) प्रीमियम और राशि, जिसकी रेलवे को प्रतिपूर्ति की जानी थी, की गणना के लिए सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा विवाद उत्पन्न कया गया था और उसे एकतरफा निर्णय लेकर रोक लिया गया था।

(ग) रेलवे द्वारा 2009 से अभी तक दुर्घटनाओं के कारण भुगतान किए गए मुआवजे की राशि का विवरण इस प्रकार है:

2009-10 140.74 करोड़ रुपए

2010-11 182.40 करोड़ रुपए

(घ) बिना बीमा कवर किए और बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना किए बिना लाभ या हानि की गणना नहीं की जा सकती।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

आईओसी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान

782. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पेट्रोल पंपों का निर्माण करने संबंधी ठेकेदारों का भुगतान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिनको इंडियन आयल कॉर्पोरेशन द्वारा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) उन ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) क्या बकाया धनराशि का भुगतान करने हेतु सकरार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (र्क) इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, मामलों को निपटाने के लिए किसी भी शिकायत के समाधान हेतु आईओसी के पास एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है।

(ख) और (ग) अपने विभिन्न राज्य कार्यालयों के द्वारा आईओसी ने वर्ष 2009-10, 2010-2011 और 2011-12 (चालू वर्ष) में 2003 संविदाओं के माध्यम से नए पेट्रोल पंपों का निर्माण पूरा किया है। इनमें से केवल 66 संविदाओं के लिए अंतिम बिल का भुगतान बकाया है और इनमें से भी 54 संविदागत भुगतान शर्तो के अधीन है और इनका भुगतान बाद में कर दिया जाएगा। शेष

12 कार्यों में विसंगति के कारण लंबित हैं। संबंधित ठेकेदारों द्वारा विसंगति दूर करने पर इनका भुगतान कर दिया जाएगा। इन ठेकेदारों का ब्यौरा आईओसी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) संविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार से अंतिम बिल प्राप्त होने के 30 दिन के आईओसी बिल की जांच करेगी और इसे सत्यापित करेगी। सत्यापन की तारीख से 90 दिन के अंदर सत्यापित बिल के अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रिफाइनरियों की क्षमता का विस्तार

783. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रिफाइनरी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विस्तार कार्य में होने वाले संभावित व्यय का रिफाइनरी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सकरार ने ऐसे विस्तार कार्य को पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उन रिफाइनरियों का ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसा विस्तार कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है और इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार ने उक्त कार्यों को पूरा करने के कार्य को गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) देश में कुल 193.386 एमएमटीपीए शोधन क्षमता की 21 रिफाइनरियां (17 सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में और 1 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ओमान आयल कम्पनी के संयुक्त उद्यम के रूप में) प्रचालनरत हैं। विभिन्न रिफाइनरियों की क्षमता को बढ़ाने संबंधी निर्णय संबंधित तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा लिए जाते हैं। पीएसयूज से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में संलग्न विवरण के अनुसार क्षमता विस्तार कार्यान्वयनाधीन है।

विवरण

रिफाइनरी विस्तार परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	रिफाइनरी का नाम	वर्तमान शोधन क्षमता (एमएमटीपीए)	प्रस्तावित शोधन क्षमता (एमएमटीपीए)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	पूरा होने की लक्ष्य तारीख है (हां/नहीं)	क्या पीछे चल रही	यदि हां तो इसके कारण	शीघ्रता लाने के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मंगलौर रिफाइनरी, चरण-III रिफाइनरी परियोजना, एमआरपीएल	11.82	15.0	12160.24	फरवरी, 2012	हां	• भूमि अधिग्रहण में विलंब • बीएचईएल द्वारा निजी विद्युत संयंत्र (सीपीपी) के लिए धीमी प्रगति • 2010 के दौरान मानसून अवधि बढ़ने से निर्माण कार्यकलाप प्रभावित • कोंकण रेलवे से समय पर परमिट नहीं मिलने के कारण पत्तन से साइट पर ओडीसी उपस्कर के परिवहन में विलंब	• अतिरिक्त ठेकेदार लगाए गए हैं। • सीपीपी के लिए बीएचईएल के शीर्षस्थ स्तर तक कार्रवाई की गई। • कमीशनिंग-पूर्व/आरंभन गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान रिफाइनरी व्यवस्था में में वाष्प एवं विद्युत के विस्तार की विकल्पतः योजना बनाई गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	सीपीसीएल रिफाइनरी, मणाली-चेन्नई	10.5	11.1	333.99	मई, 2012	हां	• ठेका प्रदान करने में विलंब	• हीटर आशोधन कार्य के के लिए दिनांक 4.7.2011 को मैसर्स थर्मेक्स को ठेका प्रदान किया गया। • संयुक्त कार्यों के लिए 20.08.2011 तक ठेका प्रदान करने का लक्ष्य है।
3.	पारादीप रिफाइनरी, अभयचन्द्रपुर, आईओसीएल	नई	15.0	29777.00	नवंबर, 2012	हां	• एलएसटीके ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति • प्रचलित कानून और व्यवस्था समस्याओं के कारण साइट कार्यों में निरंतर व्यवधान निर्माण गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है।	• एलएसटीके ठेकेदारों द्वारा अतिरिक्त संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। • कानून और व्यवस्था की समस्याओं के समाधान हेतु उड़ीसा सरकार के शीर्षस्थ स्तर पर बैठक।
4.	एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड, बठिंडा (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पीटीई लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) की पंजाब रिफाइनरी, बठिंडा	नई	9	18919.00	सितंबर, 2011	नहीं		

पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल का निर्यात

784. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत से पेट्रोल और डीजल के आयात हेतु पाकिस्तान से कोई अनुराधे प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त अनुरोध पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्यात की निबंधनों और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिवों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग के संबंध में वार्ता के 5वें दौर में "दोनों पक्ष यह तय करने पर सहमत हो गए कि सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को कैसे शुरू किया जाए और उसका पर्याप्त रूप से विस्तार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए दोनों पक्षों की ओर से एक विशेषज्ञ समूह का गठन 15.6.2011 से पहले किया जाएगा। यह समूह अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार व्यवस्थाओं, सीमा पारीय पाइपलाइनों का निर्माण और मुनाबाओ-खोकरापार रूट सहित सड़क/रूट के उपयोग के संबंध में चर्चा करेगा। समूह की पहली बैठक सितंबर, 2011 से पहले होगी।"

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार का विस्तार करने के लिए भारतीय पक्ष द्वारा एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है और इसका गठन, विचारार्थ विषय आदि को पाकिस्तान पक्ष को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नई दिल्ली में समूह की पहली बैठक में भाग लेने के निमंत्रण सहित संसूचित कर दिया गया है।

पेयजल का संवर्धन

785. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में पेजयल का संवर्धन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पेजयल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, यथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करता है। राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समितियों में राज्य स्तर पर पेयजल आपूर्ति योजना प्रस्तावों को मंजूर किया जाता है। पेयजल आपूर्ति का कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को नहीं भेजना होता है। कर्नाटक सरकार से राज्य में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाड़मेर में रिफाइनरी

786. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री महेश जोशी:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का उपक्रम, ओएनजीसी उक्त रिफाइनरी की स्थापना में मुख्य प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में ओएनजीसी के साथ कोइ विपणन करार किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहनों और रियायतों के बावजूद रिफाइनरी की व्यवहार्यता उत्पादों की विपणनीयता पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सहायता के संबंध में जहां कोई निर्णय नहीं हुआ है, वहीं आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इक्विटी ढांचे के संबंध में राजस्थान सरकार से परामर्श कर रही है।

लघु उद्योगों का बंद होना

787. श्री महेश जोशी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बंद हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की राज्य और संघ राज्य-वार पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे उद्यमों के बंद होने से बेरोजगार हुए व्यक्तियों की राज्य-वार और संघ राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या साकरा विचार बंद एमएसएमई का पुनरुद्धार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्रदान किए गए/प्रस्तावित पैकेज का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) रजिस्टर्ड सेक्टर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बंद होने संबंधी जानकारी केवल गणना के माध्यम से प्राप्त होती है जो पांच वर्ष में एक बार होती है। संदर्भ वर्ष 2006-07 की 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना की अंतिम रिपोर्ट 2006-07: रजिस्टर्ड सेक्टर के अनुसार देश भर में बंद हुए उद्यमों की राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ऐसे उद्यमों के बंद होने से बेरोजगार हुए व्यक्तियों की राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की

चौथी अखिल भारतीय गणना की अंतिम रिपोर्ट 2006-07 रजिस्टर्ड सेक्टर के अनुसार रजिस्टर्ड सेक्टर में रोजगाररत व्यक्तियों की संख्या 93.09 लाख है जो लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना 2001-02 की तुलना में 51.04% अधिक है जिससे पता चलता है कि रोजगार में कोई नेट कमी नहीं आई है।

(ग) और (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रेडिट उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलई), जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी शामिल हैं, के द्वारा रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के पुनरूद्धार के लिए नये ऋण देने सहित, ऋण के नवीनीकरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए हैं:-

(i) रूग्ण एमएसई का पुनरुत्थान (जनवरी 2002);

(ii) व्यवहार्य मानदंडों से संबंधित ऋण के नवीनीकरण की प्रक्रिया, नवीनीकृत लेखों के लिए मितव्ययी मानक, पैकेज के लिए अतिरिक्त वित्त का प्रावधान और समय सीमा (सितंबर 2005); तथा

(iii) एमएसई सेक्टर के लिए गैर-विवेकाधीन एक-बारगी निपटान स्कीम (ओटीएस) सहित नवीनीकरण/पुनरूत्थान की नीति (मई 2009)।

विवरण

31.3.2007 तक बंद हो चुके एमएसएमई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बंद
1	2	3
1.	जम्मू व कश्मीर	1831
2.	हिमाचल प्रदेश	4034
3.	पंजाब	24553
4.	चंडीगढ़	559
5.	उत्तराखंड	8219
6.	हरियाणा	10973
7.	दिल्ली	0
8.	राजस्थान	17342
9.	उत्तर प्रदेश	80616
10.	बिहार	16344
11.	सिक्किम	86
12.	अरुणाचल प्रदेश	167
13.	नागालैंड	2395
14.	मणिपुर	929
15.	मिजोरम	669
16.	त्रिपुरा	424
17.	मेघालय	665
18.	असम	6266
19.	पश्चिम बंगाल	10708
20.	झारखंड	3712
21.	उड़ीसा	5744
22.	छत्तीसगढ़	15485
23.	मध्य प्रदेश	36502
24.	गुजरात	34945
25.	दमन व दीव	24
26.	दादरा व नगर हवेली	0
27.	महाराष्ट्र	41856
28.	आंध्र प्रदेश	2250
29.	कर्नाटक	47581
30.	गोवा	2754
31.	लक्षद्वीप	0
32.	केरल	34903
33.	तमिलनाडु	82966
34.	पुडुचेरी	711
35.	अंडमान व निकोबार	142
	संपूर्ण भारत	496355

[हिन्दी]

भूजल का प्रदूषित होना

788. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल शोधन संयंत्रों का नवीरकण या उनके स्थान पर आरओ प्रणाली लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल की शुद्धता की निगरानी करने के लिए देश में कुल कितनी गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं मौजूद हैं और इन प्रयोगशालाओं में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से अपनी क्षमता का उपयोग कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन के संबंध में मद्यनिर्माणशाला जैसे उद्योगों ने वातावरण में व्याप्त एवं अवशेष को सह-भष्मीकरण/खाद बनाने के लिए पुन: चकित करने हेतु प्रतिवर्ती परासरण (आरओ) प्रक्रिया अपनाई है। बहि:स्राव गुणवत्ता निगरानी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और ये प्रयोगशालाएं निर्धारित मानदंडों की अनुपालना का सत्यापन करेंगी।

(ग) अनेक राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 691 जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 814 उप-मंडलीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं (विवरण)। वर्तमान में जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में विभिन्न क्षमताओं के कुल 2176 पद हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की 16 रसायनिक प्रयोगशालाएं, केन्द्रीय जल आयोग की 23 प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की एक प्रयोगशाला है। वर्तमान में इन प्रयोगशालाओं में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में विभिन्न स्तरों पर 25 पद तथा केन्द्रीय जल आयोग में 69 पद रिक्त पड़े हैं।

(घ) और (ङ) अनेक संगठनों की रसायनिक प्रयोगशालाएं विद्यमान जनशक्ति के साथ अपनी क्षमतानुसार कार्य कर रही हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान जिलों/उप-मंडलीय प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण की प्रगामी स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थापित जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या (कुल)	जिला प्रयोगशाला में उपलब्ध जनशक्ति	स्थापित उप मंडलीय प्रयोगशालाओं की संख्या (कुल)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	51	259	27
2.	बिहार	39	85	0
3.	छत्तीसगढ़	20	52	1
4.	गोवा	0	0	10
5.	गुजरात	26	102	0
6.	हरियाणा	19	41	11
7.	हिमाचल प्रदेश	18	13	3
8.	जम्मू एवं कश्मीर	8	39	0

1	2	3	4	5
9.	झारखंड	24	30	3
10.	कर्नाटक	41	261	71
11.	केरल	14	93	16
12.	मध्य प्रदेश	51	155	66
13.	महाराष्ट्र	30	232	381
14.	उड़ीसा	32	22	5
15.	पंजाब	20	39	15
16.	राजस्थान	32	194	0
17.	तमिलनाडु	63	126	46
18.	उत्तर प्रदेश	72	138	2
19.	उत्तराखंड	17	65	0
20.	पश्चिम बंगाल	34	4	80
21.	अरुणाचल प्रदेश	17	28	30
22.	असम	23	62	6
23.	मणिपुर	9	18	2
24.	मेघालय	7	5	0
25.	मिजोरम	8	24	12
26.	नागालैंड	1	4	10
27.	सिक्किम	0	0	0
28.	त्रिपुरा	4	11	15
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	2
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	50	0
35.	पुडुचेरी	2	24	0
	कुल	691	2176	814

राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना

789. श्री भूदेव चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के थूरिया-रतलाम खंड में अप्रैल, 2011 माह में दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिनांक 18.04.2011 को गाड़ी संख्या 12951 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की एक घटना तब हुई थी, जब गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे के नागदा-कोटा खंड पर चल रही थी। इससे एक रसोई यान और तीन एसी थ्री टायर सवारी डिब्बों में आग लग गई थी। एक यात्री गंभीर रूप से और दो व्यक्तियों मामूली रूप से घायल हुए थे।

(ग) ओर (घ) नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा इस मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। सीआरएस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आग की घटना 'रेलवे कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की विफलता के कारण हुई थी। गाड़ियों में आग लगाने की घटनाओं में कमी लाने के उपायों में सवारी डिब्बों में अग्नि रोधक सामग्रियों की व्यवस्था करना, चल स्टॉक और स्थिर संस्थापनाओं में इलेक्ट्रीकल फॉयर सेंसिंग और अग्नि शामक प्रणाली की व्यवस्था और राजधानी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में व्यापक अग्नि एवं स्मोक डिटेक्शन प्रणाली की व्यवस्था का परीक्षण इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

केरोसीन का आबंटन

790. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले केरोसीन तेल (एसकेओ) की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान केरोसीन के आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत एसकेओ की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में अन्तर होने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल के आबंटन और पीडीएस मिट्टी तेल के प्रति व्यक्ति आबंटन के राज्य-वार ब्यौरो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पूर्वाधार की दृष्टि से, वर्ष 2010-11 तक विभिन्न कारकों जैसे बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के शहरीकरण की डिग्री आदि में परिवर्तन के कारण राज्य-दर-राज्य पीडीएस मिट्टी तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अलग-अलग रही है।

विवरण

राज्यों/संघ क्षेत्रों को किलो लीटर में पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस मिट्टी तेल का प्रति व्यक्ति आबंटन (लीटर में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12 के लिए आबंटन	2010-11 के लिए आबंटन	*2011-12 के लिए पीसीए	*2010-11 के लिए पीसीए
1	2	3	4	5	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7248	7248	19.08	19.08

1	2	3	4	5	
2.	आंध्र प्रदेश	530808	595800	6.27	7.04
3.	अरुणाचल प्रदेश	11628	11736	8.41	8.49
4.	असम	330708	331176	10.61	10.63
5.	बिहार	820320	824760	7.90	7.95
6.	चंडीगढ़	7332	9168	6.95	8.69
7.	छत्तीसगढ़	186600	186972	7.31	7.32
8.	दादरा एवं नगर हवेली	2484	3036	7.25	8.86
9.	दमन व दीव	2016	2328	8.30	9.58
10.	दिल्ली	61380	138900	3.66	8.29
11.	गोवा	19776	22680	13.57	15.56
12.	गुजरात	673584	920556	11.16	15.25
13.	हरियाणा	157260	172632	6.20	6.81
14.	हिमाचल प्रदेश	32472	40260	4.74	5.87
15.	जम्मू व कश्मीर	95082	95082	7.58	7.58
16.	झारखंड	270276	270852	8.20	8.22
17.	कर्नाटक	539544	562812	8.83	9.21
18.	केरल	197124	225096	5.90	6.74
19.	लक्षद्वीप	1020	1020	15.83	15.83
20.	मध्य प्रदेश	626412	626412	8.63	8.63
21.	महाराष्ट्र	1258812	1564176	11.20	13.92
22.	मणिपुर	25344	25344	9.31	9.31
23.	मेघालय	26064	26136	8.79	8.82
24.	मिजोरम	7836	7920	7.18	7.26
25.	नागालैंड	17100	17100	8.63	8.63
26.	उड़ीसा	400944	403140	9.56	9.61
27.	पुडुचेरी	10440	15732	8.39	12.64
28.	पंजाब	272556	285396	9.84	10.30
29.	राजस्थान	511404	511644	7.45	7.46

1	2	3	4	5	
30.	सिक्किम	6588	6600	10.84	10.86
31.	तमिलनाडु	551352	633648	7.64	8.78
32.	त्रिपुरा	39264	39300	10.70	10.71
33.	उत्तर प्रदेश	1592700	1593768	7.98	7.99
34.	उत्तराखंड	107520	111060	10.63	10.98
35.	पश्चिम बंगाल	964728	965388	10.56	10.57
36.	राष्ट्रीय औसत	10365726	11254878	8.57	9.30

नोट : जम्मू और कश्मीर के लिए किए गए आबंटन में लद्दाख क्षेत्र के लिए वार्षिक आधार पर 4626 कि.ली. का आबंटन शामिल है।
*पीसीए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर है।

हैंड पंपों का लगाया जाना

791. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत हैंडपंप लगाने हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन मानदंडों में छूट प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप लगाने सहित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित की गई हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों में तुलनीयता के प्रयोजनार्थ कवरेज का तात्पर्य परिवार से 500 मी. के दायरे में अथवा जल लाने के लिए गए 30 मिनट के समय में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे मेडिकल कॉलेज

792. डॉ. शशी थरूरः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेट्टाह, तिरुवनंतपुरम में रेलवे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु कोई अतिरिक्त भूमि का अर्जन करने में सहायता के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया गया है; और

(घ) उक्त कॉलेज की स्थापना और उसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) बजट 2009-10 के दौरान, पीपीपी मॉडल पर मौजूदा रेलवे अस्पतालों के साथ 18 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। मेडिकल कॉलेज दो चरणों में स्थापित किए जाएंगे। चरण-I में 5 मेडिकल कॉलेज अर्थात खड़गपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, चेन्नई और सिकंदराबाद को शामिल किया जाएगा। शेष स्थानों के लिए मेडिकल कॉलेज अगले चरण में स्थापित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

सिंगापुर से गैस का आयात

793. श्री अर्जुन रायः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या के.जी.डी. 6 गैस भंडार से गैस के कम उत्पादन के कारण तेल क्षेत्र की सरकारी कंपनी, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने सिंगापुर से गैस का आयात करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त भंडारों में कितना कम उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने गेल के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) केजीडी 6 क्षेत्र से पूर्व उत्पादन लगभग 60 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) तक पहुंच गया था। तथापि, दिसम्बर, 2010 से उत्पादन में गिरावट शुरू हो गई और जून, 2011 में केजीडी6 क्षेत्र के औसत उत्पादन लगभग 47 एमएमएससीएमडी रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों के प्रस्ताव

794. **श्री अब्दुल रहमान:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री हरिन पाठक:
डॉ. कृपारानी किल्ली:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण और/अथवा मौजूदा स्टेशनों का उन्नयन/विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण और/या मौजूदा स्टेशन के ग्रेडोन्नयन/विकास और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की सूची नीचे दी गई तालिका में राज्य-वार दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	जिस कार्य के लिए अनुरोध किया गया	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	असम	डेकरगांव	डेकरगांव स्टेशन का विकास	चूंकि रंगिया-रंगापाडा नॉर्थ-मुरकोंगसेलेक खंड पर आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है, डेकरगांव स्टेशन आमान परिवर्तन के दौरान विकसित किया जाएगा।
2.		नासिक रोड	नासिक रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं का विकास.	प्रस्ताव की जांच की गई है। चूंकि पर्याप्त रेल भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए नासिक रोड का टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास व्यवहारिक नहीं है।
3.		धारावी	धारावी पर नए रेलवे जंक्शन का निर्माण.	भूमि की तंगी के कारण धारावी पर जंक्शन स्टेशन मुहैया कराना व्यवहारिक नहीं है।
4.	महाराष्ट्र	पुणे	लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए पुणे में नया टर्मिनल और पुणे-लोनावला उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए पृथक टर्मिनल.	पुणे स्टेशन के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें आवश्यक अनुरक्षण लाइनों सहित ईएमयू लोकल रेलगाड़ियों के लिए 2 प्लेटफार्म और लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए 2 प्लेटफार्म रखे गए हैं, जो यातायात के भावी स्तर से निपटने के लिए पर्याप्त होंगे।

1	2	3	4	5
5.		तरिक्कारपुर	स्टेशन भवन का पुनरुद्धार	इन स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
6.		एदाकाड	प्लेटफार्मों में विकास कार्य	निधि उपलब्ध होने और सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों की आवश्यकता की जांच की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।
7.	केरल	वडाकारा	ग्रेडोन्नयन और अन्य यात्री सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्य	इन स्टेशनों की आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए पहचान की गई है।
8.		तलासेरी	पहुंच मार्ग में सुधार	तलासेरी और वडाकारा में इस योजना के
9.		माहे	विकास कार्य	अंतर्गत मूलभूत ग्रेडोन्नयन कार्य पूरे हो गए हैं। माहे स्टेशन पर ग्रेडोन्नयन कार्य प्रगति पर हैं।
10.		नेदुम्बासेरी	हाल्ट स्टेशन का विकास	हाल्ट स्टेशन के विकास के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है।
11.	पुडुचेरी	-	पुडुचेरी के निकट समपार सं. 42 और 43 के बीच नया हाल्ट स्टेशन खोला जाना	पुडुचेरी के निकट समपार सं. 42 और 43 के बीच नया हाल्ट स्टेशन खोले जाने के प्रस्ताव को वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया है क्योंकि प्रस्तावित स्थान पुडुचेरी से विलुपुरम के तक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की ओर रेडियारपलायम पर पुडुचेरी स्टेशन से केवल 3 किमी की दूरी पर है जो कि निरंतर बस सेवा से जुड़ा हुआ है।
12.	तमिलनाडु	पल्लीनेलियानूर	पल्लीनेलियानूर हाल्ट स्टेशन को पुनः खोला जाना	जहां तक पल्लीनेलियानूर हाल्ट स्टेशन को पुनः खोले जाने का संबंध है, जो 01.09.1991 को अलोकप्रिय होने के कारण बंद कर दिया गया था क्योंकि इस क्षेत्र में निरंतर बस सेवा उपलब्ध थी और इसे पुनः खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
13.		मनगम्मापेट	हाल्ट स्टेशन का विकास	प्रस्ताव की व्यवहारिकता की जांच की जा रही है।
14.	उड़ीसा	जयपुर-क्योंझार रोड	आधुनिकीकरण, विस्तार और	जयपुर-क्योंझार रोड, जखपुरा, डोईकल्लू, लापांग,
15.		जखपुरा	ग्रेडोन्नयन	बोईडा, मीरामुन्डाली, नयागढ़, खेरदा रोड और
16.		डोईकल्लू		रेनगाली स्टेशनों की आदर्श स्टेशन योजना के
17.		लापांग		अंतर्गत विकास के लिए पहचान की गई है।
18.		बोईडा		जहां तक परजन और रजतगढ़ स्टेशनों का
19.		मीरामुन्डली		संबंध है यहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
20.		नयागढ़		ग्रेडोन्नयन के लिए निधि उपलब्ध होने और
21.		खेरदा रोड		सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों
22.		रेनगाली		की आवश्यकता की जांच की जाएगी और
23.		परजन		उन पर विचार किया जाएगा।
24.		रजतगढ़		

[हिन्दी]

इंफोटेनमेंट प्रणाली

795. श्री उदय प्रताप सिंहः
श्री लाल चन्द्र कटारियाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में 'इंफोटेनमेंट' योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का उक्त योजना को एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में भील लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) चलती गाड़ियों में ऑडियो/वीडियो सूचना प्रसारित करने और गाड़ियों में मनोरंजन के लिए खुली निविदा के माध्यम से प्रणाली स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुछ गाड़ियों में यह प्रणाली पहले ही शुरू कर दी गई है जिनमें गाड़ी सं. 16649/16650 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-मेंगलौर सेंट्रल परसुराम एक्सप्रेस, 12613/12614 बैंगलूरू मैसूर टिप्पू एक्सप्रेस, 12725/12725 धारवाड़ बैंगलूरू सिद्ध गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस, 16202/16201 शिमोगा टाउन बैंगलूरू इंटरसिंटी एक्सप्रेस और 16215/16216 बैंगलूरू मैसूर चामुंडी एक्सप्रेस शामिल है।

[अनुवाद]

मानूसन के कारण रेल यातायात में बाधा

796. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने मानसून मौसम के दौरान कोंकण रेल मार्ग में रेल यातायात में बाधा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु किसी अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने किसी ऐसे उपाय पर विचार किया है जिससे इस संकट का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (च) संवेदनशील स्थलों की पहचान करने और इनकी नियमित जांच करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं और इनकी मजबूती के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। कोंकण रेलवे ने संरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग किया है। समाधानों की सूची में निम्नलिखित शामिल है:

(i) बर्मस की व्यवस्था करने, ढलान को आसान बनाने और तीव्र ढलानों को समतल करना।

(ii) सुरंगों और कटिंगों का शटक्रिटिंग और रोक बोल्टिंग

(iii) चट्टाने गिरने से रोकने के लिए उच्च शक्ति और मध्यम शक्ति के स्टील ब्राउल्डर नेटिंग की व्यवस्था करना।

(iv) आरसीसी पुश्ता दीवारों और गोबिआन दीवारों की व्यवस्था करना।

(v) माइको ड्रेनों और केच वाटर ड्रेन लाइनिंग की व्यवस्था करना तथा

(vi) रेल कैच फैंसिंग, सैंड डैम्पनर्स, वेटीवर प्लानटेशन इत्यादि।

उपर्युक्त सभी उपाय स्थाई प्रकृति के हैं और इन उपायों में से अथवा उनके ग्रुप में से किसी भी एक का विशिष्ट आवश्यकता के बारे में अपेक्षित श्रम के बाद उपयोग किया जाता है जो विशेष स्थान पर समस्या की प्रकृति पर निर्भर कतरा है। धन की कुल आवश्यकता लगभग 400 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें से 252 करोड़ रुपये का कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है और 148 करोड़ रुपये का शेष कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन सुरक्षा कार्यों का व्यय कोंकण रेलवे द्वारा अपनी परिचालनिक कार्य की बचतों से किया जाएगा।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का मूल्य एवं उत्पादन

797. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल का औसत मूल्य क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि कर आयात पर निर्भरता को कम करना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य-योजना तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि का रूख रहा है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का औसत वार्षिक मूल्य निम्नवत् है:-

वर्ष	कच्चे तेल का औसत मूल्य (भारतीय बॉस्केट) डालर प्रति बैरल
2008-09	83.57
2009-10	69.76
2010-11	85.09
2011-12 (29 जुलाई, 2011 तक)	112.73

(ग) से (ङ) देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और कोल बैड मिथेन (सीबीएम) के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों का लाना।

(ii) उत्पादन आरंभ करने में सक्षम बनाने के लिए खोजे गए क्षेत्रों का तीव्रतर विकास।

(iii) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि के लिए उद्दीपन तकनीकों का प्रयोग।

(iv) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) का अनुप्रयोग।

(v) पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से कमी को नियंत्रित करना।

[अनुवाद]

औषधियों की अधिक कीमत लेना

798. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री नरहरि महतो:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थोक औषधियों के मूल्यों को संशोधित करने के लिए व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ भेषज कंपनियां अपनी औषधियों और संपाकों की बगैर किसी नियंत्रण/रोक के अधिक कीमत लेती है;

(ग) यदि हां, तो औषधियों के मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान औषधि विनियामक द्वारा पकड़े गए मूल्य उल्लंघन संबंधी मामलों की संख्या क्या है एवं त्रुटिकर्ता औषधि कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) देश में किफायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में जीवरक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निध्ारण/संशोधन किया जाता है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों के अधीन इसकी अनुसूची-I में शामिल 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य, नियंत्रण के अधीन हैं। बल्क औषधियों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना/डाटा के आधार पर किए गए विस्तृत लागत और प्रौद्योगिकी-आर्थिक अध्ययन के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के पैरा 3 के अधीन किया जाता है। बल्क औषधियों के मूल्यों के निर्धारण/संशोधन से संबद्ध कार्यपद्धति निम्नानुसार है:

I निर्माताओं को प्रश्नावली देकर डाटा एकत्रित करना;

II निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत डाटा का सत्यापन करना;

III तकनीकी पेरामीटरों तथा अध्ययन में विचारित लागत ब्यौरों के आधार पर लागत विवरण तैयार करना।

IV इस प्रकार निर्धारित मूल्य का प्राधिकरण के सदस्यों से अनुमोदन करवाना;

V सरकारी राजपत्र में बल्क औषधि के अधिकतम बिक्री मूल्य को अधिसूचित करना।

तथापि कतिपय परिस्थितियों के अधीन जब निर्माता मूल्य निर्धारण/संशोधन के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो बल्क औषधि के मूल्य का निर्धारण/संशोध न उपलब्ध सूचना के अनुसार डीपीसीओ, 1995 के पैरा II के अधीन किया जाता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

(ख) और (ग) एनपीपीए द्वारा डीपीसओ, 1995 के प्रावधानों के अनसुर अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन किया जताा है। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में एनपीपीए गैर अनुसूचित फार्मूलशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की भी नियमित आधाार पर जांच करता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। कोई भी व्यक्ति एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी औषधि/फार्मूलेशन को नहीं बेच सकता है।

तथापि कई कंपनियों के बारे में यह पाया गया है कि वे एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्यों का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही हैं। मामलों में एनपीपीए द्वारा राज्य औषध नियंत्रकों (एसडीसी) से प्राप्त रिपोर्ट, अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची के सत्यापन तथा अनुसूचित पैकों की अपनी ओर से खरीद के आधार पर अधिप्रभारित मूल्यों के संबंध में कार्यवाही की जाती है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाय जाता है कि वह एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर औषधियाँ/फार्मूलेशनों की बिक्री कर रही है तो डीपीसीओ, 1995 के पैरा 13 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन एनपीपीए द्वारा उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है। अधिप्रभार की पुष्टि वाले मामलों के बारे में संबंधित औषध कंपनियों को मांग नोटिस जारी किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने अगस्त, 1997 में अपनी स्थापना के समय से गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्यों का निर्धारण किया है, और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वैच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामत: घटे हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (31 जुलाई, 2011 तक) के दौरान पता चले अधिप्रभार के मामलों के आधार पर औषधि केपनियों को एनपीपीए द्वारा जारी किए गए मांग नोटिसों, संगत वर्षों के दौरान औषधि कंपनियों से मांगी गई ब्याज सहित अधि प्रभारित रकम तथा उनसे वसूल हुई रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की सं.	ब्याज सहित अधिप्रभारित रकम (करोड़ रुपये में)	प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2008-09	135	435.62	51.41
2.	2009-10	89	156.22	35.41
3.	2010-11	49	188.17	17.26
4.	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	19	18.69	2.54

(ङ) जीवन रक्षक औषधियाँ डीपीसीओ, 1995 में परिभाषित नहीं हैं। तथापि एनपीपीए को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह औषधियों की उपलब्धता की मॉनीटरिंग करे और य.पता लगाए कि दवाइयों की कमी तो नहीं है तथा औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए उपचारी कदम उठाए। एनपीपीए अपने इा दायित्व का निर्वाह मुख्य रूप से राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त मासिक क्षेत्रीय रिपोर्टों तथा अन्य उपलब्ध सूचना के आधार पर कर रहा है। जब कभी देश के किसी भाग में किसी दवाई/दवाइयों विशेष की कमी की सूचना मिलती है तो संबंधित कंपनी से कहा जाता है कि वह तुरन्त स्टाक भेजकर दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

इसके अतिरिक्त औषध विभाग द्वारा सभी के लिए उचित मूलय पर दवइयाँ उपलब्ध कराने के प्रयोजन से जन औषधि अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत कम मूल्य वाली गुणवत्ता युक्त गैर ब्रांड वाली जेनेरिक दवाइयाँ जन औषधि बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इस समय देश के विभिन्न राज्यों में जुलाई, 2011 तक 105 जन औषधि बिक्री केन्द्र खोले जा चुके हैं।

[हिन्दी]

न्याय का अधिकार

799. श्री दत्ता मेघे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचर देश में न्याय का अधिकार जैसा कोई कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नौकरी संबंधी रैकेट

800. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारती रेल में टिक जांचकर्ता (टीसी) की नौकरी का वादा करने वाले रैकेट का हाल ही में भंडाफोड किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) रेलों में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर टिकट संग्रहक (टीसी) की नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से पैसा एकत्रित करने में संलिप्त व्यक्तियों के एक रैकेट का भंडाफोड़ दिनांक 22.11.2010 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल में हुआ था। इस मामले में, 13 व्यक्तियों (जो अपने आपको उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे), जिन्हें रेलवे में टीसी के पद पर नियुक्त करने के लिए लाया गया था और 5 दलाल, जो फर्जी नियुक्ति प्रमाणपत्र देने में लिप्त थे, को गिरफ्तार किया

गया था। स्थानीय पुलिस/टिहार ने दिनांक 22.11.2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 419/420, 467, 471 के तहत मामला संख्या 423/2011 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था तथा 19.1.11 को भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 420, 467, 471 के अंतर्गत 02/2011 के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/कटिहार न्यायालय में विचाराधीन है।

आरआरबी/गुवाहटी की वेबसाइट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने वाली वेबसाइट की दो अन्य घटनाओं का पता लगा है और इसकी सूचना राज्य पुलिस कर दे दी गई है।

तीस्ता बराज परियोजना

801. श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान तीस्ता बराज परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 81 करोड़ रुपये की निर्धारित धनराशि आबंटित एवं जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की प्रगति की तीव्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(घ) परियोजना संबंधी काम पूरे किए जाने का ब्योरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) एआईबीपी के अन्तर्गत मार्च, 2011 में तीस्ता बैराज परियोजना के लिए 81.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। सीडब्ल्यूसी द्वारा परियोजना की प्रगति की निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गठित उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति भी प्रगति की समीक्षा करती है।

(ग) तीस्ता बैराज के फेज-I के चरण-I के कार्य 2014-15 तक पूरे किए जाने प्रस्तावित हैं।

(घ) मार्च, 2011 तक किए गए कार्यों की प्रगति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

मार्च, 2011 तक कार्यों की प्रगति (तीस्ता बैराज परियोजना)

क्र.सं.	घटक	लम्बाई	31.03.2011 तक प्रगति
1	2	3	4
I.	शीर्ष कार्य		
	मुख्य बैराज (तीस्ता बैराज)	-	100%
	महानंदा बैराज (पिक अप बैराज)	-	100%
	बदुक बैराज (पिक अप बैराज)	-	100%
II.	मुख्य नहर		
	(i) तीस्ता महानंदा सम्पर्क नहर (टीएमएलसी)	25.75	100%
	(ii) महानंदा मुय नहर (एमएमसी)	32.22	100%
	(iii) डोंक नगर मुख्य नहर (डीएनएमसी)	80.20	81%
	(iv) नगर तांगो मुय नहर (एनटीएमसी)	40.20	0%
	(v) तीस्ता जलढाक मुख्य नहर (टीजेएमसी)	30.31	9%
	कुल लम्बाई	210.98	
	शाखा नहरें		

1	2	3	4
III.	(i) तीस्ता महानंदा सम्पर्क नहर (टीएमएलसी)	332.27	93%
	(ii) महानंदा मुख्य नहर (एमएमसी)	303.29	70%
	(iii) डोंक नगर मुख्य नहर (ढीएनएमसी)	768.93	47%
	(iv) नगर तांगो मुख्य नहर (एनटीएमसी)	385.56	0%
	(v) तीस्ता जलढाक मुख्य नहर (टीजेएमसी)	491.43	30%
	कुल लम्बाई	2281.48	

[अनुवाद]

नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

802. डॉ. भोला सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में विभिन्न स्थानों पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) नर्सिंग कॉलेजों के स्थान हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, लखनऊ, जबलपुर, माजेरहाट, गार्डन रीच और कुर्सियांग।

[अनुवाद]

जालंधर में अप्रयुक्त रेलगाड़ी

803. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि जालंधर रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी बेकार/अप्रयुक्त खड़ी है जिसका अनुमोदन पिछले रेल बजट में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेलगाड़ी का उपयोग में लाने/चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) अमृतसर और चंडीगढ़ के बीच वर्ष 2010-11 में घोषित एक दूरंतो गाड़ी चलाई नहीं गई थी क्योंकि इसके रेक के कोचिंग स्टॉक, जिसका इस्तेमाल भारतीय रेल पर यात्री गाड़ियों के चालन में अभी तक नहीं किया जा रहा था, के लिए आवश्कय संरक्षा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। नई किस्म के कोचिंग स्टॉक को चलाने के लिए आवश्यक संरक्षा स्वीकृति अब प्राप्त कर ली गई है और यह गाड़ी सेवा शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी।

कांताबंजी रेलवे स्टेशन पर नया रेल डिब्बा कारखाना

804. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उड़ीसा में कांताबंजी रेलवे स्टेशन के स्वामित्व वाली खाली भूमि पर नया रेल डिब्बा कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे के लिए मालडिब्बों की समग्र आवश्यकता और उनके अनुरक्षण को ध्यान में रखकर रेलवे मालडिब्बा विनिर्माण कारखाने की स्थापना की जाती है। मौजूदा तथा ये मालडिब्बा विनिर्माण कारखाने जिनकी पहले ही योजना बनाई गई है, को रेलवे की मालडिब्बों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है इसलिए इस समय, कंताबंजी में नए मालडिब्बा कारखाने की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

सराय रोहिल्ला, दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियां

805. श्री तूफानी सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों के नाम क्या है;

(ख) क्या कुछ नयी रेलगाड़ियों को इस स्टेशन से चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक चलाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ पुरानी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों के नाम क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर इन रेलगाड़ियों को फिर से चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस समय दिल्ली सराय रोहिल्ला से निम्नलिखित 12 जोड़ी गाड़ियां चलती/समाप्त होती हैं:-

1. 19264/19263 पोरबन्दर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
2. 14705/14706 दिल्ली सराय रोहिल्ला-सादुलपुर एक्सप्रेस
3. 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा (ट) गरीब रथ एक्सप्रेस
4. 12981/12982 दिल्ली सराय रोहिल्ला-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस
5. 12463/12464 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर राजस्थान एस.के. एक्सप्रेस
6. 12457/12458 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बीकानेर एक्सप्रेस
7. 12213/12214 यशवंतपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस
8. 12265/12266 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जम्मुतवी दुरंतो एक्सप्रेस
9. 12455/12456 दिल्ली सराय रोहिल्ला-श्री गंगानगर ए. सी. एक्सप्रेस
10. 14041/14042 दिल्ली सराय रोहिल्ला-देहरादुन मसूरी एक्सप्रेस
11. 14095/14096 दिल्ली सराय रोहिल्ला-कालका हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस
12. 54421/54422 दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी पैसेंजर

उपर्युक्त के अलावा, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन को सेवित करने वाली गाड़ियों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

1. 19565 देहरादुन-ओखा एक्सप्रेस
2. 14059 दिल्ली-जैसलमेर/बीकानेर एक्सप्रेस
3. 14311/14321 भुज-बरेली आला हजरत एक्सप्रेस
4. 15715 अजमेर-किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस
5. 19270 मुज्जफरपुर-पोरबंदर एक्सप्रेस
6. 53309/53310 दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर

8\. 54411/54412 रेवाड़ी-मेरठ पैसेंजर

7\. 54085/54086 रेवाड़ी-मेरठ पैसेंजर

9\. 54413/54414 रेवाड़ी-दल्लिी पैसेंजर

10\. 54415/54416 रेवाड़ी-मेरठ पैसेंजर

11\. 54417/54418 दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर

12\. 54419/54420 दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर

(ख) और (ग) जी हां, दिल्ली सराय रोहिल्ला से रेलवे बजट 2011-12 में निम्नलिखित नई गाड़ी सेवाओं की घोषणा की गई हैं:

नई शुरू की गई

1. 22471/22472 बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
2. 12985/12986 जयपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस
3. 22481/22482 जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस

विस्तार

1. 14009/14010 (पुराना नं. 11101/11102) छिंदवाड़ा-ग्वालियर पठानकोट एक्सप्रेस का दिल्ली सराय रोहिल्ला तक
2. 14019/14020 (पुराना नं. 11103/11104) झांसी-छिंदवाड़ा कन्हन वेली एक्सप्रेस का दिल्ली सराय रोहिल्ला तक

रेल बजट में प्रस्तावित गाड़ियों को इस वित्त वर्ष के दौरा शुरू/विस्तार किया जाएगा।

(घ) से (च) दिल्ली सराय रोहिल्ला-रिवाड़ी खंड पर चलने वाली छोटी लाइन की 8 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और 8 जोड़ी मीटर गेज यात्री गाड़ियां उक्त खंड के आमान परिवर्तन के कारण रद्द कर दी गई हैं। छोटी लाइन (एम जी) के बंद होने के कारण, जो अब व्यावहारिक नहीं है, मीटर गेज की गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। बहरहाल, कोई भी बड़ी लाइन की गाड़ी रद्द नहीं की गई है।

न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच

806. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री राजवी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान कई न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो न्यायिक जांच के अधीन आने वाले न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितने न्यायाधीश न्यायालय के स्तर पर निचले से उच्चतम न्यायालय के स्तर के हैं; और

(घ) इन न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच के दौरान सामने आए प्रमुख आरोपों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं के पीड़ित

807. श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान घटी विभिन्न रेल दुर्घटनाओं के पीड़ित, मृत गंभीर रूप से घायल तथा सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों के लिए घोषित मुआवजा राशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनावार जारी की गयी राशि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वह प्रविधि क्या है जिससे रेलवे जनरल क्लास में यात्रा कर रहे तथा बगैर आरक्षण टिकट वाले यात्री, जो किसी रेल दुर्घटना से पीड़ित होते हैं, की पहचान करता है;

(ङ) वह व्यवस्था क्या है जिसके माध्यम से मृत या घायलों को खोजते समय तथा अनुग्रह राशि की घोषणा करने के दौरान आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं;

(च) क्या रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजा धनराशि की घोषण के आधार पर नहीं दिया जाता है। रेल दावा अधिकरण में दावाकर्ता द्वारा दावा दायर किए जाने के पश्चात् मुआवजे का पैमाना अधिकरण द्वारा रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियम, 1997 के अनुसार निश्चित किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है:

(i) मृत्यु और स्थायी अक्षमता के लिए 4 लाख रुपए और

(ii) चोट की गंभीरता के आधार पर 32,000/- रूप से लेकर 3,60,000/- तक

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान रेलगाड़ी दुर्घटनाओं में रेलवे द्वारा किए गए मुआवजे के भुगतान की राशि, जैसी कि संबंधित रेल दावा अधिकरण द्वारा डिक्री की गई है, निम्नानुसार है:

2009-10	:	265.81 लाख रुपए
2010-11	:	585.79 लाख रुपए

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों की पहचान राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दुर्घटनाओं के सयम ड्यूटी पर मौजूद रेल कर्मचारियों की सहायता से और दुर्घटना स्थल पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिकार्डों और दस्तावेजों की छानबीन, परिवार और संबंधी, सहयात्री, पूरी तरह जल जाने और बुरी तरह क्षतिग्रस्त शवों के मामले में डीएनए जांच, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचना के द्वारा पहचान की जाती है।

(ङ) आरक्षित यात्री के मामले में मृतकों या घायलों की सूचियों की जांच के लिए आंकड़े, पीड़ितों के पते आरक्षण आवेदन फार्म से लिए जाते हैं और सामान्य श्रेणी के यात्री के मामले में, जिनके पास आरक्षित टिकट नहीं होता है, इनकी पहचान राजकीय रेल पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जांच के माध्यम से की जाती है।

हताहतों और दुर्घटना की गंभीरता पर विचार करते हुए विवेकाधीन शक्तियों से मानवता के आधार पर विशेष मामले के तौर पर रेल मंत्री द्वारा मुआवजे की सहायता की घोषणा की जाती है।

(च) और (छ) मौजूदा अनुदेशों में रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, रेलवे आपवादिक मामलों में रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी मुहैया कराती है, जब इस प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं। विगत में अभी तक मुहैया कराई गई नौकरियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

दुर्घटना का नाम और तारीख	मुहैया कराई गई नौकरियों की संख्या
11.07.2006 को मुंबई उपनगर बम ब्लास्ट	64
29.10.2005 को रेलगाड़ी सं. 415 डेल्टा फास्ट पैसेंजर की वलीगोन्डा फ्लैश फ्लड दुर्घटना	41
02.12.2006 को भागलपुर दुर्घटना	10
26.11.2008 को सीएसटीएम/मुंबई आंतकवादी हमला	35
28.05.2010 को रेलगाड़ी सं. 2102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना	23
18/19.07.2010 को सैंथिया में वनांचल एक्सप्रेस और उत्तर बंग एक्सप्रेस की टक्कर	29
20.09.2010 को बदरवास में 1125 इंटरसिटी एक्सप्रेस की दुर्घटना	1

[हिन्दी]

हॉल्ट को रेलवे स्टेशन में बदलना

808. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत बारीपद-रूपसा रेलवे डिवीजन स्थित बेटनोटी रेलवे हॉल्ट को रेलवे स्टेशन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बेटनोटी पैसेंजर होल्ट को फ्लैग स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने संबंधी प्रस्ताव नीति संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

औद्योगिक प्रदूषण से जल संसाधनों का संरक्षण

809. **श्री गोपाल सिंह शेखावत:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधनों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य हेतु किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2010-11 में भूजल में औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरणिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर ने जन संसाधनों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए अध्ययन किए हैं। वर्ष 2009 में एनईईआरआई ने बहि:स्राव के पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोग हेतु निम्नलिखित अध्ययन किए है:

1. लुधियाना, पंजाब में (पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटियाला द्वारा प्रायोजित) औद्योगिक क्षेत्र (कपड़ा, रंगाई और इलेक्ट्रोप्लेटिंग) हेतु अपशिष्ट जल प्रबंधन।

2. तिरुपुर, तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा प्रायोजित)

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि जल निकायों में औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत "प्रचालन की सहमति" तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत उद्योगों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए जल की खपत के लिए जल उपकर का भुगतान करना अपेक्षित है।

एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना

810. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना बिहार में लागू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपजाऊ बनायी गयी बंजर भूमि का क्षेत्र कितना है; और

(ग) अगले तीन वर्षों में कितनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है तथा उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किन एजेंसियों की सहायता लिए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, हां। वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक बिहार के 31 जिलों में 3.21 लाख है क्षेत्र को शामिल करते हुए 65 आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और आज की तारीख तक इन परियोजनाओं में केन्द्रीय भाग के रूप में 42.898 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अभी तक राज्य ने 35 गैर-निष्पादनकारी परियोजनाओं को बंद कर दिया है और इन परियोजनाओं की खर्च न की गई शेष राशि के प्रति 7.18 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी है। 30 चल रही परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं के मामले में अगली किस्त का दावा करने के लिए विगत एक वर्ष में राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शेष 18 चल रही परियोजनाओं में राज्य सरकार से दस्तावेज/स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण थे। तथापि, इस संबंध में राज्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) भूमि संसाधन विभाग द्वारा स्थानिक आंकड़ों की तुलना के जरिए बंजरभूमि के परिवर्तन का पता लगाने के लिए वर्ष 2005-06 और 2008-09 के बीच बंजरभूमि परिवर्तन विश्लेषण के संबंध में एक अध्ययन राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद को सौंपा गया था। इस अध्ययन से विभाग इन दो अवधियों के बीच कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित बंजरभूमि के क्षेत्र का आकलन कर सकेगा। तथापि, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित बंजरभूमि के वर्ष-वार क्षेत्र का आंकलन इस अध्ययन के जरिए व्यवहार्य नहीं है।

(ग) भूमि संसाधन विभाग क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन तीन कार्यक्रमों को अब 26.2.2009 को समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित एवं एकीकृत किया गया है। आई.डब्ल्यू;एम.पी. को वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत बिहार राज्य को निम्नलिखित वर्ष-वार लक्ष्य दिए गए थे:

वर्ष	क्षेत्र लाख एकड़ में	स्थिति
1	2	3
2009-10	1.3	राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ।
2010-11	2.11	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं को कार्यान्वित करने

1	2	3
		के लिए समर्पित संस्था) बिहार द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान 2.11 लाख हेक्टेयर लक्ष्य की तुलना में 1.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10 जिलों में आई.डब्ल्यू.एम.पी. के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। आरंभिक परियोजना रिपोर्टों (पी.पी.आर.) की जांच करने पर इनमें कई विसंगतियां पाई गई थीं और अपेक्षित कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य को वापस भेजा गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान संशोधित पी.पी.आर. प्राप्त नहीं हुए थे।
2011-12	2.17	राज्य से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बाढ़ नियंत्रण

811. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नेपाल से भारत की ओर बहने वाली उन नदियों, जिनके कारण भारत में बाढ़ आती है, पर बांध का निर्माण करने के लिए नेपाल सरकार के साथ कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा परिणाम क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) शारदा (नेपाल में महाकाली) नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना तथा पश्चिमी राप्ती नदी पर पश्चिमी राप्ती (नौमूर) बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन से भारत और नेपाल दोनों देशों के लोगों को जल-विद्युत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में लाभ प्राप्त होगा।

भारत सरकार नेपाल सरकार से निरंतर बातचीत कर रही है जिसमें एक त्रिस्तरीय तंत्र मौजूद है जिसमें भारत और नेपाल के जल संसाधन मंत्रियों की संयुक्त अध्यक्षता में जली संसाधन संयुक्त मंत्रालय स्तरीय आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), भारत के जल संसाधन तथा नेपाल के ऊर्जा विभाग के सचिवों के स्तर की संयुक्त जल संसाधन समिति (जेसीडब्ल्यूआर) तथा संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी) शामिल है।

जेसीडब्ल्यूआर की दिनांक 20 से 22 नवम्बर, 2009 को पोखरा (नेपाल) में आयोजित की गई पांचवी बैठक के दौरान पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के विकास, निष्पादन और प्रचालन के लिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना हेतु विचारार्थ विषयों के मसौदे को संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया गया।

[अनुवाद]

सीमेंट इकाइयों द्वारा गुटबंदी

812. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमेंट बनाने वाली बड़ी कम्पनियों अल्ट्रा टेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट तथा एसीसी द्वारा गुटबंदी किए जाने संबंधी विभिन्न रिपोर्ट तथा आरोप प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 234(6) के तहत मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स एवं मैसर्स एसीसी के कार्यों की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच के आदेश दिए हैं।

एसएफआईओ ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और वर्तमान में प्रतिवेदन विचाराधीन है।

[हिन्दी]

चक्रधरपुर में नयी रेल लाइनों के लिए भूमि

813. श्री मधु कोड़ा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत पड़ापहाड़-बांसपानी रेलवे लाइन के विस्तार के लिए अधिग्रहीत भूति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त भूमि भूस्वामियों को मुआवजा एवं नौकरी देने के वादे कर अधिग्रहीत की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन वादों को पूरा करने के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पदापहाड़-बांसपानी दोहरीकरण के लिए ग्राम पदापहाड़, थाना कोल्हन, जिला पश्चिम सिंहभूम, चायबासा में 6.58 एकड़ (27 नजी प्लॉट) और 0.04 एकड़ (1 सरकारी फ्लॉट) की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत झारखंड राजय सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें झारखंड राज्य वु नियमों के अनुसार मुआवजे की व्यवस्था की गयी है। नियमों के अनुसार रेलवे द्वारा भूमि गंवाने वालों को नौकरी दी जाएगी।

(ग) 03.11.2010 को झारखंड राजय सरकार को रेलवे द्वारा 80 प्रतिशत मुआवजे अर्थात् 16,09,330/- रुपए का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान झारखंड राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने के पश्चात् कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा भूमि गंवाने वाले/वैद्य उत्तराधिकारियों की पहचान और औपचारिकताएं पूरी किए जाने के पश्चात् रेलवे द्वारा नौकरी दी जाएगी।

हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर अवरोध

814. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नक्सल हिंसा के कारण बाधित रहे हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर रेलागाड़ियों की सामान्य प्रचालन समय सारिणी को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है;

(ख) इस समस्या के कारण रेलवे को हुई वित्तीय हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन के लिए इस मार्ग पर सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए है; और

(घ) इस मार्ग पर रेलों में सामान्य संचालन को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (घ) कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति से प्रभावित हावड़ा-मुंबई के एक भाग के सामान्य चालन को प्रभावित खंड पर सुरक्षा की स्थिति में संतोषजनक सुधार होने पर बहाल कर दिया जाएगा। प्रारंभिक कदम उठाए जा रहे हैं और तत्पश्चात् रात्रि में गाड़ियों को चलाने के लिए अंतिम योजना बनाने हेतु नए सिरे से इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

(ख) रेलों को हुई आर्थिक हानि की गणना गाड़ी-वार या गाड़ी के समयपालन के आधार पर नहीं की जाती है।

(ग) रेलवे द्वारा गाड़ियों के समय और मार्ग में बदलाव करके हावड़ा-मुंबई मार्ग, जहां कानून एवं व्यवसीा की प्रतिकूल स्थिति के कारण गाड़ियों का संचलन प्रभावित हुआ है, पर यात्री गाड़ियां चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रेलों पर पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और अपराध रोकना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और रेलवे परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राजय पुलिस की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसे वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) के माध्यम से पूरा करते हैं। बहरहाल, गाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बहेतर सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल रेलों पर अपराध रोकने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है।

भूजल के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान

815. श्री रमेश बैस:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूजल संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को अब तक भी कई राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तत्संबंधी परिणाम क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने भूमि जल के विकास एवं प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल विधेयक परिचालित किया है। अभी तक ग्यारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी ने भूमि जल विधान को अधिनियमित किया है।

(ग) और (घ) मामले का राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुसरण किया गया है। विधान 19 राज्यों/सांघ राज्य क्षेत्रों नामत: अंडमान एवं निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्यम प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में अधिनियमन के विभिन्न चरणों में है। इस मुद्दे पर नई दिल्ली में दिनांक 27.4.2011 आयोजित सिंचाई/जल संसाधन तथा कमान क्षेत्र के प्रधान सचिवों/सचिव प्रभारियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान राज्यों के साथ चर्चा की गई थी। झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा तथा गुजरात के प्रधान सचिवों ने सूचित किया कि विधेयक तैयार किया जा चुका है तथा इसे उनकी एसेम्बलियों को प्रस्तुत किया जा चुका है।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

816. श्री मनीष तिवारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत दैनिक मजदूरी के निर्धारण तथा दैनिक मजदूरी के विभिन्न पैमाने प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण है;

(ग) क्या पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी में कोई विसंगति है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या यह तथ्य है कि पंजाब के कुछ जिलों में एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत संशोधित मजदूरी को अभी भी अधिसूचित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे जिलों का ब्यौरा क्या है तथा एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत संशोधित मजदूरी को अधिसूचित किए जाने में देरी के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार निर्धारित मजदूरी दर को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अंतर्गत मजदूरी दर के रूप में अपनाया गया था और इसे भारत सरकार की दिनांक 1 जनवरी, 2009 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इससे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी नीति के अनुसार मजदूरी दरों में सभी परवर्ती संशोधनों को आधार मिला है। चूंकि सभी राज्यों द्वारा 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति उनकी आर्थिक क्षमता तथा राज्य की अन्य विशिष्ट भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न मजदूरी दरें निर्धारित की गई थीं, इसलिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर, प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं।

(ङ) और (च) पंजाब राज्य के सभी जिलों के लिए मजदूरी दर, महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत 153 रुपये निर्धारित की गई है और इसे 28 जुलाई, 2011 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अथवा संशोधित मजदूरी दर के वास्तविक भुगतान की तारीख, जो भी बाद में हो से लागू किया गया है।

कच्चे तेल और गैस पर रॉयल्टी

817. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल और गैस पर रॉयल्टी राज्य सरकारों को कच्चे तेल की वैलहेड कीमत के आधार पर अदा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रैल 2008 से तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने राज्यों को एक पक्षीय रूप से रियायत पश्चात् कीमतों पर रॉयल्टी का भुगतान किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को उक्त तंत्र के अनुसार और पूर्व रियायत कीमतों के लिए किए गए अनुरोध के आधार पर रॉयल्टी के भुगतान के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/संकल्पों के साथ पठित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2003 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर रॉयल्टी अभितटीय क्षेत्रों से हुए उत्पादन के लिए राज्य सरकारों को देय होती है और अभितटीय क्षेत्रों से उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार को देय होती है।

राज्य/केन्द्रीय सरकार को रॉयल्टी की अदायगी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के कूप शीर्ष मूल्य पर आधारित होती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 2003-04 के दौरान, संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा करने का निर्णय लिया था ताकि उपभोक्ताओं पर अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का पूरा भार न डाला जा सके। सरकार द्वारा भार हिस्सेदारी सूत्र बनाया गया और तदनुसार राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) द्वारा 2003-04 से अब तक वसूले गए वास्तविक मूल्य, कच्चे तेल की बिक्री छूटों को छोड़कर हैं।

आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 तक गुजरात राज्य सरकार को छूट पूर्व बिक्री मूल्य पर अभितटीय कच्चे तेल पर रायल्टी की अदायगी की थी, जबकि अपतटीय कच्चे तेल के उत्पादन पर ओएनजीसी भारत सरकार को अप्रैल, 2003 से छूट उपरांत बिक्री मूल्य पर रायल्टी की अदायगी करती रही है। उपर्युक्त व्यवस्था से सांविधिक प्रावधान भंग हो गया जिसके द्वारा रायल्टी खनिज तेल के बिक्री मूल्य वे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी थी। जबकि ओएनजीसी द्वारा 2003-04 के दौरान राज्य सरकारों को की गई अभितटीय रायल्टी की अदायगी, उस कम्पनी द्वारा वसूले गए वास्तविक मूलय का लगभग 20.5 प्रतिशत थी जो 2007-08 के दौरान लगभग 48.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

इस असामान्य स्थिति को संशाधित करने के लिए, सरकार ने एनओसीज को दिनांक 23 मई, 2008 के अपने आदेश द्वारा निदेश दिया कि वे राज्य सरकारों को कच्चे तेल के लिए रायल्टी की गणना उन्हीं सिद्धांतों पर अर्थात छूट उपरान्त बिक्री मूल्य पर, करें जैसे कि केन्द्रीय सरकार पर लागू हैं।

(ङ) से (छ) गुजरात राज्य सरकार से छूट एवं मूल्यां पर रायल्टी की अदायगी करने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यावेदन मुख्य मंत्री, ऊर्जा और पेट्रोरसायन राज्य मंत्री और मुख्य सचिव, गुजरात सहित सरकार के विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार को दिए गए उत्तरों में यह बताया गया है कि ऊपर (ग) और (घ) में वर्णित कारणों से भारत सरकार ने एनओसीज द्वारा वसूले गए वास्तवकि मूल्य के कार्य को रायल्टी बनाने का निर्णय लिया है न कि काल्पनिक छूट पूर्व मूल्य को।

कच्चे तेल का आयात

818. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा कुल आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा कितनी है और साथ ही किन-किन देशों से कच्चे तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या लीबिया, मिस्र, काहिरा आदि में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयम में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) भारत द्वारा पिछले तीन वर्षों में आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (हजार मीट्रिक टन)
2008-09	132775
2009-10	159259
2010-11	163594

कच्चा तेल मुख्यत: सउदी अरब, ईरान, कुवैत, नाइजीरिया, यूएई, ओमान, कतर, वेनेजुएला, अंगोला, अल्जीरिया, मलेशिया इत्यादि से आयात किया जाता है।

(ख) स्वदेशी तेल कंपनियों ने सूचित किया है कि हाल ही में लिबिया और मिश्र में अशांति की स्थिति का भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन देशों से बहुत कम मात्रा में कच्चा तेल आयात किया जाता है। इन देशों से आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा, वर्ष 2010-11 में देश में आयात किए गए कुल कच्चे तेल की मात्रा का लगभग 2 प्रतिशत थी।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि की स्थिति में निपटने और घरेलू स्फीतिकारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा रही है। इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादो की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को अल्पवसूलियां हो रही है। वर्तमान में ओएमसीज डीजल पर रुपये 6.06 प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर रुपये 23.74 प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी पर रुपये 247 प्रति सिलेंडर अल्पवसूलियां झेल रही हैं।

सरकार ने पेट्रो उत्पादों पर आयात शुल्क में तदनुरूपी कमी के साथ कच्चे तेल पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क में कमी की है और दिनांक 25.06.2011 से डीजल पर रुपये 2.60 प्रति लीटर उत्पाद शुल्क की कटौती की है। डीजल पर रुपये 2.06 प्रति लीटर का शेष उत्पाद शुल्क सड़क और शिक्षा उपकर के लिए निर्धारित किया गया है।

नशीले पदार्थ खिलाने के मामले

819. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों और चलती रेलगाड़ियों में सीधे-सादे रेल यात्रियों को नशीले पदार्थ खिलाए जाने के मामले रेल प्रशासन की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान पकड़े गए ऐसे मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (जनवरी से जून तक) के दौरान भारतीय रेलों पर रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों में जहरखुरानी के संसूचित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या	
	संसूचित	खोजे गए
2008	603	293
2009	685	367
2010	783	360
2011 (जनवरी से जून तक)	528	236

(घ) रेल परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस का सांविधिक दायित्व है जिसे वे संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस के माध्यम से निबाहते हैं। इसी प्रकार रेलों पर अपराधों के मामलों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा रिपोर्ट, पंजीकरण और जांच की जाती है।

बहरहाल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. रोजाना विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा मार्गरक्षित की जा रही 2200 गाड़ियों के अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल द्वारा दैनिक रूप से औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. 202 से अधिक संवेदनशील और सुभेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, पहुंच नियंत्रण, तोड़-फोड़ रोधी जांचों के

द्वारा सुभेद्य स्टेशनों पर इलैक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा निगरानी रखने वाली एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को स्वीकृत किया गया है।

3. राजकी रेल पुलिस द्वारा अपराधों के उचित पंजीकरण और जांच को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित समन्वन बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. यात्रियों को जहरखुरानी जैसे अपराधों के विरुद्ध जनजागरूकता के लिए स्टेशनों और गाड़ियों में नियमित घोषणाएं की जाती है।

5. यात्री संबंधी अपराधों को अधिक कुशलता से निपटने के लिए रेल सुरक्षा बल को समर्थ बनाने हेतु रेल सुरक्षा बल अधिनियम में एक संशोधन पर सक्रिय रूप से चिार किया जा रहा है।

हमीरपुर-हमीरपुर सड़क रेल मार्ग

820. **श्री विजय बहादुर सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर-हमीरपुर सड़क रेल मार्ग के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) हमीरपुर-हमीरपुर रोड रेल लाइन के सर्वेक्षण अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के दिसंबर, 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) यह परियोजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

रेल संरक्षा और रखरखाव हेतु निधियन

821. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री के. सुगुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित निधियों का उपयोग नहीं कर सका;

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे संरक्षा, रेल रखरखाव और रेलवे के सौंदर्यीकरण जैसे शीर्षों पर प्रति वर्ष लाखों रुपये व्यय करने के बावजूद इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं, यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशनों की दशा में कोई सुधार न करने के लिए आज की तिथि तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 60,600 करोड़ रुपये का परिव्यय बढ़ा दिया गया था क्योंकि वास्तविक व्यय 84,064 करोड़ रुपये था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी अनंतिम आंकड़े सकल बजटीय सहायता का पूर्ण उपयोग दर्शाते हैं। छठे वेतन आयोग के बकाया के प्रभाव और सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम संग्रहण के कारण कम आंतरिक संसाधन सृजित होने की वजह से यह उपयोग 2,33,289 करोड़ रुपये की तुलना में 2,02,933 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

(ख) भारतीय रेलों के समग्र संरक्षा निष्पादन में सुधार हुआ है। टक्कर, पटरी से उतरना, आग, चौकीदार वाले समपारों आदि के कारण परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है। सभी रेलवे स्टेशनों पर वहां संभाले जाने वाले यात्री यातायात के अनुरूप मानदंडों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई गई है। स्टेशनों का अपग्रेडेशन और सौंदर्यवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और यात्री यातायात में वृद्धि, सापेक्ष प्राथमिकता और निधि उपलब्ध होने पर इस संबंध में कार्य किए जाते हैं।

(ग) विभागीय जांच समितियों और रेल संरक्षा आयोग द्वारा जांच के आधार पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए दोष्ज्ञी गए पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

10वीं योजना के दौरान 1776 और ग्यारहवीं योजना (मार्च, 2011 तक) 568 ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़ी और छोटी शास्तियां लगाई गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी

822. श्री बंस गोपाल चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की बंद पड़ी रानीगंज और दुर्गापुर रिफ्रैक्टरी इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन इकाइयों की भूमि और संपत्ति के संरक्षण हेतु प्रबंधन द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या कंपनी की भूमि और संपत्ति का प्रयोग कर नए उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) बर्न स्टैंडर्ड लिमिटेड की रानीगंज और दुर्गापुर की रिफ्रैक्टरी इकाइयों का प्रचालन दिनांक 31.12.2000 को बंद कर दिया गया क्योंकि वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा यूनिटों को गैर-व्यवहार्य घोषित कर दिया गया था।

(ख) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ने यूनिटों की भूमि तथा संपत्ति की देखभाल करने के लिए कुछ कार्मिकों को तैनात किया है।

(ग) और (घ) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 15.09.2010 से भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। सरकार के दिनांक 06.08.2010 के अनुमोदन के अनुसार, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को कंपनी की अतिरिक्त भूमि परिसंपत्ति (अलिपुर इस्टेट संपत्ति के अलावा, जिसे रेल मंत्रालय ने मांगा है) को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) से अनुमति लेने के बाद तथा बीआईएफआर द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम) को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी गई है। कंपनी की भूमि तथा संपत्ति का प्रयोग करे हुए कोई नया उद्योग खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में नहीं है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण उपाय

823. श्री योगी आदित्यनाथ: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष देश में जान और माल की व्यापक क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाढ़ वे कारण जान और माल की क्षति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) राज्य राजस्व प्राधिकरणों और गृह मंत्रालय से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़/अत्यधि वर्षा होने के कारण हुए जान और माल की हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग देश में 878 जल विज्ञानीय केन्द्रों का रखरखाव करता है तथा 175 केन्द्रों से बाढ़ पूर्वानुमानों को जारी करता है जिन्हें लोगों की जान और माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ से प्रभावित होने वाले स्थानों को खाली कराने के संबंध में समुचित उपायों की योजना बनाने के लिये संबंधित अभिकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है।

11वीं योजना अवधि के दौरान एक राजय क्षेत्रीय स्कीम अर्थात् "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" के अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित सभी राज्यों के गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन कार्यो के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, भारत सरकार पड़ोसी देशों अर्थात् नेपाल, चीन और भूटान के साथ बाढ़ पूर्वानुमान तथा उनके क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण भारतीय क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु भंडारण बांधों का निर्माण किए जाने के संबंध में भी निरंतर विचार विमर्श कर रही है।

विवरण

बाढ़/अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली जान और माल की हानि

	2008*	2009*	2010**	कुल
1	2	3	4	5
व्यक्तियों के जीवन की हानि (संख्या)	2049	1326	1199	4574

1	2	3	4	5
पशुओं की हानि (संख्या)	17214	38578	8541	64333
फसलों घरों, सार्वजनिक संस्थानों को हुई हानि (करोड़ रुपए में)	2219.81	1402.29	1101.47	4723.57

* अक्टूबर तक प्राप्त हुई सूचना

** सितंबर तक प्राप्त हुई सूचना

[अनुवाद]

केरल में दोहरीकरण कार्य

824. श्री एंटो एंटोनी:
श्री पी.के.बिजू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे रेल दोहरीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन निर्माण कार्यों पर आबंटित/व्यय की गई राशि का वर्ष-वार, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) केरल में आज की स्थिति के अनुसार प्रचालन में एकल और दोहरी रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेल परियोजनाओं की मंजूरी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के आधार पर नहीं की जाती है। बहरहाल, केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली दोहरीकरण परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमन स्थिति, अब तक उन पर आबंटित/खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना	मार्च, 2011 तक वहन किया गया व्यय	2011-12 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मुलुंतुरूट्टी-कुरुप्पंतरा (24 किमी.)	48.06	50	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि अभी रेलवे को सौंपी जानी है। इस दौरान कतिपय खंडों पर पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
2.	कुरूप्पंतरा-चिंगवनम (26.54 किमी.)	5.05	1	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अभी तक कोई भूमि नहीं सौंपी गई है।
3.	चेंगन्नूर-चिंगवनम (26.5 किमी.)	37.44	50	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि अभी रेलवे को सौपी जानी है। इस दौरान कतिपय खंडों पर पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
4.	मवेलीकरा-चेंगन्नूर (12.3 किमी.)	63.8	35	कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।
5.	चेप्पड-कायनकुलम (7.76 किमी.)	36.59	1	कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5
6.	चेप्पड-हरिपद (5.28 किमी.)	23.49	23.01	कार्य पूरा हो गया है।
7.	अंबालापुझा-हरिपद (18.13 किमी.)	10.78	10	अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि सौंपी जानी है।
8.	एर्णाकुलम-कुंबलम (7.71 किमी.)	0.07	25	भूमि की आवयकता और अनुमान तैयार करना शुरू कर दिया गया है।
9.	कुंबलम-थुरवुर (15.59 किमी.)	-	1	नए कार्य को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।

(ग) भूमि की उपलब्धता शीघ्र कराने और परियोजना को पूरा करने संबंधी अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है।

(घ) 31.3.2010 को, केरल राज्य में एकल रेलवे लाइन और दोहरी लाइनों की लंबाई क्रमश: 461.31 और 588.54 किमी. है।

[हिन्दी]

एलपीजी एजेंसियां खोले जाने हेतु दिशानिर्देश

825. श्री देवेन्द्र नागपाल:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एलपीजी एजेंसियां खोलने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आरक्षण, यदि कोई हैं, संबंधी प्रावधानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में खोलने के लिए प्रस्तावित नई एलपीजी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। चयन दिशा-निर्देशों में आयु, शैक्षिक योग्यता, गोदाम और शोरूम निर्माण के लिए भूमि, अभ्यर्थी की वित्तीय क्षमता इत्यादि जैसे विभिन्न मानदंडों के लिए सामान्य पात्रता मानदंडा शामिल होते हैं और सभी योग्य अभ्यर्थियों में से ड्रा निकालकर चयन किया जाता है।

वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के आबंटन में ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराया गया विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिशत आरक्षण
1.	मुक्त	50%
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25%
3.	केंद्रीय/राजय सरकार और केंद्रीय/राज्य पीएसयू कर्मचारी	18%
4.	शारीरिक विकलांग कार्मिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों वाली संयुक्त श्रेणी	7%

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण है:-

अरुणाचल प्रदेश	70%
मेघालय	80%
नागालैंड	80%
मिजोरम	90%

(ग) ओएमसीज का उत्तर प्रदेश राज्य में 121 सहित देश में 707 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का प्रस्ताव है।

लौहगरा में तेल शोधनशाला

826. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद के बाड़ा तहसील में वर्ष 1996 में लौहगरा में तेल शोधनशाला स्थापित करने के लिए शिलान्यास रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीना तेल शोधनशाला के कार्य आरंभ करने के पश्चात् भी आज की तिथि तक लौहगरा तेल शोधनशाला में कार्य आरंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त तेल शोधनशाला कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) कथौरा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 20 मार्च, 1996 को जिस आधारशिला को रखे जाने की योजना थी वह लोकसभा चुनावों की अधिसूचना के कारण नहीं रखी जा सकी।

(ग) से (ङ) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त किए जाने के फलस्वरूप तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। यद्यपि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मई, 2011 में बीना रिफाइनरी को चालू कर दिया है, अभी इसका प्रचालन स्थिर होना है। बीपीसीएल ने लोहागारा में रिफाइनरी स्थापित करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

गंगा-नदी पर रेल-सड़क पुल

827. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना (बिहार) के समीप गंगा नदी पर रेल-सड़क पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के निकट है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ग) कुल कितनी राशि अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई है; और

(घ) उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। पटना में गंगा नदी पर पुल की वर्तमान प्रगति 60 प्रतिशत है और पुल के वर्ष 2013-14 में पूरा होने की संभावना है।

(ख) 998 करोड़ रुपए।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) पुल के वर्ष 2013-14 में पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

केरल में रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण

828. श्री पी. करूणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में नए रेल मार्ग के सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सर्वेक्षण सूची में काहनगढ़-पनाथूर-कलियूर रेल मार्ग को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेल परियोजनाओं की मंजूरी राज्य की भौगोलिक सीमा के आधार पर नहीं की जाती है। बहरहाल, केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली नई रेल लाइनों के लिए जारी सर्वेक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सर्वेक्षण	स्थिति
1	2	3
1.	अडूर और कोट्टारकरा के रास्ते चेंगन्नुर-त्रिवेंद्रम	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

1	2	3
2.	कोझिकोड-बेयपोर	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
3.	कन्नुर-मट्टन्नुर	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
4.	थकझि-तिरूवल्ला	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
5.	तिरूवल्ला-रन्नी-पंपा	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
6.	एरूमेली-पथनमथिट्टा-पुनलुर-तिरूवनंतपुरम	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
7.	मदुरै-एरनाकुलम (कोचिन)	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
8.	इदापल्ली-गुरूवयुर	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
9.	थलस्सेरी-मैसूर	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
10.	नंजनगुड-नीलांबर रोड	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
11.	पनथुर-कन्नियुरू	पश्चिम घाट में सर्वेक्षण के लिए कर्नाटक सरकार की अनुमति मांगी गई है।
12.	एरणाकुलम-शोराणुर चौथी लाइन	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
13.	पोदनुर-पालघाट तीसरी लाइन	सर्वेक्षण शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

कान्हागढ़-पनथुर नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पहले ही पुरा हो चुका है। पनथुर-कन्नियुरू नई लाइन के लिए पश्चिमी घाट में सर्वेक्षण करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुमति मांगी गई है।

कोयम्बटूर और बैंगलोर के मध्य रेलगाड़ियां

829. श्री सी. शिवासामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरूपुर के रास्ते कोयम्बटूर और बैंगलोर के बीच इस समय चलने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों का वार्षिक औसत क्या है;

(ग) क्या रेल की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए कोयम्बटूर और बैंगलोर के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस समय कोयम्बटूर और बैंगलूरू के बीच तिरूपुर के रास्ते 5 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

(ख) तिरूपुर के रास्ते कोयम्बटूर और बैगलूरू के बीच पीआरएस पर औसत वार्षिक आरक्षित यात्रियों की संख्या 17,86,235 (पिछले 3 वर्ष के औसत के आधार पर) है।

(ग) से (ङ) 24.07.2011 से चलाई गई नई गाड़ी 22607/22608 एर्णाकुलम-बैंगलूरू (साप्ताहिक) एक्सप्रेस अब कोयम्बटूर और बैंगलूरू के बीच एक अतिरिक्त सेवा मुहैया करा रही है।

रेकों की कमी

830. श्री समीर भुजबल:
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:
श्री हरिन पाठक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों से नमक की लदाई हेतु रेक प्रदान करने के लिए रेलवे को प्राप्त विभिन्न निवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या मुंबई मध्य रेल और असम राज्य रेकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नमक के लदान के लिए पर्याप्त संख्या में रेकों की सप्लाई नमक के कुल 381 रेकों और औद्योगिक नमक के 91 रेकों में लदान किया गया जबकि वर्ष 2010-11 की तदनुरूपी अवधि के दौरान खाद्य नमक के 369 रेकों और औद्योगिक नमक के 71 रेकों में लदान किया गया। इस अवधि के दौरान उद्योगों द्वारा कुल 176 मांगपत्रों को रद्द कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं

831. डॉ. बली राम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों विशेषकर आजमगढ़, जौनपुर और जौनपुर सिटी आदि पर पेयजल, खाद्य पदार्थ, जन सुविधाएं, जैसे शौचालय, बैठने के लिए बैंचों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलवे स्टेशनों पर उक्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और यह कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं मुहैया कराना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

भेषज उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा

832. श्री संजय भोई: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा भेषज उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मामला योजना आयोग को सौंप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति में कोई भूमिका है अथवा ऐसी स्वीकृतियां प्रदान करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) हाल ही में बहुराष्ट्रिक कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण के परिणामतः अन्य भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की संभावना बढ़ सकती है जिसका भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और दवाइयों के मूल्य तथा उनकी उपलब्धता पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार स्थिति का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। औषध विभाग ने वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया है कि वह हाल ही में बहुराष्ट्रिक कंपनियों द्वारा किए गए भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण के संबंध में अध्ययन करे। तत्पश्चात् सिफारिश प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और/अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जा सकती है। वाणिज्य विभाग ने यह सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को इस अध्ययन का कार्य सौंपा है।

(ग) से (ङ) मौजूदा भारतीय औषध कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (एफडीआई) विशेष रूप से बहुराष्ट्रिक कंपनियों द्वारा मौजूदा भारतीय औषध कंपनियों के अधिग्रहण का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया है। संबंधित मुद्दों की व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांच करने की दृष्टि से योजना आयोग ने सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से श्री अरूण मैरा, सदस्य (उद्योग), योजना आयोग, की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की है।

[हिन्दी]

गुजरात में दोहरीकरण कार्य

833. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में चल रहे रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विरामगाम-सुरेन्द्रनगर और सुरेन्द्रनगर-राजकोट खंड पर दोहरीकरण कार्य का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) गुजरात में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले जारी दोहरीकरण कार्यों का विवरण और उनकी लक्षित तिथियां जहां कहीं निश्चित हो के साथ उनकी स्थिति के साथ निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	किमी.	स्थिति
1.	वीरमगांव-सुरेंद्रनगर	65.26	नक्शे, अनुमान तैयार करना, अंतिम स्थान सर्वेक्षण आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई है। विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। लक्षित तिथि अभी तक निश्चित नहीं की गयी है।
2.	वीरमगांव-समख्याली	182.23	काम्र को बजट 2011-12 में शमिल किया गया है। योजना, अनुमान तैयार करने आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई है। लक्षित तिथि अभी तक निश्चित नहीं की गयी है।
3.	विद्युतीकरण सहित उधना-जलगांव	306.96	विस्तृत अनुमानों स्वीकृत कर लिया गया है। 51.56 घनमीटर में से 6.25 घनमीटर भूमि संबंधी कार्य, 53 में से 11 बड़े पुल, 372 में 52 छोटे पुल, 8.73 लाख घनमीटर में से 1.72 लाख घनमीटर गिट्टी संबंधी कार्य और 352 मार्ग किमी. में 24 मार्ग किमी. को जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है। समग्र वास्तविक प्रगति 13 प्रतिशत है। अमलनेर-धरनगांव (25 किमी.) को मार्च, 2012 तक पूरा किए जाने की योजना है।
4.	गांधीनगर-आदिपुर	8	परियोजना को पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
5.	गांधीधाम-कांडला पोर्ट	12	रेल पथ संपर्क पूरा हो गया है। रेल संरक्षा आयुक्त की आवश्यक स्वीकृति के पश्चात खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सुरेंद्रनगर-राजकोट (116.17 किमी.) खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दियागया है और मार्च, 2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है। रेलवे बोर्ड में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही प्रस्ताव पर आगे विचार करना व्यवहार्य होगा।

[अनुवाद]

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को घाटा

834. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को खुदरा विपणन में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने सूचित किया है कि उनको अपने खुदरा विपणन व्यापार से घाटा हो रहा है/अल्प वसूलियां झेलनी पड़ रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर उनके द्वारा झेली गई अल्प वसूलियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अल्प वसूलियां
2008-09	121.57
2009-10	11.50
2010-11	54.58
2011-12 (अप्रैल-जून, 2011)	58.58

एनआरएल ने उल्लेख किया है कि उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों से बेचे गए पेट्रोल और डीजल के मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के मूल्यों के अनुसार हैं। तथापि, एनआरएल सहित सभी कम्पनियां, जिनकों 8 मार्च, 2002 के सरकार के संकल्प के अनुसार पेट्रोल और डीजल का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान किया गया है, वाणिज्यिक दृष्टिकोणों पर अपने मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और तदनुसार, वे राजसहायता भागीदारी व्यवस्था के तहत कवर नहीं होतीं।

सीएसआईआर द्वारा कंपनियों को ऋण

835. श्री सोमेन मित्राः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिपक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अनुसंधान और विकास हेतु विभिन्न कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कंपनियों का नाम इंगित करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) ऋण स्वीकृत करने हेतु क्या मानदंड है;

(घ) ऋण अदायगी में चूक करने वाली ऐसी कंपनियों के नाम और उन पर देय कुल बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ कंपनियों ने ऋण प्राप्त करने के बाद स्वयं को रुग्ण घोषित कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (अश्विनी कुमार): (क) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) स्कीम के अंतर्गत कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास हेतु सुलभ ऋण उपलब्ध कराती है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएसआईआर द्वारा किए गए ऋणों की राशि सहित कंपनियों के नाम संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) यह सीसीईए से अनुमोदित प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के चयन पर आधारित होता है जिसमें कड़ी जांच और परियोजना समीक्षा सम्मिलित है। परियोजना विशेष के चयन के मानदंड प्रस्ताव विशेष की नवीनता, शक्य प्रौद्योगिकीय लाभों और उन लाभों को ग्रहण करने हेतु उद्योग की क्षमता पर आधारित होते हैं। उद्योग को यह वित्तीय सहायता 3% ब्याज पर सुलभ ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

(घ) ऐसी कंपनियां जिन्होंने इस ऋण को चुकाने में चूक की है, उनके नाम और उनसे कुल बकाया देय संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ङ) सीएसआईआर से ऋण प्राप्त करने के बाद किसी भी कंपनी ने स्वयं को रुग्ण घोषित नहीं किया है।

(च) ऋण चूककर्ताओं से निपटने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया विद्यमान है। परियोजना विशेष की मॉनीटरन समिति मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। चूक जारी रहने पर मासिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर के दंड सहित संपूर्ण देय राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किया जाता है। तत्पश्चात् ऐसे ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

विवरण-I

कंपनियों को उपलब्ध कराया गया ऋण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पार्टी का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सोरायसिस के उपचार के लिए मुख से सेवन किए जाने वाले हर्बल सूत्रण का विकास	ल्यूपिन लि. मुंबई		213.12			213.120
2.	नवीन बायोटेक चिकित्सीय अणु-लाइसोस्टैफिन का विकास-चिकित्सीय परीक्षण	बीबीआईएल, हैदराबाद				76.17	76.171
3.	नवीन निष्पीडन प्रणाली	बायोकॉन, बेंगलूर शांता वायोटेक	1.32460 7.00				1.325 7.000
4.	स्वस्थाने अभिनिर्धारण सहित समेकित सूक्ष्म पीसीआर प्रणाली का विकास	बिगटेक, बेंगलूर			208.80	166.30	375.100
5.	फुफ्फुस क्षय रोग के उपचार हेतु नवीन सूत्रण-चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि., मुंबई		219.45			219.450
6.	कपास में सूखा सह्यता और फाइबर गुणवत्ता संबंधी लक्षणों में सुधार लाने के लिए चयन प्रणाली समर्थित हाई थ्रूपुट मार्कर का विकास	जेके एग्री, हैदराबाद	338.70				338.700
7.	रक्ताधिक्य हृदपात के डायाग्नोसिस और उपचार के लिए बी.टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड (बीएनपी) के विकास हेतु नवीन विधि	विरचो बायोटेक, हैदराबाद	116.60				116.600
8.	नैक्स्ट जेनरेशन प्लाज्मा डिस्प्ले प्रौद्योगिकी 50 इंची हाई डैफिनिशन (एचडी) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	सैमटेल कलर, गाजियाबाद	304.00	117.00			421.000
9.	अल्ट्रा-वाइड बैंड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेंसर नेटवर्क्स चिपसेट का विकास	वर्चुअल वायर टेक, नई दिल्ली		100.00			100.000
10.	नवीकरणीय संसाधनों से मूल्य अभिवृद्धि वाले पॉलीमरिक पदार्थ: लेक्टिक एसिड और लेक्टिक एसिड आधारित पॉलीमर	गोदावरी बायो, मुंबई	275.00				275.000
11.	कुशन बॉडिड/रिजिड बॉडिड आर्गेनिक, सिरामटेलिक कुकी एवं सिंगल/फ्यूल सिंटरड बटंस (कॉपर/आयरन बेस्ड),, सिरामिक कुकीज और एनुलर रिंग क्लच डिस्क्स तथा मैचिंग कवर असेम्बलिज का डिजाइन एवं विकास	क्लच ऑटो लि., फरीदाबाद	560.00	310.00	123.35		993.350
12.	सेप्सिस के प्रबंधन हेतु नवीन चिकित्सा शास्त्र	कैडिला फार्मा, अहमदाबाद		214.98			214.980
13.	रोगजनक जिनके कारण एक्यूट एंसिफैलिटिक सिंड्रोम (एईएस) सेप्टिसीमिया और प्रति जैविक प्रतिरोध ओवल होता है, की समकालिक खोज हेतु डीएनए मैक्रो-चिप्स का विकास	जाइटॉन डायाग्नोस्टिक बेंगलूर		109.66	119.60	162.70	391.958

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	इंटेलिजेंट वीडियो सवेलैंस सिस्टम	माइंडट्री लि., बैंगलूर	180.06	125.30	152.73		458.090
15.	जॉनीज रोग के लिए देसी टीके का विकास एवं अभिलक्षणन	बायोवेट, बैंगलूर	110.72				110.720
16.	ब्लास्ट फंगस मैग्नेपोर्थे ग्राइसिआ के विरुद्ध ट्रांसजेनिक चावल को प्रतिरोध प्रदान करने हेतु RNAi-आधारित रचनाओं का मूल्यांकन	मैटाहेलिक्स लाइफ, बैंगलूर	31.79		51.48		83.270
17.	ट्रांस्प्लांटेशन के बाद ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने और विभिन्न रोधक्षम और प्रत्यूर्जक रोगों के समाधान हेतु नवीन प्रतिरक्षा निरोधात्मक कर्मकों के रूप में सेरूलोमाइसिंस का विकास	एमएम नोस्ट्रम रेमेडीज प्रा.लि., मुंबई		600.00			600.000
18.	मधुमेह के उपचार हेतु नवीन डीपीपी IV संदमक	कैडिला फार्मा, अहमदाबाद		727.50			727.500
19.	eNAMPT, नवीन शोध लक्ष्य के विरुद्ध चिकित्सीय मोनोक्लोन प्रतिरक्षी का विकास और उत्पादन	जीनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लि., पुणे			253.52		253.520
20.	उच्च निष्पादन वाले पैराबोलिक ट्रफ पर आधारित 300 KW सौर ताप ऊर्जा संयंत्र का डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन	मिलामैन थिन फिल्म सिस्टम्स प्रा.लि., पुणे			803.25		803.250
21.	मल्टीप्वाइंट नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पर अद्वितीय H-264 हाई डेफिनिशन सॉफ्टवेयर पर आधारित मल्टीपार्टी, मल्टीप्वाइंट वीडियो कॉफ्रेंसिंग सोल्यूशन "वेनफेर" का विकास एवं वाणिज्यीकरण	इंटेलिसिस टेक्नोलॉजिज एंड रिसर्च लि., कोलकाता			296.00		296.000
	जोड़		1925.19	2737.01	2008.73	405.17	7076.104

विवरण-II

चूककर्ताओं और देय राशि की सूची

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	देय ऋण
1	2	3
1.	जालजा टेक्नोलॉजिज प्रा.लि. बैंगलूरू	16.800
2.	फ्रंटियर इन्फमेंशन टेक्नोलॉजिज लि., सिकंदराबाद	31.112
3.	अवेस्था गेंगरेन, बैंगलूरू	261.850
4.	एंकर सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बैंगलूरू	793.000
5.	डिविनेट, पुणे	938.750
6.	ल्यूपिन लिमिटेड, मुंबई	3093.030

दक्षिण-पश्चिम रेल के लिए बजट परिव्यय

836. श्री शिवराम गौडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पश्चिम रेल के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 के रेल बजट में योजना परिव्यय का क्या है; और

(ख) इनके लक्षित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) बजट अनुमान 2010-11 और 2011-12 में दक्षिण पश्चिम रेलवे को योजनाशीर्ष-वार मुहैया कराया गया परिव्यय निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

योजनाशीर्ष	2010-11	2011-12
नई लाइनें (निर्माण)	120.10	202.96
आमान परिवर्तन	86.00	39.22
दोहरीकरण	76.00	506.50
यातायात सुविधाएं यार्ड के ढांचे में परिवर्तन एवं अन्य	49.34	54.68
कंप्यूटरीकरण	11.48	6.86
चल स्टॉक	18.03	8.26
पट्टा प्रभार-पूंजी घटकों का भुगतान	107.81	125.88
सड़क संरक्षा संबंधी कार्य-समपार	32.47	23.05
सड़क संरक्षा संबंधी कार्य-ऊपरी/निचले सड़क पुल	25.70	54.87
रेलपथ नवीकरण	150.00	160.00
पुल संबंधी कार्य	12.86	19.19
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	40.19	19.39
बिजली संबंधी अन्य कार्य	5.50	1.66
मशीनरी एवं संयंत्र	8.96	7.15
उत्पादन इकाइयों सहित कारखाने	25.18	29.84
स्टाफ क्वार्टर	10.70	7.13
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं	11.29	11.89
यात्री सुविधाएं	24.26	41.90
अन्य विर्निदिष्ट कार्य	17.04	16.10
वस्तुसूची (शुद्ध)	1.10	34.33
क्रेडिट/वसूलियां	70.23	74.28
कुल योजना परिव्यय	761.58	1296.58

(ख) उपलब्ध संसाधनों का निर्धारित समय में उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न निगरानी संत्र मौजूद हैं। आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक लक्ष्यों की निगरानी करने और समय पर निवारक कार्रवाई किए जाने के लिए तिमाही-वार उप-विभाजित कर दिया गया है। कार्यों की प्रगति और खर्चों की स्थिति का महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड द्वारा शीर्ष स्तर पर बजटीय और कार्यपालक समीक्षाओं के माध्यम से आवधिक रूप से आकलन किया जाता है।

उर्वरकों का आयात

837. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों का उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है और अधिकतर उर्वकरकों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हों, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात किए गए विभिन्न उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान यूरिया का अनुमातिन आयात और उन देशों के नाम जहां से आयात किए जाने की संभावना है का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयात मूल्य और आयातित प्रति टन यूरिया की वर्तमान लागत क्या है; और

(ङ) किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने और इसके आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना:): (क) देश में यूरिया का उत्पादन मुख्यत: गैस, नेफ्था आदि पर निर्भर है। तथापि, पीएण्डके उर्वरकों के मामले में देश कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के आया और/या डीएपी, एमओपी तथा मिश्रित उर्वरकों जैसे तैयार उर्वरकों के आयात पर निर्भर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उर्वरकों का आयात निम्न प्रकार है-

(मात्रा लाख मी. टन में)

उत्पाद	2008-09	2009-10	2010-11
यूरिया	56.67	52.10	66.10
डीएपी	61.92	58.89	74.11
एमएपी	2.67	1.93	1.88
टीएसपी	1.73	0.87	0.98
एनपीके			9.81
एमओपी (कृषि उपयोग)	43.46	41.62	45.00

(ग) यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत एकमात्र उर्वरक है और इसका आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कृषि उपयोग हेतु आयात किया जाता है। उर्वरक विभाग प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ और रबी के दौरान मांग आपूर्ति स्थिति की समीक्षा करता है और अंतर के आधार पर यूरिया आयात की मात्रा के संबंध में निर्णय लेता है। यरिया की आपूर्ति का स्रोत अधिशेष मात्रा की उपलब्धता पर निभ्रर करता है तथापि, पिछले रुझान के आधार पर अधिकांश यूरिया चीन, ईरान, सीआईएस देशों और अरब की खाडी से आयात किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार और ओमिफ्को के बीच हुए दीर्घावधि यूरिया उठान समझौते (यूओटीए) के अंतर्गत सरकार ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी (ओमिफ्को), सुर, ओमान से लगभग प्रतिवर्ष 2 मिलियन मी. टन दानेदार यूरिया का भी आयात कर रही है। यूरिया के अलावा, ओपन जनरल लाइसें (ओजीएल) के अंतर्गत उर्वरकों का आयात किया जाता है। कंपनियां इन उर्वरकों का अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार आयात करती हैं। तथापि, सरकार इन उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन निगरानी करती है।

(घ) एसटीसी द्वारा अंतिम रूप दी गई नवीनतम संविदाओं के अनुसार यूरिया का वर्तमान मूल्य 506.23 अमेरिकी डॉलर से 507. 27 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन लागत एवं भाड़ा है, जिसकी तुलना में 2008-2009 में यह 524.41 अमेरिकी डॉलर भारित औसत प्रति मी. टन लागत एवं भाड़ा 2009-10 में 277.14 अमेरिकी डॉलर, 2010-11 में 327.38 अमेरिकी डॉलर तथा अप्रैल, 2011 से जून, 2011 तक चालू वर्ष के दौरान 354.33 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

(ङ) यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सांविधिक नियंत्रणाधीन है तथा यूरिया पूरे देश में उचित एकसमान मूल्य पर किसानों को उपलब्ध है। सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को एक नई नीति की घोषण की हैं यह नीति आयात सममूल्य (आईपीपी) बैंचमार्क पर आधरित है जिसका लाभ मौजूदा यूरिया इकाइयों के पुनरूद्धार, विस्तार, जीर्णोद्धार को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराना तथा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करना है। इस नीति का उद्देश्य यूरिया की खपत और घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को कम करना है बशर्ते कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता उचित मूल्यों पर हो।

रसोई हेतु वैकल्पिक ईंधन

838. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन और पर्यावरण मंत्रालय के आकलन के अनुसार खाना पकाने हेतु लगभग 172000 ग्राम जंगली लकड़ी पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन और पर्यावरण मंत्रालय जंगल तथा उसके आस-पास रहने वाले ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा वनों तथा उसके आस-पास निवास करने वाले ग्रामीणों को राजसहायता प्राप्त ईंधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) जी हां। जंगल में स्थित गांवों तथा उसके आस-पास के गांवों को राजसहायता प्राप्त ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन मंत्रालय से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

विजन 2015 के अनुसार, वर्ष 2009 और 2015 के बीच 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों को जारी करते हुए, एलपीजी आबादी को 50% से बढ़ाकर 75% किए जाने का प्रस्ताव है, यह कनेक्शन विशेष रूप से गांवों और जंगल के आस-पास के क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जारी किए जाएंगे।

विशेष रूप से जंगल में स्थित गांवों और जंगल के आस-पास के गांवों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरण नेटवर्क फैलाने के लिए दिनांक 16.10.2009 को छोटे आकार की एलपीजी वितरण एजेंसी की स्थापना के लिए एक नई योजना नामतः "राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना" (आरजीजीएलवीवाई) की शुरूआत की गई है और तत्पश्चा् योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए आवदेन आमंत्रण हेतु 3637 स्थलों को शामिल करते हुए 26 राज्यों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। 989 स्थलों के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए, जिनमें से 512 डिस्ट्रीब्यूटरों ने पहले ही कार्य प्रारंभ कर दिया है।

इस योजना के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की स्थापना उस समय तक एक सतत प्रक्रिया रहेगी जब तक कि देश में एलपीजी की कमी वाले सभी हिस्सों को एलपीजी नेटवर्क द्वारा कवर नहीं कर लिया जाता।

इसके अलावा, मिट्टी तेल (एसकेओ), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा वितरित किए जाने वाली एक मद है। पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन वुेवल खाना बनाने और प्रकाश करने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा तिमाही आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटीज) को किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपने पीडीएस नेटवर्क द्वारा आगामी वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की होती है।

[हिन्दी]

रूट किलोमीटर को जोड़ा जाना

839. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने किलोमीटर रूट का विस्तार किया गया है/जोड़ा गया है;

(ख) इस हेतु आबंटित तथा उपयोग की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इन कार्यों हेतु प्राप्त लक्ष्य की तुलना में निर्धाथ्रत किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समयबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान पूरी एवं लक्षित की गई नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण खंडों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है। पूरी की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

वर्ष		नई लाइन	आमान परिवर्तन	दोहरीकरण
1	2	3	4	5
2008-09	लक्ष्य	2350	1550	600
	उपलब्धि	357	563	363

1	2	3	4	5
2009-10	लक्ष्य	250	1400	500
	उपलब्धि	258	1516	448
2010-11	लक्ष्य	1000	800	700
	उपलब्धि	709	837	769

01.04.2011 को भारतीय रेलें, उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए के थ्रोफारवर्ड 340 परियोजनाएं निष्पादित कर रही हैं जिनमें 129 नई लाइन, 45 आमान परिवर्तन और 166 दोहरीकरण परियोजनाएं हैं। परिणामस्वरूप परियोजनाएं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रगति पर हैं।

(घ) चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और लागत तथा समय में भी कमी करने के लिए रेलें सकल बजटीय सहायता के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से अतिरिक्त निधियां जुटाने का प्रयास कर रही हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी, राज्य सरकारों/लाभार्थियों द्वारा भागीदारी, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों जैसे अपनाए गए उपायों और रेल विकास निगम लिमिटेड के कार्यान्वयन के माध्यम से भी धनात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। परियोजनों को शीघ्र और समय पर पूरा करने के लिए एक परियोजना कार्यन्वयन केन्द्रीय संगठन (सीओपीआई) को भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा:

2008-09 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	खंड का नाम	लंबाई (किमी. में)
1	2	3
	नई लाइन	
महाराष्ट्र	पुणताम्बा-शिडी	18
बिहार	पीरो-आरा	38
बिहार	सकरी-बिरौल	36
जम्मू एवं कश्मीर	बडगाम-बारामूला और काजीगुण्ड-काकापोर	59
बिहार	हथुआ-बथुआ बाजार	17
मध्य प्रदेश	महोबा-खजुराहो (आंशिक)	5
असम	मोरनहाट-डिब्रूगढ़	44
त्रिपुरा	अंबासा-अगरतला	69
आंध्र प्रदेश	येरागुंटला-नोसाम	50
आंध्र प्रदेश	वेंकटचलम-कृष्णपटनम	21
	कुल	357

1	2	3
	आमान परिवर्तन	
उड़ीसा	नौपाड़ा-गुनुपुर का नौपाड़ा-परलाकामेडी	45
बिहार	दरभंगा-सीतामढ़ी-नरकटियांगज	68
उत्तर प्रदेश	कासगंज-मथुरा	107
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर-नौतनवां	80
कर्नाटक	बागलकोट-गडग (आंशिक)	6
हरियाणा, राजस्थान	रेवाड़ी-फुलेरा-अजमेर	210
तमिलनाडु	विलुपुरम-कुड्डालूर-सरकाजी	47
	कुल	563
	दोहरीकरण	
बिहार, पश्चिम बंगाल	ऊरने-क्यूल (ऊरेन से धनौरी)	6
पश्चिम बंगाल	बरईपुर-लक्ष्मीकांतपुर का धापधाबी-दक्षिण-बारासात	10
बिहार	महेशकुंट-थानाबिहुपुर (आंशिक)	28
उत्तर प्रदेश	गढ़मुक्तेश्वर-कानकाघेर	12
उत्तर प्रदेश	अमरोहा-कानकाघेर	31
उत्तर प्रदेश	भीमसेन-जूही	11
उत्तर प्रदेश	कानपुर-पनकी तीसरी और चौथी लाइन	9
उत्तर प्रदेश	मनकापुर-बभनान	30
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर-बैतालपुर (गोरखपुर कैण्ट-कुसमी)	10
उत्तर प्रदेश	एकाम-जीरादेई (आंशिक)	8
उत्तर प्रदेश	बभनान-मुंडेरवा (बभनान-गौर)	7
राजस्थान	जयपुर-फुलेरा	55
छत्तीसगढ़	ऊसलापुर-कलामीतर	15
छत्तीसगढ़	भिलाई-दुर्ग	13
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश	मदुरै-दिण्डीगुल	40
केरल	एर्णाकुलम-मुलनत्रूती	17
आंध्र प्रदेश	समालकोट-काकीनाडा	15
झारखंड	पदापहाड़-डोंगापोसी-बांसपानी	6

1	2	3
आंध्र प्रदेश	गुत्ती-रेणिगुण्टा	14
तमिलनाडु	तिरूवल्लूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन	26
	कुल	363

2009-10 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना	लंबाई (कि.मी. में)
1	2	3
	नई लाइन	
पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर-तालपुर	5
उत्तर प्रदेश	जगदीशपुर-नेखपुर	27
बिहार	सीतामढ़ी-रूनीसैदपुर	23
बिहार	महेशपुर-नववादी	14
बिहार	मुजफ्फपुर-जुब्बासानी	12
हिमाचल प्रदेश	चुरारू तकराला-अम्ब अंदौरा	11
जम्मू एवं कश्मीर	काजीगुण्ड-अनंतनाग	18
हरियाणा	रेवाड़ी-झज्जर	45
बिहार, उत्तर प्रदेश	फुलवरिया-बथुआ बाजार	5
तमिलनाडु	नागापट्टीनम-वेलनकन्नी	10
झारखंड	लोहरदगा-बरकीचम्मी	15
पश्चिम बंगाल	रायनगर-मतनसीबपुर	10
आंध्र प्रदेश	कोट्टूर-हरिहर	63
	कुल	258
	आमान परिवर्तन	
महाराष्ट्र	पंढरपुर-मिरज	137
बिहार	सहरसा-दौराम मधेपुरा	22
असम	फकीराग्राम-धुबड़ी	66
असम	हैबरगांव-माराबारी	44
राजस्थान	सादुलपरु-रतनगढ़-देगाना	254
छत्तीसगढ़	बालाघाट-कटंगी	47

1	2	3
आंध्र प्रदेश	मदनपल्ली-धर्मावरम	144
तमिलनाडु	वेल्लोर-विलुपुरम	140
केरल	कोल्लम-पुनालूर	45
केरल	पोदानूर-कोयंबटूर	6
उड़ीसा	बरीपादा-बांगरीपोसी	38
कर्नाटक	शिमोगा-आनंदपुरम	57
गुजरात	दबोई-बोदेली	35
गुजरात	वंसजलिया-जेतलसर	90
गुजरात	सुरेंद्रनगर-धरागध्रा	35
राजस्थान	अजमेर-कुलेरा	80
गुजरात	भिलड़ी-समदाड़ी	223
तमिलनाडु	तंजाबूर-विलुपुरम (कुड्डालूर-सरकाजी)	53
	कुल	1516
	दोहरीकरण	
पश्चिम बंगाल	सिंगूर-नलीकुल	6
पश्चिम बंगाल	मछलंपुर-चांदपाड़ा	12
पश्चिम बंगाल	चिनपई-सैंथिया	30
पश्चिम बंगाल	त्रिवेणी-कामरागाछी	8
पश्चिम बंगाल	बाकुडी-तिनपहाड़	8
बिहार	नौगछिया-थानाबिहुपुर	16
बिहार	कटरिया-कोसी केबिन	3
बिहार	बेला-चाखण्ड	10
बिहार	लाखो-उमेशनगर	25
बिहार	तिलरथ-बेगूसराय	8
उड़ीसा	संभलपुर-सासोन	18
जम्मू एवं कश्मीर	विजयपुर जम्मू-बसंतर ब्रिज	5.5
जम्मू एवं कश्मीर	साम्बा-घगवाल	9
जम्मू एवं कश्मीर	घगवाल-हीरा नगर	6

1	2	3
पंजाब	हीरा नगर-छन्न अरौरियां	9
दिल्ली, उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद-आनंद बिहार	11
पंजाब	लुधियाना-साहनेवाल	17
उत्तर प्रदेश	मुंडरेवा-भबनान (गौर-गोविन्द नगर)	17
उत्तर प्रदेश	सहजनवा-खलीलाबाद	17
उत्तर प्रदेश	गोरखपपुर-बैततलपुर का कुसमी-चौरी चौरा	6
उत्तर प्रदेश	जीरादेई-भटनी (आंशिक)	17
उत्तर प्रदेश	सीवान-जीरादेई	11
राजस्थान, गुजरात	जयपुर-दौसा का दौसा-बस्सी और काटीपुरा-गांधीनगर	41
राजस्थान	दौसा-बांदीकुई का दौसा-अरनिया	23
राजस्थान	हरसौली-अलवर (आंशिक)	25
केरल	मावेलिकारा-कायनकुलम	8
झारखण्ड	डोंगापोसी-बांसपानी (आंशिक)	10
कर्नाटक	धारवाड़-कंबारगणवी का धारवाड़-मुगद	14
कर्नाटक	हुबली-हेबसुर	19
आंध्र प्रदेश	गूत्ती-रेणिगुण्टा (आंशिक) कडप्पा-कमलापुरम	23
छत्तीसगढ़	भाटापाड़ा-तिलदा-बैकुण्ड	16
	कुल	448

2010-11 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में)
1	2	3
	नई लाइनें	
महाराष्ट्र	अमरावती-नारखेड का चांदुरबाजार-नारखेड	85
महाराष्ट्र	लोणंद-बारामती का लोणंद-फलटन	27
पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर-बिष्णुपुर	17
झारखण्ड	देवगढ-दुमका	67
झारखण्ड	देवगढ़-चंदन	15
झारखण्ड	रामपुरहाट-पीरागढ़िया	17
बिहार	मंदारहिल-हंसडीह परियोजना का मंदारहिल-कुमारडोल	18

1	2	3
बिहार	बरकाखना-कुजू	15
बिहार	पटना-गंगा पुल (लागत में हिस्सेदारी) का	
	फुलवरियाशरीफ-पाटलिपुत्र (6 किमी)	6
बिहार	गिरीडीह-कोडरमा का नवाडीह-धनवाड; (15 किमी)	15
पंजाब	अबोहर-फाजिल्का	42
पंजाब	तरन तारन-गोइंदवाल	21
हरियाणा	रेवाड़ी-रोहतक का झज्जर-रोहतक (लागत में हिस्सेदारी)	30
उत्तर प्रदेश	आगरा-इटावा का आगरा-फतेहाबाद (110 किमी)	35
पश्चिम बंगाल	न्यू कूचबिहार-गोलकागंज का आंशिक भाग	37
राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	31
तमिलनाडु	नागौर-करईकल 10 किमी (तिरूचिरापल्ली-नागौर-करईकल	10
	आमान परिवर्तन परियोजना का एमएम)	
तमिलनाडु	सेलम-करूर का सेलम-नामाक्कल (51 किमी)	51
आंध्र प्रदेश	गडवल-पांडुरंगस्वामी (गडवल-रायचूर का आंशिक भाग)	36
आंध्र प्रदेश	खानापुर-होमनाबांद	38
आंध्र प्रदेश	जगतियाल-मेटपल्ली	30
आंध्र प्रदेश	विष्णुपुरम-जहानपद	11
कर्नाटक	कडूर-कनवीहल्ली (32 किमी)	16
राजस्थान	रामगंजमंडी-झालावाड़	30
आंध्र प्रदेश	वेंकटाचलम-कॉमारापुडी	9
	कुल	709
	आमान परिवर्तन	
पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर-शांतिपुर (कालीनारनपुर-कृष्णानगर का एमएम)	15
पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान-बालगोना	25
बिहार	सीतामढ़ी-बरगनिया	28
उड़ीसा	नौपाड़ा-गुनुपुर का पारलीकिमिण्डी-गुनुपुर	45
उत्तर प्रदेश	मथुरा-अछनेरा	35
उत्तर प्रदेश	औंडिहार-जौनपुर	70

1	2	3
उत्तर प्रदेश	कप्तानगंज-थावे	100
बिहार	कटिहार-मनिहारी	24
पश्चिम बंगाल	अलुआबाड़ी-सिलीगुडी (76 किमी)	76
गुजरात	मावलि-नाथद्वारा	16
रास्थान	रतनगढ़-बीकानेर	141
तमिलनाडु	दिण्डीगुल-पलानी	58
तमिलनाडु	तिरूनेलवेली-तेनकासी (72 किमी)	72
तमिलनाडु	आनंदपुरम-तालगुप्पा	40
गुजरात	बोदेली-छोटा उदयपुर	30
गुजरात	भरूच-सामनी-दाहेज (आंशिक)	62
	कुल	837
	दोहरीकरण	
महाराष्ट्र	कुर्ला-ठाणे	34
बिहार, पश्चिम बंगाल	धनौरी-क्यूल	6
पश्चिम बंगाल	कालीनारायणपुर-बीरनगर	4
पश्चिम बंगाल	खामरगाछी-जीरट	5
पश्चिम बंगाल	पंडाबेश्वर-चिनपै	21
पश्चिम बंगाल	बारासात-सौंदलिया	12
पश्चिम बंगाल	बरूड़पुर-मगराहाट	15
पश्चिम बंगाल	नालीकुल-तारकेश्वर	17
बिहार	तेरंगाना-जहानाबाद	15
बिहार	बेगूसराय-खगड़िया का उमेशनगर-खगड़िया और बेगूसराय-लाखो	13
बिहार	सेमापुर-कुरसेला का कढ़गोला-कुरसेला	16
बिहार	जहानाबाद-बेला	22
उड़ीसा	सासन-रेंगाली	4
आंध्र प्रदेश	कोट्टवलासा-सिंहाचलम के बीच चौथी लाइन	17
पंजाब	बुद्धि-कठुवा	12

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर	चक्की ब्लॉक हट-चक्की बैंक	2
हरियाणा	पलवल-असावती	10
उत्तर प्रदेश	पनकी-भाउपुर	11
उत्तर प्रदेश	टुंडला-यमुना ब्रिज (21 किमी)	17
उत्तर प्रदेश	खलीलाबाद-मुंडेरवा का खलीलाबाद-चुरेब	8
उत्तर प्रदेश	सहजनवा-मुंडेरवा का चुरेब-मुंडेरवा	7
उत्तर प्रदेश	मुंडेरवा-बभनान का गोविन्दनगर-बस्ती	5
उत्तर प्रदेश	कुसमी-चौरी चौरा अवशेष	5
उत्तर प्रदेश	जीरादेई-भटनी का बनकाटा-भटापार रानी	9
उत्तर प्रदेश	मऊ-इंदारा	8
उत्तर प्रदेश	मुंडेरवा-बस्ती	14
पश्चिम बंगाल	मालदा-ओल्ड मालदा	1
असम	न्यू गुवाहाटी-दिगारू का आंशक भाग	21
राजस्थान	जयपुर-दौसा (आंशिक)	17
राजस्थान	हरसौली-रेवाड़ी	39
राजस्थान	दौसा-बांदीकुई का अरनिया-बांदीकुई	9
राजस्थान	अलवर-परिसाल	10
तमिलनाडु	नेत्रवती-कांकानाडी	3
तमिलनाडु	विलुपुरम-मंडियमबक्कम	8
केरल	कायनकुलम-हरिपद (13 किमी) (स्पिल ओवर)	13
केरल	इरूगुर-कोयम्बटूर	18
पिश्चम बंगाल	आद्रा-जयचंदीपहाड़	4
झारखण्ड	बारबील-बाराजमदा दोहरीकरण (10 किमी.)	10
उड़ीसा	मुर्गा महादेव-बांसपानी	9
झारखण्ड, उड़ीसा	पदापहाड़-जमकुंडिया	9
कर्नाटक	मुगद-कंबरगणवी	15
कर्नाटक	देवानूर-बल्लाकेरे	13
गुजरात	गांधीधाम-आदिपुर	8

1	2	3
गुजरात	अखोडिया-मोहम्मदखेडा-शुजालपुर	13
छत्तीसगढ़	बिलासपुर-उरकुरा	29
उत्तर प्रदेश	खुर्जा-चोला	15
कर्नाटक	कुडप्पा-कमलापुरम	23
उत्तर प्रदेश	चोला-दनकौर	14
कर्नाटक	कमलापुरम-मुडनुरू	32
आंध्र प्रदेश	गुंतकल-रायचूर का नचरेला-असपारी	22
उत्तर प्रदेश	दनकौर-दादरी	15
उड़ीसा	खुरदा-बारंग	19
उड़ीसा	रजतगढ़-बारंग	9
आंध्र प्रदेश	कोंडापुरम-ताडिपत्री	32
हरियाणा	पलवल-होडल	30
	कुल	769

[अनुवाद]

उर्वरकों की उत्पादन लागत

840. श्री हरिन पाठक: क्या **रसायन और उर्वकर मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रासयनिक उर्वरकों के उत्पादन हेतु औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन लागत में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान वर्ष के दौरान इकाई-वार प्रत्येक रासायनिक उर्वरक की अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादन लागत क्या है;

(ग) उर्वरकों की उत्पादन लागत में इस प्रकार के अत्यधिक अंतर के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इन उर्वरकों के उत्पादन की लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) से (घ)

(क) यूरिया

(i) यूरिया की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन लागत निम्नानुसार है:-

(रुपए/मी. टन यूरिया)

इकाई का नाम	पुरानापन/फीडस्टॉक	रियायत दरें	अभ्युक्ति
स्पिक-तुतीकोरिन	92 से पूर्व नाफ्था	36450	अधिकतम
कृभको-हजीरा	92 से पूर्व गैस	8212	न्यूनतम

(ii) विभिन्ताा के कारण प्रयुक्त फीडस्टॉक/ईंधन, पुरानी प्रौद्योगिकी, ऊर्जा खपत, आदान लागत, गैस परिवहन दरें, निर्धारित लागत का सत्यापन आदि हैं।

(iii) यूरिया संबंधी पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति पर उर्वरक नीति की समीक्षा करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीएमओ) में विचार किया जा रहा है।

(ख) नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वकर

नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति 1.4.2010 से लागू की गई है। एनबीएस नीति के अंतर्गत,

नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता प्रति किलोग्राम आधार पर प्रत्येक पोषकतत्व के लिए निर्धारित की जाती है और इसे सरकार द्वारा किसानों की वहनीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों व उर्वरक आदानों के प्रचलित मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। चूंकि राजसहायता उर्वरकों की उत्पादन लागत पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए पीएण्डके उर्वरकों के मामले में भी इसे मानीटर नहीं किया जाता। उर्वरक उत्पादक कंपनियां हमेशा उत्पादन लागत को न्यूनतम रखने का प्रयास करती हैं ताकि अपने लाभ को अधिकतम किया जा सके क्योंकि राजसहायता की राशि निर्धारित होती है।

[हिन्दी]

रावी-ब्यास से जल छोड़ा जाना

841. **श्री भरत राम मेघवाल: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और हरियाणा राज्य रावी तथा व्यास नदियों से राजस्थान राज्य के लिए कम पानी छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को अनुदेय देने का प्रस्ताव है कि वह अपनी तकनीकी समिति की बैठक में निर्धारित हिस्से के अनुसार राजस्थान को जल जारी करना सुनिश्चित करे और एक ऑटोमेटिक गेज रिकार्डर को स्थापित करे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पंजाब समझौता अधिनियम, 2004 के उत्पादन के समय रावी तथा व्यास नदियों से हरियाणा द्वारा जल की कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा था साथ ही पंजाब समझौता अधिनियम, 2004 के उत्पादन के पश्चात रावी और व्यास नदियों से वर्ष-वार हरियाणा द्वारा कितने जल का उपयोग किया गया था; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राजस्थान को अपने हिस्से को जल प्राप्त हो?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) हरियाणा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य रावी व्यास के जल की निर्मुक्ति से संबंधित नहीं है तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा तैयार जलालेख में दर्शाया गया है कि राजस्थान हरीका में रावी व्यास से इसको आबंटित की गई जल की मात्रा से अधिक जल का उपयोग करता रहा है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब कभी पंजाब द्वारा राजस्थान को जल की कम आपूर्ति की जाती है तब यह पंजाब को सही मात्रा में जल की आपूर्ति करने का अनुरोध करता है तथा इस वर्ष राज्यों की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई समस्या नहीं हुई बल्कि जून और जुलाई माह में जल की निर्मुक्ति अधिक की गई है।

(ग) और (घ) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया है, मामले के संबंध में निर्णय लेने के लिए समुचित निकाय है। बोर्ड ने सूचित किया है कि सतलुज के जल की निर्मुक्ति के संपर्क-बिन्दुओं पर पहले ही स्वचालित सटेज रिकार्डरों को संस्थापित किया गया है तथा राजस्थान को रावी-व्यास जल की निर्मुक्ति करने के संपर्क-बिन्दुओं पर इन्हें संस्थापित करने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) बीबीएमबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हरियाणा द्वारा उपयोग की जाने वाली रावी व्यास मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) में जल की मात्रा निम्नानुसार है:

2000-01	1.367	2001-02	1.751	2002-03	1.387
2003-04	1.597	2004-05	1.590	2005-06	2.041
2006-07	1.797	2007-08	1.813	2008-09	.1900
2009-10	0.934	2010-11	1.644		

बीबीएमबी ने आगे सूचित किया है दिनांक 21.9.2009 के संबंध में दिए गए आंकड़े जलालेख पर आधारित हैं जिनका समाधान किया जाना है।

(च) बीबीएमबी ने पंजाब को पहले ही जल की सहमत सही मात्रा में आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया है तथा भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित स्वचालित स्टेज रिकार्डरों को संस्थापित करने के संबंध में कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

सीएनजी फिलिंग स्टेशन

842. **श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितने सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं;

(ख) क्या देश में मौजूदा सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की संख्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में और अधिक सीएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) अब तक इस संबंध में राज्य-वार आबंटित एवं व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में 588 सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं। राज्यवार ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	सीएनजी स्टेशनों की संख्या
1.	दिल्ली	216
2.	आंध्र प्रदेश	13
3.	उत्तर प्रदेश	14
4.	गुजरात	183
5.	त्रिपुरा	1
6.	महाराष्ट्र	157
7.	राजस्थान	4
	योग	588

(ख) और (ग) सीएनजी नगर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी क्षेत्र में सीजीडी परियोजना का विकास पाइपलाइन संबद्धता के साथ-साथ गैस की उपलब्धता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने और सीजीडी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 का अधिनियम किया है। अधिनियम में प्रावधान के अनुसार पीएनजीआरबी सीजीडी परियोजनाओं और ट्रंक पाइपलाइनों का प्राधिकार देगा।

(घ) पीएनजीआरबी सार्वजनिक निधियों का निवेश नहीं करता और नगर गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए संपूर्ण निवेश प्राधिकृत निकायों द्वारा किया जाना होता है।

उर्वरक पर राजसहायता

843. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजसाहयता प्रणाली के तहत उर्वकरों पर राजसहायता के प्रशासन की व्यवसथा से संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या बारहवें वित्त आयोग ने उर्वरक राजसहायता जारी करने के लिए वैकल्पिक प्रणाली विकसति करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ)

- बाहरवें वित्त आयोग ने उर्वरक राजसहायता के संबंध में जारी करने के लिए प्रणाली विकसित करने की कोई सिफारिश नहीं की है।
- उर्वरक राजसहायता के संबंध में, बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केवल यह पाया कि: "एक वैकल्पिक साधन को विकसित करने की स्पष्ट आवश्यकता है ताकि राजसहायता की मात्रा को कम किया जा सके और इसके लाभ बेहतर ढंग से लक्षित हो। वर्तमान व्यवस्था को यथाशीघ्र समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।" (पैरा 3.17)।

(ङ) और (च) चूंकि बारहवें वित्त आयोग के अपने से कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है, इसलिए सरकार द्वारा इसके लागू करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रेक न्यायालय

844. **श्री अशोक कुमार रावतः** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में फास्ट ट्रेक न्यायाल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रापत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां उत्तर प्रदेश सरकार से, राज्य में 308 अतिरिक्त त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए 100% केंद्रीय अनुदान के रूप में रुपये 41. 52 करोड़ प्रतिवर्ष (आवर्ती) और रुपए 26.18 करोड़ (अनावर्ती) के केंद्रीय अनुदान के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) देश में 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों में से उत्तर प्रदेश के लिए केवल 242 त्वरित निपटान न्यायालयों को अलग किया गया है और तद्नुसार अनुमोदित स्कीम के मानकों के अनुसार अर्थात् 4.80 लाख रुपये प्रति न्यायालय प्रति वर्ष (आवर्ती) और 8.60 लाख रुपये (अनावर्ती), राज्य सरकार को केंद्रीय अनुदान जारी किया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया था कि अनुमोदित मानकों की अधिकता में केंद्रीय सहायता पर विचार किया जाना संभव नहीं था। त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय वित्तपोषण की स्कीम का 31.03.2011 से परे विस्तार नहीं किया गया है।

चोला रेलवे स्टेशन का उन्नयन

845. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर चोला रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसे चोला-बुलंदशहर किए जाने तथा उस स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने के संबंध में जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा, नियम 377 के अंतर्गत, मामले को उठाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चोला रेलवे स्टेशन के उन्नयन, चोला बुलंदशहर के रूप में इसका नाम बदलना और चोला रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव के संबंध मे मांग की गई थी। इसी तरह का एक प्रश्न 11.11.2010 को लोकसभा में प्रश्न संख्या 513 द्वारा उठाया गया और उत्तर दिया गया था।

(ग)(i) चोला का एक 'डी' कोटि का स्टेशन है। सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा कक्ष, पीने का पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, ऊपरी पैदल पुल आदि पहले से से ही स्टेशन पर मुहैया कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 को 24 सवारी डिब्बों को समाहित करने के लिए विस्तारित किया गया है।

(ii) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रेलों पर रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने में स्वीकृति के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकरण है। यह ऐसा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर करता है।

(iii) 5 एक्सप्रेस और 8 जोड़ी यात्री गाड़ियां चोला स्टेशन पर रूकती हैं जोकि स्टेशन पर वर्तमान यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। चोला पर अतिरिक्त गाड़ियों का ठहराव वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है।

मनरेगा के तहत आवंटन

846. **श्री संजय दिना पाटीलः**
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री संजीव गणेश नाईकः
श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री सी. राजेन्द्रनः
श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः
श्री शिवराम गौडाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार माहत्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है)

(ख) क्या कुछ राज्यों ने योजना के तहत आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत निधियों के उपयोग के संबंध में कोई दिशानिर्देश/परामर्श भी जारी किया गया है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) योजना के तहत रोजगार सृजन करने के संबंध में राज्य-वार निष्पादन कया रहा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित है। क्षेत्र स्तर पर पैदा हुई श्रम मांग के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में जून, 2011 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल उपलब्ध निधियां और उपयोग की गई निधियां संलग्न विवरण-I पर दी गई हैं। महात्मा गांधी नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांग पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। अधिनियम आवेदक को मांग के 15 दिनों के अंदर कार्य उपलब्ध कराने का प्रावधान देता है, एसा न होने पर बेरोजगार भत्ता देय हो जाता हे। इसलिए, क्षेत्र में किसी अचानक पैदा हुई श्रम मांग को पूरा करने के लिए निधियां सदैव रखी जानी चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध निधियां जो एक वित्तीय वर्ष में प्रयोग नहीं हो पाई, को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाता है ताकि उस वर्ष की श्रम मांग को पूरा करने के लिए उनका उपयोग किया जा सके।

(घ) और (ङ) मनरेगा के अंतर्गत निधियों का उपयोग मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देशों, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियमावली, 2006, मानदंड और समय-समय पर जारी सलाहों से किया जताा है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मांग के अनुसार प्रदान किया जाना है। अधिनियम में एक ग्रामीण परिवार को अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा-I में निर्धारित अनुमेय क्रियाकलापों/कार्यों को मांगने पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक का मजदूरी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को मजदूरी के भुगतान पर होतेने वाले पूरे खर्च को केंद्र सरकार वहन करती है। अधिनिमय के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दरों पर मजदूरी दी जानी होती है। परियोजनाओं के सामग्री आवयव की लागत, जिसमें योजना के अंतर्गत कुशल और अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी शामिल है, कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सामग्री की 75% लागत जिसमें कुशल और अर्द्धकुशल कामगार शामिल हैं, केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। निधियों का 67% मनरेगा हेतु तैनात समर्पित स्टाफ, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन और प्रशासनिक सहायक ढांचे की मजबूती, शिकायतों के निपटान और आईसीटी अवसंरचना के लिए प्रशासनिक खर्च हेतु स्वीकृत है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें द्वारा बताए गए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में जून, 2011 तक मनरेगा के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों के रूप में निष्पादन विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.स.	राज्य	उपलब्ध निधियाँ				कुल व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जून, 11 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जून, 11 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	370669.63	538354.80	910709.68	412855.13	296390.38	450918.00	543938.55	18311.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	4338.22	4290.39	5554.98	1362.81	3289.54	1725.74	5057.31	NR
3.	असम	136558.01	142472.94	126927.61	50720.13	95380.73	103389.76	92104.35	10542.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	218785.90	235820.39	319756.10	96585.56	131647.97	181687.63	266425.17	8219.33
5.	छत्तीसगढ़	200591.38	162933.26	223309.23	113417.04	143447.52	132266.65	163397.81	71938.43
6.	गुजरात	28126.75	98142.04	128159.38	49736.47	19600.66	73938.25	78822.00	11716.78
7.	हरियाणा	16415.91	19455.21	23208.84	10571.09	10988.22	14355.28	21470.43	4533.05
8.	हिमाचल प्रदेश	50125.23	62308.71	81999.97	31876.62	33227.64	55655.76	50196.38	6537.04
9.	जम्मू व कश्मीर	15279.30	25460.61	41256.92	24809.75	8772.02	18531.34	37776.70	814.75
10.	झारखंड	236337.36	192450.63	163810.61	88468.95	134171.70	137970.19	128435.40	27866.49
11.	कर्नाटक	66157.34	335205.31	289791.99	106576.08	35787.46	273919.35	253716.51	135472.02
12.	केरल	29771.74	59119.45	84332.78	34673.24	22453.65	47151.35	70434.07	3534.73
13.	मध्य प्रदेश	507517.11	567823.00	553552.80	248566.20	355496.21	372228.08	363724.90	41495.10
14.	महाराष्ट्र	61828.50	63875.42	59758.73	50802.70	36154.33	32109.32	35811.97	9173.77
15.	मणिपुर	38595.72	51120.41	41643.08	26041.76	34965.82	39316.87	44070.51	490.98
16.	मेघालय	10975.76	25228.69	33146.16	11370.61	8945.10	18352.79	31902.39	293.26
17.	मिजोरम	17426.30	29704.93	27842.57	9422.99	16455.70	23823.99	29315.12	370.59
18.	नागालैंड	28921.18	62864.80	63571.35	30380.18	27231.15	49945.76	60537.48	16.98
19.	उड़ीसा	105128.86	97673.34	179187.94	104439.85	67829.29	93898.37	153314.26	17326.12
20.	पंजाब	11492.70	21127.69	23052.47	9024.78	7177.06	14991.96	16584.21	4394.67
21.	राजस्थान	724534.48	820272.52	634042.39	375810.22	616439.73	566903.40	328907.14	70879.56
22.	सिक्किम	4810.69	10256.22	8347.92	5113.64	4275.61	6408.99	8525.72	355.10
23.	तमिलनाडु	179459.04	241131.95	282489.49	106926.07	100406.47	176123.49	232331.96	41705.76
24.	त्रिपुरा	51943.39	96207.95	63802.18	43943.85	49077.13	72940.80	63186.85	7302.18
25.	उत्तर प्रदेश	470692.85	713268.04	722148.20	397498.69	356887.72	590003.87	563120.10	85190.59
26.	उत्तराखंड	15566.09	35911.48	40406.96	21735.47	13579.33	28309.06	38019.88	3246.08
27.	पश्चिम बंगाल	133654.90	240854.15	277993.91	153347.13	94038.47	210898.16	253246.13	36260.00
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1557.83	1603.75	1198.67	907.69	327.54	1226.12	903.66	50.43
29.	दादरा व नगर हवेली	46.20	197.07	127.02	4.02	1.03	133.95	123.00	NR
30.	दमन व दीव	21.86	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
31.	गोवा	951.28	1221.74	1609.55	616.27	249.96	470.12	993.28	193.75
32.	लक्षद्वीप	435.20	462.12	579.69	327.99	178.68	201.48	251.70	0.59
33.	पुडुचेरी	969.44	1100.44	3895.10	2812.99	136.10	726.90	1082.11	13.14
34.	चंडीगढ़	20.00	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		3739706-15	4957919-45	5417214-25	2620745-96	2725009-92	3790522-78	3937727-05	496315-68

*एन आर-असूचित

विवरण-II

मनरेगा के अंतर्गत सृजित श्रम दिवस

(लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	सृजित श्रम दिवस			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जून, 2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2735.45	4044.30	3351.61	75.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.98	16.98	31.12	NR
3.	असम	751.07	732.95	470.52	51.72
4.	बिहार	991.75	1136.88	1602.62	30.44
5.	छत्तीसगढ़	1243.18	1041.57	1110.35	497.54
6.	गुजरात	213.07	585.09	491.84	76.58
7.	हरियाणा	69.11	59.04	84.20	17.19
8.	हिमाचल प्रदेश	205.28	284.94	219.46	30.15
9.	जम्मू व कश्मीर	78.80	128.71	210.68	2.24
10.	झारखंड	749.97	842.47	830.90	174.12
11.	कर्नाटक	287.64	2003.43	1097.85	25.84
12.	केरल	163.75	339.71	480.34	20.21
13.	मध्य प्रदेश	2946.97	2624.00	2198.18	185.93
14.	महाराष्ट्र	419.85	274.35	200.00	35.53
15.	मणिपुर	285.62	306.18	395.61	3.88
16.	मेघालय	86.31	148.48	199.81	1.35
17.	मिजोरम	125.82	170.33	165.98	8.83
18.	नागालैंड	202.70	284.27	334.34	NR
19.	उड़ीसा	432.58	554.09	976.57	113.40
20.	पंजाब	39.89	77.17	75.40	17.30
21.	राजस्थान	4829.55	4498.10	3026.22	616.29
22.	सिक्किम	26.34	43.27	48.14	1.68

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	1203.59	2390.75	2685.93	460.53
24.	त्रिपुरा	351.12	460.22	374.51	47.18
25.	उत्तर प्रदेश	2272.21	8559.23	3348.97	508.31
26.	उत्तरांचल	104.33	182.41	230.20	13.29
27.	पश्चिम बंगाल	786.61	1551.68	1553.08	116.50
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00	5.83	4.03	0.26
29.	दादरा व नगर हवेली	0.48	0.70	0.47	NR
30.	दमन व दीव	NR	NR	NR	NR
31.	गोवा	NR	1.85	3.70	0.80
32.	लक्षद्वीप	1.82	1.41	1.34	NR
33.	पुडुचेरी	1.64	9.07	11.27	0.09
34.	चंडीगढ़	NR	NR	NR	NR
		21632.48	28359.46	25715.24	3127.26

* एन आर-असूचित

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

847. **श्री कपिल मुनि करवारिया:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
डॉ. संजय जायसवाल:
योगी आदित्यनाथ:
श्री समीर भुजबल:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा साथ ही ऐसी परियोजनाओं हेतु किये गए आबंटन, संस्वीकृत धनराशि, जारी तथा व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा तथा कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत कार्य को विस्तार देने के लिए किसी वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पीएमजीएसवाई के तहत देश के प्रत्येक ग्राम को संपर्क सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में कितने ग्रामों का राज्य-वार संपर्क सड़कों से जोड़ा गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2011 तक) के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्य वार परियोजनाएं एवं स्वीकृत धन राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराए गए हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर प्राप्त उपकर में से आबंटन, रिलजी की गई निधियां और किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ख) और (ग) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2011 तक) के दौरान लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का सार नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	लंबाई (किमी. में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
2008-09	64,440	52,405
2009-10	55,000	60,117
2010-11	34,090	45,109
2011-12	33,000	8,701

राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 एवं इससे अधिक और पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्र, मरुभूमि वाले क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथा निर्धारित) और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई)/समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 250 एवं इससे अधिक आबादी वाली सड़क से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने की संकल्पना की गई है।

(च) जून 2011 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क से जोड़ने के लिए स्वीकृत एवं सड़क से जोड़ी गई बसावटों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11				2011-12 (जून. 2011 तक)			
		मूल्य (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत सड़कों की सं.	लं. (कि.मी.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत सड़कों की सं.	लं. (कि.मी.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत सड़कों की सं.	लं. (कि.मी.)	लंबे पुल	मूल्य (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत सड़कों की सं.	लं. (कि.मी.)	लंबे पुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16.
1.	आंध्र प्रदेश	1756.97	1260	5070.65				626.40	187	639.01	298				
2.	अरूणाचल प्रदेश	563.91	104	862.48	401.57	64	583.02	461.99	44	654.98	51				
3.	असम	5078.39	2582	7677.39											
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी)	7624.64	4553	15548.31											
5.	बिहार (एनईए)	2508.42	1074	4513.75	695.12	418	1228.98								
6.	छत्तीसगढ़	1111.80	1049	3819.82								100.38	101	325.77	
7.	गोवा														
8.	गुजरात	394.58	466	1567.74	130.38	221	438.86								
9.	हरियाणा	371.79	67	697.17	241.63	69	611.32								
10.	हिमाचल प्रदेश	48.70	19	145.14	243.97	194	639.87								
11.	जम्मू और कश्मीर	1200.26	440	2259.43				1463.21	470	2239.01	24				
12.	झारखंड	973.12	669	3122.31	882.07	935	3281.62					635.19	531	2006.20	49
13.	कर्नाटक	619.33	308	2069.80	810.22	429	2787.98	33.96	24	105.26					
14.	केरल	230.47	200	533.54				256.27	220	621.46					
15.	मध्य प्रदेश	2586.40	1935	8917.85	878.16	642	2953.32	102.53			57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16.
16.	महाराष्ट्र	268.36	128	824.07	188.97	154	630.89	1717.98	1057	6252.72					
17.	मणिपुर	363.66	131	1157.37				231.68	69	736.57					
18.	मेघालय	128.54	36	183.54											
19.	मिजोरम	227.89	47	560.87											
20.	नागालैंड	54.04	11	205.20											
21.	उड़ीसा	4036.79	2076	10127.18				402.56	122	590.43	60				
22.	पंजाब				432.58	71	925.92	235.36	36	499.37					
23.	राजस्थान	804.97	337	3496.87	665.08	229	2726.98								
24.	सिक्किम	254.56	105	488.69	117.83	54	275.53								
25.	तमिलनाडु	1324.63	2409	5113.63											
26.	त्रिपुरा	223.27	65	339.70											
27.	उत्तर प्रदेश	2821.77	1310	7968.26	87.67	38	272.53	179.95	224	403.27					
28.	उत्तराखंड				419.21	133	1204.53	339.04	100	981.27	26				
29.	पश्चिम बंगाल	1210.22	609	2894.31				717.41	356	1484.53					
	कुल	36787.47	21990	90165.06	6194.47	3651	18561.34	6768.34	2909	15207.88	516	735.57	632	2331.97	49

विवरण-II

आबंटन, रिलीज और व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज (जून) 11 तक	व्यय (जून 11 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	105.00	470.60	494.47	89.67	872.46	886.37	36.84	667.15	473.94	46.87	54.85	70.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	57.00	104.59	152.01	48.68	282.52	247.61	20.00	369.87	348.85	25.45	83.27	30.66
3.	असम	181.00	967.32	1007.05	154.58	1179.00	1412.91	63.50	1900.67	1300.79	80.79	547.75	303.51
4.	बिहार	337.00	1022.62	1067.57	287.81	1692.87	1874.51	118.24	3366.43	2694.91	150.44	1259.64	533.69
5.	छत्तीसगढ़	240.00	964.12	863.34	204.97	533.18	805.06	84.20	678.58	304.16	107.13	0.00	76.63
6.	गोवा	5.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0	0.70	0.00	0	0.84	0.00	0
7.	गुजरात	65.00	229.67	255.26	55.51	193.80	190.46	22.80	322.43	243.84	29.01	40.00	152.26
8.	हरियाणा	30.00	272.02	313.09	25.62	255.49	277.16	10.53	157.75	108.03	13.40	60.00	8.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	हिमाचल प्रदेश	87.00	268.90	240.51	74.30	124.95	220.1	30.52	199.30	142.67	38.83	0.00	27.93
10.	जम्मू और कश्मीर	65.00	190.66	190.71	55.51	369.60	359.42	22.80	366.09	297.4	29.01	450.00	60.75
11.	झारखंड	175.00	208.67	211.47	149.45	417.74	457.79	61.40	838.41	538.44	78.12	0.00	101.2
12.	कर्नाटक	110.00	634.63	550.37	93.94	764.87	883.97	38.59	917.68	634.8	49.10	0.00	201.54
13.	केरल	30.00	82.29	84.41	25.62	100.11	113.77	10.53	144.27	146.14	13.40	0.00	18.38
14.	मध्य प्रदेश	440.00	1877.10	2198.06	375.77	2123.42	2234.83	154.37	1966.12	1409.49	196.40	635.00	264.18
15.	महाराष्ट्र	145.00	1030.00	929.98	123.83	944.18	994.6	50.87	1237.55	1012.48	64.72	0.00	209.8
16.	मणिपुर	33.00	20.00	37.97	28.18	149.16	145.13	11.58	144.98	122.34	14.73	59.69	110.63
17.	मेघालय	45.00	35.70	12.64	38.43	0.00	20.38	15.79	64.27	36.39	20.09	0.00	11.81
18.	मिजोरम	32.00	65.00	54.55	27.33	44.58	66.86	11.23	95.59	82.24	14.29	93.63	13.24
19.	नागालैंड	30.00	85.71	87.31	25.62	65.02	71.61	10.52	25.13	29.67	13.38	0.00	0.82
20.	उड़ीसा	273.00	1251.38	1163.01	233.15	1594.35	1895.25	95.78	2467.36	1924.25	121.86	440.00	342.12
21.	पंजाब	35.00	243.42	269.02	29.89	348.42	322.64	12.28	194.43	155.34	15.62	90.00	11.27
22.	राजस्थान	234.00	1771.32	1695.54	200.70	583.41	795.03	82.45	886.22	686.39	104.90	7.76	103.98
23.	सिक्किम	30.00	55.00	103.99	25.62	70.00	80.17	10.53	76.77	85.53	13.40	0.00	0.52
24.	तमिलनाडु	90.00	88.68	127.87	76.86	520.00	560.2	31.58	469.54	304.81	40.18	45.00	282.91
25.	त्रिपुरा	40.00	359.98	315.77	34.16	152.50	253.74	14.03	257.91	237.51	17.85	0.00	70.48
26.	उत्तर प्रदेश	375.00	1660.78	2000.07	323.68	2838.21	2914.96	132.97	1308.83	868.54	169.18	0.00	70.41
27.	उत्तराखंड	100.00	114.89	152.79	85.40	164.954	172.57	35.08	237.96	191.74	44.63	260.00	71.27
28.	पश्चिम बंगाल	226.00	623.44	583.18	193.01	375.00	575.82	79.29	819.68	530.29	100.88	0.00	103.36
	कुल	3615.00	14698.39	15161.98	3089.00	16759.79	18832.92	1269.00	20181.37	14910.98	1614.50	4126.58	3251.53

ध्यान दें:-

आबंटन कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए गए उपकर के हिस्से में से है।

रीलीज में वार्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए योजनागत सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से प्राप्त निधियां और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के लिए गए ऋण शामिल हैं।

विवरण-III

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष-वार शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की लंबाई	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लंबाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21135.88	19432.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	4362.63	3002.67
3.	असम	15909.42	10676.67
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी)	18972.34	3296.73
5.	बिहार (एनईए)	18912.88	10378.96
6.	छत्तीसगढ़	25508.58	18906.10

1	2	3	4
7.	गोवा	178.16	158.70
8.	गुजरात	7908.57	7499.53
9.	हरियाणा	4589.33	4339.26
10.	हिमाचल प्रदेश	12166.15	9419.57
11.	जम्मू और कश्मीर	7011.14	2043.16
12.	झारखंड	11446.08	6518.46
13.	कर्नाटक	16243.73	14350.41
14.	केरल	2710.49	1363.70
15.	मध्य प्रदेश	55296.31	47033.95
16.	महाराष्ट्र	23216.67	19615.85
17.	मणिपुर	3160.78	3773.37
18.	मेघालय	1100.56	974.83
19.	मिजोरम	2487.16	2012.05
20.	नागालैंड	2674.87	2649.67
21.	उड़ीसा	29879.00	21034.05
22.	पंजाब	4961.56	4404.33
23.	राजस्थान	50872.66	48385.04
24.	सिक्किम	2893.97	2345.18
25.	तमिलनाड	10053.99	9518.06
26.	त्रिपुरा	3017.31	1999.45
27.	उत्तर प्रदेश	41944.82	39555.65
28.	उत्तराखंड	5662.38	3552.65
29.	पश्चिम बंगाल	15064.78	10898.55
	कुल	419342.19	328139.03

विवरण-IV

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य (लंबाई कि.मी. में)	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)	लक्ष्य (लंबाई कि.मी. में)	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)	लक्ष्य (लंबाई कि.मी. में)	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)	लक्ष्य (लंबाई कि.मी. में)	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में) (जून, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2500.00	1885.00	2980.00	3092.00	2150.00	2121.48	1925.00	256.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	290.00	317.43	500.00	622.55	178.00	366.87	196.00	76.73
3.	असम	2730.00	1985.11	2585.00	2095.88	2008.00	2057.11	1224.00	569.41
4.	बिहार	5857.00	2532.20	5200.00	2843.27	4644.00	2515.13	6000.00	1439.33
5.	छत्तीसगढ़	4250.00	2427.08	3500.00	4020.44	906.00	1570.66	1500.00	497.58
6.	गोवा	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1000.00	1262.07	1500.00	1511.02	596.00	605.97	728.00	343.13
8.	हरियाणा	750.00	969.87	700.00	785.35	200.00	389.24	292.00	43.19
9.	हिमाचल प्रदेश	1660.00	1360.10	1500.00	1505.61	693.00	661.82	750.00	155.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	155.00	469.80	1450.00	661.54	367.00	474.00	750.00	159.01
11.	झारखंड	1200.00	214.97	1950.00	1530.90	1482.00	1599.25	1005.00	356.22
12.	कर्नाटक	1820.00	2099.13	2600.00	3019.75	1000.00	1848.93	1204.00	668.26
13.	केरल	480.00	240.22	300.00	264.10	156.00	245.87	446.00	89.91
14.	मध्य प्रदेश	7000.00	7893.72	8000.00	10398.01	4488.00	9163.26	3719.00	515.75
15.	महाराष्ट्र	4000.00	4138.65	2950.00	3111.580	1292.00	3718.27	1700.00	860.42
16.	मणिपुर	900.00	78.95	200.00	879.68	335.00	487.42	150.00	184.43
17.	मेघालय	150.00	30.80	100.00	97.92	64.00	83.31	100.00	10.07
18.	मिजोरम	280.00	195.18	200.00	202.71	150.00	252.13	100.00	39.87
19.	नागालैंड	430.00	298.53	150.00	273.66	150.00	86.00	200.00	9.69
20.	उड़ीसा	6000.00	2641.00	2980.00	3838.43	3800.00	4941.90	2400.00	1120.45
21.	पंजाब	1000.00	751.62	365.00	710.00	500.00	622.72	593.00	41.73
22.	राजस्थान	8200.00	10349.93	3750.00	4350.11	1700.00	3019.47	1795.00	218.46
23.	सिक्किम	280.00	308.57	300.00	98.82	147.00	85.72	154.00	18.70
24.	तमिलनाडु	938.00	609.59	1170.00	1940.49	1020.00	2229.01	1058.00	422.40
25.	त्रिपुरा	750.00	361.27	800.00	519.93	400.00	432.11	314.00	13.96
26.	उत्तर प्रदेश	7610.00	6461.02	6850.00	9526.81	3207.00	3593.79	3000.00	241.39
27.	उत्तराखंड	750.00	645.60	700.00	764.49	320.00	551.88	350.00	140.64
28.	पश्चिम बंगाल	2060.00	1877.11	1720.00	1452.04	2137.00	1385.20	1347.00	207.80
	कुल	64440.00	52404.52	55000.00	60116.99	34090.00	45108.53	33000.00	8700.59

विवरण-V

क्र.सं.	राज्य	जून, 2011 तक तक स्वीकृत बसावटें	जून, 2011 तक सड़क से जोड़ी गई बसावटें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1564	1292
2.	अरूणाचल प्रदेश	350	273
3.	असम	8426	6279
4.	बिहार	16628	5269
5.	छत्तीसगढ़	7773	5955
6.	गोवा	20	2
7.	गुजरात	2532	2436
8.	हरियाणा	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	2382	1826
10.	जम्मू और कश्मीर	1777	804
11.	झारखंड	6164	2833

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	269	269
13.	केरल	435	359
14.	मध्य प्रदेश	11817	10442
15.	महाराष्ट्र	1203	1089
16.	मणिपुर	386	199
17.	मेघालय	189	142
18.	मिजोरम	162	127
19.	नागालैंड	91	86
20.	उड़ीसा	8875	6142
21.	पंजाब	418	406
22.	राजस्थान	10850	10425
23.	सिक्किम	296	160
24.	तमिलनाडु	1942	1926
25.	त्रिपुरा	1694	1234
26.	उत्तराखंड	11367	11081
27.	उत्तर प्रदेश	1009	590
28.	पश्चिम बंगाल	10390	7634
	कुल	109010	79281

कम वजन वाले रसोई गैस सिलेंडर

848. श्री इज्यराज सिंह:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस एजेंसियां बड़े पैमाने पर अनियमितताएं तथा भ्रष्ट आचरण जैसे विशेषकर सर्दियों के दौरान कम वजन वाले सिलेंडरों की आपूर्ति में कथित रूप से संलिप्त पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जहां गोदामों में छापा मारा गया है साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगरों में कितने कम वजन के सिलेंडर जब्त किये गए है; और

(घ) ऐसी चूक करने वाले एजेंसियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) घरेलू प्रयोग के लिए एलपीजी और वाणिज्यिक एलपीजी के मूल्यों के बीच भारी अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के तहत विगत तीन वर्षों और अप्रैल, 2011 से जून, 2011 के दौरान महानगर के 32 मामलों सहित देश में विपथन/अंशत: प्रयुक्त सिलिंडरों/कम भार वाले सिलिंडरों की आपूर्ति/एलपीजी सिलिंडरों से उत्पाद चोरी की सिद्ध शिकायतों के आधार पर, चूक करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध 135 मामलों में कार्रवाई की गई।

(घ) जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनकी जांच की जाती है।। यदि शिकायतें सिद्ध होती हैं, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर (डिस्ट्रीब्यूटरों) के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

एमडीजी, 2011 में अन्य बातों के साथ चूक करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर (डिस्ट्रीब्यूटरों) के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की व्यवस्था है:-

- प्रथम अपराध के लिए 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध के लिए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर उद्ग्रहण

849. श्री गणेश सिंह:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
डॉ. तरुण मंडल:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रति वर्ष डीजल, किरोसीन तथा एलपीजी आदि पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य में केन्द्र तथा राज्य कर घटक ब्यौरा तथा संग्रहित कुल कर राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ग्राहकों को कर के अधिक भार से राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से करों को घटाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 01.08.2011 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में शुल्कों और करों के ब्यौरे निम्नवत् है:-

	डीजल रुपए/प्रति लीटर	पीडीएस मिट्टी तेल रुपए/प्रति लीटर	घरेलू एलपीजी रुपए/प्रति सिलिंडर
1	2	3	4
कर पूर्व मूल्य	32.74	12.99	373.41
सीमा शुल्क	0.74	0.00	0.00
उत्पाद शुल्क	2.06	0.00	0.00
कुल केन्द्रीय कर	2.80	0.00	0.00
राज्य कर	4.84	0.71	0.00
डीलर कमीशन	0.91	1.13	25.83
खुदरा बिक्री मूल्य (तक पूर्णांकित)	41.29	14.83	399.00

राज्य कर घटक राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होते है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय औ राज्य सरकारों के राजकोष में पेट्रेलियम क्षेत्र का कुल अंशदान निम्नवत् है:-

(करोड़ रुपये)

ब्यौरे	2008-09	2009-10	2010-11
केंद्रीय राजकोष में अंशदान	93,513	1,11,779	1,36,497
राज्य राजकोष में अंशदान	68,285	72,082	88,997
राजकोष में कुल अंशदान	1,61,798	1,83,861	2,25,494

वर्तमान वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने विभिन्न अवसरों पर राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर अपने करों को युक्तिसगत बनाने का अनुरोध किया है। 25 जून, 2011 से मूल्य संशोधन के समय भी, सीमा शुल्कों और उत्पादन शुल्कों को घटाते समय केन्द्र सरकार ने आशा व्यक्त की कि, राज्य सरकारें राज्य उद्ग्रहणों को कम करेंगी। इसके प्रत्युत्तर में 13 राज्य सरकारां ने डीजल/पीडीएस मिट्टी तेल/घरेलू एलपीजी पर राज्य वैट/बिक्री कर विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार घटाया है।

विवरण

राज्य	डीजल		पीडीएस मिट्टी तेल		घरेलू एलपीजी	
	पूर्व दर	संशोधित दर	पूर्व दर	संशोधित दर	पूर्व दर	संशोधित दर
1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	23.00%	21.00%	5.00%	3.00%	कोई परिवर्तन नहीं	
हिमाचल प्रदेश	14.00%	9.70%	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
उड़ीसा	कोई परिवर्तन नहीं		4.00%	शून्य	4.00%	शून्य
पश्चिम बंगाल	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं		4.00%	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
केरल	24.69%	22.60%	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
राजस्थान	18.00	18.00% (रु. -0.54 प्रति लीटर की छूट)	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
उत्तराखंड	21.00%	21.00% (रु. -0.63 प्रति लीटर की छूट)	4.50%	शून्य	कोई परिवर्तन नहीं	
तमिलनाडु	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं		4.00%	शून्य
बिहार	18.36%	18.00%	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
गोवा	20.00%	18.00%	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
पंजाब	8.80%	8.25%	कोई परिवर्तन नहीं		4.00%	3.50%
मेघालय	कोई परिवर्तन नहीं		5.00%	शून्य	4.00%	शून्य
हरियाणा	कोई परिवर्तन नहीं		5.00%	शून्य	कोई परिवर्तन नहीं	

[अनुवाद]

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सिंचाई

850. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री जयंत चौधरी:
श्री हेमानंद बिसवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सिंचाई के अंतर्गत लाने हेतु निर्धारित भू-क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं साथ कितने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकी; और

(ख) विभिन्न राज्यों में उक्त अवधि के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत आरंभ की गई बृहत/मध्यम/लघु परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उसकी क्या स्थिति है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों की अविध के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 मि. हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अगले दो वर्षों अर्थात 2009-10 से 2010-11 के दौरान भारत निर्माण के तहत प्रत्येक वर्ष 1.75 मिलियन हेक्टेयर का सृजन करके 3.5 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य निधरित किया गया था।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमश: 1.93 मिलियन हेक्टेयर और 1.85 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक 0.81 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है तथा कुछ राज्यों से अभी सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथिमिकताओं के आधार पर किया जाता है। तथापि, राज्यों को परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। उर्पुक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत प्रारंभ की गई ह्रहद/मध्यम/लघु परियोजनाओं का विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई और पूरी की गई वृदह/मध्यम/लघु परियोजनाओं के विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्रारंभ	पूर्ण	प्रारंभ	पूर्ण	प्रारंभ	पूर्ण	प्रारंभ	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**एमएमआई परियोजनाएं***								
1.	आंध्र प्रदेश	1							
2.	बिहार	1				2			
3.	छत्तीसगढ़	1				1			
4.	हिमाचल प्रदेश								
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1							
6.	कर्नाटक	3		3					
7.	केरल	1				1			
8.	मध्य प्रदेश	5				1			
9.	महाराष्ट्र	3		7					
10.	उड़ीसा			1					
11.	पंजाब			1					
12.	उत्तर प्रदेश	1		2					
	कुल एमएमआई परियोजनाएं	17		14		5			
ख.	**लघु परियोजनाएं**								
(क)	विशेष श्रेणी राज्य								
1.	अरुणाचल प्रदेश	145	111		39	79	29		
2.	असम	320	87	505	154		72		
3.	मणिपुर		198	165	40		19		
4.	मेघालय	83	4	23	25	49	35		
5.	मिजोरम	73	62		40	58	43		
6.	नागालैंड	166	48	192	177	104			
7.	सिक्किम		37	26	125				
8.	त्रिपुरा		57	37	48		35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश		30		39	191	25		
10.	जम्मू एवं कश्मीर	131	121	12	31		130		
11.	उड़ीसा (केबीके)	40							
12.	उत्तराखंड	39	267	20	229	492	291		
(ख)	**गैर विशेष श्रेणी राज्य**								
1.	आंध्र प्रदेश	29	6		5		1	17	3
2.	छत्तीसगढ़	58	33	22	36		22	49	34
3.	मध्य प्रदेश	66	18		7	19	68		
4.	महाराष्ट्र	6	34		15	46	24		
5.	बिहार	56				32	60		
6.	पश्चिम बंगाल		23			34			
7.	राजस्थान			7			1		
8.	कर्नाटक			98		207	33		
9.	झारखंड					285			
	कुल लघु सिंचाई परियोजनाएं	1182	1136	889	926	1897	992	66	37

*टिप्पणी : गत तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई सभी एमएमआई परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

टिक आरक्षण में कदाचार

851. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
डॉ. भोला सिंह:
श्री एल-राजगोपाल:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया रेलवे ने दलालों/निजी एजेंसियों द्वारा आरक्षित टिकटों को हासिल कर उन्हें उच्च लाभ पर वास्तविक यात्रियों को बेचने की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या टिकटों को हाई आफिशियल रेक्विजिशन (एचओआर) कोटे के रूप में विभिन्न कोटे के तहत विभागीय स्टॉफ के साथ मिलीभगत से कथित रूप से बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई-टिकट बुकिंग तथा तत्काल टिकटों में विभिन्न कदाचारों की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जोन-वार ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई तथा इस प्रकार के सभी कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दलालों/निजी एजेंसियों द्वारा तत्काल योजना के अंतर्गत आरक्षित टिकटों को हथियाने और उन्हें जेनयूइन यात्रियों को हाई

मार्जिन पर बेचे जाने के बारे में कुछ मामले ध्यान में आए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ई-टिकटों और तत्काल टिकटों की बुकिंग में भी कुछ अनियमितताओं की भी रिपोर्ट की गई थी।

(ङ) टिकट बुकिंग में विभिन्न प्रकार के कदाचार/अनियमितताओं की जांच करना एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पकड़े गए दलालों की संख्या और इस अवधि के दौरान की गई जांचों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कदाचार की जांच के लिए किए गए निवारक उपाय निम्नानुसार हैं:

- रेल आरक्षण कार्यालयों में और उनके आस-पास नियमित और निवारक जांचें की जाती हैं।
- भारी भीड़ वाली अवधि के दौरान आरक्षण कार्यालयों में चौकसी और निगरानी बढ़ा दी जाती है।
- रेल कर्मचारियों की गतिविधियों की सतत् रूप से निगरानी की जाती है और कदाचार में संलिप्त रेल कर्मचारियों पर अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
- ट्रैवल एजेंटों/वेब सर्विस एजेंटों/आईआरसीटीसी के वेब एजेंटों द्वारा ई-टिकट के माध्यम से तत्काल टिकटों की बुकिंग के साथ-साथ आरक्षण खुलनने वाले दिन की सामान्य बुकिंग के लिए भी 0800 बजे से 0900 के बीच एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया है।
- यात्रा के दौरान तत्काल योजना के अंतर्गत बुक की गई टिकट पर किसी भी एक यात्री को अपनी पहचान का प्रमाण (असली) लेकर चलने की व्यवस्था शुरू की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल 2011 से जून 2011) की गई जांचों की संख्या और पकड़े गए दलालों की संख्या का जोन-वार विवरण निम्नानुसार है:

रेलें	की गई जांचों की संख्या				पकड़े गए दलालों की संख्या			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जून 2011)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जून 2011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	4256	4992	6149	1130	1	27	33	11
पूर्व	245	79	93	40	62	49	44	4
पूर्व मध्य	1096	1644	1301	341	21	20	64	26
पूर्व तट	1690	1682	1728	419	21	15	21	9
उत्तर	3502	3981	3982	1820	172	221	225	96
उत्तर मध्य	5183	5057	4090	940	2	1	10	4
पूर्वोत्तर	2177	1190	1135	298	31	40	47	18
पूर्वोत्तर सीमा	3313	2777	2893	606	19	7	12	4
उत्तर पश्चिम	1320	1360	1449	431	10	19	30	17
दक्षिण	16666	18151	19255	5177	1813	1766	1957	481
दक्षिण मध्य	8730	5546	5353	1099	37	42	72	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिण पूर्व	1202	1334	1131	260	113	110	59	21
दक्षिण पूर्व-मध्य	3434	5989	4170	914	21	11	7	2
दक्षिण पश्चिम	1587	748	553	216	8	27	78	0
पश्चिम	6479	6559	6697	1744	177	105	316	211
पश्चिम मध्य	860	825	917	255	13	20	37	20
कुल	61740	61914	60896	15690	2521	2480	3012	960

असम तथा उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटनाएं

852. **श्री रायापति सांबसिवा रावः**
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री बिभू प्रसाद तराईः
प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्री एस.आर. जेयदुरईः
श्री प्रबोध पांडाः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री संजय भोईः
श्री के. सुगुमारः
श्री बदरूद्दीन अजमलः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल मंत्रालय को जुलाई, 2011 में असम तथा उत्तर प्रदेश में हुई दो रेल दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने लोग हताहत हुएः

(ग) रेलवे द्वारा घायल तथा मृतक के निकट संबंधियों हेतु घोषित मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने उक्त दुर्घटनाओं की किसी जांच का आदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुरावृत्ति को रोकने के लिए और रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 10.07.2011 को 12:20 बजे 12311 कालका मेल जब उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल के मालवां स्टेशन से होकर गुजर रही थी तब इसका इंजन और 15 सवारी डिब्बे पटरीसे उतर गए जिसके परिणामस्वरूप अप और डाऊन दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गई थीं। इस अनहोनी दुर्घटना में 70 व्यक्तियों की जाने गईं, 87 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए और 166 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए।

10.07.2011 को लगभग 20:15 बजे एक दूसरी घटी जब 15640 गुवाहाटी-पुरी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया मंडल के रंगिया और घोघरापाड स्टेशन के बीच गुजर रही थी तब रेलपथ में विस्फोट हो गया जिसके कारण चार सवारी डिब्बों सहित रेल इंजन पटरी से उतर गया था और चार अन्य सवारी डिब्बे रेलपथ से दूर लुढक गए थे। इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए और 13 अन्य व्यक्तियों को मामूली चोटें लगी।

(ग) कालका मेल के पटरी से उतरने के मामले में मानवीय आधार पर अनुग्रह राशि के रूप में दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 5 लाख रु. बुरी तरह घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये तथा मामूली रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 25000/- रुपये देने की घोषणा की गयी है। इस दुर्घटना के पीड़ितों को अभी तक 1.32 करोड़ (लगभग) रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

गुवाहाटी-पुरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में बुरी तरह से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये तथा मामूली रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये संवर्धित की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गयी है। इस दुर्घटना के पीड़ितों को कुल 4.30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गयी है।

इसके अतिरिक्त, इन पीड़ितों को उनके द्वारा रेलवे दावा अधिकरण में दायर किए गए दावों का अधिकरण द्वारा डिक्री के आधार पर मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा।

(घ) और (ङ) कालका मेल के पटरी की दुर्घटना की सांविधिक जांच लखनऊ सिति नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) द्वारा की जा रही है।

गुवाहाटी-पुरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्घटना की सांविधिक जांच कोलकाता स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सीमा सर्कल से करायी गयी है। रेलवे संरक्षा आयुक्त ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि गाड़ी का पटरी से उतरने का कारण रेलपथ पर कतिपय विस्फोटक पदार्थ/ बम रखकर उसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाने अथवा किसी अजनबी व्यक्ति का गाड़ी के सामने आ जाना था। तदनुसार दुर्घटना के कारण को तोड़-फोड़ की घटना माना गया है।

भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं को रोकने तथा संरक्षा में सवंर्धन करने के लिए नियमित रूप से हर संभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें शामिल है- गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदला जाना, रेल पथ, चल स्टॉक, सिगनलिंग और अंत:पाशन प्रणालियों के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा अभियानों को चलाना, संरक्षा से जुड़े रेलवे कर्मियों को प्रशिक्षण पर विशेष बल देना और नियमित अंतराल पर निरीक्षण करना ताकि इस पर निगरानी रखी जा सके तथा संरक्षा प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लिए कर्मचारी को शिक्षित किया जा सके। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए संरक्षा उपकरण/प्रणालियों में ब्लॉक प्रुविंग धुरा काउंटर (बीपीएसी) की व्यवस्था करना, सहायक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस), लैड सिगनल, सतकर्ता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), टक्कर-रोधी उपकरण (एसीडी) आदि शामिल हैं।

रेलवे पर पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। रेल परिसरों में अपराध की रोकथाम सहित यात्रियों की सुरक्षा करना, मामले दर्ज करना, रेल परिसरों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है जिनका निर्वाहन वे राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और सिविल पुलिस के माध्यम से करते हैं। रेलवे भेद्य खंडों में चलने वाली महत्त्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की तैनाती कर, राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों में सहायता करती रहती है। रेलवे, रेल यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ नजदीकी समन्वय बनाए रखती है।

[हिन्दी]

केर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा हिस्सेदारी को बेचा जाना

853. श्री प्रबोध पांडा:
श्री आनंद प्रकाश परांजये:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केर्न इंडिया के बीच उत्पादन बंटवारे की संविदा का ब्यौरा क्या है;

(ख) केर्न इंडिया के लाभ में कितनी निवल कमी दर्ज की गई;

(ग) उस मानदण्ड/आधार का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर केर्न इंडिया ने वेदांता को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है) और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ओएनजीसी तथा केर्न इंडिया द्वारा राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान किये जाने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) कैन इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत पीआर-ओएसएन-2004/1, एमबी-डीब्ल्यूएन-2009/1, केजी-ओएसएन-2009/3, केजी-ओएनएन-2003/1, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2, जीएस-ओएसएन-2003/1 और केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हसताक्षर किए हैं। उन्होंने एनईएलपी पूर्व व्यवस्था के तहत तीन ब्लॉकों अर्थात् आरजे-ओएन-90/1, राव्वा (पीकेजीएम-1) और सीबी-ओएस/2 के पीएससीज पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कैर्न एनर्जी पीएलजी कैर्न इंडिया लिमिटेड की मूल कम्पनी है, ने भारत सरकार के साथ कोई संविदा नहीं की है।

(ख) सीआईएल ने 2009-10 के दौरान 1016.34 करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2010-11 के दौरान 6889.98 करोड़ रुपये का लाभ होने की रिपोर्ट दी है।

(ग) केर्न इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की मूल कम्पनी कैर्न एनर्जी पीएलसी ने सीआईएल के 40 प्रतिशत तक इक्विटी शेयरों को वेदान्ता रिसोर्सेज पीएलसी को हस्तांतरित करने के लिए इस मंत्रालय का अनुमोदन मांगा है। सरकार ने कुछ शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) समय-समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार, अपतट क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक गैस पर रायल्टी केन्द्रीय सरकार को मिलती है जबकि जमीनी क्षेत्र से रायल्टी संबंधित राज्य सरकार को मिलती है।

रेलगाड़ियों में खानपान सेवाएं

854. **राजकुमारी रत्ना सिंहः**
श्री हर्ष वर्धनः
श्री घनश्याम अनुरागीः
श्री पी. विश्वनाथनः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में रसोईयान में खानपान सेवा द्वारा घटिया खाद्य सामग्रियों/खाद्य पदार्थ परोसे जाने तथा उनमें खामियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गुणवत्ता की जांच करने वाले पेशेवरों की सेवाएं लेने सहित इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं;

(ग) क्या रसोईयान ठेकेदारों तथा ट्रॉली प्रचालकों द्वारा ज्यादा पैसा वसूले जाने संबंधी घटनाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से क्षेत्रीय रेलों की गुणवत्ता की सेवाओं की निगरानी के कार्य को अंतरित कर खानपान में सुधार लाने के लिए और विस्तृत पर्यवेक्षण और खानपान गतिविधियों पर नियंत्रण करने के संबंध में क्षेत्रीय रेलों के बड़े और पूरे भारत में फैले नेटवर्क का दोहन करने के प्रयासों में 21.07.2010 से एक नई खानपान नीति से शुरू किया गया है। गहन निगरानी और रेलवे के पर्यवेक्षण और तदुपरांत खानपान सेवाओं का भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से क्षेत्रीय रेलों को अंतरण के कारण पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सितंबर, 2010 से मई, 2011 तक खानपान संबंधी शिकायतों में 46 प्रतिशत तक महत्त्वपूर्ण कमी आयी है। भोजन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों को जोड़ने के दृष्टिकोण से खानपान सेवाओं के प्रबंधन के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को जारी किया गया है जिसमें भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञों की नियुक्ति पर पर्याप्त जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) रेलों पर कुछ मामलों को रिपोर्ट किया गया है। यदि शिकायतों को तथ्यपूर्ण पाया जाता है तो अपराध की गंभीरता के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे लाइसेंसियों को सलाह देना, चेतावनी, जुर्माना लगाना और ठेकों को रद्द करने जैसे उपचारात्मक कदम उठाता है।

[अनुवाद]

बेघर लोग

855. **श्री एस. अलागिरीः**
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेघर लोगों से संबंध में कोई आंकड़े मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त आंकड़ों के संग्रहण हेतु तथा इस संबंध में एक ठोस नीति बनाए जाने के लिए अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, हां। दसवार्षिक जनगणना के भाग के रूप में भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा आंकड़ें एकत्रित किए जाते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार, 48,01,763 आवासहीन परिवार थे। जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़ें अभी प्रकाशित होने हैं।

रेल पटरियों के इर्द-गिर्द भूमि पर अवैध कब्जा

856. **श्रीमती भावना पाटील गवलीः**
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री उदय सिंहः
श्री रेवती रमन सिंहः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आर. थामराईसेलवनः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पटरियों के इर्द-गिर्द अवैध कब्जा चल स्टाक, अवसंरचना, यात्रियों आदि की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए खतरा है साथ ही इससे इसकी विस्तार योजनाएं प्रभावित होती हैं तथा रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/जोन-वार, शहर-वार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कतिपय नगरपालिकाओं को कुछ निधियां प्रदान की हैं;

(घ) यदि हां, तो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए अब तक की गई प्रगति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इन समस्यओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) रेलपथ के समीप रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से परिचालनिक समस्याओं के अलावा विकास संबंधी कार्यों में बाधा पहुंचती है और अतिक्रमकों के लिए भी असुरक्षित हालात पैदा होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 4360 झुग्गियों के पुर्नस्थापन के लिए रेलवे ने दिल्ली नगर निगम के पास 11.25 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं और अब तक दिल्ली नगर निगम द्वारा रेलवे भूमि से 185 झुग्गियों को हटाया जा चुका है। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण की जोन-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत भेद्य स्थानों पर रेलवे भूमि/संपति पर अतिरिक्त अतिक्रमणों को रोकने के लिए भेद्य स्थानों पर चारदीवारी, बाढ़, वृक्षारोपण इत्यादि करके निरंतर प्रयासरत है। 31.3.2011 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान तकरीबन 1448 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराया जा चुका है।

रेलवे जोन	31.3.2011 तक अतिक्रमण के अंतर्गत क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2
मध्य	157
पूर्व	53
पूर्व मध्य	11
पूर्व तट	53
उत्तर	544
उत्तर मध्य	123
पूर्वोत्तर	70
पूर्वोत्तर सीमा	414
उत्तर पश्चिम	45
दक्षिण	153
दक्षिण मध्य	33
दक्षिण पूर्व	402
दक्षिण पूर्व मध्य	121
दक्षिण पश्चिम	40
पश्चिम	103
पश्चिम मध्य	101
जोड़	2424

[हिन्दी]

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

857. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में उन रेलवे स्टेशनों की वर्तमान स्थिति सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और जिनका कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) इन पर आबंटित/खर्च धनराशि का राज्य-वार और स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यों को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उन्नयन/आधुनिकी/विस्तार के लिए लंबित स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) आबंटित/खर्च की गई धनराशि के राज्यवार और स्टेशनवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, इस योजना शीर्ष के अंतर्गत 1100.5 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जिसमें से जून, 2011 तक लगभग 294.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके उनकी प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाती है।

विवरण

आधुनिकीकरण योजना का नाम	राज्य	पूरा होने के लिए लंबित स्टेशनों के नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
मॉडल स्टेशन	असम	11	
	बिहार	18	
	छत्तीसगढ़	2	
	दिल्ली	4	
	हरियाणा	6	
	कर्नाटक	2	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	मध्य प्रदेश	1	
	महाराष्ट्र	2	
	नागालैंड	1	
	उड़ीसा	1	
	उत्तर प्रदेश	9	
	पश्चिम बंगाल	9	
	कुल	66	
आधुनिक स्टेशन (टच एण्ड फील)	आंध्र प्रदेश	3	
	असम	2	
	बिहार	17	
	छत्तीसगढ़	6	
	दिल्ली	1	
	हरियाणा	5	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
	झारखंड	9	
	कर्नाटक	3	
	मध्य प्रदेश	1	
	महाराष्ट्र	1	
	उड़ीसा	10	
	राजस्थान	1	
	उत्तर प्रदेश	6	
	पश्चिम बंगाल	2	
	कुल	67	
आदर्श स्टेशन	आंध्र प्रदेश	19	251 स्टेशनों पर निर्माण प्रगति पर है और 232 स्टेशनों पर निर्माण कार्य योजना स्तर पर है।
	असम	17	
	बिहार	9	
	छत्तीसगढ़	9	
	दिल्ली	2	
	गोवा	1	
	गुजरात	8	
	हरियाणा	7	
	हिमालच प्रदेश	1	
	जम्मू एवं कश्मीर	1	
	झारखंड	2	
	कर्नाटक	15	
	केरल	18	
	मध्य प्रदेश	11	
	महाराष्ट्र	20	

1	2	3	4
	नागालैंड	1	
	उड़ीसा	13	
	पुडुचेरी	1	
	पंजाब	11	
	राजस्थान	7	
	तमिलनाडु	12	
	उत्तर प्रदेश	43	
	उत्तराखंड	1	
	पश्चिम बंगाल	154	
	कुल	383	

[अनुवाद]

उत्पादन में गिरावट संबंधी जांच

858. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्वेषण हेतु तेल मंत्रालय के विनियामक हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने भारत के सबसे बड़े गैस क्षेत्र में उत्पादन में तेज गिरावट के कारणों का पता लगाने हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र ऑफ शोर एक रेंज के विशेषज्ञों का दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र ऑफ शोर से लक्षित उत्पादन की तुलना में प्रतिदिन गैस का कुल कितना उत्पादन होता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की ओर से केजी-डीब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉक के डी 1 और डी3 क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी दल ने दिनांक 26.04.2011 को गाडीमोगा में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अभितटीय टर्मिनल का दौरा किया। इस दल की प्रचालक के तकनीकी दलों के साथ पारस्परिक चर्चाएं हुईं। दल के भूवैज्ञानिक, रिजर्वायर और उत्पादन की दृष्टि से कूप और क्षेत्र निष्पादन पर चर्चा की थी।

डीजीएच द्वारा संविदाकार को केजी-डी6 ब्लॉक में गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) के अनुसार डी1 और डी 3 क्षेत्र में अधिक विकास कूपों का शीघ्रता से वेधन करने की सलाह दी गई थी।

(धा) एमए क्षेत्रों तथा डी1-डी3 के एफडीपी में अनुमोदित 70.39 एमएमएससीएमडी के उत्पादन प्रोफाइल की तुलना में केजी-डीब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉक से अप्रैल-जून, 2011 के दौरान गैस का औसत उत्पादन 48.60 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) रहा है।

नदी जल का बंटवारा

859. **श्री अधलराव पाटील शिवजी:**
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसिन राज्यों के बीच बड़ी नदियों के जल बंटवारे की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपस्ट्रीम राज्यों द्वारा डाउनस्ट्रीम राज्यों को जल का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(घ) क्या राजस्थान राज्य को सतलुज, यमुना और गंगा नदियों से अपने हिस्से का जल नहीं मिला है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में यह प्रावधान है कि राज्यों में जल का बंटावारा/संवितरण राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में किया जाना चाहिए जिसमें नदी बेसिन में जल संसाधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) किसी नदी बेसिन में बेसिन राज्यों की भागीदारी का निर्णय सामान्यतया या तो बेसिन राज्यों के मध्य करार द्वारा या अधिकरण के निर्णयों द्वारा किया जाता है तथा इसे उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कुछ मामलों में अधिकरण की करारों की शर्त/निर्णय के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सम्बद्ध बेसिन राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी द्वारा विनियामक निकायों की भी स्थापना की जाती है।

(घ) और (ङ) राजस्थान को सतलुज नदी जल से अपना हिस्सा न प्राप्त होने का मुद्दा अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है। जहां तक यमुना/गंगा नदी का संबंध है, राजस्थान को हथिनीकुंड बैराज से आबंटित अपने जल का हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है चूंकि हरियाणा ने राजस्थान सीमा तक जल प्रवाह की विधि को सहमति प्रदान नहीं की है। मार्ग की हानियों तथा हरियाणा के किसानों द्वारा अप्राधिकृत रूप से जल की निकासी के कारण राजस्थान को ओखला बैराज से भी अपना पूरा हिस्सा नहीं मिलता है।

(च) हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से के जलापूर्ति के मामले की ओर ध्यान देने के लिए दिनांक 12.4.2006 को हुई ऊपरी गंगा समीक्षा समिति की तीसरी बैठक के दौरान ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवीआरबी) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हथिनीकुंड/ताजेवाला से राजस्थान को जल उपलब्ध कराने के मुद्दे का नए सिरे से अवलोकन करने के लिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन सचिवों की "अधिकार प्राप्त समिति" का गठन करने का निर्णय लिया गया। अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 19.7.2011 को हुई ऊपरी यमुना नदी समीक्षा समिति की चौथी बैठक में विचार किया गया। ओखला बैराज से राजस्थान के हिस्से की आपूर्ति के मुद्दे के संबंध में राजस्थान तथा हरियाणा के अधिकारियों द्वारा हरियाणा की सीमा में नहर क्षेत्र का संयुक्त रूप से निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया था।

समपारों पर दुर्घटनाएं

860. श्री हरि मांझी:
श्री पी. वेणुगोपाल:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रमेश बैस:
श्री के. सुगुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों विशेष रूप से पिछले छह माह के दौरान जोन-वार मानव रहित रेल समपारों पर कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) कितने लोग मारे गए/घालय हुए तथा रेलवे द्वारा जोन-वार कुल कितना हर्जाना दिया गया;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मानव रहित समपारों पर चौकीदारों की तैनाती हुई तथा राज्य-वार कितने मानव रहित रेलवे समपारों पर चौकीदारों की तैनाती की जानी है;

(घ) क्या रेलवे ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव रहित रेलवे समपारों पर चौकीदारों की तैनाती तथा रेलवे पुल/अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2011 तक सुड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अतिक्रमण की जोनवार और वर्षवार दुर्घटनाएं और उनमें मारे गए घायलों की संख्या नीचे दी गई है:

रेलवे	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या											
	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (अप्रैल से जुलाई, 2011 तक)		
	संख्या	मारे गए	घायल	संख्या	मारे गए	घायल	संख्या	मारे गए	घायल	संख्या	मारे गए	घायल
मध्य	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-	-
पूर्व	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व मध्य	3	4	18	4	7	6	5	11	18	3	29	21
उत्तर	3	8	16	15	39	44	7	15	12	2	4	3
पूर्वोत्तर	11	33	23	8	38	50	7	14	14	2	45	36
पूर्वोत्तर सीमा	1	2	-	5	9	5	2	11	2	-	-	-
उत्तर पश्चिम	11	15	39	9	33	14	5	19	17	1	2	-
दक्षिण	5	5	5	1	1	1	3	10	11	1	3	1
दक्षिण मध्य	4	9	2	4	6	5	5	16	12	4	11	10
दक्षिण पूर्व	1	2	-	4	7	6	5	11	3	-	-	-
पश्चिम	9	16	11	6	22	-	6	11	7	1	4	1
पूर्व तट	5	21	8	1	1	4	-	0	-	-	-	-
दक्षिण पश्चिम	1	1	3	4	4	-	1	2	5	1	2	-
पश्चिम मध्य	2	4	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-
उत्तर मध्य	2	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
दक्षिण पूर्व मध्य	3	3	11	1	1	6	-	-	-	-	-	-
जोड़	62	129	140	65	170	144	48	124	105	15	100	72

जिन मामलों में रेल यात्री शामिल नहीं होते हैं उन बिना चौकीदार वाले समपारों पर रेल दुर्घटनाओं में रेलवे का कोई दायित्व प्रोद्भूत नहीं होता है। पीड़ित अथवा उनके आश्रित मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल में आवेदन कर मुआवजे का दावा कर सकते हैं और यदि रेलवे की ओर से कोई समानुपातिक लापरवाही सिद्ध हो जाती है तो मुआवजे का भुगतान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए क्षेत्रवार रेलवे द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा निम्नानुसार है:

रेलवे	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के लिए भुगतान किया गया मुआवजा (लाख रुपए में)		
	2008-9	2009-10	2010-11
1	2	3	4
उत्तर	4.54	11.02	5.20
पूर्वोत्तर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.40
दक्षिण मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.48
पश्चिम	5.47	20.53	13.81
जोड़	10.01	31.55	19.49

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान 1484 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए गए हैं। 01.04.2011 को भारतीय रेल में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 14896 है। राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1017

1	2	3
2.	असम	534
3.	बिहार	1056
4.	छत्तीसगढ़	164
5.	चंडीगढ़	0
6.	दिल्ली	1
7.	गुजरात	2376
8.	गोवा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	7
10.	हरियाणा	292
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4
12.	झारखंड	367
13.	कर्नाटक	566
14.	केरल	87
15.	मध्य प्रदेश	780
16.	महाराष्ट्र	691
17.	मणिपुर	0
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	642
21.	पुडुचेरी	7
22.	पंजाब	681
23.	राजस्थान	1296
24.	तमिलनाडु	1047
25.	त्रिपुरा	14
26.	उत्तर प्रदेश	20344
27.	उत्तराखंड	70
28.	पश्चिम बंगाल	1165

(घ) रेलवे ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की तैनाती, सबवे का निर्माण, समीपस्थ समपारों/ग्रेड सेपरेटरों की ओर अंतरण सड़कों का निर्माण बहुत कम सड़क/रेल यातायात वाले समपारों को बंद करने आदि द्वारा शेष बिना चौकीदार वाले समवारों को एक चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बनाई है जोकि नए गेटों पर चौकीदार तैनात करने के लिए जनशक्ति और इन कार्यों को पूरा करने के लिए धन की समानुपातिक उपलब्धता के अध्ययनधीन है।

(ङ) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है जिनमें इन समपारों पर आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता, इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा जन जागरूकता और प्रचार अभियान, सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सामूहिक संदेश (एसएमएस), लापरवाह सड़क उपयोगकर्ताओं को दंडित करने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त औचक जांचें, चौकीदारों की उत्तरोत्तर तैनाती, तकनीकी रूप से व्यवहार्य स्थानों पर सबवे का प्रावधान, पार्श्वस्थ गेटों/ग्रेड सेपरेटरों (आरओबी/आरयूबी) तक सड़क का अंतरण, बिना चौकीदार वाले उन समपारों को बंद करना जिसमें नाममात्र का रेल/सड़क यातायात आदि शामिल है।

भूमिगत जल के स्तर में कमी

861. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री रवनीत सिंह:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भौगोलिक संस्थान, हैदराबाद ने देश के विभिन्न भागों में तेजी से घटते जल स्तर का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में भू-जल स्तर के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

जन संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सिंधु बेसिन (पाकिस्तान और भारत), गंगा बेसिन (भारत और नेपाल) और गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन (भारत, नेपाल एवं बांग्ला देश) के पर्वतीय क्षेत्रों सहित लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर का अध्ययन किया है। अध्ययन का लक्ष्य इस क्षेत्र में भूमि जल की गिरावट का आकलन करना है।

(ख) देश में भूमि जल का संरक्षण करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूमि जल विकास के विनियमन के लिए 43 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

- सीजीडब्ल्यूए द्वारा अति दोहित ब्लॉकों वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

- सीजीडब्ल्यूए ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे बोर्ड, खेल प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन, युवा मामले एवं खेल कूद को सभी राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों, रेलवे ट्रैकों और रेलवे की अन्य स्थापनाओं, सभी स्टेडियमों और हवाई-अड्डों के आसपास भूमि जल पुनर्भरण स्कीम का कार्यान्वयन करने हेतु निर्देश जारी किए हैं।

- राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने के लिए परामर्श दिया गया है। इसके अनुसरण में 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भवन उप-नियमों के अंतर्गत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है।

- जल संसाधन मंत्रालय ने भूमि जल विकास के विनियमन और नियंत्रण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समुचित कानून को अधिनियमति कराने के लिए 'मॉडल विधेयक' परिचालित किया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमालच प्रदेश, केरल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राज्यों तथा चंडीढ़ग, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप ओर पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने भूमि जल कानून अधिनियमित कर लिया है।

- देश मे 11वीं योजना के दौरान 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

- सरकार ने पणधारियों और जल प्रबंधकों के बीच पुनर्भरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद् का गठन किया है।

- लोगों की सहभागिता से भूमि जल संवर्धन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भूमि जल संवर्धन पुरस्कार एवं राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रारंभ किए हैं।

- किसानों की सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रमों (एफीपीएआरपी) का कार्यान्वयन किया गया है जिसके अंतर्गत मुख्यतया जल की बचत को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकियां जैसे सूक्ष्म सिंचाई (टपक एवं छिड़काव), वर्षा जल संरचनाएं (जल भंडारण टैंक), मृदा आर्द्रता संरक्षण (घासपात, शुष्क खेती प्रौद्योगिकी, संशोधित सिंचाई एवं जल प्रबंधन इत्यादि), की अपेक्षा वाली सिंचाई, भूमि समतलीकरण/संरूपण, नव विध खेती वाली सिंचित फसलें/शुष्क फसलें, शून्य जुताई/शून्य जोत खुदाई, जल के बहु-उपयोग, छिछले जल स्तर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ट्रिडल पंप प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में किसानों के लिए प्रदर्शन किया गया है।

निधियों की आवश्यकता

862. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने अपनी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं को पूरा करने के लिए योजना समर्थन को दोगुना करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुंटकल रेल डिविजन, आंध्र प्रदेश को आबंटित निधि इसके द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में प्रत्येक वर्ष कम हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे ने वर्ष 2011-12 के लिए योजना आयोग को 63400 करोड़ रुपए के योजना आकार का प्रस्ताव किया था

जबकि वर्ष 2010-11 के लिए इस योजना आकार के लिए 41426 करोड़ रुपए का बजट अनुमान था।

(ग) ओर (घ) विभिन्न रेलवे जोनों में परियोजनाओं को धनराशि का आबंटन किसी क्षेत्रीय रेल विशेष की आवश्यकताओं और संसाधनों उपलब्धता के आधार पर किया जाता है उन जोनों से राजस्व की आमदनी के आधार पर नहीं। इसके अलावा, रेलों पर राजस्व आमदनी का विभाजन क्षेत्रीय प्रणाली पर यातातयात के आवागमन के आधार पर जोन-वार किया जाता है मंडल-वार नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों को सब्सिडी

863. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों को दी जा रही सब्सिडी को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त की वर्तमान की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों को अलग से राजकोषीय राजसहायता उपलब्ध नहीं कराती है।

तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी रिफाइनरियां पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर 50% उत्पाद शुल्क की छूट की पात्र है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

864. श्री ताराचंद भगोरा:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री रघुवीर सिंह मीणा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसे हेतु राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने देश में गरीबी घटाने हेत एनआरएलएम परियोजनाओं हेतु एक बिलियन डालर क्रेडिट को मंजूरी दी है;

(ङ) एनआरएलएम के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को सम्मिलित करने हेतु क्या कदम उठाये गये?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को दिनांक 3.6.2011 से औपचारिक रूप से जिला बांसवाड़ा, राजस्थान से शुरू किया है।

(ख) एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

- ग्रामीण बीपीएल जनसंख्या की सार्वभौम सामाजिक एकजुटता सुनिश्चित करना पर स्व-सहायता समूह (एसएचजी) एवं विभिन्न स्तरों पर उनके परिसंघ गठित करना, ताकि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार के कम से कम एक सदस्य अधिमानत: महिला सदस्य को एसएचजी नेट में शामिल करना सुनिश्चित हो।
- ग्रामीण बीपीएल परिवारों का सार्वभौम वित्तीय समावेशन।
- लाभार्थियों के प्रशिक्षण सब्सिडी एवं ब्याज सब्सिडी का प्रावधान करना।
- आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा लाभार्थियों के उत्पादों के विपणन हेतु सहायता देना।
- ग्रामीण बीपीएल युवाओं को कौशल आधारित मजदूरी रोजगार प्रदान करने हेतु कौशल विकास एवं नियोजन परियोजनाएं कार्यान्वित करना।
- राज्यों द्वारा एनआरएलएम के तहत गरीबी दूर करने हेतु अपनी स्वयं की कार्य योजनाएं तैयार करने की छूट देना।

- राष्ट्रीय स्तर से उप जिला स्तर तक प्रतिबद्ध एवं संवदेनशील सहायता तंत्र स्थापित करना।
- अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के बीच तालमेल स्थापित करना।
- निगरानी, मूल्यांकन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

एनआरएलएम के अंतर्गत निधियों के आबंटन एवं रिलीज के लिए राज्यों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है जो कि एनआरएलएम संबंधी 'कार्यान्वयन हेतु फ्रेम वर्क' में विनिर्दिष्ट हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार किसी भी राज्य ने इन शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, इसलिए एनआरएलएम के अंतर्गत राज्यों को निधियां आबंटित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) के लिए 1 बिलियम अमरीकी डॉलर (लगभग 4600 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि अधिक संख्या में निर्धनों वाले 12 राज्यों में विशिष्ट अतिरिक्त निवेश हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जा सके। ये 12 राज्य हैं-बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। परियोजना के अंतर्गत निधियां राज्यवार आबंटित नहीं की गई हैं।

(ङ) एनआरएलएम के तहत सार्वभौम सामाजिक एकजुटता से प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य अधिमानत: महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क में शामिल किया जा सकेगा। एनआरएलएम से बीपीएल परिवारों के अन्तत: 100% कवरेज के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समाज के वंचित वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सकेगा, जैसे कि 50% लाभार्थी अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति से, 15% अल्पसंख्यक समुदाय से तथा 3% विकलांग वर्ग से हैं।

सेवा निवृत्ति की आयु और न्यायाधीशों की रिक्तियां

865. श्री सुखदेव सिंह:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री सुरेंद्र सिंह नागर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की रिक्तियां हैं;

(ङ) देश में 31 जुलाई, 2011 तक प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं; और

(च) रिक्तियों को भरने तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। एक विधेयक, अर्थात् संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 को तारीख 25 अगस्त, 2010 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) और अनुच्छेद 224 के खंड (3) का, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बासठ वर्ष की विद्यमान आयु से पैंसठ वर्ष बढ़ाने हेतु उपबंध करने के लिए संशोधन करता है।

(ग) और (च) भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 1 अगस्त, 2011 को न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण, संलग्न विवरण-1 के रूप में उपाबद्ध है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की पदसंख्या के संबंध में उनकी पदसंख्या बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रथम उत्तरादियत्व, संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों में विहित करता है। इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) तारीख 30.09.2010 को लंबित मामलों की स्थिति को उपदर्शित करने वाला विवरण, जो उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त की गई है, संलग्न विवरण-2 के रूप में उपाबद्ध है।

(च) सरकार, विद्यमान रिक्तियों और साथ ही अगले छह मासों में प्रत्याशित (रिक्तियों को भरने के प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को आवधिक

रूप से स्मरण करा रही है। उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियां में एक सतत परामर्शी प्रक्रिया है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या प्रोन्नति के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

सरकार ने न्यायालयों के मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो नीचे उल्लिखित हैं:

(i) सरकार ने 'राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन' की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं (क) प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना, और (ख) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को नियत करके जवाबदेही में अभिवृद्धि करना।

(ii) सरकार ने, पांच वर्ष की अवधि 2010-2015 के दौरान देश में न्याय परिदान प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्यों को रुपये 5000 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किर लिया है। वर्ष, 2010-11 के दौरान राज्यों को पहले ही रुपये 1000 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ राज्य, इन अनुदानों की सहायता, से लंबित मामलों को कम करने के लिए, प्रातःकालीन/सांयःकालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायलय, स्थापित कर सकते हैं, न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति, एडीआर केंद्रो की स्थापना कर सकते हैं और मध्यकताएओं/मध्यस्थों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, अधिक लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, राज्य न्यायिक अकादमियों को सशक्त करने के लिए, लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण और हेरिटेज न्यायालय भवनों के रखरखाव के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

(iii) न्याय परिदान प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, सरकार रुपये 935 करोड़ की अनुमानित लागत पर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय परियोजना तथा उच्चतर न्यायालयों में आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन को कार्यान्वित कर रही है। 31 मार्च, 2012 तक 12000 न्यायालयों और 31 मार्च, 2014 तक 14,249 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है।

(iv) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का अधिनियम, जो निर्धन व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। चालू वर्ष में आबंटन को रुपये 40 करोड़ से बढ़ाकर रुपये 150 करोड़ कर दिया गया है। अभी तक 151 ग्राम न्यायालय, राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

(v) उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे जुलाई-दिसंबर, 2011 तक न्यायालय में मामलों की लंबित संख्या को कम करने के लिए और इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए भी अभियान आरंभ करें।

विवरण-I

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	तारीख 1.8.2011 को अनुमोदित पद संख्या	तारीख 1.8.2011 को रिक्तयों की संख्या
1	2	3	4
अ.	भारत का उच्चतम न्यायालय	31	3
आ.	उच्च न्यायालय		
1.	इलाहाबाद	160	98
2.	आंध्र प्रदेश	49	16

1	2	3	4
3.	मुंबई	75	14
4.	कलकत्ता	58	14
5.	छत्तीसगढ़	18	6
6.	दिल्ली	48	12
7.	गुवाहाटी	24	6
8.	गुजरात	42	18
9.	हिमाचल प्रदेश	11	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	14	7
11.	झारखंड	20	8
12.	कर्नाटक	50	9
13.	केरल	38	9
14.	मध्य प्रदेश	43	5
15.	मद्रास	60	11
16.	उड़ीसा	22	5
17.	पटना	43	4
18.	पंजाब और हरियाणा	68	25
19.	राजस्थान	40	13
20.	सिक्किम	3	2
21.	उत्तराखंड	9	2
	कुल योग	895	284

विवरण-II

न्यायालय समाचार अक्टूबर-दिसंबर, 2010

उच्च न्यायालय (01.07.2010 से 30.09.2010 तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल मामलें				आपराधिक मामले				30.09.10 के अंत में कुल लंबित सिविल तथा आपराधिक मामले
		01.07.10 को प्रर्भिक अंतशेष	01.07.10 से 30.09.10 तक संस्थन	01.07.10 से 30.09.10 तक निपटान	30.09.10 के अंत तक लंबित मामले	01.07.10 को प्रर्भित अतिशेष	01.07.10 से 30.09.10 तक संस्थन	01.07.10 से 30.09.10 तक निपटान	30.09.10 के अंत तक लंबित मामले	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद	668989	44405	45426	667968	300943	33488	28800	305631	973599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आंध्र प्रदेश	168167	14847	13244	169770	25833	4804	5716	24921	194691
3.	मुंबई	299819	33055	30035	302839	44658	7428	7307	44779	347618
4.	कलकत्ता	280400	15992	12488	283904	49180	7133	6454	49859	333763
5.	छत्तीसगढ़	40390	4075	5095	39370	16775	2590	2633	16732	56102
6.	दिल्ली	49714	8235	9315	48634	12093	3508	3860	11741	60375
7.	गुजरात	69965	18239	15469	72735	25385	6455	6447	25393	98128
8.	गुवाहाटी	51142	6233	12965	44410	8974	2787	2771	8990	53400
9.	हिमाचल प्रदेश	43134	7585	10257	40462	6448	1123	1335	6236	46698
10.	जम्मू एवं कश्मीर	60515	4186	1930	62771	3005	410	281	3134	65905
11.	झारखंड	30763	3093	2638	31218	25532	5731	5263	26000	57218
12.	कर्नाटक	177634	45409	33614	189429	20067	6329	5982	20414	209843
13.	केरल	88682	16041	13420	91303	28600	6235	5374	29461	120764
14.	मध्य प्रदेश	143616	20167	17955	145828	65767	11352	9919	67200	213028
15.	मद्रास	407088	52137	57863	401362	41090	21316	18789	43617	444979
16.	उड़ीसा	238237	15140	8475	244902	28925	10648	9423	30150	275052
17.	पटना	80475*	9948	11130	79293	46784	16132	13916	49000	128293
18.	पंजाब और हरियाणा	193792	16680	22075	188395**	49037	13386	13160	49263	237658
19.	राजस्थान	211722	17985	10072	219635	61214	9817	7740	63191	282826
20.	सिक्किम	60	14	38	36	19	7	10	16	52
21.	उत्तराखंड	12173	1885	2066	11992	6439	1261	1781	5919	17911
	कुल योग	3316477	355351	335570	3336256	866768	171840	156961	881647	4217903

• उपरोक्त विवरण उच्च न्यायालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

* 30.06.2010 को सिविल मामलों का अंतिम अतिशेष संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित किया गया है।

** 2 आरएफए संबद्ध जिला और सत्र न्यायाधीशों को अंतरित कर दिए गए हैं।

रेल संरक्षा

866. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री संजीव गणेश नाईक:
श्री ए. सम्पत:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों में माओवादी/नक्सली/उपद्रवी समूहों/आतंकवादी गतिविधियों के कारण यात्रियों पर होने वाली दुर्घटनाएं/हमलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार हताहतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं के भुक्तभोगियों और उनके संबंधियों को कुल कितना हर्जाना दिया गया;

(घ) रेल यात्रियों की जान और माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रात को चलने वाली ट्रेनों की सुरक्षा की चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो उक्त चर्चा का क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उपद्रवी गुटों और अन्य समूहों द्वारा दर्ज किए गए रेलों पर आक्रमण की घटनाएं निम्नानुसार हैं:

वर्ष	हमलों की घटनाओं की संख्या
2008	30
2009	60
2010	75
2011 (जून तक)	22

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए हताहतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मारे/गए घायल	बिहार	छत्तीसगढ़	झारखंड	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
2008	मारे गए	7	-	-	-	-	7
	घायल	6	-	1	-	-	7
2009	मारे गए	-	-	3	-	2	5
	घायल	-	1	25	-	2	28
2010	मारे गए	-	-	-	-	150	150
	घायल	-	-	-	-	168	168
2011	मारे गए	-	-	1	-	-	1
(जून तक)	घायल	-	-	3	-	-	3

(ग) रेल दावा अधिकरण में दावेदार द्वारा दायर दावे पर अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ऐसे मामलों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलों द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मुआवजे की राशि/अनुग्रह राशि
2008-09	2.60 करोड रुपए
2009-10	5.21 करोड़ रुपए
2010-11	13.71 करोड़ रुपए
2011-12 (जून तक)	2.63 करोड़ रुपए

यह भी सूचित किया जाता है कि वितरित की गई राशि आवश्यक रूप से घटना के वर्ष से संबंधित नहीं होती है।

(घ) रेलवे पर पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और रेलपथों, पुलों, सुंरगों और चलती गाड़ियों और रेल परिसरों के साथ-साथ अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है और वे इसका निर्वहन अपनी राजकीय रेल पुलिस और सिविल पुलिस के माध्यम से करते हैं। राजकीय रेल पुलिस पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत रेलवे वहन करती है। सामान्यत: यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे, राज्य की पुलिस पर निर्भर होती है। महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण और पहुंच कंट्रोल ड्यूटी के लिए रेल सुरक्षा बल अपने स्टाफ की तैनाती करके राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों की पूर्ति करता है।

बहरहाल, रेलवे द्वारा यात्रियों की संरक्षित एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(i) भेद्य खंडों/क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस द्वारा नामित रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

(ii) रेल अवसंरचना पर हमलों को रोकने के लिए और ऐसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए गृह

मंत्रालय, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में सिविल पुलिस, राजकीय रेल पुलिस और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती किए जाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं।

(iii) रेलों द्वारा राज्य सरकारों के साथ मंडल एवं जोनल स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iv) रेलवे बोर्ड भी गृह मंत्रालय के साथ गहन समन्वय कर रहा है।

(ङ) और (च) माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि के दौरान यात्री रेलगाड़ियों के पुनःचालन की व्यवहारिकता के पुनःआकलन के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित की गई थीं। रेल प्रशासन ने राज्य प्रशासन को यह सूचित किया है कि प्रभावित खंडों में निम्नलिखित ऐहतियाती उपायों पर सहमत होना होगा:

- टॉवर कार/इंजन/मालगाड़ियों का पायलट के रूप में चालन।
- रेलगाड़ियों का एक उचित रूप से प्रतिबंधति गति पर चालन।

राज्य प्रशासन ने यह बताए जाने का अनुरोध किया है कि उपर्युक्त एहतियाती उपायों को दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाना है या केवल उन दिनों में जब सीपीआई (माओवादियों) द्वारा बंद/आंदोलन का आह्वान किया जाए। इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों हेतु योजनाएं

867. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री महाबल मिश्राः
श्री प्रहलाद जोशीः
श्री जितेंद्र सिंह बुंदेलाः
डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः
श्री समीर भुजबलः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़ियाः
श्री पी. कुमारः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री सी. शिवासामीः
श्री देवजी एम. पटेलः
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) व्यक्तियों की पहचान हेतु कोई नया सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2011 के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) बीपीएल परिवारों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं अथवा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित, स्वीकृत, जारी और खर्च की गई; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर उठे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) देश में दिनांक 29 जून, 2011 को सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना शुरू की गई है जिसे भारत सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में बीपीएल परिवारो के निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के निर्धारण के संबंध में शहरी क्षेत्रों में जनगणना औद देशभर में जातिगत जनगणना शामिल है।

(ख) सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 (एसईसीसी 2011) में सभी परिवारों के घर जाकर जनगणना करने और हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा आंकड़ा एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के निर्धारण की प्रक्रियाविधि में बीपीएल सूची से ग्रामीण परिवारों के स्वतः अपवर्जन एवं बीपीएल सूची में स्वतः समावेशन और कतिपय वंचकों के आधार पर शेष परिवारों का श्रेणीकरण शामिल है।

(ग) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की राज्य-वार संख्यया के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के लाभ के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टएससी) कार्यान्वित कर रहा है। आबंटित, रिलीज और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों और इन योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) ग्रामीण विभाग के पास उन लोगों के बारे में आंकड़ा/जानकारी तैयार करने वाली ऐसी कोई प्रणाली/तंत्र नहीं है जिन्हें किसी विशेष वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया हो।

विवरण

आबंटित, रिलीज और व्यय की गई निधियों के योजनावार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	स्वीकृत/रिलीज	सूचित कुल व्यय≠
1.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार	2008-09	2020.00	1989.60	2285.40
	योजना	2009-10	2166.54	1974.96	2779.19
	(एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय	2010-11	2380.00	1093.32	2804.04
	ग्रामीण आजीविका मिशन	2011-12*	2191.00	960.33	103.80
2.	इंदिरा आवास योजना	2008-09	5645.77	8795.79	8348.34
	(आईएवाई)	2009-10	8494.70	8635.74	13292.46
		2010-11	10053.70	10139.45	13465.73
		2011-12	9491.20	3903.89#	1814.14$
3.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता	2008-09	4500.00	4500.00	3873.89
	कार्यक्रम (ढनएसएपी)	2009-10	5200.00	5155.49	4717.76
		2010-11	5162.00	5162.00	5479.94
		2011-12@	6157.57	2083.13	742.55
4.	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	2008-09	1200.00	1192.80	1047.51
	(टीएससी)	2009-10	1200.00	1200.00	1495.23
		2010-11	1580.00	1580.00	1224.22
		2011-12¥	1650.00	783.65	200.13

≠ - सूचित कुल व्यय उपलब्ध निधियों में से है।

* - 3.08.2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय आबंटन और स्वीकृत/रिजीज एवं सूचित व्यय अनंतिम है।

\# - जुलाई, 2011 तक रिलीज -जून, 2011 तक व्यय, जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए सूचित किया गया है।

\- 10139.45 करोड़ रुपये की केन्द्रीय रिलीज के अतिरिक्त, मंत्रालय ने वासभूमि खरीद के लिए 190.00 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं।

@ - आबंटन अनंतिम है और रिलीज की गई निधियां जुलाई, 2011 माह तक की है

¥ - जून, 2011 तक।

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस

868. श्री संजय सिंह चौहानः
श्री महाबल मिश्राः
श्री विजय बहादुर सिंहः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को दिए जाने वाले रोजगार गारंटी दिवस की संख्या को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो विशेषज्ञ समूह द्वारा ग्या सिफारिशें दी गई हैं; और

(ङ) इस योजना को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम कौन-कौन से हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा योजना के अंतर्गत राज्यों में निष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) महात्मा गांधी नरेगा के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायक संरचना के सुदृढ़ीकरण, शिकायत निवारण और आईसीटी अवसंरचना के लिए अनुमेय प्रशासनिक व्यय को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

(ii) सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें निदेश दिया गया है कि वे शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर ओमबड्समेन नियुक्त करें।

(iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखा-परीक्षा नियमावली, 2011 को दिनांक 30 जून, 2011 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

(iv) जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए एवं आबंटित किए गए रोजगार, किए गए कार्य दिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की गई निधियां, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतें दर्ज करना और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी करना सहित लोक समीक्षा के लिए आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस शुरू की गई है।

(v) मजदूरी वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को बैंकों/डाकघरों में उनके खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान अनिवार्य बनाया गया है।

(vi) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उत्कृष्ट निष्पादन करने वाले जिलों के लिए जिला उत्कृष्टता पुरस्कार।

(vii) महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार।

[अनुवाद]

एलपीजी कनेक्शन में प्रतीक्षा सूची

869. श्री नलिन कुमार कटीलः
श्री पी.वी. गद्दीगौदरः
योगी आदित्यनाथः
श्री राकेश सिंहः
श्री अंजन कुमार एम. यादवः
डॉ. कृपारानी किल्लीः
श्री निलेश नारायण राणेः
श्री शिवकुमार उदासीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देशभर में एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में तेजी से वृद्धि हुई है और क्या नए कनेक्शन हेतु नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सूची को कितनी समयावधि में समाप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को विशेषकर आंध्र प्रदेश में घरेलू उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की आपूर्ति में कमी के कारण उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी न रहे; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में एलपीजी की आपूर्ति में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कितने वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि देश में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि 01.07.2011 की स्थिति के अनुसार, देश में उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नए कनेक्शन जारी करने के लिए 1,21,318 की प्रतीक्षा सूची है जिसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में क्रमशः 34,992 और 1,963 की प्रतीक्षा सूची सम्मिलित हैं।

नए कनेक्शन जारी करने संबंधी वर्तमान प्रतीक्षा सूची के अगस्त, 2011 के अन्त तक समाप्त होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सार्वजनकि क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि देश में कुल मिला कर, एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ओएमसीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूतियां, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास दर्ज ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आयातों के जरिए, की जा रही है।

इस समय जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में एलपीजी आपूर्तियों में कोई बैकलॉग नहीं है, तो भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और तमिलनाडु राज्यों में एलपीजी आपूर्तियों में कुछ दिनों का बैकलॉग है। सरकार ने ओएमसीज को परामर्श दिया है कि वे रविवारों और छुट्टियों के दौरान और काम के घंटों को बढ़ा कर भी भरण संयंत्रों को प्रचालित करके राज्यों में बैकलॉग को समाप्त रके।

(च) एलपीजी आपूर्तियों में विलम्ब की सिद्ध शिकायतों के आधार पर, विगत तीन वर्षों और अप्रैल से जून, 2011 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध 60 मामलों में विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का शोधन

870. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री अर्जुन राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां पिछले कई वर्षों से कच्चे तेल के शोधन में संलग्न हैं तथा लगातार लाभ कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान अलग-अलग प्रति बैरल कितना औसतन लाभ कमाया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त तेल शोधक कंपनियों द्वारा तेल विपणन कंपनियों को किस औसत मूल्य पर पेट्रोल और डीजल बेचा गया; और

(ङ) इन मूल्यों के निर्धारण का क्या अधिकार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों का करोपरांत लाभ (पीएटी) निम्नवत हैं:

(करोपरांत लाभ करोड़ रुपये में)

	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र			
इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	2950	10221	7445

1	2	3	4
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	736	1538	1547
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	575	1301	1539
मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	1193	112	1177
चेननई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	(-)397	603	512
निजी क्षेत्र			
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)	15637	16236	20286
एस्सार ऑयल लिमिटेड (ईओएल)	(-)514	29	654

चूंकि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आरआईएल समेकित डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियां हैं, इनके लाभों में परिशोधन, विपणन, परिवहन और अन्य क्रियाकलापों से होने वाले लाभ शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज), नामतः, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा उनकी अल्प वसूलियों के एक बड़े भाग का हिस्सा वहन करने के परिणामस्वरूप ही लाभ दर्ज करने में सक्षम रही हैं। यदि ओएमवीज की इन अल्प वसूलियों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती तो उन्हें नीचे बताए अनुसार भारी नुकसान हुआ होता:

बिना सरकारी सहायता और बिना अपस्ट्रीम रियायत के ओएमसीज की हानि

(रुपये करोड़)

	2008-09	2009-10	2010-11
ओएमसीज का संयुक्त पीएटी	4,261	13,060	10,531
कराधान के लिए प्रावधान	1,784	5,537	3,323
कर पूर्व लाभ	6,045	18,597	13,854
घटाएं : प्राप्त मुआवजा			
बजटीय सहायता	71,292	26,000	41.000
अपस्ट्रीम सहायता	32,000	14,430	30,297
कुल प्रतिपूर्ति	1,03,292	40,430	71,297
प्रतिपूर्ति के बिना ओएमवीज की संयुक्त हानि	-97,247	-21,833	-57,443

(ग) रिफाइनरियों की लाभप्रदत्ता सकल परिशोधन मार्जिन (जीआरएम) के रूप में मापी जाती है, जो तैयार उत्पादों पर वसूले जाने वाले औसत मूल्य और कच्चे तेल की लागत के बीच का अंतर होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त कंपनियों का औसत जीआरएम निम्नवत् हैं:-

(अमरीकी डालर/बैरल)

	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र			
इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.69	4.47	5.95

1	2	3	4
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.17	2.97	4.47
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.97	2.48	5.30
मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एमआरपीएल	5.33	5.46	5.96
चेननई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.22	4.75	5.02
निजी क्षेत्र			
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	12.20	6.60	8.40
एस्सार ऑयल लिमिटेड	8.89	4.38	6.91

(घ) और (ङ) डीजल की खरीद के लिए ओएमसीज, रिफानरियों को व्यापार समता मूल्य का भुगतान करती हैं, जो 80:20 के अनुपात में आयात समता और निर्यात समता मूल्यों का औसत भारित मूल्य होता है। जहां तक पेट्रोल का संबंध है, ओएमसीज ने 25.06.2010 तक रिफाइनयिों को व्यापार समता मूल्य का भी भुगतान किया। तथापि, 26.06.2010 से पेट्रोल का मूल्य रिफाइनरी द्वारा और खुदरा स्तर, दोनों पर, बाजार निर्धारित कर दिया गया है।

तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन का औसत रिफाइनरी द्वार मूल्य निम्नवत् है:-

अवधि	पेट्रोल (रुपये/कि.ली.)	डीजल (रुपये/कि.ली)
2008-09	26217.08	32317.63
2009-10	22751.58	23907.16
2010-11	27672.15	29983.59

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचना

871. **श्री नरहरि महतो:**
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने देश में छोटे और कम कर्य निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) बेचने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे और कम कार्य निष्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने की बजाय उन्हें लाभ अर्जन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मिलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) देश में लघु और कम कार्यनिष्पादन वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के विक्रय या उन्हें अन्य केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विलयन हेतु किसी प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। विनिवेश या संयुक्त उद्यम भागीदारी के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार हेतु सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड समय-समय पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने वर्ष 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को लाभ अर्जन करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के साथ विलय सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनद्धार/पुनर्गठन हेतु सिफारिशें सभी प्रकार के विकल्पों को तलाशने के उद्देश्य से की थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार ने भारत रिफ्रैक्टरिज लिमिटेड, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की स्लेम इकाई को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने और बर्थवेट बर्न एण्ड जैसप कम्पनी लिमिटेड और भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के विलयन को अनुमोदित कर दिया है।

'स्पीक एशिया' कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी

872. **श्री पी. लिंगम:**
श्री रंजन प्रसाद यादव:
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑनलाइन सर्वेक्षण कम्पनी 'स्पीक एशिया' द्वारा करोड़ों निवेशकों को ठगने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लोगों को ठगने का क्या तरीका है;

(ग) क्या सरकार जांच कर रही है तथा दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है)

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपनी मेहनत की कमाई कम्पनी में लगाने वाले लोगों के धन की वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मंत्रालय ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के तहत दिनांक 20.7.2011 को जांच का आदेश दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार कम्पनी न तो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और न ही कम्पनी अधिनियम, 1656 की धारा 592 की अपेक्षाओं के अनुसार उसके कार्यस्थल का पंजीकरण कम्पनी रजिस्ट्रार के पास कराया गया है।

[हिन्दी]

गिरी नदी का बांध

873. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:**
श्री 'जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी में गिरी नदी का बांध के निर्माण का पस्ताव है जहां से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों को पेयजल की आपूर्ति का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं तथा इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देते हुए रेणुकाजी नदी पर बांध का निर्माण कब तक किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) हिमालच प्रदेश में यमुना की सहायक नदी, गिरी नदी पर रेणुका बांध परियोजना, नामक एक परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है। परियोजना की भंडारण क्षमता 542.5 मिलियन घनमीटर है तथा विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 40 मेगावाट है। परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत लगभग 3498.86 करोड़ रूपए हैं।

(ग) और (ङ) दिनांक 23.10.09 को पर्यावरणिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी मरम्मत एवं पुनरुद्धार (जनजाति) स्वीकृति प्रदान कर दी है। अंतिम अनुमोदन अन्य अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों पर निभ्रर करता है। अंतिम अनुमोदन तथा उपयुक्त निर्माणकारी अभिकरणों को कार्य सौंपने के पश्चात् यह परियोजना सम्भवतः छः वर्षों में पूरी हो जाएगी।

रिक्त पद

874. **श्री कमल किशोर 'कमांडो':**
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ महत्त्वपूर्ण उच्च स्तरीय पद जैसे सदस्य यातायात, सदस्य रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधकों आदि के लंबे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे पदों को भरने के लिए क्या मानदण्ड/पदोन्नति नीति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सदस्य (कार्मिक), सदस्य (बिजली) और सदस्य (यातायात) रेलवे बोर्ड और 4 क्षेत्रीय रेलों तथा दक्षिण पूर्व मध्य, पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व तथा 3 उत्पादन इकाइयों यथा रेल कोच फैक्टरी, सवारी डिब्बा कारखाना और रेल पहिया कारखाना और केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के महाप्रबंधकों के पद इस समय रिक्त हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे को छोड़कर, जहां यह पद पदधारी की अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नति के कारण खाली हुआ सभी पद पदधारियों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए। इन पदों को भरने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस दौरान इन पदों के कार्य देखने के लिए व्यवस्था की गई है। रिक्तियों को भरने के लिए एक निर्धारित कार्यविधि है, जो चल रही है।

(घ) रेलवे बोर्ड के सदस्यों और महाप्रबंधकों के पदों पर नियुक्तियां क्रमश: दिनांक 16.2.1987 के संकल्प सं. ईआरबी-1/87/11/1, समय-समय पर यथा आशोधित और 16.7.1986 के संकल्प सं. ई (ओ)III-84/पीएम6/132 समय-समय पर यथा आशोधित द्वारा शासित होती हैं।

[अनुवाद]

एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत आबंटन

875. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु याजना निधि (एसएफयूआरटीआई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा निधि के इस तरह उपयोग के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है;

(ग) योजना के अधिकार क्षेत्र में मुख्य परंपरागत उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परंपरागत उद्योगों को उक्त योजना द्वारा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषरूप से महाराष्ट्र में किस हद तक लाभ हुआ है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) भारत सरकार ने खादी, ग्रामोद्योग तथा कयर सेक्टर में पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों के पुररुत्थान के लिए 2005-06 में पारंपरिक उद्योग पुनरूत्थान निधि (स्फूर्ति) नामक स्कीम प्रारंभ की थी। स्फूर्ति के तहत कुल 105 क्लस्टर (खादी-29, ग्रामोद्योग-50 तथा कयर-26) शामिल किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्फूर्ति के तहत प्रमुख नोडल एजेंसियों नामत: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कयर बोर्ड को जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	केवीआईसी	कयर बोर्ड	कुल
2008-09	13.45	3.50	16.95
2009-10	12.00	-	12.00
2010-11	8.30	2.50	10.80

नोडल एजेंसियों द्वारा स्फूर्ति स्कीम की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर चयनित अनुभवी और प्रतिष्ठित सरकारी संगठनों के माध्यम से स्फूर्ति स्कीम कार्यान्वित की जाती है, स्फूर्ति के तहत निधियों के कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए उस क्लस्टर के क्लस्टर विकास एक्जिक्यूटिव की सहायता से तथा प्रतिष्ठित निर्दिष्ट तकनीकी एजेंसी की सक्रिय सहभागिता से क्लस्टर कार्रवाई योजना वाली क्लस्टर-वार निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है। नोडल एजेंसी द्वारा क्लस्टर-वार निधियां जारी की जाती हैं तथा उनके द्वारा क्लस्टर स्तर पर संबंधित क्लस्टर विकास समन्वय समूह की सहभागिता से प्रगति की गहन निगरानी की जाती है। उस क्लस्टर को जारी की गई निधियां विलंब लेख में रखी जाती हैं तथा योजना के अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। केवीआईसी मुख्यालय के स्तर पर तिमाही आधार पर निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी की जाती हैं पहले जारी की जा चुकी धनराशि के उपयोग तथा संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के पश्चात किस्तें जारी की जाती हैं।

(ग) इस स्कीम के दायरे में आने वाले प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में खादी और ग्रामोद्योग जैसे बेंत एवं बांस शिल्प, एम्ब्राइडरी, लेदर, पॉटरी, हाथ से तैयार कागज, हाथ से तैयार लकड़ी की वस्तुएं, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती, हर्बल उत्पाद, पीतल की वस्तुएं, बढ़ईगिरी, मोती बनाना, पाम गुड़, कयर आदि शामिल हैं।

(घ) केवीआईसी के द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराये गए हाल ही के मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार इस अध्ययन के तहत कवर किए गए क्लस्टर में इस स्कीम के कार्यान्वयन से व्यापार के फैलाव, उत्पादों की विविधता, कौशल उन्नयन तथा बेहतर औजारों और मशीनरी के माध्यम से उत्पादकता में सुधार के द्वारा उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त कारीगरों की आय में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में स्फूर्ति के तहत चार क्लस्टरों को प्रारंभ किया गया है। स्फूर्ति के तहत विकास के लिए शामिल किए गए क्लस्टरों का राज्यवार ब्यौरा विवरण पर दर्शाया गया है।

विवरण

स्फूर्ति के तहत अपनाए गए क्लस्टरों का राज्य/संघशासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्फूर्ति के तहत अपनाए गए क्लस्टर
1	2	3
1.	हरियाणा	3
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	जम्मू व कश्मीर	5
4.	पंजाब	4
5.	राजस्थान	5
6.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
7.	बिहार	3
8.	झारखंड	2
9.	उड़ीसा	5
10.	पश्चिम बंगाल	5
11.	अरुणाचल प्रदेश	1
12.	असम	4
13.	मणिपुर	2
14.	मेघालय	1
15.	मिजोरम	1
16.	नागालैंड	2
17.	त्रिपुरा	3
18.	सिक्किम	1
19.	आंध्र प्रदेश	7
20.	कर्नाटक	8
21.	केरल	9
22.	लक्षद्वीप	1
23.	पुडुचेरी	1
24.	तमिलनाडु	11
25.	गुजरात	3
26.	महाराष्ट्र	4
27.	छत्तीसगढ़	1
28.	मध्यप्रदेश	2
29.	उत्तराखंड	2
30.	उत्तर प्रदेश	7
	योग	105

तालाबों की मरम्मत और नवीकरण

876. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार, विशेषकर, कर्नाटक राज्य में तालाबों की मरम्मत और नवीकरण हेतु केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) नामक स्कीम अनुमोदित की है जिसके दो घटक हैं (i) एक 1500 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता के परिव्यय वाला और (ii) दूसरा 1250 करोड़ रुपए की घरेलू सहायता के परिव्यय वाला।

बाहरी सहायता से जल निकायों की आरआरआर स्कीम के तहत, तमिलनाडु के 4 लाख हेक्टेयर कृष्ण कमान क्षेत्र वाले 5763 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 2182 करोड़ रूपए, आंध प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र वाले 3000 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 835 करोड़ रूपए, कर्नाटक के 0.52 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र वाले 1224 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 268.78 करोड़ रुपए और उड़ीसा के 1.2 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र वाले 900 जल निकायों वे पुनरूद्धार हेतु 448 करोड़ रुपए के लिए इन राज्यों की राज्य सरकारों के साथ विश्व बैंक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार संबंधी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान अब तक 520.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें 28 जल निकायों हेतु बुंदेलखंड पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 29.08 करोड़ रुपए, 1321 जल निकायों हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को 147.12 करोड़ रुपए, 427 जल निकायों हेतु कर्नाटक राज्य सरकार को 121.51 करोड़ रुपए, 1029 जल निकायों हेतु आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 189 करोड़ रुपए, 15 जल निकायों हेतु बिहार राज्य सरकार को 25 करोड़ रुपए, 78 जल निकायों हेतु मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड) राज्य सरकार को 7.33 करोड़ रुपये और 1 जल निकाय हेतु मेघालय राज्य सरकार को 1.78 करोड़ रुपये की जारी की गई राशि शामिल है।

(ख) स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन हेतु किए गए उपायों में भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्टों, समवर्ती मूल्यांकन, निरीक्षण रिपोर्टों राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, जानकारी के आदान-प्रदान, सीखने-सिखाने और प्रचार-प्रसार आदि के जरिए निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

वक्फ बोर्ड की भूमि पर अतिक्रमण

877. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेषरूप से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की अधिकतर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या है; और

(ग) देश में वक्फ बोर्ड की भूमि की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 32 के अधीन राज्य में सभी वक्फों के सामान्य पर्यवेक्षण का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य वक्फ बोर्डो के पास होता है। इसी अधिनियम के अधीन राज्यों द्वारा सम्पत्तियों का सवेक्षण करना है। भारत सरकार राज्यों से सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने और नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने के संबंध में आग्रह करती रही है। देश में वक्फ प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 को संशोधित करने संबंधी विधेयक लोक सभा द्वारा 7 मई, 2010 को पारित कर दिया गया है और अब यह विधेयक राज्य सभा की चयन समिति के विचाराधीन है।

जाली मतदाता

878. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में निर्वाचक सूचियों में बड़ी संख्या में जाली मतदाताओं को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान चुनाव आयोग को निर्वाचक सूचियों में जाली मतदाताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्वाचक सूचियों का सत्यापन करने और निर्वाचक सूचियों से जाली मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने कथन किया है कि यह कहना सही नहीं है कि शिकायतों की संख्या बड़ी है।

(ग) और (घ) जी हां। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

(i)	आंध्र प्रदेश	-	6
(ii)	त्रिपुरा	-	5
(iii)	कर्नाटक और महाराष्ट्र	-	2 प्रत्येक
(iv)	अरुणाचल प्रदेश, केरल, गुजरात और पुडुचेरी	-	2 प्रत्येक

(ङ) सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने की भूमिका, भारत निर्वाचन आयोग से निहित होती है। इस संबंध में आयोग द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में उपदर्शित किए गए हैं।

विवरण

भारत निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए है:

(i) निर्वाचक नामावलियां (2008 से) फोटो निर्वाचक नामावलियों में संपरिवर्तित की गई हैं। निर्वाचक के फोटो की विद्यमानता जाली अभ्यावेशन के लिए एक मुख्य भयोपरापी बन गई है।

(ii) नामावली का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाता है जिसके अंतर्गत कुछ मामलों में निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निर्वाचकों का घर-घर जाकर गहन सत्यापन करना भी है।

(iii) निर्वाचक नामावलियों का प्ररुप अब, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के अतिरिक्त, ग्राम सभाओं, आरडब्ल्यूए, स्थानीय प्राधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को भेजा जा रहा है जिससे कि निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप देने से पूर्व किसी लोप या कार्य का उल्लेख किया जा सके। मतदाताओं के नाम ग्राम सभाओं, आरडब्ल्यूए आदि की बैठकों में पढ़ जाते हैं और अब वे उन व्यक्तियों के नामों को हटवाने में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों की सहायता कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्रों में अधिक समय से निवास नहीं कर रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है।

(iv) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबद्ध प्राधिकारियों को भी, वर्ष में दो बार-जनवरी और जुलाई, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को मृत व्यक्तियों की सूचियां प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

(v) कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का भी द्वितीय/बहु प्रविष्टियों की पहचान करने और उनको निकालने के लिए व्यापकत: और गहन रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

(vi) प्रारुप नामावलियां संबंधित परिक्षेत्रों के अति निकट पदाभिहित अवस्थानों पर बड़ी संख्या में संप्रदर्शित की जाती है जिससे कि निवासियों को उन नामावलियों की समीक्षा करने में समर्थ बनाया जा सके और वे पदाभिहित अवस्थानों पर अपने दावे और आक्षेप स्वयं फाइल कर सकें। विनिर्दिष्ट दिनों, जो प्रसामान्यत: आम जनता के लिए अवकाश के दिन होते हैं, बड़ी संख्या में पदाभिहित अस्थानों के रूप में प्रयोग किया गया था और नामालियों को संपदर्शित करने के लिए, दावे और आक्षेप प्राप्त करने के लिए, उन दावों और आक्षेपों का स्थानीय सत्यापन करने के लिए भी डाक प्राधिकारियों की सहायता ली गई थी।

(vii) निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिए ऐसे बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो अधिकाशत: सरकारी सेवक हैं, और निर्वाचकों की उनके नामों को अभ्यावेशित करवाने के लिए, सहायता करने हेतु उसी परिक्षेत्र में निवास करते हैं और इसके साथ बूथ स्तरीय अधिकार मृत/स्थानांतरित मतदाताओं के संबंध में जानकारी उपलबध करवाते है ताकि अपात्र मतदाताओं के नामों को विधि की निम्नलिखित सम्यक् प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन रिटर्रिग ऑफिसर द्वारा हटाया जा सके।

(viii) इसके अलावा, प्रत्येक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल से प्रत्येक मतदान केंद्र (निर्वाचक नामावली का भाग) के लिए बूथ स्तरीय अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया है। वे उपचारी कार्रवाई के लिए अपने-अपने मतदान केंद्रों की निर्वाचक नामावली में नामों के सत्यापन की जांच करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी के सज्ञथ कार्य कर सकते हैं।

(ix) इसके अतिरिक्त, अब नामावलियां, सुधार/परिवर्धन/अपमार्जन हेतु जनता की साधारण जानकारी के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

879. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
श्री वीरेन्द्र कश्यप

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के अंतर्गत राज्यों के भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने (एनएलआरएमपी) के अंतर्गत कैडास्ट्रल मानचित्रों के डिजिटलीकरण हेतु निधियों की मांग करते हुए मार्च 2010 में एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अभी तक इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिरीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के अंतर्गत, केन्द्र सरकार लिखित और स्थानिक भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण और आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना; तथा पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और राजस्व कार्यालयों के साथ उनकी सम्बद्धता के लिए राज्यों को क्रमश: 100%, 50% और 25% की वित्तपोषण पद्धति से वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्य सरकार को भू-कर मानचित्रों के अंकीकरण और अधिकारों के अभिलेखों (आर.ओ.आर.) के साथ उनके समेकन के लिए 243.87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भू-कर मानचित्रों के अंकीकरण और (आर.ओ.आर.) के साथ उनके समेकन के प्रति 506.15 लाख रुपये की बकाया राशि जारी करने हेतु अनुरोध किया। 506.15 लाख रुपये की मांग अंकीकरण की दर में हुए संशोधन के कारण उत्पन्न हुई।

इस समय, राज्य सरकार के पास 815.77 लाख रुपये की अव्ययित बकाया राशि शेष पड़ी है। चूंकि राज्य के पास अव्ययित बकाया राशि काफी अधिक है, अत: राज्य सरकार को और निधियां जारी करने पर विचार नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

वनताड़ा गांव में रेल समपार

880. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनताड़ा गांव के निवासी सड़क संपर्क सं वंचित हैं क्योंकि अहमदाबाद-उदयपुर लाइन गांव को जोड़ने वाली सड़क से होकर गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि साबर कांठा जिले के वनताड़ा गांव के लोगों ने संपर्क सड़क हेतु रेलवे समपार प्रदान करने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में समाधान ढूंढने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। गावों की रासता मुहैया कराए जाने के लिए उदयपुर-हिम्मतनगर खंड पर वीरावाडा रेलवे स्टेशन के पास वनताड़ा गांव के समीप किमी 308/3-4 पर एक बिना चौकीदार वाला समपाए सं. 203 स्थित है।

(ख) जी हां। ग्रामवासियों ने इस खंड पर वीरावाडा स्टेशन पर समापार सं. 203 पर रेलवे भूमि के बीच में से एक सड़क की मांग की है। पक्के पहुंच मार्ग की मांग के लिए जनवरी/फरवरी 2011 में एक रेल रोको आंदोलन किया गया था।

(ग) मौजूदा नियमों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा लागत में भुगतान के आधार पर रेलवे पक्का रोड बनाने के लिए 300 मी × 12 मी और 90 मी × 12 मी रेलवे भूमि की पट्टी के अंतरण के लिए सहमत हो गई है। बहरहाल, इस खंड पर आमान परिवर्तन का कार्य स्वीकृत हो गया है और आमान परिवर्तन के दौरान इस समपार को 480 मीटर हिम्मत नगर की ओर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तत्पश्चात्, पहुंच मार्ग के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा रेलवे भूमि पर्याप्त नहीं है। रेलवे की सीमा के बाहर समपार को पक्की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार का विषय है।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत डीआरआई ऋण

881. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज की विभेदक दरों (डीआरआई) के अंतर्गत ऋण केवल इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों के लिए ही ग्राह्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आवासीय योजनाओं के बीपीएल लाभान्वितों को डीआरआई ऋण का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डीआरआई योजनाओं का विस्तार राज्य सरकार की आवासीय सहायता योजनाओं के बीपीएल लाभान्वितों तक भी किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां। ब्याज की विभेदक दरों (डीआरआई) के अंतर्गत ऋण 2008-09 से इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों के लिए ही ग्राह्य हैं।

(ख) राज्य सरकार आवासीय योजनाओं के बीपीएल लाभार्थी डीआरआई ऋण के पात्र नहीं हे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस समय सरकार की आवासीय सहायता योजनाओं के बीपीएल लाभार्थियों के लिए डीआरआई योजनाओं का विस्तार करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

कापार्ट

882. श्री रवनीत सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काउंसिल फॉर एडवांडसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नॉलाजी (कापार्ट) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कापार्ट का क्या योगदान रहा है;

(ग) क्या कापार्ट के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी हेतु कोई मूल्यांकन प्रणाली और तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और

(ङ) कापार्ट के माध्यम से राज्य-वार क्रियान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) के मुख्य उद्देश्य विवरण में संलग्न हैं (विवरण-I)

(ख) कपार्ट ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की दृष्टि से पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की सहायता करके ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में मदद करता है। यह परियोजना मोड में कार्य करता है। कपार्ट निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के लिए परियोजनाएं मंजूर कर रहा है:-

- **जन सहयोग (पीसी)**

  इस योजना का उद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित की गई परिसंपत्तियों की डिजाइनिंग, निगरानी और रखरखाव में समुदाय को शामिल करना है। योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों में ग्रामीण समुदाय के लाभ से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण, सामानों के उत्पादन एंव बिक्री में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना है।

- **लाभार्थियों का संगठन (ओबी)**

  इस योजना के अंतर्गत, कपार्ट ग्रामीण जनता को जागरूक बनाने के लिए लाभार्थियों के संगठन क्रियाकलापों में मदद करता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों/समूहों की आर्थिक दशा और सामाजिक हैसियत को बेहतर बनाने के उनके अभियान को जारी रखने के लिए तथा सही उद्देश्यों एवं निमित्तों के लिए स्वैच्छिक संगठनों के जरिए उन्हें सहायता प्रदान करना है। इस योजना का तात्पर्य, योजनाओं, अधिकारों और कानूनी हकदारियों के संबंध में लोगों को जो प्राप्त करने का अधिकार है, उसे दिलाने के लिए उनकी जानकारी और मोल-तोल की शक्ति को बढ़ाकर लोगों को अधिकार संपन्न भी बनाना है।

- **ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (आर्टस)**

  ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना के अंतर्गत, कपार्ट का वृहत् उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) तथा उनके सहयोगी संगठनों से संबंधित क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों में सहयोग करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के बीच उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार करना है।

- **विकलांगता कार्य**

  इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के प्रति दया दिखाने के स्थान पर उन्हें अधिकार संपन्न बनाना और विकलांग व्यक्तियों को रोजगार का समान अवसर उपलब्ध कराना है तथा साथ ही समुदाय

आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यक्रमों की मदद करके सभी नए कार्यों में उनकी पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है।

- **विपणन-ग्रामश्री मेला**

ग्रामीण उत्पादकों को सीधे प्रमुख बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री करने, क्रेताओं से संपर्क बनाने, क्रेताओं की पसंदों, प्राथमिकताओं और रुचियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने के लिए कपार्ट देश के विभिन्न भागों में में काफी अधिक संख्या में ग्रामश्री मेलों का आयोजन करता है। इन मेलों से ग्रामीण उत्पादकों को वृहत विपणन अवसर का लाभ मिलने के साथ-साथ अपने उत्पादों और विपणन कौशल को बेहतर बनाने एवं उपभोक्ता को बेहतर सेवा मुहैया कराने में भी मदद मिलती है।

(ग) और (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यो पर उचित सतर्कता बरतने के लिए कपार्ट में परियोजनाओं की निगरानी के लिए मूल्यांकन की सुस्पष्ट व्यवस्था और प्रणाली है। कपार्ट में निगरानी व्यवस्था विवरण में दी गई है (विवरण-II)।

(ङ) कपार्ट के जरिए राज्य-वार कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (विवरण-III)।

विवरण-I

कपार्ट के उद्देश्य

I. ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना तथा स्वैच्छिक कार्यों में सहायता देना,

II. नए ग्रामीण प्रौद्योगिकीय इनपुटों को शामिल करने पर विशेष जोर डालते हुए ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को मजबूत करना तथा बढ़ावा देना।

III. व्यापक रूप से ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रौद्योगिकियों के सृजन तथा प्रचार-प्रसार करने के सभी प्रयासों को समेकित करने वाले राष्ट्रीय नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करना।

IV. विभिन्न एजेंसियों तथा संस्थाओं विशेषकर स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का निर्धारण तथा वित्तपोषण करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

V. ग्रामीण विकास में आधुनिक तकनीकों तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा जन प्रतिनिधियों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए पथिप्रदर्शक के रूप में कार्य करना।

VI. सूचना तथा डाटा बैंक के वितरण केंद्र के रूप में कार्य करना।

VII. मशीनों के औजार, उपस्कर तथा स्पेयर पार्ट के निर्मात्ताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी की जानकारी देना ताकि निजी सहकारिता तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों इत्यादि का प्रक्षेपण किया जा सके।

VIII. सर्वांगीण विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन, स्वावलंबन को बढ़ावा, जागरूकता सृजन, संगठन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों और विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों तथा उन लोगों को शारीरिक रूप से, पैर से एवं दृष्टिहीन एवं मानसिक रूप से अपंग हैं (आम सभा द्वारा 7.7.1995 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के साथ शारीरिक, पैर तथा दृष्टिहीन अपंग व्यक्तियों को प्राथतिकता देकर उपचार करने के संबंध में संघ तथा कपार्ट के नियमों के ज्ञापन के अनुच्छेद 3 (IX) के यथा संशोध न को अनुमोदित किया गया), के जीवन स्तर में भी सुधार लाने के लिए अभिप्रेत परियोजनाओं/योजनाओं का संवर्द्धन, सहायता, मार्गदर्शन, संगठन, आयोजना, संचालन, विकास, अनुरक्षण एवं समन्वय करना।

IX. पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण वाले कार्यक्रमों की सहायता करना तथा उनको बढ़ावा देना।

X. मौजूदा अनुसंधान संस्थाओं को मजबूत करना तथा संस्थाएं बनाना ताकि केवल ग्रामीण हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं बनाई जा सके।

XI. भारत या इसी प्रकार के उद्देश्यों में रूचि रखने वाली संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों-यू.एन. प्रणाली के निर्वाचन क्षेत्रों सहित विदेशों में अन्य संस्थाओं, संघों तथा सोसाइटियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

XII. महिलाओं के विशेष हितों वाले ग्रामीण विकास क्रियाकलापों जिसमें ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के अनुरूप आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया गया हो, पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान तथा संगोष्ठियां आयोजित या प्रायोजित करना।

XIII. स्वैच्छिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित या प्रायोजित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के क्षेत्र में भाग लेने वालों के बीच आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

XIV. ग्रामीण विकास तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एजेंसियों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन या उन्हें प्रायोजित किया जा सके।

XV. अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण, मूल्यांकन कराना तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और समुदाय के उद्देश्यों के प्रोत्साहत में शिक्षावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार देना।

XVI. समुदाय के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए दस्तावेज, आवधिक विनिबंध तथा पुस्तकें तैयार करना, मुद्रित करवाना तथा प्रकाशित करना।

XVII. ऐसे सभी अन्य कार्य करना जिसे सोसाइटी अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रासंगिक या व्यावहारिक समझती हो।

XVIII. ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार मुद्दों से संबंधित विषयों पर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें मार्गरक्षी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनके ज्ञान-आधार, अतिप्राचीन सहज तथा प्रत्यक्ष अधिकारों और इससे जुड़े सभी विषयों के प्रति सुरक्षा देकर उनकी सहायता करना।

विवरण-II

कपार्ट निगरानी तंत्र

कपार्ट में तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था है जो एनजीओ के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी करता है जो है: डेस्क मूल्यांकन, मध्यावधि मूल्यांकन तथा पश्च मूल्यांकन। अपनाए गए मूल्यांकन के विभिन्न स्तर निम्नानुसार हे:

निधि-पूर्व मूल्यांकन

सभी प्राप्त प्रस्ताव कार्यक्रम प्रभागों से व्यवस्थित ढंग से डेस्क मूल्यांकित होते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों के लिए सही प्रकार के संगठन और परियोजनाएं ली गई हैं।

जब डेस्क स्तर पर संबंधित प्रभाग सभी चीजों को सही रूप में पाता है जो पैनलीकृत संस्थागत निगरानीकर्ता के माध्यम से प्रस्ताव पूर्व-निधि मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाधीन किया जाता है। अपेक्षित जरूरत पूरे न करने वाले प्रस्तावों को या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या सूचना की मात्रा के अभाव के आधार पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जाती हैं नियुक्त संस्थागत निगरानीकर्ता सुपुर्द आर्डर की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के अंदर कार्य को पूरा कर देगा। निष्कर्षों के आधार पर, प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा का पता लगाने के लिए प्रस्तावों को आगे प्रक्रियाधीन किया जाता है। इसके पश्चात प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा के आधार पर प्रस्तावों को क्षेत्रीय समिति अथवा राष्ट्रीय स्थायी समिति अथवा कार्यकारी समिति के सामने रखा जाता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर, वीओ को वित्तीय सहायता को दर्शाते हुए शर्तों सहित मंजूरी पत्र जारी किया जाता है।

मंजूरी प्राप्त होने पर, प्रगति तथा क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त करके विभिन्न स्तरों के आधार पर एक से अधिक किस्तों में जरूरत के हिसाब से निधियां जारी की जाती है।

मध्यावधि मूल्यांकन

अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों से यह उम्मीद की जाती है कि वे परियोजना की प्रकृति के आधार पर मासिक/तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक आधार पर विहित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट अग्रेषित करें। मध्यावधि मूल्यांकन एक पैनल वाले संस्थागत परियोजना से संबधित विषय के विशेषज्ञ के माध्यम से सहभागिता रूप से किया जाएगा। रिपोर्ट में उम्मीद की जाती है कि निष्पादन में पारदर्शिता, लाभार्थी से विचार-विमर्श, परियोजना के कार्यान्वयन में उनको शामिल करना, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की खरीद में अपनाई गई प्रक्रिया, बहीखाते का रुख-रखाव इत्यादि जैसे मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर या तो अतिरिक्त निधियां जारी की जाएगी या अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जाएगी।

पश्च मूल्यांकन

समापन रिपोर्ट तथा अन्य अंतिम दस्तावेज के प्राप्त होने पर पैनल वाले संस्थागत रिनगरनीकर्ताओं से निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिए पश्च मूल्यांकन किया जाता है:

- यह सत्यापित करना कि क्या सभी निर्धारित कार्य मंजूरी आदेश की शर्तों के अनुसार हुआ है।
- परिसम्पत्तियों के सृजन/कार्यान्वयन में लाभार्थियों की संतुष्टि सुनिश्चित करना।
- निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बहीखाते और अन्य संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करना।
- परियोजना के प्रभाव और उसके स्थयित्व के लिए बनाए प्रबंध का मूल्यांकन करना।

प्रभाव और व्यापक मूल्यांकन

यदि चार वर्ष की अवधि के दौरान एक अकेली परियोजना के लिए सहायता की मात्रा 50.00 लाख रुपये से अधिक है अथवा कई परियोजनाओं के लिए 100.00 लाख रुपये से अधिक है तो उपर्युक्त नेमी मूल्यांकन के अलावा कपार्अ एनजीओ की व्यापक मूल्यांकन अध्ययन करता है।

निधियों पर रोक लगाने के संबंध में प्रावधान

यदि कपार्ट देखता है कि एनजीओ को जारी की गई निधियों का उचित उपयोग नहीं हुआ है तो संबंधित एनजीओ को निधियों पर रोक लगाने वाली श्रेणी में रखा जाता है, या तो अग्रिम सहायता रोक दी जाती है या उचित सुधार नहीं होने तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।

रोक मुख्यत: निम्नलिखित आधार पर लगते हैं:

- ठेकेदारों के माध्यम से कार्य पूरा करने के लिए
- निबंधन एवं शर्तो का उल्लंघन
- प्रतिकूल मूल्यांकन निष्कर्ष
- आशायार्थ उद्देश्य के अलावा निधियों का दुरूपयोग अथवा अपवर्तन।
- अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करना।
- स्थल, लाभर्थियों में कपार्ट के पूर्व अनुमोदन के बिना बदलाव।
- दस्तावेजों का मिथ्याकरण।

दुरूपयोग किए गए अनुदानों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई

एनजीओ हेतु बढ़ाई गई सहायता के लिए लागू निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन अथवा दुरूपयोग किए गए अनुदानों के प्राप्त न होने पर, कपार्ट न्यायालय के अनुसार एनजीओ के खिलाफ वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा।

विवरण-III

वर्ष 2005-10 के दौरान राज्यवार कार्यान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	277	107985047
2.	असम	20	5672881
3.	बिहार	169	92738868
4.	चंडीगढ़	10	8971361
5.	छत्तीसगढ़	22	16989771
6.	दमन व दीव	1	127700
7.	दिल्ली	12	6783451
8.	गोवा	3	1322750
9.	गुजरात	50	44364013
10.	हरियाणा	97	49953232
11.	हिमाचल प्रदेश	47	27691307
12.	जम्मू व कश्मीर	46	19056840
13.	झारखंड	39	24288492
14.	कर्नाटक	114	72929751
15.	केरल	80	46401265
16.	मध्य प्रदेश	38	23193259
17.	महाराष्ट्र	49	81718596
18.	मणिपुर	21	9511327
19.	मिजोरम	6	1225442
20.	नागालैंड	7	1504068
21.	उड़ीसा	137	77942591

1	2	3	4
22.	पुडुचेरी	3	569750
23.	पंजाब	18	9402650
24.	राजस्थान	93	63039161
25.	सिक्किम	1	77741
26.	तमिलनाडु	47	14407428
27.	त्रिपुरा	4	942200
28.	उत्तर प्रदेश	100	48779782
29.	उत्तराखंड	14	4095259
30.	पश्चिम बंगाल	68	28456960
	कुल	1593	890142944

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन

883. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन के आबंटन संबंधी नीति तैयार की है;

(ख) उक्त नीति को बनाए जाने और घोषित किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति में कवरेज और राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह): (क) से (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का आबंटन पूर्वाधार पर किया जा रहा है। तथापि, संभार-तंत्रीय कठिनाइयों के मद्देनजर पूर्वोत्तर, द्वीपसमूह क्षेत्रों और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के अलावा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए एलपीजी की कवरेज, पीडीएस केरोसिन के प्रति व्यक्ति आबंटन की राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जाती है। इसके अलावा, कोटे की उतनी मात्रा जो राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं उठाई गई हो, अगले वर्ष के लिए आबंटन से कम कर दी जाती है।

[हिन्दी]

मौसम के पूर्वानुमान हेतु कम्प्यूटर की खरीद

884. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम के पूर्वानुमान और सामुद्रिक जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु संबंधी सूचना एकत्र करने हेतु उपलब्ध उपकरण/कम्प्यूटर काफी पुराने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में जलवायु परिवर्तन संबंधी सूचना एकत्र करने हेतु सुपर कम्प्यूटर खरीदने/बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं। सरकार मौसम, जलवायु और समुद्री डेटा सदृशीकरण एवं पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए वष्र 1987 से समय-समय पर उच्च कार्य निष्पादन वाली संगठन प्रणालियों (एचपीसीएस) तथा संबंधित (आईएमडी) और 12 क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) नोएडा, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस), हैदाराबाद में अत्याधुनिक एचपीसीएस चालू की गई।

वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन (जीआरसीसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, आईआईटीएम के एचपीसीएस को पुन: अपग्रेड किया गया ताकि युग्मित महासागर-वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण मॉडल की संगणन जरूरतों का पूरा किया जा सके। जिससे दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन अध्ययनों को आसान कर भविष्य के लिए आदर्श जलवायु परिवर्तन परिदृश्य तैयार किए जा सकें।

(ख) उपर्युक्त के बावजूद चालू प्रचालनात्मक परीक्षण और अनुसंधान कार्यो को पूरा करने के लिए लगभग 125 टेरा फ्लेप की विद्यमान एचपीसीएस क्षमता पर्याप्त नहीं है।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार की प्राथमिकता पृथ्वी प्रणाली विज्ञान मॉडलिंग के लिए एचपीसीएस आवश्यकताओं को पूरा करना और गहन अग्रणी अनुसंधान करना है। इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पृथ्वी विज्ञान

मंत्रालय (एमओईएस) ने एक कार्यनीतिक योजना तैयार की है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संसीानों को अगले 5 वर्षों में, मौसम, समुद्र स्थिति और जलवायु पूर्वानुमान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना है। उपयुक्त अभिलेखन एवं भंडारण के साथ-साथ अगले पांच वर्षों में कुल एचपीसीएस क्षमता को 1-3 पेटा प्लेप स्तर तक अपग्रेड करने की योजना है।

(घ) एचपीसीएस क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक योजना को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग से आवश्यक निधियों की मांग की जाएगी।

[अनुवाद]

राजस्थान में तेल भंडार

885. श्री बिभू प्रसाद तराईः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में खोले गए तेल भंडारों का पूर्ण दोहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाड़मेर तेल क्षेत्र में कच्चे तेल का वाणिज्यिक दोहन पहले ही शुरू हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस दोहन से देश की आयात पर निर्भरता में कमी आएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यम मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। एक संयुक्त उद्यम जिसमें कैर्न और ओएनजीसी शामिल हैं, ने परिसंघ भागीदार के रूप में एनईएलपी पूर्व ब्याक आरजे-ओएन-90/1 में 2.1 बिलियन बेरल तेल समतुल्य (बीओई) के 2पी (प्रमाणित+संभाव्य) संसाधनों की खोज की है जिनके लिए विकास योजना प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है जिनमें से 2020 तक 457 एमएमबीएल की चरम निकासी आकलित की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने राजस्थान के जिला जैसलमेर में बीकानेर-नागौर बेसिन में भारी तेल और बिटुमिन तथा जिला जैसलमेर में जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे हैं।

(ग) और (घ) बाड़मेर में कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 से शुरू हो गया है और वर्तमान में इसका उत्पादन 1,25,000 बीओपीडी की दर पर है।

(ङ) और (च) उपरोक्त ब्लाक से होने वाले उत्पादन की सीमा तक कच्चे तेल का आयात कम किया जाएगा।

शिमला-कालका मार्ग में आग

886. श्री ई.जी. सुगावनमः
श्री एस.आर. जेयदुरईः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विश्व विरासत शिमाल-कालका रेलवे मार्ग के एक स्टेशन पर भीषण आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितने राजस्व की अनुमानित हानि हुई है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त रेलवे स्टेशन की पुरानी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 03.05.2011 को लगभग 01.45 बजे उत्तर रेलवे के कालका-शिमला मार्ग पर स्थित कांडा घाट रेलवे स्टेशन इमारत में आग लग गई थी। सोलन से फायर ब्रिगेड स्थल पर 03.05 बजे पहुंचे और 07.45 बजे आग पर काबू पा लिया गया था। आग के कारण स्टेशन इमारत, एक कर्मचारी आवास, रेलवे कैंटीय और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्णतया जल गए थे। इसमें 50 लाख रुपए (लगभग) का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ङ) विरासत के संबंध में इसकी प्रमाणिकता को बनाए रखने के लिए रेलवे स्टेशन इमारत का पुनर्निर्माण करने के लिए एक वास्तुविद् को नियुक्त करने के लिए कंसलटेंसी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य

887. श्री बद्रीराम जाखड़ः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क निर्माण और अन्य कार्यों हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 20,000 से कम की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु-जल-मल शोधन संयंत्र

888. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सहित देश के प्रत्येक गांव में लघु-जल-मल शोधन संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितना आबंटन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों मे खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) जो वर्ष 1999 में आरंभ किया गया व्यापक कार्यक्रम है, संचालित करता है। ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) टीएससी का एक अभिन्न घटक है जिसमें परियोजना परिव्यय के 10 प्रतिशत हिस्से तक व्यय का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत सामान्य कम्पोस्ट गडढा, किफायती हिस्से तक व्यय का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत सामान्य कम्पोस्ट गड्ढा, किफायती नाला, सोख्ता नाली/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, घरेलू कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए तंत्र आदि जैसे क्रियाकलाप शुरू किए जा सकते हैं। तथापि, मध्य प्रदेश के गांव सहित अन्य गांवों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सीवेज संयंत्र निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव

889. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सरकार से तथा राज्य के जन प्रतिनिधियों/सांसदों से रेल परियोजनाओं हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड, जोन, मंडल, स्टेशन, सामाजिक संगठनों, जन समूहों, जन प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होते हैं इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक मांगों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। प्राप्त मांग पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जाती है। आभाननुप-राजिम शाखा लाइन (67.2 किती) सहित रायपुर (केन्द्री) से धमतरी के बीच आमान परिवर्तन और मंदिर हसौद-नयू रायपुर (20 किमी) के बीच नई लाइन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिय गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टूलिप योजना

890. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर लक्षद्वीप द्वीपसमूह में टूलिप (टोटल यूनिटी फॉर लाइवलीहुड इनोवेशन एण्ड प्रोडक्शन) के प्रथम चरण की शुरूआत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जन सेवाओं की सुपुर्दगी को सुगम बनाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल कर्मचारियों तथा निर्धारित भारत निर्माण स्वयंसेवकों के ग्राम आधारित संवर्गों के क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से लैब-टू-लैंड पहल शुरू की है जिसे टूलिप (टोटल यूनिटी फॉर लाइवलीहुड इनोवेशन एण्ड प्रोडक्शन) भी कहा जाता है। पहले चरण में, देश के सभी राज्यों में 79 खंडों में इस पहल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। लक्षद्वीप द्वीपसमूहों सहित सभी संघ राज्य क्षेत्र इस चरण में कवर नहीं किए गए हैं।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार

891. श्री एम.बी. राजेश: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के लिए कोई पुनरुद्धार योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम पर विचार कर ही है है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के संबंध में दिनांक 23.02.2009 को पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया। पुनरुद्धार पैकेज का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार का ब्यौरा	योजना की वर्तमान स्थिति
1	2	3
(i)	बीएचईएल के आईएलके को 30 करोड़ रुपए का मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम, जिसे बीएचईएल के ऑडरों के एवज में आपूर्तियों के माध्यम से 5 वषोद्ध में समान किस्तों में वापस किया जाएगा। इस मोबिलाइजेशन अग्रिम का उपयोग आईएलके द्वारा अपने प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।	बीएचईएल ने अब तक आईएलके के प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण कार्यक्रमों के लिए 3 करोड़ रुदए दिए हैं।
(ii)	2008-09 से लेकर आगामी तीन वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में बीएचईल से आईएलके को 25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम। इस अग्रिम को बीएचईएल के आदेशों के अनुसार की गई आपूर्ति के एवज में उसी वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा।	कार्यान्वित किया गया।
(iii)	नई निविदाओं हेतु निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए पांच वर्ष की अवधि या उद्यम के गठन तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गारंटी शुल्क के अधित्याग के बिना 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी।	20.06.2009 से एक वष्र की अवधि के लिए 20 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी जारी की जा चुकी है। लीड बैंक-एसएसबीजे ने जी-सैक दर और गिरवी खंड की शर्तों के साथ इसे मंजूर कर लिया है।
(iv)	पांच वर्ष की अवधि या संयुक्त उद्यम गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए गारंटी शुल्क में छूट सहित 25 करोड़ रुपए की वर्तमान सरकारी गारंटी को जारी रखना।	कार्यान्वित किया गया।
(v)	कंपनी द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ से बांड (31 दिसम्बर, 2009) के सामान्य विमोचन की तिथि से 3 वर्ष के भीतर विमोच्य 3.5 प्रतिशत प्रिफेरेंस शेयर कैपिटल के रूप में 38.36 करोड़ रुपए का प्रावधान। आईएलके द्वारा इस राशि का प्रयोग 35 करोड़ रुपए के वीआरएस बांड के भुगतान तथा दिसम्बर 2009 में 3.36 करोड़ रुपए के वार्षिक ब्याज के भुगतान के लिए किया जाएगा इन प्रिफेरेंस शेयरों पर लांभाश को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।	सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2009 की स्वीकृति में निधियां जारी की गई तथा इसे दिसम्बर, 2009 में बांड के विमोचन के लिए प्रयोग किया जाएगा।
(vi)	लगभग 100 कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए उपयोग करने हेतु 3.5% विमोच्य योग्य प्रिफेरेंस शेयरों के रूप में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान जिनका 10 वर्षों में विमोचन किया जाएगा। इन प्रिफेरेंस शेयरों पर लाभांश को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा। धनराशि की अगली किस्त पर विचार करने के लिए प्रथम भाग की सफलता के संदर्भ में पैकेज के कार्यान्वियन के एक वर्ष के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।	कार्यान्वित किया गया।

1	2	3
(vii)	31.12.2008 की स्थिति के अनुसार 246.10 करोड़ रुपए के भारत सरकार के ऋण को बट्टे खाते डालना।	कार्यानिव्त किया गया।
(viii)	भारत सरकार के योजना और गैर योजना ऋणों पर 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार 258.2605 करोड़ रुपए के संपूर्ण बकाया ब्याज का अधित्याग और 31.12.2008 के बाद इन पर ब्याज को फ्रीज करना।	कार्यान्वित किया गया।
(ix)	विभिन्न सरकारी एजेंसियों से विभिन्न प्रकार की राहत/ छूट पाने के लिए बीआईएफआर के पास जाने हेतु आईएलके को अनुमति देना।	बीआईएफआर ने 25.2.2010 को हुई अपनी बैठक में कंपनी द्वारा मांगी गई राहतों और छूटों को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इसके बाद राजस्थान सरकार की संबंधित एजेंसियों आदि के साथ इन मुद्दों को उठाया है।
(x)	आईएलके पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन से 3 वर्ष की अवधि में अधिकांश स्टेक सहित सार्वजनिक/निजी सेक्टर के भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम गठित करेगा।	कंपनी से अनुरोध किया गया है कि अपने विकास के लिए भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ/ संभावित सिनर्जी के अलावा अधिकांश शेयर, स्पष्ट स्कोप और मोडलिटी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम के गठन की संभावना का पता लगाएं।
(xi)	तीन शेल कंपनियों अर्थात (1) आईएल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (आईएलपीईएल), जयपुर (2) इंस्ट्रूमेंटेशन डिजीटल कंट्रोल्स लिमिटेड, कोटा (आईडीसीएल) और (3) इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्वस लिमिटेड, पालक्काड, (आईसीवीएल) को बंद करना।	कार्यान्वित किया गया।
(xii)	आईएलके को आईसीवीएल, पालक्काड में धारित 51% इक्विटी के मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रों के पक्ष में विनिवेश के लिए सीसीडी के पूर्ववर्ती निर्णय को बदलने हेतु अनुमति देना क्योंकि इस पुनरुद्धार पैकेज में आईसीवीएल सहितएक संपूर्ण इकाई के रूप में आईएलके का पुनरुद्धार परिकल्पित है।	विनिवेश हेतु पूर्ववर्ती निर्णय को बदलने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन फरवरी, 2009 में दे दिया गया है।
(xiii)	कंपनी के स्वयं के संसाधनों से कंपनी में डीपीई के 1997 के वेतनमानों को लागू करने के लिए अनुमति देना।	कार्यान्वित किया गया।
(xiv)	पुनरुद्धार प्रक्रिया के दौरान तकनीकी जनशक्ति को बरकरार रखने के लिए सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना।	कार्यान्वित किया गया।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, बीएचईएल प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण कार्यक्रमों में आईएल की सहायता करता रहा है।

[हिन्दी]

कापार्ट के अंतर्गत योजनाएं

892. डॉ. संजय सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कांउसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी (कापार्ट) द्वारा उत्तर प्रदेश स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे संबंधित कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा ये योजनाएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं;

(ग) क्या इन योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी कर रही है जिनके माध्यम से ये योजनाएं चलाई जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा तथा जिनके लिए ये संबंधित है, उन कार्य और क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अपंगता योजना के अंतर्गत एक परियोजना में कार्य शुरू हुआ है। कापार्ट का कार्य समीक्षाधीन है। 24 अगस्त, 2009 को कापार्ट की कार्यकारी समिति ने यह निर्णय लिया था कि जब तक कापार्ट के पुनर्गठन और युक्तिकरण का मामला नहीं निपटता तब तक क्षेत्रीय समितियों द्वारा और परियोजना निधि जारी नहीं की जाएगी।

(ङ) कापार्ट ने संस्थागत निगरानीकर्ताओं का पैनल बनाया है जिसके माध्यम से एनजीओ की निगरानी की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा:
वित्तीय वर्ष
2009-10
राज्य
उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	वीओ नाम और पता	क्र.सं.	क्र.सं. फाइल सं. शीर्षक	स्वीकृत राशि स्वीकृति की तारीख जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति 54/42 दरभंगा कैसल एमएलएन रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1.	डीआईएस/यूपीआर/17/1/2007 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसेबल्ड	2431242 22-डिसं.-2009 1160720
2.	सोसाईटी फॉर डेवलपमेंट इनीशिएटिव्स ओल्ड तहसील लेन, वेलजली गंज मिर्जापुर, यू.पी	2.	एचआरडी/यूपीआर/17/1/2006 प्रोजेक्ट प्रोपोजल ऑन वाईपी स्टार्टर, पैकेज	500000 27-जन.-2010 0
3.	ममता ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एस.एस. II-1111 सेक्टर डी एलडीए कॉलोनी, लखनऊ, यू.पी.	3.	पीसी/यूपीआर/17/60/2008 इन्कम जेनरेशन	829400 28 जन. 2010 0

1	2	3	4	5
4.	मैत्रेयी-साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था 40/1 मोती लाल नेहरू रोड	4.	पीसी/यूपीआर/17/61/2008 लाइवलीहुड प्रोमोशन थ्रू फामेशन एंड स्कील अपग्रेडेशन ऑफ एसएचजी	2572680 4-फर.-2010 0

स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा:
वित्तीय वर्ष
2009-10
राज्य
उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	वीओ नाम और पता	क्र.सं.	क्र.सं. फाइल सं. शीर्षक	स्वीकृत राशि स्वीकृति की तारीख जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान 109, अैगोर टाउन, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1.	जीएसएम/यूपीआर/16/4/2010 ग्राम श्री मेला ऐट चित्रकूट	450000 23-जुलाई-2010 0
2.	आधार 117/507, क्यू-ब्लॉक, शारदा नगर-कानपुर, जिला-कानुपर यू.पी.	2.	जीएसएम/यूपीआर/16/1/2010 प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन ग्राम श्री मेला	450000 13 जुलाई 2010 0
3.	शारदा समाजोत्थान एवं शिक्षा समिति 2/180, रुचि खंड, शारदा नगर, ब्लॉक सरोनिजी नगर, जिला-लखनऊ यू.पी.	3.	पीसी/यूपीआर/17/3/2008 ऐडवांस्मेंट ऑफ वीकर ऐक्शन ऑफ रूरल कम्यूनिटी	709087 21 मई 2010 0
4.	बाल महिला एवं ग्राम विकास सेवा समिति 58/300/1बी/1 अयोध्या कूंज, अर्जुन नगर, मेन रोड-आगरा	4.	जीएसएम/यूपीआर/18/11/2010 ग्राम श्री मेला	450000 11-अगस्त 2010 0
5.	गोपाल शिक्षण एंड ग्रामीण विकास संस्थार ग्राम/पो-जौनिहन, जिला-फतेहपुर		जीएसएम/यूपीआर/16/9/2010 प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन ग्राम श्री मेला	450000 26 जुलाई 2010 0
6.	जन जागृति सेवा संस्थान डी.एम. कॉलोनी-सुतरखाना-बांदा जिला-बांदा	6.	जीएसएम/यूपीआर/16/7/2010 प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन ग्राम श्री मेला	450000 26 जुलाई 2010 0
7.	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी 93 अदल सराय कालपी, जालौन	7.	जीएसएम/यूपीआर/16/3/2010 प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन ग्राम श्री मेला	450000 16 अगस्त 2010 0
8.	सैनिक महिला प्रशिक्षण संस्थान जूबली रोड, मोह-पुरदीलपुर, शहर गोरखपुर	8.	जीएसएम/यूपीआर/16/2/2010 टू ऑर्गेनाईज ग्राम ग्राम श्री मेला ऐट फैजाबाद	450000 16 जुलाई 2010 0

1	2	3	4	5
9.	पूर्वांचल विकास संस्थान मोह-खौदयपुरा, पो-सदर, माजीपुर	9.	जीएसएम/यूपीआर/16/8/2010 प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन ग्राम श्री मेला	450000 02 अगस्त-2010 0
10.	कृष्णा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाईजेशन 486/160, लाहौर गंज, डाली गंज लखनऊ	10.	जीएसएम/यूपीआर/166/2010 ग्राम श्री मेला ऐट बरेली	450000 26 जुलाई 2010 26 जुलाई 2010
11.	डॉ. अंबेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति पीतांबरखेड़ा, नियर सी ब्लॉक रेलवे क्रॉसिंग राजाजीपुरम, लखनऊ-17	11.	डीआईएस/यूपीआर/17/6/2008 वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन माइक्रो-इंटरप्राइजेज फॉर फिजीकली चैलेंजड परसन इन 3	2321880 24 जून 2010 0
12.	श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति 26, चर्च लेन-इलाहाबाद	12.	जीएसम/यूपीअर/16/5/2010 ग्राम श्री मेला ऐट इलाहाबाद	450000 26 जुलाई 2010 0
13.	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद धर्मशालाा बाजार गोरखपुर	13.	जीएसएम/यूपीआर/16/10/2010 प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन ग्राम श्री मेला	450000 29 जुलाई 2010 0

[अनुवाद]

अकार्यशील कम्पनियों का पंजीकरण रद्द करना

893. श्रीमती जे. शांता: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी पंजीकृत कम्पनियों की गणना और पहचान की है जो निष्क्रीय और अकार्यशील हैं तथा इसी स्थिति में पिछले 10 वर्षों से हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई संस्थापकों ने इस शाश्वत समस्या से बचने के लिए इन निष्क्रीय कम्पनियों के पंजीकरण को रद्द करने की इच्छा जताई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों को बंद करने के की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार ऐसी कम्पनियों की पहचान निष्क्रिय कम्पनियों के रूप में की जाती है, जिन्होंने लगातार पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से अपनी वार्षिक विवरणी एवं तुलन-पत्र दायर नहीं किया है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) ऐसी कम्पनियां जी 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चत कोई व्यवसायिक गतिविधियां या प्रचालन नहीं कर रही थीं, के लिए मंत्रालय ने दो योजनाओं की घोषणा की थी, नामत:

(i) 'आसान निकासी योजना, 2010' (26.5.2010 से 31.8.2010 तक प्रभावी) एवं

(ii) 'आसान निकासी योजना, 2010' (1.1.2011 से 30.4.2011 तक प्रभावी)

ऐसी कम्पनियां जिन्होंने अपने निगमन के पश्चात् कोई व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है या पिछले एक वर्ष से कोई व्यवसाय नहीं कर रही हैं के सरल निकास हेतु मंत्रालय ने 3.7.2011 से 'त्वरित निकास प्रणाली' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

31 जुलाई, 2011 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों से निष्क्रिय कम्पनियों की राज्य-वार सूची

राज्य	निष्क्रिय कम्पनियां की संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	54

1	2
आंध्र प्रदेश	24055
अरुणाचल प्रदेश	14
असम	275
बिहार	1534
चंडीगढ़	1837
छत्तीसगढ़	276
दादरा नगर हवेली	60
दमन एवं दीव	45
दिल्ली	27972
गोवा	840
गुजरात	11776
हरियाणा	1937
हिमाचल प्रदेश	612
जम्मू एवं कश्मीर	1028
झारखंड	433
कर्नाटक	8669
केरल	2630
लक्षद्वीप	2
मध्य प्रदेश	1546
महाराष्ट्र	35154
मणिपुर	27
मेघालय	33
मिजोरम	6
नागालैंड	37
उड़ीसा	1130
पुडुचेरी	258
पंजाब	4043
राजस्थान	2160
तमिलनाडु	19106
त्रिपुरा	11
उत्तर प्रदेश	5593
उत्तराखंड	355
पश्चिम बंगाल	2431
कुल	155939

मदुरै टर्मिनस

894. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मदुरै टर्मिनल को कोंकण रेलवे में शामिल करने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। मदुरै में एक रेलवे टर्मिनल विकसित करने के लिए सिंहदुर्ग में भूमि की उपलब्धता की पुष्टि राज्य प्रशासन द्वारा कोकण रेलवे को दे दी है।

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

895. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का संकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान समुदाय-वार और विभाग/पीएसयू-वार सरकारी विभागों/पीएसयू में नियोजित अल्पसंख्यकों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) 8 जनवरी, 2007 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अल्पसंख्यकों की भर्ती में प्रगति की निगरानी करने के अनुदेशों सहित मार्ग-निर्देश जारी किय गये हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय-वार आकड़ा तो एकत्र नहीं किया जताा है, बल्कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधीन जिन पांच अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया गया है, उनके समग्र रूप में आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। 2006-07 से 2009-10 तक प्रमुख श्रेणियों के मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती किये गये अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध व्यक्तियों की संख्या संलगन विवरण में दी गयी है। विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

विवरण

संगठन का नाम	2006-07 (70 मंत्रालय/ विभाग + 138 सरकारी क्षेत्र उपक्रम) भर्ती अल्पसंख्यकों की संख्या	2007-08 (61 मंत्रालय/ विभाग + 126 सरकारी क्षेत्र उपक्रम) भर्ती अल्पसंख्यकों की संख्या	2008-09 (61 मंत्रालय/ विभाग + 161 सरकारी क्षेत्र उपक्रम) भर्ती अल्पसंख्यकों की संख्या	2009-10 (68 मंत्रालय/ विभाग + 166 सरकारी क्षेत्र उपक्रम) भर्ती अल्पसंख्यकों की संख्या
अन्य मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय	5485	1620	2593	1339
सरकारी क्षेत्र के बैंक व वित्तीय संस्थान	702	1615	4263	2930
अर्ध-सैनिक बल	2700	4914	3098	2682
डाक	386	517	176	617
रेलवे	1456	2295	2739	1705
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1453	1234	2107	1322
कुल	12182	12195	14946	10595

निजता विधेयक

896. श्री जोस के. मणि:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजता का अधिकार विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विधेयक को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है; और

(घ) अपराध हेतु प्रारूप विधेयक में किन मुख्य प्रावधानों को शामिल किया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के प्रश्न पत्रों का लीक होना

897. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलवे भर्ती बोर्ड (आआरबी) के प्रश्न पत्रों के बार-बार लीक होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र बार-बार लीक नहीं हो रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल मंत्रालय ने अगस्त, 2010 में रेल भर्ती बोर्डों द्वारा परीक्षाओं की प्रणाली का तकनीकी ऑडिट करवाया है ओर परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्रों के मुद्रण, परिवहन, भंडारण और वितरण की प्रणाली में आवश्यक बदलाव कर इस प्रणाली को फुलप्रूफ बनाया गया है ताकि प्रश्न-पत्रों को लीक होने से रोका जा सके।

[हिन्दी]

अंतर-राज्यीय जल विवाद

898. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत जल विवाद न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक न्यायाधिकरण द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी जल विवादों के लिए समेकित जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पंछी आयोग ने जल विवादों पर कुछ सिफारिशें की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसकी सिफारिशें लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) अन्तर-राज्यीय नदी जल विवाद (आइएसआरडब्ल्यूडी) अधि नियम, 1956 के अन्तर्गत विद्यमान अन्तर-राज्यीय जल विवाद अधि करणों के नाम और पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष		
		2008-09	2009-10	2010-11
1.	रावी एवं ब्यास जल अधिकरण	82.66	117.27	83.45
2.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	141.15	215.42	223.84
3.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	144.70	178.44	166.77
4.	वंसधारा जल विवाद अधिकरण	-	-	54.97
5.	महादायी जल विवाद अधिकरण	-	-	8.45

(ख) और (ग) सभी अन्तर-राज्यीय नदी जल विवादों के लिए एक स्थायी अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव अभी संकल्पना चरण में है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्र-राज्य संबंधों पर पंछी आयोग ने जल विवादों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(i) अधिकरण एक बहुआयामी निकाय होना चाहिए जिसका अध्यक्ष न्यायाधीश (जज) हो।

(ii) इसे अधिकाधिक सहभागिता तथा समाधानपरक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

(iii) अधिनियम में स्पष्टीकरण संबंधी अथवा अनुपूरक आदेशों के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने को अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए; और दीर्घकाल में, अधिकरण के संदर्भ को ऐसे अन्तर-राज्यीय नदी बोर्डों के गठन के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो अन्तर-राज्यीय नदियों के लिए समेकित वाटरशेड दृष्टिकोण रखते हों।

(iv) शुरूआत करने वाले पक्ष को नदी बोर्ड का समक्ष अपनी शिकायतों के निवारण हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख करना चाहिए।

(v) भारत सरकार को बोर्ड के समक्ष रखे गए अपने पक्ष का उल्लेख करना चाहिए और यदि बोर्ड का गठन नहीं किया गया है तो उसके गठन न करने के कारणों के साथ-साथ यदि बोर्ड गठन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो उसकी संभावित समय-सीमा का उल्लेख करना चाहिए।

केन्द्र राज्य संबंधों के पंछी आयोग की ये सिफारिशें अंतर-राज्यीय परिषद के विचाराधीन हैं।

गुजरात में पी.सी.पी.आई.आर. स्थापित करना

889. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भरूच, मेहसाणा, सूरत और राजकोट में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) स्थापित करने संबंधी गुजरात राज्य के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों में पी.सी.पी.आई.आर. स्थापित करने के लिए सकरार क्या प्रदान की जानेवाली तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्यथा सहायता का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) केन्द्र सरकार ने भरूच जिले के दाहेज में पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) पी.सी.आई.आर. भरूच जिले के वाग्रा और भरूच ब्लॉक तक फैला होगा यह 453 वर्ग किमी (186 वर्ग कि.मी. प्रसंस्करण क्षेत्र एवं 267 वर्ग कि.मी. गैर-प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए) क्षेत्र में फैला होगा।

(ग) केन्द्र सरकार अर्थक्षम अंतर निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास के लिए रुपए 80.5 करोड़ प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

गुजरात हेतु नयी रेलगाड़ी

900. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़ियाः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से वंसलिया-जेतलसार के बीच नयी रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वंशजलिया-जेतलसर खंड पर गाड़ी चलाने के लिए माननीय संसद सदस्यों/मंत्रियों/संगठनों/संस्थाओं/विभिन्न राज्यों सरकारें, जिसमें गुजरात भी शामिल है, से रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जेतलसर-वंशजलिया के रास्ते 19571/19572 पोरबंदर-राजकोक एक्सप्रेस को दिनांक 1.07.2011 से सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर प्रतिदिन में बढ़ा दिया गय है। इसके अलावा, 2011-12 के दौरान, राजकोट-जेतलसर-वंशजलिया के रास्ते 12949/12450 पोरबंदर-संतरागाछी कवि गुरू एक्सप्रेस (सप्ताहिक), राजकोट-वंशजलिया के रास्ते 19261/19262 पोरबंदर-कोचुवेली एक्सप्रेस (सप्ताहिक) और जेतलसर-वंशजलिया के रास्ते 59297/29298 पोरबंदर-वेरावल पैसेंजअर गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में आमान परिवर्तन

901. श्री बदरुद्दीन अजमलः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत रंगिया-मुर्कोंगचेलेक मार्ग का आमान परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तर्वमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण इस मार्ग का आमान परिवर्तन प्रभावित हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो बोगीबील पुल के निर्माण और उक्त मार्ग के आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रंगिया-मुर्कोंगसेलेक (510.33 किमी.) खंड का आमान परिवर्तन एक स्वीकृत राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना के संपूर्ण खंड में, भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों और रेल पथ संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं और कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इस खंड के रंगिया-रंगपाड़ा नार्थ (123.6 किमी.) खंड को मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

902. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन को व्यापक बनाकर इसके अंतर्गत लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों, विशेषकर मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है; और

(ग) इस योजना से मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है और अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2011 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 से 64 आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के 11.66 लाख लाभार्थियों सहित देश में आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत 1.71 करोड़ लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पात्रता की आयु को 65 वर्ष से 60 वर्ष तक कम कर देने के कारण, यह अनुमान है कि मध्य प्रदेश के लगभग 5.90 लाख व्यक्तियों सहित 72.29 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को आईजीएनओएपीएस का लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

सड़क निर्माण के कारण वृक्षों का काटा जाना

903. श्री वरुण गांधी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड में शिरोय गांव से जिंगपुई/मापुम गांवों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चालू ग्राम सड़क निर्माण कार्य के कारण अंधाधुंध तरीके से वृक्षों को काटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण हेतु कितने वृक्षों को काटा गया; और

(ग) काटे गए वृक्षों के स्थान पर सरकार द्वारा कितने पौधे लगाए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत प्रविष्टि 13 के अनुसार "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के निर्माण के जरिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक बार की विशेष पहल है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों और मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में इस बात की भी परिकल्पना की गई है कि प्रस्तावित सड़क कार्य शुरू करने के लिए भूमि उपलब्ध हो। नागालैंड और मणिपुर की राजय सरकरों से प्राप्त उत्तरों के अनुसार शिरोही से चिंगशुल वाया मापुम तक पीएमजीएसवाई सड़क मणिपुर में है। मणिपुर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उपर्युक्त 30 किमी. सड़क के निर्माण के दौरान वृक्षों की अंधाधुंध कटाई नहीं की गई थी और यह दावा किया था कि औसतन 30 सेमी. का घेरा वाले 20-25 वृक्ष, जिन्हें सड़क के सरेखन की वजह से बचाया नहीं जा सकता था, काटे गए थे। राज्य से मामले की जांच पड़ताल करने और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारों ने काटे गए पेड़ों के स्थान पर अब तक कोई नया पौधा नहीं लगाया है।

उद्वहन सिंचाई हेतु योजना

904. श्री रामसिंह राठवा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों को अपनी दूसरी फसल उगा पाने में समर्थ बनाने और देश में अनाज की कमी

को पूरा करने हेतु पहाड़ियों से गिरने वाले बारहमासी जल का उपयोग करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और निधियन राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

भारत सरकार ने अभी तक ऐसी कोई स्मीक शुरू नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार वृहद/मध्यम और सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत सहायता उपलब्ध कराती है। जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के कार्य लागत की 90% की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

मतदाता-पहचान-पत्र

905. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी मतदाताओं को फोटो वाले मतदाता पहचान-पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार जिले-वार और राज्य-वार कितने मतदाताओं को फोटो वाले मतदाता पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) इस पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) ऐसे मतदाताओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है जिन्हें मतदाता पहचान-पत्र नहीं मिले हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्धारित समय सीमा में फोटो मतदाता पहचान-पत्र तैयार करने और प्रत्येक मतदाता को पहचान-पत्र जारी करने हेतु सख्त नियम बनाने/सख्त कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) 656289725। तारीख 3.5.2011 को राज्यवार ब्यौरे विवरण-I पर संलग्न है।

(ग) इस संबंध में व्यय को, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है। 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए व्यय के केंद्रीय सरकार के अंश को विवरण-II के रूप में संलग्न किया गया है।

(घ) 72420462। तारीख 3.5.2011 को राज्यवार ब्यौरे विवरण-I पर संलग्न है।

(ङ) और (च) भारत निर्वाचन आयोग ने कथन किया है कि सभी शेष मतदाताओं को यथासंभवशीघ्र मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

विवरण-I

2011, में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	साधारण निर्वाचकों की कुल संख्या 2011	जारी किए गए इलैक्ट्रानिक फोटो पहचान पत्र की कुल सुख्या	उन मतदाताअें की संख्या, जिनको इलैक्ट्रानिक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं	इलैक्ट्रानिक फोटो पहचान पत्र का प्रतिशतता	निवासी मतदाताओं की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	56951394	55608397	1342997	97.64	2.36
2.	अरूणाचल प्रदेश	718244	699526	18718	97.39	2.61
3.	असम	18145914	0	18145914	0.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	55675731	49341212	6334519	88.62	11.38
5.	छत्तीसगढ़	15421984	13313121	2108863	86.33	13.67
6.	गोवा	1036770	886280	150490	85.48	14.52
7.	गुजरात	37791422	35989798	1801624	95.23	4.77
8.	हरियाणा	13249421	13249421	0	100.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4445473	4380993	64480	98.55	1.45
10.	जम्मू और कश्मीर	6600921	3732686	2868235	56.55	43.45
11.	झारखंड	18332157	15194499	3137658	82.88	17.12
12.	कर्नाटक	42130589	37557147	4573442	89.14	10.86
13.	केरल	22878767	22878767	0	100.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	39011723	38232140	779583	98.00	2.00
15.	महाराष्ट्र	77223846	63069053	14154793	81.67	18.03
16.	मणिपुर	1693147	1545316	147831	91.27	8.73
17.	मेघालय	1316201	1316201	0	100.00	0.00
18.	मिजोरम	640754	615208	25546	96.01	3.99
19.	नागालैंड	1338559	561603	776956	41.96	58.04
20.	उड़ीसा	28093930	24960311	3133619	88.85	11.15
21.	पंजाब	16712794	165367	181027	98.92	1.08
22.	राजस्थान	37421068	35755848	1665220	95.55	4.45
23.	सिक्किम	314257	314257	0	100.00	0.00
24.	तमिलनाडु	45950620	45902511	48109	99.90	0.10
25.	त्रिपुरा	2186132	2186132	0	100.00	0.00
26.	उत्तराखंड	5893353	5851014	42239	99.28	0.72
27.	उत्तर प्रदेश	108432526	100768248	7664278	92.93	7.07
28.	पश्चिम बंगाल	56091973	53592942	2499031	95.54	4.46
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	264906	196363	68543	74.13	25.87
30.	चंडीगढ़	505026	504258	768	99.85	0.15

1	2	3	4	5	6	7
31.	दादर और नगर हवेली	99907	84171	15736	84.25	15.75
32.	दमन औद दीव	176346	145804	30542	82.68	17.32
33.	दिल्ली	11114029	10474956	639093	94.25	5.75
34.	लक्षद्वीप	45279	44651	628	98.61	1.39
35.	पुदुचेरी	805124	805124	0	100.00	0.00
	कुल	728710187	656289725	72420462	90.06	9.94

विवरण-II

वर्ष 2010-2011 के दौरान विभिन्न राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई रकम

रुपए आंकडों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मतदाताओं को फोटो पचाहन पत्र के जारी करने के लिए लघु शीर्ष 108 के अधनी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जारी की गई रकम
1	2
आंध्र प्रदेश	144253000
अरुणाचल प्रदेश	14330000
असम	125000000
छत्तीसगढ़	25000000
दिल्ली	31176000
बिहार	100500000
गोवा	27692000
गुजरात	25000000
हरियाणा	10300000
हिमाचल प्रदेश	867000
जम्मू-कश्मीर	0
झारखंड	20100000
कर्नाटक	0
केरल	39362000
मध्य प्रदेश	167500000
महाराष्ट्र	399428000
मणिपुर	2500000
मेघालय	13753000
मिजोरम	1625000
नागालैंड	0
उड़ीसा	175000
पुडुचेरी	0
पंजाब	0
राजस्थान	15400000
सिक्किम	2500000
तमिलनाडु	51713000
त्रिपुरा	234000
उत्तर प्रदेश	0
पश्चिम बंगाल	0
उत्तराखंड	50000000
कुल	1285733000

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री के नए पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा

906. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
डॉ. ज्योति मिर्धा:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री प्रभात सिंह पी. चौहान:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया सरकार ने प्रधानमंत्री के नए पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालूवर्ष के दौरान देश में विशेषकर गुजरात और मध्य प्रदेश में रोजगार के राज्य-वार कितने अवसर सृजित हुए: और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। जैसाकि नये कार्यक्रम में व्यवस्था दी गयी है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की सरकार द्वारा अर्थवार्षिक आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) रोजगार के अवसरों के सृजन के संबंध में 15 सूत्रीय कार्यक्रम में जो स्कीमें शामिल की गयी हैं, वे हैं–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्राथतिमकता क्षेत्र ऋण, जिसके अंतर्गत 15% राशि प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यकों के लिए विनिर्धारित की जाती है और ये स्कीमें क्रमश: आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जती हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) नामक एक संगठन है, जो अल्पसंख्यकों के लिए आय और स्वरोजगार सृजित करने हेतु ऋण स्कीमों का संचालन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों सहित इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां और वर्तमान वर्ष के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण-I (स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना), विवरण-II (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना), विवरण-III (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) और विवरण-IV (एनएमडीएफसी) के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए अल्पसंख्यक समुदायों हेतु स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना का वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(करोड. रुपए में)

		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-12	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.001	0	0.0009	0.00	0.001	0	0	
2.	आंध्र प्रदेश	3.0689	0.16	2.998	3.1659	3.3144	36.46	3.33	
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.0017	0	0.0017	0.00	0.0018	0	0	
4.	असम	0.1039	0	0.1015	0	0.1122	0	0.1154	
5.	बिहार	1.4195	0	1.3867	0.00	1.5331	0.626	1.5403	
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.0072	0.1008	0.0087	
7.	छत्तीसगढ़	0.3094	0.0767	0.3022	0.41	0.3341	1.5363	0.3357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	
9.	दमन और दीव	0.004	0	0.0004	0	0.0005	0	0	
10.	दिल्ली	0.5395	0	0.527	0.00	0.5827	0.0633	0.5854	
11.	गोवा	0.0409	0	0.0399	0	0.041	0	0.0443	
12.	गुजरात	1.1638	0.3237	1.137	0.5685	1.257	0.0722	1.2629	
13.	हरियाणा	0.0394	0.3299	0.0385	0.2862	0.0426	0.5914	0.0428	
14.	हिमाचल प्रदेश	0.0055	0.0012	0.0054	0	0.0059	0.0062	0.006	
15.	जम्मू और कश्मीर	0.0015	0	0.0014	0.00	0.0016	0	0	
16.	झारखंड	0.8849	0	0.8645	0	0.9557	0.4437	0.9602	
17.	कर्नाटक	2.8586	3.387	2.7926	2.7926	3.0847	3.0668	3.1019	
18.	केरल	1.3591	0.8303	1.3277	1.6326	1.4679	1.6326	1.4748	
19.	मध्य प्रदेश	2.1568	0.93	2.107	2.4473	2.3294	3.3769	2.3404	
20.	महाराष्ट्र	6.0977	9.6886	5.9569	2.2864	6.5857	3.8247	6.6167	
21.	मणिपुर	0	0.0977	0	0.79	0	0.0148	0	
22.	उड़ीसा	0.5057	0	0.494	0.1958	0.5482	0.6083	0.5487	
23.	पुडुचेरी	0.0379	0.005	0.037	0.0254	0.0409	0.0045	0.0411	
24.	राजस्थान	1.1743	0	1.1472	0	1.2683	1.5275	1.2742	
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0.0214	0	
26.	तमिलनाडु	2.1158	0	2.0669	0.3192	2.2851	1.8055	2.2958	
27.	त्रिपुरा	0.0007	0	0.0007	0.00	0.0008	0.04	0	
28.	उत्तर प्रदेश	8.6174	0	8.4184	0	9.307	5.691	9.3508	
29.	उत्तराखंड	0.3143	0	0.307	0.7389	0.3394	0.412	0.3426	
30.	पश्चिम बंगाल	1.3975	0.9862	1.3652	1.9775	1.5094	1.8464	1.5165	
31.	मेघालय	0	0.0032	0	0.00	0	0	0	
32.	मिजोरम	0	0	0	0.00	0	0.2	0	
33.	नागालैंड	0	0	0	0.00	0	0	0	
34.	पंजाब	0.0336	0.0142	0.0328	0.00	0.0363	0	0.0365	
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0	0	
	योग	34.2487	16.8292	33.4576	17.64	36.996	30.9725	37.1717	

विवरण-II

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए अल्पसंख्यक समुदायों हेतु स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना की वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़. रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (मई तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार	25	0	25	0	26	15	25	12
2.	आंध्र प्रदेश	14040	19708	14759	8947	17546	10838	15862	39
3.	अरुणाचल प्रदेश	732	0	642	0	806	0	782	0
4.	असम	19031	31938	16663	34297	20945	42329	20313	3035
5.	बिहार	33400	14914	35109	16839	41740	20800	37735	766
6.	चंडीगढ़	0	0	0	656		581	0	0
7.	छत्तीसगढ़	7417	735	7797	741	9272	0	8383	10
8.	दादरा और नगर हवेली	25	0	25		26	0	25	0
9.	दमन और दीव	25	0	25	0	26	0	25	0
10.	दिल्ली	0	0	0			0	0	0
11.	गोवा	165	73	215	17	284	18	284	0
12.	गुजरात	5285	2121	5555	3262	6605	2959	5970	137
13.	हरियाणा	3109	2386	3269	2269	3885	4230	3514	98
14.	हिमाचल प्रदेश	1309	555	1376	251	1635	427	1479	2
15.	जम्मू और कश्मीर	12594	6513	13239	6740	15740	7007	14228	282
16.	झारखंड	10602	11454	11144	8664	13249	10869	11979	12
17.	कर्नाटक	4757	8017	5001	6104	5945	8887	5375	29
18.	केरल	15896	6134	16708	9845	19861	10120	17957	43
19.	मध्य प्रदेश	20959	20492	22030	11581	26191	15216	23678	229
20.	महाराष्ट्र	1276	1206	1117	0	1405	0	1362	0
21.	मणिपुर	16058	4714	16882	3453	20070	5973	18144	0
22.	उड़ीसा	198	62	254	48	315	13	285	0
23.	पुडुचेरी	8051	3570	8463	3367	10061	6546	9096	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	राजस्थान	366	607	320	450	403	366	392	0
25.	सिक्किम	12415	16108	13051	12828	15515	26543	14027	0
26.	तमिलनाडु	2304	2699	2107	674	2535	2107	2459	1
27.	त्रिपुरा	48085	48220	50546	32020	60092	45514	54328	2504
28.	उत्तर प्रदेश	2532	979	17738	2661	3164	1068	2861	54
29.	उत्तराखंड	17846	68094	18761	11622	22304	17805	20163	1673
30.	पश्चिम बंगाल	1621	88	1704	161	2025	24	1831	5
31.	मेघालय	1429	190	1252	90	1574	222	1525	0
32.	मिजोरम	331	0	290	76	364	87	353	0
33.	नागालैंड	981	3205	858	105	1079	0	1046	0
34.	पंजाब	1511	339	1589	1807	1887	3661	1707	21
35.	लक्षद्वीप	25	0	25	0	26	0	25	0
	योग	264400	275121	288539	179575	326601	244225	297218	8952

विवरण-III

वित्त मंत्रालय

वित्त सेवा विभाग

अल्पसंख्यकों के लिए राज्य-वार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और बकायों की तिमाही प्रगति

(करोड़. रुपए में)

		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-12	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार	35.01	47.62	55.76	103.61	38.02	120.74	135.49	
2.	आंध्र प्रदेश	6072.51	6470.41	11115.95	9149.47	14776.5	10679.9	15571.84	
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.87	66.3	70.64	140.25	87.15	145.51	111.98	
4.	असम	1063.08	751.46	1329.01	1924.55	1557.25	2106.50	1894.9	
5.	बिहार	1507.77	1056.19	1790.25	1426.53	2212.9	2387.64	2984.7	
6.	चंडीगढ़	1039.29	713.51	1213.98	1277.25	2064.41	1531.68	2164.9	
7.	छत्तीसगढ़	760.67	658.39	1144.61	584.39	914.88	687.11	1127.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दादरा एवं नगर हवेली	10.47	7.11	18.87	4.85	15.2	6.12	20.37	
9.	दमन और दीव	3.4	2.63	19.99	9.75	17.01	12.03	21.11	
10.	दिल्ली	3247.04	2601.77	5981.87	3165.29	6659.1	2980.31	5827.82	
11.	गोवा	668.22	676.84	1033.39	782.12	1010.06	1011.28	1216.53	
12.	गुजरात	2221.96	1274.31	5341.21	1860.81	4689.73	2658.39	5497.36	
13.	हरियाणा	2715.83	2309.00	4160.16	3760.11	5468.74	4520.12	6841.45	
14.	हिमाचल प्रदेश	441.45	400.41	753.96	926.75	1458.77	680.13	1122.71	
15.	जम्मू और कश्मीर	1208.00	940.13	1300.16	1177.13	1563.41	1590.79	2054.61	
16.	झारखंड	5729.59	5738.76	9959.62	7031.87	9485.23	8270.14	12430	
17.	कर्नाटक	11766.28	11905.84	11298.34	15106.13	16704.27	21539.13	20847.27	
18.	केरल	2916.77	2623.40	4968.33	3160.71	4463.95	3638.51	5653.52	
19.	मध्य प्रदेश	6045.13	5572.50	17139.84	8655.43	19455.79	12085.74	20406.65	
20.	महाराष्ट्र	85.54	54.29	90.75	216.12	117.52	219.82	118.76	
21.	मणिपुर	1544.09	1270.67	2083.81	1695.11	2099.44	1917.27	2333.81	
22.	उड़ीसा	120.61	128.77	184.67	184.78	255.77	242.78	331.97	
23.	पुडुचेरी	2457.31	2117.78	4630.00	2699.72	5208.38	3412.01	5182.29	
24.	राजस्थान	135.44	241.71	173.73	311.17	153.78	346.16	388.42	
25.	सिक्किम	7816.05	7657.68	11892.93	10276.65	14908.11	12893.8	16954.02	
26.	तमिलनाडु	69.97	69.97	104.83	271.8	132.65	281.72	151.48	
27.	त्रिपुरा	7579.57	7477.53	10262	9850.54	13543.05	12467.34	15085.86	
28.	उत्तर प्रदेश	1316.34	853.71	1339.52	1181.23	1529.55	1636.27	2129.98	
29.	उत्तराखंड	4550.44	4487.34	6387.26	5687.76	6553.96	6619.15	9197.26	
30.	पश्चिम बंगाल	877.74	899.39	546.05	580.93	777.71	1061.15	1433.26	
31.	मेघालय	174.18	195.31	243.01	654.14	257.52	695.39	301.75	
32.	मिजोरम	129.52	140.18	151.31	664.82	183.7	629.79	161.64	
33.	नागालैंड	127.68	151.20	133.07	433.63	177.36	440.66	169.52	
34.	पंजाब	12248.64	13280.83	13520.2	16660.57	17365.66	23848.57	24256.67	
35.	लक्षद्वीप	30.55	22.41	23.35	42.55	10.04	33.03	35.7	
	योग	86774.00	82864.65	130462.43	111658.52	155916.57	143396.70	184162.94	

विवरण-IV

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष में सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या और खर्च की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

		खर्च की गई निधियां						संवितरित निधियां
		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-12 (31.7.2011 तक)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रु. में)	लाभ लाभार्थी	राशि (लाख रु. में)	लाभ लाभार्थी	राशि (लाख रु. में)	लाभ लाभार्थी	राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	47.25	637	45.00	704	0.00	0	
2.	असम	0.00	0	12.42	230	0.00	0	
3.	बिहार	904.50	3357	4.50	60	453.89	1098	
4.	चंडीगढ़	2.00	4	6.00	14	4.00	9	
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	100.00	222	0.00	0	
6.	दिल्ली	17.00	34	45.25	158	1.25	3	
7.	गुजरात	300.00	1009	314.33	957	0.00	0	
8.	हिमाचल प्रदेश	75.00	202	230.00	511	115.00	255	70.00
9.	हरियाणा	359.00	777	625.02	1389	0.00	0	
10.	जम्मू और कश्मीर	420.00	1641	560.00	2272	583.00	1295	300.00
11.	झारखंड	61.2	150	0.00	0	0.00	0	
12.	केरल	4,229.50	14729	5,183.50	31010	6,059.91	41950	2,000.00
13.	कर्नाटक	450.00	1426	267.74	1246	0.00	0	
14.	महाराष्ट्र	500.00	1000	500.00	1111	1,040.00	2311	
15.	मणिपुर	1.80	20	0.00	0	0.00	0	
16.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
17.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
18.	मिजोरम	300.00	910	309.81	790	129.00	287	
19.	नागालैंड	500.00	1836	1,060.00	2870	451.00	2029	100.00
20.	उड़ीसा	27.00	232	38.25	553	0.00	0	
21.	पुडुचेरी	100.00	303	200.00	1061	200.00	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	पंजाब	400.00	1628	469.64	1044	907.07	2015	
23.	राजस्थान	100.00	205	302.25	692	312.61	694	
24.	तमिलनाडु	965.25	8039	2,134.55	16439	917.01	8430	
25.	त्रिपुरा	50.00	206	96.00	213	100.00	222	50.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	5.40	24	
27.	उत्तराखंड	0.00	0	20.00	45	0.00	0	
28.	पश्चिम बंगाल	3,214.49	12406	6,606.75	36320	8,128.00	67683	1,000.00
	योग	13,023.99	50901	19,131.01	99911	19,407.14	128748	3,520.00

शेल गैस भंडार

907. **श्री जगदंबिका पाल:** क्या **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शेल गैस भंडार का स्थान-वार अनुमान क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शेल गैस की प्रभावी खोज हेतु कोई नीति निर्धारित की है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने शेल गेस की खोज और विपणन में रुचि व्यक्त की है;

(घ) देश में शेल गेस का वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(ङ) ग्यारहवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने शेल गैस संसाधनों के क्षमता की दृष्टि से संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और इनके अन्वेषण और संदोहन हेतु एक नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में शेल गैस भंडार का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कोल इंडिया लि. से उनकी शेल गैस के अन्वेषण और विपणन में भागीदारी के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में देश में शेल गैस का उत्पादन नहीं होता है और 11वीं योजनावधि के लिए शेल गैस उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

908. **श्री मंगनीलाल मंडल:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है जिसके कारण देश में क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है; और

(धा) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां। वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 24,143 रुपये थी। यह वर्ष 2010-11 में 54,835 रुपये हो गई है, जो कि 120% से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।

(ख) 2004-05 से 2009-10 तक के वर्षों के लिए वर्तमान मूल्यों पर राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा संकलित एवं

प्रदत्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति आय (कारक लागत पर निपल राज्य घरेलू उत्पाद) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कई राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से भी अधिक है। तथापि देश के राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के बीच जो क्षेत्रीय असंतुलन एवं असमानता है, वह मुख्यतया प्रारंभिक परिस्थितियों में ऐतिहासिक भिन्नता, प्राकृतिक संसाधन संपन्नता, औद्योगिकीकरण के स्तर तथा मानव पूंजी संकेतकों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि में भिन्नता की वजह से है। प्रति व्यक्ति आय केवल असमानता का सूचक है, यह कारण नहीं है।

(घ) सरकार संतुलित तरीके से राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठा रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (ईएफपीवाई) में राज्यों तथा राज्यों के अंतर्गत क्षेत्रों में पाई जाने वाली असमानता को संज्ञान में लिया गया है। भारत में विकासात्मक नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना और संतुलित तरीके से देश के आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाना है। असमानता में कमी लाने की दृष्टि से, ईएफपीवाई के अंतर्गत 27 राष्ट्रीय लक्ष्यों में से 13 लक्ष्यों की निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। इस संबंध में नीतिगत साधनों में अल्प विकसित राज्यों को वरीयता देते हुए केंद्र से राज्यों को संसाधनों का योजना तथा गैर-योजनागत अंतरण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगों की स्थापना के लिए कर संबंधी रियायतें आदि शामिल है। राज्यों के बीच आय संबंधी असमानता को कम करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं इनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम आदि शामिल है।

विवरण

विवरणी-वर्तमान मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद की निवल प्रति व्यक्ति आय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	25321	28539	33135	39727	45007	51025	60458
2.	अरुणाचल प्रदेश	27719	29473	31840	36697	43445	51405	उ.न.
3.	असम	16782	18396	19737	21290	24195	27197	30413
4.	बिहार	7914	8341	10249	11589	14629	16715	20069
5.	झारखंड	18510	18326	19789	24789	24865	27132	29786
6.	गोवा	26426	85299	94512	107311	119273	132719	उ.न.
7.	गुजरात	32021	37780	43395	50016	55140	63961	उ.न.
8.	हरियाणा	37842	42133	49892	58090	67757	78781	92327
9.	हिमालच प्रदेश	32564	35850	38931	42076	46019	50365	58493
10.	जम्मू व कश्मीर	21314	22813	24443	26285	28332	30582	33056
11.	कर्नाटक	26804	31166	35969	42345	47604	52097	59763
12.	केरल	31871	36276	40419	45700	52012	59179	उ.न.
13.	मध्य प्रदेश	15442	16631	19028	20935	23757	27250	उ.न.
14.	छत्तीसगढ़	18559	20117	24800	29385	34360	38059	44097
15.	महाराष्ट्र	35915	41624	49568	57218	62454	74027	83471
16.	मणिपुर	18640	20395	21419	23093	24773	27332	29684

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मेघालय	24086	26284	30952	34321	40628	43555	48383
18.	मिजोरम	24662	26698	28764	32488	38582	45982	उ.न.
19.	नागालैंड	30271	33792	36568	39985	45353	उ.न.	उ.न.
20.	उड़ीसा	17380	18618	21980	27560	30121	33226	36923
21.	पंजाब	33103	36142	41740	49195	54633	60746	67473
22.	राजस्थान	18565	20275	24055	26882	30592	34042	39967
23.	सिक्किम	26693	30256	32203	36452	46989	68731	81159
24.	तमिलनाडु	30062	35243	42288	47606	54140	63547	72993
25.	त्रिपुरा	24394	26668	29081	311111	33350	35799	38493
26.	उत्तर प्रदेश	12950	14222	15998	17786	20342	23395	26051
27.	उत्तराखंड	24726	29423	35111	42619	50674	59584	68292
28.	पश्चिम बंगाल	22649	24720	27823	31567	35513	41219	उ.न.
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40921	44754	53778	61430	69186	74340	उ.न.
30.	चंडीगढ़	74173	84993	97568	102980	108486	118136	128634
31.	दिल्ली	64560	68933	78741	89212	101381	116886	135814
32.	पुडुचेरी	48302	67205	68673	74201	79306	88158	98719
	अखिल भारत	24143	27123	31198	35820	40605	46492	54835

उ.न. – उपलब्ध नहीं

स्रोत: क्रम सं. 1-32 –संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

विमान ईंधन का मूल्य

909. श्री सी.आर.पाटिल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों ने विमान ईंधन के मूल्य में पुनः वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी सरकारी तेल कंपनियां अक्टूबर, 2010 से आज तक (अर्थात् जुलाई 2011 तक) विमान ईंधन में निरंतर वृद्धि कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा विमान ईंधन के मूल्य में अब तक की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) 01.04.2001 से विमान ईंधन (एटीएफ) का मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ावों के अनुसार आवधिक रूप से एटीएफ के मूल्य में संशोधन करती हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, बिक्री कर पूर्व, दिल्ली में किए गए मल्य संशोधनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2008-09

अवधि	मूलय (रुपए प्रति किलोलीटर)	वृद्धि/(कमी) (रुपए प्रति किलोलीटर)
1-अप्रैल-08	44424.42	
1-मई-08	48656.60	4232.18
1-जून-08	57689.23	9032.63
5-जून-08	55188.89	(2500.34)
1-जुलाई-08	57580.99	2392.10
1-अगस्त-08	59190.22	1609.23
1-सितंबर-08	49708.39	(9481.82)
1-अक्टूबर-08	47039.83	(2668.56)
1-नवंबर-08	39181.61	(7858.22)
4-नवंबर-08	37471.42	(1710.19)
16-नवंबर-08	32817.10	(4654.32)
1-दिसंबर-08	30749.71	(2067.38)
16-दिसंबर-08	27242.74	(3506.98)
1-जनवरी-09	25381.01	(1861.73)
16-जनवरी-09	26246.93	865.92
1-फरवरी-09	25240.30	(1006.63)
16-फरवरी-09	24298.61	(941.69)
1-मार्च-09	22588.42	(1710.19)
16-मार्च-09	22729.13	140.71

वित्तीय वर्ष 2009-10

अवधि	मूलय (रुपए प्रति किलोलीटर)	वृद्धि/(कमी) (रुपए प्रति किलोलीटर)
1	2	3
1-अप्रैल-09	24938.31	2209.18
16-अप्रैल-09	26605.20	1666.90
1-मई-09	26345.43	(259.78)
16-मई-09	26832.51	487.08
1-जून-09	26919.10	86.59
16-जून-09	30209.59	3290.50
1-जुलाई-09	32132.72	1923.12
16-जुलाई-09	30281.81	(1850.90)
1-अगस्त-09	30768.89	487.08
16-अगस्त-09	32154.37	1385.47
1-सितंबर-09	32598.15	443.78
16-सितंबर-09	31580.69	(1017.46)
1-अक्टूबर-09	30903.75	(676.95)
16-अक्टूबर-09	30156.89	(746.86)
1-नवंबर-09	32895.36	2738.47
16-नवंबर-09	33685.52	790.15
1-दिसंबर-09	33306.68	(378.84)
15-दिसंबर-09	33318.74	12.07
16-दिसंबर-09	32777.54	(541.20)
1-जनवरी-10	32247.17	(530.38)
16-जनवरी-10	34347.02	2099.86
1-फरवरी-10	32463.65	(1883.38)
16-फरवरी-10	31651.85	(811.80)
1-मार्च-10	32755.90	1104.05
16-मार्च-10	33556.87	800.98

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2010-11

अवधि	मूलय (रुपए प्रति किलोलीटर)	वृद्धि/(कमी) (रुपए प्रति किलोलीटर)
1	2	3
1-अप्रैल-10	34034.50	477.63

1	2	3
16-अप्रैल-10	35149.38	1114.87
1-मई-10	35376.68	227.30
16-मई-10	35463.27	86.59
1-जून-10	32919.63	(2543.64)
16-जून-10	33493.30	573.67
1-जुलाई-10	34574.08	1080.78
16-जुलाई-10	33415.91	(1158.17)
1-अगस्त-10	34314.31	898.39
16-अगस्त-10	34877.15	562.85
1-सितंबर-10	33448.39	(1428.77)
16-सितंबर-10	34000.41	552.02
1-अक्टूबर-10	33940.43	(59.98)
16-अक्टूबर-10	34947.06	1006.63
1-नवंबर-10	35229.96	282.90
3-नवंबर-10	35229.96	0.00
16-नवंबर-10	37169.62	1939.66
1-दिसंबर-10	37700.00	530.38
16-दिसंबर-10	39066.92	1366.93
1-जनवरी-11	39846.25	779.33
16-जनवरी-11	40636.40	790.15
1-फरवरी-11	42465.66	1829.26
16-फरवरी-11	44219.15	1753.49
1-मार्च-11	45777.80	1558.66
16-मार्च-11	48592.04	2814.24

वित्तीय वर्ष 2011-12

अवधि	मूलय (रुपए प्रति किलोलीटर)	वृद्धि/(कमी) (रुपए प्रति किलोलीटर)
1	2	3
1-अप्रैल-11	49297.77	705.72
16-अप्रैल-11	50336.87	1039.10
1-मई-11	50466.69	129.82
16-मई-11	48994.63	(1472.06)
1-जून-11	47055.09	(1939.54)
16-जून-11	48202.43	1147.34
1-जुलाई-11	46872.38	(1330.05)
16-जुलाई-11	46937.33	64.94

तापी (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना

910. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी लाभीर्थी देशों ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और लाभार्थी देशों को प्रतिवर्ष कितनी गैस की आपूर्ति किए जाने की संभावना है और इससे संबंधित मूल्य तंत्र क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना के सुरक्षा पहलू पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत अन्तर सरकारी करार (आईजीए) और पाइपलाइन ढांचा करार पर हस्ताक्षर दिसम्बर, 2010 में भारत सहित परियोजना में भागीदार देशों के बीच किए गए थे। मूल्य निर्धारण सहित परियोजना से संबंधित विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दे प्रतिभागी देशों के बीच विचार-विमर्श के अधीन हैं। परियोजना से संबंधित संविदात्मक करारों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अन्तर सरकारी करार (आईजीए) में परियोजना

में प्रतिभागी सभी देशों ने अपने-अपने देश के क्षेत्र से गुजरने वाली पाइपलाइन के बचाव और सुरक्षा की गारंटी दी है। भारत को की जाने वाली आपूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रक्षोपाय के मुद्दे पर आगे संविदात्मक करारों में जिक्र किया जाएगा।

प्रस्तावित पाइपलाइन की कुल क्षमता लगभग 90 एमएमएससीएमडी है और लंबाई लगभग 1680 किलो मीटर है। भारत की सीमा तक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाइपलाइन की लंबाई क्रमश: 145 कि.मी., 735 कि.मी. और 800 कि.मी. है। 90 मिललियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस की तुर्कमेनिस्तान द्वारा आपूर्ति करने का प्रस्ताव है जिसमें से भारत और पाकिस्तान प्रत्येक को 38 एमएमएससीएमडी मिलेगी, जबकि शेष 14 एमएमएससीएमडी अफगानिस्तान को मिलेगी।

रेल परियोजनाएं

911. **श्री इज्यराज सिंह:**
श्री सज्जन वर्मा:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री अंजन कुमार एम: यादव:
श्री राम सिंह कस्वां:
डॉ. रामचंद्र डोम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी तक पूरी नहीं हुई परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत रेल परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक इन परियोजनाओं को आबंटित/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) रेल परियोजनाएं जिनको पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी परंतु अभी तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया है का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा साथ ही इसके क्या कारण हैं. और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) पूरे देश में चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है। सभी स्वीकृत की गई परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृति का वर्ष	राज्य	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी में)	लागत 11-12	प्रत्याशित व्यय मार्च 11	परिव्यय 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
			नई लाइन				
1.	1995-96	महाराष्ट्र	अहमदनगर-बीड-पर्ली-बैजनाथ	250	513	165.13	55
2.	1993-94	महाराष्ट्र	अमरावती-नारखेड़	138	553	399.65	56.19
3.	1998-99	महाराष्ट्र	बारामती-लोणंद	54	138	81.08	10
4.	2008-09	महाराष्ट्र	वर्धा-नांदेड	270	1570	77.38	40
5.	1997-98	उड़ीसा	अंगुल-सुकिण्डा रोड	98.7	6939	47.07	195.15
6.	1992-93	उड़ीसा	दैतारी-बांसपानी-सुकिण्डा रोड-जखापुरा (9.2 किमी)	155	1327	954.94	70
7.	1996-97	उड़ीसा	हरिदासपुर-पारादीप	82	1000	273.09	179.15
8.	1994-95	उड़ीसा	खुरदा रोड-बोलनगीर	289	470	211.66	60

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	1993-94	उड़ीसा	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	56	188	176.63	10
10.	2003-04	उड़ीसा	तालचेर-बिमलगढ़	154	811	99.4	66
11.	2008-09	बिहार	आरा-भबुआ रोड	122	491	1.24	1
12.	2008-09	बिहार	अररिया-सुपौल	92	304	1	1
13.	2007-08	बिहार	बिहटा-औरंगाबाद	118.45	326	2.67	1
14.	2006-07	बिहार	छपरा-मुजफ्फरपुर	84.65	379	119.72	1
15.	2006-07	बिहार	दरभंगा-कुशेसवर स्थान	70.14	205	2.97	6.6
16.	2008-09	बिहार	डेहरी आन सोन-बंजारी	36.4	106	3.34	1
17.	2002-03	बिहार	फतुआ-इस्लामपुर रेस्टोरेशन और दनियावां के रास्ते शेखपुरा से नेउरा	171.5	407	295.2	40
18.	2008-09	बिहार, झारखंड	गया-बोधगया-चतरा, गया-नटेसर	97	550	15.15	13.2
19.	2008-09	बिहार	रफीगंज के रास्ते गया-डाल्टनगंज	136.88	445	1.2	2
20.	1997-98	झारखंड	गिरीडीह-कोडरमा	102.5	452	340.76	43
21.	2003-04	बिहार	वैशाली के रास्ते हाजीपुर-सगौली	148.3	325	156.51	20
22.	1996-97	बिहार	खगडिया-कुशेसरव स्थान	44	163	86.78	13
23.	1998-99	झारखंड	कोडरमा-रांची	189	1158	749.66	70
24.	2001-02	बिहार, झारखंड	कोडरमा-तिलैया	68	418	73.32	75
25.	2003-04	बिहार	कोसी ब्रिज	21.85	341	232.85	20
26.	2008-09	बिहार	कुरसेला-बिहारीगंज	35	193	7.26	1
27.	2006-07	बिहार	मोतीहारी-सीतामढ़ी	76.7	211	5.26	6.6
28.	2002-03	बिहार	मुगेर-गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल	14	1080	457.45	57
29.	2008-09	बिहार	मुजफ्फरपुर-दरभंगा	66.9	281	1.07	1
30.	2008-09	बिहार	मुजफ्फरपुर-कटरा-ओरई-जनकपुर रोड	66.55	228	1	1
31.	1997-98	बिहार	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	63	411	385.23	26
32.	2008-09	बिहार	नवादा-लक्ष्मीपुर	137	621	1	1
33.	1997-98	बिहार	पटना और हाजीपुर के बीच शाखा लाइनों सहित पटना-गंगा पुल	19	1389	737.01	50

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	2001-02	बिहार	राजगीर-हिसुआ-तिलैया और इस्लमापुर-नटेसर एमएम	67	304	283.6	3
35.	1996-97	बिहार	सकरी-हसनपुर	79	176	151.83	21
36.	2008-09	बिहार	सुसंड के रास्ते सीतामढ़ी-	188	679	1	1
37.	2001-02	पश्चिम बंगाल	भागीरथी पर पुल सहित अजीमगंज (नसीपुर)-मुर्शिदाबाद (जियागंज)	6.6	101	71.16	10
38.	2007-08	बिहार	खरगापुर, बाराहाट में रास्ते बरियारपुर-मननपुर	67.78	451	1.83	20
39.	2000-01	बिहार, झारखंड	खरगापुर, सुल्तानगंज, बांका-बाराहाट और बांका-भितिया रोड	147	607	207.66	60
40.	2011-12	झारखंड	हंसडीह-गोड्डा	30	267		1
41.	2010-11	पश्चिम बंगाल	हसनाबाद-हीनलगंज	14	172	20	100
42.	1987-88	पश्चिम बंगाल	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना-चंद्र नगर (47.5 किमी) और न्यू एमएम काकद्वीप-बुदाखाली (5 किमी) और चंद्र नगर-बक्खली (17.2 किमी)	83.7	458	125.46	250
43.	1995-96	बिहार, पश्चिम बंगाल झारखंड	दुमका के रास्ते मंदारहिल-रामपुरहाट (130 किमी) रामपुरहाट से मदुरै तीसरी लाइन एमएम सहित (29.48 किमी)	159.48	900	330.97	110
44.	2007-08	बिहार	असरगंज के रास्ते सुल्तानगंज-कतूरिया	74.8	450	1.01	20
45.	2000-01	पश्चिम बंगाल	धनीखाली-आरामबाग-इरफाला तक विस्तार सहित तारकेश्वर-विष्णुपुर (85 किमी) और एमएम इरफाला-घाटल (11.2 किमी) और आरामबाग से चांपाडांग (23.3 किमी)	154.27	1148	372.92	300
46.	2010-11	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर-मगरा	51.95	365	20	100
47.	1999-00	उत्तर प्रदेश	फतेहाबाद और बाह के रास्ते आगरा-इटावा	114.1	363	263.05	50
48.	1997-98	उत्तर प्रदेश	इटावा-मैनपुरी	57.5	220	123.71	40

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	1985-86	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	शिवपुर, ग्वालियर-भिण्ड के रास्ते गुना-इटावा	348.25	601	548.41	33
50.	1997-98	बिहार, उत्तर प्रदेश	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो	541	925	577.19	34
51.	2006-07	बिहार, उत्तर प्रदेश	छितौनी-तुमकुही रोड	58.88	244	10.42	1
52.	2005-06	बिहार, उत्तर प्रदेश	हथुआ-भटनी	79.64	230	135.41	33
53.	2003-04	उत्तराखंड	किच्छा-खटीमा	57.7	208	0.36	0.0001
54.	2003-04	बिहार	महाराजगंज-मसरख (35.49 किमी) मसरख-रीवाघाट के बीच नई लाइन के लिए एमएम सहित (30 किमी)	65.49	196	28.04	30
55.	1996-95	उत्तर प्रदेश	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम एनएच पर आरओबी	0	16.1	13.11	0.0001
56.	2008-09	पूर्वोत्तर क्षेत्र, त्रिपुरा	अगरतला-सबरूम	110	1142	227.98	100
57.	2006-07	बिहार	अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज)	107.12	530	34.22	6.6
58.	2010-11	पश्चिम बंगाल	बालूरघाट-हिल्ली	29	242	20	100
59.	2008-09	पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	भैराबी-सारंग	51.38	619	20.68	50
60.	1997-98	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम	डिब्रुगढ़ एवं नॉर्थ बैंक लाइन के बीच संपर्क लाइनों सहित बोगीबील पुल	73	3230	2268.56	195
61.	2010-11	पूर्वोत्तर क्षेत्र, मेघालय	बर्नीहाट-शिलांग	108.4	4083	10	40
62.	2006-07	पूर्वोत्तर क्षेत्र, नागालैंड	दीमापुर-कोहिमा (जुब्जा)	88	850	12.64	10
63.	1992-93	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, मेघालय	दुधनोई-मेंदीपठार	19.75	120	56.07	30
64.	1983-84	पश्चिम बंगाल	एकलाखी-बालूघाट (87.11 किमी) और गजोल-ईटाहार (28 किमी) तथा रायगंज- ईटाहा के लिए न्यू एमएम	136.91	415	253.1	80

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	1996-97	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश	हारमुती-नाहरलगुन	20	254	167.29	87
66.	2008-09	बिहार	जलालगढ़-किशनगंज	50.077	360	0.72	1
67.	2003-04	पूर्वोत्तर क्षेत्र, (मणिपुर)	जीरीबाम-इम्फाल	125	3057	505.7	100
68.	2010-11	बिहार, नेपाल	जोगबनी-बिराटनगर	18.6	239	10	20
69.	2010-11	पश्चिम बंगाल	कलियागंज-बुनियादपुर	33.13	222	20	100
70.	2011-12	अरुणाचल प्रदेश	मुरकोंगसलेक-पासीघाट	30.62	166	0	50
71.	2000-01	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम पश्चिम बंगाल	न्यू मैनागुडी रोड के आमान परिवर्तन सहित न्यू मैनागुडी-जोगीघोपा और न्यू चंद्रबांदा-चांगराबांदा (3 किमी)				
72.	2008-09	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम	सिवोक-रांगपो	44.4	1339	121.42	200
73.	2006-07	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम मेघालय	अजरा-बर्नीहाट (30 किमी) के स्थान पर तेतलिया-बर्नीहाट (21.50 किमी)	21.5	384	81.04	60
74.	2009-10	हिमाचल प्रदेश	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी	63.1	815	49.59	36.6
75.	2007-08	पंजाब, हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़-बद्दी	33.23	328	0.3	0.01
76.	1997-98	पंजाब	चंडीगढ़-लुधियाना	112	1104	716.31	70
77.	2007-08	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रूड़की	27.45	160	121.5	38.6
78.	2003-04	हरियाणा	जींद-सोनीपत	88.9	402	258.06	133.3
79.	1981-82	हिमालच प्रदेश, पंजाब	नंगल डैम-तलवाड़ा और टेकिंग ओवर साइडिंग ऑफ मुकेरियां-तलवाड़ा	83.74	730	321.57	23
80.	2010-11	उत्तराखंड	ऋषिकेष-कर्णप्रयाग	125.1	4295	40	6.6
81.	1994-95	जम्मू एवं कश्मीर	ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला	290	####	7719.68	1100
82.	2008-09	राजस्थान	बांगुग्राम-रास	27.8	185	45.01	46.66
83.	1997-98	राजस्थान	दौसा-गंगापुर सिटी	92.67	410	136.48	60

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	2010-11	आंध्र प्रदेश	भद्राचलम रोड-सत्तुपल्ली	56.25	338	10	0.01
85.	2008-09	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह-बेंगलूरू (बंगारपेट)	255.4	1090	80.79	100
86.	1998-99	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	गडवाल-रायचूर	60	228	189.09	39
87.	2011-12	आंध्र प्रदेश	गुडूर-दुर्गाराजपटनम	41.55	278	0	1
88.	1997-98	कर्नाटक	गुलबर्ग-बीदर	140	555	244.63	46
89.	2006-07	आंध्र प्रदेश	जगयापेट-मलाचेरुवु (19.1 किमी) मलावेरुवु-जनपहाड़ के लिए न्यू एमएम सहित (24 किमी)	43.1	292	85.53	12
90.	1999-00	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा-पीठापुरम	21.5	126	0.11	0.01
91.	2000-01	आंध्र प्रदेश	कोटीपल्ली-नरसापुर	57.21	695	24.42	17
92.	1997-98	आंध्र प्रदेश	मचरेला-नालगौंड़ा	92	363	50.27	33
93.	2006-07	आंध्र प्रदेश	मनोहराबाद-कोटापल्ली	148.9	670	40.74	29
94.	1997-98	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	मुनीराबाद-महबूबनगर	246	567	146.93	60
95.	2011-12		नाडीकुडी-श्रीकालाहस्ती	309	1314	0	1
96.	1996-97	आंध्र प्रदेश	नंदयाल-येरागुंटला	126	429	349.49	40
97.	2006-07	आंध्र प्रदेश	ओबूलेवैरीपाल्ले-कृष्णापटनम	113	789	301.49	164.3
98.	1993-94	आंध्र प्रदेश	पेड्डापेल्लि-करीमनगर-निजामाबाद	177.49	618	410.27	60
99.	2006-07	आंध्र प्रदेश	विष्णुपुरम-जनापहार	11	60.7	52.74	5
100.	1995-96	छत्तीसगढ़	दल्लीराजाहरा-जगदलपुर	235	1105	153.86	168.92
101.	2011-12		वडसा-गडचिरौली	49.5	232	0	1
102.	2011-12	पश्चिम बंगाल	बाबूटोला-झारग्राम वरास्ता लालगढ़	54	290	0	1
103.	2011-11	पश्चिम बंगाल	बोवाईचंडी-आरामबाग	31	275	20	122
104.	2011-11	पश्चिम बंगाल	डीघा-इगरा (31 किमी) के लिए नई एमएम के साथ डीघा-जलेश्वर	72	534	2	150
105.	1974-75	पश्चिम बंगाल	हवड़ा-आमटा और बरगछिया चमपाडांगा-तारकेश्वर तथा आमटा-बगनान और जंधीपरा-फुरफूरा शरीफ (12.3 किमी) के लिए नई एमएम	109.8	499	156.92	250

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	1984-85	पश्चिम बंगाल	तामलुक-डीघा और कांथी-इंगरा (26.2 किमी) के लिए नई एमएम के साथ देशप्रान-नंदीग्राम				
107.	1997-98	केरल	अंगामली-सबरीमाला	116	550	87.34	83
108.	2008-09	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	अट्टीपट्टु-पुट्टूर	88.3	447	10.78	6.66
109.	2008-09	तमिलनाडु, पुडुचेरी	महाबलीपुरम के रास्ते चेन्नई-कुडडालोर	179.28	524	25.07	6.66
110.	2008-09	तमिलनाडु	इरोड-पलनी	91.05	589	40.02	32
111.	1996-97	तमिलनाडु	सेलम-मेट्टूर दम (43.43 किमी) डीएल के लिए नई एमएम के साथ करूर-सेलम	128.43	946	441.56	30
112.	2011-12	तमिलनाडु	अरूप्पुक्कोट्टई के रास्ते मदुरै-तुतीकोरीन	143.5	601	0	1
113.	2006-07	तमिलनाडु	टिंडीवरम-जिंगी-तिरूवंनामेलई	70	227	52.74	30
114.	2006-07	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	टिंडीवरम-नगारी	179.2	583	68.36	71
115.	1995-96	केरल	तिरून्नावया-गुरूवयूर	35	138	34.19	6.66
116.	2010-11	कर्नाटक	बगलकोट-कुडाची	142	816	4	17
117.	1996-97	कर्नाटक, तमिलनाडु	बंगलोर-सत्यामंगलम	260	226	0.39	3.3
118.	1996-97	कर्नाटक	शरवणबेलगोला के रास्ते हसन-बंगलोर	166	476	415.5	60
119.	1996-97	कर्नाटक	हुबली-अंकोला	167	338	54.54	33
120.	1996-97	कर्नाटक	कडूर-चिकमंगलूर-सकलेशपुर	93	333	166.28	40
121.	1995-96	कर्नाटक	हरपनहाल्ली के रास्ते कोट्टूर-हरिहर	65	354	296.6	6.66
122.	2007-08	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	कल्याणदुर्ग के रास्ते रायदुर्ग-तुमकुर	213	1028	24	40
123.	2011-12	कर्नाटक	शिमोगा-हरिहर	78.66	563	0	1
124.	2011-12	कर्नाटक	टुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे	199.7	913	0	1
125.	2011-12	कर्नाटक	व्हाइटफिल्ड-कोलार	52.9	341	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	2000-01	मध्य प्रदेश, राजस्थान	रामगंजमंडी-भोपाल	262	1226	175.73	75
127.	2007-08	गुजरात, मध्य प्रदेश	छोटा उदयपुर-धार	157	570	78.8	55
128.	1989-90	मध्य प्रदेश, गुजरात	सरदारपुर के रास्ते दाहोद-इंदोर, झाबाओ और धार	200.97	949	160.18	55
129.	2011-12	राजस्थान, मध्य प्रदेश	बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम-डूंगरपुर	176.47	2083	0	1
			आमान परिवर्तन				
1.	1997-98	बिहार	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज-भीकनाटेरी	268	904	488.19	50
2.	2010-11	बिहार, नेपाल	बरडीबास तक विस्तार के साथ जयनगर-बीजलपुरा	69	470	10	5
3.	1996-97	बिहार	मानसी-सहरसा तथा सहरसा-दौरम-मधेपुरा-पूर्निया	143	428	362.89	50
4.	2003-04	बिहार	सकरी-लौकाहा बाजार-निरमली तथा सहरसा-फोरबीसगंज	206.06	356	116.34	1
5.	2007-08	पश्चिम बंगाल	कटवा से बाजारों डीएल (30.59 किमी) सेएमएम के साथ बर्दवान कटवा जीसी, कटवा (दैनहारट) मटेश्वर एनएल (34.4 किमी) नेगल-मंगलकोट एनएल (8.60 किमी) और मटेश्वर-मेमारी (35.6 किमी) एनएल	160.62	1107	66.81	176.5
6.	2010-11	राजस्थान	गंगापुर सिटी के विस्तार के साथ धोलपुर-सिमुत्तरा	144.6	622	1.91	25
7.	2010-11	मध्य प्रदेश, राजस्थान	कोटा के विस्तार के साथ ग्वालियर-श्योपुरकलां	284	1176	0.7	12
8.	2007-08	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर	101.79	196	35.04	30
9.	1997-98	उत्तर प्रदेश	गोंडा-बहराईच-सीतापुर-लखनऊ के फेज-1 के रूप में गोंडा बहराईच	60	73.4	28.6	1.5
10.	1997-98	उत्तर प्रदेश	आनंद नगर नौतनवा के साथ गोंडा-गोरखपुर लूप	260	415	314.87	100

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	1997-98	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली तथा बरेली-लालकुआं	544.5	1207	1107.22	99
12.	1999-00	बिहार, उत्तर प्रदेश	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	233.5	523	311.18	50
13.	2011-12	उत्तर प्रदेश	सीतापुर, लखीमपुर के रास्ते लखनऊ-पीलीभीत	262.76	716	0	1
14.	1997-98	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, मिजोरम	काटाखल-बैराभी	84	223	97.85	50
15.	2000-01	बिहार, पश्चिम बंगाल	राधिकापुर तक विस्तार के साथ कटीहार-जोगबनी, कटिहार-तेजनारायणपुर और रायगंज-डलखोला (43.43 किमी) के लिए नई एमएम	277.43	1042	724.03	25
16.	1996-97	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, (मणिपुर)	मिगरेंडिसा-ट्टिोक्वेरा के बीच अलाइनमेंट सहित लमडिंग-सिलचर और बदरपुर से भैराईग्राम का विस्तार	483	4255	2741.68	283
17.	1998-99	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल	शाखा लाइनों के साथ न्यू जलपाईगुडी-सिलीगुडी-न्यू बोंगाईगांव और चालेसा-नकसलबाड़ी (16 किमी) एनएल के लिए नई एमएम	433	1328	1032.5	25
18.	2003-04	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम	लिंकड फिंगर्स सहित रंगिया-मुरकोंगसेलेक	510.33	1556	639.14	283
19.	2008-09	राजस्थान	जयपुर-रींगस-चूरू और सिकलर-लोहारू	320.04	654	7.72	150
20.	2007-08	राजस्थान	सादुलपुर-रतनगढ़-बीकानेर तथा रतनगढ़ से सरदारशार (44 किमी) तक नई एमएम के साथ रतनगढ़-डेगाना (394.35 किमी)	438.35	422	0	100
21.	1997-98	राजस्थान	श्रीगंगानगर-सरूपसर	116	259	210.19	35
22.	2008-09	राजस्थान	सूरतपुरा-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर	240.95	516	30	100
23.	2010-11	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा-मंडला फोर्ट	182.25	557	2	30
24.	2005-06	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा-नागपुर	149.52	586	179.23	50

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	1996-97	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	बालघाट-कटंनी सहित जबलपुर-गोंदिया	285	674	573.62	100
26.	1998-99	पश्मिच बंगाल	बांकुड़ा-दामोदर रिवर परियोजना जीसी, बोवाईचंडी-खन्ना (22 किमी) एनएल, रायनगर-चंचाई (20.9 किमी) एनएल तथा मुकुट मोनीपुर-उपारसोल (26.7 किमी) के लिए नई एमएम के साथ बांकुडा-मुकुटमनीपुर (57 किमी) एनएल और हुरा (65 किमी) एनएल के रास्ते बांकुडा-कालाबती-पुरुलिया	281.85	1176	387.48	90
27.	1996-97	झारखंड	टोरी तक विस्तार के साथ रांची-लोहारदगा	113	456	246.55	20
28.	1995-96	उड़ीसा	रूपसा-बांगरीपोसी	90	640	216.49	2
29.	2006-07	तमिलनाडु, केरल	डिंडीगुल-पोल्लाचि-पालघाट और पोल्लाचि-कोयम्बटूर	224.88	900	273.74	150
30.	2008-09	तमिलनाडु	मदुरै-बोड़ीनायक्कनूर	90.41	283	7	15
31.	2006-07	तमिलनाडु	मानामदुरै-विरुद्धनगर	66.55	214	159.17	10
32.	2007-08	तमिलनाडु	मैइलाडुतूरै-करैइकुडि तथा तूरूतरईपुंडी-अगस्तियामपल्लि	224	1005	110.6	150
33.	1997-98	केरल, तमिलनाडु	कोल्नि-तिरूनेलवेलि-तिरूच्चेंदूर और टेनकासी-विरूद्धनगर	357	1029	614.51	75
34.	1995-96	तमिलनाडु	नागपट्टिनम-तिरूथिराईपुंडि (43 किमी) के विस्तार सहित तिरूच्चिरापल्लि-नागोर-कैरईक्काल (200 किमी)	243	549	525.35	10
35.	2006-07	कर्नाटक	कोलार-चिकबाल्लापर	96.5	200	184.53	15
36.	1997-98	कर्नाटक	मेट्टुपलायम तक विस्तारके साथ मैसूर-कामराजनगर (चरण-1)	148	609	336.9	2.22
37.	1992-93	कर्नाटक	शिमोगा-तलगुप्पा-(बेंगलोर-हुबली-बिरूर-शिमोगा)	630	679	641.79	15
38.	2008-09	राजस्थान, गुजरात	मोदासा-समलाजी रोड (22.53) किमी) सहित अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर (299.2 किमी)	321.73	799	33.78	40

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	2006-07	गुजरात	भरूच-समनी-दाहेज	62.36	326	180.03	0.01
40.	1990-91	गुजरात	मेहसाणा-तरंगा हिल (57.4 किमी) जीसी के लिए नई एमएम के साथ भीलड़ी-वीरमगाम	214.4	589	230.77	30
41.	2008-09	गुजरात	व्योर तक विस्तार के साथ भुज-नलिया	126	318	41.05	60
42.	2011-12	गुजरात	मियागाम-कर्जन-डबोई-समलाया का विद्युतीकरण सहित आमान परिवर्तन	96.46	440	0	1
43.	1994-95	गुजरात	राजकोट-वैरावल से जेतलसर, वेरावल से सोमनाथ (281 किमी) से नई लाइन सहित, शापुर-सरदिया (46 किमी) और सोमनाथ-कोडीनर (36.91 किमी) के लिए नया एमएम	363.91	931	463.3	1
44.	2006-07	गुजरात	राजपीपला-अंकलेश्वर	62.89	197	110.4	20
45.	2008-09	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	रतलाम-महु-खंडवा-अकोला रतलाम-महु-खंडवा-अकोला	472.64	1421	80	29
			दोहरीकरण				
1.	2011-12	महाराष्ट्र	भुसावल-जलगांव तीसरी लाइन	24.13	184	0	2
2.	2010-11	महाराष्ट्र	गोधनी-कलुमा कोर्ड	13.7	50.4	1	0.01
3.	2011-12	महाराष्ट्र	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन	67.62	280	0	2
4.	2006-07	महाराष्ट्र	पनवेल-पेन	35	182	89.21	31.87
5.	1996-97	महाराष्ट्र	पनवेल-रोहा भूमि अधिग्रहण	75.44	23	13.02	10
6.	2007-08	महाराष्ट्र	पेन-रोहा	40	192	87.3	30
7.	2009-10	उड़ीसा	बांसपानी-देतारी-टुमका-जाखपुरा दोहरीकरण	180	943	29.57	70
8.	2009-10	उड़ीसा	बुंडामल-झारसुगुडा डाउन लाइन लाइन को जोड़ने के लिए फ्लाई ओवर		88	0.75	10
9.	2003-04	उड़ीसा	कटक-बरंग	14.27	186	141.2	39
10.	2010-11	उड़ीसा	दिलंग-पुरी	28.7	134	2	35
11.	2005-06	उड़ीसा	झारसुगुडा-रेंगाली	25.6	150	109.01	33.5

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	2003-04	उड़ीसा	खुर्दा रोड़-बरांग तीसरी लाइन	35	221	180.99	39
13.	2011-12	छत्तीसगढ़	क्रिंदुल-जगदलपुर	150	827	0	1
14.	2006-07	आंध्र प्रदेश	कोट्टावलासा-सिम्हाचलम नार्थ चौथा लाइन	16.69	109	80.43	17
15.	2007-08	छत्तीसगढ़, उड़ीसा	रायपुर-टिटलागढ़ (203 किमी) नई लाइन मंडी हसोड-नया रायपुर (20 किमी) और रायपुर (केन्दरी)-धमतरी (28 किमी) के लिए नया एमएम आमान परिवर्तन और अभनपुरी-राजिम (39.2 किमी) आमान परिवर्तन सहित	290.2	692	2.51	60
16.	1999-00	उड़ीसा	रजतगढ़-बरांग	20	276	232	33.2
17.	2010-11	उड़ीसा	संबलपुर-तलचेर	174.11	679	2	66
18.	2006-07	उड़ीसा	संबलपुर-टिटलागढ़	182	951	39.74	60
19.	2011-12	आंध्र प्रदेश	सिम्हाचलम नार्थ-गोपालपट्नम बाईपास लाइन का दोहरीकरण	2.07	15	0	10
20.	2006-07	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम-कोट्टावलासा तीसरी लाइन	34.7	195	59.63	62
21.	2008-09	झारखंड	चंद्रापुरा-राजाबेरा-चंद्रापुरा-भंडारीराह	10.6	34.9	20.12	10
22.	2003-04	बिहार	जहानाबाद-बेला	27.47	127	114.23	13
23.	2003-04	बिहार	सोनपुर-हाजीपुर गंडक पुल सहित	5.5	120	43.36	25
24.	2010-11	पश्चिम बंगाल	अंबिकाकालना-नवद्वीपधाम	23.29	148	0	25
25.	2010-11	पश्चिम बंगाल	अजीमगंज-मणिग्राम	20.49	135	0	25
26.	2011-12		बंडेल-बोइंची तीसरी लाइन	30.53	288	0	30
27.	2000-01	पश्चिम बंगाल	बंडेल-जिरात	20	141	130.8	30
28.	2010-11	झारखंड, पश्चिम बंगाल	बराहवा-बोनीडंगा (पूरक)	4.73	20	0.01	20
29.	2010-11	पश्चिम बंगाल	बेथुदहेरी-पलासी	22.5	141	0	20
30.	2011-12	पश्चिम बंगाल	बोइंची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	25.83	176	0	20
31.	2003-04	पश्चिम बंगाल	चंदाबाजार तक विस्तार सहित चांदपाड़ा-बनगांव और बनगांव से पोदामहेशताला (20 किमी) नई लाइन तक एमएम और	55.13	218	67.97	150

1	2	3	4	5	6	7	8
			चंदाबाजार से बडगदाह (13.86 किमी) तक नई लाइन				
32.	2005-06	पश्चिम बंगाल	चौरीगाछा-सैंथिया (56.50 किमी) तक एमएम सहित चिन्पई-सैंथिया, प्रनातिक-सेओरी (33.98 किमी)	112.09	596	123.58	40
33.	2010-11	पश्चिम बंगाल	ताला और प्रिन्सेप घाट के बीच सर्कुलर रेलवे (पूरक)	9.7	150	0.01	20
34.	2009-10	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बारासात-लक्ष्मीकांतपुर (1968 किमी) और जयनगर रायडिगी (20 किमी) तक नई लाइन और जयनगर से दुर्गापुर (32 किमी) तक एमएम	71.68	533	30.2	25
35.	2010-11	पश्चिम बंगाल	नया एमएम बरूईपाड़ा-फुरफुरा (12.3 किमी) नई लाइन सहित दानकुनी-शक्तिगढ़ चौथी लाइन के चरण-1 के रूप में दानकुनी चंदनपुर चौथी लाइन (25.41 किमी)	37.71	288	0	80
36.	2009-10	पश्चिम बंगाल	बंगनखाली तक घुटियारी शरीफ-केनिंग (14.5 किमी) बंगनखाली-बसंती (14.3 किमी) तक नया एमएम और बसंती से झारखाली (23 किमी) लाइन	51.8	403	33.17	75
37.	2000-01	पश्चिम बंगाल	हबरा-चांदपाडा (22.25 किमी) डीएल, मचलंदपुर-स्वरूप नगर (15 किमी) नई लाइन	37.25	157	71.6	40
38.	2009-10	पश्चिम बंगाल	जिरात-अंबिका कलना	20.23	98.1	38.99	30
39.	2000-01	पश्चिम बंगाल	कालीनाराणपुर-कृष्णनगर (22 किमी) विस्तार सहित कृष्णानगर-शांतिपुर-नवद्वीपघाट (27.49 किमी) आमान परिवर्तन और कृष्णानगर से चारताला (13 किमी) तक नई लाइन और कृष्णानगर-छपरा (19.1 किमी) तक एमएम नई लाइन, नेहाटी-राणाघाट तीसरी लाइन और नवद्वीपघाट बीबीलूप तक विस्तार सहित (9.58 किमी)				

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	2010-11	पश्चिम बंगाल	कालीनारायणपुर-शांतिपुर (15.85 किमी) राणाघाट (अरनघाटा)-दुत्तापुलिया (8.17 किमी) के लिए एमएम सहित नई लाइन	24.02	105	0	100
41.	2010-11	पश्चिम बंगाल	कटवा-पतोली (17.7 किमी) डीएल अहमदपुर-कटवा (51.92 किमी) एमएम सहित आमान परिवर्तन	69.62	424	0	100
42.	2009-10	पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर-बेथुदहारी दोहरीकरण	27.92	138	30	30
43.	2010-11	पश्चिम बंगाल	लालगोला-जियागंज	22.95	145	0	25
44.	2009-10	पश्चिम बंगाल	लिलुआ-दानकुनी तीसी लाइन	30	257	0	30
			फुरफुरा शरीफ तक विस्तार सहित				
45.	2009-10	पश्चिम बंगाल	मगराघाट-डायमंड हार्बद (19.67 किमी) एमएम सहित संग्रामपुर-कृष्णाचंद्रापुर (25 किमी) और डामंड-हार्बर (गुरूदासनगर)-बाहराहाट (21 किमी) नई लाइन	65.67	486	25.24	100
46.	2010-11	पश्चिम बंगाल	माइल 5 बी और न्यू अलीपुर	1.67	45.9	0	10
47.	2010-11	पश्चिम बंगाल	नवद्वीप धाम-पुतोली (पूरक)	22	170	0.01	20
48.	2010-11	पश्चिम बंगाल	नलहाटी-सागरदिघी	26.3	142	0	30
49.		पश्चिम बंगाल	न्यू अलीपुर-अकरा (9 किमी) और बज बज-पुजाली (11 किमी) एमएम सहित पुजाली-उलुबेरिया (ब्रिस्बपुर) (10.25 किमी) और पुजारी-बहराहाट (9.75 किमी) नई लाइन	40.76	204	54.08	150
50.	2004-05	पश्चिम बंगाल	पांडेश्वर-चिनपई (21.41 किमी) और एमएम इकरा चुरूलिया-गुरूडी नयी एमएम सहित बरबनिया-चुरूलिया (9 किमी) नई लाइन के बीच	51.91	293	163.51	125
51.	2011-12	झारखंड	पिरपेंती-भागलपुर	59.06	261	0	20
52.	2011-12	पश्चिम बंगाल	प्लासी-जियागंज	54.29	248	0	30

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	2011-12	पश्चिम बंगाल	सर्कुलर रेलवे का प्रिंसेपघाट-माजेरहाट डीएल	4.98	300	0	20
54.	2011-12	झारखंड, बिहार	साहिबगंज-पिरापनैती	10.45	129	0	25
55.	2011-12	पश्चिम बंगाल	सैंथिया-तारापिथ तीसरी लाइन	22	193	0	30
56.	2010-11	पश्चिम बंगाल	सोनडलिया-चंपापुकुर एमएम सहित बिरा-चकला (11.15 किमी)	35.14	277	0	60
57.	2009-10	झारखंड	तीनपहाड़-भागलपुर के दोहरीकरण के चरण 1 के रूप में तीनपहाड़-साहिबगंज	37.81	168	36.39	25
58.	2000-01	पश्चिम बंगाल	सोनारपुर-केनिंग (14.96 किमी) एमएम सहित कालिकपुर-मिनाखान वरास्ता घाटकपुर (38 किमी) नई लाइन	52.96	157	49.46	100
59.	2003-04	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	106.15	399	314.31	50
60.	2005-06	हरियाणा, उत्तर प्रदेश	पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन	81	345	300.2	35
61.	1995-96	उत्तर प्रदेश	टुंडला-यमुना पुल	21	88.8	77.94	10
62.	2011-12	उत्तर प्रदेश	औनीहार-मंडुआडीह-कहीं-कहीं दोहरीकरण	38.8	161	0	10
63.	2007-08	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी-बुड़वाल	29	155	70.94	75
64.	2006-07	उत्तर प्रदेश	भटनी-बैतालपुर	35.27	148	69.2	60
65.	2006-07	उत्तर प्रदेश, बिहार	भटनी-जिरदेई	38.11	102	81.78	20
66.	2006-07	उत्तर प्रदेश	घाघराघाट-चौकघाट	5.63	96.6	75.59	20
67.	2006-07	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर कैंट-बैतालपुर	34.13	154	134.45	20
68.	1997-98	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर-सहजनवा	17.7	135	144.99	20
69.	2006-07	उत्तर प्रदेश	मुडेरवा-बभनान	45.25	162	127.02	30
70.	2011-12	पश्चिम बंगाल	अंबारी-फलककाटा-नई मायानगरी	36.54	258	0	10
71.	2011-12	पश्चिम बंगाल	न्यू कूचविहार-समुकताला रोड	29.02	190	0	10
72.	2010-11	हरियाणा	अंबाला कैंट-धप्पर	22.71	131	1	20

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	2006-07	उत्तर प्रदेश	रायबरेली-अंकबरगंज (46.9) एवं सुल्तानपुर-अमेठी के लिए नए एमएम के साथ उतरेतिया-सुल्तानपुर-जाफराबाद का शेष खंड	224.12	370	122.66	60
74.	2010-11	उत्तर प्रदेश	भदोई-जंघई	30.5	89.1	1	9.8
75.	2010-11	पंजाब	चक्की-बैंक-भरोली	3.5	12.6	1	10
76.	1999-10	दिल्ली	दयाबस्ती-ग्रेड सेपरेटर	6	54.2	28.59	25
77.	2007-09	हरियाणा	जाखल-मानसा-एसपीआर खंड पर दोहरीकरण	45	150	109.86	40
78.	2010-11	पंजाब	विद्युतीकरण सहित जालंधर कैंट-सूची पिंड डीएल	3.5	13	1	10
79.	1997-98	पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर	जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी	211.26	848	818.75	20
80.	2010-11	जम्मू एवं कश्मीर	कठुआ-माधोपुर पंजाब-रावी पुल पर दोहरीकरण	0.82	84	1	15
81.	2011-12	पंजाब	कठुआ-माधोपुर पुल संख्या 16, 18 एवं 19 पर दोहरीकरण	0.26	16.3	0	5
82.	2007-08	हरियाणा	कुकरणा-पानीपत	6.5	36.1	35.58	0.17
83.	2009-10	उत्तर प्रदेश	लोहटा-भदोई चरण I	39	134	1	20
84.	2009-10	पंजाब	मनसा-भटिंडा चरण I	53	157	2.2	30
85.	2011-12	पंजाब	मृथल-भनला-ब्यास पुल पर दोहरीकरण	0.665	71.5	0	10
86.	1998-99	दिल्ली	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज 5वीं और छठी लाइन	2.65	65.8	59.7	5
87.	2009-10	उत्तर प्रदेश	फाफामऊ-इलाहाबाद	12.9	92.8	5	20
88.	2010-11	जम्मू एवं कश्मीर	संभा-विजयपुर, जम्मू-बसंतरे पुल के आर-पार डीएल	0.22	39.2	1	11
89.	2006-07	दिल्ली, हरियाणा	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	33.5	173	103.38	70
90.	2011-12	उत्तर प्रदेश	उतरेतिया-रायबरेली	65.6	265	0	5
91.	2010-11	राजस्थान,	आबू रोड-सरोटा कहीं-कही दोहरीकरण	23.12	127	0.25	25
92.	2011-12	राजस्थान	अजमेर-बांगुरग्राम	48.43	213	0	5
93.	2010-11	राजस्थान	भगत की कोठी-लूणी	28.12	98.2	0.02	25

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	2011-12	राजस्थान	गुरिया-मारवाड (43.5 किमी) और कजरोदा-पालनपुर (5.4 किमी)	48.9	240	0	5
95.	2010-11	राजस्थान	केश्व गंज-स्वरूपगंज कहीं-कहीं दोहरीकरण	26.48	119	4	25
96.	2011-12	राजस्थान	रानी-केशवगंज	59.5	274	0	5
97.	2011-12	हरियाणा	रेवाड़ी-मनहेरू	69.02	252	0	5
98.	2010-11	गुजरात	सरोत्रा रोड-करजोदा (कहीं-कहीं दोहरीरकण)	23.59	157	0.25	40
99.	2010-11	राजस्थान	स्वरूपगंज-आबू रोड कहीं-कहीं दोहरीकरण	25.36	133	0.45	25
100.	2009-10	महाराष्ट्र	दौंड-गुलबर्गा और पुणे-गुंतकल विद्युती करण	225	1514	8.47	80
101.	2001-02	आंध्र प्रदेश	गूटी-रेणिगुंटा कहीं-कहीं दोहरीकरण	151.04	532	485.75	46
102.	2011-12	आंध्र प्रदेश	विद्युतीकरण के साथ गुंटूर-तेनाली	24.38	130	0	8
103.	2011-12	आंध्र प्रदेश	कृष्णापटनम-वेंकटचलम विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण	23	85.9	0	10
104.	2010-11	आंध्र प्रदेश	मंचिरयाल-पेद्दमपेट कहीं-कहीं तिहरीकरण	47.37	85.7	1	40
105.	2011-12	आंध्र प्रदेश	मुदखेड-परभनी	81.43	334	0	1
106.	2008-09	आंध्र प्रदेश	राघवपुरम-मंदमरी कहीं-कहीं तिहरीकरण	24.47	136	10.39	75
107.	2003-04	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	रायचुर-गुंतकल	81.1	222	149.99	38
108.	2011-12	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा-गुडिवडा-भीमवरम-नरसपुर, गुडिवडा-मछलीपटनम और विद्युतीकरण सहित भीमवरम-नददवोलु	221	1010	0	1
109.	1997-98	छत्तीसगढ़	बिलासपुर-उरकुरा	110	321	306.05	3.95
110.	2007-08	छत्तीसगढ़	चांपा पर बाईपास	14	37.6	10.84	17
111.	2008-09	छत्तीसगढ़	चांपा-झारसुगुडा तीसरी लाइन	165	872	33.34	50
112.	2010-11	छत्तीसगढ़	दुर्ग-राजनंदगांव तीसरी लाइन	31	158	11	20

1	2	3	4	5	6	7	8
113.	2007-08	महाराष्ट्र	कालुम्ना-नागपुर	6.16	27.7	6.93	10
114.	2006-07	छत्तीसगढ़	बिलासपुर पर फ्लाईओवर सहित खोद्री-अनुपपुर	61.6	386	196.47	60
115.	2005-06	छत्तीसगढ़	सल्का रोड-खोंगसरा कहीं-कहीं	26	144	83.87	60
116.	2006-10	झारखंड	डोंगरापोसी और राजखरस्वां के बीच तीसरी लाइन	65	309	2	15
117.	2008-09	उड़ीसा	बांसपानी-जरूली	9	90.9	47.71	35
118.	2011-12	बिहार, झारखंड	भोजुडिह-मोहुदा	23	134	0	5
119.	2007-08	उड़ीसा,	बिमलगढ़-दुमित्रा	18.3	116	80.66	35
120.	2010-11	उड़ीसा	चंपाझरण-बिमलगढ़	21	151	0.1	35
121.	1997-98	झारखंड	गोयलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोडामुंडा खंड)	40	272	32.01	10
122.	2007-08	पश्चिम बंगाल	गोकुलपुर-मिदनापुर पुल संख्या 143 पर उप संरचना एवं स्टील अधि संरचना सहित अंतरित संरेखण	2	52.2	24.39	25
123.	2011-12	पश्चिम बंगाल	गिरिमैदान होते हुए खड़गपुर-गोकुलपुर	6	38.7	0	10
124.	2008-09	झारखंड	मुरी-नार्थ आउटर केबिन/मुरी-स्वर्णलेखा पर दूसरे पुल के प्रावधान सहित दोहरीकरण	1	21.2	6.02	15
125.	2008-09	पश्चिम बंगाल	पंसकुरा-घटल (32.8 किमी) के लिए नए एमएम सहित पंसकुरा-खड़गपुर नई लाइन	77.5	529	175.4	35
126.	2009-10	पश्चिम बंगाल	राजगोडा-तामलुक-पंसकुरा-हल्दिया दोहरीकरण का दूसरा चरण	13.5	86.9	20.01	40
127.	2008-09	झारखंड	राजखरस्वां-सिनी तीसरी लाइन	15	91.6	19.84	15
128.	2010-11	झारखंड	सिनी-आदित्यपुर तीसरी लाइन	22.5	95.3	1	15
129.	2010-11	पश्चिम बंगाल	तामलुक जंक्शन केबिन-बसुल्या सुतहटा	24.4	171	10	50
130.	2000-01	पश्चिम बंगाल	टिकियापाड़ा-संतरागाछी चौथी लाइन	5.6	49.8	38.95	10

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	2007-08	केरल	अंबुलाफुझा-हरिपद	18.13	125	13.47	10
132.	1999-00	तमिलनाडु	अट्टिपट्टु-कोरूक्कुपेट्टै तीसरी लाइन	18	140	127.83	5.51
133.	2006-07	तमिलनाडु	विद्युतीकरण (30 किमी) के साथ मौजूदा मीला का अंतरण द्वारा तंबरम-चेंगलपट्टु तीसरी लाइन एमएम के साथ चेंगलपट्टु-विल्लुपुरम (103 किमी)	133	709	273.44	100.03
134.	2006-07	केरल	चेंगनुर-चिंगवनम	26.5	223	45.83	50
135.	2003-04	तमिलनाडु	चेन्नई बीच-अट्टिपटू चौथी लाइन	22.1	102	5.23	62
136.	2003-04	तमिलनाडु	चेन्नई बीच-कोरूक्कुपेट तीसरी लाइन	4.1	85.7	5.21	75
137.	2010-11	केरल	एरणाकुलम-कुंबलम कहीं-कहीं दोहरीकरण	7.7	71.3	3.61	25
138.	2006-07	कर्नाटक	कनकनदी-पनंबुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	19	149	10.67	40.02
135.	2011-12	केरल	कोंबलम-थौरवुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	15.59	137	0	1
140.	2007-08	केरल	कुररुप्पंथरा-चेंगवनम	26.54	346	24.3	1
141.	2003-04	केरल	मवेलिकरा-चेंगन्नुर	12.3	102	54.45	35
142.	2008-06	केरल	मुल्लंतुरूट्टी-कुरूप्पंत्रा	24	186	46.12	50
143.	2011-12	तमिलनाडु	विद्युतीकरण सहित ओमलुर-मेट्टुर डैम दोहरीकरण	29.03	150	0	2
144.	2008-09	तमिलनाडु	तिरूवल्लुर-अरक्कोणम चौथी लाइन	26.83	81.9	3.4	1
145.	2008-09	तमिलनाडु	विल्लुपुरम-डिंडीगुल (विद्युतीकरण सहित)	273	1198	30.62	150
146.	2007-08	कर्नाटक	अर्सिकेरे-बिरूर (कहीं-कहीं दोहरीकरण)	44.28	150	107.88	42
147.	1997-98	कर्नाटक	बंगलौर-व्हाइटफील्ड बंगलौर सिटी-कृष्णराजपुरम चौहरीकरण	23.08	85	0.51	1
148.	2010-11	कर्नाटक	बिरूर-शिवानी (कहीं-कहीं दोहरीकरण)	28.67	122	4	60

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	2010-11	कर्नाटक	होसादुर्गा रोड-चिकजुर	28.89	116	4	60
150.	2010-11	कर्नाटक, गोवा	हॉस्पेट-हुबली-लौंडा-तिनईघाट-वास्को-डि-गामा	352.28	2127	4	50
151.	2007-08	कर्नाटक	केनगेरी-मैसूर विद्युतीकरण सहित रामनगरम-मैसूर	91.5	343	57.46	200
152.	2011-12	कर्नाटक	शिवानी-होसादुर्गा	9.98	33.4	0	5
153.	2011-12	कर्नाटक	टोरनगल्लु-रंजीतपुरा	22.9	147	0	10
154.	1992-93	कर्नाटक	व्हाइटफील्ड-बंगरपेट-कुप्पम	81.21	225	150.14	15
155.	2009-10	कर्नाटक	शिरोपरि सरेखण सहित येलहंका-चेन्नसंद्रा	12.89	37.8	0.5	20
156.	2009-10	कर्नाटक	शिरोपरि सरेखण सहित यशवंतपुर-येलहंका	12.07	27.2	0.5	20
157.	2008-09	मध्य प्रदेश,	भोपाल-बीना तीसरी लाइन	143	687	145.95	262
158.	2011-12	राजस्थान	बीना-कोटा	282.66	1125	0	1
159.	2010-11	मध्य प्रदेश	बुदनी-बरखेड़ा तीसरी लाइन	33	287	0.01	4
160.	2008-09	मध्य प्रदेश	गुना-रूथियाई	20.5	66.5	5.21	5
161.	2009-10	गुजरात	गांधीधाम-कांडला पोर्ट	12	33	20	12.99
162.	1990-91	मध्य प्रदेश	कालीपीपल-फंडा/मक्सी-भोपाल	41.49	32.7	30.03	2
163.	2000-01	गुजरात	सूरत-कोशंबा बडोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन का चरण-1	35	49	0.02	4
164.	2008-09	महाराष्ट्र, गुजरात	विद्युतीकरण सहित उधना-जलगांव	306.93	715	44.56	200
165.	2011-12	गुजरात	वीरमगांव-समलख्याली	182.23	685	0	1
166.	2010-11	गुजरात	वीरमगांव-सुरेंद्रनगर	65.26	272	5	59

(घ) और (ङ) सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

एलपीजी सिलिंडरों की सुपुर्दगी में विलंब

912\. **श्रीमती मीना सिंहः**
श्री माणिकराव होडल्या गावितः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महानगरीय शहरों, अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलिंडरों हेतु अनुरोध दर्ज कराने और उनकी आपूर्ति के बीच की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सयम का अन्तर बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अल्पावधि में एलपीजी सिलिंडरों का भरा जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को हिदायतें दी हैं कि सामान्य परिस्थितियों में, वास्तविक पंजीकृत घरेलू ग्राहकों को एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति, रीफिल बुकिंग करने के 48 घंटों के भीतर की जाए।

तथापि, कभी-कभी उत्पाद की कमी होने, हड़ताल, सड़क टूटने, बाढ़, गैर योजनाबद्ध कामबंदी, प्राकृतिक आपदाओं, आदि के कारण रिफिी आपूर्तियों में विलम्ब हो जाते हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, डिस्ट्रीब्यूटर के व्यापारिक क्षेत्र के बाहर स्थित गांवों में जिसका विस्तार 15 किमी के अर्धव्यास तक होता है, कुछ मामलों में सिलिंडरों की सुपुर्दगी के लिए समय-अन्तराल 48 घंटों से अधिक हो जाता है।

(घ) सरकार ने ओएमसीज को परामर्श दिया है कि वे रविवारों और छुट्टियों के दौरान और कार्य के घंटे बढ़ा कर भरण संयंत्रों को चला कर देश में एलपीजी की समय पर आपूर्तियों सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

भारत निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास

913. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के विकास, मकानों के निर्माण, पेयजल की व्यवस्था पर भारत निर्माण के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कुल कितनी राशि खर्च की गयी;

(ख) भारत निर्माण के अंतर्गत मकानों के निर्माण पर अब तक कुल कितना खर्चा किया गया; और

(ग) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने हेतु कुल कितना खर्चा किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) भारत निर्माण योजनाओं के तीन अवयव नामत: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। यद्यपि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से खर्च/उपयोग की जाती हैं, पंचायती राज संस्थाएं प्रासंगिक कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में दर्शाए अनुसार उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों की परियोजनाओं/योजनाओं की तैयार में सक्रिय रूप से शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हुए खर्च का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये गए खर्च को दर्शाता राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों/संघ राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	89937.81	130796.29	113480.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	2835.43	2401.38	3821.79
3.	असम	62704.10	86355.23	93331.94
4.	बिहार	215436.08	299594.41	332483.78

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	10733.47	32204.97	19630.74
6.	गोवा	398.37	543.14	803.90
7.	गुजरात	33836.84	56795.96	69276.70
8.	हरियाणा	5357.24	8453.32	8226.32
9.	हिमाचल प्रदेश	2329.51	3055.84	2925.48
10.	जम्मू व कश्मीर	3938.54	5968.31	5375.77
11.	झारखंड	16379.73	35997.79	69357.02
12.	कर्नाटक	21783.70	5363435	48249.34
13.	केरल	15190.55	21256.92	23758.63
14.	मध्य प्रदेश	40829.83	33954.03	32418.00
15.	महाराष्ट्र	54559.10	128589.14	105934.60
16.	मणिपुर	425.40	1684.17	1450.05
17.	मेघालय	2642.64	3854.48	5404.88
18.	मिजोरम	1528.75	1422.31	1340.29
19.	नागालैंड	5498.61	3038.91	5081.19
20.	उड़ीसा	25709.24	76884.11	69101.95
21.	पंजाब	4429.98	7782.73	7641.13
22.	राजस्थान	20453.65	29866.62	37643.04
23.	सिक्किम	685.60	781.01	1328.40
24.	तमिलनाडु	33943.24	44487.29	44072.40
25.	त्रिपुरा	6343.68	3818.96	8621.91
26.	उत्तर प्रदेश	107097.03	158769.94	147833.00
27.	उत्तराखंड	4242.68	7828.18	8062.20
28.	पश्चिम बंगाल	45394.67	89164.28	79682.63
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	74.30	167.30	234.83
30.	दादरा व नगर हवेली	16.65	0.00	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	73.54	56.72	0.00
33.	पुडुचेरी	24.37	38.30	0.00
	कुल	834834.33	1329246.40	1346572.75

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लिए भारत निर्माण सहित पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सूचित राज्य-वार एवं वर्षवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 व्यय	2009-10 व्यय	2010-11 व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	494.47	886.37	473.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	152.01	247.61	348.85
3.	असम	1007.05	1412.91	1300.79
4.	बिहार	1067.54	1874.51	2694.91
5.	छत्तीसगढ़	863.34	805.06	304.16
6.	गोवा	0.00	0	0
7.	गुजरात	255.26	190.46	243.84
8.	हरियाणा	313.09	277.16	108.03
9.	हिमाचल प्रदेश	240.51	220.1	142.67
10.	जम्मू व कश्मीर	190.71	359.42	297.4
11.	झारखंड	211.47	457.79	538.44
12.	कर्नाटक	550.37	883.97	634.8
13.	केरल	84.41	113.77	146.14
14.	मध्य प्रदेश	2198.06	2234.83	1409.49
15.	महाराष्ट्र	929.98	994.6	1012.48
16.	मणिपुर	37.97	145.13	122.34
17.	मेघालय	12.64	20.38	36.39
18.	मिजोरम	54.55	66.86	82.24
19.	नागालैंड	87.31	71.61	29.67
20.	उड़ीसा	1163.01	1895.25	1924.25
21.	पंजाब	269.02	322.64	155.34
22.	राजस्थान	1695.54	795.03	686.39

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	103.99	80.17	85.53
24.	तमिलनाडु	127.87	560.2	304.81
25.	त्रिपुरा	315.77	253.74	237.51
26.	उत्तर प्रदेश	2000.07	2914.96	868.54
27.	उत्तराखंड	152.79	172.57	191.74
28.	पश्चिम बंगाल	583.18	575.82	530.27
29.	संघ शासित क्षेत्र	0.00	0.00	0.00
	कुल	1561.98	18832.92	14910.98

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत सुचित राज्य-वार एवं वर्षवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2008-09 व्यय	2009-10 व्यय	2010-11 व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	398.08	397.45	423.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	160.97	195.55	176.55
3.	असम	265.40	275.07	480.55
4.	बिहार	73.30	284.87	425.91
5.	छत्तीसगढ़	112.42	105.17	109.51
6.	गोवा	0.00	0.50	1.16
7.	गुजरात	289.33	508.98	610.49
8.	हरियाणा	117.29	132.35	201.57
9.	हिमाचल प्रदेश	141.49	154.18	165.59
10.	जम्मू और कश्मीर	176.67	384.25	506.52
11.	झारखंड	18.85	86.04	128.19
12.	कर्नाटक	449.15	475.17	573.93
13.	केरल	106.56	151.85	137.97
14.	मध्य प्रदेश	368.62	355.08	324.94
15.	महाराष्ट्र	511.06	617.42	713.48

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	36.33	41.17	69.27
17.	मेघालय	74.50	69.57	70.48
18.	मिजोरम	45.48	52.21	58.02
19.	नागालैंड	39.60	72.08	80.63
20.	उड़ीसा	273.12	201.85	211.11
21.	पंजाब	96.68	95.35	106.59
22.	राजस्थान	967.96	673..92	852.82
23.	सिक्किम	28.85	24.00	19.51
24.	तमिलनाडु	230.58	370.08	303.41
25.	त्रिपुरा	36.99	78.07	67.2
26.	उत्तर प्रदेश	514.54	970.60	933.28
27.	उत्तराखंड	61.09	63.83	55.44
28.	पश्चिम बंगाल	371.62	368.77	420.22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.78	0.00	
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	
34.	पुडुचेरी	1.00	0.00	
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	
	कुल	5998.28	7205.43	8227.72

मनरेगा के अंतर्गत अनियमितताएं

914. **श्री गुरुदास दासगुप्तः**
श्री मकनसिंह सोलंकीः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री पी. लिंगमः
श्री प्रबोध पांडाः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री पी. विश्वनाथनः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अनियमितताओं/धनराशि की चोरी और अन्यत्र उपयोग की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चलने वाले ऐसे मामलों का राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि की चोरी को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रभावी निगरानी तंत्री बनाया गया है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने योजनाओं के अंतर्गत अनियमितताओं को रोकने हेतु हाल में दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ङ) इन दिशा-निर्देशों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (26.07.2011 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में हुई सभी प्रकार की अनियमितताओं के बारे में संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार कुल 2089 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्रभावी निगरानी करने और योजना में लीकेज को रोकने के लिए निम्नलिखित-तंत्र संस्थापित किया गया है:

(i) राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं और प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन।

(ii) सभी राज्यों को शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करने का निदेश देते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iii) 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित की गई।

(iv) जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए एवं आबंटित किए गए रोजगार, किए गए कार्य दिवसों की संख्या, कार्यो की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की गई निधियां, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतें दर्ज करना और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी करना सहित लोक समीक्षा के लिए आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस शुरू की गई है।

(v) मजदूरी वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए महात्मा गांधी नगरेगा कामगारों को बैंकों/डाकघरों में उनके खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान अनिवार्य बनाया गया है।

(घ) और (ङ) भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने 2007 की रिट याचिका (पीआईएल) सं. 645 पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा केंद्र के अपने दिनांक 16.12.2010 के आदेश में भारत सरकार को कतिपय निर्देशों का अनुपालन करने और उड़ीसा राज्य को शपथ पत्र के रूप में जानकारी देने के लिए कहा है। अपेक्षित शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में दायर कराए गए थे। अपने दिनांक 12 मई, 2011 के बाद के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश में सभी राज्य सरकारों को शपथ पत्र दायर करने का निदेश करते हुए यह कहने को कहा है कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी प्रचालन दिशा-निर्देशों को स्वीकार कर लिया है तथा उसका विधिवत कार्यान्वयन कर रहे हैं या नहीं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी थी कि वे सर्वोच्च न्यायालय में अपने शपथ पत्र दायर करें।

विवरण

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष-वार शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (26.07.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	4	14	7
2.	असम	20	6	6	3
3.	बिहार	71	34	25	13
4.	छत्तीसगढ़	21	11	17	10
5.	गोवा	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	5	11	18	5
7.	हरियाणा	15	8	19	7
8.	हिमाचल प्रदेश	7	8	12	2
9.	जम्मू व कश्मीर	0	1	1	2
10.	झारखंड	67	15	10	20
11.	कर्नाटक	4	7	12	4
12.	केरल	3	3	2	1
13.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	101	98	135	27
15.	महाराष्ट्र	8	7	6	5
16.	मणिपुर	5	1	1	1
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	3	2	1	0
19.	उड़ीसा	18	9	19	8
20.	पंजाब	3	8	4	3
21.	पुडुचेरी	0	0	0	1
22.	राजस्थान	51	101	30	23
23.	सिक्किम	0	1	0	0
24.	तमिलनाडु	3	5	7	3
25.	त्रिपुरा	2	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	201	168	266	142
27.	उत्तरांचल	4	9	8	4
28.	पश्चिम बंगाल	23	10	8	4
29.	अखिल भारत	645	528	621	295

[हिन्दी]

इंटर-सिटी ट्रेन सेवाओं को पुनः शुरू करना

915. **श्री दारासिंह चौहानः** क्या **क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आमान परिवर्तन के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत रोसेरा-मऊ के रास्ते बलिया से वाराणसी तक इंटर-सिटी रेल सेवा को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को उक्त सेवा को पुनः शुरू करने हेतु जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां,

(ख) और (ग) इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें संसद सदस्यों से प्राप्त अनुरोध भी शामिल हैं। इनकी जांच की गई है लेकिन वाणिज्यिक औचित्य और परिचालनिक व्यावहारिकता न होने के कारण इन्हें कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसके अलावा, इस समय बलिया और वाराणसी 17 जोड़ी गाड़ियों से भलीभांति जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राजसहायता

916. **डॉ. तरूण मंडल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का डीजल, मिट्टी का तेल और रसोई गैस खरीदने हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सीधी राजसहायता प्रदान करने का कोई पस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां। सरकार, बीपीसीएल परिवारों सहित अभ्रिपेत लाभार्थियों को प्रायोगिक आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) सरकार ने, अभिप्रेत लाभार्थियों को पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के लिए समाधान की सिफारिश और कार्यान्वयन करने के लिए श्री नंदन नीलकेणी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अध्सक्षता में फरवरी, 2011 में एक कार्य बल का गठन किया है। कार्यबल ने सरकार को दिनांक 05.07.2011 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार

917. **श्री आनंद प्रकाश परांजये:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को रोजगार मिलने में भेदभाव के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत ऐसे भेदभाव को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या निदेश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ऐसा कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की नियुक्ति

918. **श्री हर्ष वर्धन:**
श्री उदय सिंह:
श्री महाबल मिश्रा:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया उच्चतम न्यायल अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ, के मामले में उच्चतम न्यायलय के निर्णय तारीख 6 अक्टूबर, 1993 और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय तारीख 28 अक्टूबर, 1998 पर आधारित है। प्रक्रिया पर विभिन्न मंचों में बहस हुई है और उसे बदलने के लिए मांग की जाती रही है। तथापि, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों द्वारा हंगामा

919. **श्री देवराज सिंह पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षित सीट वाले यात्रियों को ट्रेन से आरक्षित डिब्बों में बड़ी संख्या में प्रतीक्षा सूची वाले और अनारक्षित यात्रियों की उपस्थिति के कारण काफी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) खाली बर्थ न होने की स्थिति में प्रतीक्षासूचीबद्ध और अनारक्षित यात्रियों को आरक्षित सवारी डिब्बें में चढ़ने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, इस प्रकार के कुछ मामले नोटिस में आते हैं। रेल अधिनियम की धारा 155 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और प्रतीक्षा सूचीबद्ध और अनारक्षित यात्री यात्रा करते हुए पाए जाने पर उन्हें आरक्षित सवारी डिब्बों से उतार दिया जाता है। सवारी डिब्बों से न उतरने वाले इन यात्रियों के विरुद्ध अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और 500 रु. का जुर्माना भी किया जा सकता। इस प्रकार की अनियमित यात्रा को रोकने के लिए सवारी डिब्बों में टिकट जांच कर्मचारियों की तैनाती के अलावा अचानक जाचें भी की जती हैं और पकड़े गए व्यक्तियों को मौजूदा नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण

920. **श्री मकनसिंह सोलंकी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश वे बदवानी जिले में किसानों की भूमि का इंदिर सागर परियोज़ना हेतु अधिग्रहण किया गया है और लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजे का भुगातन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) किसानों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इंदिरा सागर परियोजना के लिए मई, 2011 तक 26 गांवों के 536 खातेदारों/किसानों की कुल 336.795 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। आज की तारीख तक 21,37,44,707 रुपये (केवल इक्कीस करोड़ सैंतीस लाख चवालीस हजार सात सौ सात रुपये) के अधिनिर्णय की तुलना में 20,87,70,226 रुपये (केवल बीस करोड़ सतासी लाख सत्तर हजार दो सौ छब्बीस रुपये) की मुआवजा राशि वितरित की गई है।

जून, 2011 माह में 4 गांवों में 133 खातेदारों/किसानों की कुल 70.715 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। इस समय मुआवजे के प्रति 8,75,98,237 रुपये (केवल आठ करोड़ पचहत्तर लाख अठानवे हजार दो सो सैंतीस रुपये) की राशि वितरित की जा रही है।

ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां भूमि अधिगृहीत की गई है और लम्बी अवधि तक मुआवजा वितरित नहीं कियका गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 4 गांवों में खातेदारों को मुआवजा राशि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किए गए अनुसार अगले महीने तक वितरित की जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं वर्ष 2011-2012 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4574/15/11]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4575/15/11]

(दो) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4576/15/11]

(तीन) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4577/15/11]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण):

(एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4578/15/11]

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4579/15/11]

(2) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 की सिफारिशों पर की-गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4580/15/11]

(4) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 की धारा 33 की उपधारा (3) के अंतर्गत सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4581/15/11]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4582/15/11]

(3) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्ट्टियूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्ट्टियूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4583/15/11]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बीको लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4584/15/11]

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4585/15/11]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 जो 29 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एस-एडमिन./11/8/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4586/15/11]

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 और 64 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का प्रारूप और समय) संशोधन नियम, 2011 जो 24 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4587/15/11]

(दो) प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 24 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4588/15/11]

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वित्तीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 जो 19 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/रेग-रिकवरी/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4589/15/11]

(चार) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2011 जो 4 अप्रैल, 2011 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.-एल. 3(2)/रेगुलेशन-जेन. (अमेंड)/2009-10/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4590/15/11]

(पांच) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य के संव्यवहार के बारे में पद्धति) विनियम, 2011 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-1/कम्बिनेशन रेगुलेशन्स/2011-12/सीडी/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4591/15/11]

(4) उपर्युक्त (14) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4589/15/11]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-III के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2011 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

अध्यक्ष महोदया, मैं 3 अगस्त, 2011 को राज्य सभा द्वारा यथापारित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संधोधन) विधेयक, 2011 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

17वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

21वां से 24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह (गुड़गांव): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) दूरसंचार विभाग (संचार और सूचना मंत्रालय) में संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन।

(4) डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

रसायन और उर्वरकसंबंधी स्थायी समिति

14वां से 20वां प्रतिवेदन

श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर (परमनी): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (पन्द्रवां लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वां लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में अट्ठारहवां प्रतिवेदन।

(6) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(7) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¼ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

15वां से 17वां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदया: श्री दारा सिंह चौहान-उपस्थित नहीं। श्री टी.आर.बालू।

श्री टी.आर. बालू (श्री पेसम्बुदर): मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन

अपराह्न 12.03½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) श्रीलंका में स्थिति*

अध्यक्ष महोदया: श्री एस.एम. कृष्णा एक वक्तव्य देंगे। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): अध्यक्ष महोदया, मैं श्रीलंका में स्थिति के बारे में सभा को सूचित करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्रीजी, आप सभा पटल पर वक्तव्य रख सकते हैं।

श्री एस.एम. कृष्णा: महोदया, मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 4592/15/11

संसद के के दोनों सदनों में श्रीलंका से संबंधित मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्तावं एवं अल्पावधिक चर्चा के साथ-साथ संसदीय प्रश्नों के लिए कई अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसलिए, मैं अपनी ओर से वक्तव्य देने की पेशकश करता हूं। मुझे आशा है कि इससे मेरे साथी सांसदों की चिंता एवं हित के यदि सभी मुद्दों का नहीं, तो अधिकांश मुद्दों का जवाब मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, भारत तथा श्रीलंका के बीच संबंध साझे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जातीय एवं सभ्यतापरक संबंधों तथा लोगों में व्यापक आदान-प्रदान पर आधारित हैं। हाल ही के वर्षों में ये संबंध समकालिक प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों में फैलकर बहुआयामी एवं विविधीकृत हो गए हैं।

श्रीलंका लगभग तीन दशकों तक आतंकवाद की आग में झुलसा है। मई, 2009 में श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष की लम्बी अवधि की समाप्ति पर आतंरिक रूप से विस्थापित (आईडीपी) लगभग 3,00,000 व्यक्ति उत्तरी श्रीलंका में शिविरों में रह रहे हैं तथा इस संघर्ष के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में अवसरंचना का काफी विनाश हुआ है।

भारत सरकार ने श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जून, 2009 में प्रधान मंत्री ने श्रीलंका में राहत, पुनर्स्थापन एवं कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ के अनुदान की घोषणा की थी। मानवीय प्रयासों के रूप में भारत ने उत्तरी श्रीलंका में परिवार राहत सामग्री भेजी, एक आपातकालीन क्षेत्रीय अस्पताल स्थापित् किया, कृत्रिम अंग लगाने वाले शिविर आयोजित किए तथा बारूदी सुरंगें हटाने वाले दल तैनात किए। इसने 10,400 मीट्रिक टनप से अधिक आश्रय सामग्री, 4 लाख सीमेंट की बोरियां, 95 हजार कृषि स्टार्टर पैक तथा उत्तरी श्रीलंका में कृषि कार्यकलापों का पुनरुद्धार करने के लिए 500 ट्रैक्टर उपहारस्वरूप दिए हैं।

भारत ने श्रीलंका में मुख्य रूप से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए 50,000 मकानों के विनिर्माण की घोषणा भी की है। मैंने जाफ़ना, आरियालाई में 1,000 मकानों के विनिर्माण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया था। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आधारभूत कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथा मकानों का निर्माण काग्र शुरू हो रहा है, जिसे मॉडल परियाजना के रूप में देखा जा रहा है। मैंने उत्तरी श्रीलंका में रेलवे लाइन बहाल करने की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया था, जिसे भारत सरकार की लगभग 800 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण शृंखला के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत कांकेसंथुरई (केकेएस) बंदरगाह के पुनर्स्थापन, दुराईयप्पा स्टेडियम की बहाली, जाफना में सांस्कृतिक केन्द्र तथा बट्टिकलोआ एवं नुवारा इलिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के विनिर्माण में भी सहायता कर रहा है।

श्रीलंका में किए जा रहे इन सभी कार्यों के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों सहित श्रीलंका के तमिलों का कल्याण एवं बेहतरी सुनिश्चित करना है तथा उत्तरी श्रीलंका के विकास में सहायता करना है। 17 मई, 2011 को श्रीलंका के विदेशी मंत्री की भारत यात्रा के अवसर पर जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में मैंने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की अपने घर वापसी सहित शीघ्र पुनर्वास एवं उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका सरकार से इन उपायों को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया था। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आंतरिक रूप से विस्थापित लगभग 2,90,000 व्यक्तियों का पहले ही नुर्वास किया जा चुका है तथा अब शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित केवल 10,000 व्यक्ति ही रह गए हैं।

सरकार ने अपनी यह स्थिति भी स्पष्ट की है कि श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति से श्रीलंका में तमिलों सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी लम्बित मुद्दों को हल करने का ऐतिहासिक अवसर उत्पन्न हुआ है। 17 मई, 2011 की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे सभी लम्बित मुद्दों को समझ और परस्पर समझौते की भावना से निस्तारित किया जाना है, जिसमें एक वास्तविक राष्ट्रीय समाधान के लिए कार्य करने की राजनैतिक दृष्टि विद्यमान हो। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने अपनी सरकार की इस बचनबद्धता की पुष्टि की कि श्रीलंका की सरकार और तमिल गुटों के प्रतिनिधियों के बीच चल रही वार्ता में त्वरित और ठोस प्रगति सुनिश्चित होनी चाहिए और यह कि 13वें संशोधन के आधार पर एक हस्तान्तरण पैकेज ऐसे समझौते वु लिए जरूरी स्थितियां बनाने के लिए योगदान देगा।

श्रीलंका में चले लंबे संघर्ष के अंत के बाद युद्ध से संबंधित प्रश्न भी उठे हैं। इस संघर्ष में हमने श्रीलंका में जवाबदेही के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जारी एक रिपोर्ट देखी है। "श्रीलंका के हत्या क्षे" नामक 'चैनल 4' वृत्त चित्र के प्रसारण के संबंध में जनता की प्रतिक्रियाएं भी आती रही हैं। वर्तमान में हमारा लक्ष्य श्रीलंका में तमिलों के कल्याण और कुशलता पर होना चाहिए। उनका पुनर्वास और पुनिर्माण हमारी तात्कालिक प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनैतिक समस्या का एक न्यायोचित और निष्पक्ष समाधान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस पर भी मैंने अपने श्रीलंकाई समकक्ष से जोर देकर कहा है कि आपातकालिक विनियमों को शीघ्र वापस लिया जाए, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच की जाए, प्रभावित क्षेत्रों में शांति की बहाली की जाए और प्रभावित परिवारों की मानवीय चिंताओं का हल किया जाए।

अध्यक्ष महोदया, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में मुझे सबसे पहले यह दोहराने की अनुमति दी जाए कि हमारे मछुआरों की कुशलता, सुरक्षा और संरक्षा को सदैव ही सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

भारतीय मछुआरों पर हमलों की घटनाओं की रिपोर्टें आई हैं, जो कथित तौर पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा किए गए हैं। सरकार ने राजनैतिक माध्यमों से निरेंतर और तत्काल ऐसी किसी घटना को उठाया है, जिसमें भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया या उनके साथ हिंसा की गई ताकि उनकी सुरक्षा, संरक्षा और शीघ्र रिहाई एवं स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो सके। सरकार ने श्रीलंकाई सरकार को अवगत कराया है कि बल प्रयोग को किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और सभी मछुआरों के साथ मानवीय ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रीलंकाई पक्ष ने अपनी नौसेना की संलिप्तता से इंकार करते हुए आश्वासन दिया है कि वे इन घटनाओं की गंभीरता से जांच कराएंगे।

थिम्पू में फरवरी, 2011 में और नई दिल्ली में मई, 2011 में अपने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ हुई बैठकों के दौरान मैंने न केवल मछुआरों के साथ हुई हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता प्रकट की, अपितु इस बात पर भी जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मई, 2011 में जारी संयुक्त प्रसे विज्ञपित में भारत और श्रीलंका इस बात पर सहमत हुए थे कि बल प्रयोग को किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और सभी मछुआरों के साथ मानवीय ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे मछुआरों के पकड़े ज़ाने एवं उन्हें उत्पीड़ित किये जाने की करीब सभी घटनाएं श्रीलंकाई जल क्षेत्र में हुई, फिर भी हम जोर देकर कह सकते हैं कि इससे हमारे मछुआरों के विरूद्ध बल प्रयोग किए जाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। हमें श्रीलंका सरकार की संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहने की जरूरत है और श्रीलंका के अनेक मछुआरों ने काफी समय बाद उस क्षेत्र में मछली पकड़ना शुरू कर दिया है। इस बारे में हम संबद्ध राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मछुआरों के मुद्दे दोनों देशों को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2010 में श्रीलंका द्वारा कुल 137 भारतीय मछुआरे पकड़े गए थे और उन्हें छोड़ दिया गया था। 3 अगस्त, 2011 तक श्रीलंका द्वारा कुल 164 भारतीय मछुआरे पकड़े गए थे और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। साथ ही हमारे प्राधिकारियों द्वारा 2010 में कुल 352 और 2011 में कुल 131 श्रीलंकाई मछुआरे पकड़े हुए हैं। कुल 104 श्रीलंकाई मछुआरे अभी भी भारतीय हिरासत में हैं, जबकि श्रीलंका में मछली पकड़ने संबंधी उल्लंघनों के आरोप में पकड़े हुए सभी भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया गया है।

हालांकि, भारत सरकार का मनना है कि श्रीलंका में संघर्ष समाप्ति से तमिलों सहित श्रीलंका में सभी समुदायों को स्वीकार्य युनाइटेड श्रीलंका की रूपरेखा के भीतर श्रीलंका में चिरस्थायी राजनीतिक बहाली संबंधी कार्रवाई का अवसर प्राप्त होगा, फिर भी यह ध्यान रखना होगा कि यह एक स्थाई मुद्दा है और श्रीलंका सरकार तथा तमिल पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच सार्थक वार्ता सहित आंतरिक प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। जितना जल्दी श्रीलंका राजनीतिक व्यवस्था कायम कर लेता है, उतना ही सभी समुदाय अच्छा महसूस करेंगे और यह सबके लिए बेहतर होगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय समाधान एवं पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए राजनीतिक समाधान निकालने संबंधी सार्थक वार्ता की शुरूआत एक सराहनीय उपलब्धि है। इस प्रक्रिया के समर्थन में हम जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

[हिन्दी]

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): महोदया, मैंने समय-समय पर अपने ऊपर हुए हमले के बारे में है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। मुझे आपके द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2011 का पत्र, जो आपके छपरा, बिहार स्थित निवास पर हमले के संदर्भ में है, प्राप्त हुआ है। मैं इस घृणित कृत्य की घोर निन्दा करती हूं। अगर किसी सांसद की सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो यह हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

मैंने इस विषय पर गृह मंत्रालय से शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना भी मांगी है।

अध्यक्ष महोदया: उमाशंकर जी, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री उमाशंकर सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैंने समय-समय पर गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और आपको भी दो साल पहले से ही लिख कर दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, राज्य सरकार ने भी कुछ नहीं किया।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-जारी

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदया, मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश सं. 73ए के अनुसरण में सभापटल पर रख रहा हूं ताकि वर्ष 2010-11 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की अनुदान मांगों के दो सौ आठवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित दो सौ सत्रहवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय सदन को अवगत करा सकूं।

इस समिति ने डीएसआईआर की कार्यप्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी 208वां प्रतिवेदन दिनांक 23 अप्रैल, 2010 को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समिति के 208वें प्रतिवेदन में चौबीस सिफारिशें सम्मिलित थीं। इनमें से कुछ का स्वरूप परामर्शी है जबकि कुछ के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस विभाग ने इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत नोट जुलाई, 2010 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस समिति ने की गई कार्रवाई विषयक नोट (एटीएन) पर विचार किया है और **दो सौ सत्रहवां प्रतिवेदन दिनांक 13 दिसम्बर, 2010** को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 217वें प्रतिवेदन के माध्यम से समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विभाग में विश्लेषण किया गया जिसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है:

- इस समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस विभाग को भरसक प्रयास करना चाहिए;
- इस समिति ने सिफारिश की थी कि इस विभाग को अपनी वास्तविक मांगों को योजना आयोग के समक्ष दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए;

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 4593/15/11

- इस समिति ने स्व-विकसित प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है;
- इस समिति ने आशा की थी कि प्रौद्योगिकी अंतरणों को गति प्रदान की जाएगी ताकि सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ जन साधारण तक पहुंच सकें; और
- इस समिति ने देश में वैज्ञानिक प्रगति को अत्यावश्यक सहायता एवं समर्थन उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु इस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की।

217वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई विषयक नोट राज्यसभा सचिवालय को 12.07.2011 को अग्रेषित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि सभा पटल पर रख गयी है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

अपराह्न 12.08 बजे

मूल्यवृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करने, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने तथा आम आदमी को राहत दिलाने के संबंध में प्रस्ताव-जारी

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि वे इस मुद्दे को उत्तर समाप्त हो जाने के बाद उठाए ...*(व्यवधान)* कल आप सभी महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे और हमने पूरे दिन इस पर चर्चा की और अब जब मैं उत्तर देने जा रहा हूं तो कृप्या सुनिए। मैं पूरा दिन नहीं लूंगा. ..*(व्यवधान)* मैं कुछ समय लूंगा तथा उत्तर समाप्त होने के पश्चात् आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सर्वप्रथम, मैं वरिष्ठ नेता माननीय श्री यशवंत सिन्हा की प्रशंसा करुंगा जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जो आइटम्स लगे हुए हैं, उन आइटम्स में समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव है। लोकपाल विधेयक का पुनर्स्थापन है, लेकिन पहले रिप्लाई शुरू किया जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इसके लिए नोट पहले से ही दिया गया है।

[अनुवाद]

इसके लिए नोट दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इसके लिए रिक्वेस्ट आई हुई है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: रिप्लाई पहले ही किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: पाद टिप्पण है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: फुट नोट में दर्शाया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने फुट नोट पढ़ा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या बाकी की आइटम्स बात में लेंगे।

बध्यक्ष महोदया: पहले रिप्लाई होगा, उसके बाद लेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, सर्वप्रथम मैं श्री यशवंत सिन्हा तथा सदन के 25 अन्य साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा 12 अन्य साथियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है जिन्होंने समय की कमी के कारण सभा पटल पर अपने भाषण रखे और हम उन्हें सुन नहीं सके, लेकिन मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी टिप्पणियों को अवश्य पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदया, मेरे विचार से यह पूर्णतया अलग ढंग का प्रस्ताव है, यह इसलिए अलग है क्योंकि सामान्यत: सब हम सदन के विचार व्यक्त करते हैं तो हम ऐसा मौलिक प्रस्ताव द्वारा करते हैं। बिना प्रस्ताव के हम सदन के विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं सामान्यत:, विपक्ष तथा सत्ताधारी दल के बीच मतभेद होते हैं, विरोध होते हैं अथवा खारिज करते हैं, परंतु यहां हम भाषा पर भी सहमत हैं क्योंकि हम उसे एक अर्थ देना चहाते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी सकारात्मकता तथा परिस्थिति का आंकलन बांटने के स्वतंत्र हूं तथा मैं यह महसूस करता हूं कि देश को यह संदेश

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया जाना चाहिए कि गंभीर मुद्दों पर तीव्र राजनैतिक मतभेद, अलग-अलग दृष्टिकोण तथा विभिन्न विभार होते हुए भी-सदन किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए एक साथ सहमत हो सकता है।

परंतु वाद-विवाद के दौरान-मैं नहीं जनता श्री गीते यहां उपस्थित हैं अथवा नहीं-उनकी एक बात से मैं बहुत और प्रभावित हुआ कि हम काफी चर्चा कर चुके हैं और मेरे पास चर्चा के संबंध में आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदया, चौदहवीं लोक सभा में, हमने इस पर कम से कम आठ बार चर्चा की थी। पंद्रहवी, लोक सभा में, इस चर्चा के अलावा, हमने इस पर चार बार चर्चा की है। यह अनेक माननीय सदस्यों द्वारा पूछा गया कि इस चर्चा का क्या लाभ है यदि हम चर्चा के पश्चात् किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए परिस्थिति नहीं ला सकते हैं। अपने उत्तर के दौरान, मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि किस तरह ऐसी स्थिति लायी जा सकती है तथा हम किस तरह वातावरण बना सकते हैं।

कल, अपनी टिप्पणी देते समय, श्री यशवंत सिन्हा ने एक पत्रिका दिखायी जिसमें उद्योगपतियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह एक बहुत प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है और इसमें शीर्षक दिया गया है "गुड बाय इंडिया, हैलो वर्ल्ड" मैं समझता हूं कि हम शीर्षक भेज सकते हैं तथा अगर हम उसी समचार पत्र की एक अन्य दैनिकी देखें तो उसमें पाएंगे कि उन छह शीर्ष उद्योगपतियों की तस्वीर थी और जिसमें लिखा था "टाटा वर्ल्ड, गो बैक होम, होम स्वीट होम" यह हम पर निर्भर करता है।

हम अब क्या उचित कार्यवाही कर सकते हैं? हम श्री गीते की मांग को पूरा कर सकते हैं यदि हम अपनी सामान्य विधायी कार्यवाही करें तो। स्थायी समितियों के समक्ष चार महत्त्वपूर्ण विधेयक लंबित पड़े हैं। शीघ्र ही वे अपनी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करने वाले हैं। इनमें से अधिकांश विधेयक को पूर्व सरकार लायी थी जैसे कि पीएफआरडीए, बैंकिंग अधिनियम, वीएकटी आरंभ करने के लिए बीमा विनियम तथा सांविधानिक संशोधन। इस संबंध में विभिन्न मत हैं। पिछली सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन निधि लागू की थी। पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण का गठन किया तथा उनके पास पर्याप्त धनराशि है परंतु वे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास समय नहीं था। तत्पश्चात्, चुनाव आ गए। पूरी राजनैतिक तस्वीर ही बदल गई। हमने उस मुद्दे को उठाया था। यूपीए के पहले शासनकाल वु दौरान हम इसे नहीं ला पाए क्योंकि हमारे एक घटक ने इसका तीव्र विरोध किया था। परंतु आज हम कर सकते हैं यदि आप हमारे साथ सहमत हो तो। यह आपका प्रस्ताव था। यह आपका विचार था। हम इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं। आइए हम इसे साथ मिलकर करें। इस महत्त्वपूर्ण विधान को एक साथ मिलकर पारित करते हैं। तब आप पाएंगे कि थोड़े ही समय में, शायद उसी पखवाड़े की पत्रिका में एक और तस्वीर ठीरेगी जिसका शीर्षक होगा "हेलो इंडिया, टाटा वर्ल्ड" क्योंकि इस देश में निवेश का वातावरण तैयार किया जाएगा। रोजगार सृजित किया जाएगा। विकास तथा मुद्रास्फीति के बीच आंतरिक विरोध नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा तथा इस सदन के अन्य कई ज्ञानी सदस्य भली प्रकार यह बनते है कि भारत में कभी भी उच्च विकास दर नहीं रही है। वर्ष 1951-79 से, वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 3.5 प्रतिशत थी। वर्ष 1980 में, यह औसतन पांच प्रतिशत से अधिक था तथा वर्ष 1990 में, यह छह प्रतिशत थी। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय मुद्रास्फीति की उच्च दर नहीं थी?

एक युवा और कनिष्ठ मंत्री के तौर पर, मैं यही कहीं बैठा था जब वित्त मंत्री श्री वाई.बी. चव्हाण ने जून 1974 में इस माननीय एभा में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया था। सितंबर, 1974 में मुद्रास्फीति 24 प्रशित पहुंच गई थी। जो काफी ज्यादा है। विकास दर ऊंची नहीं थी। विकास दर कम थी। मूलत: मुद्रास्फीति मांग तथा आपूर्ति के बीच गहरे असंतुलन से उत्पन्न होती है। यदि कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुद्रास्फीति की निम्न दर ऊंची वृद्धि दर को सुनिश्चित करेगी तो ऐसा नहीं है। यदि मैं सही समझ रहा हूं तो, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि इससे विकास होगा। तो, हम क्या चाहते हैं।? हमें विकास चाहते हैं, परंतु मुद्रास्फीति की कम दर के साथ। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। हम इसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें विकास चाहिए और वह भी मुद्रास्फीति की कम दर पर होना चाहिए।

आज हम क्या संदेश दे सकते हैं? अभी-अभी लंबी चर्चा हुई है। मेरे साथी श्री एस. जयपाल रेड्डी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हैं पेट्रोल के मूल्य नियंत्रण मुक्त हो गए हैं। डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्य कई बार बढ़ाए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु, इसके क्या कारण हैं? क्या यह हमारे नियंत्रण में है?

सब लोग इस बात को जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में किस प्रकार उतार-चढ़ाव आए हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और मैं उनका उल्लेख करता हूं। वर्ष 1991 में इंडियन बास्केट का मूल्य प्रति बैरल 16 डालर था; पाँच वर्षों के पश्चात्, वर्ष 1996 में यह बढ़कर प्रति बैरल 18 डालर हो गया; मार्च 1998 में यह घटकर प्रति बैरल 12.23 डालू हो गया; मई 2004 में, जब हम सत्ता में जाए, तो यह 36 डालर प्रति बैरल था। अब, यहां आने से पहले मैंने ब्रेन्ट क्रूड मूल्य देखा और यह 117 डालर प्रति बैरल था।

कृपया मुझे ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मैं पेट्रोल को 116 अथवा 117 डालर प्रति बैरल मूल्य पर खरीद कर उस दाम में विक्रयश कर सकूं जो आपके शासन काल के दौरान था। मैं उस तरीके को स्वीकार करने को तैयार हूं। आपके अपने शासनकाल के दौरान आप सस्ते दाम पर विक्रय कर सकते थे क्योंकि आपको कच्चा तेल 36 डालर प्रति बैरल के औसतन मूल्य पर मिल जाता था; जो वास्तव में वर्ष 1998 में 12 डालर प्रति बैरल के साथ शुरू हुआ था और जो वर्ष 2004 में 36 डालर प्रति बैरल के साथ समाप्त हुआ।

उन आंकड़ों के बावजूद, जो मेरे साथी ने अभी-अभी दिए हैं, दामों में बढ़ोत्तरी के बावजूद, 1,22,000 करोड़ रुपये इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की कम वसूली है। यह निजी क्षेत्र की तेल कंपनियाँ नहीं है। हम निजी क्षेत्र की तेल की कंपनियों की कम-वसूली को शामिले नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं देख रहे हैं कि उनकी कम-वसूली है अथवा नहीं। परंतु हमारी अपनी तेल कंपनियों की कम-वूसली 1,22,000 करोड़ रुपये है। क्या मैं इसे सब्सिडी के माध्यम से दूं? उनके समय की सम्पूर्ण तस्वीर क्या है? वे छह वर्ष तक शानदार वित्तमंत्री रहे।

एक तरह से मुझे उनकी प्रशंसा करनी चाहिये और शायद जिसको मैं नहीं कर सका। जब यह प्रश्न आया तो उन्होंने क्या किया? दो बहुत मुश्किल विकल्प थे। एक था भुगतान न होने पर देश का चूकक्रर्ता हो जाना तथा जिसके लिए अमेरीका में वाद-विवाद जारी है तथा अंतत: वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। दूसरा विकल्प था कि जैसे-तैसे धन उधार लिया जाए ताकि दूसरे देखें कि भारत चूकर्ता नहीं है, यह बड़ा देश भुगतान में चूककर्ता नहीं हो सकता। उन्होंने ठोस निर्णय लिया। उनकी आलोचना हुई। हमने भी उनकी आलोचना की। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने सही और साहसिक निर्णय लिया। अत: हम इस या उस मुद्दे को वाद-विवाद भुट्टान बनाएं? समस्या यह है कि कीमतें बढ़ी है जिस पर हमारा नियंत्रण्या नहीं है। यदि अंकित मूल्य कच्चे तेल के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 34 प्रतिशत तक बढ़ते हैं तो हमें ज्यादा भुगतान करना होगा क्योंकि हमारी पूर्ण आवश्यकता का 75 प्रतिशत से अधिक आयात किया जाता है।

कुछ सुझाव आये हैं। निश्चित रूप से मैं श्री शरद यादव के इस सुझाव से सहमत हूं कि जो क्षेत्र आवश्यक नहीं है उन पर भारी कर क्यों नहीं लगाते ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ आपको आंकड़े दे रहा हूं...*(व्यवधान)* आप लग्जरी कारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको केवल आंकड़े दे रहा हूं कि डीजल की खपत क्या है। डीजल के प्रत्येक 100 बैरल में से 10 प्रतिशत उद्योग को जाता है: छह प्रतिशत का उपयोग रेलवे द्वारा किया जताा है, जो कि आवश्यक सेवा है; और कृषि में 12 प्रतिशत का उपयोग होता है, सभी नहीं। कभी-कभी यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि सम्पूर्ण उपयोग क्षेत्र के प्रयोजनार्थ है। ऐसा नहीं है। आठ प्रतिशत बिजली उत्पादन के लिए है-जहां हम बिजली दे सकते है वह घटा दी जाएगी, 15 प्रतिशत यात्री कारों के लिए है-जहां हम आपका सुझाव स्वीकार कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि क्या तंत्र बनाया जा सकता है ताकि ये क्षेत्र सब्सिडी न प्राप्त कर सकें। लेकिन कृपया याद रखिए, 100 मिलियन टन का 15 प्रतिशत यदि हम आयात करें तो हमें राहत मिलेगी; शेष बसों के लिए-12 प्रतिशत और ट्रकों के लिए 37 प्रतिशत। जब हम बात करते है हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे निरीक्षणों का समग्र प्रभाव क्या होगा और हम कैसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं।

यहाँ मैं बहुत वरीष्ठ नेता, श्री लालकृष्ण आडवाणी और प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमाजी से मिले सहयोग की सराहना करुंगा जिनसे हमारा विवाद होता रहा है। जब संसद सत्र शुरू होता है तो लोग सोचना शुरू करते है कि यह कितने दिन बाधित रहेगा। वे टी.वी. पर दृश्य देखने के अभ्यस्त हो गये है कि कुछ सत्तापक्ष के सदस्य और कुछ विपक्ष के सदस्य आ रहे हैं शोर चमा रहे हैं तथा माननीया अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के पास सभा को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर हम इस सभा में इस देश के 1.5 मिलियन मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा 700 करोड़ मतदाताओं के 543 प्रतिनिधि हैं। अत: हमने सोचा कि हम प्रयास करें और एक कोशिश करें। इसलिए सरकार ने विरोध नहीं किया और हमने सामूहिक रूप से निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि इससे एक संदेश जाएगा। मैं फिलहाल सरकार की आलोचना करने के विपक्ष के अधिकार को नकार नहीं रहा हूं। आसैर सरकार का विरोध करने जब हम स्कूल जाते थे हम सीखते थे कि विपक्ष की भूमिका विरोध करने भंडाफोड़ करना और अंतत: सत्ता से हटाने की स्थिति में आना है।

इसलिए यदि आप इस स्थिति में हैं तो आप हमें सत्ता से हटाएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कल आपके भाषण के अंतिम भाग में कहा "जाओ"। मैं नहीं जानता कि आपने लार्ड क्रॉमवेल से यह टिपण्णी ली है। जब उसने 1653 में हाउस ऑफ कामन्स में अपनी सेना के साथ प्रवेश किया, तो पार्लियामेंट, जो लोग पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती थी, में ये शब्द कहे: "ईश्वर के लिए चले जाओ। आप यहां लम्बे समय से हैं। मैं कहता हूं चले जाओ।" आखिरकार हाउस ऑफ कामन्स के सदस्य भाग गये। सैनिकों का सामना कौन करेगा? उसने अध्यक्ष से पूछा जब ये लोग चले गये है, तो अध्यक्ष के रहस्यमय उत्तर ने भविष्य के अध्यक्षों के व्यवहार के बुनियादी नियमों को निर्धारित किया है: "हाउस ऑफ कॉमन्स के बिना, मैं देख नहीं

सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता। मैं आपको देख नहीं रहा हूं। मैं आपको खुश नहीं रहा हूं और मै। आपको बता नहीं रहा हूं। अध्यक्ष पूर्णतः निष्पक्ष होता है।'' ये इतिहास की कहानियां है। यह स्कूल का बच्चा भी जानता है।

मेरा तर्क भिन्न है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसने अपने आपको तानाशाह लॉर्ड प्रॉटेक्टर घोषित कर दिया। लोकतंत्र समाप्त हो गया। कुछ समय पश्चात जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो संसद की सर्वोच्चता जेम्स-II के शासन काल में वापस लौटी। फिर कब्रिस्तान और शव पेटी से क्रॉमवेल को निकाला गया और उसके अस्थिपंजर को फांसी पर लटकाया गया क्योंकि उसने लोकतंत्र को नष्ट किया था। हमारा देश एक लोकतंत्र है। हमारे पास सीमित अवधि है, सीमित अधिदेश है। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद, आपको जाना होगा, हमें जाना होगा। यदि आप पिछले आठ सत्रों की वाद-विवादी को पढ़ें तो पाएगें कि कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं। एक मौलिक मुद्दा उठाया गया कि सरकार असंवेदनशील है, सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। खाद्य महंगाई फरवरी 2010 में 22 प्रतिशत तक चली गयी। यदि हमें इसे 8 प्रतिशत तक लानी होती तो प्रयास की जरूरत होती। आज का 8 प्रतिशत का आंकड़ा मुझे स्वीकार्य नहीं है। पिछले सप्ताह, जून के अंतिम सप्ताह के आंकड़े आज सुबह सीएसओ ने जारी किए। मैंने देखा कि यह तो 8.3 प्रतिशत हैं मुझे यह स्वीकार्य नहीं है कि यही बेंचमार्क हो। यह लगभग 5 प्रतिशत होनी चाहिये जो ठीक होगी। छह से सात तक सहन की जा सकती है लेकिन 8 प्रतिशत नहीं। लेकिन इसी के साथ कृपया यह याद रखें कि फरवरी, 2010 और जुलाई, 2011 के बीच सरकार के प्रयासों से यह 22 प्रतिश्त से कम होकर 8 प्रतिशत हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। जब अन्तर्राष्ट्रीय जिंसों की कीमतें बढ़ेगी तो स्वाभाविक ही कोई अर्थशास्त्री दो तरीके सुझाएगाः दुरुपयोग रोका जाए। मुझे लगता है कि मिट्टी का तेल आम आदमी के उपयोग की चीज है। श्री यशवंत सिन्हा की यह शिकायत शायद सही हो, कि उन्होंने उन महिला मतदाताओं का विश्वास खो दिया जो रसोई में ईंधन के रूप में केरोसीन का प्रयोग करती हैं। उन्होंने शिकायत की कि वे पिछला चुनाव हार गये। पिछला चुनाव मतलब, मैं सोचता हूं कि जब उन्होंने वह चुनाव लड़ा था। मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं समझता हूं कि वे कुछ समय से यहां हैं। लेकिन हो सकता है, 2002 के बाद, उस समय में पहली बार मिट्टी के तेल के दामों में वृद्धि हुई हो और हमने भी दुगुना बढ़ा दिया। लेकिन हम सब्सिडी दे रहे हैं। आपने इसके बारे में बताया था। यह सही है। वह अच्छा कदम था। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आम आदमी को राहत देने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। आपने आम आदमी के लिए राहत मांगी है।

आपने आम आदमी विशेषकर गरीब तबके के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कहा है। यदि हम सभी को कम से कम समाज के गरीब तबकों को राहत प्रदान नहीं कर सकते तो हम किस सीमा तक राहत प्रदान कर सकते हैं। हमने राहत प्रदान की है। जैसे ही आपने शुरूआत की आपने बीपीएल परिवारों के बारे में कहा। हम अंत्योदाम अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत चावल 5 रुपये प्लस तक, गेहूं 4 रुपए प्लसे तक कम कीमत पर दे रहे हैं। ढ़ाई करोड़ से अधिक बीपीएल परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं उलझ जा रहा हूं चाहे यह छह करोड़ परिवार हो या 8 करोड़ परिवार हो मैं ऐसे प्रत्येक परिवार के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें 5 सदस्य हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि हम अभी भी बढ़ती आबादी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। क्या हम इसे बनाए रख सकते यदि खपत की पूर्ति मांग से नहीं की जाती? क्या हम किसानों को कोई अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिसका तत्काल और सीधा प्रभाव होगा। मुलायम सिंह जी और लालू जी हमेशा इस बात की मांग करते रहे हैं कि सरकार अधिकतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करे। हमने कुछ कार्य किया है। हो सकता है यह उनके संतुलित स्तर और किसानों के स्तर तक न हो लेकिन याद कीजिए जब 2004 में प्रति क्विंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपए से अधिक था और हमने इसे आज बढ़ाकर 1030 रुपये प्रति क्विंटल और 80 रुपए बोनस कर दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

श्री प्रणब मुखर्जीः मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह किसान के संतुलित स्तर तक का नहीं हो सकता और यह माननीय सदस्यों के संतुलित स्तर तक का नहीं हो सकता लेकिन साथ ही आप यह नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया गया है कुछ कार्य किया गया है। मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया इस बात को स्वीकार कीजिए कि कुछ कार्य किया गया है। हमें बताए कि और अधिक किया जाना है। हमें उपाय बताएं कि हम किस तहर कुछ और कर सकते हैं।

हम सदैव सिविल सोसाइटी के साथ अपने विचार-विमर्श के बारे में सुझाव देते रहते हैं। यह समझौता करने के लिये नहीं है। कई बार इस बात की आलोचना की गई है कि हम संसद की संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं और इसे गिरवी रख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बैठक में ही मेरे सहकर्मी यहां उपस्थित हैं और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामान्य कानून निर्माण

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकपाल विधेयक के मामले में भी सामान्य विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विभाग विचार करता है, विभाग नागरिकों से पूछता है, सरकारी कर्मचारी विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं, यह मंत्रियों के बीच वितरित किया जाना है, मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान करता है, यह संसद में आता है और संसद इसे प्राप्ति करता है। हमने लोकपाल विधेयक के मामले में जो किया वह यह है कि सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की है चाहे वे संपूर्ण तबके का प्रतिनिधित्व करते हो, चाहे वे सच्चे प्रतिनिधि हैं या नहीं, हमने इसका अध्ययन नहीं किया लेकिन छोटी बात जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं जिसे मेरे अवलोकन के बाद मेरे सहकर्मी पुर:स्थापित करेंगे वह यह है कि विधान तैयान करने में संसद की शक्ति को कम करने का प्रश्न नहीं उठत। मैंने स्वयं कहा है कि मुझे सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं है और मैं ऐसा कह सकता हूं। यदि आप सभी संसद सदस्य सामूहिक रूप से यह निर्णय लेते हैं कि जो कुछ भी प्रारूप वे देते हैं, हम उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे लेकिन हम इसे स्वीकृति नहीं प्रदान कर सकते...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य: जी नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी: बिल्कुल सही। मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर आपको विचार करना है न कि कार्यपालिका और मंत्रिमंडल को। यह कैसे पारित किया जाएगा? इसे कब पारित किया जाएगा? अध्यक्ष महोदया, मुझे खेद है कि मैं अपने मुख्य विषय से हट गया हूं। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैंने सोचा कि मुझे अपने सम्मिलित सहकर्तियों से चर्चा करनी चाहिए।

एक दूसरा मुद्दा यह है कि कुछ आंकड़ों को यह दिखाने के लिए उधृत किया गया है कि मानो हम अधिकतम मूल्य वसूल कर रहे हैं जाहं तक पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का प्रश्न है। मेरे सहयोगी जयपाल जी ने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं डीजल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल और रसोई गैस नामक तीन महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की बात कर रहा हूं। भारतीय मूल्य के लिए मैं दिल्ली में मौजूदा मूल्य पर विचार कर रहा हूं। दिल्ली में डीजल का मूल्य प्रति लीटर 41.29 रुपए है, पाकिस्तान में इसका मूल्य 46.79 रुपए जो कम नहीं है श्रीलंका में थोड़ा कम 34.37 रुपए बि रहा है, बांग्लादेश में यह थोड़ा और कम 27.32 रुपए और नेपाल में यह 45.38 रुपए बिक रहा है। लेकिन नेपाल के मामले में इसके कारण है लेकिन मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप में से अधिकांश लोग इस बात से पूरी तरह अवगत हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): बांग्लादेश में डीजल मूल्य के बारे में यह टका में है या रुपये में है।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मुद्रा का कीमत अलग-अलग है। आप भारतीय मुद्रा की तुलना बांग्लादेश की मुद्रा से कैसे कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: ठीक है लेकिन यह और अधिक होगा ...*(व्यवधान)* मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह और अधिक होगा। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की मुद्रा और श्रीलंका की मुद्रा में अंतर है। हमारी मुद्रा के संबंध में उनकी मुद्रा की कीमत लगभग 40 प्रतिशत कम है। इसलिए मैं उइसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे कारणों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन आप सभी पूर्णत: अवगत और मैं उनके बारे में यहां नहीं बताना चाहता हूं।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है दिल्ली में मिट्टी के तेल की कीमत 14.83 रुपए प्रति लीटर है, पाकिस्तान में यह 44 रुपए प्रति लीटर है, श्रीलंका में यह 24 रुपए, बांग्लादेश में यह 27 रुपए है तथा नेपाल में यह 45 रुपए है।

रसोई गैस के संबंध में दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 399 रुपए प्रति सिलिंडर है, पाकिस्तान में यह 757 रुपए है, श्रीलंका में यह 863 रुपए है, बांग्लादेश में यह 469 रुपए है और नेपाल में यह 819 रुपए है।

आप मुद्रा के उतार-चढ़ाव के बारे में भूल गए। जहां तक खाद्य, वस्तु और ईंधन का प्रश्न है प्रत्येक विकासशील देश में यह समस्या है। इसलिए हम इन मुद्दों को सुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि यह सरकार ऐसा करना जारी रखेगी। लेकिन इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें सभा के सभी तबकों और मुख्यत: प्रमुख प्रतिपक्षी दल के समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि हम आपके अनेक विचारों कम से कम पीएफआरडीए और जीएसटी जैसे विधान के क्षेत्र को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चुनावी घोषणापत्र में आपने वर्ष 2009 में बताया कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप $12^1/_2$ प्रतिशत की दर से जीएसटी लाएंगे और इसे कम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कृपया अपना समर्थन दें।

अध्यक्ष महोदया, जब मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होता है तो इसमें दो बातें करने की आवश्यकता है-आपूर्ति में वृद्धि करना और मांग कम करना। लेकिन आपूर्ति को कम समय में बहुत अधिक वृद्धि करना सदैव संभव नहीं है। कृषि वस्तुओं के संबंध में आपूर्ति और मांग के बीच काफी अंतर है। पिछले दो बजटों में कृषि क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा देश

के पूर्वी भाग में हरित क्रांति लाने हेतु 8 वस्तुओं की पहचान की है। मैं इस बात से व्यथित था कि अनेक राज्यों के लिए केवल 200 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। मुझे बताया गया था कि यह शुरूआत है और उनकी मांग के अनुसार यथा आवश्यकता राज्यों को और धनराशि दी जाएगी। मैंने इसे और बढ़ाया है और मैंने इस वर्ष के बजट में अतिरिक्त आबंटन किया है। हमने देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन उपज वाले गांवों की घोष्णणा की है और उनके लिए विशेष पैकेज प्रदान किया है। हमें अगले वर्ष लाभ प्राप्त होगा। किसानों के कारण दलहन उत्पादन 14 मिलियन टन से बढ़कर 18 मिलियन टन हो गया और इससे चार मिलियन टन की वृद्धि हुई। थोक मूल्य सूकांक से आप कुछ दलहन के मूल्यों से हलका करे जो बहुत अधिक और ऊंचे स्तर पर था और जिसके कारण सदस्य बहुत उत्तेजित और आंदोलित हो गए। यही कारण है कि दलहन गरीब आदमी के उपयोग की चीज है और यह गरीब आदमी का प्रोटीन है ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आप यह न समझे कि यह कम होगा। मुद्रास्फीति की दर को कम करना होगा।

मांग बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में पारिश्रमिक में क्या वृद्धि हुई है? ग्रामीण क्षेत्रों की क्या क्रय शक्ति रही है। आप मुझ पर विश्वास मत करे। हम कह कसते हैं कि सीओएस रिपोर्ट उपलब्ध है। नमूना उपलब्ध है और संगठन रिपोर्ट उपलब्ध है।

मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा प्रति ववर्ष गांव जाता हूं। खाद्य की कमी की स्थिति में क्या होता है हम भलीभांति परिचित हैं। जो लगातार वर्षों से गेहूं और चावल के मूल्य हैं लगभग 21 रुपए से 23 रुपए तक स्थिर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई आंदोलन नहीं हुआ। क्या लोगों ने गांवों से महानगरों की और झुंड में पलायन नहीं किया? हां, लोगों के एक तबके में आंदोलन हुआ था। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि लोग भुखमरी से मर रहे है क्योंकि आज हमारे पास संभावनाएं हैं।

ग्रेट बंगाल अकाल की रिपोर्ट क्या है जहां 1942-93 में पांच मिलियन लोग भुखमरी से मर गए। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा खाद्यान्नों की कमी के कारण नहीं हुआ, ऐसा क्रय शक्ति के अभाव में हुआ। आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जो कुछ भी आलोचना करें, इसने गांवों में पारिश्रमिक में वृद्धि की है। अत: लोगों के पास विकल्प है। किसी व्यक्ति के पास विकल्प है कि यदि मैं एक दिन कार्य करता हूं तो सूचकांक के साथ गारंटी रोजगार में मुझे एक दिन में 139 रुपए प्राप्त होगा चाहे गेहूं और चावल की कीमत 23-24 रुपए क्यों न हो। मैं 2 किलो ग्राम खरीदने की स्थिति में हूं और मेरे पास अतिरिक्त भी है जो इस योजना की शुरूआत के पहले नहीं था।

यदि आप संसाधनों का केन्द्र से राज्यो, राज्यों से ग्रामीण क्षेत्रों, केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि पिछले कई वर्षों से महत्त्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इसलिए अपना अवलोकन करते समय इन पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जी हां, मौद्रिक नीति के संबंध में आलोचना की गई है, दरों को बढ़ा दिया गया है। श्री यशवंत सिन्हा ने कड़े शब्दों में आलोचना की है कि "आपके वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज में 1,86,000 करोड़ रुपए दो वर्षों, वर्ष 2008-09 और 2009-10 में प्रदान किया गया। आपने बेतहाशा मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को अनुमति प्रदान की है। यदि मैंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए जेएनएनयूआरएस के अंतर्गत नए वाहन, सार्वजनिक वाहन, बस खीरने के लिए राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए प्रदान किए तो क्या मैं मुनाफखोरों, घोटालेबाजे को धनराशि दे रहा हूं।

यदि मैं 1,86000 करोड़ रुपए में से 25 प्रतिशत तक राज्यों का विकास परिव्यय बढ़ाता हूं तो क्या मैं मुनाफाखोरों और घोटालेबाजों की मदद कर रहा हूं या मैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सड़कों और अधिक विद्यालयों का निर्माण करने, में सहायता कर रहा हूं। कृपया इसका विश्लेषण करें। जी हां, कर में छूट प्रदान किया गया, उत्पाद शुल्क में कमी की गई और स्वास्थ्य उद्योग के लिए आयात शुल्क को काफी कम किया गया। इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। अमेरिका में मुद्रास्फीति बहुत अधिक नहीं थी, यूराप में मुद्रास्फीति बहुत अधिक हीं थी। यह 2 से $2^1/_2$ प्रतिशत थी लेकिन उद्योग-धंधे छोटे-छोटे बंद हो गए और एक-एक कर बैंक डूब गए। भारत में हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हां, हमारा विकास धीमा हो गया लेकिन हमने विनाशकारी स्थिति पैदा होने नहीं दी। लेकिन आपमें से कोई भी विशेषकर श्री यशवंत सिन्हा जी छी वर्षों तक वित्तमंत्री के रूप में रहे, यदि उनके पास ये आंकड़े होते तो वे भी यही करते।

वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही में वृद्धि 9 प्रतिशत थी। अन्तिम तिमाही में यह लगभग 5.8 प्रतिशत हाने जा रही थी। सही मायने में मेरे प्रभावशाली पूर्ववर्ती श्री चिदंबरम और प्रधान मंत्री ने दिसंबर महीने में पहला अच्छा खासा प्रोत्साहन पैकेज दिया। जनवरी में हमने दूसरा प्रोत्साहन पैकेज दिया। अभी हाल में अंतरिम बजट में भी मैंने सभी की उदारता का लाभ उठाते हुए आपको कहा था कि मैं अर्थव्यवस्था को बचाने, विकास की रफ्तार को और अधिक धीमा होने से बचाने हेतु प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर रहा हूं यद्यपि मुझे अच्दी तरह पता है कि मेरे पास जनादेश नहीं है। मेरा जनादेश 23 मई को समाप्त हो जाना है और यह केवल $1^1/_2$ महीने के लिए है। लेकिन आप मेरे प्रस्ताव पर उदारतापूर्वक सहमत थे। जब हम नए जानदेश के साथ वापस आए तो मैंने

इसे पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वित्तीय फिजूलखर्ची में खामिल हूं। पर्याप्त मौद्रिक उपाय करके हमने इसे कम किया।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता पार्टी के शासन के पहले हमने मुद्रा स्फीति की दर बढ़ायी थी। यह सही नहीं है। जब $2^1/_2$ वर्षों के कार्यकाल के बाद आपने और इसके बाद दूसरे दल ने पद छोड़ तो जनवरी 1980 में मुद्रास्फीति की दर 21 प्रतिशत थी। इसलिए यह सही नहीं है। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ये सच्चाई है। जब आपने वर्ष 1977 में पदभार ग्रहण किया तो तत्कालीन वित्त मंत्री और मेरे सम्मानित पूर्ववर्ती श्री सी. सुब्रहणयम द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण ब्याज दर बहुत ही कम थी। एक वर्ष 1976-77 में इस देश में मुद्रास्फीति दर नकारात्मक थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खता अतिरिक्त था। इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि विकास बनाम मुद्रास्फीति को नहीं मिलाएं। लोकतंत्र के दुर्ग इस महान सभा की अखंड छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हां, मुश्किल हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ भी खाना शुरू करना पड़ेगा। महंगाई समस्या है जिसका हमने विगत में सामना किया है और इस समय हम सामना कर रहे हैं। सामूहिक रूप से हम ऐसा करने में सक्षम होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री और मेरे अन्य सहयोगियों को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था और उन्हें पूरी तरह जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हमें जनादेश प्राप्त हुआ लेकिन जनादेश इस संदेश के साथ "आज लोगों के साथ चलिए" प्राप्त हुआ। हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछ छोटी मोटी बातों का उत्तर मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे चर्चा करने के लिहाज से वाहवाही लूटने में दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल एक तंत्र का पता लगाने में दिलचस्पी है जिसके माध्यम से हम साथ-साथ कार्य कर सकें।

अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री यशवंत सिन्हा।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, माननीय वित्त मंत्री इस प्रस्ताव का एक बहुत ही व्यापक उत्तर दिया है जो सदन में रखा गया था। मैं उन बिंदुओं का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हूं जो उन्होंने बोला है बल्कि मैं उस तथ्य पर अपनी निराश दर्ज कराने के लिए खड़ा हूं कि भविष्य में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में उन्होंने सदन को विश्वास में नहीं लिया। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय मंत्री जी, महंगाई कब तक कम होगी इसकी कोई समय सीमा बताई जाए। *...(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): हमने कल इस बात को रखा। जमाखोरी और मुनाफाखोरी के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। मुनाफाखोरी के खिलाफ कोई कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं? *...(व्यवधान)* हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.51 बजे

तत्पश्चात् श्री दारा सिंह चौहन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यशवंत सिन्हा जी, कृपया जारी रखिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया जारी रखिये।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सरकार के समर्थक दल जो बार-बार हर मुद्दे पर उनका समर्थन करते हैं, उनको बेल आउट करते हैं, वही आज सदन के बाहर जा रहे हैं। लेकिन मेरी उम्मीद यह थी कि आज वित्त मंत्री महोदया सदन को विश्वास में लेकर यह बताएंगे कि हम अगले महीनों में या अगले दिनों में ये दस कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक का भी जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और कहना चाहता हूं कि जहां तक हम लोगों का सवाल है, एनडीए का सवाल है, वित्त मंत्री जी के उत्तर से हमें घोर निराशा हुई है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रणव बाबू के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उन्होंने ठीक बात कही कि 12 परसेंट डीजल किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सेल टावर लगभग 4 लाख है। एक दिन में वे 1 करोड़ 20 लाख लीटर तेल खर्च करते हैं। बाकी सवाल पर मैं नहीं जा रहा हूं। आपने कार का जिक्र किया, लेकिन एक कदम जो यशवंत सिन्हा जी बोल रहे हैं, यह तो बिल्कुल आपके हाथ में है कि जो सेल टावर वाले लोग हैं, उनको सब्सीडाइज्ड 3 रुपये 80 पैसे देने का क्या मतलब है। उस पैसे को बचा कर आप जो किसान के 12 परसेंट का इस्तेमाल है उसकी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा आप से निवेदन है कि यह काम आसान है। यह काम आसानी से किया जा सकता है। आपके मॉल्स, होटल्स, कारें, सैल टावर को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? किसान को सब्सिडी देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री गुरुदास दास गुप्त द्वारा प्रस्ताव पर संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

प्रस्ताव में,

'सभा में' शब्द के बाद और खाद्य पदार्थों की महंगाई को रोकने में सरकार की असफलता जोड़ा जाए। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य: हां।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम मत विभाजन की मांग करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य ने मतदान विभाजन द्वारा कराने की मांग की है।

दीर्घाएँ खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदया: अब दीर्घाएँ खाली हो गई हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अब महासचिव मतदान प्रक्रिया के बारे में सभी को बताएंगे।

महासचिव: स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्ष-पीठ के दोनों तरफ सूचक बोर्ड पर लालबत्ती जल रही है। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गई है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बंटनों को कृपया एक-साथ दबायें अर्थात्

   माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्ले 2 पर लगा एक ''लाल'' बटन और साथ ही सीट के डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटन

   पक्ष में ... हरा बटन

   विपक्ष में ... लाल बटन

   भाग नहीं लिया ... पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती ''बुझ'' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

   महत्त्वपूर्ण: माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार अलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर रहीं रखा जाता। तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बटन (पी.) नहीं दवायें।

6. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान 'सूचक बोर्डों' पर तथा अपने 'डेस्क युनिट' पर देख सकते हैं।

7. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री गुरूदास दास गुप्त द्वारा प्रस्तुत शोधन सं. 2 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

प्रस्ताव में,

''सभा में'' शब्द के बाद जोड़े

''और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को रोकने में सरकार की विफलता'' जोड़े

लोक सभा में मत विभाजन हुआ:

अपराह्न 12.52 बजे

मत विभाजन **पक्ष में**

आचार्य, श्री बसुदेव

आनंदन, श्री एम.

करूणाकरण, श्री पी.

कुमार, श्री पी.

कृष्टप्प, श्री एन.

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

चौधरी, श्री बंस गोपाल

जेना, श्री मोहन

टुडु, श्री लक्ष्मण

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तराई श्री बिभू प्रसाद

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरुदास

नटराजन, श्री पी.आर.

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिजू, श्री पी.के.

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

मंडल, डॉ. तरुण

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महापात्र श्री सिद्धांत

मिश्रा, श्री पिनाकी

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राव, श्री के. नारायण

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगनमोहन

लागुरी, श्री यशवंत

*सीट आबंटित नहीं किए जाने के कारण पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

लिंगम, श्री पी.

वेणुगोपाल डॉ. पी.

शिवासामी, श्री सी.

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सुगुमार, श्री के.

सेम्मलई, श्री एस.

हक, शेख सैदुल

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अर्गल, श्री अशोक

अजनाला, डॉ. रतन सिंह

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के..एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीश राम

कछाड़िया श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कृपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

*कोवासे, श्री मारोताव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्कराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, सेलवन श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पवन सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

घुबाया, श्री शेर सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चाको, श्री पी.सी.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

* जोशी, श्री कैलाश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकोर, श्री जगदीश

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस प्रो. के.वी.

*थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

*दस्तिदार, डॉ, काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

देवी, श्रीमती अश्वमेध

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

*पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री प्रतीक
पाटील, श्री सी.आर.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, कुमारी सरोज
पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
पायलट, श्री सचिन
पाल, श्री जगदम्बिका
पाल, श्री राजाराम
पाल, श्री विन्सेंट एच.
पासवान, श्री कमलेश
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.
पुनिया, श्री पन्ना लाल
पॉल, श्री तापस
पोटाई, श्री सोहन
प्रधान, श्री अमरनाथ
प्रसाद, श्री जितिन
बंदोपाध्याय, श्री सुदीप
बंसल, श्री पवन कुमार
बब्बर, श्री राज
बनर्जी, श्री अम्बिका
बासवराज, श्री जी.एस.
बहुगुणा, श्री विजय
बाइते, श्री थांगसो
बाजवा, श्री प्रताप सिंह
''बाबा'', श्री के.सी. सिंह
बालू, श्री टी.आर.
बिसवाल, श्री हेमानंद
बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह
बेग, डॉ. मिर्जा महबूब
बेसरा, श्री देवीधन
बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल
बैस, श्री रमेश
भगत, श्री सुदर्शन
भगोरा, श्री ताराचन्द्र
भुजबल, श्री समीर
भैया, श्री शिवराज
भोई, श्री संजय
मंडल, श्री मंगनी लाल
मलिक श्री जितेन्द्र सिंह
मसराम, श्री बसोरी सिंह
महन्त, डॉ, चरण दास
महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाराज, श्री सतपाल
*माकन, श्री अजय
माझी, श्री प्रदीप
मांझी, श्री हरि
मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई
मारन, श्री दयानिधि
मित्रा, श्री सोमेन
मिर्धा, डॉ. ज्योति
मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद
मिश्रा, श्री महाबल
मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल
मीणा, नमोनारायन
मीणा, श्री रघुबीर सिंह
मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड
मुंडे, श्री गोपीनाथ
मुखर्जी, श्री प्रणव
मुंडा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मेघवाल, श्री अर्जुन राम
मेघवाल, श्री भरत राम
मेघे, श्री दत्ता
मैन्या, डॉ. थोकचोम
मोइली, श्री एम. वीरप्पा
यादव, श्री अरूण
यादव, श्री अंजनकुमार एम.
यादव, श्री दिनेश चन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.,

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एस. पल्लम

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

राजचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री अर्जुन

*राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

वासनिक, श्री मुकुल

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास. डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री जगदीश

शानवास, श्री एम.आई.

शांता, श्रीमती जे.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी आगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

*सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री उदय प्रताप

*सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हसन, डॉ. मोनाजिर

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:

पक्ष में : 51

विपक्ष में : 320

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.03 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि सभा में मूल्य वृद्धि पर बार-बार चर्चाओं के बावजूद, आम आदमी पर मूल्य वृद्धि का बोझ निरंतर बना हुआ है। मूल्य वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.04 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

(एक) कॉयर बोर्ड

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किये/शुद्धि की। विपक्ष में 320 + डॉ. काकोली घोष दस्तिदार, सर्वश्री कैलाश जोशी, मारोतराव सैनुजी कोवासे, अजय माकन, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील, सर्वश्री प्रेमदास राय, फ्रांस्सिको कोज्मी सारदीना, एन. धरम सिंह, आर. थामराईसेलवन, पी.टी. थॉमस = 330

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.04½ बजे

(दो) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपल-नियम (3) के अंतर्गत, मंत्री के रूप में नियुक्त श्री वी. किशोर चन्द्र देव के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.05 बजे

(तीन) लोक लेखा संबंधी समिति

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, मंत्री के रूप में नियुक्त श्रीमती जयंती नटराजन के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, मंत्री के रूप में नियुक्त श्रीमती जयंती नटराजन के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 1.06 बजे

दूर संचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (त्रिसूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा सर्वश्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव और पवन सिंह घाटोवार द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर, दूरसांचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए, सर्वश्री विजय बहुगुणा और इज्यराज सिंह को नियुक्त करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा सर्वश्री श्री. किशोर चन्द्र एस. देव और पवन सिंह घाटोवार द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर, दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए, सर्वश्री विजय बहुगुणा और इज्यराज सिंह को नियुक्त करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.सी. चाको: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसें और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में श्रीमती जयंती नटराजन द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में श्रीमती जयंती नटराजन द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 3 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (बिदिशा): मैडम, मैं यह कहना चाहती हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सर्वप्रथम, उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मूविंग से पहले ही मैं कहना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पहले मूव करने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मूव कर देंगे, तो फिर मेरी आपत्ति कैसे होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पहले मूव करें, फिर आप बोलिए। आपको बोलने के लिए समय दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.08 बजे

लोक पाल विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायण स्वामी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे लोकपाल विधेयक की पुर:स्थापना पर संवैधानिक आपत्ति उठाने हेतु मेरी अनुमति के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज प्रतिपक्ष की नेता से सूचना प्राप्त हुई है।

मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रक्रिया के नियमों के नियम 72 के उप-नियम (2) के उपबंध के अनुसार किसी विधेयक की पुर:स्थापना का विरोध करने की सूचना में उठायी जाने वाली आपत्ति सुस्पष्ट और संक्षेप में होनी चाहिए। प्रतिपक्ष की माननीय नेता ने अपनी सूचना में उस संवैधानिक आपत्ति का उल्लेख नहीं किया है जिसे वे उठाना चाहती हैं। हालांकि इसका उल्लेख उन्होंने मुझसे बाद में किया।

तथापि चूंकि विधेयक की विषय-वस्तु महत्त्वपूर्ण है, मैं उन्हें इस आपत्ति का एक विशेष मामले के रूप में बहुत ही संक्षेप में उठाने के लिए अनुमति प्रदान कर रही हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (बिदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे नियम 72 के अंतर्गत लोकपाल विधेयक के पुर:स्थापन के समय अपनी आपत्ति जताने की अनुमति दी है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी सीमाएं जानती हूं नियम 72 के अंतर्गत यदि लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस के आधार पर आपत्ति जताई जाए तो विस्तृत चर्चा हो सकती है वरना अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहनी पड़ती है। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगी, लेकिन बात बहुत ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण है इसीलिए कहना चाहती हूं।

मेरी आपत्ति सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि बिल का विषय ऐसा है जिस पर सरकार बिल बना सकती है। हमने भी एनडीए के कार्यकाल में बिल बनाया था। लेकिन मेरी आपत्ति संविधान के उल्लंघन की है। मेरी आपत्ति इस देश के क्रिमिनल लॉ की स्कीम के उल्लंघन की है। मेरी आपत्ति यह है कि भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। उसकी निगाह में न कोई कम है न ज्यादा, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। इसी के आधार पर हमारे यहां क्रिमिनल लॉ की स्कीम बनाई गई और किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को इम्युनिटी नहीं दी गई। यह कहा गया कि सब बराबर हैं। हमारे यहां क्रिमिनल लॉ दो चीजों आईपीसी और सीआरपीसी से गवर्न होता है। आईपीसी में किसी तरह की इम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट इस देश ने बनाया। भ्रष्टाचार से लड़ने के सबसे बड़े इस विधेयक में प्राइम मिनिस्टर को कोई इम्युनिटी नहीं है। लेकिन मुझे दुख हुआ, जिसके कारण मुझे आपत्ति जतानी पड़ी। पहली बार आजादी के बाद हम एक विधेयक ऐसा ला रहे हैं, जिसकी धारा दो में जहां परिभाषाएं लिखी हैं, वहां मिनिस्टर की परिभाषा देते समय लिखा गया है

[अनुवाद]

मंत्री का अर्थ है केन्द्रीय मंत्री लेकिन इसमें प्रधान मंत्री शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

यह है इसका प्रावधान, जिसमें कहा है कि मंत्री का मतलब है केन्द्र का कोई भी मंत्री। लेकिन प्रधान मंत्री इसके दायरे में नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि यह तर्क कहां से आया। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हुआ होली कॉऊ कैसे हो सकता है। आईपीसी के तहत उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है। लेकिन यह लोकपाल बिल, जो स्पेशल इंवैस्टीगेशन एजेंसी के तौर पर बनाया जा रहा है, इसमें प्रधान मंत्री को बाहर क्यों रखा जा रहा है?

मैं याद दिलाना चाहती हूं जिस समय हमने यह बिल बनाया था, यह बहस तब भी उठी थी। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि उस समय के हमारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वाक्य कहकर उस बहस को समाप्त कर दिया था कि अगर मैं इस दायरे में नहीं होऊंगा, अगर प्रधान मंत्री इसके दायरे में नहीं होगा, तो विधेयक निष्प्रभावी हो जाएगा। इसी के साथ वह बहस बंद हो गई थी। हमने जो बिल बनाया, उसमें प्रधान मंत्री थे। आज प्रणव दादा यहां बैठे हैं, यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को गया था। हमने वह बिल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम को भेजा था। उस समय स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन स्वयं प्रणव दादा थे। उन्होंने उस स्कीम को मंजूर किया था और कहा था कि प्रधान मंत्री लोकपाल के दायरे में होने चाहिए। मुझे खुशी है कि आज के प्रधान मंत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं इसमें रखना चाहता हूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके सहयोगी मना क्यों कर रहे हैं, केबिनेट उनकी बात सुन क्यों नहीं रही है? इसलिए मेरी आपत्ति है किभारत का संविधान समानता का अधिकार देता है। भारत का क्रिमिनल लॉ किसी को इम्युनिटी प्रदान नहीं करता है, उन तमाम का उल्लंघन करते हुए यह विधेयक यहां लाया गया है। हमारी आपत्तियां तो अनेक हैं। इस बिल को प्रभावी बनाने के लिए बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि 72 की धारा 2 के

तहत मुझे संक्षेप में अपनी बात कहनी है। इसलिए प्रमुख तौर पर मैं यह आपत्ति उठा रही हूं और कह रही हूं कि बिल में महज इतना संशोधन करके लाएं कि प्रधान मंत्री भी मंत्री के रूप में शामिल किए जाएंगे। कल हमारे सामने ले आएं, हम इस बिल को यहां इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दे देंगे, लेकिन इस रूप मं हम बिल को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदया: आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री वी. नारायणसामी: बिना नोटिए दिए आप इस पर नहीं बोल सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं एक मिनट ही लूंगा।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: आपको सूचना देनी होगी।

अध्यक्ष महोदया: कोई सूचना नहीं है। मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री वी. नारायणसामी: नियमों के तहत सूचना देनी होती है ...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक को अब सभा के विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है। वास्तव में प्रतिपक्ष के नेता ने भी यह कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं विधेयक के अधिकार क्षेत्र में आने का आमंत्रण दिया है। इसके बाद मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और विधेयक पहले से ही डोमेन में है ...*(व्यवधान)*

विधेयक स्थायी समिति के पास जाएगा। अब यह विधेयक सभा की संपत्ति है और जब हम इस पर सभा में चर्चा करते हैं तो सभा सर्वोच्च होती है और सभा जो भी निर्णय लेती है वहीं अंतिम होता है इसलिए इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं केवल एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि क्योंकि यह सवैधानिक मामला है उठाई गई आपत्ति का उत्तर दिया जा चुका है। चूंकि सुषमाजी ने मेरा नाम लिया है तो यह सच है कि मैं वर्ष 2001 में गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति का समापन था जब लोकपाल विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति के सभापति के रूप में मैंने 16.2.2002 को लोकपाल विधेयक के बारे में समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर प्रस्तुत किया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब 2002 और 2003 का दो वर्ष का पूर्ण कार्यकाल उनके पास था तो तत्कालीन सरकार को किस चीज ने इस विधयक को लाने से रोका...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अधिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदया: मंत्रीजी विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.24 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.24 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के अंदर पर्ची स्वयं सभा पटल पर रखे।

जिन मामलों के लिए पर्ची निर्धारित समय के अंदर सभा पटल पर प्राप्त हो जाएंगी उन्हें सभा पटल पर रखा माना जाएगा। शेष को व्यगत मान लिया जाएगा।

(एक) पंजाब के मुकेरिया, दसुया, टांडा, होशियारपुर, शाम चौरासी और फगवाड़ा विधान सभा के अंतर्गत विभिन्न रेल समपारों पर चौकीदारों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र होशियारपुर (पंजाब) के विधानसभा मुकेरियां, दसुहा, टान्डा, होशियारपुर,

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**सभापटल पर रखे माने गये।

शाम चौरासी तथा फगवाड़ा में कई स्थानों पर रेलवे क्रोसिंग तो है परन्तु बिना फाटक के वहां से आने-जाने वाले नागरिक ट्रेन के भय से अहमे हुए रहते हैं। सर्दी तथा बरसात के समय में धुंध के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्कूल जाते बच्चों की गई बार मौतें भी हो चुकी हैं, कई लोग अंगही हो जाते हैं तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। प्रायः देखा गया है वाहन चालक पर रेलवे विभाग द्वारा केस दर्ज तो कर दिया जात है और वर्षों तक जांच कमिशन की रिपोर्ट पेश भी नहीं होती तथा लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि उक्त स्थानों पर रेलवे क्रोसिंग पर फाटक लगवाने की प्रक्रिया को गंभीरत से लें क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण तथा पिछड़ा क्षेत्र है। जनता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लम्बे समय से रखी गयी मांग को पूरा करने का प्रयत्न किया जाए।

(दो) देश में चीनी मिलों के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन पर महंगाई भत्ता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता।

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल-उधमसिंह नगर): मैं देश की चीनी मिलों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता देने के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारे देश की चीनी मिलीों में कार्यरत श्रमिकों के लिए वर्ष 1995 में पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस पेंशन योजना से चीनी मिल से सेवामुक्त कर्मचारियों को एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। लगभग 16 वर्ष के बाद सेवामुक्त कर्मचारियों के पेंशन में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है तथा महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस लोक हित के अति महत्त्वपूर्ण मामले पर हस्तक्षेप कर चीनी मिलों के पेंशनभोगियों को भी राजय और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते देने के लिए सहानुभूमिपूर्वक विचार करें जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण भली प्रकार कर सकें।

(तीन) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डॉ. क्रुपारानी किल्ली (श्री काकुलम): आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिला पर्यटक स्थलों में से एक है जहां बहुत से अद्वितीय और प्राचीन मंदिर हैं। "श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर" सूर्य भगवान का एक अद्वितीय और प्राचीन मंदिर है। श्रीकाकुलम में वामसाधार नदी के किनारे अरसावल्ली में स्थित भगवान शिव का मंदिर है, श्री मुखलिंगम में जो पहले गंग राजाओं की राजधानी थी। श्रीकुर्मम अवस्थित मंदिर, जो श्री काकुलम जिले में है। भवागन विष्णु को समर्पित है। कलिंगपटनम् का समुद्रतट, तेल्लिनीलपुरम का पक्षी अभ्यारण्य और दूसरी शताब्दी के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल अर्थात् सालिहुनदम और दंतवरीपुरी अन्य ऐसे स्थल हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

यद्यपि जिले के पर्यटक और तीर्थ स्थल बहुत प्रसिद्ध और अद्वितीय हैं लेकिन इनकी ओर पर्यटकों का उतना ध्यान नहीं जाता जितना होना चाहिए और इसका कारण इन स्थानों पर अवसरचनाओं और सुविधाओं का अभाव है। कोई समुचित सड़क सम्पर्क तथा पर्यटकों के रहने के लिए यहां पर समुचित स्थान नहीं है।

इसलिए, मैं पर्यटक मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया श्रीकाकुलम जिले में उपर्युक्त पर्यटक स्थानों के समग्र विकास के लिए धनराशि जारी करे।

(चार) उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): देश के विभिन्न हिस्सों में बरसात शुरू होते ही जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद अभी तक इस जानलेवा बीमारी के उपचार के लिए किसी प्रकार की दवा ईजाद नहीं हुई है। केवल उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 24 एवं 25 जुलाई को जापानी इंसेफेलाइटिस के 23 नये रोगी भर्ती हुए जिसमें 3 मरीजों की मृत्यु हो गयी। अभी भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 85 मरीजों का इलाज चल रहा है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जनवरी माह में 597 मरीज भर्ती हुए जिसमें 125 की जानें जा चुकी हैं। भारत सरकार ने उक्त रोग की रोकथाम के लिए 16 लाख टीके उत्तर प्रदेश सरकार को दिये थे परन्तु टीकाकरण का कार्य ही प्रारंभ नहीं किया गया और दवाएं एक्सपायर हो गयी।

अतः, मैं प्रदेश में टीकाकरण का कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग करता हूं।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता।

श्री कमल किशोर "कमांडो" (बहराइच): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बहराइच, उत्तर प्रदेश एक अत्यंत पिछड़ा जिला है।

भारत नेपाल सीमा पर बसा होने के कारण नेपाल की ओर से आने वाली नदियों से प्रत्येक वर्ष इस जिले में भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ के पानी के हर वर्ष अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं। इस जनपद में चिकित्सा सुविधा आ अत्यंत अभाव है। इस जनपद के आसपास 200 कि.मी. तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। समय से चिकित्सा सुविधा न मिल पाने से अनेकों लोग दम तोड़ देते हैं। इस जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम है तथा जिले में अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कम है तथा जिले में अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं एवं प्रशिक्षित डॉक्टरों विशेषकर महिला डॉक्टरों की नितांत आवश्यकता है। महिला डॉक्टरों के अभाव में महिलाओं की चिकित्सा तथा प्रसव सुविधा नहीं मिल पाती है।

मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि बहराइच, उत्तर प्रदेश में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, जिले के अस्पतालों का उन्नयन करने तथा प्रशिक्षित डॉक्टरों, महिला डॉक्टरों की नियुक्ति प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने की स्वीकृति देने की कृपा करें।

(छह) केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन/ शिलान्यास समारोह उस क्षेत्र में संसद सदस्य द्वारा कराए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं आपका ध्यान सांसदों के अपने क्षेत्र के अन्दर मान-सम्मान की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय सांसदों के द्वारा ही शिलान्यास एवं उद्घाटन आदि कराएं जराएं, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन के समय स्थानीय सांसद की उपेक्षा की जा रही है। भारत सरकार के मल्टी सैक्टोरल डेवलप्मेंट प्लान के अंतर्गत मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी जनपद के लिए 4 राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय आई.टी.आई. में 1 बालक तथा 1 बालिका छात्रावास भवन स्वीकृत हुआ था, जिसका दिनांक 02.06.11 को बाराबंकी जनपद में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, बाराबंकी के तत्वावधान में उद्घाटन करा दिया गया लेकिन स्थानीय सांसद को आमंत्रित नहीं किया गया।

अत: आपसे अनुरोध है कि सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं के उद्घाटन/शिलान्यास स्थानीय सांसद द्वारा कराये जाएं। यह भी आदेश दिए जाएं कि भारत सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा की जाएगी।

(सात) तमिलनाडु के इगमोर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की मौजूदा प्रचालन प्रणाली को जारी रखे जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): चेन्नै सेंट्रल रेलवे स्टेशन 1873 से ही चेन्नै के प्रथम टर्मिनल के रूप में काम कर रहा है। 1906 से एगमोर रेलवे स्टेशन दूसरे टर्मिनल के रूप में कार्य कर रहा है। अब दक्षिण रेलवे ने ताम्बारम को तीसरे टर्मिनल के रूप में परिवर्तित करने की योजना बनाई है और प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। यदि योजना को क्रियान्वित किया जाता है तो तमिलनाडु से चलने वाली तथा यहां आनेवाली सभी रेलगाडियों जो एगमोर स्टेशन को जाती है वे ताम्बारम रेलवे स्टेशन पर समाप्त होंगी। इससे आम लोगों को बहुत असुविधा और कठिनाई होगी।

तात्बारम रेलवे स्टेशन एगमोर रेलवे स्टेशन से 24 कि.मी. दूर है। दक्षिण जिलों को जाने वाले 61.5 प्रतिशत यात्री चेन्नै से आते हैं। यदि उन्हें दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने के लिए चेन्नै ताम्बारम रेलवे स्टेशन तक जाना है तो उन्हें कार या बस या ऑटो या विद्युत रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा और ताम्बरम पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। इससे पहले से ही भीड़ग्रस्त सड़क पर यातायात की भीड़ और जाएगी।

वर्तमान में एगमोर रेलवे स्टेशन से दक्षिणी हिस्सों के लिए प्रतिदिन 18 एक्सप्रेस ट्रेने चलती है। इसके अतिरिक्त 10 एक्सप्रेस गाड़ियां चेन्नै मध्य से एगमोर स्टेशन की ओर परिवर्तित की गयी हैं तथा 8 एक्सप्रेस रेलगाड़िया इस स्टेशन से गुजरती हैं। यदि हम प्रतिगाड़ी 1500 यात्री की औसत गणना करे तो लगभग 1 लाख यात्रियों को परेशानी हो रही है।

मैं माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वर्तमान में तमिलनाडु से आने तथा जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को एगमोर स्टेशन से ही चलाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाये। उत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को जो वर्तमान से एगमोर से चलती हैं, उन्हें रोयापुरम रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाए जिसके पास लगभग 72 एकड़ खाली जमीन पड़ी है। तब तक एगमोर रेलवे स्टेशन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखा जाए।

(आठ) अनुकंपा के आधार पर रोजगार मांगने वाले सभी व्यक्तियों को तत्काल रोजगार प्रदान कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): उच्चतम न्यायलय द्वारा अपने एक निर्णय के अंतर्गत सेवा में अनुकंपा के आधार पर रोजगार को अधिकार के यप में उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगाया

गया है। देश के सभी श्रमिक संगठनों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलेक में सरकार द्वारा अनुकंपा के आधार पर की जा रही नियुक्तियों पर प्रतिबंध का पुरजोर विरोध किया है, इसके बावजूद सरकार ने इसके बारे में कोई पुनर्विचार नहीं किया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अधिकार की परिभाषा बदलने के कारण कई परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो कर्मचारी श्रेणी 3 और 4 के प्रवर्ग में कार्यरत रहे है एवं उन्हें कार्यस्थल या अन्य किसी स्थान पर आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता का शिकार होना पड़ा उसका परिवार उस अवस्था में आजीविका के लिए सड़क पर आ जाता है। उनके पास जीवनयापन करने हेतु कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होने से बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे समय अगर अनुकंपा के आधार पर उस कर्मचारी की विधवा या वारिस को नौकरी मिल जाती तो इस परिवार को आजीविका के दूसरे संसाधन जुटाने हेतु भटकना नहीं पड़ता। कुछ राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा उसके सभी सार्वजनिक उपक्रमों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों में से केवल 5 प्रशित स्थान रिक्त रखे गए हैं और अनुकम्पा आधार पर आवेदकों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने के बाद केवल दो वर्ष की अवधि के अन्दर वरीयता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन सख्त नियमों के कारण देश के सभी क्षेत्रों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिये किये गये आवेदन निरस्त हो रहे हैं। यह कर्मचारियों के प्राकृतिक न्याययंत्र अधिकार को नकारने का मामला बन रहा है। अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों में आवेदकों को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है उसे देखते हुए सरकार द्वारा इसके बारे में लागू की जा रही नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में पंजीकृत करोड़ों लोगों की बढ़ती संख्या और बरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों हेतु इन आवेदकों कि संख्या शामिल हो रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों को कानून के रूप में अनिवार्य किया जाए।

(नौ) हिमाचल प्रदेश बीएसएनएल की टेलीफोन केबलों की चोरी से बचने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इन केबलों को भूमि के भीतर बिछाए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमालच प्रदेश में दूरसंचार व्यवसथा पूरी तरह चरमरा गई है। वहां कनैक्टीविटी ठीक नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण टेलीफोन के केबल ओवरहैड लगे हैं। केबलों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कनैक्टिविटी नहीं मिलती है और आम दूरसंचार उपभोक्ता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यहां तक बदतर है कि भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के अधिकार केबल चोरी की एफ.आई.आर. पुलिस में लिखवाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं और प्राय: पुलिस भी इन प्रकरणों में गंभीरता से सक्रिय नहीं होती। परिणामत: प्रदेश की आम जनता को कठिनाइयां भुगतनी पड़ रही है।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में केबल चोरी की घटनाओं से बचने के लिए विभाग को भूमिगत केबल बिछाने चाहिए। इस प्रकार से केबल चोरी से राहत मिलेगी और दूरसंचार कनैक्टिविटी भी बाधित नहीं होगी।

(दस) देश में आदिवासियों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): भारत सरकार ने जनजाति, विशेषकर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण एवं उनको सुविधाएं दिलाये जाने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला रखी हैं परन्तु उन तक 15 प्रतिशत सुविधाएं भी नहीं पहुंच रही हैं। इस तरह से अनुसूचित जनजाति की योजनाओं में आबंटित धन का नियमानुसार सदुपयोग नहीं हो रहा है। कई सांसद जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से इस सदन में आते हैं उन्होंने अनुसूचित जनजाति की कल्याण योजनाओं में आबंटित धन, प्रयुक्त धन के बारे में जानकारी मांगी है परन्तु उनको नियमानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं की जाती है। इस संबंध में, मैं केन्द्रीय मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं एवं इस मुद्दे को अनुसूचित जनजाति की बैठ में उठा चुका हूं।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं में आबंटित धन एवं प्रयुक्त धन की सूचना उन सभी सांसदों को दी जाये जिन्होंने इसकी मांग की है और इन कार्यों की समीक्षा भी करवाई जाये।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मखारा-कटनी विधान सभा क्षेत्र में समपार पर रेलवे उपरि पुल/अधोगामी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत आने वाला विधान सभा क्षेत्र मुड़वारा कटनी में देश का प्रतिष्ठित संस्थान 1942 में रक्षा उद्योग के रूप में आयुध

निर्माणी के रूप में स्थापित है, जो लगभग 250 करोड़ रुपए का उत्पादन प्रतिवर्ष करता है इसके आवासी क्षेत्र के बीच जहां कि केन्द्रीय विद्यालय एवं हॉस्पिटल स्थित है वहां से इलाहाबाद, मुंबई रेल मार्ग निकलता है जिससे करीब 200 ट्रेन मालगाड़ी/यात्रीगाड़ी निकती है। जिससे पूरे समय रेल फाटक बंद रहता है, आबादी क्षेत्र के बगल से विलगवां एवं छपरावार ग्राम सहित अन्य 25 ग्रामों का मुख्य रास्ता है, जिससे आम जनता को रेल फाटक पूरे समय बंद होने से काफी परेशानी होती है। इस स्थान पर रेलवे का अंडरब्रिज/ओवरब्रिज बनाया जाना अति आवश्यक है जिससे आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा सकता है।

(बारह) मध्यम प्रदेश में लम्बित नागर विमानन परियोजनाओं को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी का ध्यान हमारे मध्य प्रदेश राज्य में सालों से लंबित प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगी कि हमारे राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के विभिन्न विमानन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत लम्बित प्रस्तावों को पूरा करने के लिए बार-बार पत्र लिखने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। केन्द्र सरकार के पास हमारे राज्य सरकार की विमानन प्रस्ताव लम्बित रहने के कारण पर्यटन, आवागमन एवं कार्गो इत्यादि की दृष्टि से राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इस स्थिति का देखते हुए, मैं नागरिक उड्यन मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द इन लम्बित प्रस्तावों को मंजूर किया जाये ताकि राज्य सरकार को अपने राज्य का विकास करने में आसानी हो सके और साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि भोपाल से कोलकाता एवं जबलपुर से ग्वालियर और जबलपुर से नागपुर, मुंबई तथा नागपुर से जबलपुर के लिए वायु सेवा प्रारंभ की जाये।

(तेरह) जीत सागर बांध से राजस्थान को उनके विधि वत् हिस्से का पानी छोड़े जाने की आवश्यकता।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): राजस्थान राजय को रावी-व्यास जल रणजीत सागर बांध, पोंग बांध एवं भाखड़ा बांध से प्राप्त होत हैं रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य के नियंत्रण में है एवं अन्य 2 बांध भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल (बी.बी.एम.बी) के नियंत्रण में है। वर्तमान में राजस्थान के हिस्से का लगभग 72000 क्यूसेक पानी पंजाब द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से इंदिरा गांधी नहर में पेयजल हेतु भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता 2200 क्यूसेक पानी के विरुद्ध केवल 1100 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है, जिससे नहरों के अन्तिम छोर पर पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण जनता में भारी आक्रोश है। दूसरी ओर अबकी बार खड़ी फसलें भी पानी के अभाव में नष्ट हो गई। यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विकट हो जायेगी एवं कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियां बन सकती है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के हत भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल का यह उत्तरादायित्व है कि संबंधित राज्यों को हिस्से का पानी उपलब्ध कराये लेकिन इस मामले में भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने अपनी असमर्थता जताई है।

इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को तत्काल निर्देश दें कि राजस्थान के हिस्से का पानी रिलीज कराये। यदि पंजाब रणजीत सागर बांध से पानी नहीं छोड़ता है तो राजस्थान को पंजाब के पोंग एवं भाखड़ा बांध में राज्य के हिस्से के पानी से पानी छोड़ा जाये। इससे पंजाब के हक पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान की पानी की मांग उसके निर्धारित हिस्से के अनुरूप है इसलिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी छुड़वाये।

अपराह्न 2.25 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2011-12*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा पद संख्या 24 पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियां से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:

मांग संख्या 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 30 से 33, 38, 40, 41, 45, से 48, 50, 52 से 54, 57 से 61, 66, 72 से 75, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96 और 101 से 105"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

	मांग की संख्या और शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व	पूंजी
	1	2	3
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	-
2.	कृषि अनुसंधान और शिखा विभाग	2,00,000	
4.	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	-
6.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	4,20,21,00,000	-
9	नागर विमानन मंत्रालय	1,00,000	-
11.	वाणिज्य विभाग	3,00,000	-
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	-
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	2,00,00,000	-
19.	संस्कृति मंत्रालय	15,04,00,000	-
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	1,00,000	-
24.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	85,56,00,000	-
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	-
31.	विदेश मंत्रालय	198,54,00,000	-
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1111,79,00,000	10612,83,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	-	1,00,000
38.	व्यय विभाग	90,00,000	-
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	25,00,00,000	-
41.	राजस्व विभाग	1,00,000	-
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	95,50,00,000	-
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	6,00,000	1,00,000
47.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	3,00,000	-
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,00,000	-
50.	भारी उद्योग विभाग	32,00,000	-

1		2	3
52.	गृह मंत्रालय	1,00,000	–
53.	मंत्रिमंडल	434,64,00,000	–
54.	पुलिस	1759,47,00,000	2,00,000
57.	आवास और शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय	1,00,000	–
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2,00,000	–
59.	उच्च शिक्षा विभाग	2,00,000	–
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	–	8,63,00,000
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,00,000	–
66.	खान मंत्रालय	–	68,87,00,000
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,00,000	–
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	–	1585,74,00,000
74.	योजना मंत्रालय	1,00,000	–
75.	विद्युत मंत्रालय	31,49,00,000	–
82.	ग्रामीण विकास विभाग	2300,01,00,000	–
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	–
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	–
90.	अन्तरिक्ष विभाग	–	1,00,000
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2375,00,00,000	–
93.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	18,00,00,000
94.	पर्यटन मंत्रालय	2,00,000	–
96	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	35,56,00,000	–
101.	शहरी विकास विभाग	1,00,000	2,00,000
102.	लोक निर्माण कार्य	1,00,000	–
103.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	–	3,55,00,000
104.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	–
105.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1500,00,00,000	–
	जोड़	10391,48,00,0000	12297,69,00,000

अध्यक्ष महोदयाः अब श्री हरिन पाठक बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2011-2012 की 53 अनुदानों की मांगों पर जिसकी राशि 25,707 करोड़ रुपये है, इसे पारित कराने के लिए वित्त मंत्री जी सदन में आये हैं। यह हमारी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसे पारित करेंगे। मगर इन अदुनादों की मांगों का सीधा संबंध हमारे बजट के साथ है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का बजट हमने पारित किया है। बजट सिर्फ उस साल के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले पांच सालों की उसमें झलक होती है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो हर तीन महीने, छः महीने में उसकी परीक्षा होती है, उसका विश्लेषण होता है कि बच्चे ने क्या काम किया। आज मैं अनुदानों की मांगों पर सहमति देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि बजट जिस तरह से रखा गया है और बजट में जो-जो वायदे किये गये थे, उनमें से एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि जब वर्ष 2011-2012 का बजट सदन में रखा गया था, तब प्रधान मंत्री जी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जितने भी चैलेंजिज देश के सामने हैं, उनके सारे उपाय इस बजट में हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश की 64 सालों की आजादी के बाद और 64 सालों में से भी 53 साल तक कांग्रेस के शासन के बाद देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनमें से एक का भी ठीक से सामना किया गया हो। जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, ये पहले नहीं थी, लेकिन अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। आम जनता से लेकर मध्यम वर्ग, व्यापानी वर्ग या कोई भी वर्ग हो अथवा व्यक्ति हो, आज उनके लिए इस देश में जिस प्रकार का आर्थिक माहौल है, उसमें उनके लिए जीना संभव नहीं है। हम जी लेते हैं, जीते नहीं हैं और कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ायेंगे। हम इसलिए जी लेते हैं। न हमारी गरीबी दूर हुई, न महंगाई पर काबू पाया गया। सुबह श्री यशवंत सिन्हा जी ने ठीक कहा कि मैं सबसे ज्यादा निराश तब हुआ, वित्त मंत्री जी चले गये

उपाध्यक्ष महोदयाः नहीं, राज्य मंत्री जी हैं।

श्री हरिन पाठकः मुझे मालूम है। दोनों राज्य मंत्री बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानी मनिकम): दोनों राज्य मंत्री, राजस्व और व्यय यहां सभा में बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठकः इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जिनको करना था वह चले गये। उनसे भी नहीं हुआ। मैं वही निराशा और आक्रोश व्यक्त करता हूं। हमने जब यह चर्चा नियम 184 के तहत मांगी थी, तब हम चाहते थे कि सरकार कोई ठोस कदम के साथ बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का उपाय करेगी। महंगाई का संबंध सिर्फ व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि देश की अर्थ नीति के साथ जुड़ा है। महंगाई बढ़ती है बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के बाद भ्रष्टाचार आता है। बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी ये जो सारी चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। सरकार ने इनमें से एक का भी समाधान नहीं किया। सुबह मुझे ज्यादा दुख हुआ कि महंगाई को रोकने के बारे में एक भी बात नहीं कही गई और हम दावा करते हैं कि हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है।

हम विदेशों के साथ तुलना करते हैं कि अमरीका बैंकरप्ट होने जा रहा है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, अर्थशास्त्र मेरा विषय नहीं है। मगर मैं अर्थशास्त्र को समझता हूं। मेरे नेतृत्व ने आज से 20 साल पहले मुझे हर्षद मेहता मामले वाली कमेटी में सदस्य बनाया था तब से मेरी रूचि अर्थव्यवस्था में बढ़ी है। मैंने उसका अध्ययन किया है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बताना चाहता हूं, और सदन को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आर्थिक स्तर पर देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। यह मैं नहीं कहता। हम आर्थिक स्थिति में महाशक्ति बनने की बात करते हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैण्ड ने वष्र 2011-12 के बजट के पहले एक सर्वे में स्पष्ट कहा था, मेरे पास हिन्दुस्तान टाईम्स की 5 जनवरी 2011 की कटिंग है जिसमें लिखा है कि आर्थिक महाशक्ति बनने में महंगाई बाधा बन सकती है। आगे लिखा है कि-रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैण्ड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में वर्ष 2011 में मुद्रास्फीति को सबसे बड़ी चिंता बताया है। बैंक ने कहा है कि लोगों की आय बढ़ने के साथ-साथ सरकारी व्यय, वृद्धि और विश्व बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम, मूल्यों पर लगातार दबाव बनाए रखे जाएं, जो कि रिजर्व बैंक और मुद्रास्फीति पर अंकुश रखने के प्रयासों को दरकिनार करते दिखते हैं। जब तक आप महंगाई पर काबू प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक देश का अर्थतंत्र बिल्कुल गड्ढे में जाएगा। मैं आपको उसके आंकड़े भी देना चाहूंगा कि देश की क्या स्थिति है। जब एनडीए की सरकार थी, उस समय हमारे पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व 202 मिलियन डॉलर के आस-पास था। वहीं हमारा विदेशी कर्जा 104 मिलियन डॉलर था। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार आज देश पर 296 मिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है और हमारा रिजर्व फण्ड 297 मिलियन डॉलर है। यह लगभग बराबर है। मेरे पास ये फिगर भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम विकास के लिए एक रुपया निकालते हैं तो उसमें से सिर्फ 22 पैसा ही जाता है और यह 22 पैसा खर्च करने के लिए, देश के विकास के लिए हमें विदेशों से एक रुपये पर 27 पैसा कर्ज लेना पड़ता है। यह देश की आर्थिक स्थिति है। अभी-अभी वित्तमंत्री जी कह रहे थे कि टॉप इन्डस्ट्रियलिस्ट हमारे देश में हैं, उन्होंने रतन टाटा बगैराह का नाम लिया कि उनका नाम दुनिया में आ रहा है। हम आम आदमियों के लिए वही तो चिंता का विषय है कि देश का पैसा विदेशों में चला जाता है। यशवंत जी ने कहा कि देश में एक बड़ी खाई बनती चली जा रही है। वह खाई है कि पिछले पांच-दस सालों में, आपवे शासन में, अमीर और अमीर बन गया है और गरीब बर्बाद हो कर गरीबी की खाई में डूब गया। मेरे पास वह फिगर भी है। सन् 2004 में 96 हजार लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये थी। आज आप गौरव लेते हो कि हमने पैसे वाले को पैसे वाला बनाया है।

आज देश में चार करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा कमाने वालों की संख्या एक लाख चालीस हजार पर पहुंची यानी हमारे देश में एक लाख चालीस हजार लोग ऐसे हैं, जिनकी सालाना आमदनी चार करोड़ रुपये से ज्यादा है।

[अनुवाद]

अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है।

[हिन्दी]

एक लाख चालीस हजार है, यह विश्वास नहीं होता है। उसी पर यह चमक है, उन्हीं पर ये दावा करते हैं कि देश प्रगति कर रहा है और कोई महंगाई नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब कल बोल रहे थे कि महंगाई कहां है, पांच परसेंट लोगों में महंगाई है। मुझे हंसी आ रही थी, मैं पीछे बैठे-बैठे सुन रहा था। यह पांच परसेंट लोगों के लिए महंगाई है। एन.सी. सक्सेना की रिपोर्ट है, आपवे पास तो गरीबी के आंकडे नहीं है। आपके पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने गरीब हैं और आप फूड फॉर सिक्युरिटी बिल लाने की बात करते हो। आप यह बिल कैसे लाओगे जबकि एन.सी.सक्सेना की रिपोर्ट कहती है कि 36 करोड़ हैं। तेंदुलकर जी की रिपोर्ट कुछ और कहती है। कल के.एस. राव साहब बोल रहे थे, मैं उन्हें ध्यान से सुना है।

[अनुवाद]

आपने कल कहा कि पचास प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अब आपके मंत्री ने विरोधाभाष बातें कहीं है कि केवल पांच प्रतिशत लोग गरीब हैं।

[हिन्दी]

यह इतना मजाक गरीबों के साथ है। यह कल सलमान खुर्शीद जी ने कहा है। मैं इसी बात की चिंता को लेकर आपसे इतना ही कहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति, कल जो सारी चर्चा महंगाई पर हुई है, मैं उस पर कोई राजनीति स्कोर नहीं करना चाहता हूं, मुझे बेहद पीड़ा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती, यह कहने वाला मेरा देश, चाहे वह संस्कृति हो, चाह वह अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश का ज्ञान हो। विदेशों से हमारे पास लोग सीखने के लिए आते थे। आज देश का सारा ज्ञान, विद्वान लोग दुनिया भर में छाये हुए हैं। हमारा देश भी उस रास्ते पर चल पड़ा है। इस रास्ते पर सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। कर्जा बढ़ता जा रहा है, 35 परसेंट से ज्यादा प्लान एक्सपेंडीचर में खर्च नहीं कर सकते। यशंवत जी मैं ठीक कह रहा हूं ना। हमारे पास पैसा नहीं है। गैर-योजनाग एक्सपेंडीचर बढ़ता ही जा रहा है। इसे कहां तक ले जाओगे? हम सब्सिडी की बात करते हैं कि हमने सब्सिडी दी है। कुल मिलाकर एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी हम देते हैं। सब्सिडी की भी मैं आपको बात कहूं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अभी दावा किया कि हमने किसानों को सब्सिडी दी है। किसानों को जो सब्सिडी दी है, मेरे पास उसकी भी फिगर है। गरीब किसान को सस्ता अनाज देना, खेत मजदूरों को गैस में, डीजल में कुल मिलकार हमारी सब्सिडी एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये की है। यह बजट का सिर्फ 9 प्रतिशत है। आप लोग ध्यान से सुनियेगा,

[अनुवाद]

हम कुल बजट का नौ प्रतिशत गरीबों को राजसहायता के रूप में देते हैं और हम विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय ऋण के लिए अठारह प्रतिशत ब्याज के रूप में देते हैं।

[हिन्दी]

हम देश और विदेशी कर्जों के लिए हमारे बजट का 18 प्रतिशत हिस्सा कर्ज में चला जाता है। देश कर्ज में डूबा हुआ है और डूबता हुआ ऐसी स्थिति में आ गया है। ये जो आप सारे आंकड़े बताते रहते हो, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है। ग्रोथ बढ़ती है तो इंफ्लेशन कम होता है। मैंने पिछले इतने सालों में संसद में देखा और पिछले दस साल में कभी ऐसा नहीं देखा।

[अनुवाद]

मैं इसके बारे में उनसे या कैबिनेट मंत्री से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

आप मुझे बताइये कि क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है, जिस देश में इंफ्लशन बढ़े तब भी महंगाई बढ़े।

इनफ्लेशन जीरो परसेंट हो, तब भी महंगाई बढ़े। यह अर्थशास्त्र तो मुझे समझ में नहीं आता। इतना समझा दीजिए कि इनफ्लेशन के साथ आम आदमी नहीं जुड़ा है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ...*(व्यवधान)* आप नये नये हैं, मंत्री बने हैं। ...*(व्यवधान)*

आप समझा दीजिए अपने इंटरवैन्शन में कि अगर आप कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनफ्लेशन नीचे आएगा, महंगाई कम होगी, और बार-बार आप जवाब देते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं। सब्जियों के दाम क्यों बढ़े हैं? दूध का दाम क्यों बढ़ा? मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं जो मानता हूं, मैं जिस राज्य से आता हूं, केवल गुजरात ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फिर भी हर तीन महीने में दूध के भाव बढ़ते हैं, सब्जियों के भाव बढ़ते हैं। परिस्थिति बहुत खराब है। हमारा विदेश व्यापार बिगड़ता जा रहा है। वास्तविकता से हम कहीं और भटकते जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि सरकार के पास कोई कारण नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। नारों पर चुनाव लड़ा जाता है, नारों पर चुनाव जीता जाता है और शक्ति के बल पर संसद में पाँच साल टिका जाता है। मगर अब समय परिवर्तित हो चुका है। लंबे समय तक ऐसा नहीं चलेगा। देश आपसे जवाब मांग रहा है। मैंने देखा है अपने चुनाव क्षेत्र में। मैं कोई आपकी टीका-टिपपणी नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। लोगों की आवाज बता रहा हूं। मैं तो रोज गाँव जाता हूं, गांव में पैदा हुआ हूं। इस बार जब मैं सातवीं बार चुनाव लड़ा तो दो गांव के क्षेत्र मेरे लोक सभा क्षेत्र में आए। अहमदाबाद की सीट में पाँच क्षेत्र पुराने रहे और दो बाद में नए जुड़े जो कि गांव के क्षेत्र थे। 1996 से लेकर 2009 तक, कांग्रेस 24000 प्लस थी और बीजेपी माइनस थी, एक भी विधायक नहीं, पंचायत का सदस्य नहीं। जो विधायक कांग्रेस के चुनकर पाटन से आए हैं, वे यहाँ आज नहीं आए, वे चार बार वहाँ से जीते। मैं गांव में गया। मैंने लोगों की बात सुनी। यह गांव की बुड्ढी औरत, वह मेरी मां, किसान की पत्नी, बेटी, बहू, वह गांव के लोग, ये महंगाई से त्रस्त होकर मुझसे कहते थे कि हरिन भाई आप जीतोगे, आपकी सरकार बनेगी, महंगाई कम होगी। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं इसको हल्के तरीके से मत लो, बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं आप लोग। जिस तरह से आपको नशा चढ़ा है सत्ता का, हिन्दुस्तान की जनता को आप समझते नहीं हैं, हिन्दुस्तान की जनता ऐसी है कि अच्छे-अच्छों की सत्ता के नशे को दूर कर देती है।

उसी क्षेत्र में मैंने एक पत्रिका छपवाई। मैंने पत्रिका में 2004 में एनडीए के शासन के जितने भी खाद्यान्न के मूल्य थे, वह लिखे और 2009 के मूल्य लिखे। लोगों का मैनडेट आया। दोनों क्षेत्रों में मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयत्नों से और लोगों के समर्थन से 3500 और 2500 प्लस वोट लिया। और यह मेरी प्रशंसा नहीं है। इसको समझिये-यह है लोगों की सोच। जल्दी जाने का रास्ता आ गया है। आप लोगों के लिए। आपको परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है। मेरी पार्टी को इसकी परवाह है। सदन में बैठे अनेक लोगों को उन गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, खेत-खलिहानों में काम करने वाले लोगों की, मध्यम वर्ग के गरीब लोगों की परवाह है। हम उनके लिए बोलते रहेंगे। हम उनके लिए संसद में, संसद के बाहर गलियारों में लड़ते रहेंगे, उनके लिए जेल जाएंगे। हम इस तरह से देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। आपके पास कुछ नहीं है। सब्सिडी का आप मजाक उड़ाते हैं एक रुपए में से बारह पैसे सब्सिडी आप गरीबों को देते हैं और ये सब्सिडी धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं आप दावा करते हैं कि आप गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं। वर्ष 2004-05 में एक रुपए पर बारह पैसे की सब्सिडी देते थे, वह धीरे-धीरे कम होकर आज एक रुपए में से नौ पैसे पर आ गया है। आप कहां सब्सिडी देते हैं। आप कैश सब्सिडी की बात करते हैं। कैश सब्सिडी कैसे होगी जब आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं आपके पास गरीबी के कोई आंकड़े नहीं हैं। आपको गरीबों की कोई चिंता नहीं है, भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है। अब कभी-कभी दुख भी होता है कि यह भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया। इसमें आपके मंत्री इन्वॉल्व हैं। कल एक और सी.ए.जी. की रिपोर्ट आयी है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मगर, क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने अपने बजट में कुछ कदम उठाए? हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब वर्ष 2009 के चुनाव में पहली बार हिन्दुस्तान के विदेश में पड़े हुए भारतीयों के काले धन को लाने की बात कही तो आपने हंसी उड़ायी। आज दुनिया मानती है, हिन्दुस्तान मानता है, संसद मानती है कि देश में जिन लोगों ने कालाबाजारी करके, देश को लूट करके, सदन में बैठे हुए लोगों के साथ मिल करके, अधिकारियों के साथ मिल करके जो पैसा कमाया, आज विदेशों के बैंकों में पड़ा है। उसे लाना चाहिए। आज 92 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उसे लाएं। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे इतना ही कहना है कि परिस्थिति पर आप नियंत्रण रखें। देश अपेक्षा रखकर बैठा है। हम सब लोगों पर हमारी मर्यादा है। हम प्रतिपक्ष में हैं। हम सुझाव दे सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अगर आप हमारे सुझावों और दबावों को हंसी-मज़ाक में ले लेंगे तो आने वाला समय माफ नहीं करेगा। अब परिस्थिति ऐसी बनी है कि हमने दावा किया

कि दुनिया भर में हमारा नाम बढ़ रहा है। मेरे पास संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट है। अगर देश का अर्थतंत्र मजबूर होता तो एक ह्यूमन इंडेक्स करके आता है। आप इससे भली-भांति परिचित हैं। अभी यह कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा कि ह्यूमन इंडेक्स क्या होता है। ह्यूमन इंडेक्स में मैं चार उदाहरण दूंगा-इस देश की औसत जीवन आयु।

हमारे देश की जो एवरेज लाइफ स्पैन है उसमें हम पीछे हैं। शिक्षा और साक्षरता में 64 साल के बाद पीछे हैं, इनरॉल्मेंट में पीछे हैं, वूमेन जेंडर इंडेक्स में पीछे हैं ओर हम इसमें 100 वर्ग नंबर से ऊपर है। इसके कारण क्या है? अब मैं उस कारण पर आकर अपनी बात पूरी करूंगा। इसका कारण यह है कि हमने ग्रोथ के बारे में सोचा और ग्रोथ के बारे में सोचते-सोचते हम भूल गए कि ऐसा ग्रोथ न हो कि जिसमें भ्रष्टाचार पनपे। जी.डी. पी. को बढ़ाने के लिए हमने एम.डी.आई. से समझौता किया। श्री यशवंत सिन्हा जी, आपकी अनुमति से मैं आज पहली बार संसद में एक शब्द बोलना चाहता हूं-एम.डी.आई.। एम.डी.आई. मतलब मोरेलिटी डेवलमेंट इंडेक्स। हमारी नैतिकता खत्म हो गयी। इसलिए आपके भूतपूर्व मंत्री जेल में हैं। आने वाले छः महीने बाद आपकी कैबिनेट की बैठक...*होगी। आप लोग उस तैयारी में है। मौरैलिटी, डैवलपमेंट इंडेक्स, व्यक्ति का चरित्र गिर चुका है। मैं देश का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। हम सब विफल गये, लेकिन आप ज्यादा विफल गये।

हम चाणक्य का कई बार उदाहरण देते हैं। मैं चाणक्य के उदाहरण में इतना कहूंगा कि चाणक्य के शासन में जितने चाणक्य महान थे, उतने ही महान एक और मंत्री थे, जिनका नाम महा-अमात्य राक्षस था। वे चाणक्य जैसे ही विद्वान थे, मगर चन्द्रगुप्त के खिलाफ थे।

[अनुवाद]

वे चन्द्रगुप्त मौर्य के विरूद्ध थे।

[हिन्दी]

वे धनानन्द के साथ थे। उन्होंने कहा है: उन्होंने क्या कहा है, मैं कोट करना चाहता हूं, मुझे मालूम है। उनके शब्दों में ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयाः कृपया शान्ति से बैठिये।

श्री हरिन पाठकः उन्होंने कहा है कि जिस देश में चोरों को बेरोकटोक जनता के बीच जाने की इजाजत हो, कालाबाजारियों को छूट दी जाती हो, उस देश को खत्म करने के लिए बाहरी आक्रमण की आवश्यकता नहीं है, वह देश खुद, अपने आप पर राष्ट्र अपने आप दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। हमारे देश के मिट जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि देश को बचा लीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं वर्ष 2011-12 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों की पहली सूची का समर्थन, करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुपूरक अनुदानों की मांगों की पहली सूची में 53 अनुदान शामिल हैं और संसद से 34,724.50 करोड़ रुपए के सकल अलिखित व्यय को प्राधिकृत करने के लिए मांगी गई है और इनमें से कुल 9,016.06 करोड़ रुपए को नकद व्यय मंत्रालयों, विभागों की वचनों के समतुल्य अथवा बढ़ी हुई वसूली के प्रस्ताव शामिल हैं जो 24707.84 करोड़ हैं।

महोदय, इस सभा के सभी संसद सदस्यों हेतु अच्छी खबर है। पिछले बजट की उद्घोषणा में सरकार ने एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य के लिए वार्षिक आबंटन को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए को पूरा करते हुए सरकार ने 2370 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान शामिल किया। यह दलगत भावना से उठकर सदस्यों की चिर प्रतीक्षित मांग थी और मैं आभारी हूं कि हमारी चिर प्रतीक्षित मांग पर विचार करते हुए सरकार ने एमपी केंद्र कोष की 2 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है और इस व्यय को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों में 2370 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार पर्यावरण के बारे में काफी चिंतित है। ऐसा मौजूदा विश्वव्यापी स्थिति के कारण है और पूरे निश्व में लोग पर्यावरण तथा स्वच्छ ऊर्जा के बारे में काफी चिंतित हो रहे हैं। वर्ष 2011-12 की इस अनुपूरक अनुदलों की मांगों (सामान्य) में सरकार स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 1066.46 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान कर रही है।

महोदय, सरकार हमारे प्रवासी जो विदेश में रहते हैं, के साथ सदैव रही है। आप अच्छी तरह जानते है। कि संकट है जो मध्य पूर्व, अरब उत्तर अफ्रीका और अन्य देशों में उभर रहा है। इस संकट ने वहां रह रहे हमारे नागरिकों को वापस लाना अनिवार्य कर दिया है। इस अनुपूरक मांग में वापस लाने के इस अभियान हेतु बिलों के भुगतान के लिए एक प्रावधान शामिल किया गया है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, वर्ष 2011-12 में बजट में आंगनबाड़ी कामगारों और हेल्परों हेतु मानदेय की दर से वृद्धि करने की घोषणा की गई है। इस प्रतिद्धिता को पूरा करने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकद राशि जारी करने का प्रस्ताव किया है। सिर्फ यही नहीं सामाजिक-आर्थिक-सहजाति जनगणना 2011 को पूरा करने जिसमें दिसंबर, 2011 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग शहरी क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना और पूरे देश में जाति आधारित जनगणाना शामिल है, सरकार ने 2300 करोड़ रुपए संवितरित करने हेतु संसद की स्वीकृति मांगी है।

महोदय, मैं इस सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेका नंद की 150वीं वर्षगांठ आयोजित करने की पहल की है। मानवता और प्यार का संदेश प्रसारित करने तथा यह संदेश प्रसारित करने के लिए कि हमारी सभ्यता 'जिओ और जीने दो' में विश्वास करती है। हमें पूरे विश्व में अधिकाधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस पक्ष में अनुपूरक मांग में 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

अंतत: सरकार ने नाबार्ड के पूंजी आधार में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की मांग की है। यद्यपि यह एक सांकेतिक प्रावधान है। यह हमारे देश की ग्रामीण समुदाय के लिए ऋण की संभावना को और सुगम बनाएगा। हालांकि सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु 4.6 प्रतिशत के वित्तीय घाटे को बनाए रखने के प्रति जागरूक है।

महोदय, मेरे मित्र श्री हरिन पाठक जी हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहे थे जो उनके विचार में वित्तीय संकट ओर की जा रही है। मैं सोचता हूं कि वे छोटे निराशावाद के शिकार हैं जो निराशा के अंधकार में ले जा सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

हम कब से पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री के बीच अति महत्त्वपूर्ण द्वंद देख रहे हैं और मुझे मानना पड़ेगा कि इससे ज्ञान और अनुभव में वृद्धि हुई है। हमने दोनों वित्त मंत्रियों के बीच हुए द्वंद से कई बातें सीखी हैं।

सरकार की एकमात्र सबसे बड़ी कमजोरी मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि है जो उसने खुलकर स्वीकार की है। हम इससे कभी असहमत नहीं हुए हैं। परंतु ऐसे में, मैं ऐसे दो मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जो कल केन्द्र आइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे। मैं पहले मामले का उद्धरण देता हूं:

"इससे लगभग 12 घंटे पूर्व पहले कि वाशिगंटन के पास न समय रहता है और ना ही धनराशि, सीनेट ने देश की ऋण की सीमा बढ़ाने और व्यतिक्रम की स्थिति टालने हेतु रिपब्लिकन्स, डेमोकेट्स और राष्ट्रापति बराक ओबामा के बीच हुए सौदे को पारित किया।"

अब मैं दूसरे को उल्टा करूंगा:

"भारत की भूमिका नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गई है। कहां वह 20 वर्ष पूर्व भुगतान संतुलन संकट को टालने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे खटखटा रहा था और कहां अब वह यूरोप को वित्तीय संकट से उबारने के लिए वित्तपोषण करने के लिए तैयार है।"

यह क्या दर्शाता है? यह स्पष्ट रूप से हमारी वित्तीय सक्षमता को दर्शाता है जो इस समय हमारे पास है। एक समय यूरोप के लोग भारतीयों को अपने पर बोझ मानते थे परंतु अब वही भारतीय लोग यूरोपीय अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से हमारी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता प्रगतिशीलता को दर्शाता है।

मैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से कुछ परिवर्तनों का उल्लेख करना चाहूंगा:

"औद्योगिक विश्व में उत्पादन में असाधारण कमी के बावजूद अपेक्षाकृत कम मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत अधिक खुलेपन के वावजूद गिरावट को नियंत्रित करने में इसके लचीलेपन की क्षमता को सिद्ध किया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आमतौर पर विकास की दर में गिरावट 2.0-2.5 प्रतिशत (-) से 2.0-3.0 प्रतिशत रही जबकि अरब में विकास में यह गिरावट केवल 2 प्रतिशत बिंदुओं तक रही।

महोदय भारतीय वित्तीय व्यवस्था दोषमुक्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रभावित नहीं हुई थी जैसा कि अमरीकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के मामले में हुआ है क्योंकि हम बैंक विनियमों के संबंध में पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं और पूंजी प्रवाह को उदार बनाने में सजग तरीके से सरकार द्वारा विवेकापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

ऐसा विशेष रूप से अल्पकालीन ऋण के ममाले में है और साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है। सच यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णत: निर्यात दर ही नहीं है बल्कि यह घरेलू मांग से चालित और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सदैव लचीलापन बना रहता है जो हमारी आर्थिक सफलता का रहस्य है। तथापि मध्यावधि मूल्यांकन से यह उम्मीद की जा रही है कि यदि औद्योगिकीकृत देश वर्ष 2010 में 2.3 प्रतिशत और 2011 में 2.4 प्रतिशत की सकरात्मक वार्षिक विकास

दर दिखाते हैं जैसा कि इस समय सोचा गया है तो भारत की विकास दर पर वर्ष 2010-11 में लगभग 8.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में और बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का आकलन किया जा सकता है।

तथापि, मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए सुझाव के अनुसार सबसे बड़ी चिंता का विषय केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय धाटा है जो कि वर्ष 2006'07 में जीडीपी के 6.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में लगभग 10 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2009-10 में लगभग इतना ही बना रहा। यह सरकार भूस्वामी किसानों हेतु कृषि और भूमिहीन किसानों हेतु मजदूरी में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, मैं श्री हरिन पाठक का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने दूध आदि के मूल्यों का उल्लेख किया है और उनकी सूचना के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकांश राज्य दुग्ध और महानगरीय डेयरियों में दूध की खरीद और बिक्री दोनों मूल्यों में वृद्धि की है। दूध के खरीद मूल्य में नवीनतम वृद्धि जून 2011 में तब हुई थी जब गुजरात ने दूध के मूल्य में 4.86 रुपये प्रति लीटर, महाराष्ट्र ने 2.50 रुपये प्रति लीटर, मध्य प्रदेश ने 3 रुपये प्रति लीटर ओर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब ने 5 से 5.36 रुपये तक वृद्धि कर दी थी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। किसी वित्तीय वर्ष में स्कीम्ड मिल्क पाउडर के शुल्क 10,000 मी.ट. आयात हेतु शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान एमडीडीबी को 30,000 टन दुग्ध पाउडर और 15000 टन दुग्ध पैक का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई थी।

अब स्थिति यह है कि 31 आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर अप्रैल-जून, 2010 14.5 प्रतिशत और दिसंबर, 2009 की 24.51 प्रशित से घटकर अप्रैल-जून, 2011 में 7.7 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ है कि इस सरकार द्वारा किए गए उपायों के अब सकरात्मक परिणाम आने लगे हैं।

हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आज ही, माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया है कि हमें कम मुद्रास्फीति के साथ विकास चाहिए। जी हां, हमें कम मुद्रास्फीति के साथ विकास चाहिए।

अपराह्न 3.10 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि विकास और मुद्रास्फीति के बीच कोई सहज विरोधाभास नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण नीति की अवधारणा भी यह है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति अब भी दबाव में है। हम मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक उथल-पुथल देख रहे हैं। जिसका भारत सहित पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा है। अत:, हम विश्व के अन्य भागों में उत्पन्न हो रही स्थिति से बच नहीं सकते हैं।

तथापि, मैं कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराना चाहूंगा। विनिर्माण, खनन और खदान जैसे क्षेत्रों में गत एक वर्ष में विकास की गति में काफी कमी देखी गई है। खपत-मांग में अब भी तेजी है परंतु निवेश से अत्यधिक गिरावट चिंता का बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का संकेतक आईआईपी अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संबंध है, औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। इसवे विकास में 6.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि वर्ष 2010 की इसी अवधि में यह 13 प्रतिशत की पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के विकास में कमजोरी की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। इन सब बातों पर ध्यान देना होगा।

इसके अतिरिक्त हमार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में स्पष्ट गिरावट आई है जहां विकास घटा है। अप्रैल 2010 में 8.5 प्रतिशत से यह अप्रैल 2011 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया है। प्राकृतिक गैस, उर्वरक, सीमेंट और इस्पात जैसे क्षेत्र इस खराब कार्य निष्पादन के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। तथापि कोयला क्षेत्र में आशा की किरण नजर आ रहा है जहां हम घटते विकास से अप्रैल 2011 में 2.8 प्रतिशत की ओर बढ़ रहे हैं। समस्याएं हैं और अर्थव्यवस्था में यह समस्याएं निहित हैं। हमें विवेकशील होकर, प्रभावी उपज करके अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करना होगा औरा किसी आर्थिक नीति की सफलता इसी में निहित है। निर्यात क्षेत्र ने पिछले वर्ष के इसी महीने में 34.4 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की थी। तथापि, अप्रैल 2011 में आयात क्षेत्र ने पिछले वर्ष की तुलना में 14.1 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की थी। अत:, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से कई कार्य करने होंगे जिनसे हम अधिक निवेश के अवसर सृजित कर सकें और निवेशक में भरोसा उत्पन्न करा सकें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति बनी रहे।

विदेशी मुद्रा भंडारों के संबंध में कोई भय नहीं होना चाहिए जैसा कि श्री हरिन पाठक द्वारा वर्णन किया गया था। अप्रैल, 2011 में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 313 मिलियन डॉलर था। यह अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है। अत:, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि और संबद क्षेत्रों में मजबूत विकास दर-दर्ज की गई है। इस वर्ष हमारे किसानों द्वारा 241 मिलियन खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया है जिस पर हमें गर्व है। रणनीतिक भंडार सहित पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अत:, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई खतरे की घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके शासनकाल में 2.1 लााख टन खाद्यान्न सड़ गया था। परंतु, इस शासनकाल में यह मात्रा काफी हद तक घटकर 0.06 लाख टन रह गई है। निसंदेह सड़ चुके खाद्यान्नों के बारे में प्राय: समाचार आते रहते हैं। ऐसे खाद्यान्नों की मात्रा वर्ष 1990 में 2.1 लाख टन से घटकर अब 0.06 लाख टन हो गई है।

अत:, अब मैं इस सरकार का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि बहुत अधिक मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल मेरे पड़ोसी राज्य झारखंड और समस्त पूर्वी भारत से संबंधित है। हम भलीभांति परिचित हैं कि वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा दामोदर घटी नियम का अमरीका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट की प्रतिकृति के रूप में गठन किया गया था। हमारे देश के संस्थापकों में से एक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दामोदर घाटी परियोजना की परिकल्पना की जिसे बहु-उद्देशीय लक्ष्यों वाली स्वपनिल परियोजना माना गया था। इस दृष्टिकोण में कमान क्षेत्र का कल्याण सम्मिलित है। इस बहु-उद्देशीय परियोजना की परिकल्पना हमारे नेता द्वारा की गई थी और इस प्रस्ताव को किसी और व्यक्ति ने नहीं बल्कि श्री गाडगिल द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गय था। परंतु अब दामोदर घाटी निगम संकट में है क्योंकि डीवीसी में आवश्यक धनराशि की अत्यंत कमी है। वह इक्विटी को वहन नहीं कर सकता जो कि विकास को जारी रखने तथा इसके द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आप इस बात से भलीभांति परिचति हैं कि इस सरकार ने वर्ष 2012 तक सबवे् लिए विद्युत का प्रस्ताव रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीवीसी को 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था।

इसके लिए लगभग 36,500 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। ऐसा प्रस्ताव था कि 36,500 करोड़ रुपये से 12500 करोड़ रुपये आंतरिक स्रोतों से प्राप्त किए जाने थे और 24000 करोड़ की शेष राशि को ऋण लेकर जुटाए जाने की योजना थी। प्रतिभारी सदस्यों के रूप में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार जो अब झारखंड सरकार है उनको बकाया राशि का भुगतान करना था। परंतु सत्य यह है कि वर्ष 1969 से प्रतिभागी सरकार ने अपना पूंजी अंशदान का भुगतान करना बंद कर दिय है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1969 से प्रतिभागी सरकार द्वारा 214 करोड़ रुपये की अल्प राशि का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अब डीवीसी अपनी वचनबद्धता और सांविधिक विनियमों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अत: इसे धनराशि की जरूर है।

वर्ष 2003 में संसद ने विद्युत अधिनियम पारित किया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विद्युत अधिनियम द्वारा डीवीसी, जिसे राज्य माना गया था उसे विद्युत अधिनियम की परिधि में लाया गया थां इसका अर्थ है कि डीवीसी को दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में वर्णित सांविधिक बहु-उद्देशीय अधिदेश की उपेक्ष करते हुए एनटीवीसी की भांति सिर्फ विद्युत उत्पादन इकाई के रूप में माना गया था। तथापि, वर्ष 1948 में भी विद्युत अधिनियम था इसके साथ वर्ष 1948 का अधिनियम अर्थात दामोदर घाटी निगम अधिनियम भी था। परंतु वर्ष 2003 के विद्युत अधिनियम द्वारा डीवीसी की विनियामक व्यवस्था की परिधि में लाया गया था। इसलिए यह प्रशुल्क निर्धारण और अन्य स्वतंत्रता के मामले में अपनी उत्कृष्टता का दर्जा खो चुका है। जो उसके पास अपनी स्थापना के समय से था ...*(व्यवधान)*

डीवीसी को विनियामक के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। जहां केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विवरण प्रशुलक निर्धारित करेंगे जिसके कारण लंबी कानूनी जटिलताओं के साथ बहु-स्तरीय प्रशुल्क व्यवस्था होगी और उवे् बाद डीवीसी तथा इसके लाभार्थियों को परेशानी होगी। डीवीसी सांविधिक विनिगम है। यह एनटीपीसी की तरह कंपनी नहीं है। अत:, यह पूंजी बाजार से उधार नहीं ले सकता। इसलिए, डीवीसी को आंतरिक संसाधनों और प्रतिभूति पर निर्भर रहना होगा जो कि प्रतिभागी राज्यों तक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जानी है। परंतु केंद्र सरकार अब डीवीसी को अल्पराशि का भुगतान कर रही है। 2 बेरल में, इसने डीवीसी को अतिरिक्त उधार लेने का सुझाव दिया है जबकि डीवीसी अपने आय को बंद होने से बचाने के लिए पूंजीगत अनुदान की मांग कर रहा है।

महोदय, डीवीसी में, 11,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। महोदया, 14,000 पेंशनर भी डीवीसी से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं डीवीसी एक बहु-उद्देशीय संगठन के रूप में विद्युत उत्पादन करता है, जल उपलब्ध करता है, कमान क्षेत्र में सिंचाई करने में सहायता करता है और डीवीसी के मिशन के विभिन्न प्रकार के कार्यकलाओं को पूरा करता है। परंतु सत्य यह है कि भारत सरकार कई वर्षों के डीवीसी के प्रति सौतेली भूमिका अदा कर रही है। यह एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। इसकी परिकल्पना जवाहर लाल नेहरू, विधान चंद्र रथ द्वारा की गई थी। यह बंगाल और झारखंड की जीवन रेखा है। अत: मैं संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पूंजी अंशदान करके डीवीसी की सहायता करे ताकि वह कई वर्षो से चल रहे वित्तीय संकट से उबर सके। मेरे विचार से पश्चिम बंगाल और झारखंड के मेरे मित्र भी मेरे तर्क का समर्थन करेंगे, परंतु मुझे डॉ. रामचन्द डोम की आवाज नहीं सुनाई दे रही है।

महोदय, विभाजन बहुत ही कुतूहल का विषय है जब डब्ल्यूबीएससीटीसीएल प्रति एकड 5.6 की दर से आय अर्जित करता है, सीईएससी-4.11; डीपीएल 3.51 और डीवीसी-2.94। कुल नकद

प्रवाह 395 करोड़ है जो कम नकद प्रवाह 325 करोड़ रुपऐ है तथा जिसमें 70 करोड़ रुपए के राजस्व की गिरावट है। इसलिए की डीवीसी को संगठन चलाने तथा अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यही नहीं दामोदर घाटी निगम के स्वरूप और प्रकृति को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे विद्युत विनियामक अधिनियक 2003 के अंतर्गत कूड़ेदान में नहीं फैका जाना चाहिए तथा दामोदर घाटी निगम की प्राचनी प्रकृति जिसकी परिकल्पना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी, पुन:स्थापित करने की आवश्यकता है।

मैं मुर्शिदाबाद नामक जिले का रहने वाला हूं जो देश में पटसन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। सरकार को इस तथ्य के मद्देनजर पटसन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि विश्व बाजार में जैव रेशे का उत्पादन करने की इच्छा विकसित हो रही है। लेकिन तथ्य यह है कि कुछ ऐसे उद्यमी व्यापारियों और कारोबारियों का एकाधिकार है जिन्होंने पटसन उद्योग के भविष्य को चौपट कर दिया है। इसलिए पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों के पटसन उत्पापदन को इसलिये कष्ट में है कि अब उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें हस्तक्षेप करें ताकि भारतीय पटसन निगम आगे आए और उन क्षेत्रों से पटसन खरीदे क्योंकि अब पटसन उत्पादक वास्तव में वित्तीय संकट से जुझ रहे हैं।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने के पहले दो छोटे मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हम आधुनिकता अगर अत्याधिक प्रौद्योगिक शासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्रेडिट इनफामेंशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सीआईबीआईएल) नामक एक संगठन है। यद्यपि भारत में कुल कारोबार का मुश्किल से 2-3 प्रतिशत ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है तथा उनका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या अनेक पश्चिमी यूरोपीय देशों की कुल जनसंख्या से अधिक हो सकती है। तथापि यह अभी भी कम महत्त्व वाला है। लोग क्रेडिट और डेबिट बाजार के साथ बहुत सहज नहीं है। इसलिए हम एक सामाजिक सुरक्षा संस्था की आवश्यकता है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में मौजूद है ताकि भारत में ऋण लेने वाले लोग विशेषकर वे लोग जो शिक्षित है और अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे है वस्तुओं को अभी खरीदते है और बाद में उनके मूल्य का भुगतान करते हैं भारत में ऋण व्यवसाय असंगठित है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि हम छोटे-छोटे एक आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा जहां तक क्रेडिट कार्ड का संबंध है अब अधिक से अधिक लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के प्रति अभ्यस्त होने जा रहे हैं। मुख्य रूप से वीसा, मास्टर और अमेरिकन स्वसप्रेण नामक क्रेडिट कार्ड हैं जो इस देश में स्वीकार्य और प्रयोग किये जाते हैं। लेकिन भारतीय क्रेडिट कार्ड धारक की व्यवस्था यह है कि उन्हें वार्षिक 40.80 प्रतिशत या इससे भी अधिक शेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान करना होता है जो किसी पश्चिम यूरोपी देश या अमेरिका में क्रेडिट कार्ड पर किसी व्यक्ति से वसूला जाता है उससे काफी अधिक होता है और क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों को अनेक सेवायें जैसे नकद अग्रिम डुप्लीकेट स्टेटमेंट, ईंधन अधिभार आदि जैसी अनेक सेवाओं संबंधी राशि वसूल रही है। इन विधियों को अपनाकर वे ग्राहकों को निचोड रही हैं। इसलिए हमारे ग्राहक अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारी भरकम जुर्माना और दंड का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि कुछ तर्क और समानता होनी चाहिए कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां पश्चिम यूरोप, अमेरिका, कनाडा और अन्य विकसित देशों की तुलना में क्या वसूल रही हैं।

महोदय, हमारा देश एक विशाल, अनेक धर्म वाला और बहुबादी देश है और हमारी अनेक समस्याएं हैं लेकिन हमारी सरकार हमारे समाज के सभी तबकों को शामिल करने हेतु आगे बढ़ रही हैं ताकि हमारी आर्थिक वृद्धि का लाभ हमारे समाज के जमीनी स्तर तक पहुंचे। मैं समझता हूं कि यह सरकार सही दिशा में जा रही है और हमारा भविष्य उज्जवल है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2011-12 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) की पहली किशत का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे वर्ष 2011-12 अनुदानों की अनुपूरक मांग पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरिन पाठक की बातें सुनी और श्री अधीर रंजन जी को भी सुन रहा था। सरकार वर्ष 2011-12 के लिए 3724 करोड़ रुपयों की मांग लेकर आई है, यह प्रति वर्ष के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार ने मौजूदा वर्ष में 3.43 लाख का बजट रखा है।

कल भी महंगाई पर बहुत विस्तार से बहस हुई हैं। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के बारे में पक्ष और विपक्ष के कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। अनुमानत: छ: प्रतिशत वित्तीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है। लेकिन जो विशेषज्ञों ने राय दी है, उससे यह साबित होता है कि 5.1 परसैन्ट रखने का लक्ष्य अंतत: 5.5 प्रतिशत रह सकता है। यह विशेषज्ञों का अनुमान है। जहां तक सरकार का वास्तविक खर्च है, वह नौ हजार करोड़

के स्तर तक सीमित रहा है। लेकिन अनुमान से ज्यादा खर्च करने पर संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसलिए सरकार उसे संसद में लेकर आती है। मैं अभी देख रहा था कि जो सप्लीमेन्ट्री ग्रांट माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आये हैं, उसमें जो तकनीकी मांगें हैं, उस पर 26 हजार करोड़ की धनराशि आपने रखी है और अतिरिक्त खर्च 9016.06 करोड़ रुपये है और उसी के अंतर्गत विभिन्न विभागों के बारे में जो विस्तार से कहा गया है कि एफसीआई ने 35 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। इसकी जरूरत भी है और समय-समय पर हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है। एफसीआई के बारे में भी अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो बहुत वक्त लग जायेगा। लेकिन जिस हिसाब से उनकी मांग है, उसके अनुरूप हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खासकर जो राज्य सरकारें हैं, उनसे भी इसमें सहयोग लेने की जरूरत है। पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी भी एक तरह से सरकार को हमेशा परेशान करती है, क्योंकि यह फ्लक्चुएट करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो 95 डालर प्रति बैरल कच्चे तेल का अनुमान सरकार लगा रही है। लेकिन यह फ्लक्चुएट करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव अनुसार ही तेल के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं। सरकार यह कहेगी कि पहले हम तय करते थे, अब कंपनियां तय करती हैं। लेकिन इसका सीधा बोझ जनता के ऊपर आता है। इसलिए सरकार को देखना होगा कि हमारे उद्योग जगत के कर्ज की मांग भी नहीं हो पायेगी, इस ओर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे उद्योगों के कर्ज हैं, उनकी मांग पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं आज भी ऐसे बहुत से उद्योग हैं, जो शुरू में बड़ा अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन बाद में वे बिल्कुल सिक होकर बंद हो जाते हैं। आज बहुत सी ऐसी मिलें हैं, अभी जूट की बात कर रहे थे, लेकिन कपड़ा मिलें, जूट मिलें और तमाम ऐसी मिले हैं, जो आज बंद की हालत में हैं कानुपर में 14-15 मिलें बद हैं। मैं समझता हूं कि आज उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरा आपने इसमें एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान किया है कि जो हमारे यहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं, बीपीएल के सर्वे पर आपने 2300 करोड़ रुपये रखे हैं। अभी कल ही जब महंगाई पर बहस हो रही थी तो यह बात सामने आई कि अनुमानत: अगर देखा जाए तो जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अनुसार करीब 35, 40 या 65 मेरे ख्याल से इस वक्त बीपीएल 70 परसैन्ट से कम नहीं है और उसमें पांच करोड़ लोग ज्यादा बढ़े हैं, वर्तमान में जो हमारा अनुमान था, कल बहस में बताया गया कि पांच करोड़ बीपीएल ज्यादा है। अब यह देखना पड़ेगा कि इससे हमारा सही मायने में सर्वे हो सकता है या नहीं। कल हमने बहस में यह भी कहा था कि बीपीएल लोगों की जो सूची है, उसके लिए जिस प्रकार से देश स्तर पर जनगणना काराई जाती है।

उसी प्रकार से आपको शहर और देहात की जनगणना करानी पड़ेगी। सांसद निधि में 2375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रति सदस्य सांसद निधि को दो से पांच करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन मेरे खयाल से अभी तक वह गया नहीं है। अभी कैबिनेट ने उसको पास किया है, अभी वह राशि रीलीज नहीं हुई है। जहां से यह निधि स्वीकृत होकर जिलों में जाती है, तो कहते हैं कि एक करोड़ रुपये भेजेंगे, डेढ़ करोड़ रुपये भेजेंगे। इतनी परेशानी हो जाती है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाके जहां पर आठ-नौ विधानसभाएं हैं, वहां खर्च करने में दिक्कत हो जाती है। मैं एक रिपोर्ट देख हरा था उसमें तमाम ऐसे माननीय लोग हैं जो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। इसकी भी मॉनिट्रिंग की जरूरत है कि जो पैसा जा रहा है, वह विकास नीधि के मुताबिक सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके मूल्यांकन के लिए भारत सरकार की टीम जाती है, जिसके रिटायर्ड लोग रहते हैं। लेकिन वे सही रिपोर्ट लेकर नहीं आ पाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बहुत दिनों से मांग थी, जिसके लिए बड़े धरने-प्रदर्शन हुए। उसमें आपने 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अभी-अभी लोग हमसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि हमें बढ़े हुए के हिसाब से नहीं मिला है। मैंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में सरकार स्पलीमेन्ट्री ग्रान्ट बजट मांगेगी, उसके बाद यह आप लोगों को मिलना शुरू होगा। एक तरफ सरकार ने वीवीआईपी यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों के मेन्टेनेन्स के लिएए 45 करोड़ रुपये, कल ही एयर इंडिया पर सवाल आया था, जिस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी। उसके मेन्टेनेन्स के लिए एयर इंडिया को दिया जाना है। मेरे ख्याल से जल्दी से जल्दी कर दें ताकि जो एयर इंडिया की स्थिति है वह कम से कम सुदृढ़ हो सके। कल एक पायलट से मेरी बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि चार महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है। किस प्रकार से हम लोग कर्ज लेकर परिवार और घर को चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और मेरे ख्याल से इसे जल्दी लागू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बजटीय आबंटन की सीमा में खर्च करने की जो एक सीमा निर्धारित की है, अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत का ही टारगेट फिक्स होता है। खाद्य सुरक्षा पर पन्द्रह हजार करोड़ का बोझ है। यह अच्छी बात है, इसमें हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, हर सरकार गरीबों और बीपीएल की बात करती है, खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, उसकी सुरक्षा की बात करती है, पीडीएस की बात करती है। आज साऊथ की हालत के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुन्देलखंड इलाका है, वहां लोग भुखमरी वे कागार पर हैं हाई कोर्ट को निर्देशित करना पड़ा कि वहां भूख से इतने लोग मर रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। यह स्थिति आ गई है कि वहां लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों में समानता

बढ़ी है, लेकिन हमारी आर्थिक असमानता आज भी कायम है। उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सरकार को इसे गंभीरता से देखना पड़ेगा। अभी हम आर्थिक मंदी से उभरे हैं। यह न सोचा जाए कि आर्थिक मंदी फिर नहीं आ सकती है। वैश्विक आर्थिक मंदी फिर आ सकती है। उसके लिए हमारी कार्य योजना तैयार होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति से हमें कैसे निपटना चाहिए। आज भी देखा जाए कि हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस विकास में हम काफी पीछे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर से कम समर्थन मिल रहा है, जिससे हमारा विकास प्रभावित हो रहा है। आज इस बात की जरूरत है कि हमें खजाना भरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खास कर हमारे घाटे के बारे में हरिन पाठक जी कह रहे थे कि हम कर्जदार हुए, बहुत बोझ है। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि यह सब सरकार कैसे कर पाएगी।

उसके लिए भी हमें अभियान चलाना चाहिए और एक चेष्टा करनी चाहिए। सन्तुलन साधने की भी खास जरूरत है कि हमारा बैलेंस बना रहे। जितना खर्च है, उसके मुताबिक ऋण, ब्याज कितना है, उस सन्तुलन को हमें कायम रखना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गोरखनाथ पाण्डेय।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): जी महोदय:

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब भी आप बोलने के लिए स्थान बदलते हैं, तो आपको अनुमति लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदय, क्या आप मुझे यहां से बोलने की अनुमति दे रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापित महोदय: मैं आपको इस बार अनुमति देता हूं लेकिन अगली बार आप पहले अनुमति लें।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: जी महोदय।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, वैसे ही हाउस में संख्या कम है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ नियम है और हमें उनका पालन करना होता है।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदय, वर्ष 2011-12 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, अभी मैं अपने बड़ेभाई हरिन पाठक जी, भाई अधीर रंजन जी और शैलेन्द्र जी की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अनुपूरक बजट में 34,724 करोड़ रुपये की मांग रखी गयी है। जिसे विभिन्न मदों में खर्च करने के आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश की प्रगति की गाड़ी लगभग 20 वर्षों से पटरी पर आयी है। वर्ष 1991 से हम आर्थिक सुधार की तरफ बढ़े हैं। लगभग दो दशक तक हम उस प्रगति के पथ पर चलते रहे हैं। हम इस वर्ष आर्थिक सुधार की तरफ बढ़े हैं। लगभग दो दशक तक हम उस प्रगति के पथ पर चलते रहे हैं। हम इस वर्ष आर्थिक उदारीकरण की 20वीं वर्षगांठ माने की स्थिति में हैं और हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हमने इन 20 वर्षों में आर्थिक सुधारों से क्या प्राप्त किया? हम कहां खड़े हैं? दुर्भाय से इन 20 वर्षों में हमें जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वे निजी सफलता और सार्वजनिक विफलता की साक्षी रही हैं।

महोदय, सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जेब देखकर खर्च करने पर सरकार जोर देगी और वह इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि हम वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे को, जीडीपी 4.6 से आगे नहीं जाने देंगे। ऐसी आपकी योजना है, यह अच्छी योजना है और अच्छा लक्ष्य है। आपने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए

नियमों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो नियमों में संशोधन भी किये जायेंगे। उसके लिए भी बिल लाने और ऐसे अनेक संशोधनों के उपाय आप कर रहे हैं। आपने अपने बजटीय भाषण में यह भी कहा था कि खजाना भरने के लिए देश के लोगों को पसीना बहाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने उद्यमों से, उपक्रमों से, व्यवस्थाओं से देश के खजाने को भरना पड़ेगा और व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कुछ ही समय में इस चालू वर्ष में घाटे की व्यवस्था को काबू में रखने की आपने जो योजना बनायी थी, वह गाड़ी पटरी से उतर गयी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए आपने सदन में भी कहा था कि हम अगले कुछ ही महीनों में महंगाई पर काबू पायेंगे। मननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ महीनों में हम इस महंगाई पर काबू पा सकेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी भी बीच-बीच में कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों हमारे विभिन्न माननीय सांसदों ने इस पर अपनी बात भी रखी, लेकिन ज्यों-ज्यों बयान आये, त्यों-त्यों महंगाई बढ़ती ही गयी और उस पर कहीं विराम नहीं लगा। अभी दो दिन से महंगाई पर चर्चाएं भी हुई और लोगों ने अपनी बातें भी रखीं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां देश महंगाई के इस संकट से गुजर रहा है, जहां गरीबों का निवाला छिन रहा है, जहां लोगों की थाली खाली होती जा रही है, जहां दाल और रोटी भी जुटाना लोगों के लिए संकट का कारण बन रहा है वहीं डीजल और पेट्रोल के दाम कई बार बढ़े हैं।

माननीय वित्तमंत्री जी ने आज भी महंगाई पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपनी बात रखी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छी योजना, अच्दे विचार और संकल्प उन्होंने लिये हैं। हम लोग भी सुबह से बैठकर सुन रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में जीडीपी की बात हो रही है। गांव में रहने वाला वह गरीब, गांव में रहने वाला वह मजदूर, गांव में रहने वाला वह किसान आज भी अपनी भूखी निगाहों से सरकार की ओर देख रहा है।

आज गांवों में बिजली समय से नहीं मिल रही है, कम मिल रही है। खाद समय से नहीं मिलती, कम मिलती है। सड़कों की स्थिति दयनीय है। कल ही हमने जीरो आवर में इस बात को उठाया था और सरकार के संज्ञान से इस बात को लाया था कि देश में जो पीएमजीएसवाई की योजना है, जो हर प्रदेश को जाती है, दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों से इस योजना के अंतर्गत धन गया ही नहीं। वहां सड़कों की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है, वहां विकास की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। यह भेदभाव क्यों? सारा देश अपना है, सारे देश की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं और लोग टैररिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो उनका लक्ष्य कहीं और जाएगा। यह देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है।

महोदय, आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है यह कहने की जरूरत नहीं है। आज देश में भ्रष्टाचार किन-किन रूपों में हो रहा है, जैसे कल हमारे माननीय श्खरद यादव जी कह रहे थे, यह खून में नहीं, यह तो हड्डी में जा चुका है। इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरती होगी। पता नहीं यह कैसे निकल पएगा। यह माननीय वित्त मंत्री जी और पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब विश्व में आर्थिक मंदी आई और दूसरा विश्वयुद्ध हुआ था। तो जापान खड़ा हुआ था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदय, अभी गलती से मैंने शरद पवार जी का नाम लिया था। वह बात माननीय शरद यादव जी ने कही थी। उसी बात को माननीय सदस्य मुझे ध्यान दिला रहे थे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही चीन आज आर्थिक विकास की गति में सबसे आगे जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहों में वह सबसे ऊपर जा रहा है। कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों का विकास हुआ। वहां ग्रामीण स्तर तक लोग रोजगार में लगे हैं। इससे वहां की राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हम बड़े उद्योगपतियों को तो सहयोग दे रहे हैं, कार्पोरेट घरानों को तो लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन गांवों में बैठा हुआ गरीब आदमी, गांवों में बैठा हुआ किसान, गांवों में बैठा हुआ मजदूर दयनीय स्थिति में जी रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह देश का पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है। भदोही, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर के जिले उसमें है जहां बुनकरों की समस्या दयनीय है। कालीन उद्योग के रूप में कभी हमारा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमारा क्षेत्र अर्जित करता था। हमने कई बार सदन के माध्यम से इस बात को उठाया है कि आज वहां बुनकरों की स्थिति दयनीय है। आज जो सूत और धागा आयात किया जाता है, उन पर सीमाशुल्क बढ़ाया जा रहा है। जहां हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए, वहां हमें घाटे की स्थिति में ले जाया जा रहा है। वह मजदूर, वह बुनकर, जिनको प्रशिक्षण की जरूरत

है, मैं इस बात को सदन में उठा चुका हूं और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जब तक गांव नहीं उठेगा, जब तक गांव का गरीब किसान नहीं उठेगा, तब तक देश की प्रगति नहीं होगी।

महोदय, डीजल, पैट्रोल, कैरोसीन आइल, रसोई गैस आम आदमी की समस्या बन चुका है। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। किसान भी आज शत-प्रतिशत इन सारी मदों से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर गांवों को सुधारना है, अगर किसानों की स्थिति को सुधारना है, अगर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग ओर मध्यम उद्योगों को उबारना है तो देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। जो गलत आर्थिक नीतियां होती हैं, हम उस पर अपनी बात कहते हैं और सत्ता पक्ष के लोग उस पर लेप लगाते हैं, उस पर मक्खन लगाते हैं। देश इनको देख रहा है, देश इनको सुन रहा है। देश को तो रोटी चाहिए। गरीबों को उनकी खाली थाली में दाल-रोटी चाहिए। हम जीडीपी को लेकर कितना उनको समझाएंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन गरीबों की तरफ ध्यान दें, देश की अर्थव्यव्सथा को ठीक करें, बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाएं, तब इस देश का विकास होगा, तभी इस बजट में अनुपूरक मांगों और इनकी व्यवस्थाओं की कोई सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2011-12 के अनुदान की पहली अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सामान्य बजट में लाखों-करोड़ों रुपए का बजट लोकसभा में पेश किया, जिसे लोकसभा ने पास भी किया। आज आप अनुपूरक मांगों के द्वारा काफी बड़ी राशि की स्वीकृति लोकसभा से लेने के लिए आए हुए हैं। इसे लोकसभा से स्वीकृति तो मिलेगी ही। हम लोग देखते हैं कि विभागों के लिए बड़ी-बड़ी राशि की स्वीकृति दी जा रही है, लेकिन बिहार राज्य को उसके हिस्से से भी कम राशि दी जाती है। यह सर्वविदित है कि बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्य है। सौभाग्य से आज बिहार के नेतृत्वकर्त्ता आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का नेतृत्व अपने हाथों में लिया है। बिहार में जो बदहाली थी, उसे सुधारने का उन्होंने जो प्रयास किया है, उन्होंने जो संसाधन जुटाकर बिहार का विकास किया है, उनके प्रयास की हम लोग सराहना करते हैं केवल राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग जो वहां आए हैं, वहां के चारों तरफ विकास को देखकर उसे सराहा है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कई बार राजय सरकार ने पत्र भेजा लेकिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मती के लिए कोई पैसा नहीं दिया, आना-कानी किया। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की 925 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग को बनवाने का काम किया। लेकिन भारत सरकार ने उस राशि की उपलब्धता अभी तक नहीं करायी है। मै। इस सदन से मांग करता हूं कि इस तरीके से राज्य सरकार को परेशान न किया जाए और भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार को यह राशि दी जाए। आज तक बिहार को उक्त राशि नहीं दी गयी है।

शहरी विकास मंत्रालय बनाकर शहरों के विकास के लिए कई तहर से पैसे दिए जा रहे हैं वहां बड़े-बड़े लोग बसते हैं, इसलिए शहरों में ओवरब्रिज, स्वच्छ जल इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। वहां लोगों कोक ठहरने के लिए होटल और बड़ी-बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके टहलने के लिए बड़े-बड़े लॉन बनाए जा रहे हैं, लेकिन गांव को बनाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि गांव को बनाने के लिए बड़ी-बड़ी सड़कें, गांवों की गलियां और नालियां बनाने के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था करायी जाए।

मनरेगा के नाम पर गांव में पैसे दिए जाते हैं। उससे रोजगार पैदा होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि गांव को बनाने के लिए कोई ऐसी राशि नहीं दी जाती है जिससे किसानों के खेतों को पानी मिले, उन्हें पीने को साफ पानी मिले। इस तरह की व्यवस्था जो बजट में नहीं की जाती है, उससे गांव आज बदहाल होते जा रहे हैं गांव के बेरोजगार आज पलयान कर रहे हैं, वे गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। जो खुशहाली गांवों में होनी चाहिए थी, वह आज वहां नहीं है।

महोदय, किसानों के लिए अमोनियम सल्फेट आज बिहार में लगातार दो वर्षों से नहीं पहुंच रहा है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अमोनियम सल्फेट, जो खाद होता है, वह सस्ता खाद होता है, तथा वह किसानों के लिए अच्छा खाद होता है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उस खाद को बिहार में दिया जाए। बिहार में डी.ए.पी. की भी काफी किल्लत है। बिहार में किसानों के बीच में उसकी कालाबाजारी की जा रही है। उसकी भी व्यवस्था कराई जाए।

सिंचाई के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में उदेरा स्थान सिंचाई परियोजना चल रही है। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि कई नदियां और कई नहरें, जो उससे निकलती हैं, उसकी खुदाई के लिए भारत सरकार पैसे दे जिससे कि किसानों के हित के लिए काम हो सके। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय: श्री एम.बी. राजेश उपस्थित नहीं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12 पर कुछ बाते रखने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद।

पूर्व में इस अवसर पर विद्वान वित्त मंत्री द्वारा ओजस्वी भाषण देने के बाद अब वे कार्य करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने अधिकांश सहयोगियों की भांति इस देश के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। एक ओर हमें कहा गया है कि विकास और मुद्रास्फीति, दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन जैसा कि किसी अति विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार और मूल्यवृद्धि साथ-साथ चलते हैं। इसलिए हम मुद्रास्फीति और महंगाई को मिलायें न ऐसे ही हम विकास ओर भ्रष्टाचार को एक साथ न मिलाएं। मुट्ठीभर लोगों का विकास इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां कोई भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है।

श्री तथागत सत्पथी: निशिकांत दुबे जी, सभा आपकी है। हम इस पर आपत्ति न करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय आ गए हैं।

श्री तथागत सत्पथी: इससे पता चलता है कि वे आपकी बातों की कितने हल्के और बेपरवाह ढंग से लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया पीठ को संबोधित करें। उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। आप जारी रखिये। आप पीठ को संबोधित करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बीच में टिप्पणी न करे।

श्री तथागत सत्पथी: यही तरीका है या हमारे साथ इस सभा में कैसे व्यवहार होता है यह उसका उदाहरण है। इसलिए हम संतुष्ट हैं। क्योंकि जब बड़े लोग हाथ मिलाते हैं तो उसका पहला शिकार सही आवाज, और सच्चाई होती है जिसके आज हममें से बहुत से लोग साक्षी बने हैं।

तथापि, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाये और इस देश में रहने वाले वास्तविक लोगों के बारे में सोचें। हम सदैव ऐसे बोलते हैं जैसे स्वर्ग से आए हैं और हम ''गरीबों'' के बारे में ऐसी बाते कर रहे हैं जैसे वे बहुत गंदे हैं, फूहड है और अवांछित है तथा भगवान ही जानता है कि वे धरती पर क्यों है और भगवान ही जानता है कि वे भारत में क्यों है? यही हमारी सोच है। मुझे यह कहने में संकोच और दु:ख है। यह कहते हुये मेरा दिल टूटता है कि सभी दलों के वक्ताओं से हमने यही सुना है।

जब हमें बताया गया कि पांच प्रतिशत या छह प्रतिशत या सात प्रतिशत स्वीकार्य है और आठ प्रतिशत स्वीकार्य नहीं है तो मैं नहीं समझता कि एक दिल्ली में ऑटो चलाने वाला व्यक्ति या ढेंकनाल में रिक्शा चलाने वाला या अंगूल में साईकिल चलाने वाला व्यक्ति जब बाजार में सब्जियां चावल खरीदने जाता होगा तो वह समझ पाता होगा कि यह छह प्रतिशत या आठ प्रतिशत क्या है। वह भूख से मर रहा है, और प्रतिशत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां हमने कृषि में निवेश करना बंद कर दिया है। हमारे पास ए.आई.बी.पी. नामक एक अच्छा कार्यक्रम है।

पूरे देश में आज भी बहुत-सी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। इन आधी-अधूरी परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं और वे बेकार पड़ी हैं।

अपराह्न 4.04 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन परियोजनाओं को पूरा करने की हमें चिंता नहीं हैं। आप इस मामले में गंभीर नहीं है। यह मूल रूप से गंभीर होने का प्रश्न है।

सभापति महोदय: सत्पथी जी, आप इतनी कमजोर आवाज में क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आपका दिल टूट गया है?

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं आज अपने को निराश महसूस कर रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उसे हिन्दी में आहत कहा जाता है, आहत है।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इस सभा में और अधिक कहानियां नहीं सुनाना चाहता। आज की राजनीति में दिखने वाले बहुत-से कलाकारों जैसा कि नहीं दिखना चाहता। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं दिखा वही आचरण कर सकता हूं। लेकिन वास्तव में अब ऐसा समय आ गया है कि हम सभी को अब कुछ करना चाहिए और हमें गंभीरता से सोचना शुरू करना चाहिए कि हम इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं। अन्यथा आप इन लोगों को तीन मूर्ती में बैठा हुआ पाएंगे।

सभापति महोदय: महताब जी, कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब तो मुझे भी उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, (इयरफोन)।

श्री तथागत सत्पथी: क्या आप चाहते हैं कि मैं और जोर से बोलूं?...*(व्यवधान)*

हमें वास्तव में तीन मूर्ति में, लाल किला में यहां, वहां, योग या कुछ और करते लोग मिल जाएंगे और हमारे मंत्री हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने के लिए भागते नजर आएंगे। क्या आज देश के इस तंत्र का इस प्रकार का मजाक, माखौल, देख सकेगा। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।

आज इन छोटी, अल्प माननीय मूलों से व्यवस्था को नुकसान हो रहा है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ए.आई.बी.पी. एक ऐसी परियोजना है, हमने इसे पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हम किसानों के बारे में नहीं सोचते। हम केवल उर्वरक के बारे में बात करते हैं, हम केवल व्यापार के बारे में बात करते हैं। हम जे.एन.एन.यू. आर.एम. या कुछ और लाकर परिवहन क्षेत्र की मदद करने की बात करते हैं। सभी नाम एक समान है। लेकिन, हम इस बारे में नहीं सोचते की ट्रेक्टर को आधुनिक बनाने की जरूरत है। हम ट्रेक्टर से जुड़े उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए निवेश करने की जरूरत है। हम उन लोगों के लिए कुछ करे जो हमें भोजन देते हैं, उन 80-85 प्रतिशत लोगों के लिए कुछ करे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे गंदे नहीं है। वे अवांछित नहीं है। हमें टाटा और हिन्दुजा घरानों को उनके टाटा ट्रक और लेलैण्ड ट्रक के लिए उन्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। हमें आम लोगों की मदद करनी चाहिए। यदि आप इन कॉर्पोरेट घरानों की मदद करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको इसके लिए भी खुलकर तैयार रहना चाहिए। तो फिर आप यह न कहे कि आप राज्य-चालित बस सेवाओं को उन बसों को देकर परिवहन क्षेत्र को मदद कर रहे हैं जो कई दशक पहले असफल हो गई है। बहुत पहले डी.टी.सी. के टायर भी बेचे जा रहे थे। दशकों पहले परिवहन सेवा को संचालित करने बाद भी राज्य की प्रणाली असफल हो चुकी है। हम इस सत्य को स्वीकार कर लें। हम इससे क्यों भाग रहे हैं, हम तथ्यों को क्यों छिपा रहे हैं?

मैं एक राय देना चाहूंगा जो कि मेरे लिए बहुत ही अनुचित लगेगा। यह गठजोड़ बाध्यता की निरंतर शिकायत है...* गठजोड़ बाध्यता...*... गठजोड़ बाध्यता...* गठजोड़ बाध्यता ये सभी घोटाले भी गठजोड़ बाध्यता है। गठजोड़ बाध्यता की प्रक्रिया में हम अपनी सभी भ्रामकता, अपनी सभी कमजोरियों से दोषमुक्त हो रहे हैं और हम इससे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं।

आज भारत में जनसाधारण बहुत चालाक हैं। मुझे विश्वास है कि आज आम भारतीय हम सभी से अभी बहुत आगे हैं। हम उनकी प्रतिभा का अनादर न करें। उस परिस्थिति में जब उन्होंने आपको एक राजनीति किनका डाला है अथवा उन्होंने आप पर एक राजनीति टुकड़ा डाला है तो इसे कहीं ढ़ंग से तथा आदर के साथ प्रयोग करें और अपनी राजनीतिक बाध्यता को स्वयं निटाना सीखिएं। आप रो नहीं सकते, आप घर जाकर विचार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैंने सोचा कि आप चाहते हैं कि मैं जोर से बोलूं। इसलिए मैंने जोर से बोला।

सभापति महोदय: मैं चाहता था कि आप जोर से बोले लेकिन अधिक देर तक न बोले।

श्री तथागत सत्पथी: अधिक देर तक बोलूं। ठीक है महोदय।

सभापति महोदय: नहीं, केवल जोर से बोले न कि अधिक देर तक बोले।

...*(व्यवधान)*

तथागत सत्पथी: इसलिए मेरा मुद्दा यह है कि कृषि की पूरी तरह अनदेखी की गई है। हमें लाखों लोगों को खिलाने के लिए खर्च करने की आवश्यकता है जो इस देश में जन्म ले चुके हैं और जो हर क्षण पैदा हो रहे हैं और जो भविष्य में पैदा होंगे।

हम वर्ष 1970 के दशक के दौरान आपातकाल के दौरान कुछ गलत कार्यों के कारण बहुत अधिक सुविधा में हैं। हम परिवार नियोजन के बारे में बात करके बहुत संशक्ति होते है, हर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात करने में भयभीत होते है जबकि अन्य देश इस संबंध में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

समस्या यह है कि हम जो भी निवेश करते हैं उससे लाभ अर्जन की उम्मीद करते हैं। यदि कृषि क्षेत्र से लाभ अर्जन की मांग की जाती है तो यह लाभ अर्जन पार्टी निधि में नहीं जाएगा। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। हमें भंडारण सुविधाएं, खाद्यान्नों के रख-रखाव और कृषि उत्पादों की ढुलाई में निवेश करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम एनएलआरएम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण परियोजना है जिसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। जब आप आरओआर और पट्टा के साथ भूमि का कब्जा देते है तब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि यह भूति उसकी है। इस पूरे देश में न कि केवल मेरे राज्य में बल्कि अन्य अधिकांश राज्यों में भी मैं आश्वस्त हूं कि विद्वान संसद सदस्य इसके बारे में अवगत होंगे। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण विफलता है निवेश को बढ़ावा देना होगा। राज्यों को इसे लागू करने के लिए बाध्य करना होगा और जहां भी असफल होते हैं तो ऐसे राज्यों को आर्थिक दंड देना चाहिए।

एनआरएचएम के बारे में और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय सोचे जाने चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने की आवश्यकता है। हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो रहे है। एनआरएचएम एक अग्रणी परियोजना है लेकिन इसमें कोई निवश नहीं किया गया है। इसके पीछे कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए यह भी एक विफलता है। सर्व शिक्षा अभियान में आदर्श विद्यालय नहीं खोले जा रहे है, केवल कुछ विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है अथवा उन्हें शिक्षण के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमारे यहां शिक्षकों और सुविधाओं की कमी है। एसएसए पर ध्यान देने की जरूरत है।

आपने बीपीएल सर्वेक्षण पर 2300 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बनाई है। एक सीमा भी है जो बहुि विस्तृत है जिसे एपीएल के अंतर्गत लाया गया है लेकिन वास्तविकता से वे अभी भी बीपीएल में हैं। इस पर ध्यान देना होगा। उड़ीसा जैसे राज्य में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। एक प्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण करने के लिये विधान का समर्थन करना होगा।

अंततः मुझे इतना समय प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि मेरे राज्य उड़ीसा की बुरी तरह अनदेखी की गई है। कालाहांडी बोलांगीर कोरापुट (केबीके) जैसे क्षेत्रों में जहां एक पूर्व प्रधान मंत्री गए और किसी के घर में कुछ दाल चावल खाया था और यह महसूस किया था कि यह क्षेत्र कितना गरीब है लेकिन उस समय से लेकर अब तक यह महसूस करना बन्द हो चुका है और सपने टूट गए हैं और कोई ठोस विकास उन क्षेत्रों में नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा केबीके में निवेश में कटौती की गई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि केबीके क्षेत्र जो बुंदेलखंड से बदतर समझा जाता है को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ दिया जाना चाहिये। मैं केबीके की तुलना बुंदेलखंड से नहीं कर रहा हूं। बुंदेलखंड पर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड और केबीके को समान समझा जाना चाहिए और इन क्षेत्रों के लिए अधिक धनराशि देनी होगी।

सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा एक अन्य स्रोत है जिसकी हमने पूरी तरह अनदेखी की है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे गरीबोन्मुख अनुपूरक बजट समझते हुए उन्हें कुछ बड़ा सोचने दें। इसे स्वीकार करना तथा समर्थन करना हम सभी के लिए मुश्किल है। ज्यादा विलंब हो जाए इससे पहले हम ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोतों के बारे में सोचें।

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): सभापति महोदय, मैं इस सीट से बोलने के लिए सादर आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदयः हां, आपको अनुमति प्राप्त है।

श्री एम.बी. राजेशः मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों की नीतिगत पहल बहुत ही आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है।

संप्रग हो सरकार नव उदारवादी नीतियों का अनुपालन कर रही है। इन नव उदारवादी नीतियों ने वास्तव में देश में हमारे लाखों लोगों की जीवनयापन स्थिति को बदतर बना दिया है। इस नीति ने लाखों गरीब लोगों को निराशा और अवसाद में ढ़केल दिया है। हमने अभी तक चर्चा की थी और महंगाई के संबंध में उत्तर दिया और अंत में हमने देखा है कि किस तरह सत्तारूढ़ दल और प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने हमारे देश के आम आदमी के महत्त्वूर्ण और मुख्य हितों के साथ समझौता किया है। एक बार फिर यह निःसंदेह रूप से साबित हो गया है कि जहां तक आर्थिक नीतियों और नव उदारवादी नीतियों का संबंध है तो काग्रेस और भाजपा के बीच कोई मूलभूत अंतर नहीं है। जो भी हो आर्थिक नीतियों और नव उदारवादी नीतियों के बारे में हमारी अलग-अलग स्थिति है। हम वामपंथी सदैव आलोचक रहे हैं और विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई नव उदारवादी नीतियों का विरोध किया है।

हमारे पास राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन के 66वें दौर का अद्यतन आंकड़ा जो जारी किया गया है वह मौजूद है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का 66वां दौर हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी वृद्धि की प्रवृत्ति की पुष्टि करना है और इसे विहित करता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हमारे देश में रोजगार की स्थिति का एक विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों द्वारा दिए संकेतों को गंभीरता से लेने के बजाए यह सरकार और योजना आयोग के विशेषज्ञ स्वयं आंकड़ों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपनाई गई कार्य-विधि की जांच पड़ताल कर रहे हैं।

यह सरकार और योजना आयोग के लिए ठीक नहीं होगा।

आंकड़ा यह दर्शाता है कि कुल रोजगार वृद्धि में नाटकीय परिवर्तन हुआ है और यह वर्ष 2000-2005 के 2.7 प्रतिशत से घटकर 2005-10 में मात्र 0.8 प्रतिशत हो गया है। इसलिए यह रोजगार की वृद्धि दर में बहुत ही चिंताजनक कमी है। हमें इस बात का स्मरण करना चाहिए कि बाद कि अवधि के दौरान सकल घरेलु उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक रही है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की हमारी वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक है। हमारी रोजगार की वृद्धि दर बहुत ही कम 0.8 प्रतिशत है। यह स्थिति है। यह कभी ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में स्पष्ट है। तथापि ग्रामीण भारत में रोजगार की स्थिति बहुत गंभीर और जटिल है।

ग्रामीण भारत में गैर-कृषि रोजगार में वृद्धि दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 2.53 प्रतिशत हो गई है। सच्चाई यह है कि मनरेगा को लागू करने के बावजूद रोजगार वृद्धि में कमी आई है जो रोजगार की स्थिति की गंभीरता और ग्रामीण भारत में व्याप्त नौकरी के संकट की विद्यमान को दर्शाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने आगे यह उजागर किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी कामगारों में लगभग 51 प्रतिशत स्व-नियोजित थे, 33.5 प्रतिशत नैमित्तिक श्रमिक और 13.6 प्रतिशत नियमित पारिश्रमिक अथवा वेतनभोगी थे। यह दर्शाता है कि नैमित्तिक रोजगार में काफी बढ़ोतरी हुई है।

ग्रामीण भारत में इस गंभीर नियोजन की स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाथ ही में हमें मीडिया की रिपोर्टें से यह ज्ञान हुआ कि कृषि सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव को व्यस्त कृषि मौसम के दौरान मनरेगा को स्थगित कर देने के लिए लिखा है। मनरेगा को लागू करने के बावजूद ग्रामीण भारत में रोजगार की स्थिति बहुत ही कम और चिन्ताजनक है। इसके बावजूद इस सरकार ने व्यस्त कृषि मौसम के दौरान मनरेगा को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यदि आप व्यस्त कृषि मौसम के दौरान मनरेगा को स्थगित करने जा रहे हैं तो यह हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की मौजूदा अनिश्चित स्थिति को समझते हुए घातक होगा।

महोदय, हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी कामगारों में से 51 प्रतिशत स्व-नियोजित है तथा उनमें से अधिकांश थोक व्यापारी हैं और इस सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे दस मिनट मिला है।

सभापति महोदय: आप पहले ही सात मिनट ले चुके हैं।

श्री एम.बी. राजेश: इस सरकार ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सचिवों की समिति ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह होने जा रहा है। इससे देश में चार करोड़ से ज्यादा खुदरा व्यापारियों को जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमने देखा है कि पिछले छह सालों में 2.5 लाख किसाने, के आत्म हत्या कर ली है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से इस आंकडें का पता चलता है। अब निकट भविष्य में हम इस सरकार की गलत नीतियों के कारण खुदरा व्यापारियों को आत्म हत्या करते हुए देंगे। निकट भविष्य में हमें यह दुःखद समाचार भी सुनने को मिलेगा। इसलिए खुदरा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के सरकार के फैसले का हम जोरदार विरोध करते हैं।

अब, मैं अपने दो अंतिम मुद्दों को रखने जा रहा हूं। यह सरकार हमेशा संसाधनों की कमी का रोना रोती रही है। जब कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने की बात आती है तो यह सरकार कहती है हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने के लिये संसाधन नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार कहती है कि उसके पास संसाधन नहीं है और संसाधनों की कमी की दलील को रोज सहायता आदि में कटौती का लिये न्यायोचित ठहराती है। वास्तविक स्थिति क्या है? दो चैनलों के माध्यम से संसाधनों की आपराधिक बर्बादी हो रही है। एक भ्रष्टाचार तथा दूसरा बड़े व्यापारिक घरानों को दी जाने वाली कर के भारी छूट है और इन दोनो में व्यापारिक घरानों को लाभ मिलता है। कहानी का यह दूसरा पहलू है।

यदि आप 2जी भ्रष्टाचार की बात करे तो नुकसान की यह राशि 1,76,000 करोड़ रुपये की और इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में खर्च किया जा सकता था या इसे

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने में किया जा सकता था। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासान संस्थान (एनआईईबीए) ने अनुमान लगाया है कि अगले पांच वर्षों में 35,000 करोड़ रुपये का वार्षिक आबंटन या कुल पांच वर्षों के लिए 1,75,000 करोड़ रुपये हमारे देश में बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। यह बिल्कुल उतनी ही राशि है जितना नुकसान हमें 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में हुआ है। यह मेरा आंकलन नहीं है।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एम.बी. राजेशः महोदय, मैं अब अपना अंतिम मद रखता हूं।

श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में एनएसी ने यह आंकलन किया है कि हमारे देश में सभी लोगों को बिना एपीएल और बीपीएल के भेदभाव किए-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने के लिए 88,500 करोड़ रुपये पर्याप्त होंगे। यह राशि अर्थात 88,500 करोड़ रुपये उस राशि का ठीक आधी है जितनी राशि का नुकसान 2जी भ्रष्टाचार घोटाले में हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचार हमारे संसाधनों को खा रहा है, जितना उपयोग गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है।

यह मेरा अंतिम मद है। जहां तक कर में छूट दिए जाने की बात है तो आपके अपने दस्तावेजों के अनुसार ही माननीय वित्त मंत्री ने बजट दस्तावेज के साथ ही छोड़ा गया राजस्व के संबंध में एक वक्तव्य रखा है। 2010-2011 में करों में रियायत कॉर्पोरेट क्षेत्र को दी गई छूट की राशि के रूप 5,11,000 करोड़ रुपये की राशि छोड़ा गया राजस्व के रूप में भी और 2009-2010 में कॉर्पोरेट क्षेत्र को कर में रियायत के रूप में छोड़ी गई राशि 4,18,000 करोड़ रुपये थी।

श्री साईनाथ जो रमन मैगसेसे पुरस्कर विजेता है, ने 'दि हिन्दू' में लिखा है कि गत पांच वर्षों में इस सरकार ने 21,00,000 करोड़ रुपये की बड़े कॉर्पोरेट घरानों को छूट दी है। यह सब प्रोत्साहन पैकेज के नाम पर किया जा रहा है। संप्रग-II सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा बड़े व्यापारिक घरानों को लाखों गरीब लोगों की भूख, गरीबी, कुपोषण, उदासी और निराशा की कीमत पर प्रोत्साहन देने पर तुली हुई है। संक्षेप में यही कारण है कि मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध कर रहा हूं।

***श्री सी. शिवसामी** (तिरूपुर): सभापित महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) पर चर्चा में बोलने हेतु असर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। केन्द्र सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन का समर्थन करना चाहिए तथा राज्यों के लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इससे हम यही उम्मीद करते हैं।

आज के समय में गरीबों के लिए सबसे जरूरी चीजों में किरोसिन तेल है। तमिलनाडु में हम किरोसीन तेल की कमी पाते हैं जिससे गरीब लोगों की जिन्दगी पर काफी असर पड़ता है। तमिलनाडु में किरोसीन की मासिक जरूरत 65,140 किलोलीटर है। लेकिन मार्च के महीने में केन्द्र ने केवल 59,780 किलो लीटर किरोसीन ही तमिलनाडु के लिये जारी किया। जून के महीने में केवल 44,580 किलो लीटर ही जारी किया गया। किरोसिन की आपूर्ति में 33 प्रतिशत की इस कटौती ने तमिलनाडु के लोगों के मन में गंभीर आशंकाएं भर दी हैं। तमिलनाडु के लोग, विशेषकर गरीब लोग जो अपने घरों में खाने बनाने तथा दीप जलाने के लिए किरोसीन पर ही आश्रित हैं उनको आशंका है केन्द्र सरकार द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

इसी प्रकार तमिलनाडु में विद्युत की कमी और कटौती भी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारी नेता पुरारूची चलाई की अम्मा के राजधानी में आगमन पर जब, वे माननीय प्रधान मंत्री से मिली तो उन्होंने विद्युत में कटौती से बचने के लिए 1000 मेगावाट विद्युत देने का अनुरोध किया। ऐसा आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और विद्युत आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई है। विद्युत की कमी की समस्या से निपटने के लिए तमिलनाडु के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की जैसी प्रतिक्रिया है उसे सभा को बताते हुए मुझे बहुत दु:ख हो रहा है।

सिंचाई के लिए तमिलनाडु में मेन्टूर बांध जैसे अनेक बांधों द्वारा पानी छोड़ा गया है। ऐसे में जब किसान पुन: रोपण के साथ खेती शुरू करने के कार्य में गंभीरतापूर्वक संलग्न हैं तो डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति बड़ी चिंता का कारण बन रही है। अत: मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आगे बढ़कर उर्वरकों की कम आपूर्ति की समस्या दूर करते हुये यह सुनिश्चित करने में सहायता करे जिससे कि खेती हेतु डीएपी और पोटाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

तिरूपुर कस्बा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसने औद्योगिक इतिहास में अपनी जगह बनाई है। अनेक रंग रोगन इकाइयों के बंद होने के कारण तिरूपुर कस्बे और इसके आस-पास के बुनाई उद्योग काफी प्रभावित हुये हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला तिरूपुर गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। अन्य स्थानों से अलग केवल तिरूपुर में बहिस्राव शोधन संयंत्रों से शून्य प्रतिशत बहिस्राव को अनिवार्य कर

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

लिया गया है और अधिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों को स्थापन्न में सहातया करने तथा केंद्रीयकृत संयंत्रों के लिए भी हमारी नेता पुरात्ची थलाइंवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने 200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तिरूपुर में बुनाई उद्योग को बचाने में सहायता करने हेतु ऐसा ही रूख अपनाए जो अनेक वर्षो से अपनाया गया है। मैं केद्र सरकारा से यह भी आग्रह करूंगा कि वह बहिस्राव शोधन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए स्वयं पूरा खर्चा करे जो शुल्क प्रतिशत उत्सर्जन के मानदंड का अनुपालन करते हैं। अदालत के आदेश पर केवल तिरूपुर में रंग रोगन इकाई योंपर शुन्य प्रतिशत उत्सर्जन का यह मानंदड लागू किया गया है जिसके कारण उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है।

जब कपास की बात आती है तो मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमें स्पिंडलिंग यार्न और अपने वस्तु उत्पादन तथा परिधान क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर स्वदेश में कपास का उपयोग करके महत्व देना चाहिए। हमें बिचौलियों को इस नकदी फसल से लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। किसानों से अधिक बिचौलिये अंदर रहने का दावा करते हैं। ऐसे कपास के स्थिति पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए जिससे बिचौलियों को लाभ होता हो।

परिधान क्षेत्र पर 10 प्रतिशत उत्पादक शुल्क लगाया गया है। पिछले बजट में घोषित इस प्रकार के बढ़े हुए उत्पाद शुल्क यह बुनाई उद्योग अत्यंत प्रभावित होता है। निकर और बनियान जैसे अंत: वस्त्रों का उत्पादन करने वाली लघु इकाइयां भी अत्यंत प्रभावित हुई है। दिल्ली, कानपुर और बैगलौर में परिधान इकाइयों के सभी प्रतिनिधि बजट में घोषित उत्पाद शुल्क को वापस लेने के लिए प्रधान मंत्री से मिले हैं। परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इससे पहले से ही भार से लदे बुनाई उद्योग पर पुरा प्रभाव पड़ता है। अत: मैं केन्द्र सरकार से परिधान क्षेत्र पर लगाए गए 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को रद्द करने का आग्रह करता हूं।

तमिलनाडु का मुख्य राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 है जिसे चार लेन वाली सड़क को चार लेन से छह लेन वाले राजमार्ग में परिवर्तित किया जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-47 को चौड़ा करने हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि किसानों कें हितों की रक्षा की जाये और बाजार मूल्य के बराबर मुआवजे का भुगतान किया जाए। यदि सरकार वर्तमान मुआवजे संरचना के अनुसार कृषि भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो इससे किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और अपर्याप्त मुआवजे के भुगतान तथा इसके कारण हुई भारी हानि के कारण किसानों को पेश आ रही समस्याओं में सहातया करें।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनपुर): महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं करता हूं परंतु मैं आंकड़ों का नहीं बल्कि इस प्रस्ताव में निहित मूल भावना का विरोध करता हूं। हमने मूल्य वृद्धि संबंधी वाद-विवाद पर अपने वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्रों को संबोध न के बारे में यह कहते हुए समाप्त किया कि उन्हें गुडबाय वर्ल्ड एंड हेलो इंडिया, हेलो स्वीट होम कहना चाहिये। परंतु मैं गरीब जनता को दिये गये संदेश के बारे में जानना चाहता हूं। उनका संदेश क्या है? गरीब व्यक्ति, किसान, मेहनती किसान, खेतीहर किसान और कामकाजी व्यक्ति इस समय आसमान छूती महंगाई के कारण बड़ी मुश्किल स्थिति में है। उनको क्या उत्तर दिया जाएगा? उत्तर है: विश्व को देखिए अपने घर को नहीं। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए उनका उत्तर है: 'अपना घर देखिए विश्व को नहीं।' और गरीब व्यक्तियों के लिए उनका उत्तर है: 'विश्व को देखिए अपने घर को नहीं। यह उनका रवैया है। वे काफी हद तक कॉर्पोरेट क्षेत्र के पक्ष में हैं वे गरीब व्यक्तियों कृषि भूमि को और परिश्रमी किसानों की उचित समस्याओं पर न तो विचार कर रहे हैं और न ही उन्हें हल कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में यही दिखाई देता है। इस प्रस्ताव में संदेश है संदेश प्राथमिकता है। सरकार मदों की प्राथमिकता तय करने में असफल रहीं है।

हमारे क्षेत्रों में क्या स्थिति है? जहां तक किसानों की दुर्दशा का संबंध है तो माननीय सदस्यों द्वारा उसका वर्णन किया गया है। लगभग चालीस प्रतिशत किसान अपने क्षेत्रों को छोड़ने की स्थिति में हैं और वे वैकप्लिक रोजगार की तलाश में है। कामगारों की क्या स्थिति है? लगभग 50 लाख से अधिक कामगारों का रोजगार छिन चुका है। लगभग दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये बात है। देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लगभग 60 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अब भी वर्षा सिंचित है। इस पर भी इस बजट में सिंचाई परियोजनाओं हेतु एक रुपया भी आबंटित नहीं किया गया है। एआईबीपी के लिए, प्रमुख चालू सिंचाई परियोजनाओं की क्या स्थिति होगी? कुछ राज्यों में नदियों को जोड़ने का क्या हुआ? बजट में कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल में तीस्ता बैरास की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से अवगत है। यह केन्द्रीय परियोजना है। इस परियोजना का क्या होगा? इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है? कितना आबंटन हुआ है? उपभोक्ता मामले विभाग, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और यहां तक कि कृषि मंत्रालय के मामले में भी बहुत कम आबंटन हुआ है। यही तस्वरी है। किसानों के प्रति इसी प्रकार की सोच है।

हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। यहां पर ऐसा कहे हुए मैं चिंतित होने से ज्यादा दुःखी हूं। जब माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। मंत्री जी के मुंह से ऐसा वक्तव्य सुनना, विशेषकर भारत के वित्त मंत्री जैसे मंत्री से सुनना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। यह न तो लाभकारी है और नहीं समर्थन करने वाला है। इस संबंध में स्वामीनाथन आयोग द्वारा क्या सिफारिश की गई थी? इस संबंध में सिफारिश में कहा गया है कि कुल लागत मूल्य और इस मूल्य के पच्चास प्रतिशत के लाभ का योग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का आधार होना चाहिए। उस नीति का पूरे देश में पालन नहीं किया गया नहीं अभी तक भारत सरकार द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

हम कृषि ऋण के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कृषि ऋण के लिए ब्याजदर चार प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पांच प्रशित या छह प्रतिशत का ब्याज दर जो बैंक अभी ले रहा है वह केवल अल्प अवधि ऋण तक सीमित है और यह मध्यम अवधि ऋण या दीर्घावधि ऋण के मामले में नहीं है। इस तरह यह क्या हो रहा है? कृषि पूंजी का सृजन दिनो-दिन घट रहा है। हमारे देश में यही स्थिति है। केरल सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया है। यदि आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो यह शुरू किया जाना चाहिए।

मैं अपने देश की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री के.एस.राव को यह बेहतर पता होगा कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिले के किसानों ने एक लाख पांच हजार एकड़ भूमि पर इसकों फसल अवकाश दिवस की घोषण की है। हमने कर अवकाश के बारे में सुना था। लेकिन पहला अवसर है कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर इस प्रकार की घटना दिख रही है कि किसान एक छोटे क्षेत्रफल में नहीं वरिष्ठ 1.3 लाख एकड़ भूमि पर फसल अवकाश की घोषण कर रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। सरकार उस बारे में क्या सोच रही है? क्या वे यह संदेश देना चाहते हैं-'अपने घर को नहीं बल्कि विश्व को देखो'? यह प्रवृत्ति है। मैं इस प्रकार की सोच के सख्त खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार उचित रूप से इस संबंध में विचार करेगी। यद्यपि यह पूर्ण बजट नहीं है, फिर भी सरकार का विचार, नई उदारीकरण कर विचार इस पूरक अनुदानों की मांगों में दिख रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ कुछ बातों का उल्लेख करना है। यद्यपि मैं इस अनुपूरक अनुदान की मांग का समर्थन करती हूं मैं समझती हूं कि कतिपय ऐसी बातें हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है और उन्हें अधिक महत्व और अनुदान दिया जाना चाहिए जो आबंटन उनको किया जा रहा है उससे अधिक आबंटन होना चाहिए।

पहली बात जिसे मैं उठाना चाहती हूं वह हमारे देश में जल प्रणाली से संबंधित है क्योंकि हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं जो सभा में पेश होने वाला है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए पहली आवश्यकता जल सुरक्षा की है। इसलिए हमें सबसे पहले जल सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए। जब हम जल सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें उन राज्यों में जल प्रणाली की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए जो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करते हैं। पंजाब राज्य में देश के कुल खाद्यान का लगभग 60 प्रतिशत का उत्पादन होता है। मैं समझती हूं कि यह बात सभा के ध्यान में लाई गई है, मैंने स्वयं इस बारे में कई बार चर्चा की है कि हमारे यहां की सिंचाई प्रणाली 150 वर्ष पुरानी है। इस पुरानी प्रणाली के कारण नहरों में पानी 18 प्रतिशत तक बर्बाद हो जाता है और नहरों में पक्का नदी होकर इनमें कच्चा होने के कारण 15 प्रतिशत और पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए राज्य में पुरानी सिंचाई प्रणाली के कारण लगभग 33 प्रतिशत जल बर्बाद हो जाता है। जो देश के लिए 60 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करता है। सरकार को इस बारे में चिंता होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य है कि चिंता करने की बात तो दूर है, जो मुझे आश्र्चचकित करने वाली बात है कि सरकार इस तथ्य पर ध्यान भी नहीं दे रही है कि बहुमूल्य पानी बर्बाद हो रहा है और भारत सरकार के जल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब में भूजल स्तर जिस तेजी से नीचे जा रहा है उससे अगले 12 वर्षों में यह राज्य एक सूखा राज्य बन जाएगा।

अब, सरकार की ओर से समाधान उपलबध कराये जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए-ए.आई.बी.पी. है जो सरकार द्वारा पूरे देश में नहर सिंचाई प्रणाली दुरुस्त करने के लिए दी जाती है। लेकिन इसका मानदंड ऐसा है कि किसी एक नहर को दुरुस्त करने के लिए या पुर्नजीवित करने के लिये दी गई राशि का 100 प्रतिशत का उपयोग कर लिया जाता है तभी अगली नहर के लिये धनराशि जारी की जाती है। पंजाब जैसे राज्य में जहां तीन फसल मौसम होते हैं और नहरों में पानी छोड़ने का काम साल में अधिकतम 2 महीने के लिए ही बंद किया जा सकता है क्योंकि साल के बाकी महीनों में सिंचाई का उपयोग अनेक फसलों को सिंचित करने के लिये किया जाता है इसके कारण एक नहर के कार्य को पूरा करने के लिये कम से कम 6 साल लग जाते हैं। हमारे यहां सात

नहर हैं और इस औसत आंकड़े को माने तो सभी नहरों पर कार्य संपन्न कराने के लिए कम से कम 24 वर्ष लगेंगे।

जल बोर्ड कहता है कि 12 वर्षों में पंजाब सूख जाएगा। यदि पंजाब सूख जाता है और 60 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता है जो वह राष्ट्र को खिला रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा किस प्रकार प्राप्त होगी? सरकार जिस प्रकार अनुदानों का वितरण कर रही है उस पर मैं काफी चकित हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि जल संसाधन मंत्रालय ने अलग से केवल 1 करोड़ रुपए रखे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस नहर से धनराशि के पर्याप्त आबंटन किए जाने की तात्कालिनता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जो राष्ट्र और राज्यों के लिए लाभकारी हो और हमें इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात मैं भंडारण स्थानों के बारे में बात करना चाहती हूं जिसकी हमारे देश में बहुत गंभीर स्थिति है। सरकार स्वयं कहती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जब से अधिक खरीद हुई, सभी भंडारण स्थान अनाज से भरे हुए हैं। वास्तव में भंडारण स्थानों की कमी है। यदि मैं अपने राज्य पंजाब की बात करूं तो हमारे यहां 200 लाख टन खाद्यान्न पड़ा है और हमारे यहां केवल अनुमानत: 190 लाख टन की भंडारण क्षमता है। इसका अर्थ यह है कि खुले भंडारण स्थानों के अतिरिक्त बाकी अनाज अवैधानिक भंडारण स्थानों पर पहले से पड़ा हुआ है। एक बार फिर चाल की नई फसल आने के पहले हमारे पास केवल छह सप्ताह बचे है। इस प्रकार पंजाब राज्य में किसी तरह का भंडारण स्थान नहीं बचा है। जब हम सरकार से बात करते हैं तो उसका कहना है कि खपत वाले राज्यों में भंडारण स्थल पूरी तरह भरे हुए हैं। इस प्रकार उन्हें अन्यत्र ले जाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है।

इस प्रकार, एक ओर हमारे देश में 7000 लोग भूख से मर रहे है और 20 करोड़ लोग हर रात भूखे सो जाते हैं तो दूसरी ओर मेरे राज्य में अनाज सड़ रहा है और यह सरकार क्या कर रही है? उन्होनं बजट में क्या आबंटित किया है? नए भंडारण स्थान के लिए 40 करोड़ रुपये है। यदि मैं दिए गए ब्यौरे पर नजर डालू तो हमारे देश में 1 जुलाई 2010 की स्थिति के अनुसार कुल खाद्यान्न भंडार 578 लाख टन था और न्यूनतम स्टॉक 319 लाख टन अपेक्षित है, इसका तात्पर्य यह है कि 1 जुलाई, 2010 को सरकार के पास लगभग 259 लाख टन अतिरिक्त अनाज था और सरकार 27 करोड़ रुपए प्रति दिन की लागत से व्यय कर रही थी। यह लगभग 10000 करोड़ रुपए सलाना है। यह जबकि 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और 7000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं। यह सरकार अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण के लिए 10000 करोड़ रुपए सलाना व्यय कर रही है। लेकिन वे नए भंडारण स्थान के लिए केवल 40 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं। मुझे अपने बजट का आबंटन समझ में नहीं आता है। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे राज्य से अन्य खपत वाले राज्यों की ओर प्रतिमाह केवल 12 लाख टन अनाज की ढुलाई होती है। उनहें इस राज्य से अन्य राज्यों में ले जाने के लिये अधिक रेलों और रेकों की आवश्यकता होगी जिन्हें खाद्यान्नों की आवश्यकता है ताकि वे बर्बाद न हो।

तीसरी बात जिस पर पूरे राष्ट्र को गंभीरत से सोचने की आवश्यता है वह है, हमारे देश में कैंसर के बढ़ते मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत विश्व में तेजी से फैलने वाला कैंसर की राजधानी बनता जा रहा है मैं समझती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भटिंडा संभवत: इसका केन्द्र बिन्दु बनता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने समाचार पत्र की यह रिपोर्ट देखी है या नहीं। रिपोर्ट पर कहती है कि 'कैंसर एक्सप्रेस' नामक एक रेलगाडी है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से बीकानेर जाती है और कैंसर के रोगियों से भरी होती है। एक ऐसे राज्य में जहां कैंसर के ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है, जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जाता हूं तो प्रत्येक गांव में मेरे पास तरह-तरह के कैंसर पीड़ित कम से कम 4-5 लोग आते हैं।

मैं सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगी। अध्ययनों से पता चला है कि दुग्धपान कराती माताओं के दूध में भारी मात्रा में कीटनाशक है और बच्चों के बालों के नमूनों में यूरेनियम और अन्य रसायन पाए गए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ ने यह बताया है कि महिलाएं ग्रीवा और स्तन कैंसर से सर्वाधिक पीड़ित है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार इस प्रयोजनार्थ अलग से आबंटन करे। उन्होंने एक कैंसर कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह धनराशि ऐसे गरीब लोगों को दी जानी चाहिए जो कैंसर के महंगे इलाज का खर्च बहन नहीं कर सकते और उन्हें इसके लिए नि:शुल्क टीका भी दिया जाना चाहिए। केवल ग्रीवा के कैंसर का उपचार टीके से किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से यह टीका नि:शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों के एक दल को इसके कारण संबंधी अध्ययन कराना चाहिए कि इस क्षेत्र में कैंसर के इतने अधिक मामले क्यों आ रहे हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि नरेगा के अंतर्गत हम कतिपय सुधार कर सकते हैं, जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास उनके घरों में शौचालय की कोई सुविधाएं नहीं है। नरेगा के अंतर्गत यदि हम गरीब लोगों के लिए शैचालयों का निर्माण करे तो यह महिलाओं की जिंदगी को बदलेगा जिन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाना होता है इसलिए मैं नरेगा के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण का अनुरोध करूंगा।

यदि किसानों के लिए नरेगा के अंतर्गत छोटी छोटी नहर को पक्का बनाया जा सके तो यह उनके लिए काफी मददगार होगा। यह बुनियादी ढ़ाचा ही है जो वास्तव में जरूरतमंद लोगों का उन्थान करने में सहायता करेगा।

अंत में महोदय चूंकि मंत्री जी यहां बैठे हैं और यदि मैं एक मिनट के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं तो मैंने उनसे कई बार अनुरोध किया है कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की कमी है इसमें काफी काला धन व्यय किया जा रहा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, जिसकी 5 लाख लोगों की आबादी है, के लिए केवल 19 गैस एजेंसियां हैं। इसलिए प्रति गैस 600 रुपए के औसत काला धन का व्यय होता है। आप इस बात की कल्पना कर सकते है कि लोग इसके कारण कितने प्रभावित है। सरकार अधिक गैस एजेंसियां क्यों नहीं प्रदान करती ताकि आम आदमी काले धन से काम चलाने से बच सके।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापित महोदय, मैं वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने और उके समर्थन में बोलने के लिए हुआ हूं। चूंकि मैं देख रहा हूं कि अभी तीन-चार सदस्यों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, आपने समर्थन दिया है ...*(व्यवधान)* अच्दी बात है, आपने अच्छे सुझाव दिये हैं मैं। यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने पूरी कोशिश की है, इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके से हम मांग रख रहे हैं और सदन के करीब 550 सदस्यों की मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूबे जी, आपके जितना तो बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। आज 2011 का सैन्सज आया है, उसमें हमने देखा की देश की आबादी आज शहरों में जाकर बस रही है। ये लोग पूरे देश से आ रहे हैं और इस कारण शहरों की समस्याएं बढ़ रही हैं मैं श्री जयपाल रेड्डी साहब से कहना चाहूंगा, भले ही वह आज पैट्रोलियम मिनिस्टर है, लेकिन दो साल उन्होंने देश के शहरों के बारे में स्टडी की है। मैं खासकर जेएनएनयूआरएम के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले आठ सालों से यह स्कीम चल रही है। हम पिछले दो सालों से सदन में इस बात का बार-बार उठा रहे हैं कि इस स्कीम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अर्बन डैवलपमैन्ट की स्टैंडिंग कमेटी के बहुत से माननीय सदस्यों की मांग है कि इस स्कीम को हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि दो सालों से हम देख रहे हैं कि बहहुत से राज्यों के पास पैसा अभी भी बाकी है, कुछ कारणवश वे उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, वहां जो एलोकेशन दिया गया था, जितनी भी राशि उसे दी गई थी, वह पूरी खत्म हो चुकी है और ऐसे और भी प्रकल्प है, जिनके बारे में वहां मांग है कि ये प्रकल्प पूरे होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि यदि इस स्कीम को आगे बढ़ायेंगे तो जो मांगें हम सदन में रखेंगे, उन्हें यदि सदन में पेश किया जाएगा तो उन्हें मंजूरी मिल जायेगी। लेकिन दो साल से हम इस बात को रख रहे हैं मैं सरकार से विनती करूंगा, फाइनैन्स कमीशन के पास हमने इस बात को रखा है, अगर सदन का अच्छा दबाव रहेगा तो शहरों के बारे में आगे आने वाले समय में यदि कोई अच्छा प्रावधान किया जायेगा तो जो छोटे-छोटे शहर हैं, आज के बड़े हो रहे हैं, इसलिए इन शहरों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं अंतिम बात यह रखना चाहूंगा कि इस सरकार ने एमपीलैड का पैसा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया है। मेरे ख्याल से कोई सदस्य कह रहे थें कि इसे दस करोड़ किया जाए, कोई कह रहे थे कि इसे 15 करोड़ किया जाए। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया है, उसवे लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसमें हमें एक छोटी सी तकलीफ हो रही है। जब हम कोई भी कम अपने गांव, खेडे में करते हैं तो उके लिए 25 लाख रुपये तक की लिमिट है। मुम्बई जैसे शहर में हमें यह तकलीफ हो रही है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो पांच सौ मीटर के काम में ही 25 लाख रुपये खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि दो करोड़ रुपये में 25 लाख रुपये की लिमिट थी, लेकिन अब जब आप पांच करोड़ रुपये एमपीलैड में दे रहे हैं तो इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम एक करोड़ रुपये किया जाए, ताकि बहुत से सांसद अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर पायें।

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, महोदय, मैं बहुत उत्साहित हूं कि आप आसन पर हैं। महोदय, सरकार की पूरक मांगों को हमने सरसरी निगाहों से देखा है। सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा कि गुरू रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती और स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती के लिए दस करोड़ और फिर पांच करोड़ रुपये की मंजूरी लाई है। लेकिन मुझे एक संदेह हो रहा है कि शुरू के पृष्ठ में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के लिए दस करोड़ रुपये, स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जायंती के समारोह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता हेतु पांच करोड़ रुपये देने के लिए लिखा है। पृष्ठ आठ में राज्य सरकारों को निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता हेतु गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पांच करोड़ रुपये रखे हैं। हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक जगह दस करोड़ रुपये है और दूसरी जगह पांच करोड़ रुपये है। यदि यह राशि अलग अलग है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि यह पंद्रह करोड़ है, नहीं तो कुछ कन्फ्यूजन है।

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, जो पांच करोड़ रुपये है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इस बात को सरकार साफ करे। अगर यह राशि पन्द्रह करोड़ रुपये है तो इसके लिए हम सरकार को और ज्यादा धन्यवाद देंगे। लेकिन कहीं दस करोड़ रुपये है, कहीं पांच करोड़ रुपये है। सही क्या है? इस बात को सरकार स्पष्ट करे। यह उन्हीं का कागज है, सरकार को यह साफ करना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है? हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वे पन्द्रह करोड़ रुपये तो खर्च कर रहे हैं लेकिन राष्टकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास ने देश के कम से कम सौ जगहों पर समारोह करने की योजना है, क्या वह मालूम है? विट्ठल भाई पटेल भवन में, मुंबई में बिरजू महाराज के साथ गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार को मालूम है कि नहीं। देश-विदेश में लोग गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मना रहे हैं। विवेकानन्द जी की जयंती भी मनाई जाएगी। उनकी जंयती के लिए दस करोड़ रुपये हैं तो इनकी जयंती के लिए पांच करोड़ रुपये क्यों हैं। इस पर कोई सवाल उठा सकता है। महोदय, डॉ. राममनोहर लोहिया की 100वीं जयंती के लिए पचास सांसदों ने लिखकर दिया कि उनकी जयंती पर सरकार शानदार ढंग से समारोह मनाए। लेकिन उसको फाईल में दबा कर रख दिया। महान लोगों के प्रति और उनको स्मरण करने के प्रति इनका मापदंड क्या है? भोपाल सिंह नेपाली के लिए हमने लिखा-पढ़ी की। आप उनकी कविताओं में बहुत रूचि रखते हैं। उनकी बहुत सी कविताएं आपकी जुबान पर होंगी।

सभापति महोदय: रघुवंश जी, जिस समय चीन ने हमारे देश पर हमला किया था, उस समय हम लोग विद्यार्थी थे। उस समय गोपाल सिंह नेपाली की कविता थी कि-गंगा के किनारों को शिवालय ने पुकारा, चालीस करोड़ को हिमालय ने पुकारा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी 100वीं जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। हमने लिखा-पढ़ी की, राज्य सरकार को भी लिखा। महोदय, इतना ही नहीं गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि-दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं। रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा। बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। करोड़ों गरीबों की आज की जुबान जिसकी कविता में निकलती है, उसकी जयंती नहीं मनाई गई। उनकी 100वीं जयंती भी सरकार को याद नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, महोदय यह भी उन्हीं की कविता में है। पत्ता को पतझड़ ने लूटा, फूलों को बहारों ने लूटा, नयी-नवेली दुल्हन को नौ लाख सितारों ने लूटा, बदनाम रहे बटमार मगर घर को रखवालों ने लूटा, घर को रखवालों ने लूटा। यह गोपाल सिंह नेपाली की कविता है, जो अभी चरितार्थ हो रही है। यह क्या हो रहा है, क्यों नहीं उनकी 100वीं जयंती मनायी गयी? हमने लिखा-पढ़ी की, लेकिन क्यों नहीं उनकी जयंती मनायी गयी। इसका क्या मापदंड है?

सभापति महोदय: रघुवंश जी, रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए भी लिखा-पढ़ी की गयी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: रामधारी सिंह दिनकर जी की 100वीं जयंती से हम आगे बढ़ गये हैं, लेकिन यहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का न्यास है।

महोदय, आप जानते हैं कि गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर और रामधारी सिंह दिनकर जी दोनों का कितना नजदीकी सानिध्य था। गुरूदेव रविन्द्र नाथ जब मुज्जफरपुर आये थे, उनकी कविता और यह सब इतिहास में है। महोदय, आप फिर टोकने लगेंगे, इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। हम सरकार से जानना चाहते हैं महापुरुषों और शहीदों की जयंतियों के लिए इनका क्या मापदंड है? बैकुंठ नाथ शुक्ल शहीद हो गये, वे सरदार भगत सिंह के सहयोगी थे। उनके चाचा जोगेन्द्र शुक्ल को काला पानी की सजा हुई। जुबा साहनी शहीद हो गये, आजादी की लड़ाई में वे फांसी पर चढ़ गये। भारत सरकार ने क्या किया? क्या शहीदों की सूची में उन लोगों का नाम भी है? देश की आजादी के लिए हमारे जिन शहीदों ने अपना बलिदान और कुर्बानी दी है, उन्हें इस तरह से भुलाया जायेगा तो यह जनता और इतिहास माफ नहीं करेगा। हम इन सभी सवालों को उठाते हैं।

सभापति महोदय: अब आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अभी तो एक ही बिंदु हुआ है।

सभापति महोदय: एक बिन्दु विस्तार से हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय दूसरा बिन्दु यह है कि इन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका का मानदेय बढ़ाया है, इसके लिए हम इन्हें धनयवाद देते हैं। 1500 रुपये को इन्होंने बढ़ाकर 3000 रुपये किया है और 750 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। देश में आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका की संख्या करीब 28 लाख होगी। उनके लिए तो प्रस्ताव आ गया, लेकिन आशा को सरकार ने निराश क्यों किया? आशा बहनों की संख्या भी देश में आठ लाख के करीब है। हजार की आबादी पर एक है, माननीय सदस्यगण इस बारे में जानते होंगे। उसके लिए कोई रैमुनरेशन ही नहीं है। एक-दो जगह उसे कहीं अपने इलाके में प्रग्नेंसी वाला काम मिल गया तो शायद दस, पचास मिल जाये, लेकिन उनके लिए कोई रैमुनरेशन नहीं है। आशा को क्या कोई जानता है, क्या सरकार के लोग जवाब दे सकते हैं, मैं केटेगरीकली सवाल पूछना चाहता हूं। आंगनबाड़ी के लिए तो प्रस्ताव आ गया, लेकिन आशा के लिए क्यों नहीं हुआ? क्या इसके लिए बजट

बढ़ाना है, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने प्रस्ताव पारित किया था कि कम से कम 500 रुपये महीने उन्हें भत्ता मिलना चाहिए। वित्त विभाग ने उसे क्यों रोका? यह मैं कैटगरीकल सवाल पूछता हूं। क्या उसमें बजट बढ़ाना था, क्या उसमें सप्लीमेंट्री बजट लाना था? जब संचालन समिति ने पास किया तो वित्त विभाग उसे रोकने वाला कौन होता है। इसे क्यों रोका, मैं सरकार से यह सवाल चाहता हूं?

महोदय, देश में आशा बहनों की संख्या आठ लाख है। जो स्वास्थ्य का काम, परिवार कल्याण का काम, गरीब लोगों आदि के इलाज का काम करती हैं। सरकार ने आशा को निराशा क्यों किया? सरकार इसका जवाब दे। संचालन समिति ने पारित किया तो वित्त विभाग ने उसे क्यों रोका? उसका सप्लीमेंट्री बजट यहां क्यों पास किया जाये?

अपराह्न 4.59 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

इस तरह से भेदभाव के साथ सप्लीमेंट्री बजट आयेगा तो कैसे सदन इसे पास करेगा। यह मेरा सवाल नम्बर दो है, सरकार इसका जवाब दे।

महोदय, मेरा सवाल नम्बर तीन एम्स के बारे में है। यहां जो एम्स अस्पताल है, उसमें कुव्यवस्था क्यों है? एम्स देश, दुनिया में नामी अस्पताल है।

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं बिन्दु पर आ गया हूं। एम्स में बड़े लोग जुटते हैं। माननीय सदस्य जानते होंगे कि बिहार के लोग ज्यादा होते हैं। कोई भी माननीय सदस्य बतायें जिनके यहां चार, पांच बीमारी के मरीज न आ रहे हों।

अपराह्न 5.00 बजे

पटना में बोलते हैं, मुजफ्फरनगर में बोलते हैं कि कैंसर है, दिल्ली जाइए। ट्यूमर की समस्या है तो दिल्ली जाइए, हर्ट की समस्या है तो दिल्ली जाइए, वाल्व खराब है तो दिल्ली जाइए। यहां लड़खड़ाते हुए आते हैं और लगता है कि दो-चार दिन में मर जाएंगे तो यहां कहते हैं कि 2012 में आइए, 2013 में आइए। दर-दर की ठोकर उसको खानी पड़ती है, विपत्ति पर विपत्ति आती रहती है। गरीब आदमी पहले ही बीमारी से तबाह होते हैं, उस पर चार आमदी साथ आते हैं, उनका आने-जाने का खर्चा देना पड़ता है, वे रहेंगे कहां। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, हमने सुना है कि नए एम्स खुल रहे हैं इनको खुलने में कितने वर्ष लगेंगे? फिर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के अपग्रेडेशन की बात थी। लेकिन बिहार में अभी तक एक भी नहीं हुआ। अन्य राज्यों में भी कुछ नहीं हो रहा है। इससे दिल्ली में एम्स में भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ रही है, लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। मुजफ्फरपुर मैडिकल कॉलेज और अस्पताल, दरभंगा मैडिकल कालेज और अस्पताल, भागलपुर मैडिकल कालेज और अस्पताल, गया-मगध मैडिकल कालेज और अस्पताल, एसआईजीएस पटना-इन पांचों मेडिकल कालेज और अस्पातलों का अपग्रेडेशन एम्स के रूप में होना चाहिए। क्यों बजट में प्रावधान नहीं हुआ? सप्लीमैंट्री बजट में योजना आयोग ने दो अस्पतालों का क्लियरैन्स दे दिया है। क्यों बजट नहीं आया, क्यों उपेक्षा हो रही है? इन पांचों अस्पतालों की अन्य माननीय सदस्यगण के इलाकों में भी जरूरत है क्योंकि बहुत से लोग वहां से यहां दिलली एम्स में आते हैं और यहां ठोकर खाते हैं, उनकी दुर्दशा होती है।

सभापति महोदयः अब संक्षिप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, फिर सड़कों के फोरलेन करने की बात है। जब श्री बालू मंत्री थे, उस समय बिहार में 900 किलोमीटर तक फोरलेन की बात मंजूर की थी। सरकार ने उसको काट दिया। पटना से पूर्णिमा-काट दिया, कहा कि खगड़िया तक ही करेंगे। मैं चुनौती देता हूं कैटागरीकली, खगड़िया से पूर्णिया, मुजफ्फरपुर से बरौनी तक को भी देखा जाए। उसके ट्रैफिक की गणना की जाए कि वह फोरलेन डिजर्व करता है या नहीं। फिर पटना से बाधे गया, पटना से बड़ही, बड़ही से रांची फोरलेन है और बीच में टूलेन-यह कैसे होगा? देश में बड़ी भारी समस्या ट्रैफिक जाम की है। आप देखें कि आरा से मलीहाबाद और मोहनिया फोरलेन डिजर्व करता है या नहीं। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि छानबीन करो और देखों कि वह होने लायक है या नहीं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप समाप्त करें। नारनभाई कछाड़िया जी, आप बोलें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः देश में यह बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिये ब्लाक मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, कोई शहर हो, सब जगह जाम लगा रहता है। किसी का जहाज छूट जाता है, किसी की गाड़ी छूट जाती है और लोगों का नुकसान होता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः फोरलेन में इस तरह से चुनकर काम कर रहे हैं जहां जरूरत नहीं है, वहां फोरलेन कर रहे हैं और जहां वाजिब है, वहां फोरलेन नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, देश में गरीबी क्यों है? इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है। दुनिया के सभी समाजशास्त्री और अर्थशास.ाती कहते हैं कि बेरोजगारी है इसलिए गरीबी है। बेरोजगारी खत्म होगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कछाड़िया जी, आप शुरू करें। अब इनकी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)... **

सभापति महोदयः आपने बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, बेरोजगारी हटे बिना गरीबी हटेगी नहीं और तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। महोदय, इस महांगई से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है और यह सकरार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सत्ता का मजा ले रही है।

महोदय, जब यह यूपीए-2 की सरकार आई, उसी समय सेंट्रल हॉल में पहली बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने यही कहा था कि यह सरकार 100 दिनों में महंगई पर काबू पा लेगी। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 700 से अधिक दिन हुए फिर भी इस देश की महंगाई पर इस सरकार ने कोई काबून नहीं किया और दिन-प्रतिदिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है और गरीब भी बढ़ते जा रहे हैं।

महोदय, आज हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी अपने प्रतिदिन की चीजें जो लेना चाहता है, वह चीज आज दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। जैसे कि रसोई गैस, केरोसिन, तेल, दाल, चावल, आटा और हरी सब्जी इत्यादि हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं कहूं कि एक किलो दाल का 70 रुपये से 80 रुपये, शक्कर 40 रुपये से 45 रुपये आटे का 20 रुपये से 25 रुपये, दूध का 30 रुपये से 35 रुपये का भाव है और रसोई गैस का दाम 400 रुपये से अधिक है। आज की महंगाई में कोई गरीब आदमी अच्छी तरह की सब्जी और दाल भी नहीं खा सकता। केन्द्र में बैठी यूपीए सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं और सरकार इस महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं कर हरी हैं यह सरकार तरह-तरह की पैंतरेबाजी कर रही है और इसे ग्रोथ रेट बताकर जनता के साथ राजनीति कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में 5.8 प्रतिशत ग्रोथ रेट था ओर आज 8.1 प्रतिशत है। उससे जनता को क्या फायदा है? इससे गरीब लोगों को क्या फायदा है? गरीब जनता चाहती है कि उसके पेट के लिए दो वक्त की रोटी मिले। उसको ग्रोथ रेट से कुछ लेना-देना नहीं है।

सभापति महोदय, यह सरकार जनता के साथ और आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जनता भुखमरी की ओर लगभग बढ़ती जा रही है। महोदय, अभी तक हाउस में महंगाई पर बारहवीं बार चर्चा हो रही है, लेकिन जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। गरीब को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इस तरह से जनता को फायदा तो नहीं मिला लेकिन सरकार महंगाई के ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पायी है और वह इस महंगाई को रोकने में पूरी तरह फेल हो गयी है।

महोदय, आज मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि उत्पादन से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में सब्सिडी दे और कृषि को बढ़ावा दे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में जो उत्पादन होता है उसे बढ़ावा देना चाहिए। उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। जब व कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तब इस देश में महंगाई कम होगी, यह मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं। कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो ये गरीबी अपने अपन कम होगी। मुद्रास्फीति के दर को कम करके महंगाई पर काबू पाया जा सकता है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य आसन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं महोदया-महोदया। आप महोदय हैं, महोदया तो नहीं हैं और आप भी सुनते रहते हैं।

आपको भी अच्छा लगता है क्या?

सभापति महोदयः माननीय सदस्य भूल सुधार कर लीजिए।

श्री नारनभाई कछाड़ियाः सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि मुद्रास्फीति की दर को अगर कम किया जाये तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकता है। महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए इस देश का कालाधान जो बाहर है, उसको यदि लाया जाये तो इस देश में महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है।

कल ही हमारे माननीय मंत्री श्रीमान् खुर्शीद साहब ने कहा था कि गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ी है। गुजरात में गरीबों

---

*कार्यवाही-वृतांत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की संख्या बढ़ी नहीं है, गुजरात में तो नरेन्द्र मोदी का शासन है, वहां गरीबों की संख्या बढ़ ही नहीं सकती। गुजरात में तो आज रोजगारी बढ़ी है, हर आदमी को काम मिल रहा है। गुजरात में शांति है, सलामती है, सुरक्षा है। आज पूरे देश में गुजरात का नाम शान से लिया जाता है और गुजरात में गरीबी नहीं बढ़ी है। आज पूरे देश में गरीबी बढ़ी है, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ी है। गुजरात में आज हर आदमी को काम मिल रहा है और मंत्री जी ने यह जो बयान दिया, यह गलत बयान दिया है।

सभापति महोदय: अब संक्षिप्त कीजिए, आपका समय पूरा हो गया।

श्री नारनभाई कछाड़िया: महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार को महंगाई कम करने का उपाय करना चाहिए, लेकिन सरकार जनता को गुमराह करती है और महंगाई को कम करने की बजाय जनता को दूसरे देशों की महंगाई दिखा रही है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को जनता के साथ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जरा एक मिनट रुक जाइये।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): भोला सिंह जी ने कहा कि माननीय सदस्य बार-बार महोदया कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आसन में माननीय सदस्य को मीरा जी की झलक दिखती है, इसलिए महोदया बोल रहे हैं।

श्री नारनभाई कछाड़िया: मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से यूपीए सरकार जनता को गुमराह करती है और जनता के साथ खिलवाड़ करी रही है। मैं यूपीए सरकार को बार-बार यह चेतावनी देता हूं कि अभी यूपीए की गवर्नमेंट को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी तो इस यूपीए गवर्नमेंट को दो घंटे की भी मुद्दत नहीं देगी, उसको डिजोल्व करना पड़ेगा, इसलिए इस देश की महंगाई को रोक ले, इस देश के गरीबों के सामने देखे और इस देश की गरीब जनता के साथ न्याय और नीति से चले।

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर): सभापित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस साल के फरवरी महीने में हमारे वित्त मंत्री प्रणव बाबू ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और 12 लाख करोड़ रुपये के बजट पर नौ हजार करोड़ रुपये की यह सप्लीमेंटरी डिमांड आज सदन में प्रस्तुत की गई हैं। मुख्य तौर पर जो सप्लीमेंटरी डिमांड है, वह उन विषयों से जुड़ी हुई हैं, जिसकी बार-बार यहां पर मांग होती हरी है। इसमें लगभग 2370 करोड़ रुपये तो सांसदों की मांगों को पूरा करने के लिए आबंटित किया जा रहा है। पहले एम.पी. लैड. स्कीम में दो करोड़ रुपये हमें मिलता था और जब से नई लोक सभा बनी है, तब से लगातार दो करोड़ पांच करोड़ हो जाना चाहिए, इस प्रकार की मांग हो रही थी। अन्ततः जब बजट पास किया जा रहा था, बजट पास करते समय वित्त मंत्री महोदय ने सांसदों की इस मांग को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कैबिनेट ने इसको पास किया है ओर उसके बाद उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था इसमें की जा रही है।

दूसरा जो महत्वपूर्ण आबंटन है, वह आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी की हैल्पर्स के लिए है। लगभग 18 लाख के आसपास हामरे देश में आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। 1975 में यह बड़ी अनूठी स्कीम शुरू हुई। हमारे देश में दस लाख के आसपास आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, जो आने वाले दिनों में बढ़कर 16 लाख सेंटर्स हो सकते हैं। इस प्रकार से कहा जा रहा है। ऐसे में बार-बार डिमांड उठती थी, आंगनबाड़ी सेविकायें जब हमारे पास आती हैं, हमारे पास मांग करती हैं, सांसदों के पास जाती हैं, अलग-अलग मोर्चा और प्रदर्शन होते रहते हैं। वित्त मंत्री महोदय ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का दु:ख-दर्द समझते हुए, उनका जो मानधन है, उनकी जो सेलरी है, उसे तीन हजार रुपए किया ओर हेल्पर्स का मानधन डेढ़ हजार रुपए किया। निश्चित तौर पर यह बहुत ही सराहनीय कदम था। हालांकि बार-बार विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि यह सरकार बड़ी संवेदनहीन है ओर संवदेनशीलता के साथ काम नहीं करती, गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती, जबकि एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने है कि आंगनबाड़ी सेविकायें जो कि बहुत गरीबी और तकलीफ में रहने वाली महिलाओं ओर बच्चों की सेवा करने का काम करती है। उनका मानधन बहुत कम रहा है। मुझे यह भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इससे पहले भी जब मानधन बढ़ा था, जब यह बढ़कर डेढ़ हजार और साढ़े सात सौ रुपऐ हुआ, तब भी हमारी सरकार थी और उस समय चिदंबरम साहब वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसे बढ़ाकर डेढ़ हजार और साढ़े सात सौ रुपए किया। इसे फिर से आगे बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस बढ़ोत्तरी से बहुत बढ़ी राहत मिलेगी।

तीसरा आबंटन जो इस नौ हजार करोड़ रुपए में है, वह है, हाल के दिनों में दुनिया के अलग-अलग देशों में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई, पूरी दुनिया में भारत के लगभग दो करोड़ के आसपास एनआरआईज रहते हैं, अप्रावासी भारतीय रहते हैं। जो वहां रहते हैं, वह हमेशा सुरक्षित रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेषकर जब गृह युद्ध की स्थिति होती है, जब उन देशों में एक

तबाही की स्थिति बन जाती है, तब ऐसे में वे सारे के सारे भारतीय हमारी तरफ, सरकार की तरफ या फिर उस देश में जो हमारे दूतावास होते हैं, जो उच्चायोग होते हैं, उनकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं। पिछले दिनों जब मध्य-पूर्व में यमन और लीबिया में उत्पादत मचा और वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया और विद्रोही वातावरण में हमारे भारतीय बहुत ही तकलीफ में थे। ऐसे में उनको वहां से इवैक्युएट करने के लिए हमारे दूतावास ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत गंभीरतापूर्वक एक-एक भारतीय व्यक्ति को सही सलामत यहां लाने का काम किया। जो उस ऑपरेशन के पैंडिंग बिल्स हैं, इसमें कितना पैसा दिया जा रहा है, इसकी डिटेल नहीं आयी है, अगर मंत्री महोदय इसकी पूरी जानकारी दे सकें, तो बेहतर होगा।

क्लीन एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हमें शुरू करने हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भारत में 1,066 करोड़ रुपऐ का एक अतिरिक्त आबंटन है। इस आबंटन का भी मैं समर्थन करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बीपीएल की सूची से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि कितने गरीब हैं? प्लानिंग कमीशन के अलग-अलग तीन अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग रिपोर्ट दी, अलग-अलग जानकारी दी, अलग-अलग आंकड़े दिए। यह कहा जाता है कि आंकड़े कभी असत्य नहीं बोलते, लेकिन आंकड़े तरह-तरह के आ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह जानना आवश्यक है कि पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं? चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में मानदंड अलग-अलग होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के निर्धारण का मानदंड अलग होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में मानदंड अलग होना चाहिए। विशेषकर मध्यमें बैठने वाले जो नेतागण हैं उन्होंने बार-बार मांग की कि कास्ट बेस्ड सेंशस के लिए, कास्ट बेस्ड सेंशस ओर बीपीएल सेंशस करने के लिए कुल 2,300 करोड़ रुपए का एक फंड इसमें आ रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा काम है। इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करूंगा और मुझे लगता है कि देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो महसूस करते हैं कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब उनको इससे संतोष होगा। जल्दी से जनगणना का कामकाज पूरा होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कितने गरीब हैं और जाति के आधार पर क्या वर्गीकरण हो रहा है, यह जानकारी निकलकर सामने आनी चाहिए।

आखिरी जो आबंटन है, वह बड़ा नहीं बल्कि छोटा आबंटन है, लेकिन वह महत्वपूर्ण आबंटन है। गुरूदेव रवीन्द्र टैगोर और स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 15 करोड़ रुपए का विशेष प्रोवीजन इसमें किया गया है। निश्चित तौर पर गुरूदेव के ऊपर जितना बोला जाए, वह कम होगा। गुरूदेव के बारे में एक जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि शायद दुनिया में वह अकेले ऐसे कवि हैं, जिनके दुनिया के दो देशों में राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। एक हिन्दुस्तान में जन गण मन.. और दूसरा बांग्लादेश में गाया जाता है। मुझे यह जानकारी हमारे बंगाल के एक सांसद ने दी तो मुझे सचमुच गुरूदेव के ऊपर बड़ा गर्व हुआ। स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी जानते हैं। मैं उनके बारे में यहां ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। वे एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनके ऊपर भी हमें बड़ा गर्व होता है। उनका जो योगदान रहा, उन्होंने हमारी हिन्दू वांग्मय संस्कृति का प्रचार-प्रसार पूरी दुनिया में किया जो जबरदस्त था। दोनों महापुरुषों की 150वीं जयंत के लिए विशेष समारोह आयोजित कए जा रहे हैं उसके लिए जो फंड का आबंटन है वह बेहतर है।

अनुपूरक मांगों में नाबार्ड का कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। नाबार्ड के माध्यम से रूरल क्रेडिट बढ़ा है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैं उनके सामने एक विचार रख रहा हूं। विचार के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता हनीं है लेकिन नाबार्ड क्या करती है, हमारे यहां जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं, कॉर्पोरेटिव सेक्टर के जो बैंक हैं वह उन बैंकों को कर्ज देती है। वह कर्ज का इंटरेस्ट रेट शायद दो परसेंट के आसपास है। वह कर्ज के ाबद में किसानों को देते हैं।

सभापति महोदयः संक्षिप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपमः मेरे पास अभी वक्त है। मैं अभी मुद्दों पर आता हूं।

सभापति महोदयः आप संक्षिप्त कर दें।

श्री संजय निरुपमः नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की जो व्यवस्था है, उसमें मुझे बुनियादी तौर पर एक कमी दिखती है उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हम किसानों को कर्ज दे रहे हैं, नाबार्ड एवं नाबार्ड के ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं वे किसानों को कर्ज देते हैं। इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। क्या नाबार्ड डायरेक्ट किसानों को कर्ज दे सकता है? इससे किसानों का दो-तीन परसेंट इंटरेस्ट रेट बच सकता है। किसानों के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है, उसमें कटौती करने में एक अच्छा योगदान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं एक-दो विषयों के ऊपर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। विशेषकर, शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो हमारा मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महंगाई को रोकने के लिए सभी ने अपनी-अपनी बातें कही है। महंगाई के ऊपर बहुत कुछ बोला

भी जा सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। जो कुछ सरकार कर रही है उससे पूरा विपक्ष सहमत हो या संतुष्ट हो, ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। सच यह है कि सरकार की तरफ से बहुत कदम उठाए जा रहे हैं जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उनमें एक कदम ऐसा है जिससे मैं खुद बहुत संतुष्ट नहीं हूं। वह है आरबीआई की रेपो रेट और रिवर्स रेपो जिसे आप समय-समय पर रिवाइस करते रहते हैं। आरबीआई की जो पूरी मॉनिटरिंग पॉलिसी है, मुझे समझ में नहीं आती है। एक आर्थिक सिद्धांत के हिसाब से जब भी महंगाई बढ़ती है तो लिक्वीडिटी को कम करने के लिए, आप रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। वह पिछले एक साल में 4 परसेंट से बढ़कर 8 परसेंट हो गया। इसका असर होम लोन्स पर पड़ रहा है। शहर में रहने वालो लगभग साढ़े चार करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों ने होम लोन ले रखे हैं इसमें लगभग 70 हजार करोड़ बैंको ने इंवेस्ट किया होगा। तकलीफ इसमें इतनी है कि जैसे ही रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, वैसे ही मध्यम वर्ग के लोगों के होम लोग का इंस्टॉलमेंट बढ़ जाता है। अचानक उनका अपना घरेलू बजट डिस्टर्ब हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ज्यादातर बैंकों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन दे रखा है। बैंक्स दो तरह के रेट पर होम लोन देते हैं, एक फ्लोटिंग रेट एवं दूसरा फिक्स रेट। फिक्स रेट तो फिक्स है। 11 परसेंट, 12 परसेंट या 13 परसेंट, अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग फिक्स रेट हैं। हमारे मध्यम वर्गीय लोग फ्लोटिंग रेट पर होम लोन इसलिए लेते हैं कि शायद कल रेपो रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारे होम लोन की ब्याज दर कम होगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है। मंत्रि जी से मेरा निवेदन यह है कि आप एक ऐसी व्यवसथा करें जिससे बैंक फ्लोटिंग रेट पर होम लोन देना बंद कर दें। क्योंकि इस फ्लोटिंग रेट के आकर्षण में बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के लोग फंसे हुए हैं। मैं तीन दिनों से इस विषय पर जीरो आवर में नोटिस दे रहा था लेकिन वह तीन दिनों से नहीं आ रहा है। आज सुबह-सुबह मैंने अखबर में पढ़ा कि आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, दामोदरण कमेटी जो कभी सेबी के चेयरमैन हुआ करते थे उनकी देखरेख में एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का पूरा विवाद खत्म होना चाहिए। इसे शिफ्ट करने का एक परमिशन आना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन ले रखा है और अचानक महसूस करता हूं कि मुझे फिक्स रेट पर होम लोन करवाना चाहिए तो इसे बैंकों को एलाऊ करना चाहिए।

मैं मंत्री माहेदय से निवेदन करूंगा कि वे बैंकों को निर्देश दें कि मध्यम वर्गीय लोगों के बीच फ्लोटिंग रेट का जो छलावा है, उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अचानक महंगाई नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इनफ्लेशन रोकने के लिए आरबीआई इस तरह के जो कदम उठाती है, उसका सीधा असर महंगाई घटने के बजाए आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर पड़ रहा है। उस मध्यम वर्गीय परिवार के दुख को समझना बहुत आवश्यक है, मैं मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं। ...*(व्यवधान)*

मेरे पास और भी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन आप घंटी बजा रहे हैं तो अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, जो अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं। इन्हें कार्यवाही का भाषण माना जाएगा।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नाली): मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे देश की वित्तीय स्थिति के बारे में यहां पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। परंतु एक बात पक्की है कि पूरा विश्व यह स्वीकार करता है कि भारत अमरीका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं। इसी प्रकार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पीपीपी और अन्य कार्यक्रमों पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई थी। शुरूआत में वास्तव में इस पर आपत्ति की गई थी और इसकी काफी आलोचना की गई थी। अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में किए गए वित्तीय सुधार सफल सिद्ध हुए हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में हम सबस जानते हैं कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बन रहा है। इसी प्रकार, अवसरंचना के मामलों में, पीपीपी का प्रयोग सुधारात्मक सिद्ध हो रहा है। अत: मेरी राय है कि खुदरा बाजार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अनुमति देना भी लागत योग्य कदम है। निसंदेह ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीरें हैं। ऐसे में हमारे मित्र भ्रष्टाचार आदि के बारे में बोल रहे थें इसमें संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमें इसे समापत करना होगा। निसंदेह मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार का रूख सही दिशा में हैं।

मेरा मानना है कि भारत में पारदर्शिता क्रांति आ रही है इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना और मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों को समज्ञपत करने का नवीनतम प्रस्ताव भी उल्लेखनीय कदम है। ये सभी मुझे यह कहने के लिए प्रेरित करते है कि इस महान राष्ट्र में पारदर्शिता क्रांति आ रही है।

महोदय, ये सब सुनहरी तस्वीरें हैं। ऐसे में, हमें इस कदम की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि यहां कुछ बुरी स्थितियां भी हैं। कुपोषण का उदाहरण लीजिए हमारे कुछ मित्र इसके बारे में कह रहे थे। यद्यपि हमने इतनी वित्तीय स्थिरता हासिल कर ली है तथापि यह हमारे देश में ज्वलंत समस्या बन चुकी है। इस प्रकार की स्थिति की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि 75 प्रतिशत विद्यालय जाने से पूर्व की उम्र के बच्चे अलरव की कमी से पीड़ित हैं और 57 प्रतिशत ऐसे बच्चे क्लीनिकल विटामिन-ए की कमी से पीड़ित हैं। इसीलिए वृद्धि की अधिकांश दो वर्ष की आयु में उतना होती है और इस अवस्था में हुए अधिक नुकसान की वास्तव में पूर्ति नहीं की जा सकती। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में औसत से कम वजन वाले बच्चों की अधिक संख्या वास्तव में चिंताजनक है। भारत को इस मामले में दूसरे स्थान पर रखा गया है क्योंकि हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी प्रकार हम सब आईसीडीएस के बारे में जानते है, हमारे कुछ मित्रों ने इसके बारे में उल्लेख किया है, मेरी है कि पोषण हेतु तथा आईसीडीएस को सुदृढ़ बनाने के लिए इस देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

महोदय, आंगनबाड़ियों हेतु भवनों के निर्माण के मामले में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे अनेक स्थान हैं जहां सरकार के पास भूमि उपलब्ध है परंतु दुर्भाग्यवश वहां भावन नहीं है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह आंगनबाड़ियों हेतु भवनों के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास अल्पसंख्यकों ओर पिछड़े वर्गों जैसे समाज के सीमांत वर्गों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम हैं। हम अय्ययर समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इस देश में क्या हो रहा है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ नहीं कहा है उसने कुछ प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। ऐसे में लगभग सभी सिफारिशें बेकार पड़ी हैं। अब जब हम सच्चर समिति के बारे में बात कर रहे हैं तो रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? सच्चर समिति रिपोर्ट ईसीसी, रक्त जांच आदि करने वाले डॉक्टर के निदान चार्ट की तरह है। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि ये कमियां हैं जबकि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट डॉक्टर के इलाज की पर्ची की तरह है जो यह कहती है कि उसको यह दवाइयां लेनी होंगी और केवल तभी आप की बीमारी दूर होगी। परंतु हो क्या रहा है? हम सब सच्चर मिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन हेतु तत्काल कुछ प्रभावी कदम उठाएं समयाभाव के मद्देनजर अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

***डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): जब से यह सरकार सत्ता में आई है, मूल्य वृद्धि प्रमुख मुद्दा रहा है। पिछले दो दिनों से इस सभा में मूल्य वृद्धि के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा हुई है। व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचता हूं कि हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग पर अपना ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए। पूर्व में इस विभाग के लिए किया गया आबंटन नगण्य तथापि इस क्षेत्र में अधिक आबंटन के लिए वित्त मंत्री के प्रयासों की सराहना करता हूं। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आबंटन में उदारता दिखाने तथा प्रत्येक राज्य में 'मेगा फूडपार्क' की संख्या बढ़ाने की मांग करता हूं। मैं गुजरात राज्य में और 'मेगा फूड पार्क' अनुमोदित किए जाने की मांग करता हूं। चूंकि गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे अधिक लम्बा है, मैं गुजरात में 'मेरीन मेगा फूड पार्क' के लिए आबंटन की मांग करता हूं। देश में रह जिले में शीत भंडार बनाया जाना चाहिए।

प्रत्येक जिले में खाद्यान्न भंडारण गोदाम बनाया जाना चाहिए। मैं सांसदनिधि को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की सराहना करता हूं। दिशानिर्देशों और मानकों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा समुचित छूट दी जानी चाहिए।

सरकार द्वारा "आंगनबाड़ी" के लिए पर्याप्त अवसंरचना और निर्माण के लिए अधिक आबंटन किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अच्छी पोशाक मिलना चाहिए; रसाई गैस तथा बर्नर की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

बड़ी संख्या में बच्चे तथ महिलाएं कुपोषित हैं। सरकार को कुपोषण को रोकने के लिए अभियान चलाना चाहिए तथा पोषक खाद्य आटा आदि की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आकलन सही तरीके से नहीं किया गया है। सरकार को वर्तमान मानकों को परिवर्तित करना चाहिए और ज्यादा व्यावहारिक मानक तय करने चाहिए तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के सही सर्वेक्षण के लिए उदारतापूर्वक धन आबंटित करनी चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): मुझे अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य) वर्ष 2011-12 के लिए बात करने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं।

आज हमारे देश की मुख्य समस्या महंगाई, भ्रष्टाचार एवं काला धन है। जब तक महंगाई पर काबू नही पाया जाएगा, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक देश की परिस्थिति में बदलाव नहीं आयेगा। इसलिए, मैं अनुदान की मांग का विरोध करता हूं और महंगाई कम करने के लिए यथासंभव कदम उठाने की मांग कर रहा हूं।

सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी योजनाएं विफल हो रही है क्योंकि उसके पीछे सरकार की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से असर पड़ रहा है। देश की विकास दर महंगाई के आगे झुलस गयी है एवं यह विकास की दर से कम हो गयी है और अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उससे विकास दर में आगे भी गिरावट होगी। पहले हमारी विकास दर 9 प्रतिशत थी, यह विकास दर खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में 15 प्रतिशत के आसपास थी। कृषि विकास दर 1.1 प्रतिशत पर पहले भी थी और आज भी उस पर स्थिर है। महंगाई से पूंजी निवेश घटा है और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया गया है और इस महंगाई ने छोटे उद्योगों एवं मध्यम उद्योगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। लागत में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी से महंगाई कम होने की बजाय बढ़ेगी क्योंकि लागत एवं महंगाई से एक कुचक्र बन गया है। लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लागत बढ़ रही है। सरकोर इस दुष्चक्र को तोड़ने की बजाय फौरी उपाय करने में लगी है और महंगाई बढ़ने के अनेकों आधारहीन कारण बताये जा रहे हैं। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक है। हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि 2010 तक कीमतें नियंत्रण में आ जायेंगी और प्रधान मंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात डंका बजा कर कही। बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग तो कराह रहा है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए महंगाई को आवश्यक मानती हैं अगर देश में 9 प्रतिशत विकास होता है और महंगाई भी 9 प्रतिशत बढ़े तो ऐसे विकास का क्या फायदा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश में क्षाद्य वस्तुओं की महंगाई विश्व ममें एक रिकार्ड बन चुकी है ओर हमारे देश के मंत्री तो हर महीने महंगाई कम होने का आश्वासन देते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई कम कर सके। यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। गत मई माह के प्रथम सप्ताह में खाद्य महंगाई 8 प्रतिशत बढ़ गयी। महंगाई पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार की है एवं अर्थशास्त्र में महंगाई को कम करने के कई उपाय है और देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे हैं उसके बावजूद देश के लोगों को खाद्य महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। पेट्रोल पर एक ही बार में प्रति लीटर पांच रुपए बढ़ा दिए और कीमतों के बढ़ने के जो कारण हैं उन कारणों को सरकार ने पैदा किया है। अब जब महंगाई रुक नहीं रही तो बैंकों के कर्जों पर ब्याज दर को बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश का एक गरीब परिवार अपनी रसोई पर 33 प्रतिशत से ज्यादा खर्च कर रहा है और इस महंगाई ने उसका खर्च और बढ़ा दिया है जिसका असर यह होगा कि अब मध्यम परिवार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा पर कम खर्च कर पायेंगे। दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार देश में महंगाई से 2. 3 करोड़ गांव भी भारत की सरकारी गरीबी में शामिल हो गये और शहरी गरीबी में 66.8 लाख गरीब हो गये हैं। सरकार का प्रयास कृषि विकास होना चाहिए परन्तु सरकार कृषि विकास पर केवल कागजी कार्यवाही कर रही हैं 1950-51 से लेकर 2010-11 के बीच जी.डी.पी. 300 प्रतिशत बढ़ा परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास केवल 75 प्रतिशत हुआ है। सरकार ने बड़े घरानों के उद्योग एवं मल्टीनेशनल कंपिनयों द्वारा खाद्यान्नों की खुदरा खरीद पर ध्यान देना होगा जो एक महंगाई का कारण भी है।

अंत में, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि महंगाई हटाने के लिए ठोस कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरूनेलवेली): मैं अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेकर अपने को गौरान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं। यह विनियोग विधेयक वित्त वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भुगतान तथा विनियोग के लिए संचित निधि से कुछ और राशि देने की लिए प्राधिकृत करता है।

हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अधिकांश लोग अपनी आजीविका

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के लिए कृषि पर आश्रित है तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए भी कृषि पर निर्भर हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योगों का विकास भी जरूरी है क्योंकि उर्वरक, कीटनाशी बीजों की किस्मों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। किसानों की मांग की पूर्ति के लिए डी.ए.पी., एम.ए.पी. जैसे उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कार्य और आविष्कार, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ाकर तूतीकोरिन में एस.पी.आई.सी. को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मनाली, चेन्नई में 17.17.17 यौगिक उर्वरक उद्योग चलाया जाना चाहिए। तभी मांगों की पूर्ति हो सकती है।

उत्पादित अनाज और अन्न को गोदाम में रखा जाना चाहिए। खाद्यान्नों के संरक्षण और भंडारण के लिए नयी जाइलो परियोजना शुरू की जानी चाहिए।

कच्चे तेल की कीमत में 117 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि असामन्य है। हमारी निधि का अधिकांशत: उपयोग डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और गैस के लिए होता है। इसलिए, हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। खैर, हमारी सक्षम सरकार इस समस्या का सामना करती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखती है। हमारे सक्षम वित्त मंत्री के बहुआयामी प्रयास के कारण हमने 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 किया जाना चाहिए।

हमारी सरकार ने ग्रामीण सूखा योजना के लिए धन आबंटित किया है

नरेगा ऐसी योजना है जो ग्रागीण श्रमिकों को रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है। यह ग्रामीण गरीब लोगों के हत्थों में अधिक क्रयशक्ति प्रदान कर रही है।

नरेगा योजना की शुरूआत के बाद कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कुछ कमी हो गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए कृषि से जुड़े व्यक्ति नरेगा के तहत किए जाने वाले भुगतान से 50 रुपये ज्यादा का योगदान कर सकते हैं। जो श्रमिक कृषि कार्य में दक्ष हैं। वे कृषि उत्पादन बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं।

कराधान के संबंध में मैं अपने वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अर्ध मशीनीकृत दियासलाई के कारखाने को मशीनीकृत कारखाने के समान नहीं समझा जाना चाहिए। अर्ध मशीनीकृत श्रम प्रधान दिया सलाई उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए 10 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत कर की कटौती की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त 'मसाला पाउडर' जैसे खाद्य पदार्थ को उत्पादकर से छूट दी जानी चाहिए।

सरकार को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में तिरूनेलवेती, पलायमकोट्टाई, मेलापलायन, और काचानाल्लुर जैसे शहरी क्षेत्रों में लोग अपर्याप्त जलापूर्ति से परेशान है। इसलिए, तमिलनाडु सरकार ने पहले ही पापनाशम से तिरूनेलवेली कॉर्पोरेशन पाइप लाइन जल योजना, जो 100 करोड़ रुपये की योजना है, के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सीधी पाइप लाइन योजना के लिए केन्द्र सरकार से जल योजना हेतु 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की जरूरत है।

पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जल प्रदूषण को खत्म किया जाना चाहिए। तिरूनेलवेली और तूतीकोरिन जिसके लिए थंपारामी नदी एक वरदान है। शहर में बसने वाले लोगों द्वारा छोड़े गए गंदे जल द्वारा नदी को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए। इसे साफ और शुद्ध किया जाना चाहिए।

***श्री एन. चेलुवरया स्वामी** (मांडया): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011-12 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मंत्री जी ने लगभग चौतीस हजार करोड़ रुपए के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरा मत है कि उन्होंने कृषि क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। किसानों को अनेक तरह की दिक्कतें हो रही है। जब कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की बात आती है तो अल्पकाल्कि ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर से दिया जाना है जबकि दीर्घावधि ऋण 14 से 15 प्रतिशत की ब्याज दर से दिया जाता है। यह आवास ऋण से महंगा है जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध है। इसलिए किसान दीर्घावधि ऋण से बिल्कुल लाभान्वित नहीं है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कुछ भागों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा का सामना कर रहा है तो देश के कुछ अन्य भाग सूखे से जूझ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमारे किसानों के लिए भारी ब्याज दर पर दीर्घावधि कृषि ऋण प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस मामले की जांच करने तथा ब्याज दर को कम से कम 4 प्रतिशत सलाना कम करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। इससे किसानों को कृषि कार्यकलापों को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

मेरा अगला मुद्दा कृषि संबंधी लेखे-जोखे के बारे में है। देश में कृषि संबंधी कोई नवीनतम लेखा जोखा नहीं है। आज भी पहली और पट्टे जैसे हमारे राजस्व अभिलेख वर्षों पूर्व तैयार किए गए

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

फसल प्रणाली की प्रविष्टियां दिखा रहे हैं। हम राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टियां देख सकते हैं। उदाहरणार्थ धान की प्रतिबित ऐसी जमीन पर दिखाई गई है जहां गन्ना उगाया जाता है और इसी तरह की विभिन्न गलत प्रविष्टियां की गई हैं क्योंकि देश में कृषि क्षेत्र का कोई लेखा-जोखा नहीं था। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे संभावित अनियमितताओं को दूर करने के लिए कृषि संबंधी लेखे-जोखे संबंधी कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक ध्यान दें।

मैं सरकार का ध्यान बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं के बारे में आकृष्ट करना चाहात हूं। हमारा देश दोनों विपदाओं से हर वर्ष बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए बाढ़ और सूखे से बार-बार प्रभावित होने वाले इस क्षेत्र में स्थायी राहत उपाय करना बहुत अनिवाग्र है। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को खाना, कपड़ा, रोजगार और आवास आदि जैसी सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश विशेषक कर्नाटक के अनेक जिले इस पर निर्भर है। दुधारू गायों को पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाना चाहिए तथा तालुका के अंदर प्रत्येक पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया जाना चाहिए।

जहां तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रश्न है, सरकार को अधिकाधिक खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। आजकल आम कटहल, केला, चीकू और अन्य बागवानी फसलों की पैदावार कर्नाटक सहित देश में बड़े पैमान पर होती है। इस प्रकार किसानों को कर्नाटक में मेरे गृह जिले मांडया सहित सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा रेशम कीट पालन के बारे में है। कर्नाटक में किसान केन्द्र सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन रैली कर रहे है क्योंकि रेशम का आयात शुल्क 31 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। इस पहल ने कर्नाटक में रेशम कीट पालन को बुरी तरह प्रभावित किया क्योंकि कोकून के मूल्य में प्रति किलोग्राम 70 से 80 रुपये की भारी कमी आ गई है लेकिन प्रति किलोग्राम कोकून की उत्पादन लागत 200-250 रुपए है। यदि यह स्थिति आगे जारी रहती है तो कर्नाटक के किसानों के लिए यह घातक सिद्ध होगा। मेरे नेता और पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगोड़ाजी ने इस मुद्दे का इस महान सभा के पटल पर 4 बार से अधिक उठाया है। उन्होंने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा। हाल ही में कर्नाटक के हमारे संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल जिसका मैं भी एक सदस्य हूं। माननीय वित्त मंत्री से मिला और उनसे इस समस्या को सुलझाने हेतु अनुरोध किया। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है मुझे यह कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कर्नाटक की इस प्रकार उपेक्षा क्यों की जाती है? इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे बिना किसी विलंब के 31 प्रतिशत आयात शुल्क में वृद्धि करके कर्नाटक के रेशम उत्पादकों के बचाव में आगे आए।

मेरा अगला मुद्दा गन्ने के बारे में है। गन्ना किसानों के राष्ट्रव्यापी विरोध के बावजूद गन्ने हेतु पर्याप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। कर्नाटक के अनेक जिले विशेषकर मेरा निर्वाचन क्षेत्र मांडया बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन करता है। इसलिए इस फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

जहां तक भू-जल का संबंध है, देश में विशेषकर कर्नाटक में स्थिति बहुत ही गंभीर है। भू-जल स्तर प्रति वर्ष घट रहा है। झीलों, तालाबों और अन्य जल टैंकों से गाद निकाली जानी चाहिए। उनकी भंडारण क्षमता अब बहुत कम है। इसलिए केन्द्र सरकार को अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु झीलों, तालाबों और अन्य जल टैंकों से गाद निकालने हेतु कदम उठाने चाहिए। झीलों से गाद निकालन को मनरेगा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने हेतु नदी-संपर्क-योजना पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

अंत में एक बार फिर केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि क्षेत्र, रेशम कीट पालन उत्पादकों और सिंचाई हेतु पर्याप्त जल की समस्या सुलझाने हेतु तत्काल कदम उठाये।

इन्ही शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011-12 का बजट 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हा है। इस बजट में सरकार ने घोषणा की है कि इस देश का विकास होगा, कृषि क्षेत्र का, स्वास्थ्य के क्षेत्र का और शिक्षा के क्षेत्र का विकास होगा। परंतु जमीनी हकीकत क्या है? हम इस सम्मानीय सभा में कल से मूल्य वृद्धि, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमत वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। जब कभी भी मूल्यों में वृद्धि होती है, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। उनहें अपना घर सीमित संसाधनों में चलाना पड़ता है और उन्हें भूखा रहना पड़ता है या एक समय का खाना खाकर गुजारा करना पड़ता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में है। केन्द्र

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

सरकार एक विशेष आंकड़ा दे रही है: राज्य सरकारें कुछ और आंकड़ दे रही है ओर विभिन्न आयोग कुछ और आंकड़े पेश कर रहे हैं। वास्तविक संख्या तो अभी भी उपलब्ध नहीं है परंतु हमें विश्वास है कि इस देश के 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। वे बहुत अधिक कठिनाई में हैं। विकास के नाम पर गरीब लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है, वे कैसे जिन्दा रह पाएंगे। कृषि में निवेश कम हो गया है, अनिश्चितता के कारण उत्पादकता में भी कमी आई है। अधिकांश उर्वरक कंपनियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। उर्वरकों का आयात विदेशों में ऊंचे मूल्य पर किया जा रहा है। सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। राज सहायता धीरे-धीरे समापत की जा रही है। किसानों को भी घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा खाद्यान्न के खरीद की व्यवस्था नहीं है। एफसीआई धान की खरीद नहीं कर रही है, जेपीआई पटसन का प्रापण नहीं करता है। केवल बिचौलिए और जमाखोर लाभ उठा रहे है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों के साथ कृषि लागत कई गुणा बढ़ गयी है। कृषि एक गैर लाभकारी पेशा हो गया है। यदि कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होता है, ग्रामीण प्रगति नहीं करते हैं, तो पूरा देश पीछे रह जाएगा। भारत के किसी भी गांव में चले जाइए। आप पाएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर है। केवल शहरों में अस्पताल और चिकित्सक पाए जाते हैं। परंतु वहां भी वे अत्यधिक महंगे हैं। आम आदमी इन सेवाओं के महंगे होने के कारण इनका लाभ नहीं उठा पाता है और असमय काल का ग्रास बन जाता है।

शिक्षा व्यापार बन गयी है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, किसी भी इंजीनियरिग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। किसी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए लगभग् डेढ़ करोड़ रुपए की जरूरत होती है। क्या एक साधारण छात्र उच्च शिक्षा पाने के लिए इतनी अधिक राशि खर्च कर सकता है? यदि यह परिदृश्य है तो किस प्रकार सार्वभौमिक शिक्षा किस प्रकार वास्तविकता बन सकती है? यदि प्रत्येक गांव के कोने-कोने तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, यह देश प्रगति नहीं करेगा और स्थिति में समय रूप से सुधार नहीं होगा।

इसलिए हमारे देश में धन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। देश के विकास के लिए सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। पूंजीवादी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने उदारवादी नीति स्वीकार की। परंतु यह तथ्य है कि विश्वभर में जहां कहीं भी ये नीतियां अपनायी गयी हैं, आर्थिक संकट आया है। हमारे देश को भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। केवल मुट्ठी भर उद्योगपति और व्यावसायिक घराने उदारीकरण और वैश्वीकरण का लाभ उठाएंगे। इस वर्ष के बजट में निगमित क्षेत्र को अत्यधिक कर राहत दी गयी है। हमें इस प्रणाली को बदलना पड़ेगा।

इस सम्माननीय सदन के नई सदस्य ग्रामीण भारत से है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे उन कठिनाईयों की कल्पना भर करें जिनसे गांवों के गरीब आदमी गुजर रहे है, कृपया उनके बारे में सोचें, उनके लिए कुछ करें।

एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं। फरक्का बैराज उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सम्पर्क के लिए वर्ष 1958 और 1962 के बीच बनाया गया था। यह रेल तथा बस के द्वारा सम्पर्क का एकमात्र माध्यम है। यह बैराज नुकसानग्रस्त है और इसकी तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए। भारत सरकार काफी समय से इस महत्वपूर्ण सम्पर्क की उपेक्षा कर ही है ओर मै। अनुरोध करता हूं कि आगे बिना किसी विलंब के फरक्का बैराज की मरम्मत की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): सभापित महोदय, वर्ष 2011-2012 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपका धन्यवाद करता हूं।

हमारा देश ग्रामोन्मुख है और अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं स्वतंत्रता के 64 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों का विकास भली-भांति नहीं हो पाया है। वे अभी तक बहुत गरीब हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी लाए जाने के लिए हमारे वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में समग्र विकास का प्रावधान किया था। पर हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि राजीव गांधी-ग्रामीण विद्युतीकरण योजना निर्धाथ्रित समय ओर अवधि में पूरी नहीं की गयी है। हमने देखा है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निष्क्रिय हो गयी है और सड़कों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय निधि का उपयोग नहीं किया जा रहा है या मंजूरी नहीं दी जा रही है।

दूसरे, हमारे वित्त मंत्री ने आप सदन में मूल्यवृद्धि पर लंबा भाषण दिया। यदि हम कीमत वृद्धि की बात करते हैं तो कृषि संबंधी क्षेत्र पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की क्या स्थिति है? चर्चा में भाग लेते समय अधिकांश माननीय सदस्यों ने कृषि क्षेत्र की समस्याओं और सिंचाई सुविधाओं के अभाव के बारे में बताया। परंतु चूंकि सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत का पूनर्निर्माण के लिए प्रावधान करने की कोइ संभावना नहीं है, इसलिए इस पर इतना बोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

तीसरे, मैं रोजगार स्टजन पर आता हूं। हमारे देश ने भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। हम टेलीविजन देखे हैं या अखबर पढ़ें तो हमें नजर आता है?

रोजगार सृजन निश्चित रूप से शुरू किया जाना चाहिए। यह लोगों के लाभ के लिए है। परंतु आज हमने यह देखा कि सरकार निगमित घरानों के लिए सब कुछ कर रही है। ऐसा लगता है कि यह सरकार निगमित क्षेत्र की, निगमित क्षेत्र द्वारा चालित और निगमित क्षेत्र के लिए है।

मैं पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में रहता हूं। वहां पर लाख की खेती बहुत लोकप्रिय है। परंतु लाख की खेती के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। मैं लाख की खेती में केन्द्र सरकार की सहायता की मांग करता हूं। यह बहुत आवश्यचक है और गरीब लोगों की लाभ के लिए अत्यधिक जरूरी है।

अंतिम मुद्दा यह है कि एमपीलैड निधि में दो करोड़ से पांच करोड़ की वृद्धि जिले के बुनियादी विकास हेतु की गयी है। लेकिन वहां खर्च को निबटाने के लिए कोई कारगर तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी व्यक्ति नहीं है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के लिए कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है। इस कारण से एमपीलैड निधि का उपयोग ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है और कार्यों का समुचित निष्पादन नहीं किया जा ाहा है। इसलिए तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी लोगों को तत्काल नियुक्त किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारियों के लिए एक कार्यालय होना चाहिए जहां समूचा एमपीलैड निधि का उपयोग अच्छे ढंग से हो सके तकनीकी और गैर-तकनीकी लोगों को निश्चित रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण निधि का प्रभावी तरीके से तेजी से उपयोग किया जाना चाहिए। एमपीलैड निधि को उसी वर्ष खर्च किया जाना चाहिए, अन्यथा धन व्यपगत हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: धनश्याम अनुरागी जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपको दो मिनट बोलने की अनुमति दे रहा हूं संक्षेप में बोलियेगा। आपको यहां से बोलने की अनुमति लेनी चाहिए, अब आपको अनुमति दे रहे हैं, आगे से ध्यान रखियेगा। अब बोलिये, लेकिन संक्षेप में बोलिये।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे यहां से बोलने का मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। जो चर्चा हो रही है, जो विधेयक लाया जा रहा है, यह बड़े गंभीर मामले पर लाया जा रहा है। यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा करना भी इस पर जरूरी है। आज पूरे देश के नौजवान बेरोजगारी के कारण खाली हाथ बैठे हैं ओर लगातर उनकी गरीबी बढ़ रही है। एक तरफ महंगाई ओर दूसरी तरफ बेरोजगारी का आपस में तालमेल अच्छा है जिसके कारण गरीब आदमी मर रहा है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और मेरे क्षेत्र रामाबाई नगर, बंदेलखंड में विगत तीन वर्षों में 1800 लोगों ने भूख के कारण दम तोड़ दिया है। सड़कें नहीं हैं, अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं है। दिल्ली में बिजली जाती नहीं है और हमारे यहां कभी आती नहीं है। यह विषय बड़ा दुखद है, वहां के विषय में मीडिया ने छापा, सभी ने देखा और माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया कि 1800 लोग भूख से तड़प कर मर गये और प्रदेश और केन्द्र के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि वहां कोई विकास किया जाएं बुंदेलखंड को केवल नाम का पैकेज सिर्फ कागजों में दिया गया। सिंचाई के पैकेज में एक रुपया भी नहीं दिया गया। ट्यूबवैल्स नहीं दिए गए। वहां ऐसी योजनाएं दी गईं, जैसे बीमार बकरियां खरीदवा दी गई, जो आठ-दस दिन बाद मर गई। भूमि संरक्षण के लिए पैसा दे दयिा गया, जहां अस्सी फीसदी पैसा लोग कमीशन में खा गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं कि बंदेलखंड को विशेष जोन घोषित कर दिया जाए। वहां के लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है। उनकी दुर्दशा हो रही है। वहां लोग भूख से मर रहे हैं। 1857 में आजादी की लड़ाई में पूरे देश के पुरुषों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बुंदेलखंड की महिलाओं ने रानी लक्ष्मी बाई, वीरांगना झलकारी बाई शहीद हुई। आजादी की लड़ाई में हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज यहां लोग भूस से तड़प कर मर रहे हैं हमारे यहां विकास नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही है, लेकिन चार वर्षों से एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। राजवी गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के चलते हुए भी हमारे यहां सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है। जयंती के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। विकास के नाम पर पर जिंदा लोग मर रहे हैं और मरे हुए महापुरुषों की जयंती पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। क्या सकरार चाहती है कि नौजवान भी मर जाएं।

महोदय, हम सरकार से पुन: अनुरोध करते हैं कि अपनी निगाहें हमारे संसदीय क्षेत्र की तरफ ले जाएं। वहां पेयजल के लिए पैसा दिया है और कहा है कि वहां की सूची कलेक्टर बनाएगा। जनप्रतिनिधियों से सूची ली जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कहना है, वहां भी लूटो, खाओ है, केन्द्र सरकार भी आपस में समझौता कर रही है। आपस की लड़ाई में हम पिस रहे हैं यह जो बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक जोन घोषित

करके, वहां के समग्र आर्थिक विकास के लिए भारी मात्रा में पैसा दे।

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि मौजूदा यूपीए-II सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार तथा काले धन को रोक पाने में पूरी तरह से असफल हो गई है। गरीबों की हालत तो पहले से ही खराब थी, परंतु मध्यम वर्ग के लोग भी पूरी तरह से इस महंगाई की चपेट में आ गए हैं। किसानों पर तो दोहरी मार पड़ रही है। उनका उत्पाद कम कीमतों पर बिक रहा है, जबकि फल व सब्जियां मार्केट में इतनी ऊंची दरों पर बिक रही है कि आम आदमी उसे खरीद पाने मे असमर्थ हैं। पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने की गैस तथा अन्य वस्तुओं के दामों को बढ़ा कर केंद्र सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल रही है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि पहाड़ी राज्यों विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के पूर्वोत्तर राजें की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि वहां का त्वरित विकास किया जा सके। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने की योजना की राशि को एक लाख रुपए किया जाए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इसे 25 प्रतिशत अधिक दिया जाए, क्योंकि वहां पर माल की ढुलाई तथा अन्य मदों पर मैदानी क्ष्क्षेत्र से खर्चा अधिक आता है। सरकार ने एमपीलैड की राशि को दो करोड़ से पांच करोड़ किया है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे 10 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस राशि को 25 परसेंट अधिक दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थितियां काफी कठिन हे।

मुझे यह कहते हुए दुख है कि केंद्र सरकार ने हिमालच प्रदेश को औद्योगिक पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं वापिस ले ली हैं, जिसके कारण वहां लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा था। यह भी दुख की बात है कि यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली कई ग्रांट्स को कम कर दिया है, जिसके कारण वहां के त्वरित विकास कार्यों को नुकसान हुआ है।

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, आज यहां जनरल बजट की सप्लीमैंट्री डिमांड पर चर्चा हो रही है। सरकार की गलत आर्थिक एवं कृषि नीति के कारण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। वायदा व्यापार के बढ़ते प्रभाव ने हजारों परिवारों को अनाथ बना दिया है। इसके कारण आर्थिक रूप से टूटकर कर्ज के बोझ तले दबकर लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। गलत समय पर चीनी का नियर्चात होने से चीनी के भाव का फी बबढ़ गए हैं। अनाज के भंडार भरे होने के बाद भी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका कारण बिचौलिए हैं। किन्तु सरकार बिचौलियों, जमाखोरों एवं कालाबाजारियों पर लगाम लगाने में विफल रही है।

भारत कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, लेकिन कृषि में ढांचागत सुधारों को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। कृषि विकास को निर्धारित करने वाले सभी मोर्चों पर हम विफल हो रहे हैं। सिंचाई योजनाओं पर हजारो करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी मात्र 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है। कृषि ऋणों पर छूट का लाभ ज्यादातर बड़े किसानों को ही मिल पा रहा है। भारी अनुसंधान तथा सरकारी सहायता के बाद भी बीजों के अनुसंधान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरफ देख रहे हैं। 47 प्रतिशत गांव नजदीकी बैंक श्याखा से पांच किलोमीटर दूर हैं तथा 78 प्रतिशत गांवों में पोस्ट ऑफिस नहीं हैं। भंडारण के अभाव में हर वर्ष लाखें टन अनाज सड़ जाता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी से गांव सिकुड़ते जा रहे हैं। शहरों में ग्रामीण आबादी बढ़ रही है जिससे कई समस्याएं निर्मित हो रही हैं।

मध्य प्रदेश में कोयले का पर्याप्त भंडार होने के बाद भी विद्युत निर्माण को जितना कोयाला चाहिए, उतना केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के प्रति भी केन्द्र सरकार उदासीनता बरत रही है। राज्यों के विकासके लिए केन्द्र को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मदद के लिए आगे आना चाहिए।

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सरकार द्वारा लोकसभा में 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की पूरक अनुदान मांगों को रखा गया है। सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के बजट पेश करने के बाद भी सरकार को पुन: पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से खर्च करने की अनुमति लेने का प्रस्ताव सदन में रखनापड़ रहा है।

यह सरकार की प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है। सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण तथा लोकरंजन के नाम पर परियोजना बनाने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। सरकार ने आम आदमी का नाम लेकर सत्ता ग्रहण की लेकिन सरकार अब आम आदमी का जीना दूभर कर रही है। पिछले दिनों पैट्रोलियम उत्पादों के नाम बढ़ाने, विशेषक घरेलू उपयोग के रसोई गैस के दाम बढ़ाये जाने से मध्यम वर्ग भी महंगाई से अछूता नहीं रहा है। देश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्राहीमाम कह रहा है। जिस देश में 78 फीसदी लोग केवल 20 रुपए प्रतिदिन रोजगार पाते हो, उस देश में बढ़ती महंगाई का समर्थन करना महापाप है। सरकार द्वारा महंगाई को रोकने का मादा दिखाई नहीं देता।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ खाद्यान्नों के भंडार भरने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ लोगों की अनाज खरीद पाने की क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है। महंगाई के कारण पोषक आहार क्या पेट भरने की भी मुश्किल हो रही है। अनाज, फल, सब्जी, तेल सब महंगा हो गया। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से अब आम आदमी के घर और वाहन का सपना भी सपना रह जायेगा। गृह कर्ज में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ाई और लोगों को बता रहे हैं कि हमें जी.डी.पी. की विकास दर बढ़ानी है तो महंगाई सहनी पड़ेगी, सरकार ही गरीबों के पेट पर वार करेंगी तो किसे कहे।

उसी तरह देश के किसानों की हालत तो बदहाल है। एक तरफ सरकार खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधेयक ला रही है तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि का धड़ल्ले से अधिग्रहण हो रहा है। इस विरोधाभास को देखते हुए यह सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी असफलता स्वयं बयान कर रही है। किसानों को अधिक उत्पादन मिला और विश्वस्तर पर उसके उत्पाद की ऊंची कीमत मिल रही तब सरकार उसे निर्यात की अनुमति नहीं देती। हमारे विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों का सरकार की इस नीति के चलते भारी नुकसान हुआ है। आत्महत्या प्रभावित क्षेत्र के कपास उत्पादकों ने कपास निर्यात की अनुमति मांगी तब विष्व स्तर पर कपास के ऊंचे दाम थे लेकिन सरकार ने निर्णय लेने में जानबूझकर विलंब करने से कपास के दाम गिर गये तब जाकर सरकार ने निर्यात की अनुमति दी। किसानों के इस कारण हुए नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। देश के करीब 65 प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर निर्भर है, तो सरकार को अपने संसाधनों का खर्च भी इस क्षेत्र की भलाई के लिए कराना चाहिए। देश में वर्षा जल खेती पर निर्भर किसानों की संख्या अधिक है, इससे किसान प्राकृतिक आपदा में घिर जाते हैं। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सिंचाई परियोजनाएं, निधि के अभाव में वर्षों से लंबित रहती हैं और अधिक खर्चीली जो जाती है, को देखते हुए सरकार सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए सिंचाई विशेष निधि का निर्माण कर इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करे।

सरकार ने जो नीति अपनाई है, इसमें सिर्फ बढ़ते विकास दर की बात होती है। लेकिन आप विकास का आईना दिखाते वक्त यह बताये कि हमारे यहां कितने रोजगारों का सृजन किया गया। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजगार विहीन देश में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश के रूप में अपनी पहचान न बने इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। कौशल विकास के आधार पर रोजगार सृजन होना चाहिए, इसके लिए रोजगार बड़े पैमाने पर कैसे पैदा हो यह में चिंता करनी चाहिए न कि केवल बढ़ते विकास दर की। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान लेकर अब सभी क्षेत्रों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 5 फीसदी की शर्त लगाई है। इससे वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। सरकार ने इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों को बदलने के लिए विधेयक लाये हैं। अनुकंपा में नियुक्ति के लिए सरकार उचित संशोधन विधेयक लाये।

पूर्व में कहा गया कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के बारे में संजीदा नहीं है। देश के उपभोक्ता क्षेत्र में बढ़ती मुनाफाखोरी भी महंगाई बढ़ने का एक कारण हैं। अगर सरकार ने उपभोक्ता क्षेत्र के उत्पादन कंपनियों को उनके उत्पादन पर लगात मूल्य मुद्रित करने की अनिवार्यता की कसौटी लगाई तो सभी उपभोक्ता क्षेत्र के उत्पादकों की मुनाफाखोरी बंद हो जायेगी। विशेषकर औषधि निर्माण क्षेत्र में बढ़ती मुनाफाखोरी के कारण इसके बढ़ते दाम काबू में आ जायेंगे। दूसरे क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्पादनों पर उसके लागत मूल्य का मुद्रण अनिवार्य करने के लिए सरकार तत्काल कानून लाये लेकिन सरकार की इसमें प्रतिबद्धता दिखाई नहीं दे रही। सरकार द्वारा महंगाई तथा अन्य समस्याओं के बारे में सतही स्तर पर विचार करने के कारण समस्याबढ़ रही है और लोगों को इसका कुप्रभाव झेलना पड़ रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार सभी क्षेत्रों मे असफल साबित हो रही है।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): महोदय, वर्ष 2011-12 की पूरक मांगों के संबंध में निम्नांकित सुझावों को सम्मिलित करने का कष्ट करें-

1. जल संसाधन मद में राशि बढ़ानी चाहिए। राजस्थान के अतिरिक्त राशि की मांग जल संसाधन मद में बढ़नी चाहिए ताकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की समस्या का आंशिक समाधान हो सके। पूर्ण समाधान के लिए योजना आायेग को सिफारिश कर पूर्ण योजना बनाकर पानी की समस्या का निदान किया जाए।

2. नहरी क्षेत्रों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए जिससे कृषि क्षेत्र में वार्षिक विकास दर को प्राप्त कर सकें।

3. बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के मद में अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

4. पशुपालन उद्योग एवं पशु आधारित उद्योगों को अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। पशुपालन से संबंधित कुछ गतिविधियों पर आयकर लगा दिया गया है, उसको माफ किया जाए।

5. पीएमजीएसवाय के मिसिंग लिंग में अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए जिससे बनी हुई सड़कों का उपयोग हो सके।

[अनुवाद]

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): सभापति महोदय, मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों 2011-2012 पर अपने भाषण को सभापटल पर रखने की अनुमति देने पर आपका धन्यवाद। मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें 2011-2012 का पूर्ण समर्थन करती हूं।

इन अनुदानों की मांगों में 53 अनुदान सम्मिलित हैं। इसमें 34,72,480 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने हेतु संसद की स्वीकृति मांगी गयी है, बेट कैश आउटगो वाले प्रस्ताव कुल 9,16.06 करोड़ के रुपये बैठते है और मंत्रालयों की बचत के बराबर सकल अतिरिक्त व्यय 25,70,784 करोड़ रुपये बैठते है।

मैं संप्रग सरकार की अध्यक्ष महोदया माननीय हमारे प्रिय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, हमारे माननीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि अपनी सरकार को आम आदमी के कल्याण की बहुत चिंता है। एक तरफ अधिक रचनात्मक ग्रामीण रोजगार हेतु नरेगा संबंधी हमारे अनुपूरक अनुदान आबंटन ग्रामीण भारत में टिकाऊ संपत्ति का भी सृजन करता है। इससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, महिला और बाल विकास, कृषि, शहरी विकास, पंचायती राज और अन्य महत्वपूर्ण कल्याण क्षेत्रों में भारत में गांवों की सूरत बदलेगी। दूसरी ओर अवसंरचना उपलब्ध कराने जैसे सतत् विकास तथा विद्युत, उर्वरकों, विज्ञान और प्रौद्योगिकीय श्रम और रोजगार तथा वस्त्र और अंतरिक्ष जैसे अन्य कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

18 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने वेतन में वृद्धि से अति प्रसन्न हैं। आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 1500 रुपये मिलते है। केवल इस सरकारी मान्यता प्राप्त केंद में आंगनबाड़ी अध्यापकों को 3000/- रुपये मिलते हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकताओं और अध्यापकों की ओर से सरकार का धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, बीपील सर्वेक्षण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन आवश्यकता के अनुसार 23000 करोड़ रुपये का बांटन किया गया है। यह सभी दलित वर्गों में अ.ज./अ.ज.जा., अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों में सभी गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है।

हमारी सरकार का दृष्टिकोन सदैव जन हितैषी होता है। मैं ग्रामीण विकास के तहत आश्रय कल्याण, रोजगार, अवसंचरना और स्वास्थ्य तथा शिक्षा, संचार और कृषि एवं पंचाती राज, सड़कों के निर्माण तथा संपर्क और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वयं सरलता समूहों को सुदृढ़ करने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यो विशेषकर निर्माण के कार्यान्वयन के बारे में कह रही हूं।

मैं इस संदर्भ में सरकार से आग्रह करती हूं कि देश और विशेषकर आंध्र प्रदेश श्रमिकाकुलम, विजयनगरम, महबूबनगर, अदिलाबाद, राजलसाम और विभिन्न स्थानों पर पहचाने गए पिछड़े क्षेत्रों में अस्तियों और अवसरंचना का सृजन करने हेतु विशेष निधि प्रदान करे। हमारे लोग विभिन्न स्थानों पर रोजगार, जल संसाधनों और ग्रामीण संपर्क के आभाव में अनेक समस्याओं से अब भी परेशान हो रहे हैं।

महोदय, हमारी सरकार ने 65 वर्ष में मिलने वाले वृद्धावस्था पेंशन के बजाय 60 वर्ष में समाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की। वृद्धावस्था और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन के रूप में सरकार निशक्तता के प्रतिशत के आधार पर 500 से 750 रुपये प्रदान करती है। इस संबंध में मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि समुद्री मछुआरे जिनकी जांच भी की जानी है और सरकार पीएचसी पेंशन पर विचार करे क्योंकि अब परिवार के अधिकांश सदस्यों का सिर्फ नावों में जाकर मछलियां पकड़ना है। मैंने हाल में चिकित्सा शिविर में देखा था कि 45 वर्षों से कम आयु के सभी मछुआरे कार्निया रोग से पीड़ित है। डॉक्टर भी 50 वर्षों की आयु के बाद वाले उन लोगों में लगभग 40 प्रतिशत की आंशिक निशक्तता की पुष्टि करते हैं और उन्हें कार्निया रोग के कारण रोजगार नहीं मिलते हैं। अत:, मेरा अनुरोध है कि हमारे मछुआरे बंधुओं की दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए उनके जीवन की रक्षा करे और उनकी आजीविका हेतु पीएचसी पेंशन प्रदान करे।

सभापति महोदय, जिन गांवों में आवश्यकता है वहां ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश बोरवेल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय बोरवेल के रख-रखव हेतु 600 रुपये प्रदान कर रही है। परंतु यह बोरवेल को पुन: चलाने हेतु अपर्याप्त है। अत: 600 रुपये के बजाय कृपया 1000 रुपये प्रदान करे।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा पूरी हो गई और वित्त मंत्री का उत्तर कल होगा।

अब हम 'शून्यकाल' के तहत चर्चा करेंगे। श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): सभापति महोदय, 50 वर्श से अधिक उम्र के मछुआरों का नाम पेंशन के लिए सम्मिलित किए जाने संबंधी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान उन मछुआरों के समक्ष उपस्थित स्वास्थ्य संबंधी समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं जो अपनी आजीवका कमाने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने का दुस्साहस करते हैं।

2005 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2002 मछुआरों के गांव है। लगभग 7,56,212 परिवार, लगभग 35 लाख लोग मछली पकड़ने संबंधी कार्यकलाप पर निर्भर करते हैं। जैसे ही वे अधेड़ की उम्र को प्राप्त होते हैं। वे मछली पकड़ने संबंधी काम को छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके होते हैं। यह उनका मुख्य पेशा है। 13 वर्ष की उम्र में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने लगते हैं। 40 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद लगातार नमकीन पानी की हवा और अल्ट्रा वायलेट किरनों से उनकी दृष्टि बुरी तरह प्रभावित हो जाती है।

वे केरेटोपैकी, जो कॉर्नियास संबंधित एक रोग है, का शिकार हो जाते हैं वे आंशिक रूप से अंधे हो जाते हैं और उनकी दृष्टि 45 प्रतिशत प्रभावित हो जाती है।

इसको ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले मछुआरों को तो आंशिक रूप से अंधे हो चुके होते हैं उन्हेंशारीरिक रूप से विकलांग लोगों में पेंशन के तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करे। जो मछुआरे 45 प्रतिशत तक अंधे है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए नियमों में छूट दी जाए।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह आंशिक रूप से अंधे मछुआरों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, मैं एक लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहा हूं। गंगा नदी राष्ट्र नदी घोषित की गई है। गंगा के कारण जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से कटान हो रहा है। गंगा नदी पर जनपद चंदौली में गुरैनी लिफ्ट कैनाल, नगवा पम्प कैनाल, कुंडा पम्प कैनाल ऐसे तीन-चार पम्प कैनाल लगे हैं। लेकिन कटान के चलते इन पम्प कैनालों का अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है। गंगा नदी इतनी तेजी से उन कटानों को काट रही है कि पम्प कैनाल गंगा नदी में समाहित हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि गुरैनी पम्प कैनाल के आसपास के दर्जनों गांव कटान की चपेट में आने के कारण अब तक वहां की हजारों एकड़ जमीन गंगा में समाहित हो चुकी है। इसके साथ ही दीयां, सहेपुर, हिंगुतर, नौघरा, नरौली और बूढ़ेपुर जैसे दर्जनों गांवों का अस्तित्व भी समाप्त हो रहा है। गुरैनी पम्प कैनाल जो कटान से प्रभावित हो रहा है, उस पम्प कैनाल से दो दर्जन गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है और अगर ये पम्प कैनाल कटान के चलते गंगा नदी में समाहित हो गया तो हजारों एकड़ जमीन भी सिंचाई से वंचित हो जायेगी और राष्ट्रीय कृषि उत्पादन भी प्रभावित होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से एक सर्वे करवा ले। हमने सासंद निधि से पांच लाख रुपये देकर गुरैनी पम्प कैनाल को अभी तात्कालिक रूप से चालू करा दिया है। लेकिन यह गगा कटान पांच लाख रुपये से नहीं बल्कि कम से कम दस करोड़ रुपये से कंट्रोल में आयेगा।

सभापति महोदयः केन्द्र सरकार से जो आपकी मांग है, वह बताइये।

श्री रामकिशुनः हमारी मांग यह है कि मैंने इस सवाल को लोक सभा में कई बार उठाया है और भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि हम राज्य सरकार से सम्पर्क करके इस कटान को रोकने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक इस कटान को रोका नहीं जा रहा है। जिसके कारण जनपद चंदौली के दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके कारण वहां के किसान शीघ्र ही भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे और इन पम्प कैनालों का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है। यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक तरफ किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, उन पर अन्याय हो रहा है। खेती की जमीन संकुचित हो रही है और जो कुछ बची-खुची जमीन है, वह सिंचाई के अभाव में, पम्प कैनाल के अभाव में बर्बाद हो जायेगी।

सभापति महोदय: आपकी भावना व्यक्त हो गई है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुन: इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल इस पर राज्य सरकार को निर्देश जारी करे और इसके लिए धन उपलब्ध कराने का काम करे, ताकि वहां गंगा कटान को रोका जा सके और जनपद चंदौली के कटान पीड़ितों का पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जा सके। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। श्री जगदानंद जी आप बोलिये।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति, जी संयोगवश इसी विषय से जुड़ा हुआ मेरा भी प्रश्न है। जहां उत्तर प्रदेश की सीमा खत्म होती है और बिहार की सीमा शुरू होती है, बक्सर में गंगा प्रवेश बिहार की सीमा पर होता है। आज बक्सर से लेकर नीचे सारे इलाके में भयानक कटाव हो रहा है। गांव कट रहे हैं और शहर भी कट रहे हैं खेत जो मनुष्य के जीविकोपार्जन के साधन हैं, वे समाप्त हो रहे हैं और गांवों के लोग विस्थापित हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 1972 में गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का निर्माण हुआ था।

सायं 6.00 बजे

गंगा बेसिन की सारी नदियों के इंतजाम के लिए, कटाव रोकने के लिए...

सभापति महोदय: श्रीमान जी, एक मिनट रूक जाएं। छह बज गए हैं और जब तक जीरो ऑवर समाप्त नहीं होता, तब तक हम समय बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आगे शुरू कीजिए।

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, भारत सरकार ने गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन की स्थापना सन् 1972 में की थी। गंगा बेसिन की समस्या को देखकर इस कमीशन की स्थापना हुई थी। गंगा फ्लड कंट्रोल ने रिवर फ्लड मैनेजमेन्ट के लिए, एन्टीइरोजन को रोकने के लिए 22 नदियों का डिटेल प्रोजेक्ट भारत सरकार के सामने रखा है। महोदय, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5200 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए रखे गए थे। सदन को याद होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना बीतने जा रही है। मै। इसलिए कह रहा हूं कि अभी बरसात शुरू है, बरसात के बाद एंटीइरोज़न और फ्लड मैनेजमेन्ट के कोई काम नहीं होंगे। सारा समय समाप्त हो गया और केवल 2600 करोड़ रुपये इस कार्य में लगे हैं। इतने बड़े भू-भाग पर इतनी बड़ी त्रासदी, इतना भयंकर गंगा का आक्रमण, गांवों का विस्थापन, जीविकोपार्जन के साधन का खत्म होना, चाहे उमरपुर हो, मझरिया गांव हो, बक्सर हो या बक्सर का किला हो।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि

सभापति महोदय: संक्षिप्त करें, संक्षिप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह: 11वीं पंचवर्षीय योजना की आधी राशि का व्यय नहीं होना और बिहार के जिम्मे जहां 1800 करोड़ रुपये में से 900 करोड़ रुपये मिलने हैं, उसमें से बिहार की सरकार ने केवल 500 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं। शेष राशि बची पड़ी रह जाती है और समस्या बनी रहती है, ग्रामीणों का विस्थापन हो रहा है।

सभापति महोदय: आपकी जो डिमांड है, वह बताइए।

श्री जगदानंद सिंह: सभापति माहेदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे। गंगा फ्लड कंट्रोल को और एक्टिव करे। 12वीं योजना शुरू होने जा रही है, उसके लिए धनराशि रखें। इतने बड़े भू-भाग की समस्या और भयंकर त्रासदी को दूर करे।

सभापति महोदय: श्री महाबली सिंह जी।

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय: यह डिबेट नहीं है, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री जगदानंद सिंह: भारत सरकार का कथन है कि नेपाल, भूटान और चीन से बाढ़ के मैनेजमेन्ट के लिए वार्ता कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के भीतर जितने भी जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें फ्लड क्यूशन की व्यवस्था की जाए, डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जाए।

सभापति महोदय: यह रिकार्ड नहीं होगा।

...(व्यवधान) *

महाबली सिंह जी, आप बोलिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं अपने आपको श्री जगदानंद सिंह जी के विषय के साथ संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, आजादी के 63 साल गुजरने के बाद भी देश के पठारी इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। आज वे लोग भूखे-प्यासे, नंगे, पेड़ों के नीचे जीने को मजबूर हैं। खासकर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पठारी इलकों में रहने वाले लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां के लोग मरने के कगार पर हैं। पहले वहां के लोग सूखी लकड़ी काटकर तेंदू की पत्ती से अपना जीवन-यापन करते थे। लेकिन सरकार द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज वे लोग मरने के कगार पर हैं। आज वहां पर लोग खाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। केंद्र की योजनाएं आज भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जिसके कारण लाचार होकर वे लोग नक्सली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। आज वहां के जवान बेरोजगारी और गरीबी के कारण गतिविधियों में शामिल होते जा रहे हैं इसी कारण आज बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में नक्सली गतिविधियां दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चहता हूं कि अगर सरकार बिहार और झारखांड में नक्सल गतिविधियों को रोकना चाहती है, इसको हथियार से नहीं रोका जा सकता है, उसको रोकने के लिए सरकार को यह जानना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि किसी न किसी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर कोई कारण है, तो उसका निवारण भी होता है। जहां पर नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहां जों लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, वहां पर विद्यालय खोले जायें।

यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, पांच सौ किलोमीटर में है और वहां एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। आज भी वहां लोग नदी, नाले का पानी पीते हैं आज भी उन्हें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, खाने की बात तो दूर है।

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

श्री महाबली सिंह: महोदय, गर्मी के दिनों में पानी के लिए लोग तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाते हैं और गन्दा पानी पीते हैं। वहां की ऐसी स्थिति है।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

श्री महाबली सिंह: महोदय, आजादी के 63 साल गुजर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि यह सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन उनके पास पीने का पानी नहीं है, खाने की बात तो बहुत दूर है।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से एक बार आग्रह करना चाहते हैं कि अगर बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों को रोकना है तो वहां बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये, वहां विद्यालय खोले जायें, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाये। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नवीं मुंबई में दो वर्ष पहले एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की परमीशन दी गयी थी। पिछले दो वर्ष से यह मामला केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के पास है। जो लोग मुंबई जाते होंगे तो वे जानते होंगे कि दिल्ली में मुंबई जाने में एक घंटा तीस मिनट का समय लगता है यानी करीब डेढ़ घंटा लगता है, लेकिन उतरने से पहले ऊपर हवा में आधा घंटा चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार के द्वारा इसके लिए परमीशन दी गयी है। हमारे जो पहले पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने तो परमीशन दे दी, लेकिन अभी तक दो साल हो गये हैं, स्टेट गवर्नमेंट मांग कर रही है कि जल्द से जल्द उस एयरपोर्ट की परमीशन आये। मैं आपके माध्म से विनती करूंगा कि सरकार इसके लिए जल्द से जल्द परमीशन दे ताकि वहां एयरपोर्ट का निर्माण जल्दी से किया जा सके। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैं अति अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी मैडिकल कॉलेज हैं, जहां पर मैडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र, खासक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाित के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वे वहां से चार साल के बाद पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं। इलाहाबाद मैडिकल कॉलेज में छात्र का एडमीशन कम्प्टीशन के आधार पर होता है। वहां आज इतनी स्थिति खराब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी छात्र हैं, उन्हें चार वर्ष की पढ़ाई पूरी करके वहां से निकलना है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल में एवं अन्य परीक्षाओं में फेल कर दिया जाता है, कम नम्बर दिये जाते हैं।

महोदय, आज स्थिति यह है कि जिस विद्यार्थी को चार वर्ष पढ़ाई पूरी करके जाना चाहिए, वह आठ वर्ष पढ़ाई करता है। यह एक तरीके से इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा

है। अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष इस सदन के माननीय सदस्य श्री पी.एल. पुनिया साहब जी एक मैडिकल कॉलेज में गये। उन्हें वहां जाने नहीं दिया जा रहा था और वे गये तो वहां का स्टॉफ ताला बंद करके भाग गया। इसे संज्ञान में लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आप अपनी डिमांड रखिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं मांग करता हूं कि चाहे यह विषय मैडिकल एजुकेशन में आता हो, चाहे इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय देखता हो या इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देखता हो, इसे गंभीरता से लें चूंकि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के भविष्य का सवा है। इसे केंद्र सरकार संज्ञान में ले और इसे गंभीरता से लेते हुए छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे बंद कराया जाये। मेरिट के अनुसार जो भी पास होते हैं, वे लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कम नम्बर देकर उन्हें फेल कर दिया जाता है।

सभापति महोदय: आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, इस तरह से वे छात्र आठ-दस साल में वहां से पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, वे छात्र आगे चलकर क्या करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय में कुछ आश्वासन दे दें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हम लोग इसे संबंधित मंत्री तक पहुंचा देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: जी।

सभापति महोदय: डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अपने आप को श्री शैलेन्द्र कुमार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन के सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार पिछड़ों के विकास पर ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। भारत सरकार नहीं चाहती है कि देश की विचारधारा में जो जातियों पीछे रह गई हैं, उनका विकास किया जाए। देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसकी गणना किये जाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया पर सरकार ने आज तक पिछड़े वर्गों की गणना नहीं कराई। 2011 के लिए जो गणना किये जाने का कार्य 1 अप्रैल 2011 से शुरू किया गया है, उसमें सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि देश में जातिगत जनगणना की जाएगी, परंतु सरकार के कुछ मंत्रियों ने इस जाति आधारित जनगणना के विरोध में पत्र लिखे हैं और कई मंत्रिगण इसका अंदर से विरोध कर रहे हैं सरकार इस संबंध में इस तरह का नाटक कर रही है, मंत्रिगण इसका मामला कैबिनेट में भेज रहे हैं, कभी कोई कमेटी बना रहे हैं और उन्होंने राजनपीतिक दलों को पत्र लिखकर राय मांगी है कि इसे लागू किया जाए या नहीं। जब सदन ने इसको सर्वसम्मपत्ति से पास कर दिया है तो इसको अमल में लाना सरकार की नेतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है।

महोदय, देश में कितनी महिलाएं ओबीसी हैं, इसकी जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। केन्द्रीय विधि मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने महिला आरक्षण विधेयक पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण मानने से इंकार किया है और राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 1931 के बाद से अब तक ओबीसी की कोई गणना नहीं हुई है। इसलिए जब तक ये आंकड़े उपलब्ध नही हो जाते, तब तक यह फैसला नहीं यिका जा सकता कि कौन ओबीसी है और कौन ओबीसी नहीं है। इससे साफ हो गया है कि भारत सरकार की मंशा ओबीसी के कल्याण की नहीं है। केवल ओबीसी की योजनाओं का नाम लेकर वह ढोंग रचती है। देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए स्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ओबीसी यूनिट में सात आदमी काम करते हैं।

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिये।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: बिना उनकी जनसंख्या का पता लगाए कौन सा कल्याण कार्य ओबीसी का हो रहा है? ओबीसी का विकास यूपीए सरकार के एजेंडा में नहीं है। जब 2011 जनगणना में जातियों का पता लगाया जा रहा है तो जातियों का कॉलम क्यों नहीं है? क्या ओबीसी की इस राष्ट्र के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है? स्कूल कालेजों में जातियों का उल्लेख हो रहा है, सरकारी कार्यालयों में जाति प्रमाण-पत्र जारी हो रहे हैं, दूसरी ओर सरकार कहती है कि ओबीसी की गणना से जाति-विद्वेष फैलेगा। क्या जनगणना में जातियों के उल्लेख से जाति-विद्वेष नहीं फैलेगा? मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब सदन में 2011 से शुरू होने वाली जनगणना के लिए जाति के आधार पर जनगणना का प्रस्ताव पास किया है एवं सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है तो 2011 से शुरू होने वली जनगणना के लिए जो प्रयोग किये जा रहे हैं, उसमें जाति का कालम क्यों नहीं है? इसे पास कर दिया जाए और इसे लागू किया जाए।

सभापति महोदय: श्री हुक्मदेव नारायण यावदव, श्री भूदेव चौधरी एवं श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो के नाम श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि देश में ग्राम सड़के देश की लाइफलाइन कहलाती हैं। देश में ग्रामीण तबकों को सड़कों से जोड़ने वाली प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसम्बर 2000 को हुआ था। इसमें गुजरात में 99 रेवेन्यू गांव और छोटे कस्बों को पक्के रास्तों से जोड़ा गया था जिसके लिए गुजरात में वर्तमान ग्रामीण रास्तों के नेटवर्क को मजबूत करना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में नए ग्रामीण रास्तों के निर्माण को अर्हता दी गई है। इस कारण गुजरात को देश के अन्य राज्यों की तुलना में बड़ी वित्तीय व्यवस्था का घाटा उठाना पड़ रहा है। गुजरात में 5000 से ज्यादा बस्ती वाले गांवों और कस्बों को स्टेट हाइवेज के साथ जोड़ने वाले वर्तमान रास्तों की हालत खस्ता है। इसके तहत गुजरात सरकार द्वारा ऐसे 2202 किलोमीटर रास्तों की मजबूती के लिए 466 करोड़ रुपये की दर्ख्वास्त केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को 05.06.2009, 15.07.2009, 15.12.2009, 18.03.2010, 16.4. 2010 और 08.02.2011 को दी गई थी।

गुजरात सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के तहत 48 छोटे कस्बों को जोड़ने के लिए नए रास्ते बनाने की 52.71 करोड़ रुपए की दरख्वास्त दिनांक 15.10.2010 को भारत सरकार को दी थी जिसको आज तक मंजूरी मिलनी बाकी है। मेरी मांग है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रास्तों के सुधार की दरख्वास्त मंजूर करके तुरन्त मंजूरी दी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राम (जलपाई गुड़ी): सभापति महोदय, मुझे आज सभा में अविलंबीय महत्व के मामले को उठाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, यह कच्चे पटसन और बोगे धान के विपणन का मौसम है लेकिन पटसन और बोगे धान का बाजार मूल्य बहुत कम है। पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में कच्चे पटसन के एक करोड़ से अधिक उत्पादक हैं। अब यह एक बहुत ही गंभीर मुद्रा है कि जब उत्पादक बाजार में कच्चे पटसन का विपणन कर रहे है और पटसन का बाजार मूल्य कम हो गया है। उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों आदि वे अधिक मूल्य के कारण उत्पादन लागत बहुत अधिक है। किन्तु विक्रय मूल्य बहुत कम है। इसलिए पटसन उत्पादक बाजार में इसके कम मूल्य के कारण पटसन की खेती को अधिकांशतः अव्यवहारिक पा रहे हैं। यूरिया सहित डीएपी, एमओपी ओर अन्य उर्वरकों का मूल्य बढ़ रहा है। तेल मूल्यों के उतार चढ़ाव और पेट्रोल तथा डीजल के मूल्येां में वृद्धि ने भी किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला है। इन्हीं कारणवश पटसन के उत्पादन लागत में लागतार वृद्धि हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार 4000 रुपये प्रति क्विटल से कम कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित न करें।

दूसरी ओर भारतीय पटसन निगम है जो केन्द्र सरकार का उपक्रम है। भारतीय पटसन निगम का मुख्य कार्य पटसन उत्पादकों और पटसन उद्योगों के लाभ को देखना है। भारतीय पटसन निगम का कार्य पर्याप्त समर्थन मूल्य प्रदान कर बाजार से कच्चा पटसन खरीदना है लेकिन भारतीय पटसन निगम पर्याप्त धनराशि के अभाव में अपना कार्य नहीं कर सकता। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भारतीय पटसन निगम को खुले बाजार से कच्चा पटसन खरीदने हेतु पर्याप्त समर्थन मूल्य प्रदान कर सक्रिय और प्रभावी बनाएं।

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह विद्यालय 30 से 35 वर्ष पुराना है और पहली से बारहवी कक्षा तक 1500 से अधिक छात्र इस विद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा के संदर्भ में पुरूलिया पश्चिम बंगाल का एक पिछड़ा क्षेत्र है। उस केन्द्रीय विद्यालय में छात्रावास क कोई सुविधा नहीं है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में आद्रा केन्द्रीय विद्यालय हेतु एक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त वहां कक्षाओं (क्लास रूम) का बुनियादी ढांचा भी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए भवन को भी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पड़ोसी जिले बांकुटा में भी कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। अतः यदि इस विद्यालय में छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाए तो संपूर्ण पुरूलिया जिले और पड़ोसी जिले बांकुटा के छात्र इस विद्यालय में आ पाएंगे और अध्ययन करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वह यथाशीघ्र छात्रवास और भवन अनुदान हेतु स्वीकृति प्रदान करें।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (बैशाली): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार से मजबूती मांग करता हूं कि बिहार मे कम से कम पांच मैडीकल कालेज अस्पतालों को उत्क्रमित कर एम्स का दर्जा दे। वे मैडीकल कालेज अस्पताल हैं, श्रीकृष्ण मैडीकल कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा मैडीकल कालेज अस्पताल, भागलपुर मैडीकल कालेज अस्पताल, गया मैडीकल कालेज अस्पताल, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, इन पांचों को उत्क्रमित कर एम्स का दर्जा दिया जाये।

ऐसा मैं क्यों कहता हूं और क्या इसमें तथ्य है? भारत सरकार ने जहां 6 एम्स अस्पताल अतिरिक्त खोलने का निर्णय किया, वहां 19 अस्पतालों को अपग्रेड करने का, एम्स का दर्जा देने का फैसला किया है, लेकिन बिहार का उसमें एक भी नहीं है। देश भर में 19 अस्पताल और बिहार को एक भी नहीं, इतना भारी अंधेर हैं यह जुल्म है, बिहार की 10 करोड़ आबादी के साथ अन्याय है। 19 अस्पतालों का अपग्रेडेशन, बिहार का एक भी नहीं, जबकि बिहार में पांच मैडीकल अस्पतालों को अपग्रेड करने की हैसियत रखता है। झारखंड का एक एम्स, दो करोड़ आबादी, छत्तीसगढ़ को एक एम्स, दो करोड़ आबादी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः उत्तराखंड को एक एम्स, 85 लाख आबादी। बिहार में दस करोड़ आबादी और वह टुकटुका रहा है, वहां एक भी अपग्रेडेशन नहीं। नहीं है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये बतायें। ये सरकार की तरफ से हैल्थ मिनिस्टर को तलब करें, बतायें कि क्या कारण है। देश में 19 अस्पताल और बिहार में एक भी अपग्रेडेशन नहीं तो यह सरकार उसमें तुरन्त निर्णय करे और जो प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, उसके अधीन प्रावधान है, नये मैडीकल कालेज अस्पताल एम्स का खुलेगा और अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन में 19 का फैसला हो गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः और बिहार को छोड़ दिया, ऐसा अंधेर, भेदभाव, पक्षपातपूर्ण निर्णय, जबकि बिहार में चिकित्सा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। कैंसर के लिए-जाइये एम्स, यहां मारा-मारी है, साल में 25 लाख मरीज आते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः यहां आकर लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, इसलिए महोदय, मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं, देखिये प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में क्यों नहीं होना चाहिए, वह हुक्मदेव बाबू का इलाका है, उधर सब माननीय सदस्य बैठे हैं ओर दरभंगा मैडीकल कालेज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए।

इन्हीं सवालों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अमहदाबाद पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, गुजरात और राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे को शून्यकाल में उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

गुजरात में बड़ोदरा और सूरत के बीच 6 लेने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इस राजमार्ग का प्रयोग करने वालों को काफी राहत मिली है। इसके बावजूद मैं एक महत्वपूण्र समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं। समस्या इस 6 लेन वाले राजमार्ग के यातायात संचालन को लेकर है। इस 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का समस्त यातायात नर्मदा नदी पर बने दो लेन वाले पुल से संचालित होता है, जो कि बहुत पुराना तथा जर्जर हालत में है। नर्मदा नदी पर बने इस दो लेन वाले पुराने पुल से यातायात का संचालन ठीक से नहीं हो पाने के कारण अक्सर यात्रियों को ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता है, जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। इस संकरे तथा जीर्ण पुल के चलते बड़ोदरा और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का मुख्य लक्ष्य विफल हो गया प्रतीत होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति भी की है। जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही तैयार की जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जाड़ेश्वर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर नर्मदा नदी के उस पार एक विशाल पुल के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ किया जाएं इसको तुरंत प्रारंभ किया जाए, ताकि यातायात में जो तकलीफ होती है, वह मुश्किल दूर हो सके।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, आज एक गंभीर समस्या उड़ीसा राज्य में दिखायी दी है। अब तक जिस अनुपात में बारिश होनी चाहिए, उड़ीसा में उसकी पचास प्रतिशत बारिश भी नहीं हुई है। इसके कारण राज्य में करीब अस्सी प्रतिशत से ज्यादा इलाकों में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड पश्चिमी उड़ीसा है। उसमें बोलांगीर, नापड़ा, बौत, कालाहांडी का सारा एरिया आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र कालाहांडी में आप देखेंगे कि पिछली 13 जुलाई तक 327.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट में मात्र 100. 87 मिलीमीटर बारिश हुई है। आप सोच सकते हैं कि वहां जो सीड्स बोए गए थे, उनकी क्या हालत हुई होगी? वहां जमीनों में पानी नहीं रहा है। ट्रांसप्लांट टेक-अप नहीं हो पया और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। खेतों में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, नाले में पानी नहीं हैं, नदियों में पानी नहीं है, जो भी रिजर्व इरीगेशन का था, उसमें भी पानी नहीं है। जो मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट है, इंद्रावती इरीगेशन प्रोजेक्ट की अथारिटी ने पिछले 30 तारीख को डिक्लेयर कर दिया कि पांनी नहीं है और हम किसानों को पानी नहीं दे पाएंगे। अकाल की स्थति से उभकर कालाहांडी जिला विकास की स्थिति में आया था और हम बीस हजार मीट्रिक टन से सात लाख मीट्रिक टन चावल पैदा करते थे। आज उस इलाके में जो आबोहवा आज दिखाई दी है, उसमें लोगों की हालत बहुत बुरी होगी।

महोदय, अंडर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा चुका है।

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिए।

श्री भक्त चरण दास: मैं अपनी मांग रखता हूं। वहां अकाल की परिस्थिति पैदा हो गयी है। वहां जानवरों की हालत खराब हो रही है। वहां पानी नहीं है, किसानों और गरीबों की जो हालत हो रही है, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन औ मांग है कि उड़ीसा में एक विशेष टीम भेजी जाए और वहां अकाल की स्थिति का अध्ययन किया जाए। वहां के किसानों और आदिवासियों की समस्याओं के हल के लिए सही व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

मेरी पुरजोर मांग है कि एक केन्द्रीय टीम उड़ीसा का दौरा करे और वास्तविक स्थिति का आंकलन करे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, उन्होंने जो कह है मै। उनसे संबद्ध करता हूं। उन्होंने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जो उन्होंने कहा है वह सही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री तथागत सत्पथी अपने आपको श्री भक्त चरण दास के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने संबंधी मुद्दा शून्य काल में उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। बिहार राज्य का बंटावरा सन् 2000 में हुआ। बिहार बंटावरा बिल, 2000 पर इसी सदन में चर्चा के समय माननीय तत्कालीन उप प्रधान मंत्री और गृहमंत्री ने कहा था कि बंटवारे के बाद बिहार में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए बिहार के साथ केंद्र सरकार पूरा न्याय करेगी। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अभी तक कौन सा ऐसा कदम उठाया है, जिससे बिहार विकसित राज्यों की दौड़ में सम्मिलित हो सके? इसके उद्योग-धंधें कोयला, लोहा इत्यादि खनिज, खान बंटवारे के बाद झारखंड चले गए। बिहार में केवल खेती-बाड़ी रह गयी है। बिहार की भौगोलिक संरचना ऐसी है, जहां हमेशा बाढ़ और सुखाड़ आते रहते हैं।

सभापति महोदय: आप अपनी डिमांड रखिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदय, बिहार में उद्योग-धंधे नहीं हैं। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगार लोग गुमराह होकर नक्सलियों की शरण में जा रहे हैं, जिससे नक्सली गविधियां भी बढ़ रही हैं। बिहार के माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब से गद्दी संभाली है, तभी से वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग किसी एक पार्टी विशेष की नहीं, बल्कि बिहार के जन-जन की मांग है।

जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तभी बिहार अन्य विकसित राज्यों की दौड़ से शामिल हो सकता है। बिहार की जनता ने पिछले दिनों दिल्ली में विशेष राज्य की मांग के लिए धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधान मंत्री जी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा।

सभापति महोदय: आप अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: बिहार के सवा करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी, इस पर प्रधान मंत्री ने बिहार के इस मांग को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में रखने का फैसला किया लेकिन अभी तक प्रधान मंत्री से इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाए और बिहार के दस करोड़ जनता की भावना का आदर किया जाए।

सभापति महोदय: श्री भूदेव चौधरी, श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो, तथा श्री महाबली सिंह जी श्री कौशलेन्द्र कुमार के विषय से अपने को संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): महोदय, मैं आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने हेतु तमिलनाडु के लिए केन्द्रीय पुल से विद्युत के अतिरिक्त आबंटन की अविलंबनीय आवश्यकता के बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तमिलनाडु सरकार ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने हेतु अनिवार्य कदम उठा रही है। बढ़ती मांग और ऊर्जा उत्पादन में स्थिरता के कारण ट्रांसको ने लगभग 1500 मेगावाट तक नियमित लोड शेडिंग और बार बार अनियमित लोड शेडिंग कर रही है सिका औद्योगिक क्षेत्र और घेरलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा खाद्य उत्पादन को दुष्प्रभावित किया है। तमिलनाडु सरकार किसानों और जनसाधारण की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु केन्द्रीय पुल से जून 2011 और मई 2012 तक 1000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत के आबंटन का अनुरोध किया है। तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्यमंत्री 6 जून 2011 को माननीय प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करते हुए पहले ही एक पत्र लिख चुके हैं कि केन्द्र सरकार 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली शीघ्र आबंटित करे।

सभापति महोदय: श्री कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे से माननीय सदस्य श्री सी. शिवासामी को संबद्ध करने की अनुमति है।

[हिन्दी

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केला अपनी पौष्टिकता के कारण गरीबों का फल कहलाता है। लेकिन सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक क्षेत्र में इसे फल की जगह सब्जी के रूप में मान्यता देने के कारण केला उत्पादन तथा उत्पादक किसानों को भारी तकलीफ हो रही है। विगत कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा में केले को फल की मान्यता के साथ इसे राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन में शामिल कर इसके विकास तथा किसानों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र का नाम जलगांव है। जलगांव में केले का जो उत्पादन होता है वह सबसे अधिक उत्पादन कहा जाता है। केवल जलगांव में ही देश का कुल 16 प्रतिशत केले का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के लगभग 72 हजार हेक्टेयर भूमि केला उत्पादन क्षेत्र है। केवल जलगांव में 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में केले का उत्पादन होता है। लेकिन केला उत्पादक किसानों की दशा दयनीय दिखाई दे रही है। केला नाशवंत फल है। इसलिए केले की बिक्री व्यवस्था इसके निर्यात के द्वारा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सकरार द्वारा कोई प्रयास नहीं करने से केला उत्पादक किसान चिंता में है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी डिमांड रखिए।

श्री ए.टी. नाना पाटील: सरकार ने देश में फलों के उत्पादन तथा इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन शुरू किया है। लेकिन अभी तक केले को सब्जी की मान्यता रहने से इसको फलोत्पादन मिशन में शामिल नहीं किया गया। अगर इसे फलोत्पादन मिशन में शामिल किया गया होता तो हमारे गरीब केला उत्पादक किसानों को सरकार की तरफ से केले के अच्दे बीज, खाद और सहाायता मिल सकती थी लेकिन हमारे केला उत्पादक किसान सरकार की सहायता से वर्षों से वंचित रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसका गंभीर से गंभीर संज्ञान ले केले को राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन में शामिल करे और केला उत्पादकों पर वर्षो से इस मामाले में हो रहे अन्याय का परिमार्जन करने के लिए एक विशेष आर्थिक सहातया पैकेज देने की घोषणा करे।

हमारे यहां के किसानपों को फलोत्पादन मिशन में शामिल करने के बाद उनके उत्पादन को तत्काल विपणन के लिए रेलवे रैक (वैगन) उपलब्ध कराने, जलगांव में केले के निर्यात हेतु विमानपत्तन हब बनाने और परिवर्तन हेतु अनुदान, आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। सरकार अन्य फसलों को जिस तरह कम ब्याज पर फसल ऋण बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराती है और आपदा की स्थिति में फसलों का मुआवजा देती है उसी तरह केला उत्पादक किसानों को भी सारी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह डिबेट नहीं है। आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

श्री ए.टी. नाना पाटील: मैंने स्वयं केला उत्पादक किसानों की बदहाली का संज्ञान लेकर एक गैर सरकारी विधेयक के माध्यम से सरकार के द्वारा केला उत्पादकों को सहातया और आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान कराने का निवेदन किया है।

सभापति महोदय: अब आप की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री कमलेश पासवान, श्री देवजी एम, पटेल और श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र जी अपने आप को श्री ए.टी. नाना पाटिल के विषय के साथ संबद्ध करते है।

श्री गोविंद प्रसाद मिश्र (सीधी): सभापित महोदय, हिन्दुस्तान में केला *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप श्री बाजवा को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): महोदय, मैं पीठ का धन्यवाद करता हूं कि मुझे शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्विंटन द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ट्रांसिट रेट एग्रीमेंट पर शुरू की गयी बातचीत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के व्यापार समझौते का रूप ले लिया है। इस समझौते में अफगानिस्तान ने ट्रक प्रचालकों को अपना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सामान बाधा बॉर्डर पर अर्थात् अमृतसर में डिलीवर करने की अनुमति दी गयी है और बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपनी वस्तुओं मध्य एशिया में निर्यात के लिए ट्रांजिट सुविधा प्रदान करेगा। विध्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से भारत को पाकिस्तान के भूमि मार्ग का उपभोग कर यहां की वस्तुओं जिनमें युद्ध प्रभावित देश को माननीय सहातया के रूप में भेजी गयी वस्तुए भी शामिल हैं, के लिए पहुंच मार्ग दिए जाने की मांग कर रहा है। यदि पाकिस्तान इस अनुरोध को मान लेता है तो वस्तओं की डिलीवरी तेजी से और समय पर हो पाएगी।

सभापति महोदयः कृपया अपनी मांग रखें।

श्री प्रताप सिंह बाजवाः इसमें केवल एक सेकेंड लगेगा। साथ ही यह अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए आने वाले सामग्रियों के भाड़े के लगात में तैयार रिपर्टन लोड के रूप में कमी जाएगी। वाणिज्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मुद्दे को पाकिस्तान में अपने समकक्ष के साथ उठाएं यदि पाकिसतन द्वारा उसकी अनुमति दी जाती है तो यह भारत-पाकिस्तान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिए जाने में काफी सहायक होगा, इसमें न केवल भारत और पाकिस्तान को लाभ होगा सन् इसमें दोनों पंजाबों-भारत के पंजबा और पाकिस्तान के पंजाब को भी फायदा होगा। वाणिज्य मंत्री से मेरा यह अनुरोध है।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): आदरणीय सभापति महोदय मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया देश में धूम्रयुक्त और धूम्र विहीन तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। हाल में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन पदार्थों के प्लास्टिक के पाऊच में बिक्री पर प्रतिबंध इस आधार पर लगाया कि प्लास्टिक के पाऊच दमा होता है। जबकि इन प्लास्टिक के पाऊच के अंदर का पदार्थ जैसे पान मसाला, गुटका ओर सिगरेट का मानव स्वास्थ्य पर अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ता है।

यह साबित हो चुका है कि धूम्र युक्त और धूम्रविहीन तम्बाकू के उपयोग से कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े के गंभीर रोग होते हैं। दिपोर्ट के अनुसार भारत में तम्बाकू से संबंधित रोगों से नौ लाख मौतें होती हैं इसमें आगे यह बताया गया है कि भारत में हर वर्ष मुख कैंसर के 80,000 नए मामले सामने आते हैं और यह विश्व में सर्वाधिक है। विश्व भर के चिन्हित मुंह के कैंसर के मामलों में से 86 प्रतिशत मामले अकेले भारत में पाए जाते हैं। अध्ययनों से यह पता चला है कि देश में मुख कैंसर के 90 प्रतिशत मामले धूम्र रहित तम्बाकू जैसे कि गुटका के सेवन की वजह से हो रहे हैं।

सभापति महोदयः कृपया अपनी मांग रखें।

श्री एंटो एंटोनीः केवल एक मिनट, महोदय। इन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि धूम्रयुक्त और धूम्रविहीन तम्बाकू उत्पाद कितने खतरना है। तथापि, हमारे लोग जिनमें बड़ी संख्या में हमारी नई पीढ़ी भी शामिल है, का देश में तम्बाकू उत्पादकों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि धूम्ररहित तम्बाकू सिगरेट जैसे धूम्रयुक्त तम्बाकू की तुलना में सुरक्षित है। कई लोग धूम्रविहीन तम्बाकू उत्पादों को गलती से माउथ फ्रेशनर के रूप में मान लेते हैं। इन बातों से भारतीय बाजार में धूम्रविहीन तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने में मदद मिलती है।

मैं आपका ध्यान 29 मई, 2011 को एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पान मसाला वु नमूनों की क्लिनिकल जांच रिपोर्ट से संबंधित था। इस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि तीन शीर्ष पान मसाला ब्राण्डों ने अपने उत्पादों में घातक सम्मिश्रण का उपयोग किया है। यह कृत्य देश के विभिन्न राज्यों में विद्यमान खाद्य अपमिश्रण कानून के अधीन कार्रवाई करने योग्य अपराध है। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण, 2010 के अनुसार, भारतीय जनसंख्या का एक-तिहाई धूम्रविहीन तम्बाकॅ का उपयोग करता है। आज, भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादों का उपभोग करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर ही जिसमें से धूम्रविहीन तम्बाकू की मांग काफी ज्यादा है।

उक्त तथ्य दर्शाता है कि भारत के निर्दोष लोगों का तम्बाकू निर्माताओं विशेषकर धूम्रहिवीन तम्बाकू उत्पादकों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका हमारे स्वासयि क्षेत्र पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। यदि इस स्थिति को रोका नहीं जाता है, तो लोगों के स्वास्थ्य के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह देश में तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के लिए एक व्यापक विधेयक लाए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, मैं आसन के प्रति शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी जनता, जो हमारी प्रभु हैं, उनकी आराधना करने का अवसर दिया है। महोदय, नवादा जो बिहार में 22 लाख की आबादी का जिला है, वह क्रॉनिक सुखाड़ से पीड़ित है।, लहुलुहान है। आसपामन में बादल हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है। धरती है, लेकिन उसके नीचे पानी नहीं है। नदियां कई हैं, लेकिन एक बूंद के लिए तरसती हैं।

सभापित महोदय, 64 वर्षों के बाद भी हमारे ये प्रभु, जो हमारी महान जनता है, जीवित लाश बनी हुई है। न उद्योग हैं, न धंधे

हैं, न रोजगार हैं, यहां तक कि पेयजल के लिए भी उनकी गर्भवती पत्नियों को चार-चार, पांच-पांच मील दूर तक जाना पड़ता है। गर्भवती नारी जब घड़े को लेकर पानी लेने के लिए जाती है, तो रास्ते में उसका गर्भपात हो जाता है और एक नया इंसान असमय धरा पर उतरता है।

सभापति महोदय, मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है, वह नश्वर का अनश्वर संघ है। केन्द्र की विशेष जिम्मेदारी है। संविधान केन्द्र को एक विशेष स्थान देता है। केन्द्र को वरीयता प्राप्त है। हम आज इस सदन में कहने के लिए आये हैं कि हमारी जो नदियां हैं-आबका परसकरी नहर, ढाढर नहर, सूरी नहर, धमारजर नदी, इन सभी के पानी को रोककर, डैम बनाकर, बिजली निकालकर हम बिहार की एक नयी तस्वरी, आकृति गढ़ सकते थे, वह नहीं हुआ है।

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंहः सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि डिमांड रखिये। मैं आसन के माध्यम से भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नवादा का यह हिस्सा जो आज विकास के अभाव में आतंकवाद और उग्रवाद से लहुलुहान है, वह जातीय उन्माद के कारण 30 वर्षों तक जलता रहा, लहुलुहान होता रहा। महाभारत में जब युधिष्ठिर जंघा भर खून से लथपथ थे, तो उस समय युधिष्ठिर के भाई सहदेव ने कहा था कि भइया, आपका यह खून नदी के पानी से नहीं धोया जा सकता। गरीबों के आंसू से जो नदी बनेगी, उससे यह खून साफ होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंहः नवादा के विकास के लिए, नवादा के पुनर्वास के लिए, नवादा को आगे बढ़ने के लिए जो 22 लाख लोग जीवित लाश हैं, वही मेरे प्रभु हैं। ये प्यासे हैं, भूखे हैं और अनवरत् आसमान की तरफ देखते हैं। प्रधान मंत्री जी, हम आपसे आज सदन में आग्रह करते हैं, मेरे प्रभु जो आज इतने वर्षों से उदास पड़े हैं, खिन्न पड़े हैं, आप उन्हें स्नेह दें, उनकी योजना देकर पुनर्वासित करें और नवादा की जिन्दगी में एक नयी आकृति गढ़ने का प्रयास करें। इनहीं तथ्यों की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.वी. हर्ष कुमार (अमलापुरम): मैं आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के किसानों से संबंधित मुद्दे को उठाना चाहता हूं। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमलपुरम पूर्वी गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले 100 वर्षों से अधिक से राज्य के चावल के सबसे अधिक उत्पादर वाले क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इससे पूर्व, यह क्षेत्र पर्याप्त रूप से उपजाऊ नहीं का गोदावरी नदी पर सर आर्थर कारन्स एनीकर के बाद ये दोनों जिले बहुत उपजाऊ हो गए हैं। परंतु क्षेत्र में गत वर्ष के पांच चक्रवातों जैसी निरंतर प्राकृति आपदाओं और नदी तथा नहरों के आधुनिकीकरण के कारण किसान काफी समय से कष्ट उठा रहे हैं।

इस वर्ष रबी के मौसम में धान की भरपूर उपज के बावजूद किसानों द्वारा जिलों में लगभग 80,000 एकड़ भूमि को धान की खेती से अलग रखा गया है। इसका कारण अच्छी लाभप्रद नीति की कमी, भंडारण सुविधाओं का अभाव और अरहर बीजों की अपर्याप्त आपूर्ति हैं। किसानों को अपनी उपज को औने-पौने में बेचना पड़ा क्योंकि धान के ट्रक गोदामों के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे परंतु प्राधिकारियों को इसकी चिंता नहीं थी। उन के पास शराब के लिए स्थान है परंतु खाद्यान्नों के लिए स्थान नहीं है। हमारे राज्य में यही स्थिति है। इन सभी समस्याओं के कारण किसानों को खेती पर भारी नुकसान उठाने के बजाय आगामी मौसम के लिए स्वयं 'क्राप हालिडे' घोषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। देश में ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि जिससे धान उपजाने वाले किसानों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है और वह भी हरति क्रांति क्षेत्र में। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

बंटाईदार जिन्हें हम कवुकु राइनू कहते है। इस स्थिति में सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। यद्यपि राज्य सरकार ने किसानों को ऋण और अन्य लाभों हेतु पात्र बनाते हुए 'सागुराइनू रक्षण हस्तम' योजना की घोषण की है तथापि बैंक बंटाईदारों को ऋण नहीं दे रहे है क्योंकि भूस्वामी पहले ही ऋण ले चुके हैं। बंटाईदार निजी लोगों से ऋण ले रहे हैं और ऋण के भार से दबते जा रहे हैं। यह दुर्भाग्पूर्ण है कि पिछले दो से तीन सप्ताहों में चार किसानों ने आत्महत्या की है। मेरा अनुरोध है कि बैंकों को बंटाईदारों के समूहों को आसान ऋण देने के निर्देश दिए जाने चाहिए। यह सराहनीय बात है कि सरकार ने 10,000 मी.ट. चावल के निर्यात की अनुमति दी है परंतु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस कदम द्वारा किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं हुए।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस स्थिति का अध्ययन करने तथा इस क्षेत्र में किसानों के सामने आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्पूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आप डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इसलिए यह आपके लिए भी एक हितकारी एवं चिंतनशाल सवाल है। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां पर नाल में एक एयरफोर्स स्टेशन है। दो अगस्त को वहां एक मिग-21 विमान गिर गया जिसमें एक पायलट सूरज पिल्लई, जो केरल का रहने वाला था, की डेथ हो गयी। बात यह नहीं है कि मिग-21 विमान गिर गया और पायलट की डेथ हो गयी, मैं आपके माध्यम से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि यह ऐसी 1000वीं इंसीडेंट है। मिग 999 विमान इससे पहले गिर चुके हैं। नाल में ट्रेनिंग के दौरान यह इंसीडेंट हुई है। वह पायलट इसको ट्रेनिंग के दौरान उड़ा रहा था और गिर गया। राजस्थान में तीन सालों में मिग 24 विमान गिरे, मेरे क्षेत्र में 15 सालों में आठ मिग विमान गिरे, इन सभी घटनाओं में पायलट्स की डेथ हुई और कुछ ग्रामीण भी मरे। वर्ष 1996 से लेकर 2000 के बीच में जो दो दुर्घटनाएं हुईं, उनमें दूसरे लोग भी मरे।

दस साल में 120 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मेरा यह कहना है कि इतने गिम विमान गिरने के बावजूद भी सरकार चेत क्यों नहीं रही है। मैं बताना चाहता हूं कि 13 अक्टूबर 2000 में गिरा, फिर उसी साल नाल में गिरा, फिर 28 जनवरी, 2003 में काकरवाला में गिरा, फिर 2004 में पोखरण में गिरा, फिर नवंबर 2004 में खाजौला में गिरा, फिर जनवरी 2005 में नाल में गिरा। इस साल फिर मिग विमान लैंड करते हुए गिरा। यह प्रश्न कई बार उठा है। लोग क्या कहते हैं कि मिग तो हमारा फाइटर विमान है, हम इसे ट्रेनिंग पायलट को देंगे।

सभापति महोदय: आप अनुरोध करें कि सरकार से क्या कहना चाहते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं उसी पर आ रहा हूं। मिग 20 1980 के दशक के आर्मी में शामिल हुए थे। अब ये विमान आर्मी में आउट डेटेड हो चुके हैं। मिग 24 और मिग 27 एयरबेस में जुड़ चुके है, लेकिन वायु सेना में जब हैदारबाद में ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनी पायलट को उड़ाने के लिए मिग 20 ही दिया जाता है। मैं यह मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि मिग 20 अब बंद होना चाहिए। हमें एक पायलट को तैयार करने में बहुत खर्च उठाना पड़ता है। उसकी तो मौत होती ही है साथ में जनता भी हादसे का शिकार होती हैं आप स्वयं संसद की डिफ्रेंस स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आप भी जानते हैं।

सभापति महोदय: अब आपका आगे का भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापित महोदय, आज पूरे विश्व में पानी की समस्या है तथा स्वच्द पेयजल विश्व के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। लेकिन ईश्वर कृपा से भारतवर्ष में हम अपने देशवासियों को पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, यह एक अच्छी खबर है। इस संबंध में विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में पेजयल के मुख्य प्राकृतिक स्रोत नदी व तालाब ही हैं जो कि समय के साथ-साथ दिन-ब-दिन प्रदूषित होते जा रहे हैं। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी पेयजल को उतना शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, जितना कि होना चाहिए, क्योंकि पानी के स्रोत जो हैं, वे बहुत अधिक प्रदूषित हो चुके हैं। इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम शहरी और नगरीय निकाय के लिए जो भी विशेष योजना है, जैसे आईटीएस, एमटी तथा यूटीएसएमटी व अन्य कोई नदी तालाब सरंक्षण जैसी योजनाएं स्वीकृत करें। उनकी प्लान में सालिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान अनिवार्य कर देना चाहिए। इस आशय के निर्देश सभी राज्य सरकारों को भी दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ इस संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सालिड वेस्ट औद्योगिक क्षेत्र का कोई भी आउटलेट किसी भी परिस्थिति में पानी के स्रोत नदी या तालाबों में नहीं जाने पाए। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों की नदियों के प्रदूषित होने का एक मुख्य कारण यही है। यद्यपि कई औद्योगिक ईकाइयां जो कि विधिवत रूप से संबंधित राज्यों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेकर ही अपना उत्पादान प्रारंभ करती हैं, लेकिन प्रायः कुछ समय बाद इसका समुचित रूप से पालन नहीं होता है और नदी तालाबों में इन इकाइयों के वेस्ट आउटलेट के जाने के कारण निरंतर प्रदूषण बढ़ता जाता है। इसे रोकने हेतु कड़ाई से पालन होना चाहिए।

सभापति जी, इस बारे में हमें जागरूक होकर कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे नहीं तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और निश्चित ही एक दिन उस यूरोपियन लेखन नास्त्रेदमस की वह भविष्यवाणी सच साबित होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के कारण होगा तथा हम भी ऐसी स्थिति में बदकिस्मती से उस वीभत्स घटना के सहभागी बनेंगे।

सभापति भी, आप स्वयं पानी के बारे में सदन में सवाल उठाते रहते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि इस ओर तुरंत ध्यान दिया जाए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, मैं आपकी इजाजत से एक गम्भीर मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी थी। पिछली बार भी मैंने जब इस मुद्दे को सदन में उठाया था तो आपकी जगह आसन पर इंदर सिंह नामधारी जी विराजमान थे। मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मैंने इस बारे में कहा कि पूरे देशमें सब यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, सिर्फ जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं काम कर पा रही क्योंकि वहां वी.सी. तैनात नहीं किया गया।

हमने सजैस्ट किया कि अगर आप वीसी नहीं लगा सकते तो फॉर द टाइम बीइंग आप सीईओ लगा लें ताकि यूनिवर्सिटी चले, बच्चे पढ़ें और आप जानते हैं कि एजुकेशन ही इस देश को आगे ले जा सकती है। उस समय के सभापित जी ने इन्हें आदेश दिया और सरकार ने खड़े होकर एश्योर किया कि हम जल्दी ही चला देंगे। मुझे क्षमा करे कि हाउस की कमिटमेंट जिससे बड़ा कोई कानून हीं है। संसद में बोलने का मतलब क्या होता है, संसद सर्वोपरि है।

सभापति महोदय: आप अपना अनुरोध रखिये।

चौधरी लाल सिंह: मैं वही कह रहा हूं। संसद की बात भी न मानी जाए तो इससे बड़ा हाउस कहां मिलेगा? मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि जो कमिटमेंट वीसी लगाने की थी वह कब लगेगा और जम्मू के बच्चे कब उस यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे? जो पिछले तीन साल बर्बाद हुए है,

[अनुवाद]

इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: लोकसभा कल 5 अगस्त, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 अगस्त 2011/14 श्रावण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री आर.के. सिंह पटेल	61
2.	श्री इज्यराज सिंह श्री ए.टी. नाना पाटील	62
3.	श्रीमती सीमा उपाध्याय श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	63
4.	श्री बदरूद्दीन अजमल	64
5.	श्री प्रहलाद जोशी	65
6.	श्री गुरुदास दासगुप्त	66
7.	श्री दारा सिंह चौहान	67
8.	डॉ. तरुण मंडल	68
9.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे श्री पूर्णमासी राम	69
10.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	70
11.	श्री हर्ष वर्धन श्री पी.सी. मोहन	71
12.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया श्री हमेन्द्र सिंह पी. चौहाण	72
13.	श्री देवराज सिंह पटेल श्री शिवकुमार उदासी	73
14.	श्री मकनसिंह सोलंकी श्री हंसराज गं. अहीर	74
15.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी कुमारी मीनाक्षी नटराजन	75
16.	श्रीमती मीना सिंह श्री पोन्नम प्रभाकर	76
17.	श्री माणिकराव होडल्या गावित श्री चन्द्रकांत खैरे	77
18.	श्री जगदम्बिका पाल	78
19.	डॉ. संयज सिंह श्रीमती सुमित्रा महाजन	79
20.	श्री मनोहर तिरकी	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	762, 766, 856, 859
2.	श्री आनंदराव अडसुल	762, 766, 856, 859
3.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	739, 873
4.	श्री बदरुद्दीन अजमल	852, 901
5.	श्री अनंत कुमार	758, 775
6.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	766, 773
7.	श्री घनश्याम अनुरागी	847, 854
8.	श्री अशोक अर्गल	772
9.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	782, 847, 911
10.	श्री गजानन ध. बाबर	743, 762, 856, 859
11.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	786
12.	श्री रमेश बैस	815, 860
13.	डॉ. बलीराम	831
14.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	833
15.	श्री अवतार सिंह भडाना	864
16.	श्री ताराचन्द भगोरा	864
17.	श्री संजय भोई	832, 852
18.	श्री समीर भुजबल	830, 847, 867
19.	श्री पी.के बिजू	735, 824
20.	श्री हेमानंद बिसवाल	820
21.	श्री जितेन्द्र सिह बुन्देला	692, 867, 888
22.	श्री सी. शिवासामी	829, 861, 867
23.	श्री हरीश चौधरी	727,847
24.	श्री जयंत चौधरी	706, 850
25.	डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	817, 867, 883

1	2	3
26.	श्री संजय सिंह चौहान	868
27.	श्री दारा सिंह चौहान	915
28.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	703, 790, 881, 906
29.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	696, 875
30.	श्री एन.एस.वी. चिन्तन	776
31.	श्री भूदेव चौधरी	789
32.	श्री अधीर चौधरी	719
33.	श्री बंस गोपाल चौधरी	822
34.	श्री गुरुदास दासगुप्त	851, 914
35.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	842, 851
36.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	807, 846
37.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	804
38.	श्रीमती रमा देवी	694, 811
39.	श्री के.पी. धनपालन	755
40.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	703, 705, 884
41.	डॉ. रामचन्द्र डोम	911
42.	श्री गणेशराव नागोराव् दूधगांवकर	856
43.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	785, 846, 869
44.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	715
45.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	693, 781, 812, 838
46.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	770, 846
47.	श्री वरुण गांधी	753, 903
48.	श्री ए. गणेशमूर्ति	749
49.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	912
50.	श्री एल. राजा गोपाल	695, 847, 849, 851
51.	श्री शिवराम गौडा	785, 836, 846
52.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	758, 857, 858

1	2	3
53.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	788, 803
54.	शेख सैदुल हक	779
55.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	818
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	717
57.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	742, 790
58.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	754, 766, 851
59.	डॉ. संजय जायसवाल	847
60.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	811, 825, 854
61.	श्री बद्रीराम जाखड़	718, 786, 887
62.	श्रीमती दर्शना जरदोश	817
63.	श्री हमेश जोशी	778, 786, 787
64.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	793, 806
65.	श्री प्रहलाद जोशी	850, 867, 913
66.	डॉ. ज्योति मिर्धा	906
67.	श्री पी. करुणाकरन	790, 828
68.	श्री कपिल मुनि करवारिया	847
69.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	778, 788, 873, 879
70.	श्री राम सिंह कस्वां	737, 911
71.	श्री लाल चंद कटारिया	795
72.	श्री नलिन कुमार कटील	785, 869
73.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	712, 866
74.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	725, 794, 798, 869
75.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	745, 851, 867
76.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	874
77.	श्री मधु कोड़ा	813
78.	श्री विश्व मोहन कुमार	851

1	2	3
79.	श्री पी. कुमार	867
80.	श्री शैलेन्द्र कुमार	821
81.	श्री यशवंत लागुरी	711, 788
82.	श्री सुखदेव सिंह	865
83.	श्री पी. लिंगम	781, 872, 914
84.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	733, 741, 852, 899
85.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	847, 851, 902
86.	श्री नरहरि महतो	798, 871, 837
87.	श्री प्रदीप माझी	767, 858
88.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	756
89.	श्री मंगनी लाल मंडल	714, 769, 908
90.	डॉ. तरुण मंडल	849, 916
91.	श्री जोस के. मणि	730, 766, 896
92.	श्री हरि मांझी	860
93.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	864
94.	श्री दत्ता मेघे	778, 799
95.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	751, 766, 864, 874, 914
96.	श्री भरत राम मेघवाल	841
97.	श्री महाबल मिश्रा	763, 777, 867, 868, 918
98.	श्री सोमने मित्रा	835, 872
99.	श्री पी.सी. मोहन	763
100.	श्री गोपीनाथ मुंडे	815, 839
101.	श्री विलास मुत्तेमवार	846, 847, 910
102.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	788, 845, 865

1	2	3
103.	श्री देवेन्द्र नागपाल	825
104.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	691
105.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	774, 846, 864, 865, 866
106.	श्री इंदर सिंह नामधारी	771
107.	श्री नारनभाई कछाड़िया	703, 790, 881, 906
108.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	764
109.	श्री संजय निरुपम	732
110.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	860, 896
111.	श्री जगदम्बिका पाल	907, 914
112.	श्री वैजयंत पांडा	748, 761
113.	श्री प्रबोध पांडा	852, 853, 914
114.	कुमारी सरोज पाण्डेय	814
115.	श्री आनंद प्रकाश परांजये	852, 853, 910, 917
116.	श्री देवराज सिंह पटेल	919
117.	श्री देवजी एम. पटेल	740, 867
118.	श्री आर.के. सिंह पटेल	905
119.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	710, 881
120.	श्री बाल कुमार पटेल	759
121.	श्री किसनभाई वी. पटेल	767, 849
122.	श्री हरिन पाठक	794, 830, 840
123.	श्री संजय दिना पाटील	774, 846, 864
124.	श्री ए.टी. नाना पाटील	847
125.	श्रीमती भावना पाटील गवली	856
126.	श्री सी.आर. पाटिल	699, 790, 909
127.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	693, 781, 812, 838

1	2	3
128.	श्रीमती कमला देवी पटले	720, 790, 889
129.	श्री पोन्नम प्रभाकर	862, 863, 864
130.	श्री नित्यानंद प्रधान	748, 761
131.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	760
132.	श्री पन्ना लाल पुनिया	731, 807, 834
133.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	763, 830, 834
134.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	867, 900
135.	श्री एम.के. राघवन	778
136.	श्री अब्दुल रहमान	758, 794, 858
137.	श्री सी. राजेन्द्रन	791, 846,
138.	श्री एम.बी. राजेश	709, 724, 790, 891
139.	श्री पूर्णमासी राम	764
140.	श्री रामकिशुन	766, 781
141.	श्री निलेश नारायण राणे	728, 847, 869, 894
142.	श्री रायापति सांबासिवा राव	754, 766, 852
143.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	864
144.	श्री रामसिंह राठवा	716, 763, 798, 904
145.	श्री अशोक कुमार रावत	844
146.	श्री अर्जुन राय	766, 793, 870
147.	श्री रुद्र माधव राय	709
148.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	698, 790, 864, 877
149.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	700
150.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	752, 763, 906

1	2	3
151.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	767, 769, 843, 864, 914
152.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	798, 871, 837
153.	श्री महेन्द्र कुमार राय	801
154.	श्री एस. अलागिरी	855
155.	श्री एस. सेम्मलई	784
156.	श्री एस. पक्कीरप्पा	733, 852, 854, 867, 914
157.	श्री एस.आर. जेयदुरई	819, 852, 587, 886
158.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	736, 766, 849, 852, 898
159.	श्री ए. संपत	722, 866
160.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	783
161.	श्रीमती सुशीला सरोज	788
162.	श्री तूफानी सरोज	805
163.	श्री हमदुल्लाह सईद	721, 890
164.	श्रीमती जे. शांता	726, 893
165.	श्री जगदीश शर्मा	780
166.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	809
167.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	754, 837
168.	श्री राजू शेट्टी	734
169.	श्री एंटो एंटोनी	766, 824
170.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	697, 798, 876
171.	डॉ. भोला सिंह	802, 851
172.	श्री भूपेन्द्र सिंह	744, 847
173.	श्री गणेश सिंह	879
174.	श्री इज्यराज सिंह	727, 847, 848, 911
175.	श्री जगदानंद सिंह	769

1	2	3
176	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	742
177.	श्रीमती मीना सिंह	912
178.	श्री राधा मोहन सिंह	810
179.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	827
180.	श्री राकेश सिंह	723, 861, 882
181.	श्री रवनीत सिंह	704, 861, 882
182.	श्री उदय सिंह	768, 856, 918
183.	श्री रेवती रमण सिंह	826, 856
184.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	773, 797, 806, 870
185.	राजकुमारी रतना सिंह	854, 892
186.	श्री उदय प्रताप सिंह	795
187.	श्री विजय बहादुर सिंह	820, 868
188.	डॉ. संजय सिंह	892
189.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	852, 863, 864
190.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	702, 880
191.	श्री मकनसिंह सोलंकी	914, 920
192.	श्री ई.जी. सुगावनम	708, 818, 886
193.	श्री के. सुगुमार	746, 766, 821, 852, 860
194.	श्रीमती सुप्रिया सुले	862, 865
195.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	794, 819, 857
196.	श्री एन चेलुवरया स्वामी	878, 918
197.	श्री मानिक टैगोर	750
198.	श्री बिभू प्रसाद तराई	701, 750, 852, 885
199.	श्री मनीष तिवारी	816
200.	श्री जगदीश ठाकोर	729, 895

1	2	3
201.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	701, 778, 788, 873, 879
202.	श्री आर. थामराई सेलवन	747, 766, 856
203.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	861
204.	डॉ. शशी थरूर	792
205.	श्री पी.टी. थॉमस	796
206.	श्री मनोहर तिरकी	756, 862
207.	श्री लक्ष्मण टुडु	808
208.	श्री शिवकुमार उदासी	869
209.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	788, 849
210.	श्री हर्ष वर्धन	854, 918
211.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	738, 855
212.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	765, 860, 861, 867
213.	श्री सज्जन वर्मा	757, 857, 911
214.	श्रीमती ऊषा वर्मा	788
215.	श्री वीरेन्द्र कुमार	866
216.	श्री पी. विश्वनाथन	713, 854, 866, 914
217.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	769
218.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	848, 869, 911
219.	श्री धर्मेन्द्र यादव	762, 766, 856, 859
220.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	797
221.	श्री ओम प्रकाश यादव	867
222.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	800, 852, 872
223.	श्री मधु गौड यास्खी	693, 781, 812, 838
224.	योगी आदित्यनाथ	823, 847, 869.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	71, 74, 80
कार्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	76
पृथ्वी विज्ञान	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	78
विधि और न्याय	:	66
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	64, 75
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	63, 69, 77, 79
रेल	:	61, 70, 72
ग्रामीण विकास	:	62, 65
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	67, 68, 73.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	702, 717, 721, 745, 750, 754, 755, 769, 798, 832, 837, 840, 843, 899
कार्पोरेट कार्य	:	693, 703, 708, 725, 741, 761, 812, 872, 893
पेयजल और स्वच्छता	:	728, 785, 791, 888
पृथ्वी विज्ञान	:	748, 758, 884
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	705, 724, 822, 871, 891
विधि और न्याय	:	697, 700, 704, 713, 720, 730, 733, 738, 739, 799, 806, 844, 865, 878, 896, 905, 918
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	732, 749, 787, 875
अल्पसंख्यक मामले	:	696, 706, 729, 735, 752, 779, 877, 895, 906
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	701, 712, 716, 743, 757, 763, 765, 766, 770, 773, 775, 777, 782, 783, 784, 786, 790, 793, 797, 817, 818, 825, 826, 834, 838, 842 848, 849, 853, 858, 863, 869, 870, 883, 885, 907, 909, 910, 912, 916
रेल	:	692, 694, 698, 699, 709, 710, 711, 714, 715, 718, 719, 723, 731, 736, 740, 744, 746, 759, 771, 774, 776, 778, 780, 781, 789, 792, 794, 795, 796, 800, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 813, 814, 819, 820, 821, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 836, 839, 845, 851, 852, 854, 856, 857, 860, 862, 866, 874, 880, 886, 889, 894, 897, 900, 901, 911, 915, 919
ग्रामीण विकास	:	691, 707, 722, 726, 737, 742, 751, 753, 756, 760, 764, 768, 810, 816, 846, 847, 855, 864, 867, 868, 879, 881, 882, 887, 890, 892, 902, 903, 913, 914, 917, 920
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	727, 835
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	695, 772, 908
जल संसाधन	:	734, 747, 762, 767, 788, 801, 809, 811, 815, 823, 841, 850, 859, 861, 873, 876, 898, 904.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/17/4/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।